लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)

सत्यमेव जयते

LIBRARY
53 (1) 3
11. 11. 83

(खंड 38 में अंक 41 से 48 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 45, गुरुवार, 5 मई, 1983/15 वैशाख, 1905 (शक)

अल्जीरिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—19
xतारांकित प्रश्न संख्या : 891 से 893 और 897 से 900	2—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	19—210
तारांकित प्रश्न संख्या : 894 से 896 और 901 से 911	19—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 10141 से 10294, 10297 से 10322 और 10324 से 10375	31—205
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	211
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	220
विशेषाधिकार समिति	220
चौथा प्रतिवेदन	220
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	220
रेल सेवा आयोग, बम्बई द्वारा भर्ती के मामले में बड़े पैमाने पर किए गए कथित कदाचार	220
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	221
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	226
श्रीमती किशोरी सिन्हा	228
श्री हरिकेश बहादुर	230
नियम 377 के अधीन मामले	233—238
(एक) डकैती के उन्मूलन का स्थायी हल निकालने के लिए सामाजिक-आर्थिक उपाय करने की आवश्यकता	233
श्री माधवराव सिंधिया	233
(दो) इलाहाबाद के सम्यक् विकास के लिए इसे डी० पी० ए० पी० योजना में शामिल करने की आवश्यकता	234
श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी	234

xकिसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(तीन) दिल्ली में "किसान निबास" का शीघ्र निर्माण 234

श्री दिगम्बर सिंह 234

(चार) पेय जल संभरण योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए गुजरात को वित्तीय सहायता 235

श्री अहमद मोहम्मद पटेल 235

(पांच) "बज्जिका भाषा के प्रचार और विकास की आवश्यकता 235

श्रीमती किशोरी सिन्हा 235

(छः) आसनसोल के उत्तरी और दक्षिणी भागों को मिलाने वाली सुरंगों को चौड़ा और ऊंचा करने की आवश्यकता 236

श्री सुशील भट्टाचार्य 236

(सात) जम्मू और कश्मीर में 'गुर्जर बखरवालान' की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता 236

श्री राजेश पाइलट 236

(आठ) शिक्षा के क्षेत्र में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता 237

श्री टी० एस० नेगी 237

छावनी (संशोधन) विधेयक 238—261

विचार करने के प्रस्ताव

आचार्य भगवान देव 238

श्री जगपाल सिंह 241

श्री आर० एस० स्पैरो 243

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा 246

श्रीमती गीता मुखर्जी 250

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 255

श्री जयराम वर्मा 252

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी 257

श्री नन्दी येल्लैया 258

श्री मूलचन्द डागा 261

विषय	पृष्ठ
असम की स्थिति के बारे में गृह मंत्री द्वारा 4 मई, 1983 को सभा में दिए गए वक्तव्य पर चर्चा	261—350
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	261
श्री संतोष मोहन देव	271
सोमनाथ चटर्जी	284
श्री सी० एम० स्टीफन	269
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	265
श्री तरुण गोगोई	308
श्री जयपाल सिंह कश्यप	312
श्री राजेश पाइलट	329
श्री राम जेठमलानी	329
श्री नूरूल इस्लाम	331
श्रीमती गीता मुखर्जी	335
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	339
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	345
राज्य सभा से संदेश	312

लोक सभा

गुरुवार, 5 मई 1983/15 वैशाख 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री एम० सत्यनारायण राव : महोदय, जब आप आते हैं तो संसदीय कार्य मन्त्री नहीं होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, एक खिलाड़ी होने के नाते वह दौड़ रहे होंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : 10 तारीख के बाद वह दौड़ जाएंगे।

अल्जीरिया के सन्सदीय शिष्ट मण्डल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से अल्जीरियाई लोकवादी तथा लोकतांत्रिक गणराज्य की लोकवादी राष्ट्रीय असेम्बली के उपाध्यक्ष माननीय श्री ए० बेलायट तथा अल्जीरिया के शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों, जो हमारे सम्मानीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आते हैं, का स्वागत करता हूं।

शिष्टमण्डल के अन्य माननीय सदस्य हैं :

(1) श्री बोखाटेन मेजिआने, संसद सदस्य

(2) श्री गन सईद, संसद सदस्य

(3) श्री मल्की ओन्स, संसद सदस्य

यह शिष्टमंडल कल प्रातः यहां आया था। वे अब विशेष कक्ष में बैठे हैं। हमारी कामना है कि हमारे देश में उनके प्रवास के दौरान वे प्रसन्न रहें और उनकी यात्रा का परिणाम शुभ निकले। उनके माध्यम से हम अपना अभिवादन एवं शुभ कामनाएं संसद, सरकार और अल्जीरिया लोकवादी तथा लोकतांत्रिक गणराज्य के मित्र लोगों को प्रेषित करते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, सुबह-सुबह लक्ष्मी के दर्शन कर लो। एक-एक रुपया के नोट की कितनी कमी है। यह बंडल देख लीजिए, इतने नोट किसी ने देखे नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्यों ललचा रहे हो।

श्री मनीराम बागड़ी : इस तरह ब्लैक मनी का व्यवहार हो रहा है। एक रुपया का नोट मिलता नहीं है और ये बंडल के बंडल ब्लैक हो रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : बैठिए।

श्री मनी राम बागड़ी : तुम्हारे पास बहुत है क्या ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : थोड़ा संभल कर और बचकर बाहर जाना। इतने नोट लेकर कैसे बाहर निकलोगे।

श्री मनीराम बागड़ी : दिखाने के लिए संभाल कर रखा है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*891. **श्री जयन्ती पटनायक** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में विभिन्न राज्यों में कितने स्मारकों को केन्द्रीय सरकार का संरक्षण प्राप्त था ;

(ख) इस अवधि के दौरान उन केन्द्रीय संरक्षण प्राप्त स्मारकों के रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा के बानापुर में केन्द्रीय संरक्षण-प्राप्त दक्ष प्रजापति मन्दिर लगभग ढह जाने की स्थिति में है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मन्दिर के उचित अनुरक्षण के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) संरक्षण अधिसूचना की प्रविष्टियों के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 3498 केन्द्र संरक्षित संस्मारक है।

(ख) फरवरी 1983 के अन्त तक लगभग 390 केन्द्र संरक्षित संस्मारकों के विशेष मरम्मत कार्यों पर खर्च की गई कुल धनराशि 84.96 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त संस्मारकों के वार्षिक रख-रखाव पर खर्च की गई धनराशि 73.97 लाख रुपए है।

(ग) और (घ) उड़ीसा के रघुनाथपुर (बानापुर) में दक्षप्रजापति का मंदिर संरक्षण की काफी अच्छी दशा में है, फिर भी मरम्मत कार्य अपेक्षित है जिनके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : पिछले कई वर्षों से उड़ीसा के 65 स्मारक ही केन्द्रीय सरकार के संरक्षण में हैं। और उनकी संख्या में वृद्धि नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : एक दूसरे के समीप आने के लिए क्या आपने पहले ही अनुमति ली थी ?

श्रीमती जयन्ती पटनायक : उन्होंने मुझे पास आने के लिए कहा है क्योंकि अपनी सीट से मेरी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती है।

श्री सतीश अग्रवाल : उन्हें इस प्रकार से सीमा रेखा पार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : स्मारक के लिए और अधिक धन चाहिए और उन पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री कह सकते है कि उस सर्किल का आधे से अधिक धन उड़ीसा के स्मारकों के लिए होता है। लेकिन आपको यह मालूम होगा कि एक स्मारक-समूह में सैकड़ों स्मारक होते हैं। ध्यान देने के संबंध में भी मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि पूर्वी सर्किल से गोहाटी सर्किल के पृथक हो जाने के बाद विद्यमान सर्किल इन स्मारकों पर अधिक ध्यान देने में समर्थ होगा। पूर्वी सर्किल का कार्यभार कम हो जाने की स्थिति में मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि विशेष रूप से राज्य द्वारा अपने संरक्षणाधीन स्मारकों की सूची भारतीय पुरातत्व विभाग को भेजे जाने के संबंध में स्मारकों के संरक्षण के कार्य में उल्लेनीय सुधार करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए हैं क्या संरक्षण परिरक्षण और प्रलेख पोषण का कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से किया जायेगा? प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर के प्रलेख-पोषण का कार्य अभी तक भी नहीं किया गया है। यदि उड़ीसा के स्मारकों की देखरेख इस प्रकार से की जानी है तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस सम्पूर्ण कार्य के लिए कर्मचारों वृद और इस कार्य के लिए आवंटित की गई धनराशि पर्याप्त है ? माननीय मन्त्री यह कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण-कार्य में किस प्रकार के सुधार किया जा रहा है।

श्री सतीश अग्रवाल : उन्हें सरकार द्वारा तैयार किया गया पूरा नोट नहीं पढ़ना चाहिए।

श्री एम० सत्यनारायण राव : कम से कममहिला सदस्य को तो बख्श दीजिए।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : और मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने उन्हें इस प्रकार के आदेश दिए हैं।

श्रीमती शीला कौल : यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और हम भी बार-बार उत्तर देते आ रहे हैं इसलिए माननीय सदस्य को यह भी मालूम है कि हम क्या उत्तर देने वाले है।

श्री सत्य नारायण राव : दोनों के बीच कोई साठगांठ प्रतीत होती है।

अध्यक्ष महोदय : इससे दोनों के बीच घनिष्ठता का पता चलता है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आज तो श्रीमती कौल अपने रूप असली में हैं ।

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने पूछा है कि हम क्या करने जा रहे हैं । यदि हमारे पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और पर्याप्त धनराशि हो तो हम क्या कार्यक्रम कार्यान्वित करेंगे । इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगी कि धन की पर्याप्तता और अन्य बातों के संबंध में 8 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई हैं जो कर्मचारियों की आवश्यकता धन की पर्याप्तता और खुदाई, खोज तथा माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई अन्य ऐसी ही बातों के संबंध में अध्ययन करेगी ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : अब मैं अपने प्रश्न के दूसरे भाग पर अनुपूरक प्रश्न पूछूंगी । दक्ष प्रजापति मन्दिर उड़ीसा निर्माण-शिल्प का एक अनूठा नमूना है । किन्तु इस मन्दिर के पास ही एक तालाब है जिसका पानी इस मन्दिर के आस-पास फैला रहता है । विशेष रूप से वर्षा के दिनों में इस पानी से मन्दिर की दीवारें, उस का फर्श और उसके आसपास का क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित होता है । इस तालाब के चारों ओर पत्थर की दीवार नहीं हैं । दूसरी बात यह है कि कमजोर नींव होने के कारण मन्दिर की चार-दीवार झुकती जा रही है और मन्दिर पर जगह-जगह पेड़ पौधे उगते जा रहे हैं । दक्ष प्रजापति मन्दिर का रासायनिक उपचार भी नहीं किया गया है । यह कहा गया है कि एक बार इसकी कुछ दरारों की मरम्मत की गई थी । जबकि मन्दिर का रखरखाव बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं और वहां का वातावरण मन्दिर के रखरखाव के अनुरूप नहीं है और जबकि मन्दिर ढहता जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इन सब बातों में सुधार के लिए और विशेष रूप से मन्दिर के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ।

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्या की यह बात बिल्कुल ठीक है कि मन्दिर के पास एक तालाब है लेकिन वह तालाब हमारा नहीं है वह किसी व्यक्ति का निजी तालाब है और वह उसका मछली पकड़ने हेतु निलाम करता है । हमने उस व्यक्ति से बातचीत शुरू की है वह इस मन्दिर का पानी इस तालाब में गिरने दे । इस मामले पर बात चीत की जा रही है और हम आशा करते हैं कि इसका अच्छा परिणाम निकलेगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह तो मछली पड़ने के अभियान जैसा हुआ ।

श्रीमती शीला कौल : इसी बीच हम मन्दिर के चारों ओर पटरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसकी मजबूती हो जाए । हमने यह देखने के लिए शीशे की पट्टियां भी लगाई थीं कि क्या गत तीन वर्षों में इस मन्दिर को आगे क्षति हुई है । परन्तु शीशे की पट्टियां चटकी नहीं हैं और इससे मालूम होता है कि मन्दिर को और अधिक क्षति नहीं हुई है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सभा-पटल पर रखे गए विवरण में कहा गया कि संरक्षण अधिसूचना की प्रविष्टियों के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों और संघ-शासित क्षेत्र में 3498 केन्द्रों-संरक्षित संस्मारक हैं ।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मुल्क में कुल इतने ही संस्मारक हैं या और भी हैं ; यदि और भी हैं, तो जिन संस्मारकों का चयण किया गया है, उनका आधचर आधार क्या हैं। अभी मुझे मौका मिला द्वारिकाधीश के मंदिर को देखने का, जो केन्द्र-संरक्षित है और केन्द्र द्वारा मेनटेन किया जाता है। वहां सालों से रिपेयर-वर्क चल रहा है। मैं जानता चाहता हूं कि उसकी मरम्मत का काम कब तक पूरा हो जाएगा।

शीला कौल : माय्यवर, माननीय सदस्य ने सही फरमाया है हमारे यहां 3498 प्रोटेक्टिड मानुमेंट्स हैं। अगर हम उनको इंडिविजुअली लें, तो वे 5,000 से ज्यादा हैं। हमारे पास जो पैसा है, उसी के हिसाब से हम मरम्मत वगैरह का प्रोग्राम बनाते हैं। जिसको प्रायटी देनी चाहिए, उसको हम पहले लेते हैं।

माननीय सदस्य ने द्वारिकाधीश मंदिर के बारे में पूछा है। मुझे मालूम है कि वह काम बहुत सालों से हो रहा है। वह एक जिन्दा मंदिर है, जहां अभी भी पूजा होती है। बाज दफा नव-रात्र और दीवाली वगैरह के मौके पर हमको रिपेयर का काम बन्द करना पड़ता है, क्योंकि इस बात का डर रहता है कि लोगों पर कोई चीज गिर न जाए। उस मन्दिर का पत्थर बहुत दूर से लाना पडता है। आकेयालोजी में यह जरूरी है कि पत्थर का रंग और स्ट्रक्चर मैच करे। वह कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है उसको क्वैरो से लाने के लिए ट्रेन भी नहीं होती है। वह कभी जानवरों पर लाना पड़ता है और कभी बैलगाड़ी पर लाना पड़ता है। उसमें भी टाइम लगता है। इससे पहले कि उनको ठीक करें, थोड़ी और मरम्मत की जरूरत पड़ जाती है। माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि वहाँ पर रिपेयर्ज बराबर चली रही है।

श्री राजेंद्र प्रसाद यादव : वे पूरी कब होंगी ?

श्रीमती शीला कौल : वे बराबर चलेगी—चलनी चाहिए। (**व्यवधान**) माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि यह समुद्र के समीप है और समुद्र की ओर से चलने वाली हवा में खारीपन होता है जिसका पत्थर पर दुष्प्र भाव पड़ता है।

भारत अलजिरिया सांस्कृतिक करार

*892 **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शिक्षा और सांस्कृतिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व भारत ब अलजीरिया के बीच शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, आदि के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में कोई सांस्कृतिक करार किया गया था ; और

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जब कि भारत तथा अल्जीरिया के बीच एक सांस्कृतिक करार पर 1 जून, 1976 को

अल्जीयर्स में हस्ताक्षर किए गए थे, इस करार के अनुसरण में दो देशों के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (शृंखला में द्वितीय) जिसमें शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में आदान-प्रदान की व्यवस्था है, पर दिसम्बर, 1984 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 25 नवम्बर, 1982 को अल्जीयर्स में हस्ताक्षर किए गए।

(ख) इस कार्यक्रम में दोनों देशों के बीच शिक्षाविद्, विशेषज्ञों तथा अध्येताओं के विनियम, प्रदर्शन मंडलियों, विभिन्न क्षेत्रों में सूचना, पुस्तकों तथा प्रकाशनों के विनियम फिल्मों तथा रेडियों और टेलीविजन कार्यक्रमों के विनियम, प्रदर्शनियों के विनिमय, फिल्म सप्ताहों का आयोजन, फिल्म समारोहों तथा पुस्तक मेलों में भाग लेना, छात्रवृत्तियां प्रदान करना, डिग्रियों और डिप्लोमाओं आदि को मान्यता प्रदान करता तथा विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग के माध्यम से शिक्षा विज्ञान, संस्कृति, सूचना, स्वाथ्य, पर्यावरण, कृषि, खेल तथा पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मन्त्री महोदय, ने अपने जबाव में बताया है कि 25 नवम्बर 1982 को अल्जीरिया और भारत के बीच समझौता हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : आपने बड़े मौके से सवाल पूछा है। आप बड़े मौका-शिनास हैं !

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : इस समझौते को हुए छः महीने बीत गए हैं। जैसाकि उत्तर में कहा गया है, इस समझौते के मुताबिक दोनों देशों के बीच शिक्षाविदों, विशेषज्ञों तथा अध्येताओं के विनिमय, प्रदर्शन मंडलियों, विभिन्न क्षेत्रों में सूचना, पुस्तकों तथा प्रकाशनों के विनियम, फिल्मों तथा रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों के विनियम और प्रदर्शिनयों के विनिमय आदि की व्यवस्था है।

तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अब तक छः महीने में इस समझौते की क्या प्रगति हुई है और कितने शिक्षाविदों, कितने विशेषज्ञों और कितने अध्येताओं का विनिमय अल्जीरिया और भारत सरकार के बीच हुआ है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस समझौते के तहत हमारे देश की कुछ डिग्रियों तथा डिप्लामाओं को अल्जीरिया की सरकार ने मान्यता दी है या नहीं दी है और इस समझौते के तहत कितनी भारतीय छात्र-छात्राएं अल्जीरिया में अध्ययन कर रही हैं और हिन्दी के पठन-पाठन के लिए अल्जीरिया से यहां पर कितने छात्र आए हैं और कितने हमारे प्रोफेसर वगैरह अल्जीरिया में भेजे गए हैं।

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, मुझे खुशी है कि यह सवाल आज पूछा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप भी इस मौके की तलाश में थी।

श्रीमती शीला कौल : कल्चरल एग्रीमेंट जो हैं यह हिन्दुस्तान ने 66 मुल्कों से किया है ऐसे कल्चरल एग्रीमेंट को लागू करने के लिए हमें प्रोग्राम की जरूरत होती है जो कि हमने 36 मुल्कों से परे कर लिए हैं और इसमें अल्जीरिया भी एक है। यह सही है कि अल्जीरिया से हमने पहली जून,

1976 को एक एग्रीमेंट किया था और उसके बाद जो प्रोग्राम होते हैं, ये दो-दो, तीन-तीन साल के लिए होते हैं और उनको लागू करने के लिए कभी यहां से जाना पड़ता है और कभी दूसरे मुल्कों के लोग यहां पर आते हैं। इसी सिलसिले में 1982 में हमारी मिनिस्ट्री से लोग गये थे और वे वहां पर प्रोग्राम बनाने के लिए गए थे। इसमें आपको बताया है कि साइंस, कल्चर, इन्फार्मेशन, हैल्थ, एन्वाइरेनमेंट, एग्रीकल्चर, एक्सचेन्ज आफ जर्नलिस्ट्स, रेडियो एण्ड टी० वी० प्रोग्राम्स एक्सचेन्ज आफ एग्जीविशन्स सब इसमें आते हैं और फिल्म फेस्टीवल्स वगैरह भी इसमें किये जाते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इसमें प्रगति क्या हुई है ?

श्रीमती शीला कौल : वही मैं बता रही हूं। जो हमारी मेन एक्सचेंजेज हुई हैं, वे ये है। हमारे से सीरीज आफ लैक्चर्स देने के लिए यूनिवर्सिटी आफ कांस्टेन्टाइन गये थे। फिर इण्डियन मेनियेचर पैन्टिंग्स एण्ड प्रिन्ट्स के एक सैट को प्रजेन्टेशन हुआ था यह बताने के लिए कि यहां की कल्चर कैसी थी। फिर अल्जीरियन म्यूजिक एण्ड डान्स एन्सेम्बली फ्राम दि नेशनल बैलेट ने अफ्रीकन परफोर्मिंग आर्टस के फैस्टीवल के मौके पर अपनी परफार्मेंशन यहां दी थी। इसके अलावा आल इंडिया रेडियो से 29, 27 और 5 रेडियो प्रोग्राम 1980, 1981 और 1982 में अल्जीरिया गए थे और म्यूजीकल कम्पोजीशन और कलर डाकूमेन्टरी फिल्म वगैरह अल्जीरिया भेजे गए थे। हमने हिन्दी पढ़ाने के लिए भी कहा है कि अगर कोई यहां आकर उसे सीखना चाहे, तो हम स्कालरशिप देते हैं लेकिन अभी तक इसके लिए कोई डिमांन्ड नहीं आई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जब अल्जीरिया गया था, तो वहां मैंने देखा कि हिन्दी फिल्मों की बड़ी मांग है।

श्रीमती शीला कौल : किसकी ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारी हिन्दी फिल्मों की मांग अल्जीरिया में बहुत ज्यादा है।

मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। यह जो उत्तर दिया गया है, इसके मुताबिक दिसम्बर 1984 को हमारा और अल्जीरिया का एग्रीमेंट समाप्त होने वाला है...(व्यवधान)...वे सुन रही हैं और आप नहीं सुन रहे हैं। मैंने यह कहा है कि यह जो एग्रीमेंट अल्जीरिया और भारतसरकार के बीच 25-11-82 को हुआ था, वह दिसम्बर 1984 को समाप्त हो जाएगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने अल्पकाल में कोई डिग्री या डिप्लोमा, जैसाकि आपने अपने उत्तर में कहा है कि डिग्री और डिप्लोमा का भी आदान-प्रदान होगा, हमारे कुछ लोग यहां आकर डिग्री और डिप्लोमा लेंगे, और उनके कुछ लोग यहां आकर डिग्री और डिप्लोमा लेंगे, पूरा हो सकेगा। मैं समझता हूं कि 2 साल में शायद ही कोई डिग्री या डिप्लोमा पूरा होता होगा।

डिप्लोमा तो 4-5 साल में पूरा होता है। एग्रीमेंट दो साल के लिए है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस एग्रीमेंट को आप बढ़ा सकते हैं ?

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, एग्रीमेंट तो लम्बे समय का होता है । यह तो प्रोग्राम है । एग्रीमेंट तो बराबर बना हुआ है । अगर कोई आए तो कंटीन्यू हो सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट तो बराबर चल रहा है । यह तो कटीनुअस प्रासेस है ।

डा० कृपा सिन्धु भोई : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि हमारे जैसे ही विकासशील एक समाजवादी देश अल्जीरिया से आए हुए हमारे कुछ मित्र आज दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं । माननीय मंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी करार की एक रंगीन तस्वीर पेश की है । इस सन्दर्भ में मैं पूछना चाहूंगा कि 1976 में हुए करार के पश्चात कितने सांस्कृतिक शिष्ट-मंडलों का परस्पर आदान-प्रदान हुआ है । मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार शिक्षा, सस्कृति, विज्ञान और फिल्म के क्षेत्रों में बहुत ही कम लोग एक दूसरे देश में गए हैं । भारत सरकार, अल्जीरिया और भारत दोनों ही देशों में भारत अल्जीरिआई सांस्कृतिक केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव क्यों नहीं करती है ? परन्तु हमारे देश में ऐसा जो केन्द्र हो वह दिल्ली से दूर होना चाहिए । वह पांडिचेरी में स्थापित किया जाना चाहिए । दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधी बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार को एक स्थायी सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के लिए कदम उठाना चाहिए । मेरा दूसरा प्रश्न सास्कृतिक शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान के बारे में है । इस द्विपक्षीय करार के क्या ठोस परिणाम निकले हैं ?

मंत्री महोदय, ने शिष्टमंडलों की संख्या और शिक्षा, विज्ञान और अनुसधान आदि के क्षेत्रों में एक दूसरे के यहां गए लोगों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया है । विश्व में वैज्ञानिक जनशक्ति की दृष्टि से तीन बड़े देशों में भारत का तीसरा स्थान है । डिजाइन पैरामीटर के क्षेत्र में भारत सभी विकासशील देशों में ऊपर है । इसलिए हमारे विकास का लाभ अल्जीरिया को क्यों नहीं मिलना चाहिए ? अल्जीरिया ने जिस क्षेत्र में विकास कम किया है उस क्षेत्र में उसके विकास के लिए हमें सहायता करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा के सदस्यों की ओर से मैं अल्जीरिया के संसदीय शिष्टमंडल को फुटबाल मैच के लिए निमंत्रण देता हूं ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, वे आपको गोल कीपर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय सेंटर फारबर्ड के रूप में भी नहीं ।

सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि वे आपको गोल कीपर के रूप में स्वीकार करेंगे तो मेरा काम ही समाप्त हो जाएगा ।

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने राय दी है कि पांडिचेरी में इसका सेंटर बनना चाहिए । जिस मुल्क का कल्चरल सेंटर होता है, उसको कहां स्थापित किया जाए यह उसी मुल्क की इच्छा पर डिपेंड करता है । अगर वे पांडिचेरी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं । लेकिन बाकी सब यहीं हैं तो वे भी चाहेंगे कि उनका सेंटर भी दिल्ली में ही बने ।

'हिमालय क्वीन' नामक नई रेल गाड़ी चलाना

*893. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कालका-शिमला और पठानकोट-जोगिन्दर नगर बीच 'हिमालयन क्वीन' नामक एक नयी रेल गाड़ी चलाने की योजना बनायी है ; और

(ख) यदि हां, तो गाड़ी में यात्रा सहित 'पैकेज टूर' का सही ब्यौरा क्या है और इस गाड़ी को किस तारीख से चलाए जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

रेल मन्त्रालय पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय के समन्वय से एक विशेष पर्यटक गाड़ी चलाने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है । इस गाड़ी के चलने से शिमला आसानी से पहुंचा जा सकेगा और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग आकर्षक पैकेज होलीडेज प्रस्तुत करने में समर्थ हो जाएगा ।

पर्यटन मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से इस प्रस्ताव की आर्थिक क्षमता का बिस्तृत अध्ययन प्रारम्भ कर दिया गया है । अध्ययन के बाद पर्यटन मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से गाड़ी चलाने, पैकेज पर्यटन के ब्यौरे तथा गाड़ी चलाने की संभावित तारीख के बारे में विनिश्चय किया जाएगा ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : वक्तव्य से जाहिर होता है कि इस प्रस्ताव के बारे में कुछ अध्ययन किया गया है । विस्तृत अध्ययन के लिए उन्हें विभिन्न प्रश्न सौंपे गये हैं । क्या मैं पूछ सकता हूं कि अध्ययन अगले टूरिस्ट सीजन से पहले समाप्त हो जायेगा ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हम इस प्रस्ताव की आर्थिक निर्भरता और विदेशी तथा देशी पर्यटकों आदि को आकर्षित करने की उसकी क्षमता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं । ठीक-ठीक समय बताना मेरे लिए बहुत कठिन है । हम इन सभी पहलुओं के बारे में विचार कर रहे हैं और अध्ययन समाप्त होते ही पर्यटन मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके निर्णय लेकर हम कार्य आरम्भ कर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय तथा संसद सदस्यों को पहले होलीडे ट्रिप पर शिमला ले जाया जाना चाहिए ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : अगला टूरिस्ट सीजन अब से एक साल बाद आयेगा क्या तब तक अध्ययन पूरा हो जाएगा ? क्योंकि रेल गाड़ी केवल तत्पश्चात ही आरम्भ की जायेगी ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : खास समय बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्यों कि कई चीजें करनी होती हैं यथा बोराग और सालोगाडा स्टेशनों पर सुविधाओं का विकास, कर्मचारियों की नियुक्ति, संचालन लागत तथा अन्य सम्बद्ध सुविधाएं इन सभी बातों पर विचार किया जाना होता है। इसलिए इस समय कोई खास समय बताना मेरे लिये कठिन है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में बढ़ते हुये पर्यटन के महत्व को देखते हुये क्या निकट भविष्य में भारत के अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों को पर्यटक रेल से जोड़ने का भारत सरकार विचार कर रही है? इसी प्रकार मध्य भारत और दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण स्थानों को भी पर्यटक रेल के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह सवाल मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं ; आपकी बात सही है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : आपका बड़ा मश्कूर हूं कि आपने बोलने का समय दिया। हिमाचल प्रदेश में रेलवे का विस्तार बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप लोग प्लानिंग कमीशन में विचार के लिये डाल देते हैं जिसका नतीजा यह हुआ है कि अभी तक एक फुट भी रेलवे लाईन नहीं बनी है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो गाड़ी चलवाने की हमारी मांग है, यह पूरी हो जायेगी या ऐसे ही पेन्डिंग पड़ी रहेगी? यह आपको पता है कि टूरिज्म की दृष्टि से सारे हिल्ली एरियाज में हिमाचल प्रदेश का पहला स्थान है। इसलिये, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये आप गाड़ी चलाने का प्रावधान करेंगे या नहीं? यह भी बताएं कि इसकी जांच होने की मियाद कब तक है?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इस प्रस्ताव पर अगस्त, 1982 में पर्यटन मन्त्रालय रेल मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विचार विमर्श किया गया था। विभिन्न मुद्दों की जिनका मैंने उल्लेख किया है, जांच करने के पश्चात पर्यटन मन्त्रालय और रेल मन्त्रालय प्रस्तावित रेल गाड़ी चलाने के बारे में संयुक्त रूप से निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 894—श्री नवल किशोर शर्मा—अनुपस्थित प्रश्न सं० 895 श्री एन० ई० होरो—अनुपस्थिति। प्रश्न सं० 896—श्री रामलाल राही—अनुपस्थिति।

आज भी फिर उसी तरह अनुपस्थिति है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कलकत्ता विश्वविद्यालय को अनुदान

*897. **श्री संफुद्दीन चौधरी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वद्यालय अनुदान आयोग के दल ने छठी योजना के लिए कलकत्ता विश्वविद्या-

लय का दौरा किया था और विश्वविद्यालय को अनुदानों के नियतन के लिए प्राधिकारियों से अपनी सिफारिशें की थीं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की छठी योजना की निरीक्षण समिति ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की विकास आवश्यकताओं की जांच करने तथा मूल्यांकन करने के लिए 25 अप्रैल, से 28 अप्रैल, 1983 तक विश्वविद्यालय का दौरा किया । इसकी सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है तथा आयोग को प्रस्तुत किया जाना है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कलकत्ता विश्वविद्यालय दल भेजने में अत्यधिक विलम्ब हो गया है । हालांकि विश्वविद्यालय ने अपने विकास के लिए अपना प्रस्ताव जनवरी, 1980 में भेज दिया था । मुझे खुशी है कि हाल में एक दल वहां गया है । इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या छठी योजना की कुल अवधि के लिए 7 करोड़ रुपये की अनुदान के लिए जो अनुरोध किया है उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किया जायेगा ।

श्रीमती शीला कौल : अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय को अनुदान देने के सम्बन्ध में कुछ प्रक्रियाएं हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को तीन वर्गों में विभाजित किया है वे विश्वविद्यालय जिन्हें विकास के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है, और वे विश्वविद्यालय जिन्हें इस हेतु 50 लाख रुपये मिलते हैं । कलकत्ता विश्वविद्यालय को अन्य विश्वविद्यालयों के अलावा 1 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है । इसके अलावा अन्य कार्यक्रम हैं यदि वे कार्यक्रमों का अनुसरण करते हैं तो उसे उच्चतर शिक्षा की किस्म में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रमों की क्रियान्वित के लिए सहायता कहा जाता है । इसके अतिरिक्त अनुसंधान के लिए कार्यक्रम हैं, स्नातकोत्तर केन्द्रों के विकास के लिए सहायता है, इंजीनियरी तथा तकनीकी कार्यक्रमों के विकास के लिए सहायता है और विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों के विकास के लिए सहायता है । यदि विश्वविद्यालय इन सभी कार्यक्रमों को चलाता है तो इन क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने के लिए उसे अतिरिक्त राशि मिलेगी ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी का उत्तर सुनने के पश्चात मैं जानना चाहूंगा कि क्या विश्वविद्यालय की विशालता और छात्रों की भारी संख्या पर विचार करते हुए और इसके अलावा अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुदानों को ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री जी विश्वविद्यालय की छठी योजना अवधि के लिए उसकी आवश्याकताओं की पूर्ति हेतु 7 करोड़ रुपए देने का विचार कर रही है । यह उसकी दिन प्रतिदिन के कार्यकरण के लिए मुख्य आवश्यकता है ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय एक नये कैम्पस का निर्माण कर रहा है ।

पांचवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा विभाग को अपनी एक इमारत बनाने के लिए 35 लाख रुपये का अनुदान दिया था जिसे केवल प्रस्तावित समेकित केम्पस क्षेत्र में इमारत बनाने के लिए खर्च किया जा चुका है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी छठी योजना में उस राशि को देंगे अथवा नहीं ।

मैं समझता हूं आप उस राशि को देने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप वहां एक नया केम्पस शुरू करने के लिए उस राशि को दें ।

श्रीमती शीला कौल : पहले साल्ट लेक क्षेत्र में एक नया केम्पस शुरू करने के लिए यह अनुरोध किया गया था और उसपर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया था। किन्तु विश्वविद्यालय लगभग 46 लाख रुपया ले सकी। बाकी धन उसने नहीं लिया। मेरी धारणा यह है कि अगर राज्य ने उसे मुफ्त जमीन देकर मदद की होती तो उस । करोड़ रुपये से यह नया विश्यविद्यालय बनाया जा सकता था और अन्य क्रियाकलाप भी हो सका थे जो वे वहां चाहते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : माननीय मन्त्री जी ने अभी बतलाया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया था। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या अनुसंधान प्रगति के रूप में इस धन का जो उपयोग किया जा रहा है उसका निर्धारण करते के लिए कोई तरीका है। मैं यह प्रश्न इसलिए पूछता हूं कि मन्त्री जी को इस बात का पता होगा कि बहुत सी शिकायतें हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो अनुसन्धान होता है वह बहुधा मार्किसिस्ट है। और गैर-मार्क्सवादी साहित्य के अनुसंधान हेतु अनुदान नहीं दिया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है और यदि हां तो इस पर निष्पक्ष रूप से विचार करने के लिए कोई तरीका है ?

श्रीमती शीला कौल : एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कौन सी समिति ?

श्रीमती शीला कौल : एन निरीक्षण समिति है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसे कब स्थापित किया गया था और उसके सदस्य कौन-कौन हैं । मुझे यह जानने का हक है। एक करोड़ रुपया मार्क्सवादी अनुसंधान पर खर्च करने के लिए दिया जा रहा है **(व्यवधान)** मन्त्री जी इस बात का पता है कि इस निरीक्षण समिति में कौन हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभी विवरण माननीय सदस्य के पास भेज दीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अन्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के बारे में क्या स्थिति है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मार्क्सवादी साहित्य में अनुसन्धान के बारे में मेरी शिकायत नहीं है । लेकिन स्वतन्त्रता संग्राम जैसे विषयों पर अनुसंधान को शमिल न किया जाना गया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह आपने एक समारोह की अध्यक्षता की थी जिसमें आपने कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ बातें कहीं । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य भी वहां होते । यदि वे वहां उपस्थित भी होते तो भी वह उसे नहीं समझते ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इसमें 70 विभाग हैं और 800 अध्यापक हैं । स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या 15000 है और अण्डर ग्रेजुएट छात्रों की संख्या लगभग ढाई लाख है ।

राज्य सरकार ने अलीपुर में 90 एकड़ भूमि दी है । श्री गनी खान चौधरी को भी पता है । यह भूमि नया केम्पस (परिसर) बनाने के लिए दी गई है क्योंकि इस समय यह नगर में 7 विभिन्न स्थानों पर फैला हुआ है जिससे क्षात्रों को बहुत असुविधा होती है ।

जब राज्य सरकार ने 90 एकड़ भूमि दे दी है और विश्वविद्यालय ने काफी पहले बनी गनी समिति की सिफारिशों के अनुसार योजनाएं और कार्यक्रम बना लिए हैं तो क्या केन्द्र सरकार छठी योजना में इस कार्य के लिए 15 करोड रुपये का अनुदान देगी ? छठी योजना का तीसरा वर्ष चल रहा है । समिति के जाने के बाद 2 1/2 वर्ष बीत चुके हैं । क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है ?

श्रीमती शीला कौल : निःसन्देह दौरे पर जाने वाली समिति को विभिन्न विश्वविद्यालयों में भेजने में विलम्ब हुआ है । केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही ऐसी समिति नहीं गई है । अन्य विश्वविद्यालयों में भी उन्हें भेजा गया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनसे रिपोर्ट मांगी है । जो विषय लिए जाने हैं, उनके लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तय करने में भी समय लगा ।

डा० स्वामी ने इस समिति के नाम पूछे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें भेज दें ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : नये केम्पस के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

श्रीमती शीला कौल : मेरे विचार से आप अलीपुर केम्पस के बारे में कह रहे हैं न कि साल्ट लेक के विषय में जो कि पुरानी जेल में है । लेकिन आप जेल में क्यों जाना चाहते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम जेल में नहीं जा रहे । जहां पहले जेल थी वह भूमि उपलब्ध कराई जा रही है । जेल का आधुनिकीकरण हो रहा है । उसे अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है । मंत्री जी सोचती हैं कि विश्वविद्यालय को जेल में ले जा रहे हैं । ऐसा नहीं है ।

डा० **सुब्रह्मण्यम स्वामी** : आप स्वीकार करते हैं कि मार्क्सवादी सरकार ने जेल का आधुनिकीकरण किया है ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इन बातों को नहीं सोचते । राज्य सरकार नये कैम्पस के लिए 90 एकड़ भूमि दे रही है । श्री गनी खान चौधरी को उस क्षेत्र का पता है । इसे जेल में नहीं ले जा रहे । यदि आपको हमारी योजना की यही जानकारी है तो पता नहीं क्या स्थिति है? क्या आप जानकारी लेंगे कि वे इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ?

(व्यवधान)

श्रीमती शीला कौल : वास्तव में विश्वविद्यालय बनाने के बारे में विवरण एकत्र करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । लेकिन हम इन पांच कार्यक्रमों के बारे में, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, सहायता देने को तैयार हैं । यदि सदुपयोग किया जाता है और अच्छे परिणाम निकलते हैं तो हम कितनी भी धनराशि दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह विचारणीय विषय है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी आप जेल के आधुनिकीकरण से आकर्षित होकर पश्चिमी बंगाल न चले जाइये ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह कहते हैं कि हमने जेल का आधुनिकीकरण किया है । उन्हें जेल में रखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री नीरेन घोष : उन्हें वहां ले जाकर हम जेल को दूषित न करें ।

फाइलेरिया और इसके इलाज के लिये उपाय

*898. **श्री एन० डैनिस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों को फाइलेरिया रोग होता है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह रोग बढ़ रहा है; और

(ग) इस रोग से प्रभावशाली ढंग से बचाव और उपचार के लिए कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा गोवा, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों में फाइलेरिया रोग स्थानिक रूप से होता है।

(ख) फाइलेरिया रोग की घटनाओं में कमी आ रही है।

(ग) इस समय राष्ट्रीय फाइलेरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों के लिए 174 फाइलेरिया नियंत्रण यूनिटें और 92 फाइलेरिया क्लिनिकी तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 26 सर्वेक्षण यूनिटें काम कर रही हैं। सरकार के पास इन यूनिटों में वृद्धि करने के प्रस्ताव हैं।

श्री काकुलम (आंध्र प्रदेश), वालसद (गुजरात) और जौनपुर (उत्तर प्रदेश) नामक तीन जिलों में मार्गदर्शी आधारपर तीन ग्रामीण फाइलेरिया नियंत्रण यूनिटें काम कर रही हैं।

श्री एन० डेनिस : विवरण से पता चलता है कि कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्य फाइलेरिया से प्रभावित हैं। यह अनुमान है कि 3000 लाख व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इस बीमारी का इलाज नहीं है। इससे ग्रस्त व्यक्ति समाज में अच्छे नहीं समझे जाते। शरीर के प्रभावित अंग सूज जाते हैं और फूल जाते हैं। उनका आकार बहुत बढ़ जाता है मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अलग से फाइलेरिया उन्मूलन करने के लिए कोई गहन और प्रभावी कार्यक्रम बनाया जायेगा। अब तो यह राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाया जा रहा है। इसे अलग से चलाया जाना जरूरी है क्या मंत्री जी इस दिशा में कोई प्रभावी उपाय करेंगे ?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : मैं माननीय सदस्य की चिंता खूब समझती हूं। वर्ष 1955 से 1960 तक हमने नमूना सर्वेक्षण किया था। उसके अनुसार 12 राज्य और 4 संघ राज्य क्षेत्र फाइलेरिया ग्रस्त क्षेत्र घोषित किये गये। 12 राज्यों से मेरा मतलब पूरे राज्यों से नहीं बल्कि उसके कुछ भागों से है जिन्हें ऐसा घोषित किया गया है। इस बीमारी के उन्मूलन के लिए हमें भी सिंचता है। लेकिन इस बीमारी को कोढ़ की तरह सामाजिक अभिशाप नहीं माना जा सकता। सरकार इन पहलुओं पर विचार कर रही है। हमने फाइलेरिया नियंत्रण एकक क्लिनिक और सर्वेक्षण एकक बढ़ा दिये हैं। जहां तक बजट उपबन्धों का प्रश्न है, 1983-84 में सरकार का इस पर 70 लाख रु० खर्च करने का प्रस्ताव है। हम राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ये उपाय कर रहे हैं। हमारी उपलब्धियां भी अच्छी रही हैं। कार्यक्रम में लगे लोगों को प्रशिक्षण देना शुरू किया है क्योंकि उन्हें लोगों के पास जाकर रक्त स्लाइड लेकर जांच करनी होती है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देती हूं कि सरकार इस बारे में चिंतित है और इस बीमारी को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आरम्भ में तीन जिलों एक आंध्र प्रदेश में, एक

गजरात में तथा एक उ० प्र० में चुना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारी का विस्तार से पता चल सके।

श्री एन० डेनिस : फाइलेरिया के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए निधि और चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं और बहुत कम हैं। निर्धन लोग इस बीमारी से अधिक प्रभावित है। नवयुवक भी प्रभावित हैं और वे स्थाई रूप से कुरूप हो जाते हैं। क्या सरकार इस बीमारी के स्थाई इलाज और उन्मूलन के लिए प्रभावी दवाइयों की खोज और शल्य चिकित्सा की व्यवस्था करेगी।

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : यदि बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति तुरन्त डाक्टर के पास जाकर इलाज कराये, तो उपचार हो जाता है। लेकिन आरम्भिक अवस्था निकल जाने पर बीमारी का उपचार बहुत कठिन है। बीमारी सम्बन्धी अनुसंधान चल रहा है।

लक्ष्यद्वीप में डी० ई० सी० का प्रयोग करके चिकित्सा नमक खिला कर सफलता प्राप्त की गई है। अच्छे परिणाम निकले हैं। हम अपने केन्द्रों और एककों द्वारा अन्य लोगों को भी ये सुविधाएं दे रहे हैं। दवाइयों का छिड़काब तथा अन्व बातें भी की जा रही हैं। यह बीमारी एक खास किस्म के मच्छर से फैलती। इसलिए हम मच्छरों को नियंत्रित कर रहे हैं। मच्छर ही रोग के परजीवी कीट से एक दूसरे मनुष्य में पहुंचाते हैं।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए अनुदान

* 899. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुदान देने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार भेजी गयी योजना का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) राज्य के मुख्य इंजीनियर से 30-4-1983 को एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि 1983-84 के लिए नवीकरण कार्यों के लिए 180 लाख रुपये और साधारण मरम्मत कार्य के लिए 100 लाख रुपये की आवश्यकता है। राज्य सरकार से अभी तम इस मांग के समर्थन में आवश्यक अनुमान और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों आदि की मरम्मतों और विशेष मरम्मतों के लिए धन की मांग और ब्यौरे नहीं प्राप्त हुए हैं।

श्री जी० वाई० कृष्णन : उत्तर से स्पष्ट नहीं होता कि राज्य सरकार की आवश्यकताओं के विषय में सरकार ने क्या निर्णय लिया है। गत 2 वर्षों में राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ क्या अनुदान मांगे थे ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : पिछले 3 वर्षों 1980-81 में कर्नाटक को अन्मित आवंटन 231.05 लाख रु०, 1981-82 में 287. 48 लाख रु० और 1982-83 में 321 लाख रु० का किया गया ।

श्री जी० वाई० कृष्णन : महोदय, वर्तमान अनुरोध के...

(व्यवधान)

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जैसा मैंने पहले कहा है, कल ही प्रश्न का उत्तर भेजने के बाद शाम को हमें कर्नाटक से एक अन्य तार मिला जिसमें बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों और उनकी सामान्य मरम्मत सम्बन्धी राज्य सरकार की आवश्यकताओं के बारे में लिखा है । विशेष मरम्मत हेतु, जो जारी हैं, 37 लाख रुपये और रखे गये है, नई विशेष मरम्मत के लिए 75 लाख रु० और बाढ़ से क्षति ग्रस्त कार्यों के लिए उन्होंने 124 लाख रु० रखे है ।

श्री जी० वाई० कृष्णन : चूंकि राज्य सरकार राजमार्गों की देखे-भाल नहीं कर रही है, इस लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात बहुत बढ़ गया है । इसके अतिरिक्त एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच इस मामले में सम्पर्क नहीं विभाग इन सड़कों के अनुरक्षण, और अन्तर्राज्यीय सम्पर्क स्थापित करने का कार्य नहीं कर रहा । क्या सरकार इस सम्पर्क कार्य और सड़कों के अनुरक्षण की ओर ध्यान देगी ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : केन्द्र सरकार का सम्बन्ध तो राष्ट्रीय राजमार्गों से है । केन्द्र सरकार उनके उचित अनुरक्षण, बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत तथा विशेष मरम्मतों के लिए राज्य सरकारों को धन देती है । राज्य की सड़कों के उचित अनुरक्षण का दायित्व राज्यों का है । यह ठीक है कि जहां राजमार्गों की मरम्मत राज्य सरकारों द्वारा नहीं की जाती, वहां राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात बढ़ गया है ।

थाईलैंड में वियतनामी आक्रामक प्रवेश

*900. **श्री ब्रज मोहन महन्ती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वियतनाम के सैनिकों ने थाईलैंड में आक्रामक प्रवेश किया है;

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने थाइलैंड को सैनिक अस्त्र शस्त्र देना प्रारंभ कर दिया है;

(ग) क्या वियतनामी आक्रमण से दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में शांति को खतरा पैदा हो गया है;

(घ) क्या सिंगापुर के विदेश मंत्री ने कहा कि यदि भारत इस मामले पर चुप्पी साधे रहता है तो यह निराशाजनक होगा; और

(ङ) निर्गुट सम्मेलन के अध्यक्ष के नाते भारत इस आक्रमक प्रवेश को रोकने के लिए क्या पहल करने पर विचार रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ङ) मार्च के अंत और अप्रैल के शुरू में थाई-कम्पूचिया सीमा पर लड़ाई भड़क उठी जिसमें वियतनाकी फौजों ने भी हिस्सा लिया। बताया जाता है कि बाद में थाईलैंड को अमरीका से कुछ सैनिक रसद मिली है जिसके साथ उसका एक रक्षा प्रबंध है।

भारत सरकार का हमेशा यह विश्वास रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच के मतभेद विचार-विमर्श और बातचीत के द्वारा सद्भावपूर्वक सुझाए जाने चाहिए और अगर क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो उसके परिणाम प्रतिकूल ही निकलेंगे। हमें खेद है कि संबंधित पक्षकारों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करने के प्रयास अभी तक सफल नहीं हो सके हैं। हमारी हार्दिक आशा है कि सभी संबंधित पक्ष नई दिल्ली में हाल ही में सम्पन्न गुट-निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की घोषणा में व्यक्त अनुरोध पर उचित रूप से ध्यान देंगे। हम देख रहे हैं कि लड़ाई धीरे-धीरे मंदी पड़ गई है और हम हृदय से चाहते हैं कि अब इस क्षेत्र के सम्बद्ध सभी देशों के लिए अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाने के प्रयास पुनः शुरू करना सम्भव हो सकेगा।

श्री बृजमोहन महन्ती : थाईलैंड और अमरीका के बीच रक्षा समझौता है। लेकिन जो सैनिक साज-सामान किया जा रहा है, उसमें नई स्थिति पैदा हो गई है। उनका वास्तविक उद्देश्य सैनिक अड्डे का विस्तार करना है और तात्कालिक उद्देश्य एशियान देशों की गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से दूर करना है। क्योंकि विभिन्न मामलों पर एशियन देशों के वियतनाम के साथ मतभेद हैं। वह सैनिक अड्डे का विस्तार करना चाहते हैं जो हिन्द महासागर को, जिसे हम शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए वचनबद्ध हैं, खतरा होगा। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास इस बारे में क्या जानकारी है ?

श्री ए० ए० रहीम : थाइलैंड के साथ वर्तमान समझौते में शस्त्रों की सप्लाई के बारे व्यवस्था है। उसमें कोई नई बात नहीं है। आप ने जो स्थिति का अध्ययन किया है, उस से हम सहमत नहीं।

श्री बृजमोहन महन्ती : पहले प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया। मैं उस पर जोर नहीं देता। दूसरे भारत सरकार अथवा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के देशों ने थाइलैंड और वियतनाम के बीच और वियतनाम तथा एशियन देशों के बीच वार्ता के लिए क्या पहल की है ताकि उस क्षेत्र में तनाव दूर हो सके ?

श्री ए० ए० रहीम : हम इस क्षेत्र में शान्तिपूर्ण समझौते के लिए बहुत उत्सुक हैं। स्वयं इसी क्षेत्र के देशों में राजनीतिक समझौते की बहुत अम्भावनाएं हैं। हाल ही में 12 अप्रैल को

नौम पैन्द में हिन्द-चीन राज्यों ने एक एशियन देशों के साथ वार्ता करने के प्रस्ताव सम्बन्धी विलप्ति जारी की थी। हम स्थिति को देख रहे हैं। निःसन्देह के 'नाम' ने निर्णय ले लिया है और उसकी घोषणा में समस्या के समाधान का उल्लेख किया गया है। मेरे विचार से किसी और पहल की जरूरत नहीं। स्थिति नाजुक है, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते जिससे स्थिति और खराब हो जाए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : वियतनाम ने दक्षिण-पूर्व एशिया में अमरीकी सेनाओं को हरा दिय जो एक एतिहासिक घटना है। अतः अमरीका वियतनाम को सबक सिखाना चाहता है। तभी वे थाईलैंड को भारी सैन्य सामग्री भेज रहे हैं जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया को खतरा पैदा हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 'नाम' की सभापति तथा भारत सरकार थाईलैंड और वियतनाम के बीच गड़वड़ फैलाने के अमरीकी षंडयन्त्र का विरोध कर दक्षिण-पूर्व एशिया में शान्ति स्थापित करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पाकिस्तान में भारत के खिलाफ प्रचार

*894. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सरकारी नियन्त्रण वाले "पाकिस्तान टाइम्स" में लगाए गए इस आरोप की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत "अपने पड़ोसियों के सद्-भावना की उपेक्षा करके" एक बड़ी ताकत का स्वरूप प्राप्त करने के लिए हथियार इकट्ठे कर रहा है;

(ख) क्या यह सच : कि पाकिस्तान में भारत के खिलाफ एक सुनियोजित प्रचार प्रारम्भ हो गया है; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) जी हां। सरकार ने यह रिपोर्ट देखी है।

(ख) सरकार को पाकिस्तान के सम्पर्क माध्यमों में प्रकाशित-प्रसारित भारत विरोधी प्रचारात्मक बयानों और लेखों की जानकारी है।

(ग) सरकार ने इस प्रकार के प्रचारों पर सावधानीपूर्वक गौर किया है और इसे द्विपक्षीय

सम्बन्धों को सुधारने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक नहीं माना जा सकता। यह शिमला समझौते के भी विपरीत है जिसके अन्तर्गत दोनों देश "एक-दूसरे के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण प्रचार को रोकने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी कदम उठाने के लिए वचनबद्ध हैं।"

संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन

*895. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सितम्बर, 1983 को होने वाला संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन वास्तव मे एक शिखर सम्मेलन ही होगा;

(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सामने आने वाले मुद्दों पर कोई विशेष ध्यान दिया है;

(ग) क्या भारत ने बड़ी शक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों से जिनका गुट निरपेक्ष आंदोलन से कोई सम्बन्ध नहीं है, सम्पर्क करने तथा उन्हें इस बात के लिए मनाने के लिए कि वे इस अधिवेशन में भाग लें, प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटा ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (घ) मार्च, 1983 में नई दिल्ली में आयोजित गुट निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के सातवें सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य-देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों से यह अनुरोध किया गया कि वे महासभा के 38वें नियमित अधिवेशन के मौके का लाभ उठाकर तनाव कम करने के लिए विश्व नेताओं का एक सम्मेलन करें और विश्व की प्रमुख समस्याओं के समाधान के तरीकों और उपायों पर सम्मिलित रूप से विचार-विमर्श करें। गुट निरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्षता के नाते प्रधान मन्त्री ने उन देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों को पत्र लिखे हैं जो गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य नहीं हैं जिनमें बड़ी शक्तियों के राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी शामिल हैं। इन पत्रों में उन्हें सातवें शिखर सम्मेलन के विभिन्न निष्कर्षों और सिफारिशों की जानकारी दी गई है जिनमें यह प्रस्ताव भी शामिल है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य-राज्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के 38वें अधिवेशन में शिखर-स्तर पर भाग लें। इस प्रस्ताव पर अभी अन्वेषण कार्य चल रहा है और हम न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ में बातचीत चला रहे हैं। इस बारे में तौर तरीके और अन्य ब्यौरा अभी तय किया जाना बाकी है और इस मामले में अभी पक्की तौर पर नहीं कहा जा सकता।

गाड़ियों में हत्या की घटनाएं

*896. **श्री राम लाल राही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 18 दिसम्बर, 1982 को फर्रुखाबाद-टूंडला-दिल्ली यात्री गाड़ी के डिब्बा संख्या 9939 में एक महिला का शव पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) 1981-82 में ऐसी कितनी घटनायें हुईं; और

(घ) इन घटनाओं और हत्याओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा दिए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच-पड़ताल के बाद राजकीय रेलवे पुलिस/दिल्ली ने महिला के शव की पोस्ट-मार्टम जांच के लिए भेजा था जहां कोई बाहरी चोट नहीं पायी गयी और न मृत्यु के कारण का पता चल सका । अतः आन्तरांग की सेंट्रल फोरेंसिक साइन्स लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है । अभी उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(ग) 1981 तथा 1982 के दौरान उत्तर रेलवे पर गाड़ियों में क्रमशः 11 तथा 7 हत्याओं की रिपोर्ट मिली थी ।

(घ) गाड़ियों में हत्याओं और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये गए हैं—

(1) प्रायः रात्रि में चलने वाली सभी गाड़ियों तथा संवेदनशील मेल/पैसेंजर गाड़ियों में राजकीय पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र मार्गरक्षियों की मार्गरक्षण के लिए तैनात किया जाता है । जहां कहीं जरूरी होता है दिन में चलने वाली गाड़ियों में भी मार्गरक्षी तैनात करने का आदेश दे दिया गया है ।

(2) गाड़ियों में अपराधियों पर नजर रखने तथा सवारी गाड़ियों में इस प्रकार के क्रियाशील अपराधियों के सम्बन्ध में अपराधिक आसूचना इकट्ठी करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारियों को सादे कपड़ों में तैनात किया जाता है ।

(3) सवारी गाड़ियों में तैनात मार्गरक्षियों की राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों द्वारा अचानक जांच करके यह देखा जाता है कि मार्गरक्षी ड्यूटी पर सतर्क हैं या नहीं ।

(4) राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा जिला पुलिस की सहायता से अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान भी चलाये जाते हैं ।

(5) रात्रि में चलने वाली सभी सवारी गाड़ियों में, विशेषकर महिला सवारी डिब्बों का ध्यान रखने के लिए, सादे कपड़ों में राजकीय रेलवे पुलिस के विशेष रक्षकों की तैनात किया जाता है ।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा प्रकाशित मानचित्र

901. **श्री माधव राव सिंधिया :**

श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक मानचित्र की ओर दिलाया गया है जिसमें जम्मू और काश्मीर का समस्त भाग भारत से बाहर दिखाया गया है ; और

(ख) भारत के विरुद्ध मानचित्र सम्बन्धी आक्रमण के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां ।

(ख) रैपिड़ डिप्लॉयमेंट फोर्स : पालिसी एंड बजटरी इम्प्लिकेशंस नामक प्रकाशन में भारतीय सीमाओं को गलत रूप से दिखाये जाने के विरुद्ध भारत सरकार ने अमरीकी राजदूतावास से तथा वाशिंगटन में अमरीकी विदेश विभाग से भी विरोध प्रकट किया है । अमरीकी प्राधिकारियों ने हमें बताया है कि कांग्रेस के बजट कार्यालय के इस प्रकाशन में भारतीय सीमा गलत रूप में चित्रित है और साथ ही यह भी कहा है कि 'अमरीकी सरकार के नक्शों में भारत और पाकिस्तान की सीमा को 1949 की युद्ध विराम रेखा के रूप में चित्रित किया गया है तथा इस सीमा को किसी स्पष्ट प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करके अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से अलग दिखाया जाना चाहिए । जहां मानचित्र के पैमाने के अनुसार संभव हुआ है, युद्ध विराम रेखा को ऐसे ही दिखाया गया है' ।

भारत-नेपाल सचिव समिति की बैठक

*902. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विदेश मन्त्री बांधों के निर्माण के बारे में भारत-नेपाल समझौता के बारे में 7 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 0133 के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल की सचिव समिति की इस बीच कोई बैठक हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और भारत द्वारा अति शीघ्र बैठक करने हेतु क्या प्रयत्न किए गए हैं ;

(घ) कोसी, कमला, बागमती, राप्ती, करनैली और पंचेश्वर बांधों के पूरा होने की

लागत, पूरा होने का अपेक्षित समय पन-बिजली उत्पादन और सिंचाई आदि से दोनों देशों को मिलने वाले लाभों के विशिष्ट आंकड़े क्या हैं ; और

(ङ) इन संयुक्त परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम): (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) चूंकि विभिन्न परियोजनाओं की जांच-पड़ताल और अध्ययन का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए अभी यह सूचना देना संभव नहीं है ।

काठमांडू में हाल ही में सचिवों की समिति की बैठक में बड़ा क्षेत्र स्थित कोसी हाई डैम, करनाली, पंचेश्वर और राप्ती (भालुभांग) परियोजनाओं से संबद्ध मामलों पर और नेपाल में कमला तथा बागमती नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में बांधों के लिए सम्भाव्य स्थलों के बारे में विचार-विमर्श किया गया ।

(ङ) उम्मीद है कि नेपाल के साथ यह विचार-विमर्श निकट भविष्य में जारी रहेगा और दोनों देश एक-दूसरे से मलाह-मशविरा करके अगली बैठक की तारीख और स्थान तय करेंगे ।

पोत निर्माण उद्योग को पुनः सक्रिय बनाना

*903. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं की कमी और पोतों के आयात की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण पोत निर्माण उद्योग की बिगड़ती हुई स्थिति की जानकारी है; और

(ख) पोत निर्माण उद्योग को पुनः सक्रिय बनाने और प्रौद्योगिकी को अत्याधुनिकी बनाने में सहायता देने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी): (क) हमारी राष्ट्रीय नौवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने से पूर्व देश में जहाज निर्माण उद्योग का यद्यपि काफी विकास किया जाना है तो भी यह कहना ठीक नहीं है कि इस उद्योग की दशा गिर रही है। आधारभूत सुविधाओं का विकास और आधुनिकीकरण किया जा रहा है । दूसरे देशों से जहाज आयात करने की अनुमति तभी दी जा रही है जब उस तरह के जहाजों की मांग देशी साधनों से पूरी नहीं की जा सकती हो ।

(ख) जहाज निर्माण उद्योग को मजबूत बनाने और इसे आधुनिकतम नवीन टैक्नोलोजी से लैस करने के लिए सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार है :—

(1) हिन्दुस्तान शिपयार्ड का 55 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार करना और इसका आधुनिकीकरण करना जिससे शिपयार्ड की क्षमता 42000 जी० आर० टी० से बढ़कर 98000 जी० आर० टी० हो सके ।

(2) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का 45 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार करना और इसका आधुनिकीकरण करना जिससे इस शिपयार्ड की क्षमता एक लाख जी० आर० टी० से बढ़कर 2 लाख जी० आर० टी० हो सके।

(3) समुन्नत विदेशी सहयोग से कोचीन शिपयार्ड में जहाज निर्माण और प्रबन्ध तकनीक का आधुनिकीकरण करना ।

(4) समुद्रगामी जहाजों और मछली पकड़ने वाले जहाजों के निर्माण के लिए भारतीय शिपयार्डों को आर्थिक सहायता देने की एक संशोधित योजना तैयार की गयी है जिससे समुद्रगामी जहाजों के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय समता मूल्य के 30 प्रतिशत तक और मछली पकडने वाले जहाजों के मामले में जहाजों की लागत के 33 प्रतिशत तक की सहायता दी जा सके ।

(5) सैन्ट्रल मैराईन डिजाईन और रिसर्च आर्गनाईजेशन की स्थापना करने के प्रस्ताव ।

(6) पुणे में एक इन्डियन शिप हाइड्री डायनामिक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव ।

(7) लगभग 7.00 करोड़ रुपये की लागत से कलकत्ता में राजाबागान डाकयार्ड का आधुनिकीकरण करना और इसका विस्तार करना ।

(8) भारत के जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत सुविधाओं के विकास कार्य में सलाह देने के लिए यू० एन० डी० पी० विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की गयी हैं । मंत्रालय में एक अलग जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत पक्ष बनाया गया है ।

(9) देशी फ्लोटिंग क्राफ्ट उद्योग की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने और इसके विकास के लिए उपयुक्त कदम उठाने का सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई गयी है ।

धनबाद-सिंदरी लाइन पर यात्री गाड़ी चलाना

*904. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे की धनबाद-सिन्दरी लाइन पर एक यात्री गाड़ी चलाने का प्रस्ताव रेलवे ने पहले अनेक बार अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) क्या इससे सिन्दरी उर्वरक काम्पलेक्स के विकास में बड़ी बाधा पड़ रही है,

(ग) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने भी इस सुविधा के लिए रेलवे को लिखा था, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्री (ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) धनबाद-सिन्दरी लाइन पर यात्री गाड़ियां चलाना संभव नहीं है क्योंकि दोनों मार्ग, एक पाथरडीह के रास्ते और दूसरा प्रधानखांटा के रास्ते, केवल माल गाड़ियों के चालन के लिए बनाये गए हैं । इस खंड की यात्री गाड़ियों के योग्य बनाने में भारी पूंजी लगेगी और आवर्ती खर्च पड़ेगा । राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति और रेल दर जांच समिति दोनों ने ही कम दूरी वाले यात्री यातायात, को रेल द्वारा सम्हाले जाने का समथन नहीं किया है क्योंकि उसे सड़क द्वारा ढोया जा सकता है । इसके अलावा, इस समय सिन्दरी को धनबाद से मिलाने वाली कुशल और तीव्र सड़क सेवाएं उपलब्ध हैं ।

राष्ट्रीय रक्त नीति

*905. **श्री माधुरी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक राष्ट्रीय रक्त नीति बनाने की मांग का पता है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश मे अधिकांश रक्त बैंकों का कार्य सन्तोषजनक नहीं है तथा दान किए गए रक्त के भण्डारण के लिए उनके पास पर्याप्त सुविधाएं तथा उपकरण नहीं हैं ; और

(ग) सरकार का विचार पेशेवर रक्तदाताओं की बुराई दूर करने, रक्त की किस्म और रक्त-परीक्षण की सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) सरकार को देश में रक्त बैंकिंग और रक्त-आधान की यथेष्ट सेवाओं की जरूरत का पता है ।

(ख) कई अस्पतालों में रक्त की अपर्याप्तता के मुख्य कारण इस प्रकार हैं—

(1) स्वैच्छिक रक्त दाताओं का काफी संख्या में उपलब्ध न होना ।

(2) सुप्रशिक्षित कार्मिकों की कमी ।

(3) रक्त एकत्र करने और उसके भण्डारण से सम्बन्धित कतिपय आधुनिकतम कार्यों के लिए आधुनिक उपकरण की अनुपलब्धता ।

(ग) देश में रक्त बैंक की सुविधाओं का विकास और उनमें सुधार करने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रमों के प्रचार द्वारा रक्त की उपलब्धता में वृद्धि करने, रक्त के घटकों को अलग-अलग करके उपलब्ध रक्त का समुचित उपयोग करने जैसे विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं ।

रेल कर्मचारी बीमा योजना

*906. **श्री विजय कुमार यादव**: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की तरह रेलवे मे अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए रेल कर्मचारी बीमा योजना लागू की थी और अब इस योजना के स्थान पर समूह बीमा योजना लागू की गयी है;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम के पास अपने जीवन का बीमा कराने वाले लोगों को उनकी पालिसी की अवधि समाप्त होने पर, यदि वे उस अवधि के पूरा होने पर जीवित हों, निर्धारित राशि और उस पर बोनस की अदायगी की जाती है ;

(ग) क्या रेल कर्मचारी बीमा योजना के स्थान पर समूह बीमा योजना लागू किए जाने के परिणामस्वरूप रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक पी० सी० 111/76 आई० एन० एस० दिनांक 17 अगस्त, 1976 के अनुसार रेल कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी राशि में से आधी राशि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा कराई जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कटौती की पूरी राशि तथा उस पर ब्याज की राशि उनके भविष्य निधि लेखा में जमा कराने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) और (घ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गयी सामूहिक बीमा योजना को, पहले की रेल कर्मचारी बीमा योजना के बदले में, रेल कर्मचारियों के लिए भी लागू कर दिया गया है । चूंकि सामूहिक बीमा योजना एक स्व-वित्तपुष्ट अंशदायी और बिना लाभ-हानि के आधार वाली योजना है, इसलिए जीवन बीमा निगम द्वारा जारी किसी पालिसी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती ।

(ग) रेल कर्मचारी बीमा योजना की जगह सामूहिक बीमा योजना लागू कर देने से भूतपूर्व रेल कर्मचारी बीमा योजना में भुगतान की गयी राशि के 'कटौती मूल्य' को उस अंशदाता के भविष्य निधि लेखे में जमा कर दिया जाता है, जो अब नयी सामूहिक बीमा योजना का सदस्य बन गया है। यह देय राशि उस राशि की कटौती की गयी राशि है जो पुरानी योजना के अन्तर्गत सामान्य रूप से उस अंशदाता के अधिवर्षिता की तिथि प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त हो जाने की स्थिति में देय हो जाती है और यह राशि अलग-अलग व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न होती है और यह जरूरी नहीं है कि सभी मामलों में यह राशि कर्मचारियों द्वारा अदा की गयी राशि की आधी हो।

(घ) प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

मेडिकल कालेज त्रिचूर में स्थान बढ़ाना

*907. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मेडिकल कालेज, त्रिचूर भारत सरकार की स्वीकृति से शुरू किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो क्या किसी राज्य सरकार को भारत सरकार की स्वीकृति के बिना कोई मेडिकल कालेज शुरू करने की शक्ति प्राप्त है;

(ग) क्या भारत सरकार ने त्रिचूर मेडिकल कालेज में स्थानों की वृद्धि के प्रश्न के बारे में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) (क) और (ख) किसी मेडिकल कालेज को शुरू करने के लिये किसी भी कानून के अंतर्गत भारत सरकार की मंजूरी लेना अवश्यक नहीं है। तथापि, 18-20 अगस्त, को हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद् के आठवें के संयुक्त सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करने के तत्काल कदम उठाएं कि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किए बिना और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् तथा भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति लिये बिना कोई भी मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति न दी जाए।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने सूचित किया है कि यह मामला केरल उच्च न्यायालय में लम्बित है। अतः यह मामला न्यायाधीन है।

भारत-चीन वार्ता

श्री बाबूराव परांजपे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय अधिकारियों तथा उनके समकक्ष चीनी अधिकारियों के बीच बातचीत का अगला दौर कब और कहां पर आयोजित किया जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : चीन के साथ अधिकारी स्तर की बातचीत के अगले दौर की, जिसके दिल्ली में होने की उम्मीद है, तारीखें अभी तय नहीं हैं ।

नौवहन कंपनियों को राहत

*909. **श्री नवीन रावणी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कंपनियां वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण बंद होने को है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवहन कंपनियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के विजय भास्कर रेड्डी) : (क) और (ख) हालांकि यह सही है कि नौवहन उद्योग में भारी मंदी के कारण अनेक नौवहन कंपनियों वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें आर्थिक राहत की जरूरत हैं लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि नकद धकराशि के अभाव के कारण उन्हें अपना कारोबार बंद करने को नौबत आ गयी है ।

(ग) नौवहन कंपनियों को जिन मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है, उनके बारे में एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । आर्थिक सहायता देते समय प्रत्येक नौवहन कंपनी के आवेदन पर इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार विचार किया जाता है ।

विवरण

भारत सरकार ने नौवएन उद्योग में भारी मंदी से ग्रस्त नौवहन कंपनियों को आर्थिक सहायता देने के लिए निम्नलिखित मार्गदशी सिद्धांत जारी किए हैं : —

(1) जो धनराशि नौवहन विकास निधि समिति को 1981-82 में लौटायी जानी थी उसे वापस करने के लिए प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार फिर से कार्यक्रम बनाया जाए । इसमें वह धनराशि भी शामिल है जिसके वापस करने के बारे में पिछली नौवहन मंदी में सरकार के अनुमोदन से संशोधित कार्यक्रम बनाया गया था । यह पुनर्निधारण उन मार्गदर्शी सिद्धातों के अधीन किया जाएगा जो इस मंत्रालय के दिनांक 10 नवम्बर, 1981, संख्या एस डब्ल्यू/एन एस

डी (60)/79-एम डी में निर्दिष्ट किए गए हैं। इस पुनः निर्धारित राशि की अदायगी पांच बराबर बराबर किश्तों में की जाएगी जिसमें से पहली किश्त 1983-84 और अन्तिम किश्त 1987-88 में देय होगी। इस पर प्रतिवर्ष 7. 5 प्रतिशत का ब्याज लगेगा।

(2) 1982-83 में नौवहन विकास निधि समिति देय राशि का पुनः समय निर्धारण किया जाए और इस पुनः निर्धारण की दर की प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर तय किया जाए। पुनः निर्धारित राशि की अदायगी 1984-85 और 1985-86 में दो किश्तों में की जाएगी जिसमें 1983-84 में एक वर्ष की छूट होगी।

(3) उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित पुनः निर्धारित राशि पर देय ब्याज की दर के बारे में अलग से निर्णय किया जाएगा और सरकारी आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।

(4) नौवहन विकास निधि समिति द्वारा 31.3. 1985 तक नए निर्माण के लिए दी गयी गारंटी के संबंध में यार्ड क्रेडिट के तहत विदेशी यार्डों को भुगतान करने के लिए विदेशी अर्जन के तहत रुपया ऋण सहायता देगा।

(5) यदि बैंक नई स्कीम के तहत विदेशों से जहाज खरीदने के लिए ऋण के मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए पुनः निर्धारण करने पर राजी होता है तो बैंक जिस अवधि तक पुनः निर्धारित करने पर सहमत होता है, उस अवधि तक गारंटी प्रदान करेगा।

(6) 6: 1 के ऋण शेयर पूंजी के अनुपात में 31. 3.85 तक छूट दी जाए जिससे कंपनियों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और अपने ऋण व शेयर पूंजी के अनुपात को निर्धारित स्तर तक लाने में पर्याप्त समय मिल सके। ऋण परिसंपत्ति के 1:1 के अनुपात 31.3.1985 तक छूट दी जानी चाहिए।

(7) नौवहन कंपनियों को भारतीय यार्डों में निर्माणाधीन जहाजों की डिलीवरी होने तक ब्याज की अदायगी पर स्थगन संबंधी छूट दी जानी चाहिए। इस प्रकार नौवहन कंपनियों द्वारा जो ब्याज नौवहन विकास निधि समिति को दिया जाएगा वह डिलीवरी की तारीख से तीन वर्ष में दिया जाएगा। यह मूलधन और ब्याज आदि अन्य प्रकार की अदायगी के अलावा होगा। इस प्रकार जमा राशि पर सामान्य दर से ब्याज देय होगा। यह सुविधा उन जहाजों के संबंध में भी लागू होगी पहले से निर्माणाधीन हैं।

ट्रैवल एजेंटों को मान्यता दिया जाना

*910. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**

श्री गुफरान आजम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हजारों ट्रैवल एजेंटों ने सरकार से उन्हें शीघ्र मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ट्रैवल एजेन्टों को मान्यता प्रदान करने में रेलवे के समक्ष क्या कठिनाइयां आ रही हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि छोटे ट्रैवल एजेन्टों को ऐसी मान्यता दिए जाने पर रेलवे को करोड़ों रुपये की आय होगी; और

(घ) यदि हां, तो इन छोटे ट्रैवल एजेन्टों को सरकार से मान्यता कब तक प्राप्त होगी ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) आल इंडिया फेडरेशन आफ ट्रैवल सर्विस एजेन्ट्स एण्ड रेलवे ट्रैवलर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि उसके सदस्यों को इच्छुक यात्रियों की ओर से रेलवे काउन्टरों पर रेल की टिकटें खरीदने तथा आरक्षण कराने के लिए प्राधिकृत एजेन्ट के रूप में मान्यता दी जाये ।

(ख) एसोसिएशन के सदस्य रेलवे पर्यटक एजेन्ट के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सवारी डिब्बों का निर्माण

*911. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

श्री रतन सिंह राजदा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सवारी डिब्बों की सप्लाई मांग की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे सवारी डिब्बों का निर्माण करने के लिए कोई योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का विचार योजना के अन्तर्गत ऐसे सवारी डिब्बों का निर्माण करने हेतु सरकार की स्थापना किस स्थान पर करने का है और इसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) वर्तमान सवारी डिब्बा होल्डिंग मौजूदा सेवाओं को बनाये रखने के लिए लगभग पर्याप्त भर है । लेकिन इसमें ऐसे डिब्बों की संख्या बहुत अधिक है जिनके बदलाव की जरूरत है । पर्याप्त धन उपलब्ध न होने से छठी योजना में केवल 5,600 सवारी डिब्बों के अधिग्रहण की व्यवस्था की गई है जो 14, 141 डिब्बों की आवश्यकतामूलक मांग से कम है, जिनमें कि 7,742 डिब्बे गतायु सवारी डिब्बों के

बदलाव की जरूरत को पूरा करने के लिए होते और 6,399 डिब्बे गैर उपनगरीय यात्री यातायात में 5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को सम्हालने के लिए होते। गतायु सवारी डिब्बों की संख्या, यात्री कोचिंग वाहनों और अन्य कोचिंग वाहनों को मिलाकर, 31-3-82 को बड़ी लाइन पर 1912 थी और मीटर लाइन पर 1152 थी। 1981-82 की अवधि में 1167 सवारी डिब्बे बनाये गये और लाइन पर लगाये गये, उन 32 डिब्बों को छोड़कर जो निर्यात किये गये।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने सिद्धांत: इस बात का अनुमोदन कर दिया कि रेलों के भीतर एक नयी सवारी डिब्बा फैक्टरी लगायी जाये जिसमें प्रतिवर्ष 400 डिब्बे बनाये जायेंगे और उत्पादन बढ़ा कर 750 डिब्बे प्रति वर्ष कर देने की व्यवस्था रहेगी।

(ङ) फैक्टरी के स्थान के बारे में अभी विनिश्चिय नहीं किया गया है। इस पर लगभ 80 करोड़ रुपये लागत आने की सम्भावना है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में आन्तरिक पदोन्नति कोटा

10141. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन आन्तरिक पदोन्नति के कोटे की प्रतिशतता को 25 से बढ़ाकर 33.3 करने के लिए 25 नवम्बर, 1981 को सहमत हो गया था;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस समझौते को अगस्त, 1982 तक लागू किया गया तथा अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक एसोसिएशन को पदोन्नतियां बहाल कराने के लिए अदालत में जाना पड़ा; और

(ग) 1 अगस्त, 1982 को प्राइमरी अध्यापकों तथा टी० जी० टी० वर्गों की संख्या कितनी थी और उनमें से कितने अध्यापक आन्तरिक पदोन्नति के पात्र थे और उसके बाद टी० जी० टी० तथा पी० जी० टी० के रूप में कितने अध्यापकों को वास्तव में पदोन्नत किया गया, उनकी संख्या कितनी है ?

शिक्षा और सांस्कृतिक तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक सघ के प्रतिनिधियों तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बीच 25 नवम्बर, 1981 को हुई एक बैठक में संघ को यह बताया गया था कि पदोन्नति कोटा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 1/3 प्रतिशत तक किया जा सकता है।

(ख) पदोन्नति कोटा बढ़ाने का निर्णय, प्राधिकारी की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, 5-3-1982 को अधिसूचित किया गया था।

प्राथमिक शिक्षकों के पद से टी० जी० टी० के पद पर पदोन्नति पर विचार करने के लिए डी० पी० सी० की कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी क्योंकि वर्ष 1981-82 के पैनल की अवधि 31 अगस्त, 1982 तक बढ़ा दी गई थी। विभिन्न विषयों में टी० जी० टी० के पद से पी० जी० टी० के पद पर पदोन्नति पर विचार करने के लिए डी० पी० सी० की बैठक 31 अगस्त, 1982 से 2 सितम्बर, 1982 तक हुई थी। डी० पी० सी० की बैठक इससे पहले इसलिए नहीं बुलाई जा सकी थी क्योंकि कुछ पात्र शिक्षकों की पूरी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें सहायक आयुक्तों/स्कूलों से प्राप्त नहीं हुई थीं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर बाहर से भर्ती करने पर प्रतिबन्ध लगाने का न्यायालय का नोटिस 16.9.1982 को प्राप्त हुआ था किन्तु तब तक डी० पी० पी० की बैठक हो चुकी थी। बाद में, अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की ओर से यह मामला वापस ले लिया गया था।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नर्मदा जल परिवहन परियोजना

10142. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नर्मदा जल परिवहन परियोजना को स्वीकृति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) गुजरात सरकार से इस मंत्रालय में स्वीकृति के लिए "नर्मदा जल परिवहन परियोजना" सम्बन्धी कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति से सम्बद्ध सुरक्षा अधिकारी

10143. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे की सुरक्षा शाखा में ग्रेड-वार कितने अधिकारी काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध कितने अधिकारी हैं; और

(ग) मद्रास नगर में गत 20 वर्षों से भी अधिक समय से डिप्टी सी० एस० ओ० और सी० एस० ओ० सहित कितने अधिकारी काम कर रहे हैं।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) प्रशासनिक ग्रेड 01

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	02
वरिष्ठ वेतनमान	06
श्रेणी द्वितीय	13
श्रेणी तृतीय	522
श्रेणी चतुर्थ	4543
जोड़	5087

(ख) 888

(ग) 4 अधिकारी

वर्ष 1979 से 1982 तक ट्रकों के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय परमिट ।

10144. **श्री शिबू सोरन** : क्या **नौवहन** और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 से 1982 तक ट्रकों के लिए वर्षवार और राज्यवार कितने राष्ट्रीय परमिट जारी किए गए;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मदवारों को ऐसे परमिट जारी करने में कोई प्राथमिकता दी जाती है,

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1979 से 1982 तक वर्षवार और राज्यवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों को ऐसे परमिट दिए गए और वे कुल संख्या के कितने प्रतिशत हैं;

(घ) यदि कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है, तो उसके क्या कारण है; और

(ङ) अन्य श्रेणी के लोगों को यदि कोई प्राथमिकता दी जाती है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ङ) : राज्यों को आवंटित राष्ट्रीय परमिटों की कुल संख्या समय-समय पर संशोधित की जाती है किन्तु यह वार्षिक आधार पर नहीं है । राज्य परिवहन प्राधिकारियों द्वारा परमिट सामान्यतया आवंटन

के तुरन्त बाद ही बांट दिए जाते हैं। अब तक नियत और आवंटित परमिटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परमिट देने के लिए मोटर व्हैकिल एक्ट 1939 में 1978 में संशोधन कर एक प्रावधान बनाया गया है। यह राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को राज्यों द्वारा दिए गए परमिटों का ब्यौरा विवरण—2 में दिया गया है। यह सूचना 1.2.80 से 31.5-1982 तक उपलब्ध सूचनानुसार है।

मोटर वैहिकल्स एक्ट, 1939 की व्यवस्थाओं में राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उस सीमा को ध्यान में रखते हुए जिस सीमा तक समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के परमिट आबंटित किए गए हैं, इस वर्ग के लोगों को परमिट आरक्षित किए जाने पर स्वयं विचार करें।

राष्ट्रीय परमिट मंजूर करते समय उन आवेदकों को वरीयता दी जाती है जो सेना के भूतपूर्व कर्मचारी होते हैं और जिनके पास गाड़ियों के चलाने के लिए वैध लायसेंस होते हैं।

विवरण-एक

बांटी गयी और जारी किए गए राष्ट्रीय परमिटों के संबंध में विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बांटी गयी राष्ट्रीय परमिटों की कुल संख्या (25.10.82 को अधिसूचित की गयी वृद्धि यहां बताई गयी है)	जारी किए गए राष्ट्रीय परमिटों की कुल संख्या (अब तक जैसी सूचना मिली है)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	900जमा 50	887
2.	असम	90 जमा450	900
3.	बिहार	900जमा450	797
4.	गुजरात	900जमा450	771
5.	हरियाणा	8 0जमा400	676
6.	हिमाचल प्रदेश	600जमा300	585
7.	जम्मू व कश्मीर	600जमा300	489
8.	कर्नाटक	800जमा400	800

1	2	3	4
9.	केरल	800जमा400	760
10.	मध्य प्रदेश	900जमा450	450
11.	महाराष्ट्र	900जमा450	844
12.	मणिपुर	100जमा 50	100
13.	नागालैंड	100जमा 50	89
14.	मेघालय	100जमा 50	100
15.	उड़ीसा	800जमा400	640
16.	पंजाब	800जमा400	800
17.	राजस्थान	800जमा400	787
18.	सिक्कम	100जमा 50	—
19.	तमिलनाडु	800जमा400	777
20.	त्रिपुरा	400जमा200	362
21.	उत्तर प्रदेश	900जमा450	891
22.	पश्चिम बंगाल	900जमा450	897
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	— —	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	100जमा50	95
25.	चण्डीगढ़	100जमा50	50
26.	दादरा व नागर हवेली	100जमा50	37
27.	दिल्ली	800जमा400	659
28.	गोवा, दमन व दीव	500जमा250	471
29.	मिजोरम	100जमा 20	—
30.	पांडिचेरी	100जमा 50	100
31.	लक्ष्यद्वीप	— —	—

16, 600जमा8,300
= 24, 900

विवरण—दो

1.2.80 से 31.5.82 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को जारी किए गए राष्ट्रीय परमिट ।

राज्य/संघीय क्षेत्र	इस अवधि के दौरान जारी किए गए राष्ट्रीय परमिट की कुल संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को जारी किए गए राष्ट्रीय परमिटों की संख्या
आंध्र प्रदेश	75	12
असम	472	11
बिहार	30	3
गुजरात	387	36
हरियाणा	300	1
हिमाचल प्रदेश	322	10
जम्मू व कश्मीर	211	24
कर्नाटक	225	3
मध्य प्रदेश	4	—
महाराष्ट्र	453	79
मणिपुर	100	—
मेघालय	100	19
नागालैंड	100	13
उड़ीसा	271	26
पंजाब	118	13
राजस्थान	389	23
तमिलनाडु	400	72
त्रिपुरा	193	8
उत्तर प्रदेश	454	4
पश्चिम बंगाल	—	—
अरुणाचल प्रदेश	75	12
चंडीगढ़	50	3

1	2	3
दादरा और नागर हवेली	9	—
दिल्ली	388	1
गोआ, दमन और दीव	—	—
मिजोरम	—	—
पांडिचेरी	21	—

क्राफ्ट-अध्यापक

10145. **श्री मनोरन्जन भक्त : क्या शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्डमान और निकोबार प्रशासन के अन्तर्गत काम कर रहे क्राफ्ट अध्यापकों ने अपने वेतन-मान बढ़ाए जाने के लिए जैसा कि पी० ई० टी० के मामले में किया गया है, अभ्यावेदन भेजा है; यदि हां, तो उन्होंने क्या तर्क दिया है;

(ख) इस अभ्यावेदन पर अन्डमान और निकोबार प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमति शीला कौल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मकानों की मरम्मत के लिए परादीप पत्तन को सहायता

10146. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पराद्वीप पत्तन की उन मकानों की मरम्मत के लिए कुछ अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो वर्ष 1982 में बाढ़ और तूफान से क्षतिग्रस्त हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) मरम्मत कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में अब तक यदि कोई प्रगति हुई है, तो वह क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) 3 जून, 1982 की रात्रि में और 4 जून, 1982 की प्रात: में परादीप पोर्ट में एक तूफान

आया था जिसके परिणामस्वरूप पोर्ट कार्यालय और व्यवस्थाओं, वेयर हाउस, ट्रांजिट शेड, आवासीय और गैर-आवासीय बिल्डिगों, विद्युत और जलपूर्ति व्यवस्था आदि को बहुत अधिक क्षति हुई थी। अद्यतन अनुमानों के अनुसार, तूफान से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति की मरम्मत और इसके निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर 5.01 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केन्द्रीय सरकार ने परिसम्पत्ति की मरम्मत और निर्माण के लिए परादीप पोर्ट ट्रस्ट को जुलाई, 1982 में 2.50 करोड़ रुपए की सहायता-अनुदान की मन्जूरी दी। 2.50 करोड़ रुपए की एक अन्य सहायता अनुदान की मन्जूरी 30.3.1983 को दी गयी है। परादीप पोर्ट ट्रस्ट ने बाढ़ से हुई क्षति के लिए कोई सहायता-अनुदान की माँग नहीं की।

(ग) तूफान से क्षतिग्रस्त हुए परादीप पोर्ट ट्रस्ट की परिसम्पत्ति की मरम्मत और इसके निर्माण का कार्य हो रहा है। जुलाई, 1982 में सहायता अनुदान के रूप में मंजूर की गयी 2.50 करोड़ रुपए की धनराशि परादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उक्त कार्यों पर व्यय की जा चुकी है।

किलोमीटर योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी बसों को किराए पर लेने की एवज में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा किया गया भुगतान और उनको हुई हानि।

10147. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम किलोमीटर योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी बसों का प्रयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979 से 1982 तक, वर्षवार दिल्ली परिवहन निगम ने कुल कितनी गैर-सरकारी बसों का प्रयोग किया;

(ग) वर्ष 1979 से 1982 तक, वर्षवार किराए के भुगतान की प्रति किलोमीटर दर क्या थी तथा बस मालिकों को कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस वजह से दिल्ली परिवहन निगम को गत कुछ वर्षों से भारी हानि हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1979 से 1982 तक, वर्षवार हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम ने जितनी प्राइवेट बसें लगाई, प्रत्येक वर्ष के अन्त में उनकी संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	प्राइवेट बसों की संख्या
31.12.78	624
31.12.79	728
31.12.80	543
31.12.81	337
31.12.82	852

(ग) वर्ष 1979 से 1982 तक किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट आपरेटरों को जितना किराया दिया गया उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(पैसे प्रति कि० मी०)

स्कीम "क"			स्कीम "ख"			स्कीम "ग"		
(साधारण और डीलक्स बसें जिनके लिए प्रतिदिन 225 कि० मी० की गारन्टी है)			(भीड़भाड़ वाले समय से सेवा जिसके लिए प्रतिदिन 125 कि० मी० की गारन्टी है)			(मिनी बसें जिसके लिए प्रतिदिन 250 कि० मी० की गारन्टी है)		
0-2 वर्ष	0-6 वर्ष	6 वर्ष और अधिक	0-2	2-6	6 और उससे अधिक	0-2	2-6	6 और उससे अधिक
1.8.77 150	140	130	175	165	155	130	120	110
8.6.80 180	70	160	205	195	185	153	143	133
14.1.81 160	180	170	215	205	195	161	151	141
1.8.81 232	205	185	257	230	210	196	171	153

वर्ष 1979-80 से 1982-83 (अन्तिम) तक प्राइवेट आपरेटरों को जितना भुगतान किया गया उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	भुगतान की गई राशि (किराया)
	(लाख रुपए)
1979-80	694-04
1980-81	629-86
1981-82	488.28
1982-83 (अनन्तिम व अन्तरिम)	841.69

(घ) यद्यपि यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम को घाटा हो रहा है, फिर भी इसका मुख्य कारण प्राइवेट बसों का प्रचालन नहीं है।

(ङ) 1979-80 से 1981-82 तक प्राइवेट आपरेटरों और दिल्ली परिवहन निगम के अपने प्रचालन के शेयर से हुई कार्य हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
			(लाख रुपए)	
कार्य हानि	443.66	1084.77	1968.90	2893.00*
(1) दिल्ली परिवहन निगम की बसें	293.42	910.35	1771.59	2476.53*
(स) प्राइवेट आपरेटरों की बसें	150.24	174.42	197.31	415.47*

घाटे का मुख्य कारण है दिल्ली परिवहन निगम का कम भाड़ा ढांचा।

(च) दिल्ली परिवहन निगम ने बेड़े के बेहतर उपयोग, ईधन खपत में किफायत, समय पर अनुरक्षण, जनशक्ति का वेहतर उपयोग, वस्तुसूची का उचित उपयोग और वित्तीत अनुशासन को सुनिश्चित करते हुए अपनी प्रचालन दक्षता में सुधार लाने के लिए कदम उठाया है। सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 में संशोधन करने से राज्य परिवहन उपक्रम अपने ऋण को साम्य पूंजी में बदल सकते हैं और इस प्रकार अपनी ब्याज देयताओं को कम कर सकते हैं।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के भवनों के लिए स्थलों का आबन्टन

10148. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अनेक कालोनियों में दिसम्बर, 1974 के बाद केन्दीय सरकार स्वास्थ्य योजना को स्थलों का आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को अपने भवनों के निर्माण के लिए कौन-कौन से स्थल आबंटित किए गए हैं, किन-किन तारीखों को किए गए हैं, किन स्थानों पर किए गए हैं तथा प्रत्येक मामले में स्थल की लागत सहित आबन्टन का प्रयोजन क्या था;

(ग) वर्ष 1974 के बाद केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा इन स्थलों पर भवनों के निर्माण के लिए वर्षवार कितना बजट प्रावधान रखा गया तथा वर्षवार बजट में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(घ) वर्ष 1974 के बाद वर्षवार भवन निर्माण प्रयोजन के लिए उस धनराशि में से कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) यदि भवन निर्माण के लिए पूरी धनराशि का उपयोग नहीं हुआ, तो इसके क्या कारण हैं तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा निर्माण सम्बन्धी धनराशि किस प्रयोजन से खर्च की गई; और

(च) वर्ष 1974 के बाद वर्षवार निर्माण बजट से कितनी धनराशि अन्तरित की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ए० जी० सी० आर० कालोनी, दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय स्कूल

10149. **श्री भीखा भाई** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय स्कूल, ए० जी० सी० आर० कालोनी, दिल्ली कब से चालू हुआ था ।

(ख) क्या यह स्कूल अभी भी टेंटों में चलाया जा रहा है ;

(ग) स्वीकृत नक्शे के अनुसार भवन का निर्माण कब तक हो जाएगा ;

(घ) क्या जब तक भवन का निर्माण नहीं हो जाता कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिसम्बर, 1981

(ख) जी, हां ।

(ग) जैसा कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है के० लो० नि० वि० से स्थायी स्कूल भवन के निर्माण हेतु नक्शे तथा प्राक्कलन तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है, जिनकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है । नक्शों तथा तथा प्राक्लनों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सड़क परिवहन निगमों को हुआ घाटा

10150. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम सहित राज्य सड़क परिवहन निगमों/उपक्रमों को 1982-83 में राज्य सड़क परिवहन निगम उपक्रम वार कुल कितना घाटा हुआ ;

(ख) तत्सम्बन्धी कारण क्या है, और

(ग) राज्य सड़क परिवहन निगमों को लाभ के आधार पर चलने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) वित्तीय वर्ष 1982-83 हाल ही में समाप्त हुआ है। अभी विभिन्न राज्य उपक्रमों के वार्षिक तुलन पत्र को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) इन उपक्रमों को हुए पहले के घाटों के संदर्भ में राज्य सरकारों को राज्यों परिवहन उपक्रमों के भौतिक और वित्तीय दोनों निष्पादन में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का सुझाव दिया गया है।

नैमित्तिक श्रमिकों और मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित किया जाना

10151. **श्री नारायण साहू :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय तथा उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों नैमित्तिक श्रमिक/मस्टर रोल कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय में तथा मंत्रालय के अन्तर्गत विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या काफी समय बीत जाने के बाद भी उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जा रहा है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) वर्षों तक उन्हें नैमित्तिक श्रमिक अथवा मस्टर रोल कर्मचारी बनाये रखने की बजाय उनकी सेवाओं को नियमित करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां, यह सच है कि विदेश मन्त्रालय ने नैमित्तिक मजदूर/मस्टर रोल कर्मचारी नियुक्त किये हैं।

(ख) से (घ) विदेश मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों से तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं और उपलब्ध होते ही इन्हें सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों की भर्ती

10152. **श्री आर० आर० भोले** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की स्थिति के बारे में 6 अप्रैल 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6428 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रवार, प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कितने अध्यापकों को नौकरी का प्रस्ताव भेजा गया है; और

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों की श्रेणी-वार और क्षेत्र वार वर्तमान कुल स्थिति क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कबाली कस्बे में रेल-पथ पर उपरिपुल

10153. **श्री जार्ज फर्नाण्डीस** : क्या रेल यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के नैलोर जिले में कबाली कस्बे के नागरिकों की ओर से कबाली कस्बे में रेल पथ पर उपरिपुल का निर्माण करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से फरवरी, 1983 में लागत की भागीदारी के आधार पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसकी जांच की जा रही है और रेलवे निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जायेगा।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दवाईयों और नुस्खा फर्मों की कमी

10154. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में आम तौर से दवाइयों की कमी रहती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि छपे हुए नुस्खा फार्म भी उपलब्ध नहीं हैं तथा औषधालयों के डाक्टर साधे कागजों पर दवाइयों के नुस्खे लिखते हैं ;

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कतिपय औषधालयों में हफ्तों से बी० सी० फोर्ट कैप्सूल उपलब्ध नहीं है तथा रोगियों को यह कैप्सूल बाजार से खरीदने पड़ते हैं ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दवाइयों और छपे हुए नुस्खा फार्म की कोई कमी न हो ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को दवाइयां नियमित रूप से सप्लाई की जा रही हैं और इन औषधालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की फार्मूलरी में शमिल सभी दवाइयों का कम से कम सात दिन का स्टाक रखने की हिदायत दी गई है। जो दवाएं किसी अवसर विशेष पर स्टोर में उपलब्ध न हों तो उनको स्थानीय खरीद करके लाभार्थियों को सुलभ कराने के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को प्राधिकृत कर दिया गया है।

प्रेस द्वारा छपाई में देरी होने के कारण नुस्खा फार्मों की कमी हो गई है। इन फार्मों को शीघ्र छपवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं

10155. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में, विशेष रूप से उड़ीसा में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1983-84 के लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) जनजातिय लोगों को उनके गांव के पास ही अधिक मेडिकल यूनिटों, स्थायी और सचल, बोर्डों, द्वारा बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना छठी योजना अवधि के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है। जनजातीय क्षेत्रों में रोगों की रोकथाम, सफाई और स्वास्थ्य विज्ञान, संचारी रोगों पर नियंत्रण, स्वास्थ्य शिक्षा, जच्चा-बच्चा परिचर्यों आदि की ओर ध्यान देना स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम 1 का मुख्य भाग है। तदनुसार जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक 3000 आबादी के पीछे उप केन्द्र खोलने, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने, औषधालयों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें सहायक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने, सब-डिविजनल स्तर पर 10 पलंगों वाले टी० बी० अस्पताल खोलने और बाजारों तथा गांवों में सचल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से लोगों को चिकित्सा, परिचर्या की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

जन जातीय लोगों को होने वाले प्रमुख रोगों का सर्वेक्षण करने, वंश गत और संचारी रोगों की रोकथाम करने और क्षेत्र उपचार केन्द्रों का आयोजन करने के लिए विशेष अभियान चलाये जाएंगे। आयोजित विकास की अवधि में काफी विस्तार हुआ है। जन-जातीय क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहायक केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों, के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य का उन्नयन करने, रोगों की रोकथाम करने और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास किये जाएंगे।

परिवार कल्याण और स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी पहलुओं पर बल दिया जाएगा। जिला/सब-डिविजनल अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी। एलौपैथिक, आयुर्वेदिक और सस्ती औषधियों की स्थानीय पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उपर्युक्त व्यवस्था करने और पर्याप्त मात्रा में औषधियां तथा उपकरण मुहैया करने के लिए राज्य प्लान से धन खर्च किया जाएगा और वह केन्द्रीय प्लान से पूरा किया जाएगा।

उड़ीसा के जनजातीय सब-प्लान क्षेत्र के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान निम्नलिखित विभिन्न स्रोतों से 795.70 लाख रुपए प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है :—

राज्य योजनाएं	रुपये लाखों में
1. एम० एन० पी०	127.99
2. संचारी रोग	92.75
3. अस्पताल और औषधालय	58.71
4. अन्य कार्यक्रम	2.21
5. भारतीय चिकित्सा पद्धित तथा होम्योपैथी	12.02
	293.68
केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम	
1. कुष्ठ रोग और दृष्टि हीनता की रोकथाम	54.87
2. यू०के० सहायता प्राप्त क्षेत्रीय परियोजना कार्यक्रम	125.24
3. परिवार कल्याण कार्यक्रम	255.73
4. ग्राम स्वास्थ्य गाइड	41.93
5. बहुउद्देशीय कार्यकर्ता	4.25
	482.02

विशेष केन्द्रीय सहायता

औषधालय भवनों और स्टाफ क्वाटरों, जिसमें 6 अयुर्वेदिक और 6 होम्योपैथिक औषधालयों के लिए भवनों का निर्माण भी शामिल है, के निर्माण के लिए ।	20.00
	20.00

इस लागत से निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का विचार है :—

1. अतिरिक्त दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण ;
2. तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना ;
3. 12 सहायक स्ववास्थ्य केन्द्र खोलना ;
4. स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 4 वाहन सप्लाई करने का विचार है ।
5. उप प्लान क्षेत्र में एक फाइलेरिया नियंत्रण यूनिट और एक फाइलेरिया क्लिनिक खोलना ।
6. उन 11 स्थानों में जहां भवनों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है, यहां 10 पलंगो वाले क्षय रोग वार्ड खोलना ;
7. उप प्लान क्षेत्र में 24 आयुर्वेदिक और 20 होम्योपैथिक औषधालयों को जारी रखने के अलावा तीन आर्वेदिक और तीन होम्योपैथिक औषधालय खोलना ;
8. दो कुष्ठ अस्पताली वार्ड, दो कुष्ठ नियंत्रक यूनिट तथा दर्जा बढ़ाया गया एक कुष्ठ नियंत्रण यूनिट खोलने का प्रस्ताव ।

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय

1056. **श्री केयूर भूषण** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना संबंधी योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इसकी स्थापना करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह संग्रहालय कब तक शुरू हो जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना, नई दिल्ली में 1977 में संस्कृति विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में अस्थायी रूप से की गई थी। बाद में 1979 में इसे भोपाल में स्थानान्तरित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके विकास के लिए एक सौ एकड भूमि आबंटित की थी संग्रहालय पहले से ही कार्यशील है और धीरे-धीरे इसका विकास किया जा रहा है।

5 से 15 वर्ष की आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए स्कूल-शिक्षा

10157. **श्री बनवारी लाल** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में इस समय 5 से 15 वर्ष तक की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) इस आयु-वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों को स्कूली शिक्षा देने संबंधी उपायों को लागू करने की क्या योजनाए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत भाग स्कूल शिक्षा के अंतर्गत आता है।

(ख) बच्चों को स्कूलों में जाने के लिए प्ररित करने के वास्ते निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं :—

(क) पाठ्य पुस्तकों का नि: शुल्क वितरण ।

(ख) बुक-बैंक सुविधाएं ।

(ग) ग्रामी क्षेत्रों में लड़कियों के लिए नि: शुल्क परिवहन की सुविधाएं ।

(घ) स्कूल पुस्तकालयों में सुधार ।

(ङ) प्रौढ़ शिक्षा/गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र

(च) नि: शुल्क वर्दियां प्रदान करना

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए उपचारी शिक्षण ।

(ज) अनु० जातियों/अनु० जन जातियों के लिए योग्यता छात्र वृत्तियां ।

(झ) अनु० जातियों/अनु० जन जातियों के लिए खुली-खुली योग्यता छात्र वृत्तियां'

(ण) मध्याह्न भोजन

(ट) कापियों का नि: शुल्क वितरण

(ठ) रियायाती दरों पर कापियों का वितरण।

टूंडला लोको शैड में लोको फोरमैन

10158. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन लोको शैडों में स्टीम इंजनों की सख्या 50 से कम होती है, उनमें केवल 700-900 रुपये के वेतनमान वाले लोको-फोरमैनों को लगाया जाता है,

(ख) क्या ऐसा कोई प्रावधन हैं कि 840-1040 रुपये के वेतनमान वाले फोरमैनों की उन लोको-शैडों में लगाया जाएगा, जिनमें लोकी इंजनों की संख्या 50 से अधिक होती है, और

(ग) क्या इलाहाबाद डिवीजन के टूंडला लोकी शैड के मामले में इस बात का पालन किया जा रहा है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जोनल रेलों में मंत्रालयीय कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

10159. **श्री मोहमद असरार अहमद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जोनल रेलवेज के क्या नाम हैं जिनके पास मंत्रालयीय कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र हैं;

(ख) उन केन्द्रों में पढ़ाये जाने वाले प्रशिक्षण पाठयक्रमों का क्या ब्यौरा है और प्रशिक्षुकों को कितना भत्ता दिया जाता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इन प्रशिक्षण केन्द्रों से कितने प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए, और

(घ) क्या इन प्रशिक्षण केन्द्रों के रखरखाव में हुए खर्च के संदर्भ में उपरोक्त पाठयक्रमों की उपयोगिता का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे डिग्री कालेज, सिकन्दराबाद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए भर्ती नियम

10160. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डिग्री कालेज सिकन्दराबाद ने 1977, 1978 और 1979 में हुई लेक्चरारी

की भर्ती के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रध्यापकों (लेक्चरार्स की भर्ती के मामले में आरक्षण नियमों का पालन किया है जैसा कि उस्मानिया विश्वविद्यालय में परम्परा रही, है और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में नियमों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) उस्मानिया विश्वविद्यालयमें प्रचलित पद्यति का रेलवे डिग्री कालेज, सिकन्दराबाद के मामले में अनुसरण किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षतिपूर्ण बंध पत्र पर डिलीवरी

10161. **श्री एस० एस० रामास्वामी पदायाची** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे मामलों में जहां डिलीवरी क्षतिपूर्ण बंध पत्र पर की जाती है एक अनु-बद्ध अवधि के अन्दर रेलवे पावती के लिए कहना रेलवे के लिए अनिवार्य है;

(ख) यदि हां तो क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे में बहुत से मामलों में इस अनु-अनुबंध का पालन नहीं किया जाता है और क्या इस प्रकार के मामले रेलवे प्रशासन के पास भेज दिए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इन दोनों रेलवेज को कितने मामलों में ढील की अनुमति दी गई हैं और पार्टियों द्वारा किस अवधि के लिए इस ढील का लाभ उठाया जा रहा है; और

(घ) चूक के इन प्रकार सभी मामलों में रेलवे पावती (आर/आर) प्रस्तुत करने हेतु पार्टियों पर जोर डालने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एन्ट्रोक्युनोल और मैक्साफार्म की बिक्री

10162. **श्री जी नरसिम्हा रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन्ट्रोक्युनोल और मैक्साफोर्म जैसी औषधियां आज भी भारत में डाक्टरों के नुस्खे (प्रेसक्रिपशन) के बिना निर्बाध रूप से बेची जा रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यह बात सिद्ध हो गई है कि इन दवाओं में अशक्त कर देने वाला प्रभाव होता है;

(ग) क्या इन औषधियों के कारण जापान में 11,0000 व्यक्ति अशक्त हो गए थे; और

(ग) यदि हां, तो इन औषधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमूदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) एन्ट्रोक्युनोल और मैक्साफोर्म अब औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूचि "अ" में शामिल कर ली गयी है। और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ये दवाइयां डाक्टर के नुस्ले के बिना नहीं बेची जानी चाहियें। फिलहाल इन दवाइयों पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इन दवाइयों के विषाक्त प्रभाव के बारे में पहले 1970 और बाद में 1977 में छपी रिपोर्टों के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और देश के प्रमुख जठरान्तरशोध विज्ञानियों से सलाह तांगी गई थी और उनकी यह राय थी कि ये रिपोर्टें निर्णायक नहीं हैं और इन्हें वापिस लेना उचित नहीं है।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

भारत-बंगला देश सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

10163. **श्री सन्तोष मोहन देव** :

श्री अनाविचरण दास : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत और बंगला देश ने दोनों देशों के बीच मैत्री को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए एक सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) 14 अप्रैल, 1983 को ढाका में हस्ताक्षरित 1983.84 के सांस्कृतिक और शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम में, शिक्षाविदों, समाजिक वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालय शिक्षकों, अध्येताओं, पुरातत्वविदों कलाकारों और विशेषज्ञों, खेल-टीमों के आदान-प्रदान, प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान और एक-दूसरे के देश में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों/संगोष्ठियों और पुस्तक-प्रदर्शनियों में भाग लेने के माध्यम से शिक्षा, कला और संस्कृतिक के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग करने की परिकल्पना की गई है। इसमें, दोनों देशों की सम्बन्धित संस्थाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के अलावा एक दूसरे के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की भी व्यवस्था है।

शाहजहांपुर और रोसा स्टेशनों पर यात्री सुविधायें

10164. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर रेलवे के शाहजहांपुर और रोसा स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं न दिए जाने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां । रोजा स्टेशन के प्लेटफार्म नं० 1/2 पर सायबन डालने की व्यवस्था करने और शाहजहां स्टेशन के प्लेटफार्म पर अतिरिक्त सायवान की व्यवस्था करने की मांग की गयी है ।

(ख) रोजा स्टेशन के प्लेटफार्म नं० 1/2 पर यात्रियों के लिए स्टेशन भवन के बरामदे में ही पर्याप्त प्रतीक्षा स्थान उपलब्ध है। शाहजहांपुर स्टेशन के मौजूदा प्लेटफार्म की छत इस स्टेशन पर सम्हाले जाने वाले यात्रियों की संख्या के लिए पर्याप्त है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा धनराशि की भारी तंगी के कारण भी रोजा और शाहजहांपुर स्टेशनों पर फिलहाल इन सुविधाओं को बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

समस्तीपुर-दानापुर 'एक्सप्रेस' ट्रेन

10165. **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य यात्री ट्रेन, सामान्य फास्ट पेसजर एक्सप्रेस और सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के रूप में रेलगाड़ियों का नामकरण करने के लिए क्या नियम निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) किन नियमों के अन्तर्गत समस्तीपुर दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है जो कि प्रायः सभी बड़े और छोटे स्टेशनों पर रुकती हैं और गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लम्बा समय लेती है; और

(ग) क्या अभी भी इस ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन कहा जा सकता है अथवा इसका नाम फास्ट पेसेंजर ट्रेन के रूप में रखा जायगा और तदनुसार किराया लिया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) विभिन्न कोटि की यात्री गाड़ियों का वर्गीकरण करने के लिए मोटे तौर पर निम्नलिखित मानदण्ड अपनाये जाते हैं ।

(1) साधारण सवारी गाड़ियां थोड़ी दूर में चलायी जाती हैं और मार्गवर्ती सभी स्टेशनों तथा हाल्टों पर ठहरती है ।

(2) तेज सवारी गाड़ियां किसी खंड विशेष में गाड़ी विशेष की रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ कम महत्वपूर्ण स्टेशनों पर नहीं रुकती हैं ।

(3) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां केवल महत्वपूर्ण और अर्धमहत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहरती हैं जो जिला मुख्यालयों विश्वविद्यालय कम्पलेक्सों, औद्योगिक/व्यापार केन्द्रों की सेवा करते हैं और महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशनों पर ठहरती हैं जो शाखा लाइनों की सेवा करते हैं ।

(4) सुपर फास्ट गाड़ियों में अन्य बातों के साथ-साथ बेहतर किस्म की सेवा का आराम, सुविधाजनक समय, समग्ररूप से अधिक रफ्तार आदि की व्यवस्था रहती है और महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच ठहरावों की संख्या सीमित होती है ।

(ख) और (ग) चूंकि 45/46 समस्तीपुर-दानापुर एक्सप्रेस, दानापुर और समस्तीपुर के बीच स्थित 32 स्टेशनों में से केवल 18 स्टेशनों पर ठहरती है इसलिए इसे एक एक्सप्रेस गाड़ी ही कहा जायेगा ।

वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकें

10166. **श्री हरिहर सोरन** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल बुक ट्रस्ट की लाखों रुपए मूल्य की पुस्तकें भारी वर्षा में क्षतिग्रस्त हो गयी ;

(ख) यदि हां, तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने कितनी धनराशि की हानि होने का अनुमान लगाया है ;

(ग) किन कारणों से पुस्तकों को किसी समुचित स्थान पर नहीं रखा गया ; और

(घ) भविष्य में पुस्तकों को समुचित अनुरक्षण हेतु नेशनल बुक ट्रस्ट की क्या कदम उठाने का सुझाव दिया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) हाल की भारी वर्षा में काफी बड़ी संख्या में पुस्तकें क्षतिग्रस्त हो गई थी जब बेसमेंट में, जहां पुस्तकें रखी थी, पानी भर गया था । बेसमेंट में पानी का स्तर 4 फीट तक पहुंच गया था। पानी बाहर निकालने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई और चूंकि समय पर कार्रवाई की गई, इसलिए भारी संख्या में पुस्तकें बचा ली गई । वास्तविक नुकसान का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि क्षतिग्रस्त पुस्तकों को बचाने का कार्य अभी चल रहा है ।

(ग) और (घ) पुस्तकों को समुचित ढंग से परिरक्षित किया गया था और स्टील के रैकों पर रखा गया था । हाल ही की वर्षा प्राकृतिक विपदा थी । भविष्य में ऐसी सम्भाव्यता के विरुद्ध एहतियात के तौर पर पुस्तकों को स्टील के रैकों के निचले शेल्फों में न रखने का निर्णय लिया गया है ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बनारस) उत्तर प्रदेश

10167. **श्री निहाल सिंह** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणासी, उत्तर प्रदेश में सिंहली भाषा में अध्ययन और पी० एच० डी० उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए पृथक विभाग हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सिंहली भाषा में जिन व्यक्तियों को पी० एच० डी० की उपाधि दी गई उनके नाम, पद और पूरे पते क्या हैं ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय द्वारा सिंहली भाषा में जाली पी० एच० डी० उपाधि देने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय में सिंहली में अलग से कोई विभाग नहीं है। विश्वविद्यालय में एक विदेशी भाषाओं का एक विभाग है जो सिंहली भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

शिक्षा निदेशालय दिल्ली में योजना और गैर-योजना शीर्षक

10168. **श्री आर० एन० राकेश** :

श्री केशव राव पारधी :

श्री नन्द किशोर शर्मा : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय दिल्ली के संदर्भ में योजना और गैर-योजना शीर्षक की परिभाषा क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि एक योजना के अन्तर्गत नियुक्त किए गए ट्रेंड ग्रेजुएट शिक्षकों और/या पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षकों का वेतन तत्काल दे दिया जाता है जब कि अन्य योजना के अन्तर्गत नियुक्त ऐसे शिक्षकों को छः महीने पूरे होने के बाद भी वेतन नहीं दिया जाता ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) योजनागत योजनाएं वे हैं जिसे किसी योजना अवधि के दौरान नए कार्यक्रम के रूप में आरंभ किया जाता है तथा सामान्यतः जिसका संबंध विभिन्न क्षेत्रों के विकासात्मक कार्यकलापों से होता है। पिछली योजनाओं के दौरान संचालित योजनाएं योजना अवधि के बीत आने के बाद सामान्यतः योजनेतर कार्यक्रम बन जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

शिक्षा मन्त्रालय के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

10169. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय ने वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान समयोपरि भत्ते पर कितना धन कम किया है ; और

(ख) क्या इसको कम करने की गुंजाइश है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयों के सचिवालय में समयोपरि भत्ते पर वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान 7,38,813,90 रुपये की राशि खर्च की गई थी।

(ख) समयोपरि भत्ते की राशि पर पूरे वर्ष निरन्तर ध्यान रखा गया है ताकि इस पर कम से कम राशि खर्च हो।

'हैली मण्डी में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

10170. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैली मण्डी नगर के निवासियों ने उस नगर में केन्द्रीय स्कूल खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई ज्ञापन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण विभागों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सफदरजंग अस्पताल के 'आर्थो' आपात विभाग में स्वचालित प्रोसेसर का उपलब्ध न होना

10171. **श्री मनोहर लाल संनी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल के आर्थो आपात विभाग में कोई स्वचालित प्रोसेसर नहीं हैं जिसके परिणाम-स्वरूप आपात रोगियों को, जिनमें से कुछ पर वास्तव में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है, एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक घंटे से अधिक की प्रतीक्षा करनी होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या खासतौर पर भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए एक स्वचालित

प्रोसेसर की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं तो आपात रोगियों पर तत्काल ध्यान दिये जाने को सुनिश्चित करते हुए स्थिति का किस प्रकार सामना किया जाएगा ;

(ग) क्या सफदरजंग अस्पताल में उपलब्ध दो स्वचालित प्रोसेसरों में से एक काफी समय से खराब है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे प्रयोग में न लाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) आर्थो इमरजेंसी विभाग में कोई स्वचालित प्रोसेसर नहीं है और न ही इसे खरीदने का कोई प्रस्ताव है । मौजूदा व्यवस्था के अन्तर्गत तात्कालिक मामलों में जब भी आवश्यकता हो, एक मीली फिल्म देने के लिए 15 मिनट से अधिक समय नहीं लगता है ।

(ग) और (घ) दो स्वचालित प्रोसेसरों में से एक की मरम्मत न होने के कारण कुछ समय के लिए प्रयोग नहीं किया जा सका । इसकी शीघ्र मरम्मत करने के सप्लायर के पास प्रबन्ध कर दिए गए हैं ।

साम्होंन और अछलदा के बीच ग्राम धंसारा में पैसेंन्जर हाल्ट

10172. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे की दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर सम्होंन और अछलदा के बीच ग्राम धंसारा पर एक पैसेंजर हाल्ट बनाने की स्वीकृति जनवरी, 1982 में दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त हाल्ट के बारे में प्रस्ताव 1983-84 के बजट में सम्मिलित किया जाना था लेकिन उस तारीख के बारे में, जिससे कि उक्त हाल्ट पर पैसेन्जर रेलगाड़ियां रुकना शुरू करेंगी, संबद्ध अधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया है; और

(ग) इस संबंध में पूरे तथ्य क्या हैं ?

रेल मत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) : यात्री सुविधा के आधार पर, सम्होंन और अछलदा के बीच एक हाल्ट खोलने की स्वीकृति दी गई थी । लेकिन, धनराशि की अनुपलब्धता के कारण अभी तक इस स्टेशन को नहीं खोला जा सका । निधियों का पुन-विनियोग करके, इस काम को बिना पारी के, 1983-84 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

गार्डों के लिए रनिंग अलाउंस

10173. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार कम वेतन पाने वालों की अपेक्षा अधिक वेतन

पाने वाले कर्मचारियों को दैनिक भत्ते, यात्रा भत्ते, महंगाई भत्ते आदि की अदायगी अधिक ऊंची दरों पर करती है।

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे में ड्राइवर का दायित्व गार्ड की अपेक्षा अधिक होता है तथा मेल एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के ड्राइवरों का वेतनमान गार्ड के वेतनमान से अधिक है;

(ग) क्या रेलवे ने 1 जून, 1981 से गार्ड के रनिंग अलाउंस में 6.90 रुपये से 7.90 रुपये तक की वृद्धि की है जबकि संवर्ग "क" स्पेशल और अन्य ड्राइवरों के रनिंग अलाउंस में 9.60 रुपये से 10.00 रुपये तक की वृद्धि की गई है।

(घ) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं और इस असमानता को दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की पात्रता का निर्धारण अधिकारी के ग्रेड, टूर/ठहराव के स्थान आदि के अनुसार किया जाता है। महंगाई भत्ते की प्रत्येक किस्त जब भी स्वीकृत हो, पैं 400/-रु० प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को जीवनयापन लागत के सूचकांक में वृद्धि के 100 प्रतिशत निरावेशन, 400/रु० से 1000/रु० तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 75 प्रतिशत निरावेशन और 1000/-रु० प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए कम प्रतिशत के निरावेशन की व्यवस्था है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जी हां। गार्डों और "ए" स्पेशल ग्रेड के ड्राइवरों के रनिंग भत्ते की दरों में 1-8-1981 से प्रभावी ये वृद्धियां श्रमिक संगठनों के साथ विस्तृत वार्ता पर आधारित रनिंग भत्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर रनिंग कर्मचारियों के लिए भत्ते की दरों में संशोधन और युक्तिकरण के परिणाम स्वरूप अनुमोदित की गयी थीं।

डी० टी० सी० के ड्राइवरों द्वारा तेजी तथा लापरवाही से गाड़ियां चलाया जाना।

10174. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **नौवहन** और **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में डी० टी० सी० के ड्राईवरों द्वारा तेजी से तथा लापरवाही से गाड़ियां चलाए जाने की जानकारी है जिससे दुर्घटना होती है;

(ख) यदि हां तो क्या डी० टी० सी० बस-प्रयोक्ताओं की सुरक्षा की देख-भाल करने के लिए डी० टी० सी के ड्राइवरों को कोई नए मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे गए हैं; और

(ग) डी० टी० सी० की बसों के कारण होने वाली दुर्घटनाओ को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों के द्वारा तेजी से मोटर चलाने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। सड़क पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम को निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली परिवहन निगम में एक केन्द्रीय दुर्घटना सेल स्थापित किया गया है। इसका एक मुख्य कार्य दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण करना जिससे कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। प्रत्येक बस की अधिकतम गति बस के इंजन में ईंधन पहुंचाने की रफ्तार द्वारा नियंत्रित की जाती है। ड्राइवरों के लिए एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी दिया जाता है। यातायात पुलिस से सम्पर्क कर ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा की फिल्म दिखलाई जाती है। निरीक्षण कार्यालय को सुगठित किया गया है जिससे कि दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा बस सेवा पर निगरानी रखी जा सके। जब कभी बस को अभीष्ट गति की अपेक्षा तेज चलाने, बस स्टाप पर उचित जगह पर बस खड़ी नहीं करने, यातायात के निर्देशों का पालन नहीं करने आदि जैसी घटनाएं देखने में आती हैं तो गलती करने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

टाटानगर-वाराणसी साप्ताहिक एक्सप्रेस के प्रतिदिन चलाने का प्रस्ताव

10175. **श्री रौतलाल प्रभाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटानगर-जमशेदपुर के लोग गत छह वर्षों से लगातार मांग कर रहे हैं कि "टाटानगर-वाराणसी" साप्ताहिक एक्सप्रेस को दैनिक गाड़ी में परिणत किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के लोगों को पटना और दिल्ली आने-जाने की की रेल यात्रा सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से उक्त साप्ताहिक एक्सप्रेस को दैनिक गाड़ी में परिणत करने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जी नहीं, क्योंकि गाड़ी के फेरे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रेक की व्यवस्था करनी होगी जिसकी इस समय रेलों पर बहुत ही कमी है। संसाधनों की स्थिति में सुधार हो जाने पर इस मांग पर विचार किया जाएगा।

रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद में उत्तर पुस्तिकाओं का गुम हो जाना

10176. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग चार मास पूर्व रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा ली गई विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं गुम हो गई हैं और वह उनको अभी तक ढूंढ नहीं सके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच करवाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 16-8-82 के पश्चात आयोजित परीक्षा की कोई उत्तर-पुस्तिकाएं गुम नहीं हुई हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली और सराय रोहेल्ला स्टेशनों से पार्सल बुकिंग क्लर्कों का स्थानांतरण

10177. **श्री बाबा साहेब पवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने इस आशय के कुछ आदेश जारी किए हैं कि वाणिज्यक विभाग के कर्मचारियों को एक स्टेशन पर पांच वर्ष से अधिक समय तक काम नहीं करना चाहिए जिसके आधार पर अप्रैल, 1982 से सितम्बर, 1982 की अवधि के दौरान बीकानेर डिवीजन के सभी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और सराय रोहेल्ला स्टेशनों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इन आदेशों को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) इस विषय में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार जिन कर्मचारियों का संव्यवहार जनता के साथ होता है या जिनका वास्ता ठेकेदारों/सप्लायरों से पड़ता है उन्हें उस सीट विशेष पर कार्य की 4 वर्ष की अवधि पूरा कर लेने पर अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाता है । ऐसे कर्मचारियों को उसी स्टेशन/क्षेत्र/कार्यालय की अन्य सीट पर स्थानांतरित किया जा सकता है । उपरोक्त अनुदेशों के आधार पर उत्तर रेलवे ने, बीकानेर मण्डल के वाणिज्यिक कर्मचारियों को दिल्ली-सराय रोहिल्ला से और जिन कर्मचारियों का सेवाकाल दिल्ली में उसी सीट पर 5 वर्ष से अधिक हो गया है, उन्हें स्थानांतरित कर दिया है । बहरहाल, उत्तर रेलवे को पहले से ही अनुदेश दिए गए हैं कि वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत इस प्रकार के स्थानांतरण प्रति 4 वर्ष के पश्चात किए जाने चाहिएं ।

(ख) उपरोक्त अनुदेश दिल्ली और सराय रौहिल्ला स्टेशनों पर कार्यरत कर्मचारियों पर पहले से ही लागू होते हैं ।

वैगन पंजीकरण शुल्क को जब्त किए बिना साइडिंग पर इंडेण्ट को रद्द किए जाने के संबंध में अनुदेश

10178. **श्री एस० आर० ए० एस० अप्पालानायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे, वाल्टेयर के प्रभागीय वाणिज्यिक अधीक्षक ने एक साइडिंग

होल्डर को पत्र लिखकर कहा है कि रेलवे अनुदेशों के अनुसार वैगन पंजीकरण शुल्क को जब्त किए बिना साइडिंग पर इंडेण्टों को रद्द किए जाने के लिए "72 घंटे की सूचना" वैगनों की आपूर्ति की वास्तविक तिथि से संबंद्ध होगी न कि इण्डेण्ट प्रस्तुत किए जाने के समय से और इसके परिणाम स्वरूप साइडिंग होल्डर के वैगन पंजीकरण शुल्क को जब्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही नियमानुसार थी और कितने मामलों में वैगन पंजीकरण शुल्क जब्त किया गया है; और

(ग) इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) आंध्र सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा 11.5.82 और 15.6.82 को माल डिब्बों के लिए दिए गये दो मांग पत्रों के संबंध में, वर्तमान नियमों के अनुसार पंजीकरण शुल्क जब्त लिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नए सुझाव

10179. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में रेलवे बोर्ड को कितने नए सुझाव प्राप्त हुए हैं तथा ऐसे कितने पुराने सुझावों पर अभी विचार किया जाना शेष है;

(ख) उनकी जांच कब तक पूरी हो जाएगी तथा ये सुझाव किन लोगों से प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ न्यायालयों द्वारा कोई सुझाव दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस सुझाव को क्रियान्वित न करने के क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) दुर्घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड को लोगों से तीन नवीन सुझाव प्राप्त हुए हैं। उनमें से दो सुझाओं को व्यवहारिक नहीं पाया गया। तीसरा सुझाव सम्बद्ध क्षेत्रीय रेल प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है।

कोई भी पुराना सुझाव विचार के लिए नहीं पड़ा है।

(ग) और (घ) रेलवे बोर्ड किसी भी न्यायालय से दुर्घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

रेल व्यवस्था की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए उच्चस्तरीय समिति

10180. **श्री के० मालन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल-व्यवस्था की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए हाल में सरकार द्वारा कोई उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है ;

(ख) क्या रेलवे की ओर से कोई ऐसा संकेत किया है कि माल का लदान करने और उतारने संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करना उनका काम नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा क्या निर्णय लिया गया है और सुझाव दिए गए ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेल संचलन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक उच्च अधिकार विशेषज्ञ समिति जिससे "रेल सुधार समिति" के नाम से पुकारा जाता है, का गठन किया गया है ।

(ख) और (ग) : समिति द्वारा सम्हालाई और ढुलाई प्रक्रिया, परिचालन तकनीकों आदि में सुधार करने और उनका आधुनिकीकरण करने की जांच करने तथा इस बारे में सुझाव देने की अपेक्षा की गयी थी । परिवहन से सम्बन्धित रिपोर्ट के भाग 11 में समिति द्वारा इन बातों पर विचार किया गया है, जिसकी प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में रख दी गयी है ।

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला

10181. **श्री चित्त बसु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बर्ष कितने व्यक्तियों का तबादला किया गया है;

(ग) क्या रेल सेवाओं के 10 विभिन्न संवर्गों के 9000 से अधिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली इंडियन रेलवे अफिशियल्स एसोसियेशन की शासकीय परिषद ने तबादले के ढंग पर आक्रोश प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) भारत की सभी नौ रेल प्रणालियों अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन, केंद्रीय कारखाना आधुनिकीकरण संगठन और पांच उत्पादन कारखानों के 30 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है ।

(ख) 1-1-83 से 30-4-83 तक की अवधि के दौरान 2250-2500 रु० और अधिक के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद के केवल 30 अधिकारियों को एक रेलवे/यूनिट से दूसरी में स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए थे ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में खुदाई कार्य

10182. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिहार में ऐतिहासिक महत्व और लोक संस्कृति महत्व के स्थानों की खुदाई कार्यों के सम्बन्ध में समय पर उपाय नहीं किए और इससे संस्कृति से संबंधित अमूल्य निधि स्थान बरबाद हो रहे हैं ?

(ख) सरकार द्वारा इस दिशा में पर्याप्त रुचि न दिखाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) गोतीहारी जिले के पूर्व चम्पारन स्थित ऐसे स्थानों के सरक्षण का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी नहीं । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण समस्या मूलक उत्खनन कार्यों को हाथ में लेता है ताकि उन विनिर्दिष्ट समस्याओं पर प्रकाश डाला जा सके जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है । सामान्य तौर पर सभी उत्खनन क्षेत्र के स्थल विशेष की प्रभविष्णुता को जानने के लिए प्राचीन स्थल के क्रमबद्ध अन्वेषण के बाद कराये जाते हैं । उसके बाद समस्या को सुलझाने के लिए उत्खनन हेतु प्रभविष्णु स्थल का चयन किया जाता है । सर्वेक्षण, पुरातत्व के राज्य विभागों, विश्व-विद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों द्वारा बनाए गए उत्खनन के प्रस्तावों को केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा पूरी-पूरी जांच की जाती है, जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, विश्व-विद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि होते हैं और उत्खनन कराये जाने वाले स्थलों के बारे में अन्तिम निर्णय लिए जाते हैं ।

पिछले तीन दर्शकों में अन्तीचक (जिला-भागलपुर), अपसाड़ (जिला-नवादा), वकरौर (जिला-गया), वालिराजगढ़ (जिला-मधुबनी), वारुडीह (जिला-सिंहभूम), वक्सर (जिला-शाहाबाद) चंपा (जिला-भागलपुर), चंदाहाड़ी (जिला-मुजफ्फरपुर), चेचर-वृतुबपुर (जिला-वैशाली), चिरंड (जिला-सारन), करियन (जिला-दरभंगा), कंकड़बाग (जिला-पटना), कर्णचोरी (जिला-मुंगेर), कट-रागढ़ (जिला-मुजफ्फरपुर), खूंटीटोली (जिला-रांची), कोल्हुआ (जिला-मुजफ्फरपुर), कुम्हराहार (जिला-पटना), लोटापहाड़ (जिला-सिंहभूम), ओरियप (जिला-भागलपुर), पाटलिपुत्र (जिला-पटना) राजगीर (जिला-पटना), सरायटीला (जिला-नालंदा) शरदवेल (जिला-रांची), सोनपुर (जिला-गया) और वैशाली (जिला-वैशाली) में उत्खनन कराए गए हैं ।

30-9-83 को समाप्त होने वाले 1982-83 के क्षेत्र कार्य मौसम के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सरायटीला में उत्खनन, उत्तरी कोवल घाटी और चावुलिया घाटशिला-मनो-हरपुर क्षेत्र में अन्वेषण और बिहार राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा ताराडीह (जिला-गया) और आपझाड़ (जिला-नयादा) में उत्खनन और पटना विश्वविद्यालय द्वारा चंपा (जिला-भागलपुर) में उत्खनन कराये जाने के प्रस्ताव हैं ।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बिहार के केन्द्र संरक्षित संस्मारकों/ स्थलों की देख-रेख करत है। पुरातत्वीय संरक्षण एक अनवरत प्रक्रिया है और यह कार्य प्रत्येक स्थल पर उस स्थल-विशेष की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कराया जाता है।

जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा सफेद कागज पर एक्सरे करने के सम्बन्ध में प्रद्योगिकी का विकास

10183. **श्री नारायण चौबे** : क्या **स्वास्थ्य और कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1983 के बंगला दैनिक "आनन्द बाजार पत्रिका" में मुख्य-पृष्ठ पर प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि जादवपुर विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रोनिक्स तथा दूरसंचार डिवीजन ने सादे सफेद कागज पर मानव अंगों का एक्स-रे करने की तकनीक विकसित की है ;

(ख) यदि हां, तो नये विकास का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि नीलरतन सरकार मेडिकल कालेज होस्पिटल ने इस अस्पताल में इस नई तकनीकी का उपयोग किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस नई तकनीकी का आगे विकास करने और इसका वाणिज्यिक उपयोग करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री(कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से(घ) सादे सफेद कागज पर मानक के अंगों के एक्स-रे लेने की तकनीक को जेरो-रेडियोग्राफी कहते हैं पश्चिम बंगाल सरकार ने बतलाया है कि जादवपुर विश्वविद्यालय का इलैक्ट्रानिक तथा दूर सचार प्रभाव नीलरतन सरकार मेडिकल कालेज अस्पताल, कलकत्ता के सहयोग से सादे सफेद कागज पर एक्स-रे लेने की सस्ती तकनीक तैयार करने का प्रयत्न कर रहा है। यह पद्धति नीलरतन सरकार मेडिकल कालेज अस्पताल मे रोगियों पर परीक्षण के तौर पर प्रयुक्त की जा रही है। यह परियोजना अभी प्रयोगात्मक अवस्था में है और पश्चिम बंगाल सरकार इस तकनीक के विकास तथा निर्माण में पूरा संरक्षण प्रदान कर रही है। इसका वाणिज्यक उपयोग इस परियोजना के अन्तिम निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।

प्रश्न पत्रों का समय से पूर्व पता चल जाना

10184. **श्री तारिक अनवर** :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में आयोजित की

गई 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों के समय से पूर्व पता लग जाने के बारे में छपे समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन श्रेणियों के कितने प्रश्न पत्रों के समय से पूर्व पता लग जाने की सरकार की जानकारी है ;

(ग) क्या सरकार ने छात्रों की 100 रु० से 1000 रु० प्रति माह की दर पर सम्भावित प्रश्न पत्र बेचने के लिए उत्तरदायी समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा, 1983 का अर्थशास्त्र प्रश्न-पत्र समय से पहले पता चल गया था।

(ग) और (घ) गैस पेपरों की बिक्री अपराध के अन्तर्गत नहीं जाती। तथापि, जहां तक प्रश्न-पत्रों के समय से पहले ही पता चल जाने का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष समय से पूर्व पता चले प्रश्न पत्र के दोषी पाये गए व्यक्ति के विरुद्ध न्यायायालय में मुकदमा चल रहा है। इस वर्ष भी, समय से पूर्व प्रश्न पत्र बताने के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो मामले की जांच-पड़ताल कर रहा है।

जी० आर० पी० के लोगों द्वारा एक रोगी को आरक्षित करने और यात्रियों से पैसे वसूल कर उन्हें बैठने की अनुमति देने का आरोप

10185. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ओर से बरेली-आगरा फोर्ट, सहारनपुर-इलाहाबाद पैसेंजर, काशी-विश्वनाथ और अन्य गाड़ियों में से प्रत्येक प्रतिदिन एक कम्पार्टमेंट आरक्षित रखा जाता है।

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक गाड़ी के साथ कितने डिब्बे जोड़े जाते हैं ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि जी० आर० पी० के लोग एक डिब्बा आरक्षित करवा लेते हैं और यात्रियों से धन लेकर उसमें बिठा लेते हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं। गाड़ियों में मार्ग-रक्षियों के रूप में ड्यूटी करने वाले राजकीय रेलवे पुलिस वालों को ही सीटें/शायिकाएं आवंटित की जाती हैं।

(ख) प्रश्न तहीं उठता ।

(ग) इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं कि गाड़ी में मार्ग रक्षियों के रूप में ड्यूटी करने वाले राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारी अनधिकृत रूप से डिब्बे घेर लेते हैं तथा उनमें यात्रियों को ले जाते हैं ।

(घ) इन शिकायतों की रिपोर्ट सम्बन्धित राज्य सरकारों के पुलिस महानिदेशक को कर दी गई है । अनियमित यात्रा की रोकथाम करने के लिए बार-बार अचानक जांच भी की जाती है ।

किम्ब्रेल आर्ट म्यूजियम, टेक्सास, अमेरिका से नटराज की प्रतिमा की वापसी

10186. **श्री एस० वी० सिदनाल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने किम्ब्रेल आर्ट म्यूजियम, टैक्सास, अमेरिका से इस बात का अनुरोध किया था कि वह तस्करी से ले जाई गई नटराज की प्रतिमा को, जिसे उसने अगस्त, 1979 में लन्दन की एवरेस्ट गैलरी से खरीदा था, वापस करें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किम्ब्रेल आर्ट म्यूजियम से नटराज मूर्ति को वापस करने के गिए अनुरोध किया था, जो कि उस म्यूजियम ने तमिलनाडु से चोरी जाने के पश्चात अधिगृहीत की थी । उत्तर में-किम्ब्रेल आर्ट म्यूजियम ने मूर्ति की वापसी के संबन्ध में कुछ सुझाव दिए हैं और उन सुझावों पर अब तमिलनाडु सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में कला महाविद्यालय (आर्ट कालेज)

10187. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में कला महा विद्यालयों में स्नातक स्तरों पर कम से कम पांच शिक्षक और न्यूनतम एक सौ छात्र हैं जिसमें से कम से कम 35 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के क्षात्र वित्तीय सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कालाहांडी, उड़ीसा के धर्मगढ़ महाविद्यालय, खरिहार महाविद्यालय,

नषपाड़ा महाविद्यालय और एम० रामपुर महाविद्यालय वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) कला कालेज, जिनमें 5 स्थायी अध्यापक और न्यूनतम 100 छात्र हैं जिनमें से कम से कम 35 छात्र अनुसूचित जाति/अनु० जन जाति के होने चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विकास अनुदान प्राप्त करने के हकदार होते हैं, बशर्ते कि वे केवल जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के भाग 2 (च) के अन्तर्गत आते हों और इसी अधिनियम के 12 के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य घोषित किए गए हों।

(ख) और (ग) इन कालेजों को अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लाया गया है। अतः वे इस समय किसी सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।

नई पर्यटक गाड़ियां चलाना

10188. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली "ताज एक्सप्रेस" तथा "पैलेस आन ह्वील्स" जैसी नई पर्यटक गाड़ियां चलाने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य स्थानों के लिए भी यह सुविधा आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां। पर्यटन मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार विशेष पर्यटन गाडियां चलाई जा रही हैं।

(ख) पर्यटकों को गया, वाराणसी, लुम्बिनी और कुशीनर के बौद्ध केन्द्रों के दर्शन करने की सुविधा प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए पूर्वी क्षेत्र मे ग्रेट इंडियन रोबर नामक एक बिशेष पर्यटन गाड़ी चलाई जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नही उठता।

महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर "ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था"

10189. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो मन्दिरों के पश्चिमी समूह के महादेव तथा राजस्थान मन्दिरों में प्रकाश व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इन मन्दिरों का रख रखाव नहीं किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल पर समुचित ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गग हैं ; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो उसमें क्या कारण है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ग) जी हां । खजुराहो के पश्चिमी मन्दिर समूह में महादेव और लक्ष्मण मन्दिर के बाहरी भागों को द्युतिमान करने के लिए दूर-दूर तक प्रकाश देमे वाले विद्युत वल्वों को लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है । फिलहाल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिष्ठानों का अनुरक्षण नहीं किया जाता ।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों पर ध्वनि और प्रकाश प्रणाली की व्यवस्था नहीं करता । सर्वेक्षण का मुख्य कार्य प्राचीन संस्मारकों का सर्वेक्षण और रख-रखाव करना है ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय में समयोपरि कार्य

10190. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय में समयोपरि कार्य के लिए प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रावधान को देश के केन्द्रीय विद्यालयों के कार्यालयों में लागू क्यों नहीं किया गया है; और

(ग) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) समयोपरि भत्ता सामान्यत: विशेष मामलों में ही दिया जाता जबकि किसी कार्य को सामान्य कार्य समय के दौरान समाप्त/पूरा नहीं किया जा सकता । केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों के कार्यालय स्टाफ द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों/कार्यों के लिए शायद ही देर तक बैठने की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए समयोपरि भत्ता स्वीकृत किया जा सके । तथापि, कभी-कभी कार्य की असाधारण मात्रा होने पर कार्यालय स्टाफ को उपयुक्त मानदेय देकर क्षतिपूर्ति कर दी जाती है ।

नौचालन के लिए वकिधमनहर सुधार योजना

10191. **श्री पुचलापल्ली पेचालैय** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश से नौचालन के लिए चरण-दो बकिंघम नहर सुधार योजना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) बिलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक मन्जूर किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) आन्ध्र सरकार ने वकिंगम नहर के चरण-2 में सुधार करने के लिए नवम्बर, 1979 में 50.00 लाख रुपए की लागत की एक योजना छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए भेजी थी।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए कम धनराशि के नियतन के कारण इस योजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में शामिल नहीं किया जा सका।

शास्त्रीय भाषा की चयन पद्धति

10192. **श्री एन० सुन्दराजर** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाएं घोषित किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ख) किसी भाषा के शास्त्रीय भाषण के रूप में चयन के लिए किस मानदण्ड का अनुसरण किया जाता है; और

(ग) शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन के लिए सरकार क्या सहायता देती है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया है और न किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा चुनने को कोई मानदण्ड निर्धारित किया है, तथापि भारत सरकार संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा के विकास तथा प्रसार के लिए कई योजनाएं चला रही है क्योंकि इन भाषाओं में अध्ययनरत कई संगठनों से वित्तीय सहायता की मांग की गई थी।

(ग) भारत सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरार शास्त्रीय भाषाओं के की प्रगति के लिए किए गए खर्च की राशि का वर्षवार विवरण इस प्रकार है :

1980-81	2.10 करोड़ रुपए
1981-82	2.46 करोड़ रुपए
1982-83	2.78 करोड़ रुपए

सी० जी० एच० एस० में यूनानी फिजीशियन के पद के लिए विज्ञापन

10193. **श्री राम प्रसाद आहिरवार : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यू० पी० एस० सी० ने सी० जी० एच० एस० में यूनानी फिजिशियनों के पदों के लिए 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1982 की अवधि के दौरान कितनी बार विज्ञापन दिए;

(ख) प्रत्येक बार कुल कितने पद विज्ञापित किए गए;

(ग) प्रत्येक बार आवश्यक अर्हताएं पूरी करने वाले कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(घ) प्रत्येक बार-परीक्षा/साक्षात्कार के लिए कितने अभ्यर्थी बुलाए और कितने अभ्यर्थी अर्ह घोषित किए गए;

(ङ) क्या यह सच है कि अर्ह व्यक्तियों को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है और यदि हां, तो ऐसे अभ्यर्थी कितने हैं; और

(च) सरकार का विचार उनको रोजगार कब तक प्रदान करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (च) :

यूनानी चिकित्सकों के तीन पदों के लिए आयोग ने 4.7.81 को विज्ञापन दिया था और 37 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। 12 उम्मीदवार जिन्हें योग्य और उपयुक्त समझा गया साक्षात्कार के लिए बुलाए गए थे जिनमें से नियुक्ति के लिए दो उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। दोनों ने कार्यभार सम्भाल लिया है।

अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित यूनानी चिकित्सकों के एक पद के लिए आयोग ने 24.7.82 को विज्ञापन दिया था। 18.9.82 को इसे दुबारा विज्ञापित किया गया लेकिन आयोग को कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

रेलवे ट्रांसिपमेंट मजदूरों का शानदार संघर्ष शीर्षक से समाचार

10194. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अप्रैल, 1983 के "जनयुग, में पृष्ठ 4 पर "रेलवे ट्रांसिपमेंट मजदूरों का शानदार संघर्ष" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें गढ़हरा (पूर्वोत्तर रेलवे) में रेल प्रशासन द्वारा ट्रांसिपमेंट मजदूरों की अवहेलना, उनकी सेवा को नियमित व स्थायी नहीं करने आदि को लेकर चलाई जा रही अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल और तत्सम्बन्धी विषयों का उल्लेख है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में किन्हीं ठोस उपायों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ए) पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे एवं मध्य रेलवे में कितने ट्रांसिपमेंट मजदूर 31 मार्च, 19 3 को पृथक-पृथक रूप से, कार्यरत थे और कितने की अस्थायी, और

(घ) इन मजदूरों की सेवा को स्थायी करने एवं नियमित करने सम्बन्धी सरकारी नियम क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) इन कामगारों की सेवाएं नियमित करना उनके समाहन के लिए रिक्तियों की उपलब्धता पर आधारित है और पूर्वोत्तर रेलवे इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही कर रही है । इन कामगारो का पहले से ही अस्थायी ओहदा है और इन्हें वेतन का टाइम स्केल स्वीकृत किया गया है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) इन कामगारों को उनकी वरीयता के अनुसार नियमित और स्थायी रिक्तियां उपलब्ध होने पर नियमित और स्थायी किया जाता है ।

विवरण

रेलवे	ट्रांशिपमेंट श्रमिकों की स्थिति		
पूर्व रेलवे	माल सम्हलाई ठेके में अन्य कार्य के साथ यानांतरण कार्य शामिल है। श्रमिक ठेकेदार के नियन्त्रण में कार्य करते हैं और ये रेल कर्मचारी नहीं होते हैं ।		
मध्य रेलवे		स्थायी कामगार	अस्थायी कामगार
	बम्बई मण्डल	59	कुछ नहीं
	भुसावल मण्डल	32	73
	शोलापुर	61	28
	नागपुर	156	—
	जबलपुर	62	71
	झांसी	284	35
उत्तर रेलवे	सम्हलाई ठेकेदार सहकारिता समितियों द्वारा नियुक्त किए गए श्रमिकों द्वारा यानांतरण कार्य किया जाता है ।		

पूर्वोत्तर रेलवे		स्थायी कामगार	अस्थायी कामगार
	इज्जत नगर मण्डल	7	कुछ नहीं
	लखनऊ मण्डल	57	20
	वाराणसी मण्डल	22	4
	समस्तीपुर मन्डल	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	सोनपुर	कुछ नहीं	1041

केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में छात्रों की संख्या

10195. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे अथवा सहायता प्रदत्त आवासीय तथा गैर-आवासीय प्राइमरी, सेकेन्डरी, हायर सेकेन्डरी और उच्च शिक्षा सन्स्थानों के राज्यवार नाम क्या हैं और उनको छात्रों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ख) इन संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या कितनी है और उनको उपलब्ध रियायतों और सुविधाओं का क्या ब्यौरा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त पृथक-पृथक स्कूलों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना मन्त्रालय में नहीं रखी जाती है । इस प्रकार की सूचना एकत्र करने में लिए गए समय और श्रम, प्राप्त किए जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे ।

अन्तर्देशीय तथा विदेशी पर्यटकों को सुविधायें प्रदान करने के लिए विशेष समेकित व्यवस्थायें

10196. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अन्तर्देशीय पर्यटकों, अवकाश यात्रा रियायत के लाभान्वितों, विदेशी 'ट्रेकरों' और अन्य लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न विशेष समेकित व्यवस्थाएं तैयार की हैं ;

(ख) क्या अधिकतर पर्यटक तथा यात्री रेल सेवा के विद्यमान न होने तथा अनुपलब्धता के कारण बेईमान गैर-सरकारी ट्रांसपोर्टरों के शिकार हो जाते हैं ;

(ग) क्या रेलवे का विचार सरकार तथा गैर-सरकारी कर्मचारी और यात्री प्रतिनिधि

निकायों से परामर्श करके अधिक राजस्व कमाने तथा भारतीय एवं विदेशी यात्रियों को अधिक खुश रखने के लिए समेकित व्यवस्था की सुविधाएं तैनात करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) विदेशी और देशी पर्यटकों के लिए पूर्ण रूप से पैकेज टूरों की पेशकश करने हेतु पर्यटन मन्त्रालय के साथ विचार-विमर्श करके एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार विशेष पर्यटन गाड़ियां चलाई जा रही हैं। इन गाड़ियों में राजस्थान में चलाई जाने वाली पहियों पर राजमहल और पूर्वी क्षेत्र में चलाई जाने वाली ग्रेट इण्डियन रोवर गाड़ियां शामिल हैं। पर्यटकों के लिए सर्कुलर टूर टिकटों की सुविधा की उपलब्ध कराई गयी है। एल० टी० सी० का लाभ उठाने वालों के लिए कोई विशेष पैकेज टूर शुरू नहीं किए गए हैं। सरकार को, रेल सेवाएं मौजूद और उपलब्ध न होने के कारण पर्यटकों और यात्रियों के गुप्त प्राइवेट ट्रांस्पोर्टरों के चंगुल के फंसने की किसी घटना की जानकारी नहीं है। पहियों पर राजमहल नामक पर्यटन गाड़ी में 102 पर्यटकों के लिए स्थान है और यह 7 दिवसीय मार्ग सूची पर दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-जैसलमेर-जोधपुर-भरतपुर-आगरा-दिल्ली की सैर कराती है। ग्रेट इण्डियन रोवर पर्यटक गाड़ी में 126 पर्यटकों के लिए वातानुकूलित सवारी डिब्बे होंगे और यह गाड़ी 5 रात की मार्ग सूची में हवड़ा-गया-वाराणासी-गोरखपुर-हवड़ा की सैर करायेंगी। पहियों पर राजमहल के मामले में, गाड़ी में बैठने पर सभी सेवाएं और सड़क परिवहन की सभी व्यवस्थाएं राजस्थान पर्यटन और विकास निगम द्वारा ग्रेट इण्डियन रोवर के मामले में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा की जाती हैं।

आधुनिक रेल मार्ग की अनुमति और निर्धारित गतियों डीजल और विद्युत इंजनों के डिजाइनों में परिवर्तन

10197. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या आधुनिक रेल मार्ग की अनुमत और निर्धारित गतियों, डीजल और विद्युत इंजनों, आधुनिक यानों और रोलर-बियरिंग बाक्स बैगनों के डिजाइनों में कुछ परिवर्तत किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान यात्री गाड़ियों की औसत वास्तविक गतियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार उनके कार्यकरण से संतुष्ट है ; और

(घ) कम गतियों के कारण रोलिंग स्टाक तथा रेल मार्ग का अपूर्ण-उपयोग कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेल पथ के ढांचे और चल स्टाक

का दर्जा बढ़ाये जाने पर गाड़ियों की स्वीकृत और निर्धारित रफ्तार में परिवर्तन तो होते ही हैं।

रेलवे लाइन के किसी भी खण्ड पर अधिकतम अनुमेय रफ्तार रेल पथ के ढांचे (उदाहरणार्थ पटरी खण्ड, स्लीपर घनत्व, मिट्टी की गद्दी, संरचन की किस्म और उनकी हालत), ग्रेड, मोडों, पुलों की मजबूती सिगनल व्यवस्था के स्तर आदि को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत की जाती है। यह उसी न खंड पर भिन्न-भिन्न प्रकार के चल स्टाक के लिए भी भिन्न-भिन्न होती है। अतएव, अधिकतम अनुमेय रफ्तार एक खंड से दूसरे खंड पर और भिन्न-भिन्न प्रकार के चलस्टाक के लिए अलग-अलग होती है और यह रेलवे की संचालन समय सारणियों में उल्लिखित होती है। निर्धारित रफ्तार अधिकतम अनुमेय रफ्तार से थोड़ी-सी (5 प्रतिशत—10 प्रतिशत) कम होती है।

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान हाल्टों सहित सकल औसत रफ्तार (किलोमीटर/प्रति घंटा) निम्नलिखित है—

गाड़ी की किस्म	बड़ी लाइन		मीटर लाइन	
	1980-81	1981-82	1980-81	1981-82
बिजली गाड़ी	33.9	32.5	32.0	31.3
मेल/एक्सप्रेस	47.7	47.2	35.2	35.9
सवारी	26.7	24.3	24.3	24.4
मिश्रित गाड़ियां	25.4	24.8	18.0	18.6

(ग) और (घ) उपलब्ध संसाधनों की तंगी के अन्तर्गत सरकार गाड़ियों की रफ्तार में सुधार लाने और चल स्टाक के उपयोग के प्रति निरन्तर कार्यशील है। माल यातायात के संचलन के लिए चल स्टाक की उपयोगिता में सुधार के लिए विगत दो वर्षों में भाड़ा परिचालन में कुछ नये प्रबंधकीय परिवर्तन किए गए। किए गए नये परिवर्तनों में रोलर बियरिंग और पीतल बियरिंग वाले माल डिब्बों को अलग करने सेन्टर बफर कपलर और पारम्परिक किस्म के माल डिब्बों की कपलर असमानता दूर करने और उन्हें ब्लाक गाड़ी के रूप में बनाये जाने के लिए अलग-अलग करने के लिए किए गए उपाय, छतदार माल डिब्बों के जम्बो रेक और फ्लैट बी० आर० एच० किस्म के माल डिब्बों के शेरपा रेक, जो कि लंबी दूरी के लिए उच्चतर औसत रफ्तार पर वस्तुओं की थोक ढुलाई के लिए उच्चतर आय भार यूनिट गाड़ियां होती हैं, बनाये जाने, सीधी माल गाड़ियों का छोर से छोर तक चालन, माल गाड़ियों के भार वहन का अधिकतम उपयोग, गतायू माल डिब्बों और इंजनों, जिनकी मरम्मत अलाभकारी है, की आयु एवं हालत के आधार पर पहचान करने और उन्हें नाकारा घोषित करने, रेल पथ का अधिक से अधिक डीजलीकरण/विद्युतीकरण किया जाना, निकट परिपथ रेकों को चलाया जाना, 'बीओएक्स' 'एन' माल

डिब्बे आदि जैसे उच्च क्षमता उच्च रफ्तार वाले माल डिब्बों के विकास जैसे उपाय शामिल हैं।

मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की रेक संरचना को, अन्तर्परिवर्तनशीलता की सुविधा और उपयोगिता में सुधार के लिए, स्तर के अनुसार बनाता जा रहा है।

भारत नेपाल सीमा

10198. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री बी० वी० देसाई : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल संयुक्त सीमा दलों ने सीमा-बुर्जियों के निर्माण और मरम्मत के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब शुरू होगा।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) लापता और क्षतिग्रस्त सीमा स्तम्भों के सत्यापन एवं मरम्मत से संबद्ध कार्य का निरीक्षण एवं समन्वय करने के 1981 में भारत-नेपाल संयुक्त तकनीकी स्तर सीमा समिति की स्थापना के अनुसार पांच क्षेत्र दलों ने जून, 1982 में काम करना शुरू कर दिया। इन दलों को अपना कार्य शीघ्र पूरा करना है। उसके बाद सीमा स्तम्भो का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

रेलगाड़ियों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए सोचे गए कदम

10199. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में प्रधान मन्त्री ने रेल गाड़ियों में सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो रेल गाड़ियों में बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या ठोस कदम सोचे गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) गाड़ियों में बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं :

(1) यात्री गाड़ियों के साथ न केवल रात्रि के दौरान बल्कि दिन के समय भी मार्ग रक्षी-भेजने के कार्य को करने के आदेश दिए गए हैं।

(2) सभी रेलों के महा प्रबन्धकों और मुख्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे राज्य सरकारों/पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट समन्वय बनाये रखें और

यह सुनिश्चित करें कि यात्री गाड़ियों में एतिहाती उपायों को मजबूत बना दिया गया है और गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम के सभी प्रकार के उपाय कर लिए गए हैं।

(3) मैंने हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है और उनसे अनुरोध किया है कि वे अपने यहां कानून लागू करने और अपराधों की छानबीन करने वाली एजेंसियों को निदेश दें कि रेल यात्रियों की सुरक्षित और निरापद यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रभावी और निवारक उपाय करें।

(4) गृह मन्त्री से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी एजेंसियों और विशेषज्ञों द्वारा रेल यात्रियों की सुरक्षा से सम्बन्धित ससस्या की गहराई से जांच करायें ताकि रेलों पर यात्रियों को सुरक्षित और निरापद यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर उपाय अपनाये जा सकें।

(5) राजकीय रेलवे पुलिस की लागत की 50:50 के आधार पर भागीदारी करने के लिए रेलवे सहमत हो गयी है, राज्य सरकार से राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव देने का अनुरोध किया गया है।अभी तक रेलों द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस के कार्मिकों की संख्या में 7,000 से अधिक की वृद्धि के लिए रेलवे ने पहले से ही अपनी स्वीकृति दे दी है।

(6) अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन से यात्री डिब्बों की सुरक्षा में सुधार लाने की संभावना की जांच करने के लिए कहा गया है।

पश्चिम बंगाल में मालदा में अधिकारियों/गैर अधिकारियों की बैठकें

10200. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1982 से 13 जनवरी, 1983 तक की अवधि के दौरान मालदा में रेलवे अधिकारियों और गैर अधिकारियों की कितनी बैठकें हुई ; और

(ख) रेलवे बोर्ड के कितने अधिकारियों ने इन बैठकों में भाग लिया और इस प्रकार की बैठकों के लिए उन्होंने कितने दिन बिताए और उनके दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ते आदि पर कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) छः।

(ख) रेलवे बोर्ड के 4 अधिकारियों ने इनमें से कुछ बैठकों में भाग लिया और प्रत्येक अधिकारी ने औसतन 2 दिन व्यतीत किए तथा उनके द्वारा दैनिक भत्ते के रूप में कुल 344.25 रुपए की धनराशि का दावा किया गया।

परिवहन कर्मचारियों की मांगों के कारण राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के चलने में लगातार व्यवधान

10201. **श्री गुलाम मोहम्मद खान** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों द्वारा चलाई जाने वाली बसों से चलने में देश भर में, बेहतर वेतनमानों, कार्य स्थितियों की मांग करते हुए कर्मचारियों की मांगों के कारण लगातार व्यवधान हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप यात्री असहाय हो गए हैं और उनके पास अन्य कोई स्रोत नहीं है ;

(ख) क्या उन घटनाओं की संख्या के बारे में कोई जानकारी इकट्ठी की गई थी जिनमें कि विभिन्न राज्यों में सड़क परिवहन कर्मचारियों ने अपनी माँगों पर जोर देने के लिए काम बंद करने बड़े पैमाने पर नैमित्तिक अवकाश लेने और अन्य साधनों का सहारा लिया जिसके परिणाम, स्वरूप राज्यों को राजस्व की हानि हुई और यात्रियों का समय तथा शक्ति बर्बाद हुए ; और

(ग) क्या इस समस्या का स्थायी हल को ढूंढ़ने के लिए केन्द्र स्तर पर एक स्थायी तंत्र तैयार करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राज्य परिवहन उपक्रमों के कर्मचारी जब कभी हड़ताल करते हैं या काम करना बन्द कर देते हैं तो बस सेवा अस्त-व्यस्त हो जाती हैं । परन्तु जहां तक संभव होता है, संबंधित अधिकारी यात्रियों के आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने वाली स्वैच्छिक एजेंसियां

10202. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या शिक्षा संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने वाली उन सरकारी एजेंसियों, स्वैच्छिक एजेंसियों और स्थानीय निकायों के राज्य-वार नाम तथा उनकी संख्या क्या है जिन्हें अनुदान दिया गया है ;

(ख) क्या उक्त धनराशि को सरकारी एजेंसियां स्वैच्छिक एजेंसियां और स्थायी निकायों के माध्यम से, वास्तव में पृथक-पृथक खर्च किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उन राज्यों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तव में यह धनराशि खर्च नहीं की गई है और बिना खर्च किए रह गई है ; और

(घ) प्रत्येक सरकारी एजेंसी, स्वैच्छिक एजेंसी और स्थानीय निकाय को किस तरीके से धनराशि मंजूर की जाती है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के आयोजर के लिए अनुदान दिए जाते हैं :—

(1) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं ।

(2) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सस्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना ।

(3) नेहरू युवक केन्द्र ।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वावधान में विश्वविद्यालयों और कालेजों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा और विस्तार कार्यक्रमों की योजना ।

सरकारी एजेंसियों, स्वैच्छिक एजेंसियों, स्थानीय निकाय जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए अनुदान दिए गए थे उनकी संख्या और उनके नामों के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

(ख) से (घ) प्रत्येक सरकारी एजेंसी, स्वैच्छिक एजेंसी और स्थानीय निकाय इत्यादि को संस्वीकृत की गई राशि और पद्धति जिसमें यह राशि संस्वीकृत की जा रही है से सम्बन्धित ब्यौरे नीचे दिए गये हैं—

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना

इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को अनुदान, मन्त्रालय द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या अर्थात परियोजनाओं की संख्या/वर्ष के दौरान शामिल की जाने वाली सम्भावित संख्या को ध्यान में रखकर संस्वीकृत किए जाते हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान 28 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की संस्वीकृत की गई राशि निम्नलिखित है —

1980-81	1981-82	1982-83
रु०	रु०	रु०
534,30,108/-	803,20,208/-	1269,17,536/-
		147,59,555/- (उत्तर साक्षरता)

जहां किसी विशिष्ट वर्ष में खर्च न की गई शेष राशि हो तो उसे अनुवर्ती वर्ष में खर्च करने की अनुमिति दी गई है।

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता की योजना

केन्द्र के अन्तर्गत, 'प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना, 'प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की परियोजनाओं, उत्तर साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्य आदि को शुरू करने के लिए स्वैच्छिक सोसायटियों को अनुदान दिए जाते हैं। परियोजना के आधार पर क्षेत्र कार्यक्रमों को शुरू करने के लिये प्रशासनिक लागत 75 प्रतिशत की दर पर तथा कार्यक्रम लागत का 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का पुनरीक्षण होने तक योजना के कार्यान्वयन को अप्रैल, 1980 में बन्द कर दिया गया था। वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए किसी भी स्वैच्छिक एजेंसी को कोई अनुदान संस्वीकृत नहीं किया गया है। नए 20 सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अप्रैल' 1982 में योजना को पुनः लागू किया गया है। वर्ष 1982-83 के दौरान नई परियोजनाओं के लिये स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान जारी किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशि संस्वीकृत की गई है :—

वर्ष	लाख रुपये
1980-81	78.88
1981-82	39.64
1982-83	71.05 (अनन्तिम)

नेहरू युवक केन्द्र

नेहरू युवक केन्द्र जो खेल विभाग के अधीनस्थ कार्यालय हैं, राष्ट्रीय सेवाकर्मी योजना के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं। वर्ष 1978-79 से तथा उससे आगे चेतना संघ/प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा संचालन के लिए नेहरू युवक केन्द्रों को दो अथवा अधिक राष्ट्रीय सेवाकर्मी प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक केन्द्र को प्रतिवर्ष 13:0/-रु० संस्वीकृत किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित व्यय किया गया है :—

वर्ष	संस्वीकृत राशि (लाख रुपये)	धन प्रदान किए जाने वाले ने० यू० के०
1980-81	58.49	139
1981-82	50.00	169
1982-83	37.97	152

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा तथा विस्तार कार्यक्रम की योजना

वर्ष 1978-79 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रौढ़ शिक्षा तथा विस्तार कार्यक्रम योजना को लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वित्तीय सहायता दे रहा है। योजना के अंतर्गत 8790 केन्द्रों को आयोजित करने के लिए 68 विश्वविद्यालयों तथा 705 कालेजों को शामिल किया गया है।

इन विश्वविद्यालयों/कालेजों को निम्नलिखित अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं :—

1980-81	1981-82	1982-83
रु०	रु०	रु०
विश्वविद्यालय		
14,52,9 16.00	22,85,410.18	24,16,200.00 (अनन्तिम)
कालेज		
31,41,463.00	38,59 ,742.75	30,06,485.03 (अनन्तिम)

प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मानद पास

10203. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा अथवा रेल प्रशासन के द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम मानद पास या चैक पास जारी किए जाते हैं ताकि वे रेलगाड़ियों की विभिन्न श्रेणियों में यात्रा कर सकें;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पास जारी करने लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है; और

(ग) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान में पास जारी किए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) गैर-रेल कर्मचारी/संगठनों को जारी किए गए सभी मानार्थ कार्ड पास 13.8.1981 से रद्द कर दिए गये हैं। ये पास रेल मन्त्री के व्यक्तिगत अनुमोदन से जारी किए गए थे। अब मानार्थ कार्ड पास जारी करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। आज की तारीख में 12 मानर्थ कार्ड पास चालू हैं। विशिष्ट यात्राओं के लिए मानार्थ चैक पास रेल मन्त्री/रेलवे राज्य मन्त्री/रेल उप मन्त्री तथा बोर्ड के सदस्यों के व्यक्तिगत अनुमोदन से जारी किये जाते हैं।

(ख) मानार्थ कार्ड पास स्पष्ट मार्गनिदेशों के आधार पर अर्थात् सामाजिक, सांस्कृति तथा

वैज्ञानिक गतिविधियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के कल्याण में लगे अखिल भारतीय स्तर के संस्थानों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं। मानदंड चैक पास प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर जारी किये जाते हैं।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

काश्मीर की समस्या के समाधान के लिए
काश्मीर नेताओं के बीच बातचीत

10204. **श्री चिन्ता महाटा :**

श्री ब्रज मोहन महन्ती : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाक अधिकृत कश्मीर के राजनैतिक नेताओं ने, काश्मीर समस्या के संभावित समाधान के लिए, जम्मू और काश्मीर के नेताओं को अपने संपर्कों से बातचीत करने हेतु पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में बुलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) सरकार ने अखबार में इस आशय की खबरें देखी हैं।

कश्मीर के बारे में सरकार की नीति सुविदित है और संसद में तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों में साफ-साफ शब्दों में बताई जा चुकी है। न्यायिक और संवैधानिक रूप से जम्मू एवं काश्मीर का संपूर्ण क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। सरकार की नीति यह है कि भारत के जम्मू एवं काश्मीर राज्य के एक भाग पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे से उत्पादन मसले को शिमला समझौते के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा निपटाया जाए।

वर्गीकृत रोग

10205. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्गीकृत रोग अर्थात् (एक) टायफाइड (दो) इफेक्टिव हेपारिटिस (तीन) डाइसेंटरी और (चार) गैस्ट्रो इन्टरीटिस, की अखिल भारतीय प्रति 1000 जनसंख्या की औसत की तुलना में प्रत्येक रोग की मतली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक रोग संबंधी प्रति 1000 औसत क्या है ;

(ख) क्या बहुत सी सर्वेक्षण रिपोर्टों और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है कि इन वर्गीकृत रोगों के मामले बहुत अधिक होने का कारण समाज कल्याण और धर्मार्थ संगठनों

गैर-सरकारी डाक्टरों को सूचीबद्ध न करना, देख-रेख एजेंसियों की अभाव और अनुवर्ती कार्य-वाही में निष्क्रियता बरतना हैं ; और

(ग) इन राज्यों में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों बढ़ाकर इन रोगों के मामलों की औसत कम करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिन किदवई) : (क) से (ग) दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रति एक हजार जन संख्या के पीछे टायपगयड, संक्रामक यकृत शोथ, पेचिस और जठरान्त्रशोथ के सूचित मामलों और इन रोगों की अखिल भारतीय औसत का कार्य संलग्न विवरण में दिया गया है। इन आंकड़ों की कवरेज अधूरी है इसलिए उनकी तुलना नहीं की जा सकती।

विभिन्न जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संबंध में सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ निकट संपर्क बनाये रखती है और समय-समय पर उनके द्वारा दी जाने वाली सलाह को ध्यान में रखती है।

मूलतया ये जलज रोग हैं। सरकार इन पर काबू पाने के लिए उन इलाकों में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था करने को प्राथमिकता दे रही है जिनमें ये रोग समस्या बने हुए हैं। आम सफाई को बेहतर बनाने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

सामान्य स्थिति ही नहीं वस्त्र इन रोगों के फैल जाने पर बरते जाने वाले आवश्यक उपायों के बारे में भी लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। इन रोगों के फैलने पर राहत कार्यों में आम जनता, स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय निकायों, जन-नेताओं और प्राइवेट चिकित्सकों का सहयोग भी लिया जाता है। स्वास्थ्य प्राधिकरण इन रोगों के संबंध में सतर्कता बरतते हैं और इनसे बचने और इनका इलाज करने के उपाय तत्परता से करते हैं जिनमें टीके लगाने, विसंक्रमण, औषधियों और ओरल-रिहाइड्रेशन नमक आदि की सप्लाई शामिल है।

विवरण

वर्ष 1981 में प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे रोगियों की सूचित संख्या

राज्य का नाम	रोग का नाम			
	टायफायड	संक्रामक यकृतशोथ	पेचिस	जठरान्त्रशोथ
दिल्ली	0.98	0.63	30.54	5.78
मध्य प्रदेश	1.66	0.43	20.53	0.21
हिमाचल प्रदेश	3.14	1.29	83.11	16.50
पंजाब	0.33	0.17	8.41	10.08

उत्तर प्रदेश	0.41	0.06	4.59	00.3
अखिल भारत	0.49	024	12.02	14.1

नोट :—

1. इन आंकड़ों की कवरेज अधूरी है इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती ।
2. बिहार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

राजस्थान में राजपुरा-दडीबा जस्ता खानों के श्रमिकों के लिए विशेष रेल सेवा

10206. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग राजस्थान में हिन्दुस्तान जिंक द्वारा संचालित राजपुरा दडीबा जस्ता खानों के श्रमिकों के लिए विशेष रेल गाड़ी चलाने पर विचार करेगी क्योंकि सस्ता परिवहन उपलब्ध न होने के कारण इन श्रमिकों पर भारी बोझ पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता

10207. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1960 से 1970 की अवधि में सफल रहा था, यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या बातें जिम्मेदार थी ;

(क) क्या यह कार्यक्रम 1970 के बाद सफल नहीं रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या मलेरिया कार्यक्रम दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के किसी भाग में सफल रहा है । और

(घ) इस कार्यक्रम को भारत में शत-प्रतिशत सफलता कब प्राप्त होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के सफल कार्यान्वियन से मलेरिया के रोगियों की संख्या जो देश की आजादी के समय अनुमानतः लागत 750 लाख थी, 1965 में घट कर केवल 1 लाख रह गई और मलेरिया से हर वर्ष जो अनुमानतः लगभग 8 लाख मौतें होती

थीं, उन्हें खत्म कर दिया गया। यह उपलब्धि ग्रामीण इलाकों में कीटनाशी दवाईयों के छिड़काव से वैक्टर वाहक मच्छरों पर प्रभावकारी ढंग से काबू पाकर और शहरी इलाकों में लार्वनाशी उपाय करके तथा ज्वर वाले सभी रोगियों का संभाव्यात्मक इलाज और मलेरिया परजीवी की चपेट में आये सभी रोगियों का मलेरियारोधी दवाइयों से मूल उपचार करके संक्रमण का नाश कर मिली थी।

(ख) विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी आपरेशनल कारणों से 1966 से मलेरिया के रोगियों की संख्या पुनः धीरे-धीरे बढने लगी और 1976 में देश में मलेरिया रोगियों की संख्या 64.6 लाख तक की पहुंच गई।

(ग) शुरू में दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में भी मलेरिया रोधी कार्यक्रम को सातवें दशक के अन्त तक आरम्भिक सफलता मिली थी। लेकिन इन देशों को भी वैक्टर तथा औषधियों के निष्प्रभावी हो जाने की इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा जिससे मलेरिया रोगियों की संख्या में वृद्धि हो गई।

(घ)पहली, 1977 से देश में संशोधित कार्ययोजना शुरू की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन शुरू होने के बाद मलेरिया रोगियों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। 1982 में 21 लाख व्यक्तियों के मलेरिया की चपेट में आने की सूचना मिली है, जबकि 1976 में 64 लाख व्यक्ति मलेरिया ग्रस्त हुए थे। सन 2000 ईसवीं तक मलेरिया रोगियों की संख्या को निम्नतम स्तर तक ले आने का लक्ष्य रखा गया है।

शिशु मृत्यु रद

10208. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री बापू साहिब परुलेकर :

श्री भीम सिंह :

श्री के० मालन्ना : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1979, 1980 और 1981 में ग्रामीण एवं शहरों क्षेत्रों में मरने वाले शिशुओं की वर्षबार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन वर्षों के दौरान शिशु मृत्यु दर कम हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीतन पद्धति से प्राप्त सूचना के अनुसार पीछे के तीन वर्षों में, जिनके बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं, देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिशुओं की मौतों के अनुमान इस प्रकार हैं :—

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	योग
1976	19,61,467	2,32,375	21,93,842
1977	19,37,286	2,28,257	21,65,543
1978	19,11,071	2,04,729	21,15,800

1979, 1980 और 1981 की अनुमानित शिशु मृत्यु दरें अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) 1976-1978 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दरें इस प्रकार हैं ।

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	योग
1976	139	80	129
1977	140	81	130
1978	137	74	127

यह देखा गया है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पिछले वर्ष के मुकाबले 1978 में शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है ।

विशाखापत्तनम निगम को सम्पत्ति कर की बकाया राशि की अदायगी न किया जाना

10209. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम निगम के महापौर ने धमकी दी है कि यदि रेलवे की ओर बकाया सम्पतिकर की 88 लाख रुपए की धनराशि की अदायगी अप्रैल, 1983 के अंत तक नहीं की गई तो वाल्टेयर में दक्षिण पूर्वी रेलवे को दी जाने वाली 1 लाख गेलन पानी की सप्लाई काट दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या कर की इतनी बड़ी धनराशि की अदायगी न करने के लिए जिम्मेदार रेलवे प्राधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) वाल्तेरु के मंडल रेल प्राधिकरियों को पानी की सप्लाई काटने के बारे में कोई अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं।

31-3-1981 तक का सम्पति कर विशाखापत्तन म्युनिसिपल कार्पोरेशन को अदा कर दिया गया है । विशाखापत्तनम म्युनिसिपल कारपोरेशन ने 1974-75 से आगे 10,575,08,80 रुपये

की वार्षिक दर से 'सेवा प्रभार' मांगें हैं। नियमों के अन्तर्गत देय सेवा प्रभारों की मात्रा का निर्धारण रेलवे द्वारा उपयोग की गयी सेवा की किस्म के संदर्भ में करना होगा, जैसे :—

(1) क्या रेलवे कालोनियां आत्मनिर्भर हैं और वे किसी सेवा का लाभ नहीं उठाती हैं;

(2) क्या रेलवे कालोनियां केवल आंशिक सेवाओं का लाभ उठाती हैं; और

(3) क्या सभी सेवाओं का लाभ उठाया जाता है।

सचिव, हाउसिंग म्यूनिसिपल प्रशासन तथा शहरी विकास विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद और म्यूनिसिपल कारपोरेशन विशाखापत्तनम से अनुरोध किया गया था कि बन्होंने हर रेलवे इमारत के बारे में जो सेवा प्रभार मांगें हैं उनका ब्यौरे-वार हिसाब अन्य बातों के साथ-साथ भेजें। चूंकि यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मंडल रेल प्रबन्धक, वाल्वेरु ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन के मेयर से उसे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। यदि उसके बाद प्रभार देय पाए गए तो इनके भूमिगत के बारे में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इसी दौरान, म्यूनिसिपल कारपोरेशन के मेयर ने आन्ध्र प्रदेश सरकार, रेलवे और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के प्रतिनिधियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाये जाने का सुझाव दिया है। दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक से कहा गया है कि शीघ्र ही ऐसी बैठक का आयोजन किया जाय।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

छपरा जंक्शन पर दुकानों का आबंटन

10210. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरिजनों, पिछड़े वर्गों के लोगों और भूतपूर्व सैनिकों को लाभ पहुचाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे में छपरा जंकशन पर उन्हें दुकानें आबंटित की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : जी हां। छपरा जंकशन पर इस समय कुल 30 दुकानें लाइसेंस पर दी हुई हैं। इनमें से 3 दुकानें अनुसूचित जातियों और 10 दुकानें पिछड़े वर्गों के लोगों को लाइसेन्स पर दी गई हैं। भूतपूर्व सैनिकों को कोई दुकान लाइसेन्स पर नहीं दी गई है।

हल्दिया-इलाहाबाद नेशनल इंलैंड वाटर वेज का विकास और रखरखाव

10211. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **नौवहन** और **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने "हाल्दिया-इलाहाबाद नेशनल इंलैंड वाटरवेज" के विकास और रख-रखाव के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं ; और

(ख) इसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) इस जलमार्ग पर इलाहाबाद और हाल्दिया के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन को प्रस्तावित सर्विस के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो गया है। इस अध्ययन में सिर्फ कार्गो की उपलब्धता का ही बल्कि जलमार्ग पर अन्तर्देशीय जल परिवहन टर्मिन और अनुरक्षण आवश्यकताओं का पता भी लगाया गया है। फरक्का और हल्दिया के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रचलन के लिए टर्मिन और अन्य सुविधाएं लगाने के लिए 198.50 लाख रुपए की लागत से एक स्कीम की मंजूरी दी गई है। इलाहाबाद-फरक्का खंड के जलमार्ग पर भी ऐसी सुविधाएं लगाने का एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

कोचीन पत्तन में प्रदूषण

10212. **श्री एम० ए० लारेंस** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कोचीन पत्तन और संलग्न क्षेत्र में तेल बिखरने से प्रदूषण का भारी खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसकी रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) कोचीन पोर्ट और उसके आस-पास समुद्र में पानी पर तेल बिखरा हुआ नहीं है। जिससे तेल से प्रदूषण का खतरा उत्पन्न हो।

(ग) पत्तन सीमा में तेल टैंकरों और अन्य कार्गो जहाजों की गतिविधियों पर, जिसके कारण पत्तन की सीमा में तेल प्रदूषण हो सकता है, पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

कालेज अध्यापकों के वेतनमान में संशोधन

10213. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज टीचर्स यूनियन ने कालेज अध्यापकों के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान में सन्शोधन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्यमंत्री (श्रीमती शिला कौल) : (क) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापक अपने वेतनमानों में और संशोधन की मांग कर रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों पर विचार करने के लिए एक वेतन आयोग को नियुक्त करने के हाल ही के निर्णय के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्र सरकार को अभी मामले पर विचार करना है।

आय अर्जित करने के लिए क्रियाकलापों को संगठित करने के लिए सघन शैक्षिक पाठ्यक्रम

10214. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अपंग व्यक्तियों के लिए आय अर्जित करने के क्रियाकलापों को संगठित करने के लिए भारत सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) 18-30 वर्ष के आयुवर्ग में ऐसी उपयुक्त प्रौढ़ महिलाओं की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1982 में कम से कम सम्भावित समय में सघन शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया ; और

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार "महिलाएं और विकास" से सम्बन्धित एक अलग अध्याय शामिल किया गया है। महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय पैदा करने वाली गतिविधियों को संगठित करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता ;

(2) महिलाओं को गैर-व्यवसायिक धन्धों में प्रशिक्षण प्रदान करने और उसके बाद उनको रोजगार देना सुनिश्चित करने के लिए रोजगार और आय पैदा करने वाले प्रशिक्षण-व-रोजगार-एवं उत्पादन एककों की स्थापना के लिए सहायता।

(3) श्रमजीवी महिलाओं के बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्रों के साथ श्रमजीवी महिला होस्टलों की केन्द्रीय योजना ;

(4) समेकित बाल विकास सेवा खंडों में प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का एक सामाजिक—आर्थिक कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत यह निराश्रित, विधवा और विकलांग महिलाओं के लाभार्थ उत्पादन एककों, प्रशिक्षण-व-उत्पादन एककों, स्व-रोजगार एककों, डेयरी एककों की स्थापना के लिए स्वयंसेवी संगठनों वित्तीय सहायता देता है। इस कार्यक्रम में इन महिलाओं के कार्य और मजूरी के आधार पर रोजगार/स्व-रोजगार के अवसरों की व्यवस्था है।

ग्रामीण क्षेत्रों ने महिलाओं और बच्चों के विकास की योजना को विभिन्न राज्यों के 50 चुनिन्दा जिलों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के एक घटक के रूप में प्रौयोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

शिक्षा मन्त्रालय ने भी एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम योजना चलाई है ;

लघु उद्योग विकास संगठन महिलाओं, महिला समुदाय के कमजोर वर्गों, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए इन्टरप्रेनियोरशिप डेवलेपमेंट कोर्स आयोजित कर रहा है।

महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में एक योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग से महिलाओं के जीवन में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन में सुधार लाना है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए आय पैदा करने वाली गविविधियों के सम्बन्ध में निम्न-लिखित कदम उठाए गए :—

(1) केन्द्रीय सेवाओं में समूह "ग" और "घ" की सेवाओं/पदों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समतुल्य पदों, सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत का आरक्षण (दृष्टिहीन, बधिर और अस्थि विकलांगों में प्रत्येक के लिए एक एक प्रतिशत)

(2) संचार मन्त्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों पर टेली-फोन बूथ आवंटित किए जाते हैं।

(3) पेट्रोल पम्पों और कुकिंग गैर एजेंसियों के आवंटन के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण किया गया है।

(4) राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा दुकानें, कियोस्क प्रदान किए जाते हैं।

(5) वित्त मन्त्रालय में (बैंकिग विभा) ने एक ऐसी योजना चलाई है जिसके अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को बैंक द्वारा ब्याज की अवकलित दर योजना के अन्तर्गत ऋण दिए जाते हैं।

(6) सहायक यन्त्रों और उपकरणों को खरीदने/फिट करने के लिए विकलांग

व्यक्तियों की सहायता की योजना के अन्तर्गत सहायक यन्त्र और उपकरण ऐसे विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त दिए जाते हैं जिनकी अथवा जिनके माता-पिता की आय 750 रुपए से कम हो और जिनकी आय 750 और 1500 रुपए के बीच हो उनसे 50 प्रतिशत लागत ली जाती है। इन सहायक यन्त्रों और उपकरणों की लागत 25 और 1500 रुपए के बीच होनी चाहिए।

(ख) और (ग) 1982-83 के दौरान 20, 40,964 महिलाओं को शिक्षण के लिए दाखिल किया गया है उनके शिक्षण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिए गए। कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

कसौली में फलैग स्टेशन

10215. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा-बीना लाइन (पश्चिम रेलवे) के छबड़ा-कवाई स्टेशनों के बीच कसौली में एक फ्लेग स्टेशन खोलने के लिए जनप्रतिनिधियों, जनता और ग्रामीण क्षेत्रों से निरन्तर मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त फलेग स्टेशन अभी तक न खोले जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कोटा-बीना लाइन और बारा-कोटा लाइन पर तीन अन्य फलैग स्टेशन खोले गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या खोले गए उपर्युक्त फलैग स्टेशनों और कसौली में एक के खोले जाने में कोई अन्तर है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक खोला जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) सालपुरा और छावड़ा गोगर स्टेशनों के बीच कसौली ग्राम में एक हाल्ट खोले जाने के प्रस्ताव की जांच की गई थी लेकिन इसका औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि आस-पास के क्षेत्र की आबादी कम (800 से भी कम) थी और हाल्ट स्टेशन का बहुत ही कम यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने की संभावना थी।

(ग) और (घ) कोठा-बीना खंड पर तीन अर्थात चन्द्रेसाल, सुन्दलक और कल्याणपुरा खोले हैं क्योंकि उपर्युक्त स्टेशनों को खोलने का औचित्य पाया गया था। इसके विपरीत, केशेली में हाल्ट खोलने का औचित्य नहीं पाया गया था।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के माल कार्यालय में डकैती

10216. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 मार्च, 1983 के टेलीग्राफ, कलकत्ता में 'रुपीज 6 लाख लूटिड' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि हथियारबंद लोगों ने न्यू जलपाई गुड़ी रेलवे स्टेशन के माल कार्यालय से 6 लाख रुपए लूट लिए ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उसकी जांच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) 24-3-83 को लगभग 19.20 बजे न्यूजलपाईगुड़ी माल कार्यालय में जब मुख्य माल बाबू अपने कार्यालय में काम कर रहे थे तो उन्होंने माल कार्यालय के कमरे के बाहर बम विस्फोट की आवाज सुनी। विस्फोट के तुरन्त बाद एक सशस्त्र व्यक्ति माल कार्यालय में घुस गया और उसने मुख्य माल बाबू सहित ड्यूटी कर रहे सभी माल बाबूओं को धमकी दी कि वे अपनी सीटों से न हिलें। इस बीच दो और व्यक्ति कैश काउंटर में घुस गये और उनके प्रवेश के तुरन्त बाद कैश काउन्टर के भीतर तथा माल कार्यालय के बाहर बम विस्फोट हुआ। बदमाशों ने माल से हुई आमदनी की 5,97,346 रुपये की राशि छीन ली तथा बम, बन्दूकों और खकरी से तीन माल तथा एक पोर्टर को घायल करके भाग गये।

(ग) और (घ) राजकीय रेलवे पुलिस/न्यू जलपाईगुड़ी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395/397 के अधीन 24-3-83 को मामला संख्या 5 दर्ज कर लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अभी तक 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और चुराई गई 4,44,441 रुपये की राशि बरामद कर ली गई है। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है।

उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे गए विद्यार्थी

10217. **श्री हरीश रावत** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में विदेशों में उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी गई छात्रवृत्ति के आधार पर कितने छात्रों को भेजा गया तथा इन पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया हैं ;

(ख) विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए गए छात्रों में से कितने लोग वापस भारत आए हैं तथा कितने लोग विदेशों में ही कार्य करने लग गए ; और

(ग) क्या मंत्रालय छात्रवृत्ति के आधार पर विदेशों में अध्ययन हेतु जाने वाले छात्रों के साथ किए जाने वाली संविदा की शर्तों को और अधिक कठोर बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी ।

(ग) मंत्रालय की छात्रवृत्तियों पर उच्च अध्ययन के लिए विदेशों में भेजे गए छात्रों द्वारा हस्ताक्षरित संविदाओं की शर्तें काफी कठोर हैं ।

पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान

10218. **श्री अजय विश्वास** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विकास के लिए पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई ;

(ख) कुल आवंटित राशि में से पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के लिए अब तक कितनी राशि दी गई है ;

(ग) आवंटि राशि को देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कोई दल पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा भेजे जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां तो दल को भेजे जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कब तक दौरा करेगा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शेष राशि कब तक दे दी जाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छठी योजना अवधि के दौरान बर्दवान, कलकत्ता, जादवपुर, कल्याणी और उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालयों के सामान्य विकास के लिए 550.00 लाख रुपए का परिव्यय अन्तिम रूप से आवंटित किया था । रबीन्द्र भारती के विकास कार्यक्रमों को 1978-79 में स्वीकृत किया गया था और इसलिए उसके बाद कोई और सहायता देने की छठी योजना में संकल्पना नहीं की गई है । इस समय त्रिपुरा में कोई विश्वविद्यालय नहीं है । कलकत्ता विश्वविद्यालय के अगरतला स्थित स्नातकोत्तर केन्द्र को 40.00 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं । कालेजों को सहायता देने के लिए कोई विशिष्ट राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है । अलग-अलग कालेजों से प्राप्त प्रस्तावों पर मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार विचार किया जाता है । और उन्हें अनुदान संस्वीकृत किए जाते हैं ।

(ख) पश्चिमी बंगाल के छः विश्वविद्यालों को 159.03 लाख रुपए का कुल अनुदान मुक्त किया गया है। अगरतला स्थित स्नातकोत्तर केन्द्र को 4.50 लाख रुपये का अनुदान मुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के कालेजों को क्रमशः 22.18 लाख रु० और 0.49 लाख रु० मुक्त किए गए हैं।

(ग) विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा भेजी गई अनुमोदित योजनाओं पर खर्च की प्रगति सम्बन्धी रिपोर्टों के आधार पर अनुदान मुक्त किए जाते हैं। आयोग से देय अनुदानों को मुक्त करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) निरीक्षण समितियों ने पश्चिम बंगाल के सभी छः विश्वविद्यालयों और अगरतला स्थित स्नातकोत्तर केन्द्र का पहले ही दौरा कर लिया है। बर्दवान विश्वविद्यालय की रिपोर्ट को छोड़ कर, इन समितियों की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बर्दवान विश्वविद्यालय की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। आयोग द्वारा निरीक्षण समितियों की रिपोर्टों पर विचार किए जाने और उनका अनुमोदन किए जाने के बाद इन विश्वविद्यालयों को आगे अनुदान मुक्त किए जाएंगे।

निलम्बित/बर्खास्त रेलवे कर्मचारियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

10219. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले तीन वर्षों में रेलवे के निलम्बित/बर्खास्त कर्मचारियों के बारे में ब्योरा क्या है ;

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं ;

(ग) क्या निलम्बित/बर्खास्त कर्मचारियों का प्रतिशत कर्मचारियों की अनारक्षित श्रेणी की तुलना में आरक्षित श्रेणी में कहीं अधिक है ;

(घ) उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाएगी ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ङ) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मस्टर रौल/नैमित्तिक मजदूरों की सेवाओं को नियमित बनाना

10220. **श्री नगीना राय** :

श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (गृह मन्त्रालय) द्वारा उनके मन्त्रालय तथा उसके विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त मस्टर रौल/नैमित्तिक

मजदूरों की सेवाओं को नियमित किए जाने के सम्बन्ध में वर्षों 1979 में जारी किए गए कोई आदेश प्राप्त हुए थे;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय विभागों अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा इन आदेशों को अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें निकट भविष्य में कार्यान्वित करने के लिए उनके मन्त्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) रेलों पर कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश लागू नहीं होते । वे रेल मन्त्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अलग आदेशों से शासित होते हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत-इटली नौवहन सहयोग

10221. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और इटली ने नौवहन के क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावनाओं के साथ-साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच बातचीत के दौरान कोई निर्णय लिए गए थे और समझौता किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) नौवहन और परिवहन मन्त्रालय ने इटली सरकार के अधिकारियों के साथ नौवनह के बारे में अभी हाल ही में कोई बातचीत नहीं की है । परन्तु नवम्बर, 1982 में रोम में भारत इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग समिति की जो बैठक हुई थी उसमें इटली के अधिकारियों ने अन्य बातों के साथ मुगल लाईन लि० को बल्क कैरयर जहाज सप्लाई करने के बारे में अपनी उत्सुकता व्यक्त की थी ।

आदिवासी क्षेत्रों स्थित महाविद्यालयों को सहायता

10222. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय ने छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत महाविद्यालयों को सहायता देने की एक विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्रों में महाविद्यालयों के विकास हेतु सहायतार्थ; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनाई गई विशेष योजना के मानदण्ड क्या हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकास क्रियाकलापों के लिए कितने अनुदान दिए जाते हैं;

(ग) क्या मन्त्रालय ने योजना को राज्यों तथा आदिवासी क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों को सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कराने के लिए भेजा है;

(घ) छठी पयोजना के वार्षिक योजना के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राज्य-वार कितने प्रस्ताव भेजे गए और 1982-83 के दौरान कितनी सहायता दी गई तथा 1983-84 के लिए कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(ङ) विशेष योजनाओं के लिए छठी योजना में कितना धन निर्धारित किया गया है और विभिन्न महाविद्यालयों अथवा विशेष योजना की विभिन्न योजनाओं पर कितना धन खर्च किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के सम्बन्ध में कालेजों की सहायता करने के लिए एक उपयोजना बनाई है ।

(ख) आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, जो कालेज जन-जातीय क्षेत्रों में स्थित हैं तथा जन-जातीय छात्रों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं और जिनमें कम से कम 5 स्थायी शिक्षक हैं तथा कम से कम 100 छात्र है, जिनमें से कम से कम 35 छात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित होने चाहिए उन कालेजों के सम्बन्ध में छठी योजना में 4.00 लाख रुपए की सीमा तक की सहायता के लिए विचार किया जाएगा । जिन कालेजों में छात्र बड़ी संख्या से दाखिल हैं, उनके सम्बन्ध में सहायता के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि अ० जा०/अ० ज० जा० के छात्रों की संख्या कुल दाखिल छात्रों की संख्या के 20 प्रतिशत से कम न हो ।

(ग) छठी योजना के दौरान विकास सहायता सुलभ कराने के लिए कला, विज्ञान तथा बहु-संकाय कालेजों को सहायता प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और कालेजों को भेज दी गई है जिनमें उनसे अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है । इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं में जन-जातीय क्षेत्रों में कालेजों में विशेष प्रावधान भी शामिल है ।

(घ) और (ङ) आयोग ने छठी योजना में इस योजना के लिए 300.00 लाख रुपए का आवन्टन किया है । अब तक प्राप्त प्रस्तावों की संख्या, उनका राज्य-वार वितरण, स्वीकृत अथवा विचारार्थ सहायता तथा उपयोग में लाए अनुदानों को संकलित किया जा रहा है तथा इन्हें सभा-पटल पर यथा समय रख दिया जाएगा ।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए व्यापक परिवहन राज सहायता

10223. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरपूर्व क्षेत्र के लिए व्यापक परिवहन राजसहायता को कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना को कब अंतिम रूप और कार्यान्वित किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) मौजूदा ट्रांसपोर्ट सबसिडी स्कीम पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों, अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह लक्ष्यद्वीप और सिक्किम पर लागू है। इस स्कीम में पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर सभी चुनीदा क्षेत्रों में निर्दिष्ट रेलवे स्टेशनों से सड़क द्वारा परिवहन के खर्च में 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में यह लागत सिलिगुडी से गंतव्य स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन तक रेल भाड़े के 50 प्रतिशत आधार पर आंकी जाती है। इसके अलावा यदि अमुक स्थान स्टेशन से दूर पर स्थित है तो ऐसे मामले में निकटतम रेलवे स्टेशन से गतव्य स्थान की दूरी से संबंधित सड़क स्थान का 50 प्रतिशत लगाया जाता है।

पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक यूनिटों के लिए ट्रांसपोर्ट सबसिडी को अधिक सार्थक बनाने के प्रस्ताव पर उद्योग मन्त्रालय विचार कर रहा है।

स्वास्थ्य परिवार सेवा के लिए न्यूनतम पैकेज

10224. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए रोकथाम, संवर्धन और उपचार हेतु स्वास्थ्य परिवार सेवा न्यूनतम पैकेज उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन से विभिन्न राज्यों में क्या योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं ; और

(ग) स्वास्थ्य परिचाय सुविधाओं की योजना में पैकेज योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां।

(ख) और (ग) एक वर्टिकल संगठन के जरिए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन करने की पिछली कार्य-नीति को बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता योजना में बदला जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत

व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं को प्रतिशत किया जा रहा है जिससे वे 5000 की आबादी (आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 3000) के लिए निरोधक, संवर्धक और उपचार की पैकेज सेवाएं प्रदान कर सकें ग्रामीण औषधालयों की, जो केवल उपचारात्मक सेवाएं ही प्रदान कर रहे हैं, बदलकर सहायक स्वास्थ्य केन्द्र किया जा रहा है। जिससे कि वे पैकेज सेवाएं सुलभ कर सकें।

स्वास्थ्य सेवाओं को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जल-पूर्ति सफाई, शिक्षा, समाज कल्याण, सूचना एवं प्रसारण आदि जैसे अन्य मन्त्रालयों के स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमों के साथ भी समन्वित किया जा रहा है।

पटना और अहमदाबाद के बीच एक एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाया जाना

10225. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हाल में महेसाणा-पटना रेलवे पैसेन्जर एसोसिएनन की ओर से पटना और अहमदाबाद के बीच एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या वहां जनसंख्या और भारी यातायात में हुई वृद्धि को देखते हुए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का विचार है क्योंकि पिछले अनेक वर्षों से पटना और अहमदाबाद के बीच केवल दो रेलगाड़ियां चल रही हैं ;

(ग) क्या पटना और महेसाणा के बीच चलने वाली 113 अप रेलगाड़ी को एक्सप्रेस रेलगाड़ी बनाकर उसे अहमदाबाद तक बढ़ाया जायेगा और रणुत्रधणों, महेसाणा, अम्बलिया सण और कलोल स्टेशनों पर उनका स्टाप बनाया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनका विचार इन मांगों को स्वीकार करने का है।

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ;

(घ) फिलहाल नहीं।

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में विक्रेता ठेका दिया जाना

10226. **श्री सूरज भानु** :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में विक्रेता सहकारी समिति लिमिटेड, गाजियाबाद को मिला विक्रेता ठेका समाप्त हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1982-83 में इस ठेके को दिए जाने पूर्व समाचारपत्रों में कोई विज्ञापन नहीं दिया गया था ; और

(ग) सहकारी समितियों को ठेका दिए जाने के बारे में सरकार की क्या नीति है और सहकारी समितियों को ठेके न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और(ख) विक्रेता सहकारी समिति लिमिटेड, गाजियाबाद, वेंडिंग ठेके को असंतोषजनक कार्य-निष्पादन तथा उसके द्वारा सहकारी समितियों के कार्य से सम्बन्धित नियमों का पालन न किए जाने के क्या कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया था तदन्तर रेल मन्त्रालय द्वारा विशेष मामले के रूप में खान-पान वेंडिंक ठेके के आवंटन की सामान्य प्रक्रिया के अनुसरण में आध ठेका श्री रवीन्द्र कुमार को तथा आधा ठेका श्री राजा चन्द, भूतपूर्व सैनिक को आबंटित कर दिया गया था।

(ग) क्षेत्रीय रेलों द्वारा खान-पान वेंडिंग ठेके समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित करने अथवा रेलवे स्टेशनों पर नोटिस प्रदर्शित करके आवेदन पत्र आमंत्रित करके आबंटित किए जाते हैं। अधिसूचना तथा नोटिसों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर ठेंके आबंटित कर दिए जाते हैं। आवंटन के मामले में अपनाया जाने वाला अधिमान्यता कम इस प्रकार हैं :—

1. अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ;
2. वास्तविक कार्य-कर्ताओं की सहकारी समितियां
3. महिला समितियां ;
4. 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगार स्नातक ;
5. स्वतंत्रता सेनानी ; और
6. अन्य ।

गोल मार्किट में होम्योपैथिक औषधालय

10227. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोल मार्किट क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कितने होम्योपैथिक औषधालयों को मंजूरी दी गई है और कितने चल रहे हैं और सभी मंजूर शुदा औषधालयों के न खुलने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि कुछ होम्योपैथिक औषधालय एलोपैथ के कार्यभार के अन्तर्गत हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) गोल मार्किट में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के केवल एक होम्योपैथिक औषधालय की मंजूरी दी गई है और यह कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) होम्योपैथिक औषधालय होम्योपैथों के कार्य भार के अधीन कार्य कर रहे हैं किन्तु एलोपैथिक औषधालयों से सम्बद्ध होम्योपैथिक यूनिटें औषधालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के प्रशासनिक निरीक्षण के अधीन कार्य कर रहीं हैं।

चेतक एक्सप्रेस का डीजलीकरण

10228. **श्री जय नारायण रौत :**

श्री भीखा भाई :

श्री दीनबन्धु वर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चेतक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति बढ़ाने के लिए उसमें भाप इंजन के स्थान पर डीजल इंजन लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो चेतक एक्सप्रेस में डीजल इंजन कब लगाया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं, निकट भविष्य में नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चेतक एक्सप्रेस का केवल डीजलीकरण कर देने से गाड़ी की रफ्तार नहीं बढ़ेगी क्योंकि कुछ खंडों पर रेल पथ की हालत ऐसी है कि भाप इंजन की अपेक्षा डीजल इंजन धीमी गति से ही चलाया जा सकता है। खंडीय गति में वृद्धि करने के लिए काफी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी जिसके लिए इस समय पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। चेतक एक्सप्रेस की गति बढ़ाने का दूसरा रास्ता यह है कि इसके ठहरावों में कमी कर दी जाय। इस मामले में राजस्थान सरकार से बात की गई थी लेकिन वह इन ठहरावों में से किसी को हटाने के लिए सहमत नहीं हुई।

दिवा रेलवे स्टेशन और रेलवे क्वार्टरों को नलों के जरिए पानी की पूर्ति

10229. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिवा रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे, जिला थाना, महाराष्ट्र) पर रेलवे स्टेशन और रेलवे क्वार्टरों को नलों के द्वारा पानी की सप्लाई करने के लिए बनाई गई योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) इस योजना के कब तक चालू होने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) दिवा में क्वार्टरों तथा रेलवे स्टेशन को पानी की सप्लाई करने के लिए रेलवे ने पहले ही सिरोपरि टंकी आदि सहित वितरण पाइप लाइन बिछा दी है। जैसे ही ग्राम पंचायत, दिवा तथा थाणे नगर निगम के साथ अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी वैसे ही दिवा स्टेशन से थोड़ी दूरी के फासले से गुजरने वाली महाराष्ट्र राज्य सरकार की मुख्य सप्लाई लाइन से कनेक्शन की व्यवस्था कर दी जायगी।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को गृह निर्माण अग्रिम ऋण

10230. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के बावजूद भी कर्मचारियों का ड्यूटी के स्थान पर या सेवानिवृत्ति के पश्चात बसने वाले स्थान पर मकान बनाने के लिए गृह निर्माण ऋण मंजूर नहीं करता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जब शुरू में निधियों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सौंपने के लिए सहमत हुआ था, तब यह सुझाव किया गया था कि शुरूआत में कर्मचारियों को सभी अग्रिम राशियां उनके सेवा स्थल पर ही भवन निर्माण करने के लिए संस्वीकृत की जाएं। बाद में जनवरी, 1982 में, आयोग ने यह सुझाव दिया था कि भविष्य में ऐसी अग्रिम राशियां, सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम राशि संस्वीकृत करने के लिए तैयार किए गए नियमों के आधार पर संस्वीकृत की जाएं। तदनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम राशियों या तो उनके कार्यस्थल पर अथवा कहीं और के लिए संस्वीकृत कर सकते हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस समय अपने कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर ही केवल भूमि खरीदने भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण ऋण संस्वीकृत करता है कर्मचारियों को सेवा निवृत्त होने के बाद, जहां, कहीं भी वे बसते हैं, वहां भवन निर्माण के लिए ऐसे ऋण दिए जाने के प्रश्न पर अभी विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया जाना है।

अवैतनिक डाक्टरों और असिस्टेंट सर्जनों की नियुक्ति

10231. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार, नई दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में किसी अवैतनिक डाक्टर और असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्रालय किसी भी डाक्टर सर्जन को अवैतनिक तौर पर नियुक्त नहीं करता है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा निगमों में डाक्टरों को अवैतनिक तौर पर नियुक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है । लेकिन, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पुलिस अस्पताल, दिल्ली में यह अगस्त, 1963 से एक डाक्टर एन० डी० बूटा अवैतनिक दन्त सर्जन के रूप में कार्य कर रहे हैं । डा० एन० डी० बूटा की अवैतनिक दन्त सर्जन के रूप में नियुक्ति दिल्ली पुलिस एमेनिटी फण्ड कमैटी के अध्यक्ष की एथोरिटी से हुई थी और वह 150 रुपये प्रतिमास के हिसाब से मानदेय प्राप्त कर रहे हैं ।

पंजाब के लिए राष्ट्रीय परमिट कोटे में वृद्धि का प्रस्ताव

10232. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में 25,095 से भी अधिक ट्रकों के कारण राष्ट्रीय परमिटों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने केन्द्र से राष्ट्रीय परमिट कोटे में कम से कम 800 की वृद्धि कर देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1980 के पश्चात, जब प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के लिए राष्ट्रीय परमिटों का नियतन बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया गया था, पंजाब सहित कुछ राज्यों ने कुछ और बढ़ोत्तरी की मांग की थी । अक्तूबर 1982 में राज्यों के लिए राष्ट्रीय परमिटों के आबंटन में कुछ और वृद्धि सरकार द्वारा की गई । पंजाब राज्य के लिए आबंटित राष्ट्रीय परमिटों की कुल संख्या इस समय 200 है ।

ड्रग्स पेस्टीसाइड्स मिसयूज्ड शीर्षक से समाचार

10233. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1983 के "फाइनेनसियल एक्सप्रेस में प्रकाशित "ड्रग्स" पेस्टीसाइड्स मिसयूज्ड शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि क्लिपोक्विनटोंस नाशक दवा, जिस पर जापान में प्रतिबन्ध लगाया है, अमेरिका और अन्य योरोपीय बाजार से जिसकी बिक्री बन्द है, को भारत में डायेरिया के इलाज के लिए अन्य दवाओं के साथ मिलाकर अभी भी उपयोग हो रही है ;

(ग) क्या यह दावा घातक साबित हुई है और केवल जापान में अनेक आदमी इसके शिकार हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस घातक दवाई के प्रयोग को बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां ।

(ख) और (घ) भारत में क्लोयोकिनाल नायक औषधि पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन, इसके निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि निर्माताओं द्वारा अपने-अपने उत्पाद के लेवलों और वर्षों बक्सी आदि पर एक "सचेतक टिप्पणी" लिखी जाये जो इस प्रकार है :—

"किसी पंजीकृत चिकित्सा के नुस्खे पर ही खुदरा बिक्री की जाए" अब यह औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची ज" में शामिल है और इसकी बिक्री डाक्टर के नुस्से पर ही की जानी चाहिए ।

पहले 1970 और फिर 1977 में चिकित्सा-पत्रिकाओं में ये रिपोर्टें छपी कि जापान में छुट-पुट रोगियों में आइडोक्लोरोपाइट्राक्सीकिव नोलाइन क्लायोकिनाल (पेरिफेरल न्यूट्राइट्रिस और आंखों की नसों में क्षति हुई थी और इस आशय की रिपोर्टें मिलने पर कि क्लोयोकिनोल के सेवन से कभी-कभी न्यूरोलांजिकल-सिन्ड्रौम, जिसे "सब-एक्यूर-माइएलो आप्टिक न्यूरोपैथी (एस० एम० ओ० एन०) कहते हैं, हो सकता है जापान के बाजारों से इस औषधि को वापस उठाया जा रहा है। जापान में कितने लोग इससे पीड़ित हुए सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

सी० जी० एच० एस० का कार्ड साथ ले जाना अनिवार्य करने के आदेश

10234. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके मन्त्रालय अथवा सी० जी० एच० एस० द्वारा हाल ही में ऐसे कोई आदेश जारी किए गए हैं जिनसे सी० जी० एच० एस० के लाभ प्राप्त-कर्ता के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वह जब भी डिस्पेंसरी जाये, अपना सी० जी० एच० एस० का कार्ड साथ ले जाए और पंजीकरण लिपिक द्वारा देखे जाने के लिए प्रस्तुत करे, चाहे उसे डिस्पेंसरी के चिकित्सा अधिकारी अथवा विशेषज्ञ द्वारा पहले से लिखी गई अपनी दवाई दोबारा ही क्यों न लिखवानी हो ; और

(ख) यदि हां, तो कार्ड प्रस्तुत करने पर जोर देने की क्या युक्तिसंगतता है जब कि डिस्पेन्सरी में पहले पंजीकृत पर्ची पर केवल दवाई दोबारा ही लिखवानी हो ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) हाल ही में ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन लाभार्थी द्वारा औषधालय जाते समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का पहचान-पत्र साथ ले जाने सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा 21-10-1969 को जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया जा रहा है, ताकि लाभार्थी की पहचान हो सके और कार्ड का दुरुपयोग न हो सके।

अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा

10235. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने अभी हाल ही में तथा 1977 से 1983 की अवधि में भी 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए और सभी लड़कियों के लिए शिक्षा तथा कुछ हद तक उनसे उच्च स्तर के भी लिए अनिवार्य तथा शिक्षा देने के लिये कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम तथा उनके द्वारा बनाई गई योजनाएं क्या हैं ;

(ग) केन्द्र द्वारा उन्हें क्या सहायता तथा प्रोत्साहित दिया जा रहा है ;

(घ) केन्द्र ने उक्त अवधि में इन योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों की कितनी धनराशि दी है ; और

(ङ) 1 मई, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 की अवधि के तत्सम्बन्धी प्राक्कलन क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) 16 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों, अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह' चंडीगढ़ और दिल्ली में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के संबंध में अधिनियम विद्यमान हैं। फिलहाल, उत्तर प्रदेश को छोड़कर जहां vi-viii में लड़कों के लिए शिक्षा निःशुल्क नहीं है, सभी राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में सभी सरकारी, स्थानीय निकायों और सहायता-प्राप्त स्कूलों में शिक्षा निःशुल्क है।

(ग) और (घ) प्रारम्भिक शिक्षा सहित स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्यों की है अधिकांशतः इनके द्वारा ही इसका प्रबन्ध किया जाता है केन्द्रीय सरकार प्रारम्भिक शिक्षा के

प्रसार के लिए धन उपलब्ध नहीं करती है । तथापि, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को प्रारम्भिक आयुवर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना अन्तर्गत 50:50 अनुपात के आधार पर विशेष सहायता दी जाती है । केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में इन राज्यों को उपलब्ध कराई गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ङ) वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान सहायता के प्रस्तावों की इन राज्यों से अभी प्रतीक्षा है ।

विवरण

शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को दिए गए अनुदान दर्शाने वाला विवरण

	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
1. आन्ध्र प्रदेश	37,84,190	8,73,500	65,86,866	64,17,025
		सी० ओ० 34,33,027	सी०ओ० 30,000	सी०ओ० कुछ नहीं
2. असम	4,12,500	—	10,82,808	42,10,977
		सी० ओ० 4,12,500	सी०ओ० 52,500	सी०ओ 98,643
3. बिहार	43,47,383	—	63,10,267	79,14,430
		सी० ओ० 43,47,383	सी०ओ 13,00,983	सी०ओ० 20,02,000
4. जम्मू और काश्मीर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	14,44,475	1,09,00,025
			कुछ नहीं	सी०ओ० 14,44,475
5. मध्य प्रदेश	31,75,100	8,66,800	23,87,500	16,73,777
	सी० ओ०	24,59,600	सी०ओ० 29,81,650	सी०ओ० 40,32,363
6. उड़ीसा	13,25,000	कुछ नहीं	50,64,427	31,88,305
	सी०ओ०	13,25,000	सी०ओ० 9,49,773	सी०ओ० 39,45,200

1	2	3	4		6
7.	राजस्थान	11,01,600	4,54,400	28,43,000	32,11,773
		सी०ओ०	11,01,600	सी० ओ० 6,90,000	सी०ओ० 23,44,000
8.	उत्तर प्रदेश	36,61,600	39,43,700	49,19,600	1,33,73,326
		सी० ओ०	23,17,600	सी०ओ० 28,37,500	सी०ओ० 8,15,512
9.	पश्चिम बंगाल	21,68,600		कुछ नहीं 52,39,096	61.08,430
		सी० ओ०	21,68,000	सी०ओ० 7,49,600	सी० ओ० 28,92,896
	कुल	1,99,75,973	61,38,400	3,58,78,039	4,62,07,063

आगे ले जाने के लिए सी० ओ०- (कैंटेड ओर) का प्रयोग किया गया है ।

बम्बई और अहमदाबाद के बीच बिजली की रेल गाड़ियां

10236. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और अहमदाबाद के बीच बिजली की रेल गाड़ियां चलाने की कोई योजनाएं और परियोजनाएं हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और तत्संबंधी प्राक्कलन क्या है ;

(ग) क्या कोई यातायात संबंधी इंजीनियरी कार्य या अन्य सर्वेक्षण कार्य किए किये गये हैं या किए जाने हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन रेल गाड़ियों के कब तक चलाए जाने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) बम्बई और अहमदाबाद खंड का पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है अहमदाबाद से आगे विद्युत कर्षण बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे टी० बी० अस्पताल तथा उनको दी जाने वाली सहायता

10237. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

श्री भीखा भाई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने टी० बी० अस्पताल चल रहे हैं ;

(ख) देश में इनमें से कितने अस्पताल स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों की कोई वित्तीय सहायता दी जाती है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार क्षय रोग की 709 संस्थाओं में क्षय रोग के रोगियों के अंतरंग इलाज की सुविधाएं है और इनमें से 100 संस्थाएं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जाती हैं । इन संस्थाओं के नामों का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जा रही ऐसी क्षय रोग संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत की "स्वैच्छिक क्षय रोग कुष्ठ, कैंसर और अन्य संस्थाओं को सहायता-अनुदान" नामक एक योजना है । इस योजना के अन्तर्गत पात्र स्वैच्छिक संगठनों को बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक अस्पताली उपकरणों के हेतु (सौ प्रतिशत आधार पर) और गरीब लोगों के लिए अस्पताली सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त निर्माण, आपरेशन थियेटरों, प्रयोगशाला ब्लाकों और वार्डों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (50:50 के आधार पर) दी जाती है ।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का	स्वैच्छिक निकाय द्वारा चलाई जा रही क्षय रोग संस्था का नाम
1	2
1. आंध्र प्रदेश	1. आर० ए० के० टी० अस्पताल, मदनापल्ली ।
	2. आरोग्यवरम मेडिकल सैंटर ।
2. असम	1. सतरी बाड़ी अस्पताल, गौहाटी
	2. बापटिस्ट मिशन अस्पताल, तेजपुर
	3. सी० एल० एम० टी० बी० अस्पताल, तेजपुर
	4. कमला नेहरू मेमोरियल टी० बी० अस्पताल नौनांग ।
	5. जोरहाट बापटिस्ट मिशन अस्पताल बाडमैटा
	6. तोकलेई सैंट्रल अस्पताल, सिनामारा
	7. बारबम एण्ड बारबम अस्पताल, बारबम
	8. ए० ओ० सी० अस्पताल, डिब्रूगढ़ ।
	9. लाबेक अस्पताल, लाबेक ।
	10. वरोज मेमोरियल एण्ड क्रिश्चियन अस्पताल, बासकंडी ।

1	2
3. बिहार	1. टी० बी० अस्पताल, प्रताप सागर, 2. जगजीवन टी० बी० सेनोटोरियम, देहरी-आन, सोन 3. आर० के० मिशन टी० बी० सेनेटोरियम रांची। 4. महादेवी बिरला टी० बी० सेनेटोरियम, रांची। 5. ए० दलाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट, जमशेदपुर।
4. गुजरात	1. नास्वूशन आर्मी टी० बी० अस्पताल, आनन्द। 2. बासुदीवाला टी० बी० सेनेटोरियम, पलाना। 3. सी० जे० फिजीगला टी० बी० अस्पताल धर्मज। 4. दरबार गोपाल दास देसाई एण्टी टी० बी० क्लिनिक और अस्पताल आनन्द। 5. पारिन बाबू एण्टी टी० बी० अस्पताल सूरत। 6. अशक्त आश्रम, सूरत। 7. टी० बी० सेनेटोरियम, बरवाडा। 8. ए० बी० जसानी टी० बी० अस्पताल, राजकोट। 9. के० जे० मेहता टी० बी० अस्पताल, अपरगढ़। 10. सी० यू० शाह टी० बी० अस्पताल, सुरेन्द्रनगर।

1	2
	11. छामूबाई मानकचंद टी० बी० अस्पताल, ऊना ।
	12. टी० बी० क्लिनिक, बाबदा
	13. बी० एस० नम्रवानी टी० बी० अस्पताल, केशोड ।
	14. मास्का टी० बी० अस्पताल, मांडिवी ।
	15. जनरल अस्पताल, विषनगर ।
	16. भारती आरोग्य निधि और ग्रुप पटन ।
	17. नागरिक मण्डल टी० बी० अस्पताल, वादनगर ।
	18. स्वामी रामानन्द अस्पताल और टी० बी० क्लिनिक, बीजापुर ।
5. कर्नाटक	1. सेंट थेरेसा सेनेटोरियम, बंगलौर ।
	2. कर्नाटक स्वास्थ्य संस्थान, बेलगांव ।
	3. जे० सी० सहकारी अस्पताल, धारप्रभा ।
	4. म्यूनिसिपल अस्पताल ,कसागर-हाली ।
	5. सिविल अस्पताल, रायर्ड सोनपेट ।
	6. ई० टी० बी० एम० अस्पताल, कोलार ।
	7. मेटरनिटी रोड्री टी० बी० सेनेटो-रियम, जिला दक्षिण, कन्नड़ ;
	8. फादर मुल्लर टी० बी० अस्पताल, कन्नड़ ।

1	2
6. मध्य प्रदेश	1. क्रिश्चियन अस्पताल, पाधार जिला बेतूल ।
	2. क्रिश्चियन अस्पताल, देवास ।
	3. मिशन अस्पताल, जोभात, जिला झबुआ ।
	4. पुष्पा अस्पताल रोशनी जिला खांडवा ।
	5. इविंगदिक मिशन अस्पताल, टिल्डो जिला रायपुर ।
	6. ई० एल० सी० चर्च डिस्पेंसरी मेटरनिटी होम, बैकुण्ठपुरी, जिला सरंगूजा
7. महाराष्ट्र	1. राधाबाई बातुमल सेनेटोरियम महिम, बम्बई ।
	2. मिशन अस्पताल, जलगांव ।
	3. जोशी टी० बी० अस्पताल, पूना ।
	4. वाडिया अस्पताल, पूना ।
	5. घारे टी० बी० सेनेटोरियम, शिखर, पूना ।
	6. तेलागांव जनरल अस्पताल, तेलागांव, पूना ।
	7. टी० बी० सेनेटोरियम, आरनगांव ।
	8 मिशन अस्पताल, गंधारपुर, शोलापुर ।
	9. धनराज चिराजी अस्पताल, शोलापुर ।
	10. वेल एयन सेनेटोरियम अस्पताल, पंचगनी, सतारा ।

1	2
	11. बेनलेस चैस्ट अस्पताल, मिराज, जिला सांगली।
8. मेघालय	1. खासी एण्ड जयन्तिया हिल्ज, प्रेसबायटेरिया अस्पताल।
	2. मिशन अस्पताल जयन्तिया, हिल्ज।
	3. मिशन अस्पताल गारो हिल्ज, हिल्ज।
9. उड़ीसा	1. मुर्शीद मेमोरियल क्रिश्चियन अस्पताल जी-उदयगिरि।
	2. मिशन अस्पताल, निसामा कटक।
	3. जे० ई० एल० सी० अस्पताल, नौरंगपुर।
10. पंजाब	1. गुलाब देवी टी० बी० अस्पताल, जालन्धर।
	2. क्रिश्चियन मेडिकल और अस्पताल, लुधियाना।
	3. मेक राबर्ट अस्पताल, धारीवाल
11. राजस्थान	1. मदार यूनियन टी० बी० सेनेटोरियम अजमेर।
	2. कल्याण आरोग्य सदन, सीकर।
12. तमिलनाडु	1. सन्तोषम चैस्ट अस्पताल, एगमोड़, मद्रास-8
	2. महात्मा गांधी मेमोरियल टी० बी० सेनेटोरियम, सैंगीपट्टी, थनजावर।
	3. सेंट मार्टिन्स अस्पताल, रामनाथ-पुरम।
	4. टी० बी० अस्पताल (सी० एस० आई०) अलंकोडी, कन्यापुरी।
	5. क्रिश्चियन फेलोशिप टी० बी० अस्पताल अम्बीलिकई, पलानी टी० के० मदुरै।

1	2
	6. रामालिंगम टी० बी० सेनेटोरियम, पेरुनदुरै, पेरियार।
	7. सी० एस० आई० अस्पताल, धर्मपुरम।
	8. सेंट थामस अस्पताल, चेटपोट पालूर टी० के० नार्थ अरकाट जिला।
	9. बीथेसडा अस्पताल, अन्दूर, नार्थ अरकाट।
13. उत्तर प्रदेश	1. क्लारा स्वैन अस्पताल, बरेली।
	2. मिशन अस्पताल, फतेहगढ़।
	3. सैन्ट्रल टी० बी० क्लिनिक, कानपुर।
	4. वृज सेवा समिति टी० बी० सेनेटोरियम मथुरा।
	5. आर्डिनरी टाईप बी० बी० क्लिनिक अमरोहा, मुरादाबाद।
14. पश्चिम बंगाल	1. निरामय टी० बी० सेनेटोरियम, बिरभूम।
	2. बालानन्द ब्रह्मचारी स्वायन, कलकत्ता-6
	3. जी० के० खीमका चैस्ट क्लिनिक, और अस्पताल, कलकत्ता-6
	4. बालानन्द आरोग्य भवन, कलकत्ता-57
	5. टी० बी० रिलीफ एसोसिएशन अस्पताल, कलकत्ता-17
	6. सीरमपुर टी० बी० अस्पताल, पो० सीरमपुर, हुगली।

1	2
	7. गोरहटी टी० बी० (अस्पताल, प्रो० अंगुआ, हुगली ।
	8. हावड़ा टी० बी० अस्पताल, पो० अंदुल, हावड़ा ।
	9. के० सी० गुहा मेमोरियल टी० बी० अस्पताल, पो० राणाघाट, नादिया ।
	10. बोरल टी० बी० अस्पताल, पो० बोरल 24-परगना ।
	11. नेहरू चैस्ट क्लिनिक और अस्पताल बैरकपुर 24-परगना ।
15. दिल्ली	1. एल० आर० एस० टी० बी० अस्पताल महरौली ।
	2. न्यू दिल्ली टी० बी० सेन्टर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, न्यू दिल्ली ।
	3. आर० के० मिशन टी० बी० क्लिनिक, आर्य समाज रोड, नई दिल्ली ।

किसी परियोजना के स्थानीय अथवा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए जाने के मापदण्ड

10238. **श्री आर० पी० दास : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी परियोजना को स्थानीय विशेष क्षेत्र के अथवा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए जाने के क्या मापदण्ड है ;

(ख) हुगली नदी पर द्वितीय पुल किस श्रेणी के अन्तर्गत है ;

(ग) यह श्रेणीकरण किस प्रकार किया गया था और इसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियउर्रहमान अन्सारी) : (क) अभी छठी पंचवर्षीय योजना में कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसे स्थानीय महत्व या राष्ट्रीय महत्व के रूप में वर्गीकृत किया जा सके । प्रत्येक परियोजना पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है और उसका महत्वनिर्धारित किया जाता है ।

(ख) और (ग) हुगली पर दूसरा पुल छठी पंचवर्षीय योजना के अधीन क्षेत्र के सड़क कार्यक्रम का अंग नहीं है। तथा विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार की इस परियोजना के लिए 57.13 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही है।

दाहोद (पश्चिम रेलवे) में रेलवे वर्कशाप को बदला जाना

10239. **श्री सोमजी भाई दामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दाहोद (पश्चिम रेलवे) में रेलवे वर्क-शाप को केवल डीजल इंजन के लिए रूप में बदला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाली जिले के हेमावास गांव में गम्भीर रोग का फैलना

10240. **श्री बिरदा राम फुलवारिया :**

श्री आर० एन० राकेश :

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के पाली जिले के हेमावास गांव में तथा जोधपुर जिले में एक गम्भीर रोग महामारी के रूप में फैल गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से लोग इस रोग के कारण मर गये हैं ;

(ग) क्या डाक्टर भी इस महामारी पर नियन्त्रण नहीं कर पाए हैं ;

(घ) यदि हां तो सरकार ने क्या कार्यवाही है ; और

(ङ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 1983 के दैनिक नवज्योति की ओर दिलाया गया है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ङ) राजस्थान सरकार से मिली सूचना के अनुसार पाली जिले के हेमावास गांव में महामारी के रूप में कोई गम्भीर रोग नहीं फैला है। रेरा खेती के कारण यह एक एलर्जिक रोग था। केवल एक मौत की सूचना मिली है। डाक्टरों ने इस रोग पर काबू पा लिया है। राजस्थान सरकार का ध्यान 31 मार्च, 1983 के दैनिक बल ज्योति में छपी खबर की ओर आकर्षित किया गया था। सभी उपाय बरते गई थे और स्थिति पूरी तरह नियन्त्रण में है।

राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, जिसमें जोधपुर जिला भी शामिल है, मौतों और रोगों के कारण की जांच राज्य सरकार के एक चिकित्सा दल द्वारा की गई थी और बाद में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के एक दल, ने, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के दो डाक्टर तथा भारतीय अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय वाइरस विज्ञान संस्थान, पुणे के दो वैज्ञानिक थे, जांच की थी। उन्होंने यह पता लगाया था कि यह रोग श्वसनी नमोनिया अन्य श्वसनी रोग तथा अतिसार संबंधी रोग थे। स्वास्थ्य सेवा निदेशक, राजस्थान से मिली सूचना के अनुसार 1-2-83 से 19-3-83 तक की अवधि के दौरान कुल 59 मौतें हुईं। आस-पास के सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं ने चिकित्सा सेवायें बढ़ा दी हैं जिसमें दवाइयों की सप्लाई आदि भी शामिल है। भारतीय रेडक्रास की राज्य शाखा ने भी प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवायें प्रदान की हैं।

गुडर-रानी गुंटा-तिरूपति रेल लाइनों का विद्युतीकरण

10241. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुठर-रानी गुन्टा-तिरूपति रेल लाइनों का विद्युतीकर का कार्य आरम्भ किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा।

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना के मार्च 1985 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

पूर्वी क्षेत्रों के पत्तनों से नौवहन को बारम्बारता बढ़ाना

10242. **श्री अजित बाग** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हाल के समय में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पत्तनों से अन्य देशों के साथ बढ़ते हुए व्यापार को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से इन पत्तनों से नौवहन को बारम्बारता बढ़ाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जहाज मालिक ही व्यापार में नौवहन जगह की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न जगह की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न गंतव्य स्थलों को नौवहन कवरेज देने की योजना

बनाते हैं। यह मूल रूप से वाणिज्यिक मामला है और इससे सरकार का कोई दखल नहीं होता है। पूर्वी क्षेत्र के किसी गंतव्य स्थान को जहाज जाने की कमी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कटिहार रेलवे स्टेशन का विकास

10243. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले शासन के दौरान नार्थ फ्रंटियर नार्थ इस्टर्न रेलवे के क्रासिंग के कारण कटिहार रेलवे स्टेशन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके विकास की कोई योजना तैयार की गई थी ;

(ख) क्या इस योजगा को कोई प्राथमिकता दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) रेलवे ने कटिहार रेलवे स्टेशन के विकास के लिए, बरौनी-कटिहार खंड के मीटर से बड़े आमान में प्रस्तावित बदलाव के लिए जंकशन व्यवस्थाओं के संबंध में ढांचे में परिवर्तन के प्रस्तावित कार्य के सिवाय कोई योजना नहीं बनाई है। इस पर, आमान परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के समय, उचित ध्यान दिया जायेगा। बहरहाल, रेलवे ने 1977 में स्टेशन को सुन्दर बनाने और बुकिंग-एवं-आरक्षण कार्यालयों के विस्तार के लिए 122 वर्गमीटर तक के अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की है।

अस्पतालों तथा चिकित्सा अनुसंधान के लिए यू० एस० ऐड० से प्राप्त अनुदानों का राज्यवार वितरण

10244. **श्री शान्त भाई पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यू० एस० ऐड०) पिछले तीन वर्षों के दौरान अस्पतालों और चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों के लिए वर्षवार अनुदानों की कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ख) अनुदान किस प्रयोजन के लिए प्राप्त होते हैं ;

(ग) प्रत्येक वर्ष अनुदानों की कितनी राशि उपयोग की गयी ; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान उन अनुदानों के राज्यवार वितरण का प्रत्येक वर्ष का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा संकलित सूचना के अनुसार विभिन्न

आयुर्विज्ञान अनुसंधान परियोजनाओं के लिए तीन वर्षों में अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से प्राप्त और इस्तेमाल की गई राशियां इस प्रकार हैं :—

	1980-81	1981-82	1982-83
		(रुपयों में)	
प्राप्त राशि	40319	925794	161547
इस्तेमाल की गई राशि	855807 ×	720372	289108

× रु० 889578 की बकाया राशि थी जो वर्ष 1979-80 की अधिशेष राशि थी ।

हर वर्ष इस्तेमाल किये एक अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

(आकड़े रुपयों में)

	1980-81	1981-82	1982-83	योग
1. महाराष्ट्र	80,000,00	9,969.82	—	89,669.82
2. कर्नाटक	1,62,167.00	1,53,400.00	—	3,15,567.00
3. आन्ध्र प्रदेश	94,300.00	28,599.25	—	1,22,899.25
4. उत्तर प्रदेश	2,30,000.00	1,65,248.00	—	3,95,248.00
5. नई दिल्ली	1,75,950.68	63,390.10	1,18,378	3,57,718.78
6. तमिलनाडु	1,13,389.00	2,99,765.00	1,70,730	5,83,884
	8,55,806.68	7,20,372.17	2,89,108	18,65,286.8

निम्नलिखित परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए भी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता मिली थी :—

	1980-81	1981-82	1982-82
		(रुपये लाखों में)	
क्षेत्रीय परियोजनायें (महाराष्ट्र एवं गुजरात के दो-दो और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के तीन-तीन जिले	175	300	700
लैप्रोस्कोपी में प्रशिक्षण कार्यक्रम	133	50	शून्य

31 अगस्त, 1981 को भारत सरकार और अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के बीच अमेरिकी स्वामित्व वाले भारतीय कस्बों में 200 लाख डालर के अनुदान के एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। वह अनुदान स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राइवेट स्वैच्छिक संगठनों को स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी और निवारक परिवार नियोजन और गरीब लोगों के लिए पोषणिक सेवाओं का विस्तार करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए है जिसमें ऐसे इलाकों/सामुदायिक वर्गों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना है जिसमें पर्याप्त सुविधाएं सुलभ नहीं हैं। इस परियोजना के अधीन अनुदान का वास्तविक वितरण अभी शुरू नहीं हुआ है।

राजौरी गार्डन तथा मायापुरी में बस सेवा बढ़ाना

10245. **श्री कुंवर राम** : क्या **नौवहन** और **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजौरी गार्डन तथा मायापुरी में हुडको योजना के अधीन हजारों की संख्या में रिहायशी फ्लैटों के निर्माण के कारण इन क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या को बस सेवायें प्रदान करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने राजौरी गार्डन तथा मायापुरी में बस सेवा को बढ़ाने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यक्रम शीघ्र तैयार किया जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) राजौरी गार्डन कांपलेक्स से नजफगढ़ रोड पर 42 बस रूट हैं जबकि दो अन्य रूट राजौरी गार्डन एक्सटेंशन से शुरू होते हैं। इसी प्रकार मायापुरी क्षेत्र में 16 रूट चलते हैं जिसमें से 7 रूट मायापुरी के फ्लैट क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा मायापुरी एल. आई. जी फ्लैट से शहर के अन्य भागों के लिए खासकर केन्द्र सचिवालय के लिए बहुत से स्पेशल ट्रिप भी चलते हैं।

दिल्ली परिवहन निगम ने हाल ही में नेहरू स्टेडियम टर्मिनल और राजौरी गार्डन टर्मिनल के बीच 28/56 को फ्री कवेंसी पर एक रूट नं० 448 शुरू की है जो राजौरी गार्डन एक्टेंशन, मायापुरी और केन्द्रीय सचिवालय होकर गुजरता है।

हुडको स्कीम के अन्तर्गत हरिनगर क्षेत्र में रिहायशी फ्लैट बन रहे हैं। निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तम नगर और राजौरी गार्डन में दो केन्द्रीय टर्मिनल की स्थापना की है। जब कभी मांग होती है तो सेवायें बढ़ा दी जाती है। फिलहाल मायापुरी राजौरी गार्डन क्षेत्रों में मौजूदा सेवायें पर्याप्त पाई गई है।

नौवहन और परिवहन के बारे में भारत-अर्जेन्टीना वार्तालाप

10246. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **नौवहन** और **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन और परिवहन के बारे में भारत अर्जेन्टीना की फरवरी 1983 में बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का स्वरूप क्या था ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 11-2-83 को नौवहन पर इन्डो-अर्जेन्टीना वार्ता हुई थी ।

(ख) इस वार्ता का मुख्य विषय भारत और अर्जेन्टीना के बीच सीधी नौवहन सेवा शुरू करना था और जहाज निर्माण में सहयोग प्रदान भी करना था ।

(ग) भारतीय नौवहन निगम और अर्जेन्टीना की एलमा शिपिंग लाइन को वाणिज्यक लाभ को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच बेहतर नौवहन सेवाएं शुरू करने के लिए ठोस प्रस्ताव देने के लिए अनुरोध किया गया है । जहाज निर्माण के संबंध में यह पता चला कि अर्जेन्टीना और भारत में जहाज निर्माण का विकास एक जैसा हो रहा है और वाणिज्यक अदला-बदली के लिए कोई अधिक गुन्जाइश नहीं है । परिवहन पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ ।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में पृथक भौतिक चिकित्सा विभाग

10247. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल इन्स्टिच्यूट आफ आर्थोफीजिक्स सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के निदेशक ने पृथक भौतिक चिकित्सा विभाग के लिए कहा है ;

(ख) उसके लिए क्या मुख्य कारण दिये गए हैं और उसके लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस विभाग की स्थापना करने में प्रतिवर्ष कितना आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) इस मन्त्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में पेन्ट्री कार कर्मचारियों के लिए सोने का स्थान

10248. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में पेन्ट्री कार कर्मचारियों के लिए सोने का स्थान अपर्याप्त है ;

(ख) क्या जिन रेलगाड़ियों में कार रेस्टोरेन्टबार लगी होती है उनमें इस कारण यात्रियों की सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इन कारों में पर्याप्त संख्या में "स्लीपिंग बर्थ" उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेलमन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) विभिन्न गाड़ियों में पैन्ट्रीकार में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग होती है। पैन्ट्रीकारों में उपलब्ध शयन-स्थान एक जैसा नहीं होता। ऐसी कुछ ही गाड़ियां हैं जिसमें कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है लेकिन शयन-स्थान काफी नहीं होता। पैन्ट्रीकार के डिजाइन का अब मानकीकरण कर दिया गया है और भविष्य में विभिन्न होने वाले पैन्ट्रीकार में काफी शयन-स्थान की व्यवस्था होगी। इस बीच, क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश दिए गए हैं कि यदि पैन्ट्रीकार के कर्मचारियों के लिए पैन्ट्री-कार में शयन-स्थान उपलब्ध न हो तो उन्हें सवारी डिब्बों में शायिकाएं आबंटित की जाएं।

हावड़ा आम्ता ब्राड-गेज लाइन

10249. **श्री हन्नान्ह मोल्लाह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा आम्ता ब्राड-ग्रेज लाइन के निर्माण के लिए प्रधान मन्त्री द्वारा शिलान्यास कब किया गया था ;

(ख) कार्य के समय पर पूरा करने के रास्ते में सरकार के सामने क्या दिक्कतें थीं ; और

(ग) सरकार का अब तक और किस प्रकार से कार्य को पूरा करने पर विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 1974 में भारत के प्रधान मन्त्री ने हावड़ा-आम्ता/चम्पाडांगा, नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी।

(ख) और (ग) संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को पूरा करने के लिए अभी तक कोई ठोस लक्ष्य तिथि निश्चित नहीं की गई है। धन की उपलब्धता के भीतर, इस काम में यथा सम्भव प्रगति हो रही है।

रेलवे के लिए ऊर्जा के गैरपरम्परागत स्रोत

10250. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रेलवे की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए तथा उसके परि-चालन को सुधारने के लिए सौर ऊर्जा, वायु तथा वायों ऊर्जा जैसे गैर परम्परागत स्रोतों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या ऊर्जा के पुनः प्रयोग में लाए जा सकने वाले स्रोतों को बड़े पैमाने पर उपयोग में लाने के लिए रेलवे में कोई परियोजनाएं और अथवा व्यावहार्यता परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और परियोजना रिपोर्टों के द्वारा क्या सिफारिशें प्राप्त हुई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेल मन्त्रालय ने ऊर्जा मन्त्रालय के साथ विचार विमर्श करके गैर-पारम्परिक और नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जीवविज्ञान और प्रकाश वोल्टैक्स का धीरे-धीरे रेलों पर प्रयोग करने का निर्णय लिया है।

(ख) एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है जिसमें ऊर्जा मन्त्रालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक और क्षेत्रीय रेलवे के इन्जीनियर शामिल है और जिसका प्रयोजन तीन चरणों में नवीकरण योग्य ऊर्जा-स्रोतों को सम्बद्ध करके परियोजनाओं को समुन्नत करना है जिन्हें तुरन्त प्रारम्भ किया जा सकता है और दूसरे जिन्हें मध्य कालिक और दीर्घकालिक आधार पर आरम्भ किया जा सकता है।

(ग) उपर्युक्त खंड (ख) में उल्लिखित कार्यकारी दल निम्नलिखित पायलट परियोजनाओं को स्थापित किए जाने के लिए स्थानों का पता लगायेगा :

(1) छोटे-छोटे स्टेशनों पर जहां बिजली नहीं है, पवन चक्की लगाएगा ;

(2) सौर ताप प्रणाली जहां से रेलवे अस्पतालों, केन्टीनों, विश्रामगृहों तथा अन्य स्थापनाओं गर्मपानी उपबन्ध कराया जा सके ;

(3) प्रकाश बोल्टास जिससे समपारों, सूक्ष्यतरंग रिपोटर स्टेशनों और छोटे-छोटे स्टेशनों पर प्रकाश की व्यवस्था की जा सके।

(4) वायो गैस सन्यन्त्रों की स्थापना जिससे रेलवे स्टेशनों और संचालन के क्षेत्रों तथा कालोनियों में सफाई सुविधाओं का विकास किया जा सके।

रेलवे तन्त्र पर इन योजनाओं का विस्तार करने के लिए तभी विचार किया जाएगा जब पायलट परियोजनाओं से पर्याप्त फीडबैक उपलब्ध हो जाएगा।

काजीपेट और दिल्ली के बीच इकहरी रेल लाइन

10251. **श्री ए० के० स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० सी० रेलवे में काजीपेट और दिल्ली के बीच की पटरी में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां केवल इकहरी लाइन है ;

(ख) काजीपेट और दिल्ली के बीच इकहरी लाइन को दोहरी लाइन में बदलने के लिए किए जा रहे कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई ;

(घ) काजीपेट और दिल्ली के बीच वास्तव में जितने फासलों में इकहरी लाइन है, उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) दिल्ली और काजीपेट के बीच पूरी दोहरी लाइन बिछाने लिए जितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) (1) दक्षिण-मध्य रेलवे पर मानिकगढ़ और रेचनी रोड़ के बीच (89 कि० मी०) इकहरी लाइन की जगह दोहरी लाइन बिछाना।

(2) मध्य रेलवे के इटारसी-आमला-नागपुर खंड में 80.79 कि० मी० रेलपथ को आंशिक रूप से दोहरा करना (चरण) जिसमें से 6.26 मि० मी० की यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है ।

(3) मध्य रेलवे के इटारसी-आमला-नागपुर खंड में 39.02 कि० मी० लम्बे एकहरे रेल-पथ को आंशिक रूप से दोहरा करना (चरण 2), जिसे 1983-84 के बजट के लिए स्वीकृत किया गया है ।

(ग) 1983-84 के दौरान 7.75 करोड़ रुपए ।

(घ) 360.75 कि० मी० ।

(ङ) संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल कोई विशिष्ट लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती ।

बंगला देश के साथ हुई वार्ता

10252. **श्री सूल चन्द डागा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और बंगला देश के बीच 1982 में हुई वार्ता के दौरान किन-किन मदों पर समझौता हो गया है और किन-किन मदों पर अभी समझौता होना शेष है; और

(ख) किन मदों के सम्बन्ध में समझौता किया गया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) 1982 के दौरान भारत और बंगलादेश ने निम्नलिखित करार सम्पन्न किए :

(1) भारत गणराज्य की सरकार और बंगलादेश लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार के बीच गेहूं के सम्बन्ध में ऋण करार जिस पर 4 जून, 1982 को हस्ताक्षर हुए थे । इस करार की शर्तों के अनुसार बंगलादेश को एक लाख टन गेहूं देना था जो दिया जा चुका है ।

(2) अन्तर्देशीय जल पारगमन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रोतोकोल। इस पर 1 अगस्त, 1982 को हस्ताक्षर हुए थे और इस पर अमल किया जा रहा है।

(3) भारत गणराज्य की सरकार और बंगलादेश लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार के बीच संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना सम्बन्धी करार। इस पर 7 अक्तूबर, 1682 को हस्ताक्षर हुए थे और इस आयोग की पहली बैठक 16 और 17 नवम्बर, 1982 को हुई थी।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को अनुदान

10253. **श्री ईरा अनबारासु :** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को वर्ष 1980-81 और 1981-82 को वित्त वर्षों के लिए "अनुदान योजना" के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई थी ;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान शिक्षा पर कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) क्या यह सच है कि गम्दू फ्लैट, शैतान खेड़ी, ओगड़ा बैरक, भाटू बस्ती, रंगा चांक आदि जैसे श्रमिक क्षेत्रों में, जहां बहु-भाषायी विद्यालय हैं, कक्षा-कमरों और अन्य सुविधाओं का उचित प्रबन्ध नहीं है, जबकि अण्डमान प्रशासन ने योजना अनुदान में से करोड़ों रुपयों की बचत की है/करोड़ रुपए लौटा दिए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अन्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार 'योजनागत अनुदान' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को क्रमशः 16,45,00,000 रुपए और 18,72,23,000 रुपए आवंटित किए गए ;

(ख) 'शिक्षा' क्षेत्र के अन्तर्गत व्यय की गई राशि वर्ष 1980-81 के दौरान 1,17,23,000 रुपए और 1981-82 के दौरान 1,68,60,500 रुपए थी।

(ग) अन्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार यद्यपि बम्बू फ्लैट, शैतान खैरी, ओगरा बैरेक, भाटू बस्ती और रंगा चांग में कक्षा के कमरों की कमी है। तथापि बहु माध्यम वाले स्कूलों में, अध्यापकों, पाठ्य-पुस्तकों, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क यात्रा, रियायतें, पेय जल आदि की अन्य सुविधाएं पर्याप्त हैं।

प्रौढ़ शिक्षा पर खर्च

10254. **श्री श्री टी० एस० नेगी :** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि प्रौढ़ शिक्षा पर किए गए खर्चे से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले हैं और

(ख) यदि हां, तो प्रौढ़ों को राष्ट्रभाषा अथवा उनकी मातृभाषा में लिखना पढ़ना सिखाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस तथा प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता कि प्रौढ़ शिक्षा पर किए गए व्यय के परिणामस्वरूप प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षकों के दाखिले में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 100 लाख साक्षर शामिल किए गए हैं। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में उपयोग के लिए अध्यापन/अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए देश में 15 संसाधन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय भाषा और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अध्यापन/अध्ययन सामग्री उपलब्ध है।

उत्तर रेलवे, डिवीजनल अस्पताल, दिल्ली में दवाइयों की चोरी

10255. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे डिवीजनल अस्पताल, दिल्ली में कितनी बार दवाइयों की चोरी हो चुकी है और किस-किस तारीख को चोरी हुई ;

(ख) कितनी और कौन-कौन सी दवाइयां चोरी गयीं और उनका कितना मूल्य होगा ;

(ग) इस में कितने अधिकारियों का हाथ है ; और

(घ) उनके विरुद्ध प्रशासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, 7-3-1983 को दवाइयों की चोरी के केवल एक मामले की रिपोर्ट की गई हैं।

(ख) दवाई की नाम, चुराई गयी मात्रा और इसका मूल्य इस प्रकार है :

दवाई का नाम	चुरायी गयी मात्रा	चुराई गई दवाई का मूल्य
1. इलेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसीन ग्राम	3100 वायल्स	4,247 रुपए
2. इजेक्शन प्रोकेन पेनसिलिन 4 लाख	275	242 रुपए

(ग) और (घ) अभी तक किसी का भी पता नहीं लग पाया पाया। फिर भी, पुलिस

स्टेशन, लाहौरी गेट, दिल्ली में इस सम्बन्ध में एक मामला सं० 59 दिनांक 7-2-83 को भा० द० सं० की धारा 457/380 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है और दिल्ली पुलिस द्वारा इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

राजस्थान के विभिन्न स्टेशनों से राजस्व

10256. **श्री दीन बन्धु वर्मा** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना से लेकर अब तक राजस्थान के विभिन्न स्टेशनों से रेलवे को यात्री और माल यातायात से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पांचवी योजना से अब तक राजस्थान में विभिन्न विकास शीर्षों के अधीन, विशेषकर विस्तार कार्यों तथा ब्राड गेज/मीटर गेज की नई लाइनों और अन्य विकास कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) प्राप्त राजस्व और खर्च की गयी राशि के सम्बन्ध में सूचना राज्यवार संकलित नहीं की जाती है बल्कि रेलवे-वार की जाती है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लेक्चररों की नियुक्ति

10257. **श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक :**

श्री बी० श्री निवास प्रसाद : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्व-विद्यालयों में लेकचरर के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति को टालता आ रहा है ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के तथा सामान्य जातियों के कितने-कितने लेकचरर नियुक्त किए गए हैं ; और

(ग) इस बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा और सांस्कृतिक तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्वविद्यालयों लेक्चररों की नियुक्ति का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई सम्बन्ध नहीं है । विश्वविद्यालयों की सभी नियुक्तियां उन्हीं के द्वारा अपने सम्बन्धित अधिनियमों तथा कानूनों में

निर्धारित पद्धति के अनुसार की जाती हैं। तथापि, वि० आ० आ० अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में, विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए जाने के लिए समय-समय पर मार्गदर्शी रूप रेखाएं निर्धारित करता है जो प्रत्येक विश्व विद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा लागू करना अपेक्षित है इस समय लागू मार्गदर्शी रूपरेखाओं में यह परिकल्पना की गई है कि किसी वर्ष विशेष में लेक्चररों के स्तर पर भरे जाने वाले शिक्षण पदों में से 15-प्रतिशत पद अ० आ० तथा 7 1/2 प्रतिशत पद आ० ज० आ० के लिए आरक्षित होने चाहिए किन्तु रिक्त पड़े पदों को एक वर्ष से अगले वर्ष में नहीं ले जाना चाहिए। राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में जो अपने-अपने राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य करते हैं, इन विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन भी सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई आरक्षण नीति द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दावा ट्रेसरों का वाणिज्यक निरीक्षक संवर्ग के लिए दर्जा बढ़ाया जाना

10258. **श्री रामेश्वर नीखरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेसरों पर वाणिज्य निरीक्षक सवर्ग के लिए दर्जा बढ़ाने हेतु विचार नहीं किया जाता है ; और

(ख) दावा ट्रेसरों, वाणिज्यक निरीक्षकों आदि के पदों को विभिन्न ग्रेडों में रखने के लिए रेल मन्त्रालय द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और क्या पदों की संख्या के सम्बन्ध में मध्य और पश्चिम रेलवे के बीच समानताएं हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : दावा अन्वेषकों को वाणिज्य निरीक्षों की कोटि के लिए निर्धारित पदों के प्रतिशत वितरण में शासित नहीं किया गया है बल्कि उन्हें क्रमशः 330-590 रु० और 425-640 रुपये के वेतनमान के दावा अन्वेषकों और दावा निरीक्षकों के पदों के बीच एक अलग प्रतिशत वितरण पहले से ही दिया जा रहा है।

इस मन्त्रालय द्वारा विभिन्न ग्रेडों में दावा अन्वेषकों, वाणिज्य निरीक्षकों के पद बनाने के लिए, कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। पदों सृजत, उन पदों से सम्बन्धित संवर्गों में विभिन्न वेतन मानों के बीच निर्धारित प्रतिशत वितरण को ध्यान में रखते हुए कार्य भार के वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है। मध्य और पश्चिम रेलवे के बीच पदों की संख्या में तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि विभिन्न रेलों पर पदो की आवश्यकता का मूल्यांकन कुल कार्यभार, अधिकार क्षेत्र, स्थानीय कार्य की स्थितियों और अन्य सम्बन्धित पहलुओं के आधार पर किया जाता है।

औषध इन्सपेक्टरों की नियुक्ति

'0259. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सेन्ट्रल ड्रग्स स्टेंडर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन में और अधिक संख्या में औषध इन्सपेक्टरों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी संख्या में ऐसे औषध इन्सपेक्टरों को नियुक्त करने की संभावना है ;

(ग) उनकी नियुक्ति किन स्थानों पर किए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) उन औषध इंसपेक्टरों को नियुक्त करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में, जिसके कलकत्ता बम्बई मद्रास और गाजियाबाद में चार जोनल कार्यालय हैं, औषध निरीक्षकों के चार और पदों के सृजन, का प्रस्ताव है। जैसे ही किसी जोनल कार्यालय में ये पद मंजूर हो जाएंगे उन पर नियुक्तियां कर दी जाएंगी।

एकीकृत ग्रामीण स्वास्थ्य और जनसंख्या परियोजना के लिए अमरीकी सहायता

10260. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका एकीकृत ग्रामीण स्वास्थ्य जनसंख्या परियोजना के लिए सहायता देने पर सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां।

(ख) एकीकृत ग्रामीण स्वास्थ्य और जनसंख्या के लिए भारत सरकार तथा अमरीका के बीच परियोजना अनुदान करार हुआ है जिसके अन्तर्गत अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात तथा महाराष्ट्र के कुछ चुने हुए जिलों के लिए 2.37 करोड़ डालर के बराबर का एक अनुदान देने के लिए सहमत हो गई है ताकि प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर को बढ़ावा देने वाली और इन सेवाओं का विस्तार तथा सुधार करने और भारत सरकार की माडल स्वास्थ्य योजना की पद्धतियों को सहायता प्रदान करने वाली स्वास्थ्य और परिवार

नियोजन सेवाओं में सुधार किया जा सके। इसके अतिरिक्त यह परियोजना इन पांच राज्यों की उन कुछेक संस्थानों को मजबूत करेगी जो परियोजना जिलों में स्थित नहीं हैं परन्तु परियोजना जिलों में सेवाएं प्रदान करतीं हैं ।

कांडला बन्दरगाह में गाद भरने के बारे में केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र द्वारा किया गया अध्ययन

10261. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र ने कांडला बंदरगाह में गाद करने के बारे में अध्ययन पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे ने माडल परीक्षण करते हुए कांण्डला पोर्ट में समुद्र में मिट्टी जमा होने की समस्या का अध्ययन किया है और उसने अपेक्षित आंकडे संतुलित किए हैं। उनकी रिपोर्ट का मसौदा 24 फरवरी, 1983 को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि मध्य चैनल क्षेत्र एक वैकल्पिक चैनल बनाई जाए। उन्होंने अनुरक्षण निकर्षण और अन्य सम्बन्ध पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए अपना अध्ययन जारी रखा है। उनकी अन्तिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो वर्कर्स यूनियन की मांगें

10262. **श्री के० वी० एस० मणि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो वर्कर्स यूनियन, मद्रास ने अपने छटे वार्षिक सम्मेलन में स्वीकार किए गए, संकल्प सरकार को प्रस्तुत कर दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण है और कार्यवाही कब की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) विभिन्न मांगों के बारे में 25 संकल्पों की एक प्रति अनुबन्ध में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6662/83]

(ग) और (घ) सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार कर्मचारी यूनियन मद्रास की मांगों पर जहां आवश्यक है, सम्बन्धित विभागों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास की फार्मास्यूटिकल फैक्टरी का आधुनिकीकरण करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिश

10263. **श्री के० बी० एस० मणि**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपु मद्रास के डिपु और फार्मास्युटिकल फैक्टरी का आधुनिकीकरण करने के लिए विशेष समिति की सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) और (ग) जबकि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, लोक व्यय आयोग के एक कार्यदल ने चिकित्सा सामग्री भंडारों के काम-काज के बारे में और सिफारिशें कर दीं। लोक व्यय समिति की सिफारिशों के अनुसार चिकित्सा सामग्री भंडारों को किस रूप में जारी रखा जाना है इसके बारे में कोई अन्तिम निर्णय लेने के बाद ही विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर विचार किया जाएगा।

विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी सिखाया जाना

10264. **श्री माधुरी सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विभिन्न देशों की सख्या और नाम क्या हैं जहां हिंदी पढ़ाई जाती है ;

(ख) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए सहायता देती है ; और

(ग) विभिन्न देशों में हिंदी लोकप्रिय बनाने और उसके शिक्षण का विचार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विदेशों के 90 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इन विश्वविद्यालयों तथा देशों के नामों की सूची वितरण रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) विदेशों में भारतीय अध्ययन पीठों/केन्द्रों की योजना के अन्तर्गत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने बुखारेस्ट, रुमानिया, हवाना, क्यूबा, हमबोल्डत, बर्लिन (जी० डी० आर)० और सोफिया, बल्गारिया विश्वविद्यालयों में हिंदी के अतिथि प्राध्यापक भेजे हैं। श्रीलंका स्थित हमारे हाई कमीशन में भी अंशकालिक हिंदी कक्षाएं चला रहे हैं। भारत सरकार सूरीनाम, गुयाना और त्रिनिदाद में भी एक-एक हिंदी व्याख्याता भेजती है।

विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार की भी हमारी एक योजना है। इसके अन्तर्गत हम हिंदी सीखने के इच्छुक विदेशी राष्ट्रिकों को अध्यापन, प्रशिक्षण और पुस्तकालय की सुविधाएं प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, भारत में हिंदी के अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

इसके अतिरिक्त हम विदेशों में हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों तथा गैर सरकारी संगठनों को हिंदी पाठ्यपुस्तकों, देवनागरी टाइपराइटर, हिंदी लिंग्वाफोन, रिकार्ड, शब्दकोश तथा अन्य अध्यापन-उपकरणों के रूप में भी सहायता देते हैं।

विवरण

उन विदेशी विश्वविद्यालयों की सूची जहां हिन्दी पढ़ाई जाती है।

देश	विश्वविद्यालय का नाम
आस्ट्रेलिया	1. आस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कैन्बरा
	2. मैलबोर्न विश्वविद्यालय, मैलबोर्न
आस्ट्रिया	3. वियना विश्वविद्यालय, वियना
बेल्जियम	4. घेंट विश्वविद्यालय
	5. ल्यूवन विश्वविद्यालय
	6. लेगे विश्वविद्यालय
वल्गारिया	7. सोफिया विश्वविद्यालय, सोफिया
कनाडा	8. ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय, वैनकुवर
चीन	9. पीकिंग विश्वविद्यालय, पीकिंग

1	2
चेकोस्लोवाकिया	10. चार्ल्स विश्वविद्यालय, प्राग
क्यूबा	11. हवाना विश्वविद्यालय, हवाना
डेनमार्क	12. कोबेनहाने कोके विश्वविद्यालय, डेनमार्क
जर्मन संघीय गणराज्य	13. सेमीनार फोर इंडिशे फिलालाजी फ्रे विश्वविद्यालय, बर्लिन
	14. इंडालाजिस्केज सेमीनार डेर रेनिस्केज फ्रेरिज विल्हम्स विश्वविद्यालय, बोन
	15. इंडोजर्मनिश्चेज सेमीनार डेर जोन बोल्फगेंग गोटे विश्व-विद्यालय, फ्रैंकफर्ट
	16. ओरिएन्टचिस्चेज सेमीनार विश्वविद्यालय, फ्रीबर्ग
	17. इंडोलाजिस्वेज सेमीनार डेर विश्वविद्याल, गोटिगन
	18. सेमीनान फोर कुलुटर एंड जेश्चिजेटइंडेन्स विश्वविद्यालय हैम्बर्ग
	19. इंस्टीट्यूट फोर इंडोललाजी डेर विश्वविद्यालय कोइलिन
	20. सेमीनार फोर इंडोलाजी डेर विश्वविद्याल, कील
	21. सेमीमार फोर इन्डोलाजी डेर विश्वविद्यालय, मेन्स
	22. इन्डेश ओस्टेसिटिश्चेज सेमीनार डेर फिलिप्स विश्वविद्यालय नारवर्ग
	23. सेमीनार फोर इन्डोलाजी एण्ड इरानिस्टिक डेर विश्व-विद्यालय, म्यूनचेन
	24. सुडासीन इंटीट्यूट डेर विश्वविद्यालय ब्रीडलबर्ग
	25. सेमीनार फोर इन्डोलाजी एण्ड बर्जलीबेन्ड रीलिजनरिसेतशेफ्ट डेर विश्वविद्यालय, ट्यूवेनगैन
फ्रांस	26. सारबोने विश्वविद्याल, पेरिस
जर्मन जनवादी गणराज्य	27. हमबोलेंट विश्वविद्यालय, बर्लिन
गुयाना	28. जार्जटाऊन विश्वविद्यालय, जार्जटाऊन
हंगरी	29. ओटोबोस लोवैंड विज्ञान विश्वविद्यालय, बूडापेस्ट

1	2
इटली	30. रोम विश्वविद्यालय, रोम
	31. नेपिल्स विश्वविद्यालय, बेप्लिस
	32. वेनिस विश्वविद्यालय, वेनिस
जापान	33. विदेशी अध्ययन का टोकियो विश्वविद्यालय, टोकियो
	34. विदेशी अध्ययन का ओसाका विश्वविद्यालय, ओसाका
	35. टोकई विश्वविद्यालय, कनानवा प्रीफैक्चर
	36. टोकूशोकू विश्वविद्याल, टोकियो
	37. एफ्रो-एशियन लैंग्वेज इन्टीट्यूट, टोकियो
	38. टोकियो विश्वविद्यालय, टोकियो
	39. क्योटो विश्वविद्यालय, क्योटो
	40. ओटानी बुदिस्ट विश्वविद्यालय, क्योटो
	41. ओटेमो विश्वविद्याल, ओसाका
	42. चुओ मकून विश्वविद्यालय
मेक्सिको	43. एल कोलेजिओ डी मेक्सिको विश्वविद्यालय
नेपाल	44. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमांडू
नीदरलैंड	45. लीडेन विश्वविद्यालय, लीडेन
	46. उत्रेश्ट विश्वविद्याल, लीडेन
नार्वे	47. ओस्लो विश्वविद्यालय' ओस्लो
पोलैंड	48. वार्सा विश्वविद्यालय, वार्सा
	49. जगीलोंनियन विश्वविद्यालय, क्रैको
कोरिया गणराज्य	50. हानकूक विश्वविद्यालय, सीओल
रूमानिया	51. बुखारेस्ट विश्वविद्यालय
श्रीलंका	52. श्रीलंका विश्वयिद्यालय विद्यालंकार
स्वीडन	53. स्टाकहोन विश्वविद्यालय, स्टाकहोम
	54. उप्पसला विश्वविद्यालय, उप्पसला

1	2
स्विटजरलैं	55. लवसाने विश्वविद्यालय, लवसाने
	56. न्यूशोतेल विश्वविद्यालय, न्यूशोतेल
थाईलैंड	57. च्यांगमई विश्वविद्यालय, च्यांगमई
यूनाइटेड किंगडम	58. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज
	59. यार्क विश्वविद्यालय
	60. लंदन विश्वविद्यालय, लंदन
संयुक्त राज्य अमरीका	61. कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय बरकेले, कैलीफोर्निया
	62. शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो
	63. इंलिनोइस विश्वविद्यालय, अरबना
	64. मिचिगन विश्वविद्यालय, अन आरबन
	65. मिसोरी विश्वविद्यालय, कोलम्बी
	66. मिनेसोटा विश्वविद्यालय, मिनीपोलिस
	67. राचेस्टर विश्वविद्यालय, राचेस्टर
	68. पेन्सिलवानिया विश्वद्यालय, फिलाडोल्फया
	69. टेक्साज़ विश्वविद्यालय, आरिस्टन
	70. वर्जीनिया विश्वविद्यालय, कार्लोटसविल्ले
	71. वाशिंगटन विश्वविद्यालय, सेंटले
	72. विसकानसिन विश्वविद्यालय, मेडिसन
	7 . कैल्टीफोर्निया स्टेट कालेज, हावर्ड
	74. अमेरिकन विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डी० सी०
	75. इयूक विश्वयिद्यालय, डरहम
	76. सिराक्यूज विश्वबिद्यालय, सिराक्यूज
	77. क्लोमोरेंट ग्रेजुएट स्कूल, क्लेमोरेंट
	78. डेविडसन कालेज, डेविडसन
	79. कैन्सस स्टेट विश्वविद्यालय, मनहरन
	80. मिचिगन स्टेट विश्वविद्यालय

1	2
	81. ओकलैंड विश्वविद्यालय, राचेस्टर
	82. कारनेल विश्वविद्यालय, इथेंका
	83. कोलम्बिया विश्वयिद्यालय, न्यूयार्क
सोवियत समाजवादी	84. इण्स्टीटयूट आफ ओरिएन्टल स्टडीज, मास्को
गणतंत्र संघ	85. इस्टीटयूट आफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज मास्को
	86. इंस्टीटयूट आफ इण्टरनेशनल रिलेशन्स, मास्को
	87. लेविनग्राद राज्य विश्वविद्यालय, लेनिनग्राद
	88. ताशकंत राज्य विश्वविद्याल, ताशकंत
	89. इण्स्टीटयूट आफ ओरिएन्टल स्टडीज, लेनिनग्राद (डप्लोमा भारत में एम० ए० के बराबर है)
यूगोस्लाविया	90. जेगरेब विश्वविद्यालय जेगरेब

उपर्युक्त स्थानों के अलावा निम्नलिखित देशों में विभिन्न संस्थानों में भिन्न-भिन्न स्तर तक हिंदी पढ़ाई जा रही है :—

1. बर्मा	8. अफगानिस्तान
2. फीजी	9. कुवैत
3. कीनिया	10. सऊदी अरब
4. तन्जानिया	11. ओमान
5. मारीशस	12. इण्डोनेशिया
6. सूरीनाम	13. हांगकांग
7. त्रिनिदाद	14. बहरीन

केरल के विदलन और एटिंगल बाईपासेज के भूमि का अधिग्रहण

10265. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के विदलन और एटिंगल बाईपासेज के भूमि का अधिग्रहण करने हेतु मंजूरी देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां ।

(ख) मार्च, 1981 में केरल राज्य सरकार ने 52.50 करोड़ रुपये की लागत के कई कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए अनुरोध किया । इन कार्यों के साथ क्रमशः 125.00 लाख रुपये और 50 लाख रुपये की लागत के कीलोन और अटिंगल बाईपासो के लिए भूमि अधिग्रहण करना भी शामिल था । परन्तु समस्त कार्यों के लिए धनभाव को देखते हुए उपरोक्त बाईपास के कार्यों को छठी योजना में शामिल किया जा सका । अतः कीलोन बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु फरवरी, 1983 में राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 525.774 लाख रुपये का जो अनुमान भेजा था वह बिना अनुमोदन को वापस कर दिया गया ।

5-5-1983 को दिया जाने वाला उत्तर

10266. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री आर० एन० राकेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के लेखा विभाग में द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए सम्मिलित जोन आफ कन्सीडरेशन रखने का आधार क्या है, जोन आफ कन्सीडरेशन अलग रखने के क्या कारण हैं ;

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे के लेखा विभाग में रिजर्वेशन लागू होने (सन् 1957) से आज तक द्वितीय श्रेणी के कितने पद भरे गए हैं और उनमें कितने पद आरक्षित थे, कितने पद अनुसूचित जाती जनजाति के कर्मचारियों से भरे गए हैं तथा कितने आरक्षित पद डी-रिजर्व कर सामान्य अभ्यार्थियों से भर लिए गए हैं और इस संबंध में पिछले वर्षों के दौरान किए गए चयन का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार आरक्षण नीति का सही अनुपालन हेतु तृतीय श्रेणी में की भांति द्वितीय श्रेणी भी अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए पृथक जोन आफ कन्सीडरेशन रखने पर विचार कर रही है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : लेखा विभागों सहित रेलवे के सभी विभागों में वर्ग "ख" (श्रेणी 2) के पदों पर नियुक्ति विचाराधीन क्षेत्र में आने वाले पात्र कर्मचारियों में से प्रवरण के आधार पर की जाती है । विचारणीय क्षेत्र सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी दोनों के लिए समान होते हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी इस क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं उन्हें आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त करने के बारे में विचार किया जाता है । जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कमचारी सामान्य क्षेत्र में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होते या सामान्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में से कोई नहीं होता, वहां रिक्तियों की संख्या को पांच गुना बढ़ा दिया जाता है तथा विस्तृत क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (और अन्य नहीं) के उम्मीदवारों के बारे में विचार किया जाता है ।

भारत सरकार के सभी विभागों की यह सामान्य नीति है। वर्ग "ख" के पद प्रबन्धकीय श्रेणी के होते हैं और जो कर्मचारी इन पदों पर नियुक्त होते हैं उन्हें अपने व्यवसायिक क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और अपने प्रबन्धकीय कार्य को चलाने के लिए वरिष्ठता, विशेषरूप से अपने अधीनस्थों को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य चलाने का गुण होना चाहिए।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए, नहीं।

रेल लाइनों और चल स्टाकों के नवीकरण के लिए निधि

10267. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने रेलवे कार्यक्रम हेतु वर्ष 1983-84 के लिए जो संसाधन उपलब्ध किए हैं वे इतने कम हैं कि रेलवे उससे पुराने रेल लाइनों और चल स्टाकों का नवीकरण नहीं कर सकता ;

(ख) यदि हां, तो जो वास्तविक आवंटन है वह रेल लाइनों और चलस्टाकों के नवीकरण करने के लिए अनुमानित मांग से कितना कम है ; और

(ग) कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (**श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी**) : (क) जी हां, 1983-84 के लिए योजना आयोग से की गयी 1878.50 करोड़ रुपए की कुल मांग की तुलना में 1342 करोड़ रुपए का आवटन किया गया है।

(ख) रेलपथ नवीकरण और चल-स्टाक के लिए 1983-84 के मौजूदा आवंटन की राशि मांगी गयी राशि से क्रमश: 30 करोड़ तथा 99 करोड़ रुपए कम है।

(ग) बदलाव/नवीकरण का काम तेज करने के लिए इस वर्ष मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में अन्शदान की राशि 1982-83 के 556 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ाकर 858 करोड़ रुपए कर दी गई है। आंशिक रूप से अतिरिक्त आन्तरिक संसाधन जुटाकर ऐसा किया जा सका है।

बिहार में गंगा में नौवहन में प्रगति

10268. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा तथा विशेषकर बिहार में नौवहन के लिए प्रयास किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार नदियों पर चल रहे गैर सरकारी जहाजरानी कम्पनियों को अपने नियन्त्रण में लेने का है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) गंगा नदी में प्रयोग व प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बिहार में पटना और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर/चुनार के बीच 1971 में एक आर पार समानान्तर कार्गो सेवा तथा मई, 1975 में बिहार में गंगा नदी पर कहलगांव काढ़ागोला के बीच एल० सी० टी० फेरी सेवा शुरू की थी, वह सेवा अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के पटना क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अभी भी चलाई जा रही है

फरक्का में नौचालन लाक के चालू होने के बाद केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० अपनी कार्गो सेवा को जो अभी कलकत्ता और फरक्का के बीच चलती है, उसे प्रारम्भ में पटना और बाद में कार्गो मिलने पर इलाहाबाद तक ले जाने का विचार रखता है ।

सरकार ने ब्याज सहायता स्कीम की मन्जूरी दी है जिससे अन्तर्देशीय जल परिवहन में लगे उद्यमी जहाज अर्जित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकें । इलाहाबाद-हल्दिया के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग पर अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा चलाने के लिए ब्यौरवार व्यवहार्यता अध्ययन न सिर्फ कार्गो की प्रचुरता का पता लगाने, बल्कि टर्मिनल स्थल का पता लगाने के लिए भी किया गया है । अन्तर्देशाय जल परिवहन प्रचालन के लिए हल्दिया फरक्का क्षेत्र में नदी टर्मिनल और अन्य सुविधाएं लगाने के लिए 189.50 लाख रुपए की लागत से एक स्कीम की भी मन्जूरी दी गई है । फरक्का-इलाहाबाद क्षेत्र में भी ऐसी सुविधाएं लगाने के बारे में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ।

(ग) नहीं ।

1 अप्रैल 1982 तक प्रत्येक जोन नैमित्यिक कर्मचारियों की संख्या

10269. **श्री नवीन रावणी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल 1982 तक प्रत्येक जोन में कितने नैमित्तिक कर्मचारी कार्यरत थे ;

(ख) प्रत्येक जोन में उनमें से कितने कर्मचारियों को वर्ष 1982-83 के दौरान नियमित किया गया है ;

(ग) क्या नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने हेतु कोई समयबद्ध योजना अथवा कार्य-क्रम है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) नेमित्तिक श्रमिक तभी नियमित किए जाते हैं जब कभी उनको समाहित करने वे लिए रिक्तियां उपलब्ध होती हैं ।

नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्ति

10270. **श्री नारायण साहू** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (या यह सच है कि मन्त्रालय अथवा विभाग/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नैमित्तिक मजदूरों/मस्टर रोल कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या काफी समय पश्चात् भी उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जा रहा है ; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उन्हें वर्षों तक नैमित्तिक मजदूरों अथवा मस्टर रोल कर्मचारियों के रूप में रखने की बजाए उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) मन्त्रालय में इस समय नैमित्तिक कार्यों के लिए बिल्कुल तदर्थ आधार पर 19 नैमित्तिक कर्मचारी लगाए गए हैं । 20-3-1979 से पहले लगाए गए सभी पात्र नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है। अधीनस्थ कार्यालयों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

धनबाद पाथरडीह पैसेंजर ट्रेन का भोजुडीह तक विस्तार

10271. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद पाथरडीह पेसेंजर ट्रेन का भोजुडीह तक विस्तार करने हेतु रेल लाइन पर कितनी पूंजी निवेश की आवश्यकता है जो कि पहले से ही बिछी है परन्तु मालगाड़ियों के लिए प्रयुक्त होती है ;

(ख) मद वार अलग तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस मार्ग के खुल जाने के बाद होने वाले लाभ की तुलना में लागत बहुत कम होगी :

(घ) क्या यह सच है कि भोजुडीह पिछड़ा क्षेत्र और बिहार में अनुसूचित विधान सभा क्षेत्र का भाग होने के कारण धनबाद से जोड़ने हेतु विशेष ध्यान देने हेतु विशेष ध्यान देने की जरूरत है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार अपने पूर्व निर्णय में संशोधन करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) इस पर लगभग 15 लाख रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी ।

(ख) माल गाड़ियों के लिए बने सभी 8 1/2 में एक टर्नआउटों को लगभग 10 लाख रुपए की लागत से 12 में एक टर्न आउटों में बदला जाना है और लगभग 5 लाख रुपए की लागत से सिगनल व्यवस्था में सुधार किया जाना है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) चूंकि सम्बन्धित दूरी बहुत कम है और जैसी कि राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति के साथ-साथ रेल दर जाच समिति ने सिफारिश की है, रेलों को कम दूरी वाली गाड़ियों का विस्तार नहीं करना चाहिए, अत: इन गाड़ी सेवाओं को भोजूडीहँ तक बढ़ाना वांछनीन नहीं है ।

(ङ) जी, नहीं ।

नागरकोइल नगर रेलवे स्टेशन में सुविधाएं

10272. **श्री एन० डेनिस** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागरकोइल नगर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म, शौचालय, प्रतीक्षालय और अन्य सुविधाओं के न होने के कारण यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या इस स्टेशन के लिए पर्याप्त सम्पर्क मार्ग प्रदान करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) नागरकोइल टाऊन एक फलैग स्टेशन है और यहां एक पटरी के समतल प्लेटफार्म, प्लेटफार्म पर एक शौचालय और बैठने के लिए बैंचों की व्यवस्था जैसी आवश्यक सुविधाएं मोजूद हैं । स्टेशन तक पहुंचने के लिए समुचित सड़क और यात्रियों के इस्तेमाल के लिए गंटकों में पीने का पानी उपलब्ध है ।

लेकिन पिछले कुछ समय से, पटरी समतल प्लेटफार्म की लम्बाई/105 मीटर छोटी पड़ गई है क्योंकि इस स्टेशन पर 15 बोगियों वाली गाड़ियां ठहरने लगी हैं । रेलवे को कहा जाएगा कि धन उपलब्ध होने पर यथा समय पटरी समतल प्लेटफार्म के विस्तार की योजना बनाएं ।

कुझीथुराई पश्चिम रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं

1 . 73. **श्री एन० डेनिस** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी रेलवे लाइन में कुझीथुराई रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म शौचालय, प्रतीक्षालय और अन्य सुविधाओं के न होने के कारण बहुत समय से यात्रियों को हो रही कठिनाइयों के बारे में जानकारी है ; और

(ख) इन सुविधाओं को प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) कुझीथुराई एक हाल्ट स्टेशन है और यहां वर्तमान मानदण्डों के अनुसार बैठने के पर्याप्त स्थान वाले एक प्रतीक्षालय सहित एक बुकिंग कार्यालय और पटरी की सतह वाले एक प्लेटफार्म की आधारभूत आवश्यताएं पहले से ही उपलब्ध है। मटकों में रखा हुआ पीने का पानी उपलब्ध है। इस प्रकार के हाल्ट स्टेशनों पर शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रचलित नहीं है। बहरहाल, पिछले कुछ समय से इस स्टेशन पर 15 डिब्बों वाली गाडियों का ठहराव आरम्भ किए जाने के फलस्वरूप पटरी के स्तर के इस प्लेटफार्म की लम्बाई आवश्यकता से लगभग 150 मीटर कम पड रही है। पटरी के स्तर के इस प्लेटफार्म की लम्बाई यथासमय धन की उपलब्धता के अनुसार बढ़ाए जाने और यदि पहले से न लगे हों तो इस प्लेटफार्म पर छायादार वृक्ष लगाने की योजना बनाने के लिए रेलवे को कह दिया जाएगा।

त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी, लाइन पर एक्सप्रेस रेल गाड़ियों का चलाया जाना

10 74. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच का रेल मार्ग एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के लिए उपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो उस लाइन पर चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कन्याकुमारी के लिए और अधिक एक्सप्रेस रेल गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या है?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां, तिरुवनन्तपुरम और नागरकोइल के बीच अधिकतर रफ्तार 60 कि० मी० प्रति घन्टा तथा नागरकोइल और कन्याकुमारी के बीच 50 कि० मी० प्रति घन्टा है;

(ख) 1-4-1983 से तिरुवनन्तपुरम और कन्याकुमारी के बीच एक जोडी 63/64 एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास में बकिंघम नहर

10275. **श्री एम० डेनिस** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास में बकिंघम नहर को माल परिवहन परियोजना में बदलने की सम्भावना की जांच की है; और

(ख) क्या इन नहर का वाणिज्यिक काम के लिए उपयोग करने की सम्भावनाओं की जांच की गई है।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) भारत सरकार ने प्रथम चरण में तमिलनाडु में बकिंघम नहर को बहाल रखने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत 20.00 लाख रुपए का एक अनुमान मन्जूर किया था जिससे कि इस नहर द्वारा माल का नियमित रूप से यातायात हो सके । इस कार्य के लिए समस्त ऋण राशि दे दी गई है ।

(ख) उक्त स्कीम को यथावत् मन्जूर करने का आशय यह था कि यह नहर पहले की तरह चालू हो जाए और इस रास्ते माल का यातायात हो सके । राज्य सरकार से भी वह अनुरोध किया गया कि वह इस नहर से पर्याप्त यातायात बनाए रखने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाई को जिससे कि यदि धन उपलब्ध हो तो द्वितीय चरण में इस नहर के और अधिक विकास के लिए उनके प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध हो सके ।

डाक्टरों के लिए अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा का गठन

10276. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि डाक्टरों की सेवाओं का पूरे में लाभ उठाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसी अखिल भारतीय सेवा के गठन में क्या कठिनाइयां हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का गठन पहली फरवरी, 1969 से किया गया था । विभिन्न राज्यों में उस सेवा के संवर्ग के गठन और उसमें आरम्भिक भरती शुरू करने से पहले ही कुछेक राज्यों ने इस सेवा में शामिल होने के बारे में अपनी पहले दी हुई सहमति वापस ले ली थी । तत्कालीन सरकार ने मार्च, 1978 में यह मिसला किया कि उस सेवा के संवर्गों का गठन नहीं किया जाना चाहिए । अब स्थिति पर पुनर्विचार किया जा चुका है । राज्य सरकारों के साथ औपचारिक परामर्श चल रहा है और उनके विचार मिलने पर ही उस सेवा के पुनर्गठन के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा

अहमदाबाद के चारों और सर्कुलर रेल

10277. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अहमदाबाद के चारों और सर्कुलर रेल लाइन बिछाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी नहीं । बहरहाल, अहमदाबाद नगर विकास प्राधिकरण और अहमदाबाद नगर निगम के अनुरोध तथा लागत पर एक

व्यावहारिकता सर्वेक्षण प्रगति पर है। दिसम्बर 83 तक यह सर्वेक्षण पूरा हो जाने और इसकी अन्तिम रपट तैयार हो जाने की सम्भावना है। रपट की प्रतियां अहमदाबाद नगर विकास प्राधिकरण और गुजरात सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

सर्वेक्षण करने का यह मतलब नहीं है कि निर्माण कार्य सामान्य रेल परियोजना के रूप में आरम्भ किया जायेगा। महानगर परिवहन परियोजनाओं को तभी आरम्भ किया जायेगा जब योजना आयोग योजनाओं की स्वीकृत दे दे और परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था कर दे। रेलें इस तरह के निर्माण कार्यों के निष्पाद के लिये केवल एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं।

गुजरात में सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च की गई धनराशि

10278. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विभिन्न रोजगार योजनाओं हेतु निर्धारित राशि के बारे में 7 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 657 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत 275.00 लाख रुपयों में से गुजरात में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) उपर्युक्त धनराशि किन योजनाओं पर खर्च की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) गुजरात के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के लिए 1982-83 के दौरान 25,07,509 रुपए की धनराशि विमुक्त की गई।

(ख) यह धनराशि जिन योजनाओं पर खर्च की गई वे हैं डेरी यूनिट तथा पापड़ और साबुन बनाने, प्रिंटिंग, जिल्दसाजी मसाला और मिर्च पीसने इत्यादि से सम्बन्धित लघु उद्योग एकक।

गुजरात में केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आने वाले अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों की संख्या

10279. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उन अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में गुजरात में कुछ नए अस्पताल और चिकित्सा संस्थान खोलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) उपलब्ध सूचना **विवरण** में दी गई है।

(ख) और (ग) श्रम और रेल मंत्रालयों ने सूचित किया है किया है कि उनका गुजरात में कुछेक नये अस्पताल खोलने का विचार है ;

विवरण

गुजरात में अस्पतालों की सूची

1. रेलवे अस्पताल, बुलसर
2. रेलवे अस्पताल, साबरमति
3. रेलवे अस्पताल, प्रताप नगर
4. रेलवे अस्पताल, गान्धी धाम
5. रेलवे अस्पताल, राजकोट
6. रेलवे अस्पताल, भावनगर
7. रेलवे अस्पताल, दाहोद
8. ई०एस०आई० अस्पताल, बापू नगर, अहमदाबाद
9. ई०एस०आई०, अस्पताल नरोदा, अहमदाबाद ।
10. ई०एस०आई०, अस्पताल, बड़ौदा
11. ई०एस०आई०, अस्पताल, कालोल
12. ई०एस०आई०, अस्पताल, राजकोट
13. ई०एस०आई०, अस्पताल, हीरपुर, अहमदाबाद ।
14. सैनिक अस्पताल, धरंगाधारा
15. सैनिक अस्पताल, अहमदाबाद
16. सैनिक अस्पताल, बड़ौदा
17. सैनिक अस्पताल, भूज
18. सैनिक अस्पताल, जामनगर
19. आई०एन०एस० बलसौर, जामनगर
20. अहमदाबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तीन औषधालय ।

यात्री डिब्बा कारखाना स्थापित करना

10280. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्र सरकार से अपने यहां यात्री डिब्बा बनाने वाली फैक्ट्रियां स्थापित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) आंन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों को नोट कर लिया गया है और स्थान निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इस बारे में उचित रूप से विचार किया जाएगा।

दिल्ली में वर्ष 1982-83 के दौरान दुर्घटनाग्रस्त डी० टी० सी० बसें

10281. **श्री चिन्ता मणि जेना** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1982-83 के दौरान डी०टी० सी बसों की दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घालय हुए;

(ख) इन दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों अथवा उनके परिवारों की मुआवजे के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ग) कितने मामलों में मुआवजे की अदायगी नहीं की गई और उसके क्या कारण हैं ;

नौवहन और परि वहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क)

मृतकों की संख्या	घालत होने वालों की संख्या
243	2035 (इन में अन्तर्राज्यीय रूटों पर मरने वाले 31 व्यक्ति और घालय होने वाले 219 व्यक्ति शामिल हैं)

(ख) 33,48,442.00 रुपये।

(ग) 63 मामलों में, न्यायालयों ने दावेदारों के विरुद्ध निर्णय दिया। अन्य 726 मामले न्यायालय में निर्णय के लिए पड़े हैं जिनमें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है।

छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में अतिरिक्त सुविधायें

10282. **श्री केयूर भूषण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रेलगाड़ी में क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का विचार है ; और

(ख) क्या इस रेल गाड़ी के पुराने डिब्बों को बदलने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेलवे की सफाई के स्तर में सुधार लाने और सभी गुमशुदा यात्री सुविधाओं और सुरक्षा फिटिंगों को फिर से लगाने के लिए विशेष रूप से कहा गया है।

(ख) गाड़ी के पुराने डिब्बों को धन की उपलब्धता के भीतर ही व्यावहारिक सीमा तक बदले जाने का प्रस्ताव है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रमों के लिए आरक्षण

10283. **श्रीमती संयोगिता रजे स्नातकोत्तर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में इसके मेडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० अथवा स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक आन्तरिक और बाह्य छात्रों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आन्तरिक छात्रों के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित होते हैं ;

(ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा इसके मेडिकल कालेजों में और इन्जीनियरिंग कालेजों में प्रवेश पाने के इच्छुक बाह्य छात्रों की उपेक्षा के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार एम० बी० बी० एस०/बी० एस० सी० इन्जनियरी/एम० एस० सी० इन्जनियरी में दाखिला के लिए 50% स्थान एक खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पूर्णतया निर्धारित योग्यता के आधार पर भरे जाते हैं जबकि शेष स्थान योग्यता के आधार पर दाखिल किए जाने वाले आंतरिक छात्रों के लिए आरक्षित होते है। एम० डी०/एम० एस० पाठ्यक्रमों में दाखिल के लिए आन्तरिक तथा बाह्य उम्मीदवारों का अनुपात 70:30 है।

बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के सम्बन्ध में एम० बी० बी० एस० तथा उत्तर-स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आन्तरिक उम्मीदवारों के लिए आरक्षण सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर यथा समय रख दिया जायेगा।

(ख) अलगीढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चिकित्सा और इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में दाखिल के लिए वाह्य छात्रों की उपेक्षा नहीं की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई रेल गाड़ियां और सीधे यात्री डिब्बे चालू करने की मांग

10284. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से एक तरफ दिल्ली बम्बई कलकत्ता मद्रास, और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवम् जम्मू और कश्मीर में अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने और यात्रा करने वाले लोगों को राहत देने हेतु नई रेलगाड़ियों/सीधे यात्री डिब्बे चालू करने के बारे में कोई मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस मांग पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है, तो किस तारीख तक फैसला कर लिए जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) जी हां। विभिन्न स्रोतों से नयी गाड़ियां थ्रू सवारी डिब्बे चलाने की लगातार मांग प्राप्त हो रही है जिनमें निम्नलिखित के सीधी गाड़ियां चलाने की कुछ मांगें भी शामिल हैं ;

1. कालका/चण्डीगढ़ से बम्बई
2. कालका/चण्डीगढ़ से मद्रास
3. जम्मू तबी से दिल्ली
4. जम्मू तबी से बम्बई
5. जम्मू तबी से कन्याकुमारी
6. पठानकोट से दिल्ली
7. पठानकोठ से बम्बई
8. अमृतसर से मद्रास
9. फिरोजपुर से हावड़ा
10. पटियाला से दिल्ली
11. नांगल डेम से बम्बई सैन्ट्रल

सवारी डिब्बों की कमी तथा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाओं के अभाव और संतृप्त लाइन क्षमता के कारण अभी मांगों को पूरा करना सम्भव नहीं है। बहरहाल, साधनों और धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए रेलें, जहां कहीं औचित्य होगा, मांगों को पूरा करती रहेंगी।

होशियारपुर, नांगलडैम, जालन्दर शहर, कीरतपुर तथा फीरोजपुर में सुविधायें

10285. **प्रो० नारायण चन्द पराशर**: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1°82-83 के दौरान उत्तर रेलवे के होशियारपुर, नांगलैडम, जालन्धर शहर, कीरतपुर और फीरोजपुर रेलवे स्टेशनों पर लोगों ने वर्तमान सुविधाओं में सुधार करने तथा नई यात्री सुविधाएं जुटाने की मांग की हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक स्टेशन पर किस प्रकार की सुविधाओं की मांग की गई है और प्रत्येक मामले पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या लोगों ने जिन नई सुविधाओं की मांग की है, वे उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा निर्णयों की कार्यान्वित करके प्रदान की जा चुकी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण	
होशियारपुर, नांगल डैम, जालंधर सिटी, कीरतपुर और फिरोजपुर पर 1982-83 के दौरान सुविधाओं के लिए प्राप्त मांगें	की गई कार्रवाई
1' होशियारपुर	
(1) प्लेटफार्म की छत का विस्तार	(1) प्लेटफार्म की छत के विस्तार का काम आरम्भ कर दिया गया है।
(2) अतिरिक्त प्लेटफार्मों की व्यवस्था	(2) वर्तमान प्लेटफार्म पर्याप्त है।
(3) पहुंच मार्ग का उचित अनुरक्षण	(3) पहुंच मार्ग की मरम्मत कर दी गयी है।
2. नांगल डैम	
(1) विश्राम-कक्षों की व्यवस्था	(1) वर्तमान यातायात के स्तर को देखते हुए विश्राम कक्ष की व्ययस्था का औचित्य नहीं पाया गया।
(2) प्रतीक्षालयों की व्यवस्था	(2) दो प्रतीक्षालय पहले से ही उपलब्ध हैं। फिलहाल अतिरिक्त प्रतीक्षालयों की व्यवस्था का औचित्य नहीं पाया गया।
3. जालन्धर सिटी	
(1) कम से कम और विश्राम-कक्षों की व्यवस्था।	(1) जालंधर सिटी स्टेशन पर पहले से ही दो विश्रामकक्ष विद्यमान हैं। के ढांचे में परिवर्तन के प्रस्ताव को अन्तिम रूप देते समय अतिरिक्त विश्रामकक्षों की व्यवस्था की मांग को ध्यान में रखा जायेगा।

1	2
4. कीरतपुर	
(1) प्लेटफार्मों पर छत की व्यवस्था	(1) भविष्य के निर्माण कार्यक्रम को अन्तिम रूप देते समय इस मांग को ध्यान में रखा जायेगा। धन की तंगी के कारण तत्काल इसी की योजना बनाना सम्भव नहीं है।
(2) पीने के पानी की उचित व्यवस्था	(2) यात्रियों को पीने के पानी की सप्लाई के लिए स्टेशन पर दो हथ-पम्पों की व्यवस्था की गई है।
(3) विश्रामकक्षों की व्यवस्था	(3) स्टेशन पर एक प्रतीक्षालय है। यातायात के वर्तमान स्तर के लिए विश्रामकक्ष की व्यवस्था करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।
(4) पहुंच मार्ग की व्यवस्था	(4) पहुंच मार्ग पहले से ही उपलब्ध है। इसकी मरम्मत कर दी गयी है।
5. फिरोजपुर	
(1) कुछ नहीं	कुछ नहीं।

उत्तर रेलवे में पहले चलाए जा रहे सीधे सवारी डिब्बों को फिर से चालू करने की मांग

10286. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन के उत्तर रेलवे में पहले चलाए जा रहे सीधे सवारी डिब्बों (थ्रू कोचेज) को फिर चालू करने की कोई मांग 1982-83 में प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसे डिब्बे फिर चालू करने के आदेश दे दिए गए है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक फिर चालू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी हां, नंगल डैम-देहरादून थ्रू सवारी डिब्बे को फिर से चलाए जाने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) थ्रू सवारी डिब्बा जो नवम्बर, 1975 से सितम्बर, 1976 के दौरान 53/54 हिमाचल एक्सप्रेस और उससे सम्बद्ध गाड़ियों के साथ नंगल डैम-देहरादून के बीच चलाया जा रहा था उसे फिर से चलाए जाने का यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है। अम्बाला छावनी और सहारनपुर में, जहां इस सवारी डिब्बे को एक गाड़ी में लगाना होता है, शंटिंग संबंधी कठिनाइयां भी हैं।

कालका मेल के लिए ठेका दिया जाना

10287. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 अप तथा 2 डाउन कालका मेल और लम्बी दूरी वाली अन्य गाड़ियों में हाकिंग ठेका उनके पात्र वर्गों को दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि 101 अप और 102 डाउन राजधानी एक्सप्रेस में हाकिंग ठेके को पर्याप्त स्थान दी गई है, जो राशि के समय पूर्व रेलवे से गुजरती है ;

(घ) क्या सरकार को दिनांक 19 दिसम्बर, 1981 की अमृत बाजार पत्रिका में यथा-विज्ञापित पात्र वर्गों को ठेके देने के हेतु अनेक संसद सदस्यों में सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ख) लम्बी दूरी की मेल/एक्स प्रेस गाड़ियों में पुस्तकों के चलते-फिरते बुक स्टाल एवम् पुस्तकालय की वर्तमान प्रणाली के बदले

पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि की बिक्री के लिए फेरीवालों को लाइसेंस दिए जाने की प्रथा लागू करने का एक प्रस्ताव विचारधीन है। बहरहाल, पूर्व रेलवे ने हावड़ा और मुगलसराय के बीच चलने वाली राजधारी एक्सप्रेस और वातानुकूलित एक्सप्रैस गाड़ियों में पुस्तकों तथा पत्रिकाओं आदि की बिक्री के लिए परीक्षण के तौर पर फेरी वालों को लाइसेंस प्रदान किए हैं। रेलवे ये जगह की अत्यधिक तंगी को देखते हुए 1 अप 2 डाउन कालका मेल गाड़ियों में चलने-फिरते एवम् बुक स्टालों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया है।

रेलवे कर्मचारियों का सामयिक स्थानान्तरण

10288. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जन सम्पर्क वाले रेलवे कर्मचारियों के सामयिक स्थानान्ततरण को उत्तर रेलवे के विभिन्न डिवीजनों में 15 वर्ष के बाद पूरी तौर पर पुनः कार्यान्वित किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि एक मीटर गेज लाइन डिवीजन में ये स्थानान्तरण केवल नाम मात्र के लिए किए जाते हैं और कर्मचारियों की केवल सीट बदली जाती है ; और

(ग) क्या यूनियनों के पदाधिकारियों को स्थानान्तरण से मुक्त रखा गया है, यदि नहीं, तो यूनियन के कितने पदाधिकारियों के केवल स्थानीय स्तर पर स्थानान्तरित किया गया है और कितने को दूसरे मुख्यालयों में भेजा गया है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ख) वर्तमान आदेशों के अनुसार, ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को जहां आम जनता से मिलना-जुलना पड़े अथवा ठेकेदारों सप्लायरों से लेन-देन करना पड़े, वर्तमान पदों से हर 4 वर्ष बाद स्थानान्तरित कर दिया जाता है। ऐसे स्थानान्तरण उसी स्टेशन खण्ड क्षेत्र में भी हो सकते हैं। उत्तर रेलवे ने अपने कुछ मण्डलों पर इन आदेशों का क्रियान्वयन कर दिया है और शेष मण्डलों पर यह कार्य चल रहा है। लेकिन, उत्तर रेलवे इस आवधिकता को 5 वर्ष मान कर चल रही हैं और उन्हें वर्तमान अनुदेशों के अनुसार इस अवधि को बदल कर 4 वर्ष करने के उपयुक्त अनुदेश दे दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं। बीकानेर मण्डल में, जो कि एक मीटर आमान का मण्डल है, 5 वर्षीय सेवा काल के आधार पर आवधिक स्थानान्तरण किए जाने वाले कुल 18 यूनियन अधिकारियों में से 8 को बारी-बारी से उसी स्टेशन पर तैनात कर दिया गया, एक अधिकारी को उसके तैनाती के वर्तमान स्टेशन से स्थानान्तरित कर दिया गया है और 9 अधिकारियों के मामले में यूनियन उनके स्थानान्तरण से सहमत नहीं हुई।

पूर्व रेलवे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सहमति लिमिटेड, धनबाद के कर्मचारियों के लिए वेतनमान।

10289. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, धनबाद के अवैतनिक सचिव ने उक्त समिति की गम्भीर समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए 20 सितम्बर, 1982 पत्र संख्या ई० आर० सी० सी० एस०/इ० आर० डी०/एच० एन० 82 का एक अभ्यावेदन उनको भेजा है ;

(ख) क्या वर्ष 1960 से अच्छी तरह काम करने वाली यह समिति इस समय बन्द होने वाली है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उसे पुनर्जीवित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(घ) क्या रेल प्रशासन ने दिनांक 1 जुलाई, 1980 से इस समिति को राजसहायता देना बन्द कर दिया है और रेलवे सहकारी समितियों को राजसहायता देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ङ) क्या सी० पी० ओ०/ओ० ई० आर०/सी० सी० द्वारा परिचालित रेलवे बोर्ड की दिनांक 26 अगस्त, 1977 की पत्र संख्या ई० (एन० जी०) (1) 77 आर० आर० आई०/5 को देखिए क्रमांक 31/80 अनुसार पूर्व रेलवे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, धन्यबाद के किसी भी कर्मचारी को नियमित सेवा में खपाया गया है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सहकारी समिति अभी भी कार्य कर रही है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता केवल एक विशेष अवधि के लिए ही प्रदान की जाती है और नीति के अनुसार और आगे आर्थिक सहायता दिए जाने के प्रश्न की फिर से जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) 26 अगस्त, 1977 के बोर्ड के आदेशों के अनुसार सरकारी समितियों जैसे अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों के कर्मचारियों को समाहित करने के बारे में पात्र नैमित्तिक श्रमिकों और एवजियों को नियमित रेल सेवाओं में समाहित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जाता है। नैमित्तिक श्रमिकों और एवजियों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों की तुलना में काफी अधिक है और इसलिए धनबाद मण्डल की रेलवे सहकारी समितियों के कर्मचारियों को नियमित रेल सेवा में समाहित करना सम्भव नहीं है ।

"टाइम" न्यूज वीक आदि द्वारा आसाम के गलत मानचित्र का प्रकाशन करना

10290. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "टाइम" न्यूज वीक और "द इकोनामिस्ट" पत्रिकाओं ने हाल में आसाम के जो मानचित्र प्रकाशित किए थे, वे गलत पाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत की सीमा रेखा दर्शाने में की गई चूक का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इसके विरुद्ध कोई औपचारिक विरोध प्रकट किया है ; और

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) जी, नहीं । "टाइम" और न्यूज वीक" इन दोनों पत्रिकाओं के 7 मार्च के अकों में असम के बारे में प्रकाशित लेखों के साथ इस क्षेत्र का एक कच्चा नक्शा दिया गया था जिसमें असम और पड़ौसी राज्य भी दिखाए गए थे। इन नक्शों में भारत या असम की सीमा दिखाने में कोई गलती नहीं थी।

26 फरवरी से 4 मार्च, 1993 के "इकॉनोमिस्ट" के अंक में भी एक नक्शा छपा था, लेकिन इसमें सिक्किम राज्य को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में दिखाया गया था ।

(ग) और (घ) लन्दन स्थित भारत के हाई कमीशन में मन्त्री (प्रेस तथा सूचना) ने "इकॉनोमिस्ट" के सम्पादक के नाम एक पत्र में कहा कि उन्होंने पूर्वी भारत का जो नक्शा छपा है उसमें सिक्किम राज्य को एक अलग इकाई के रूप में दिखाया गया है, जबकि यह भारत का एक अभिन्न अंग है। इस पत्रिका ने सम्पादक के नाम पत्रों में हमारे विचार प्रकाशित किए थे।

वाराणसी के निकट रेल भूमि की तथाकथित अवैध बिक्री

10291. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वाराणसी रेलवे स्टेशन के निकट करोड़ों रुपये मूल्य की रेल भूमि की अवैध बिक्री के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस बारे से अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) वाराणसी के किसी व्यक्ति से पूर्वोत्तर रेलवे को यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा रेलवे की भूमि को बेचा जा रहा है । रेलवे द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल करने पर पता चला कि वाराणसी सिटी स्टेशन के सारनाथ वाले छोर पर समपार सं० 6 के निकट स्थित गांव मकदूमपुर में 1.145 एकड़ रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करके बाहरी व्यक्तियों द्वारा पक्की अधपक्की संरचना खड़ी कर ली गयी है । इन अतिक्रमणों के हटाने के लिए 47 अनधिकृत कब्जाधारियों के विरुद्ध सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत बेदखली की कार्रवाई की गई है ।

सेवा निवृत्त/सेवा से निकाले गए बर्खास्त किए गए अथवा त्याग पत्र देने वाले रेल अधिकारी

10292. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिवरिष्ठता के पश्चात अस्थायी तौर पर सेवाकाल बढ़ाये जाने अथवा इस नियुक्ति

किए जाने सम्बन्धी प्रधान मन्त्री के निर्देशों के अनुसारण में विभिन्न रेलों में (सभी रेलों) कितने अधिकारियों को सेवानिवृत्त किया गया सेवा से निकाला गया बर्खास्त किया गया तथा कितनों में त्यागपत्र दिया है ;

(ख) इनमें से कितने 31 मार्च, 1985 तक सेवा मुक्त किए गए, तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार होने वाली रिक्तियों पर कितने व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सोलह ! इस संख्या में वृद्धि की समाप्ति ग्रेड का एक डाक्टर शामिल नहीं है जिसकी सेवा-काल में वृद्धि की समाप्ति कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा आस्थगित रखी गई है ।

(ख) पन्द्रह निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार :—

1. रेलवे बोर्ड के सदस्य—दो

2. वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी—छः

3. ग्रुप के (श्रेणी-ii) के अधिकारी—सात

(ग) कुछेक रिक्तियां पहले ही या तो पदोन्नति अथवा समायोजनों स्थानान्तरणों द्वारा भर दी गई हैं । शेष पद भी इसी प्रकार जल्दी भर दिए जाएंगे ।

गार्ड 'ए' के लिए अलीगढ़ में मुख्यालय स्थापित करना

10293. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद डिवीजन में गार्ड 'ए' के कितने मुख्यालय हैं तथा प्रत्येक मुख्यालय में कितने गार्ड 'ए' कार्य कर रहे हैं :

(ख) क्या सरकार ने अलीगढ़ जंक्शन में भी गार्ड 'ए' के लिए मुख्यालय स्थापित किया है, यदि हां तो अली जंक्शन में कितने गार्ड 'ए' कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) क्या केवल एक गार्ड के लाभ के लिए मुख्यालय स्थापित किया जा सकता है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) इलाहाबाद मंडल में गार्ड 'ए' के तीन मुख्यालय अर्थात इलाहाबाद, कानपुर, टुण्डला हैं । इलाहाबाद, कानपुर और टुण्डला में तैनात किए गए ग्रेड 'ए' के गार्डों की संख्या क्रमशः 33, 12 और 45 है ।

(ख) टुण्डला मुख्यालय के गार्डों में से रेलवे प्रशासन ने सिर्फ एक गार्ड को अस्थायी रूप से अलीगढ़ जंक्शन पर तैनात किया है ।

(ग) जी नहीं, मुख्यालय स्थापित करने से किसी गाडें के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ नहीं है, लेकिन यह प्रशासन के सर्वश्रेष्ठ हित में गाड़ी परिचालन के पैटर्न पर निर्भर करता है ।

मोटर गाड़ियां चलाने के लिए अवैध लाइसेंस और परमिट जारी करने के घोटाले का भंडाफोड़

10294. **श्री राम लाल राही** : क्या नौवहन और परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर गाड़ियां चलाने के लिए अवैध लाइसेंस और परमिट जारी करने में लिप्त एक घोटाले का भंडाफोड़ किया गया है जैसा कि 20 जनवरी, 1983 के हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या इस घोटाले के मुखिया ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और परिवहन प्राधिकरण के अनेक कर्मचारी भी इसमें शामिल है ;

(ग) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण है और इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिल्ली पुलिस प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि इस मामले में श्री टी० मोहम्मद कुट्टी और चार अन्य व्यक्तियों को जो इस मामले में उसके साथ रहे हैं, गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच हो रही है ।

अधिकारियों की तदर्थ नियुक्तियां

10297. **श्री दयाराल शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मन्त्रालय ने उन अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति के बारे में दिनांक 30 जनवरी, 1982 को अनुदेश जारी किए थे, जिनके विरुद्ध जांच चल रही हो ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन आदेशों को दिनांक 15 जून, 1982 तक, जब हिंदुस्तान टाइम्स मे यह समाचार प्रकाशित हुआ था, कार्यान्वित नहीं किया गया था ;

(ग) क्या यह पदोन्नतियां ऐसे मामले में करनी पड़ती है, जब कार्यवाही दस वर्षों से भी अधिक समय से विचाराधीन हो ;

(घ) क्या दो वर्षों की अवधि की गणना, आरोपों का ज्ञापन जारी करने की तारीख से की जाती है ; और

(ङ) क्या उन अधिकारियों के मामलों की रेल मन्त्रालय द्वारा पुनरीक्षा की गई है जिनके विरुद्ध डी० ए० आर० कार्रवाई विचाराधीन है, यदि हां, तो अब तक कितने अधिकारियों को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जा चुका है तथा उनका पूरा ब्यौरा क्या है और कितने मामले अब भी विचाराधीन तथा उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) ऐसे अधिकारी के मामले में जिसके विरुद्ध अनुशासनिक/अदालती कार्यवाई पूरी नहीं हुई है, विभागीय पदोन्नति समिति, जिसने पहले अधिकारी की पदोन्नति का विचार किया था और जिसका निर्णय मोहरबन्द लिफाफे में रखा हुआ है, की तारीख से दो वर्ष बीत जाने के बाद भी नियोक्ता प्राधिकारी अनुशासनिक/अदालती कार्रवाई के अन्तिम रूप दिए जाने तक के लिए तदर्थ पदोन्नति के वास्ते उसके मामले की पुनरीक्षा कर सकता है।

(ङ) तीन अधिकारियों के मामलों में रेल मन्त्रालय में कार्रवाई की जा रही है।

गार्डों को अनुभाग नियन्त्रक के रूप में नियमित किया जाना

10298. **श्री बयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी गार्ड ए० सी० सी० नियन्त्रण कार्यालय में 12 वर्षों से अधिक समय से लगातार अनुभाग नियन्त्रक के कार्यभार का निर्वहन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो उन गार्डों के ब्यौरे क्या हैं और वे कब से वहां पर कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन गार्डों को अनुभाग नियन्त्रक के रूप में नियमित नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को सभी गार्डों से उनकी सेवाओं को नियमित किए जाने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ङ) यदि हा, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई बन्दरगाह से चिकित्सा उपकरणों की चोरी

10299. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई बंदरगाह से चिकित्सा उपकरणों की चोरी की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी : (क) और (ख) हां। 17 जून, 1982 को डा० डी० डी० रेड्डी जो सऊदी अरब से वापस लौटे, के व्यक्तिगत साज-सामान को बम्बई पोर्ट में एस० एस० 'मस्केट-बे' से डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज होने के बाद कस्टम प्रिवेन्टिव अधिकारी और नौवहन एजेंट के टैली क्लर्क ने कंटेनर को सील कर दिया। शिपिंग एजेंट 20 जून, 1982 को कंटेनर काटन डिपो ले गया। चूंकि, कंटेनर के माल को साठ दिनों तक नहीं लिया गया, इसलिए बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने 18 अगस्त, 1982 को इसे चेम्बूर यार्ड में डाल दिया। बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के चेम्बूर यार्ड में कंटेनर प्राप्त करते समय यह पाया गया कि नौवहन एजेंट द्वारा लगाया गया सील सही सलामत था जबकि सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा लगाया था। 7 अक्टूबर, 1982 को स्वयं डा० रेड्डी गया सील सही मौजूद नहीं अपना माल छुड़ाने आए। कंटेनर को डा० रेड्डी, सीमाशुल्क अधिकारी, निपटान एजेंट के प्रतिनिधि और नौवहन एजेंट के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कस्टम जांच/निरीक्षण के लिए खोला गया। जब कंटेनर को खोला गया, तब नौवहन एजेंट द्वारा लगाया गया सील सही सलामत था। यह पाया गया कि कंटेनर के अन्दर की पेटियों कीसील टूटी हुई है और कुछ इलेक्ट्रानिक और मेडिकल उपकरण गायब है। डा० रेड्डी ने 9 अक्टूबर, 1982 को पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज की। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने यह स्वीकार किया कि यह मामला 'सच है किन्तु इसमें कोई पकड़ा नहीं गया' वर्गीगत किया है।

मिथिला विश्वविद्यालय के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विकास अनुदान

10300. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री मिथिला विश्वविद्यालय को अनुदान और मिथिला विश्वविद्यालय खोलने के बारे में क्रमशः 31 मार्च, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 459 और अतारांकित प्रश्न संख्या 5203 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने विकास अनुदान के लिए अर्हकारी अधिनियम में शामिल किए जा रहे आवश्यक संशोधनों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा केन्द्र सरकार को अवगत करा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या के० एस० एस० विश्वविद्यालय, दरभंगा को पर्याप्त अनुदान दिए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

वृन्दावन एक्सप्रेस में गाड़ी नियन्त्रण संचार को रद्द करना

10301. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्ग के 7 अत्याधिक व्यस्तता वाले स्टेशनों को बन्द करने केबाद वृन्दावन एक्सप्रेस में गाड़ी संचार परियोजना को रद्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितनी राष्ट्रीय क्षति हुई ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) परिचालनिक सुविधा के लिए गाड़ी और नियन्त्रण कार्यालय के बीच संचार व्यवस्था 1975 में वृन्दावन एक्सप्रेस में आरम्भ की गयी थी। रेलों की बनावट में बदलाव तथा रेडियो पैच सुविधा के लिए सूक्ष्मतरंग चैनल की तात्कालिक आवश्यकता के कारण इसे 1981 में समाप्त कर दिया गया था। तीन स्थानों के अलावा, जहां सूक्ष्मतरंग प्रणाली नहीं थी, अति उच्च आवृती वाले स्टेशनों को बन्द नहीं किया गया है। सारे उपस्कर आपातकाल में उपयोग के लिए अच्छी हालत में रखे हुए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु सरकार का तीन जहाज खरीदने का प्रस्ताव

10302. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने तीन जहाज खरीदने के अपने प्रस्ताव को आर्थिक क्षमता को दोहराया है और केन्द्रीय सरकार से खरीद कार्यक्रम को मंजूरी देने को कहा है ;

(ख) क्या तमिलनाडु राज्य ने नौवहन विकास निधि समिति के माध्यम से जहाजों की खरीद की मंजूरी से इन्कार करने की केन्द्रीय सरकार के कदम पर टिप्पणी की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु के निवेदन पर पुर्नविचार पर सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की आशा है ;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव पर पुन: विचार करने के उनके अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

दान के आधार पर पब्लिक स्कूलों में प्रवेश

10303. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **शिक्षा संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में पब्लिक स्कूलों में प्रवेश कुल मिलाकर दान के आधार पर निश्चित किया जा रहा है न कि योग्यता के आधार पर ; और

(ख) क्या सरकार का इस मामले को विस्तृत जांच करने और इस पद्धति को रोकने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण विभागों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन उसकी जांच की जाएगी ;

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् ग्रन्थालय, नई दिल्ली के लिए ब्रिटिश काउन्सिल की बहिष्कृत पुस्तकें खरीदना

10304. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश काउंसिल द्वारा बहिस्कृत पुस्तकों को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ग्रन्थालय, नई दिल्ली के लिए खरीदा गया है ;

(ख) क्या परिषद द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्यमंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनधिकृत रूप से गर्भपात के लिए औषधियों की सप्लाई

10305. **श्री राम लाल राही** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहातों तथा शहनों में ऐसे लोग सक्रिय हैं जो गर्भपात की दवाइयों एवं उपकरणों की अवैध पूर्ति करके भ्रष्टाचार फैला रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का कोई कानून बनाया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस कानून के अधीन अब तक ऐसे कितने भ्रष्ट व्यक्ति पकड़े गए हैं ; और

(घ) इस समस्या की उपेक्षा करने के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) गर्भ समापन की औषधियों और युवतियों की देहाती और शहरी इलाकों में अनधिकृत सप्लाई के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । इन औषधियों की बिक्री और वितरण को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाता है जो गर्भ समापन सम्बन्धी औषधियों पर भी लागू होते हैं । जहां तक औषधियों की बिक्री और वितरण का सम्बन्ध हैं, इस अधिनियम को राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा लागू किया जाता है ।

विरामगढ़ भवनगर पोरबन्दर रेल लाइन को बदलना

10306. **श्री नवीन रवाणी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में अमरली होते हुए विरामगढ़ भावनगर पोरबन्दर रेल लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से सरकार के पास लम्बित पड़ा हुआ है ; और

(ग) इस परियोजना को स्वीकृति न देने के कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनु सचिवीय तथा समूह "घ" के कर्मचारी

10307. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुसचिवीय तथा समूह "घ" के कर्मचारियों के वेतनमान काफी समय से शिक्षकों, लाइब्रेरियनों, प्रयोगशाला सहायकों आदि के वेतनमानों के समतुल्य पुनरीक्षित नहीं किए गए हैं यद्यपि उन पर कार्यभार अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो अनुसचिवीय तथा समह "घ" के कर्मचातियों के वेतनमान किस वर्ष निर्धारित किए गए थे ; और

(ग) चूंकि अन्य वर्गों के वेतनमान पुनरीक्षित किए जा चुके हैं, अतः उनके पुराने वेतनमानों को कब संशोधित करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिपीकीय तथा वर्ग "घ" कर्मचारियों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार में समतुल्य पदों के वेतनमानों के ही समान हैं। शिक्षा स्टाफ के वेतनमान केन्द्रीय वेतनमान पर वैसे ही हैं जैसे कि दिल्ली प्रशासन तथा अन्य संघ शासित क्षेत्रों में समतुल्य पदों के समान हैं।

(ख) लिपिकीय तथा वर्ग "घ" कर्मचारियों के वेतनमान 1973 में निर्धारित किए गए थे।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिपिकीय तथा वर्ग "घ" कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन के साथ जोड़ दिया जाता है। अतः इस मामले में अलग से कोई निर्णय लेना सम्भव नहीं है।

केसरी दाल की खेती के बारे में विवाद

10308. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केसरी दाल तथा मनुष्यों पर उसके प्रभाव के बारे में विवाद की जानकारी है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई पूर्ण विश्लेषण किया गया था, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह कार्य प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थानों को सौंपने का है ताकि वे हानिकारक तत्वों को समाप्त कर कोई नई प्रजाति तैयार कर सकें तथा केसरी दाल की प्रोटीनों से समृद्ध कोई नई संकर किस्म का उत्पादन कर सकें और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला है कि इसमें एक न्यूरोटाक्सिन होता है ।

(ग) सम्बन्धित कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय अनुसंधान परिषद को पयोरिजनाओं द्वारा केसरी दाल की ऐसी प्रजाति का विकास करने पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है जिसमें न्यूरोटाक्सिन की मात्रा कम हो।

परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

10309. **श्री माधव राव सिंधिया** :

श्री एस० बी० सिबनाल : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकासशील राष्ट्रों की सहायता के लिए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग हेतु विश्व सहयोग के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र का इस वर्ष अगस्त में सम्मेलन तय हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिमी राष्ट्र आग्रह कर रहे हैं कि सम्मेलन की कार्यसूची में परमाणु शस्त्रों के फैलाव को रोकने सम्बन्धी मद शामिल की जाएं ; और

(ग) सरकार का अन्य देशों के सहयोग से परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पश्चिम के देशों की प्रभुता का सामना करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ।

विदेश मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन से संबद्ध प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अगस्त-सितम्बर, 1983 में नहीं होगा जैसी कि योजना बनाई गई थी। सम्मेलन के आयोजन का तारीख अभी तक निश्चित नहीं हुई है ।

(ख) नाभिकीय अस्त्रों के फैलाव को रोकने से संबद्ध संधि (एन० पी० टी०) के प्रयोजक/प्रस्तावक पूर्व और पश्चिम के सभी औद्योगीकृत देशों का यही विचार है ।

(ग) इस सम्मेलन की तैयारी समिति की बैठकों में, जो मार्च, 198 में न्यूयार्क में हुई थीं, भारत के प्रतिनिधि ने यह विचार व्यक्त किया, जिससे कई अन्य देश सहमत हैं, कि अस्त्रों के फैलाव को रोकने का उन राज्यों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और विकसित करने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए जो अपनी प्राथमिकताओं, हितों और आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए ऐसा करना चाहते हैं ।

स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति का संरक्षण

10310. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के उपयुक्त संग्रहालयों और ग्रन्थालयों की स्थापना करके देश के विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में जाने-माने स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति का संरक्षण करने और क्रांतिकारियों और आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों सहित स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और संघर्ष सम्बन्ध सामग्री के संकलन, संरक्षण और प्रकाशन के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से परामर्श करके ऐसी कोई योजना बनाएगी ;

(घ) यदि हां, तो योजना कब तक बनाई जाएगी और क्रियान्वित की जाएगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और सरकार का कौन से वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) विशिष्ट क्रांतिकारियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में वैयक्तिक संग्रहालय स्थापित करने की अभी कोई योजना नहीं है । भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सामग्री, जिसमें क्रांतिकारी/स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा सारे देश के सभी राज्य अभिलेखागारों में संरक्षित है ।

विदेशों से भारत वापस भेजे गये भारतीय डाक्टर

10311. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय डाक्टरों की संख्या क्या है जो विदेशों से वापस आए हैं और जिन्होंने 1982 के मध्य से भारत में रोजगार स्वीकार किए हैं ;

(ख) इस समय विदेशों में ऐसे कार्यों पर कितने भारतीय डाक्टर अभी भी हैं ; और

(ग) इस दिशा में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) विदेशों में नौकरी के लिए जाने वाले और/या विदेश में अपनी नियुक्ति आदि की

अवधि पूरी कर लेने के बाद भारत लौटने वाले भारतीय डाक्टरों के बारे में पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

कोणार्क मन्दिर के लिए दृश्यावली योजना

10312. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में प्रसिद्ध कोणार्क मन्दिर के आसपास दृश्यावली योजना और सौन्दर्यकरण कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल :) (क) और (ख) जी हां। कोणार्क के सूर्य मन्दिर के चारों ओर 14.5 हैक्टेयर पुरातत्वीय क्षेत्र के भू दृश्य निर्माण का एक कार्यक्रम है। इस भूमि में से 3.1 हैक्टेयर का विकास शोभनीय उद्यान के रूप में किया जा रहा है और शेष 11.4 हेक्टेयर भूमि पर केसुरिना, नारियल और काजू के पौधे लगाये जाएंगे, जो समुद्रीय क्षारयुक्त वायु के हानिकारक प्रभाव के सामने रुकावट पैदा करेंगे तथा मन्दिर को सुरक्षित रखेंगे। यह कार्य प्रगति पर है।

पुरी में जगन्नाथ मन्दिर काम्प्लेक्स के सहायक भवनों में पानी टपकना

10313. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरी में जगन्नाथ मन्दिर काम्प्लेक्स में सहायक भवनों के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन सहायक भवनों में पानी टपकने तथा अन्य दोषों के कारण वहां भंडार की गई बहुमूल्य कपड़ा सामग्री क्षतिग्रस्त हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सहायक भवनों में पानी के टपकने तथा अन्य दोषों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्यमन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) कराए जाने वाले उपयुक्त मरम्मत कार्यों के लिए पुरी स्थित जगन्नाथ मन्दिर समूह के सहाय भवनों की जांच अत्यावश्यकता और प्राथमिकता की दृष्टि से की जा रही है।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण विभाग को एक सहायक भवन की छत के रिसने की रिपोर्ट मिली है ; इस चालू वित्त वर्ष में उस रिसाव को रोकने के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य किये जायेंगे।

पुरी में जगन्नाथ मन्दिर का संरक्षण कार्य

10314. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ मन्दिर का पलस्तर उखाड़ने तथा संरक्षण कार्य कब से शुरू किया गया है ;

(ख) प्राप्त स्तर तक पलस्तर उखाड़ने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) पलस्तर उखाड़ने के कार्य पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है तथा इस कार्य की कुल अनुमानित लागत कितनी होगी ;

(घ) क्या सरकार ने पलस्तर उखाड़ने तथा संरक्षण कार्य की देखरेख के लिए कोई विशेष समिति गठित की है ; और

(ङ) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) पुरी में जगन्नाथ मन्दिर का संरक्षण और पलस्तर अलग करने का काम 1975 में आरम्भ किया गया था।

(ख) ऊपरी जंघा के सिरे तक पलस्तर अलग करने का काम 1984 के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है।

(ग) पूर्वी मण्डल से यह सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने समय-समय पर किए गए कार्यों की समीक्षा करने तथा मंदिर के परिरक्षण के लिए उपायों पर सुझाव देने के लिए 1973 में एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की थी। मरम्मत के कार्यों पर समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) मुख्य मन्दिर की छत में रिसाव बंद होना चाहिए। कार्य आरम्भ करने के लिए मुख्य मंदिर के निकटस्थ लक्ष्मी मंदिर की मरम्मत का कार्य पहले हाथ में लेना चाहिए। वहां पर विकसित तकनीकी और प्राप्त अनुभवों का प्रयोग मुख्य मंदिर में लाभकारी ढंग से किया जा सकेगा।

(2) उन स्थानों को उघाड़ने के लिए जहां दरारें और चटकें दिखाई देने लगी हैं वहां मंदिर की चिनाई के ढके हुए प्लास्टर उपचय को हटाना चाहिए ताकि संरचना की जांच पूर्णरूप से की जा सके।

(3) मुख्य मंदिर की संरचना की मरम्मत की जानी चाहिए जिसमें विविध प्रकार की दरारें पड़ गई हैं ;

(4) चिनाई में पड़ी सभी दरारों और चटकों में बढ़िया मसाले का घोल मशीन से भरा जाना चाहिए।

(5) जंग लगी जिन मेखों और शिकंजों ने पत्थरों को अलग कर दिया है उनके स्थान पर जंग न लगने वाली धातु की मेखें और शिकंजे लगाई जानी चाहिए।

(6) मंदिर के चिनाई के पत्थरों से पलस्तर को हटाने के बाद उन्हें हानिकारक समुद्रीय क्षार से बचाया जाए, उन्हें मजबूती से बैठाया जाए और रासायनिक उपचार द्वारा सुरक्षित रखा जाए।

(7) मुख्य मन्दिर के सबंध में उसके पलस्तर को उखाड़ने का कार्य शिखर के चटके हुए स्तर तक सीमित रखना चाहिए।

हड़तालों के कारण केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का बन्द होना

10315. **श्री राव नारायण सोनकर शास्त्री** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष विशिष्ट आंदोलन और कुप्रबन्ध के कारण अधिकांश केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन्द रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां अध्ययन करने वाले छात्रों को भारी हानि हुई है और वे अपने शैक्षिक वर्ष से काफी पीछे रह गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अध्यापकों और कर्मचारियों की हड़तालों पर रोक लगाने और विश्वविद्यालयो में शैक्षणिक वातावरण बनाने तथा सम्पूर्ण शांति बनाये रखने के लिए एक नई योजना बना रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सात केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से केवल जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, छात्रों द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि संकाय के एक सदस्य ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक छात्र को एक पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में सताया था और निंदात्मक शब्दों का प्रयोग किया जिनसे उनकी भावनाओं को आघात पहुंचा, आंदोलन किया गया जिसके कारण जुलाई, 1982 से शुरू होने वाले शैक्षिक वर्ष के दौरान 25 फरवरी, 1983 से बन्द रहा तथा 3 मार्च, 1983 को पुनः खुल गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्यक्रम, मे शिक्षक संघ द्वारा मुख्यतः समयबद्ध पदोन्नति तथा आवास सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने की मांग किए जाने के कारण 12 अक्तूबर, 1982 से 28 जनवरी, 1983 तक गड़बड़ी हुई। सामान्य शिक्षिण 29 जनवरी, 1983 तक

विश्वविद्यालय ने बर्बाद हुए समय को पूरा करने के लिए शैक्षिक सत्र को पुनः सारणी बद्ध करने का निर्णय किया है। विश्वविद्यालय का सत्र जून, 1983 के अन्त तक रहेगा, शिक्षण मई, 1983 के प्रथम सप्ताह तक चलता रहेगा, और परीक्षाएं मई, 1983 के मध्य से शुरू होंगी।

(ग) और (घ) ऐसी योजना बनाने का सरकार का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी सात विश्वविद्यालयों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इस समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुशासन की सामान्य स्थिति की जांच, परिसरों में आवधिक उपद्रवों के कारण और उनकी उपचारात्मक कार्रवाई, छात्रों शिक्षकों तथा प्रशासनिक स्टाफ आदि की शिकायतों को पुनः दूर करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था शामिल है।

उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी

10 16. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ऐसे लाखों पुरुष और महिलाएं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत काम कर रही हैं जिन्होंने औपचारिक रूप पर भी चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन नहीं किया है ;

(ख) क्या उनको दिए गए मामूली चिकित्सकीय प्रशिक्षण के आधार पर वे इस कार्यक्रम में सफलता पूर्वक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त राज्यों, उनके पदों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार किस प्रकार उनकी सेवाओं को और अधिक उपयोगी बनायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम को सारे देश में, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश भी शामिल हैं, ग्रामीण उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, नगरीय परिवार कल्याण केन्द्रों, प्रसवोत्तर केन्द्रों, अस्पतालों और औषधालयों का संगठनात्मक जल-सा बिछाकर तथा स्वैच्छिक और अन्य संगठनों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस सेवा पद्धति में चिकित्सा अर्ध-चिकित्सा और गैर-चिकित्सा कार्मिकों को शामिल किया गया है। गैर-चिकित्सा कार्मिकों को उन्हें सौंपी गई ड्यूटी करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। वे इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने और प्रचार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(ग) संगठनात्मक ढांचे के विभिन्न स्तरों पर स्वीकार्य पदों की श्रेणियां सारे देश में समान रूप से लागू होती हैं। विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा निर्धारित पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-6663/83]

(घ) इस कार्यक्रम में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए समय-समय पर अल्पावधि के विषय-परिचायक/सेवा कालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है जिससे कि इनकी सेवाओं को और अधिक लाभदायक बनाया जा सके।

अनाथों को गोद लेने की योजना और राज्यों को केन्द्रीय सहायता

10317. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनाथों को गोद लेने के बारे में कोई नई योजना लागू की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं

(ख) क्या सरकार विभिन्न राज्यों का कुछ अनुदान (वित्तीय सहायता) दे रही है और यदि हां, तो उसका मानदण्ड क्या है और यह अनुदान यदि किन्हीं सरकार एजेंसियों अथवा कुछ स्वयंसेवी संगठनों अथवा स्थानीय निकायों को दिये जाते हैं, तो ये कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या किसी राज्य से कोई शिकायतें मिली हैं कि संपन्न परिवारों द्वारा अनाथों को गोद लेने की योजना का इस दिशा में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार को यह भी शिकायत मिली है कि कथित सामाजिक कार्यकर्ता झूठे दस्तावेजों के आधार पर और वास्तव में अनाथों को गोद में लिए बिना अनाथों के लिए अनुदान प्राप्त कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) समाज कल्याण मंत्रालय अनाथों को गोद लिए जाने के प्रयोजन के लिए राज्यों या स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान नहीं देता है। हिन्दू लोग बच्चों की हिन्दू दत्तकग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अनुसार गोद ले सकते हैं। सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय की इजाजत से कोई भी व्यक्ति एक बच्चे को संरक्षण और आश्रित अधिनियम, 1890 के अधीन आश्रित के रूप में गोद ले सकता है। समाज कल्याण मंत्रालय चूंकि अनाथ बच्चों को गोद लिए जाने के लिए कोई अनुदान नहीं देता है इसलिए अनुदानों के दुरुपयोग का अथवा दुरुपयोग के बारे में शिकायतों का प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली-बम्बई मुख्य रेल लाइन में डबरा स्टेशन पर जन-सुविधायें प्रदान करना।

10318. **श्री राम लाल राही** : क्या रेल यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि पंजाब मेल और जयन्ती जनता एक्सप्रेस रेल गाड़ियां दिल्ली-बम्बई मुख्य रेल/लाइन पर एक अर्ध-औद्योगिक नगर/शहर डबरा रेलवे स्टेशन में नहीं रुकती है और इस स्टेशन के लिए जनता एक्सप्रेस और कुतुब एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में आरक्षण का कोटा भी आवंटित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या इस स्टेशन के प्लेटफार्म सं० 2 में टिन शेड नहीं बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां जन सुविधायें उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। यही सही है कि प्लेटफार्म नं० 2 (अप प्लेटफार्म) पर शेड की व्यवस्था नहीं है।

(ग) इस समय डबरा में 5 जोड़ी एक्सप्रेस और 2 जोड़ी सवारी गाड़ियां ठहरती है। अतएव 5/6 पंजाब मेल और 131/132 जयन्ती जनता एक्सप्रेस को यहां ठहराने का औचित्य नहीं है।

प्लेटफार्म नं० 1 पर पहले से ही छत पड़ी हुई है। लेकिन धन की तंगी के कारण प्लेटफार्म नं० 2 पर छत नहीं डाली जा सकी।

रेलवे को बाढ़ के कारण हुई हानि

10319. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेल मन्त्री यताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान रेलवे के बाढ़ के कारण हुई हानि का कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) पिछले दो वर्षों (वर्ष-वार) के दौरान रेलवे को हुई हानि इस प्रकार है :—

1981-82—7.87 करोड़ रुपए
1982-83—6.7 करोड़ रुपए

आई० आई० टी० में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति

10320. **श्री राम विलास पासवान** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री 17 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3026 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति के संबंध में आकड़े संवर्गवार के बजाए श्रेणी-वार दिए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो संवर्ग-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ आरक्षित पद सामान्य उम्मीदवारों से तदर्थ आधार पर भरे जाते हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या और नियुक्ति की अवधि कितनी है ;

(ङ) क्या 1982 में किसी अभ्यावेदन की जांच करते समय प्रशासन द्वारा पिछला बकाया होना स्वीकार किया गया है ;

(च) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपायुक्त द्वारा 1982 में नियुक्त अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि सरकार की आरक्षण संबंधी नीति के कुछ महत्व पूर्ण पहलुओं को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा नकारा गया हैं ; और

(छ) यदि हां, तो वे पहलू क्या हैं, यदि नहीं तो क्या रिपोर्ट की एक प्रति सभापटल पर रखी जाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न हैं। (अनुबन्ध-1)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-6664/83]

(ग) और (घ) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली के अनुसार, तदर्थ व्यवस्था के तौर पर दो सहायक लेखाकार क्रमशः 11-12-82 तथा 31-1-1983 को अस्थायी आधार पर, उपयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति होने तक के लिए नियुक्त किए गए थे। संस्थान ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित तीन पद 30-12-82 को पुनः विज्ञापति किए हैं और एक उम्मीदवार का चयन 20-4-83 को हो चुका है तथा उसे पद की पेशकश की गई है।

(ङ) 1975 से 1981 तक के दौरान भा० प्रौ० संस्थान, दिल्ली के रोस्टर रिकार्ड के अनुसार, समूह I श्रेणी 2 के कुल 30 पदों में से 8 पद अ०जा० अ०ज०जा० के लिए उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए थे। जिनमें से अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षित 3 पद आगे 198 में ले जाए गए थे।

(च) जी हां।

(छ) विवरण संलग्न है।

(अनुबन्ध 2)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 6664/83]

जमालपुर में तैनात कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

1321. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) रेलवे में लिपिकों, राख और कोयले की ढुलाई कार्य से सम्बन्धित लिपिकों, टी०पी० टी० और रेल तथा डी० सी० ओ० एस० के पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए कितनी अवधि निर्धारित की गई है :

(ख) पूर्व रेलवे के जमालपुर क्षेत्र में उपयुक्त पदों पर कार्य कर रहे उन कर्मचारियों की वर्षवार संख्या क्या है जिन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थानान्तरित किया गया :

(ग) क्या सरकार को जमालपुर (पूर्व रेलवे) में उपयुक्त पदो पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई;

(घ) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार जो कर्मचारी ऐसे पदों पर तैनात हैं जहां जनता से सम्पर्क और ठेकेदारों/सप्लाईकर्ताओं से लेन-देन होता है वहां उन्हें अपनी जगह से हर 4 वर्ष में कम से कम एक बार स्थानान्तरित कर दिया जाता है। ब्यौहारी लिपिक, राख और कोयला सम्हलाई लिपिक, टी० पी० टी० एवम् रेल और डी० सी० ओ० आदि भी इन आदेशों के अन्तर्गत आते हैं ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

पब्लिक स्कूल

11322. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पब्लिक स्कूल प्रणाली समाप्त करने और समान शिक्षा पाठ्यक्रम बनाने तथा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सामान्यतः पब्लिक स्कूलों का आशाय उन स्कूलों से है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत एक स्वैच्छिक संघ इण्डियन पब्लिक कान्फ्रेन्स के सदस्य हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में इस समय ऐसे स्कूल 55 हैं।

पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने के प्रश्न की जांच कुछ समय पूर्व की गई थी और इस सम्बन्ध में सरकार को कानूनी सलाह दी गई थी कि जहां तक धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबन्धित पब्लिक स्कूलों का सम्बन्ध है पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की कार्यवाई से संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन होगा तथा जहां तक गैर-अल्पसंख्यक पब्लिक स्कूलों का सम्बन्ध है, संविधान के अनुच्छेद 19 (छ) का उल्लघन होगा ।

तथापि, शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाने की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) ने

देश के सभी भागों में 10 × 2 × 3 का एक समान ढांचे की सिफारिश की गई है। अधिकांश राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा इस सिफारिश को अपना लिया गया है। तथापि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समुचित रूप से कार्यान्वित करने की मुख्या जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

शैक्षिक ढांचे के अलावा, विषय-बस्तु में भी कुछ एक रूपता सम्भव सीमा तक लाई जा रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने 10-वर्षीय स्कूल शिक्षा के लिए एक आदर्श पाठ्यचर्या तैयार की है और राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों को इसको अपनाने/अनुकूल बनाने की सिफारिश की गई है।

दिल्ली और हावड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस और डीलक्स रेलगाड़ी का देर से चलना

10324. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि दिल्ली-हावड़ा और हावड़ा-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और डीलक्स जैसी प्रसिद्ध रेलगाड़ियों उनके चलने के समय में पुनः विस्तार करने के बावजूद वे नियमित रूप से देर से चल रही हैं :

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का विस्तृत ब्यौरा क्या है और राजधानी एक्सप्रेस द्वारा मार्च, 1903 में दिल्ली और हावड़ा पहुंचने का समय क्या है तथा यह किस हद तक देर से पहुंचती है :

(ग) इस प्रकार रोज देर से चलने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सभी रेलों में यह आम बात है अथवा केवल दिल्ली-हावड़ा मार्ग में ही ऐसा है ;

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या समय पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं ; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) पिछले दिनों 101/102 हावड़ा-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और 81/82 तथा 103/104 हावड़ा-नयी दिल्ली/अमृतसर वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ियों का समय पालन खतरे की जन्जीर खींचे जाने, बदमाशों की गतिविधियों, रेल इन्जन के दोष/खराबियों, सिगनल और दूर सन्चार की खराबियों आदि के कारण सन्तोषजनक नहीं रहा है।

मार्च, 1983 के दौरान 101/102 हावड़ा-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का समय-पालन इस प्रकार रहा :

101 अप हावड़ा-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने गन्तव्य स्टेशन पर एक बार सही समय पर, 3 बार 30 मिनट तक, 2 बार 30 से 60 मिनट तक और 3 बार 60 मिनट से अधिक विलम्ब से पहुंची। 102 डाउन नयी दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस अपने गन्तव्य स्टेशन पर 5 बार सही समय पर, 2 बार 30 मिनट तक और 2 बार 60 मिनट से अधिक विलम्ब से पहुंची।

(ग) दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर यह सर्वाधिक है। मार्च 1983 के दौरान 151/152 बम्बई सैन्ट्रल-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का सही समय के आधार पर समय पालन 77.8 प्रतिशत रहा है जबकि 101/102 हावड़ा-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का सही समय पालन 33.3% रहा।

(ङ) से (छ) प्रतिष्ठा वाली महत्त्वपूर्ण 214 गाड़ियों के समय पालन जो रेलवे बोर्ड स्तर पर नियन्त्रित किया जा रहा है, में हाल ही के दिनों में सुधार हुआ है और जनवरी से अप्रैल, 1983 के दौरान यह समय पालन 85.2 से 90.1 प्रतिशत तक रहा। महत्त्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का समय पालन दिन प्रतिदिन के आधार हर महाप्रबन्धकों द्वारा भी नियन्त्रित किया जा रहा है जो गाड़ियों के समय से चलने के मामलों में व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं। खतरे की जन्जीर खींचने, होस-पाइप अलग करने और अन्य शरारती तत्वों की कारवाईयों, जिनसे गाड़ियों के समय से चलने पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ रहा है, की घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलें सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं।

हाल्ट स्टेशनों को पूर्ण स्टेशनों के रूप में बदलना

10325. **श्री अरविन्द नेताम** . क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, जोनवाइज, ऐसे कितने स्टेशन हैं जिनको पूर्ण रेलवे स्टेशन बनाये या उनका दर्जा बढ़ाने की मांग बराबर की जाती रही है ;

(ख) हाल्ट रेलवे स्टेशनों को पूर्ण रेलवे स्टेशनों में बदलने के लिए क्या मापदण्ड हैं ;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1983-84 में उपरोक्त मांग को मद्देनजर रखा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) हाल्ट स्टेशनों को फ्लैग स्टेशनों में बदलने की मांगों के रेलवे-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

रेलवे	मांगों की संख्या
मध्य	कोई नहीं
पूर्व	4
उत्तर	11

1	2
पूर्वोत्तर	6
पूर्वोत्तर सीमा	कोई नहीं
दक्षिण	1
दक्षिण मध्य	3
दक्षिण पूर्व	7
पश्चिम	16

(ख) यातायात की दृष्टि से पर्याप्त औचित्य होने तथा अतिरिक्त आमदनी और अतिरिक्त खर्च के आधार पर वित्तीय दृष्टि से प्रस्ताव का औचित्य होने पर ही हाल्ट स्टेशनों का ग्रेड बढ़ाकर उन्हें फ्लैग स्टेशनों में परिवर्तित किया जाता है।

(ग) और (घ) वर्ष 1983-84 के दौरान दक्षिण रेलवे पर कालसूर हाल्ट स्टेशन को फ्लेग स्टेशन में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। प्रस्तावित परिवर्तन से सम्बन्धित 60 प्रतिशत काम हो चुका है।

शेष 47 प्रस्तावों में से 26 का वित्तीय दृष्टि से औचित्य नहीं पाया गया, 16 की जांच की जा रही है और 5 प्रस्तावों को मन्जूरी के बावजूद धन की तंगी के कारण 1983-84 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका।

भारत-इटली आर्थिक सम्बन्ध

10326. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली के प्रतिनिधिमण्डल ने आर्थिक सम्बन्धों और व्यापार सम्बन्धों पर चर्चा करने और परस्पर संचार की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु हाल ही में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत के दौरान कोई विशेष निष्कर्ष निकले थे ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकाले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां। इटली के उप विदेश मन्त्री श्री बूनो कोर्ती के नेतृत्व में वहां का एक प्रतिनिधिमण्डल 11 से 14 अप्रैल, 1983 तक भारत आया था।

(ख) और (ग) श्री कीर्ती ने विदेश मन्त्री जहाजरानी एवं परिवहन मन्त्री, उद्योग मन्त्री, संचार मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, कृषि मन्त्री, रसायन एवं उर्वरक मन्त्री, और वित्त मन्त्री के साथ बात-

चीत की। इस वार्ता के दौरान किसी विशिष्ट विषय के बारे में तो कोई निर्णय नहीं लिया गया लेकिन भारत-इटली आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग को सुधारने के तरीकों के बारे में श्री कीर्ती और हमारे मन्त्रियों के बीच सामान्य रूप से बहुत लाभदायक विचार विनिमय हुआ। श्री कीर्ती ने हमें उन विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी जिनमें इटली परस्पर-लाभ के आधार पर हमारे साथ सहयोग कर सकता है। हमने भी उन्हें यह आश्वासन दिया कि अब कभी आर्थिक सहयोग के किसी मामले पर निर्णय लिया जाएगा हम इटली की क्षमता और पेशकश को ध्यान में रखेंगे।

द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं

10327. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** :

श्री गुफरान आजम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेलों में द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की शिकायतों की समय-समय पर जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को द्वितीय श्रेणी के कोचों की पर्याप्त सुविधाएं जैसे पंखे, बेसिन, बिस्तर, सफाई और अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) दूसरे दर्जे में यात्रा करने वाले यात्रियों की आवश्यकता के प्रति सरकार पूरी तरह सजग है। उपलब्ध संसाधनों के भीतर सेवा के स्तर में सुधार लाने का निरन्तर प्रयास किया जाता है।

(ख) भारतीय रेलों पर सवारी डिब्बों के अनुरक्षण के लिए एक सुस्थापित प्रक्रिया मौजूद है जिसमें सभी सवारी डिब्बों की आवधिक रूप से जांच की जाती है। रेल के सभी सवारी डिब्बों को अच्छी तरह धोया जाता है, शौचालयों को साफ किया जाता है और कीटाणुरहित किया जाता है, ऊपरी टंकियों में पानी भरा जाता है और वाश बेसिनों, बत्तियों और पंखों सहित अन्य सुविधा-परक फिटिंगो की जांच की जाति है और उन्हें फिट किया जाता है। सवारी डिब्बों की नामित मार्गवर्ती स्टेशनों पर सफाई की जाती है। सभी सवारी डिब्बों में 4 से 6 वाश बेसिन लगे होते हैं। चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार लम्बी दूरी की गाड़ियों के द्वितीय श्रेणी शायिका डिब्बों की सीटों पर गद्दे लगाए जा रहे हैं। कुछ विशिष्ट गाड़ियों में बिस्तरों की सप्लाई की भी व्यवस्था है।

लेकिन, शरारती लोगों की गतिविधियों और गुण्डागर्दी के कारण सवारी डिब्बों में उठाई-गीरी/टूटफूट की घटनाएं भी होती हैं जिनमें अन्य चीजों के साथ-साथ, बास बेसिन भी शामिल हैं। कभी-कभी, कमियों/टूटफूट बदलाव के लिए अपेक्षित उपलब्ध सामग्री से कहीं अधिक होती हैं। ऐसे मामलों में, सवारी डिब्बों की अनिवार्यतः इसी अवस्था में ही चलाना पड़ता है।

असम में रेल सम्पत्ति की क्षति

10328. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

श्री रतन सिंह राजदा :

प्रो० अजीत कुमार मेहता : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में दिसम्बर, 1982 से जनवरी, और फरवरी, 1983 तक की अवधि के दौरान रेलवे स्टेशन, पुलों और अन्य अचल रेल सम्पत्ति की क्षति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका माहवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उस हानि का वित्तीय मूल्यांकन किया है ;

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि की हानि हुई ;

(ङ) क्या सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की है ; और

(च) यदि हां, तो उसके लिए की गई अतिरिक्त व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ।

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) दिसम्बर, 1982 और जनवरी तथा फरवरी 1983 के दौरान असम में कुछ रेलवे स्टेशनों तथा अन्य अचल रेलवे सम्पत्ति क्षति-ग्रस्त हुई थी ।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :

1. क्षतिग्रस्त रेलवे स्टेशन :

(1) 1 सिमलगुडी-मोरनहाट खण्ड में 18-1-83 को मोरनहाट रेलवे स्टेशन आग लगने के कारण पूर्णत: ध्वस्त हो गया ।

(2) 21-1-83 को लगभग 03.50 बजे चापरमुख सिलघाट टाउन खण्ड में फल-गुडी रेलवे स्टेशन में बदमाशों द्वारा आग लगा दी गयी ।

(3) 28-1-83 को लगभग 00. बजे तिनसुखिया-डिब्रू गढ़ खण्ड में हटियाली ग्राउंड स्टेशन में बदमाशों द्वारा आग लगा दी गई ।

(4) 9-2-83 को लगभग 22.00 बजे कुछ बदमाशों ने फरकेटिंग-जोरहाट खण्ड के होटले स्टेशन को आग लगा दी ।

(2) क्षतिग्रस्त अन्य अचल रेलवे परिसम्पत्तियां :

(1) 21-1-83 को लगभग 1.30 बजे कुछ बदमाशों ने निर्माण निरीक्षक चापरमुख के कार्यालय भवन को आग लगा दी ।

(2) 21-1-83 को निर्माण निरीक्षक के दो गोदामों में बदमाशों ने आग लगा दी ।

(3) 28-1-83 को लगभग 00.00 बजे कुछ बदमाशों ने हटियाली रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित टाइप 1 के 4 रेलवे क्वार्टरों में आग लगा दी ।

(ग) जी हां ।

(घ) लगभग 1,43,000 रुपए ।

(ङ) यथासम्भव सीमा तक ।

(च) रेल परिसर सहित राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार राज्य प्राधिकारियों के साथ रेल प्रशासन निकट सम्पर्क बाए हुए हैं और रेलों के चालन और यात्रियों तथा रेल सम्पत्तियों की सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों सम्बन्ध में सूचना का आदान-प्रदान करते हैं ।

(1) रे० सु० ब०/रे० सु० वि० बल तथा रेलवे गैंगमैनों की कुमुक तैनात करके भेद्य स्थलों/क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ-साथ रेलपथों पर गश्त तेज कर दी गई है ।

(2) अन्य क्षेत्रीय रेलों और बटालियनों से रे० सु० बल/रे० सु० वि० बल के कार्मिकों को हटाकर इस क्षेत्र में रे० सु० ब० की वर्तमान संख्या को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा रहा है ।

(3) और अधिक संख्या में यात्री और माल गाड़ियों का मार्ग रक्षण का काम भी तेज कर दिया गया है ।

(5) रेल सम्पत्ति जैसी राष्ट्रीय परिसम्पत्ति को नष्ट करने के घातक प्रभावों के सम्बन्ध में जनता को अवगत कराने के लिए भी उपाय किए गए ।

फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की संसद की बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल को बीसा दिया जाना

10329. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलजियर्स में फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे की संसद की बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधि मण्डलों को कितने बीसा जारी किए गए थे ; और

(ख) क्या बीसा नई दिल्ली स्थित अल्जीरियन दूतावास द्वारा अथवा फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के कार्यालय द्वारा जारी किए गए थे ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) : तीन भारतीय प्रतिनिधियों को अल्जीरिया के लिए बीसा जारी किया गया था जो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष के निमन्त्रण पर फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए फरवरी, 1983 में अल्जीरिया गए थे । ये बीसा नई दिल्ली स्थित अल्जीरिया राजदूतावास ने जारी किए थे ।

'ताज एक्सप्रेस' को ग्वालियर तक बढ़ाने का प्रस्ताव

10330. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि 'ताज एक्सप्रेस' को ग्वालियर तक बढ़ाया जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उस बारे में अपने विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव पर पुन: विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) और (घ) ताज एक्सप्रेस को शीघ्र ही सप्ताह में 3 दिन ग्वालियर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

राज्यों में एम० बी० बी० एस० पाठयक्रमों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों का आवन्टन करने का मानदण्ड

10331. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के विभिन्न कालेजों में एम० बी० बी० एस० पाठयक्रम में दाखिले के लिए विदेशी छात्रों के लिए सीटों का आवन्टन करते समय क्या मानदण्ड अपनाया है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न एम० बी० बी० एस० कालेजों में अब तक दाखिला दिए गए छात्रों तथा दाखिला मांगने वाले छात्रों का राष्ट्रिकता-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार भारी संख्या में विदेशी छात्रों द्वारा दाखिला मांगने और हमारे अपने छात्रों की आवश्यकताओं को भी देखते हुए सीटों की संख्या बढ़ाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या नीति है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) विदेशी छात्र देश में एम० बी० बी० एस० पाठयक्रमों में सीधे ही तथा वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के अधीन कोलम्बो-योजना के जरिए शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के जरिए, विदेश मन्त्रालय आदि के जरिए स्वयं पोषित विदेशी छात्रों के रूप में प्रवेश पाते हैं। विदेशी छात्रों के लिए प्रति वर्ष सीटों का आवन्टन केन्द्रीय मूल में कुल मिला कर एम० बी० बी० एस० सीटों की उपलब्धता और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, जिनमें मेडिकल कालेज नहीं हैं, रक्षा कार्मिकों के बच्चों (मृत, सेवा निवृत्त और कार्यरत) की मांगों और

विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने हेतु विदेशी छात्रों की जरूरतों पर निर्भर करता हैं। चूंकि ये छात्र बहुत से माध्यमों से प्रवेश पाते हैं, विदेशों छात्रों के बारे में वास्तविक प्रवेश सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न मेडिकल कालेजों की प्रवेष क्षमता भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और सम्बन्धित विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार निश्चित की जाती है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय कोटि में शामिल किया जाना

10332. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री चिरन्जी लाल शर्मा :

श्री जैनुल बशर : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की कोटि में शामिल करने के लिए कोई ज्ञापन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रयाग और अयोध्या के बीच एक तेज गाड़ी चलाया जाना

10333. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में प्रयाग और अयोध्या के बीच कोई सीधी तेज गाड़ी नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या करण हैं ?

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त रूट पर तेज गाड़ी चलाये जाने के बारे में विचार करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) प्रयाग और अयोध्या स्टेशन क्रमशः इलाहाबाद फैजाबाद के निकट स्थित हैं। मई, 1972 के दौरान इलाहाबाद और फैजाबाद के बीच चलने वाली 3 जोड़ी पैसेन्जर गाड़ियों में से 3 ए० एफ०/4 ए० एफ० नामक एक जोड़ी पैसेन्जर गाडी के लगभग 12 स्टेशनों के ठहरावों को समाप्त करके एक एक्सप्रेस गाड़ी में बदल दिया गया था। किन्तु, नवम्बर, 1973 के दौरान

जनता से अभ्यावेदन मिलने पर इस गाड़ी को मूल 3 ए० एफ० पैसेन्जर गाड़ी में ही बदल दिया गया। एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का न तो औचित्य है और टर्मिनल और लाइन क्षमता की तंगी के कारण परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक है।

दिल्ली के आस-पास के उपनगरीय रेल मार्ग का विद्युतीकरण

10334. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक घनत्व वाले यातायात के मार्ग के विद्युतीकरण जा कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है और वर्ष भर में 170 से 175 किलो मीटर मार्ग हो पाता है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे 61230 किलो मीटर लम्बे मार्ग का विद्युतीकरण कार्य कब पूरा करेगा ;

(ग) विद्युतीकरण की गति तेज करने तथा अगली योजना में उस पर अधिक जोर देने का विचार है ; और

(घ) राजधानी(दिल्ली) में आवासों पर पड़े दबाव को कम करने के लिए दिल्ली के आस-पास के उप नगरीय मार्ग के विद्युतीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों अर्थात 1980-81 से 1982-83 के दौरान रेलों का कुल 874 मार्ग किलोमीटर विद्युतीकरण किया गया और इस प्रकार प्रति वर्ष इसका औसत 291 मार्ग किलोमीटर हुआ।

(घ) भारतीय रेलों ने आगामी सात वर्षों में 1989-90 तक 7093 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण का एक कार्यक्रम बनाया है। परन्तु यह समय पर पर्याप्त धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा। वर्तमान कार्यक्रम केवल उन्हीं उच्च घनत्व वाले खंडों के लिए है जहां विद्युतीकरण के लिए पूंजी निवेश वित्तीय रूप से अर्थक्षम होने की सम्भावना है।

(ग) जी हां, इस कार्यक्रम में सातवीं योजना में तेजी से विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) दिल्ली के चारों ओर रेलपथ विद्युतीकृत है। रिंग रेलवे पर बिजली गाडी सेवाएं आरम्भ की जा चुकी हैं।

नाविकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान का प्रस्ताव

10335. **श्री चिन्ता मणि जेना** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास शिपिंग कंम्पनी के लिए नाविकों हेतु एक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वर्तमान प्रशिक्षण स्थानों, उनके प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, स्थानों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (डिप्लोमा अथवा डिग्री) का ब्यौरा क्या है ;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) नहीं।

(ख) इस समय तीन नाविक प्रशिक्षण संस्थान हैं अर्थात कलकत्ता में टी० एस० भद्रा विशाखापत्तनम में टी० एस० मेखला और नवलखी (गुजरात) में टी० एस० नवलक्षी जो छ महीने की अवधि के लिए नाविकों को रैंजीडेशंल प्रि-सी ट्रेनिंग देते हैं। यह संस्थान, पास होने वाले व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र जारी करता है जिससे उम्मीदवार, भारत और विदेशों में विभिन्न कंपनियों के जहाजों पर नौकरियां प्राप्त करने के लिए बम्बई और कलकत्ता स्थित नाविक रोजगार कार्यालयों में अपने नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। इन तीन नाविक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उम्मीदवार को पासिंग-आऊट प्रमाण पत्र दिए जाने के अलावा कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं दिया जाता।

समयबद्ध पदोन्नति योजना

10336. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कालेजों में इसके गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए समयबद्ध पदोन्नति योजना को, जैसा कि विश्वविद्यालय सहमत हो गया था, क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्रियान्वित में कितनी धनराशि व्यय हुई है और इसे किस तारीख से क्रियान्वित किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण क्या हैं जब कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अपने गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस योजना को क्रियान्वित कर दिया गया है ; और

(घ) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की योजना क्रियान्वित करने की अनुमति देने और दिल्ली विश्वविद्यालय, जो निलम्बित आन्दोलन को पुनः आरम्भ करने का नेतृत्व कर सकता है, को इसे क्रियान्वित करने की अनुमति न देने के कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की योजनाएं तैयार करने पर विचार कर रहे है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर इन प्रस्तावों पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समिति की बैठक में विचार किया गया था

यह महसूस किया था कि इस प्रयोजन के लिए तैयार की जाने वाली कोई योजना सभी केन्द्रीय विश्वविद्लयों पर समान रूप से लागू की जानी चाहिए। तदनुसार, विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमानों में विषमताओं का पता लगाने और उनकी पदोन्नति के अवसरों के प्रावधान पर विचार करने के लिए आयोग द्वारा एक समिति नियुत की गई थी। इस समिति ने समयबद्ध पदोन्नति योजना की सिफारिश नहीं की, लेकिन य. सुझाव दिया कि गैर-शिक्षण कर्मचारियों के मौजूदा संवर्गों की समीक्षा की जानी चाहिए और उनके लिए उपयुक्त पदोन्नति के अवसरों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए इस समिति की सिफारिशें विचार किए जाने और कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

भारत-पाक सम्बन्ध

10337. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान संबंधों के बीच हाल ही में कोई मोड़ आए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रधान मन्त्री तथा पाकिस्तान के प्रेजीडेन्ट के बीच हाल की बातचीत और गुट निरपेक्ष सम्मेलन के पश्चात दोनों देशों के बीच बातचीत से दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में कहां तक सुधार हुआ है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) भारत-पाक संयुक्त आयोग के गठन से सम्बन्धित करार पर 10 मार्च, 1983 को दोनों देशों के विदेश मन्त्रियों ने हस्ताक्षर किए थे।

(ख) सातवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान शिष्टाचार के नाते प्रधान मन्त्री से राष्ट्रपति जिया की मुलाकात के अलावा दिसम्बर, 1982 में नई दिल्ली में तथा जनवरी, 1983 में इस्लामाबाद में सचिवों के स्तर पर भी विचार-विमर्श हुआ था। इनके परिणामस्वरूप एक-दूसरे के दृष्टिकोण को बेहतर ढग से समझा जा सका। लेकिन कुछ क्षेत्रों में बुनियादी मतभेद बने हुए हैं विचार विमर्श चल रहा है। भारत-पाक संयुक्त आयोग की पहली बैठक 1 से 4 जून तक इस्लामाबाद में होगी जबकि पाकिस्तान के विदेश मन्त्री के निमन्त्रण पर विदेश मन्त्री पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे।

राष्ट्रीय साक्षरता आयोग

10338. **श्री चित्त बसु** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है, कि 1981 की जनगणना के अनुसार देश में 68 करोड़ की कुल जनसंख्या में निरक्षरों की संख्या बढ़ कर 44 करोड़ से भी अधिक हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस निरक्षरता को कम करने के लिए वर्तमान कदमों के अतिरिक्त और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार एक समयबद्ध साक्षरता कार्यक्रम लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय साक्षरता आयोग बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में पहले ही क्या कदम उठाए जा चुके हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) सरकार ने यह नोट किया है कि 1981 की जनगणना के अनुसार, 66,52,87,849, की कुल जन संख्या में से, देश में सभी वर्गों के निरक्षरों की कुल संख्या 42,42,56,900 थी। ये आंकड़े जो अनन्तिम हैं इनमें असम की जन संख्या शामिल नहीं है क्योंकि वर्ष 1981 में इस राज्य में में कोई जनगणना नहीं की गई थी।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल करके उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसे नये 20-सूत्री कार्यक्रम का भी एक भाग बना दिया गया है। इसके फलस्वरूप, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों के नामांकन में नियमित वृद्धि हुई है। वर्ष 1980-81 में 25.91 लाख के नामांकन के मुकाबले वर्ष 1982-83 के नामांकन के अनन्तिम आंकड़े 43.18 लाख हैं।

(ग) और (घ) समयबद्ध साक्षरता कार्यक्रम को लागू करने के लिए, राष्ट्रीय साक्षरता आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिर भी, भारत सरकार ने निरक्षरता के उन्मूलन पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड गठित किया है।

बिहार में नए विश्वविद्यालय

10339. **श्री चित्त बसु** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुख्य मंत्री ने हाल में जैसी घोषणा की है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बिहार में चार नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(ख) विश्वविद्यालयों को स्वीकृति प्रदान करने सम्बन्धी मार्गदर्शी निर्देश क्या हैं और

(ग) क्या उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रबन्ध में इस मार्गदर्शी निर्देशों का ध्यान रखा गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बिहार सरकार से उस राज्य में चार नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) आयोग ने सभी राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि नए विश्वविद्यालय केवल

ठोस शैक्षिक आधारों और पर्याप्त संसाधन सुनिश्चत करने के बाद स्थापित किए जाने चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि नए विश्वविद्यालय स्थापित करने से पहले राज्य सरकारों को उपलब्ध सुविधाओं और उनके उपयोग का उपयुक्त सर्वेक्षण करना चाहिए। तब नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आयोग को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तावों के पूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिगनल एंड टेलीकम्यूनिकेशन एसोसिएशन से ज्ञापन

10340. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेलवे सिगनल एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन द्वारा पिछली 28 फरवरी को दिये गए ज्ञापन की एक प्रति उनको प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें उठाये गये मुद्दों का विवरण क्या है ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ज्ञापन में 17 मांगें प्रस्तुत की गई हैं। प्रत्येक मांग पर की गई टिप्पणी से सम्बन्धित विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०—6665/83]

आल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन की मांगें

10341. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मजदूरों ने 5 अप्रैल, 1982 को आल इण्डिया फेडरेशन के झंडे के साथ संसद के समक्ष प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में रेल मन्त्री को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या-क्या मांगें की गई हैं ; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) ए० आई० आर० एफ० ने दिसम्बर, 1982 को भी कामा में आयोजित अपने वार्षिक सम्मेलन में अपनाये गए संकल्पों में से एक संकल्प के अनुसरण में 5-4-1983 को वोट क्लब पर एक प्रदर्शन किया था। ए० आई० आर० एफ० द्वारा लोक सभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। इस ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ 21 मांगें थीं जिनमें सुधार करने की मांग की गई थी। ये मांगें और उन पर प्रशासन की टिप्पणियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल्टी 6666/83]

सियालदह दक्षिण सेक्शन में मासिक और वेंडर टिकटों की अवैध बिक्री

10342. डा० निर्मल सिन्हा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह दक्षिण सेक्शन, विशेषकर बरनीपुर से डायमण्ड हारबर के बीच के स्टेशनों के निकट ऐसी दुकानें हैं जहां मासिक और वेंडर टिकट रियायती दरों पर प्रतिदिन उपलब्ध होते हैं ;

(ख) क्या दैनिक टिकट, टिकट खिड़की के निकट रियायती दर पर उपलब्ध होते हैं ;

(ग) क्या रेल कर्मचारियों की जानकारी में होता है ;

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अवैध कार्यों में लगे कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई और उनमें स्टेशनवार, कितने रेल कर्मचारी थे ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है ।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता । टिकटों की बिक्री में कदाचार की रोकथाम के लिए सिविल प्राधिकारियों की सहायता से बार-बार जांच की जाती है ।

कर्नाटक में मौंकी फीवर से मौतें और राज्य सरकार को राहत

10343. **श्री डी० ए० पुत्तेगौडा** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में चिकमंगलूर जिले के बेधानगरी तालुक में पिछले तीन महीनों के दौरान "मौंकी फीवर" बीमारी से सैकड़ों आदमी मर चुके हैं और अभी और लोग भी मर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मौत से बचाने के लिए कोई उपयुक्त दवा उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) केन्द्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से सलाह लेकर राहत देने हेतु राज्य सरकार को सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-1983 से 16-4-1983 तक की अवधि के दौरान बेथानगरी तालुक में 887 व्यक्ति कोगग्रस्त हुए और 77 रोगियों की मृत्यु हो गई ।

(ख) और (ग) ऐसे सभी रोगियों का लाक्षणिक उपचार करने के लिए अपेक्षित औषधियों के साथ-साथ पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई हैं जिसमें आपातिक औषधियां भी शामिल हैं। राष्ट्रीय विषाणु-विज्ञान संस्थान पुणे जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन एक संस्था है, के कर्मचारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा विस्तृत अन्वेषण किए। इस बीमारी की रोकथाम के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे के परामर्श से शिमोगा में एक के० एफ० डी० वैक्सीन उत्पादन यूनिट खोलने पर विचार कर रही है।

गांधीवादी विचारों पर पृथक पाठ्यक्रम

10344. **श्री हरिकेश बहादुर :**

श्रीमती कृष्णा साही : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के 150 विश्वविद्यालयों में से उन विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है जिनमें एम० ए० और बी० ए० स्तर तक गांधीवादी विचारों पर अलग से पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं और उन पर अब तक सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि भागलपुर विश्वविद्यालयों में पिछले तीन वर्षों से स्नातकोत्तर स्तर पर उचित और लोकप्रिय ढंग से गांधीवादी विचारों पर पाठ्यक्रम पढ़ाये जा रहे हैं परन्तु उसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अब तक भवन और एक प्रोफेसर और एक रीडर का प्रबन्ध नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार विश्वविद्यालय की मांगों पर विचार करेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय माने-जाने वाली एक संस्था सहित 6 विश्वविद्यालय गांधी विचारधारा पर उत्तरस्नातक पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इनमें 4 विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम चला रहे हैं जबकि शेष दो मास्टर डिग्री में वैकल्पिक विषय के रूप में गांधी विचारधारा प्रदान कर रहे हैं। दो अन्य विश्वविद्यालय गांधी विचारधारा पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहे हैं। उनके द्वारा इन पाठ्यक्रमों पर किए गए व्यय की सही सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 1978 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भागलपुर विश्वविद्यालय में गांधी विचारधारा पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम लागू करने का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन किया था। बाद में राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति प्रदान कर दी थी और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक स्टाफ संस्वीकृत किया था आयोग ने विश्वविद्यालय को अभी तक एक लेक्चरर की नियुक्ति के लिए सहायता उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा आयोग ने पुस्तकों, पुस्तिकाओं की खरीद और महात्मा गांधी पर

फिल्मों और विजिटिंग लेक्चररों की नियुक्ति के लिए 80,000/-रु० तक की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की थी। गांधी विचार धारा के उत्तरस्नातक विभाग के लिए और अनुदान के लिए मार्च, 1983 के अन्त में विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव पर गांधी विचारधारा अध्ययन की प्रौन्नति से सम्बंधित आयोग की स्थाई समिति द्वारा अभी विचार किया जाना है।

बाल साहित्य के लिए केन्द्रीय सहायता

10345. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल साहित्य के प्रकाशन, वितरण और लेखन के लिए क्या सहायता प्रदान की जाती है ;

(ख) कितने राज्य सरकारों ने सहायता या मंजूरी के लिए योजनायें प्रस्तुत की हैं अथवा विचार-विमर्श के लिए रखा है ; और

(ग) केरल राज्य ने कितनी योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है और उन्हें केन्द्रीय स्वीकृति और सहायता के लिए भेजा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) बाल साहित्य के प्रकाशन, वितरण तथा लेख के लिए राज्य सरकारों को ऐसी कोई सहायता नहीं दी जाती है। सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रकाशन कार्यक्रमों के अन्तर्गत बाल साहित्य का प्रकाश किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विकलांगों को सरकारी छात्रवृत्ति

10346. **श्री के० प्रधानी** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकलांग बच्चों को सरकारी छात्रवृत्ति उनके अभिभावकों को आवंटन के अनुसार नहीं दी जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सामान्य श्रेणी और विकलांग बच्चों की श्रेणी के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति 10:1 के अनुपात में दी जानी होती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस अनुपात का पाल किया जा रहा ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल विकलांग बच्चों को कोई रियायतें अथवा छूट नहीं दे रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतनों के साथ विकलांग बच्चा भत्ता देने की सरकार का विचार है जैसी कि फीस आदि के सम्बन्ध में परम्परा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) "विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति" योजना में विकलांग छात्रों के माता-पिता को छात्रवृत्ति देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सरकार को इस प्रकार के किसी उदाहरण की सूचना नहीं मिली है ।

(ङ) सरकार इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं कर रही है ।

सियालदह जिले में माल-डिब्बे तोड़ने वाला गिरोह

10347. **डा० निर्मल सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को माल डिब्बे तोड़ने वाले गिरोहों तथा उन अन्य गिरोहों की जानकारी है, जो रेलवे सम्पत्ति अर्थात पंखे, बिजली के बल्ब, खिड़कियां, दरवाजे, सीटें, फर्श की अल्युमियिनम शीट आदि को लूटने में सक्रिय हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा उनमें से गत दो वर्षों में सेक्शनवार अर्थात (सियालदाह-बजबज, सियालदह-डायमंड हारदर, सियालदह-कानिंग, सियालदह-लक्ष्मीकांतपुर सेक्शनों में) कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) सियालदह मण्डल में असमाजिक तत्वों और माल डिब्बे तोड़ने में सक्रिय दलों की गतिविधियों की रोकथाम करने और उन पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं ।

(1) जहां तक सम्भव होता है, प्रभावित हो सकने वाली गाड़ियों के साथ देर रात्रि और अति तड़के रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के जवानों को मार्ग रक्षी के रूप में भेजा जाता है ।

(2) अपराधियों और चुरायी गयी रेल सम्पत्ति के प्रापकों को गिरफ्तार करने के लिए अचानक छापे मारे जाते हैं ।

(3) बिजली गाड़ियों के रेक जिस समय खड़े होते हैं तो उनकी देखभाल रात्रि के समय रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा की जाती है ।

(4) क्षेत्र में बदमाशों की गतिविधियों से निपटने के लिए रेल सुरक्षा बल द्वारा राज्य सरकार/पुलिस प्राधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ।

1981 के दौरान, सियालदह मंडल में सक्रिय 158 अपराधी गिरफ्तार किये गये थे। अभी तक इनमें से 3 अपराधियों को दोषी पाया गया है। शेष व्यक्तियों के विरुद्ध मामले न्यायाधीन है। 1982 के दौरान 184 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए थे और इनमें से एक के विरुद्ध दोष सिद्ध हो गया है। शेष व्यक्तियों के विरुद्ध मामले के विरुद्ध न्यायाधीन हैं, इस सम्बन्ध में सेक्शन वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

रेल सेवा आयोग बम्बई के चुने गये प्रत्याशियों की नियुक्ति

20348. **श्री रामेश्वर नीखरा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सेवा आयोग, बम्बई ने लिपिकी, टिकट क्लेक्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों आदि पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे और लिखित मौखिक परिक्षाएं और वैयक्तिक साक्षात्कार आयोजित किए थे ;

(ख) क्या यह सच है कि 29 दिसम्बर को आगरा में उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशियों को रेलवे में नियुक्त नहीं किया गया है और रेल सेवा आयोग, बम्बई के विरुद्ध कोई जांच चलने के कारण परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है ; और

(ग) इस मामले में रेल मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और चुने गये प्रत्याशियों को रेलवे में नियुक्ति न देने के क्या कारण हैं जबकि बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं ;

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चूंकि कुछ अनियमितताओं की रिपोर्ट मिली है, अतः सारे मामले की जांच की जा रही है।

गवर्नमेंट मैडिकल स्टोर डिपो मद्रास के कर्मचारियों को उत्पादकता के आधार पर बोनस का भुगतान

10349. **श्री के० वी० एस० मणि** :

श्री थाम्माई एमा० कदणाविधि : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो के खासतौर पर मद्रास डिपो के कर्मचारियों को उत्पादकता के आधार पर बोनस का भुगतान करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(ख) सरकारी स्तर पर कब से यह मामला अन्तिम रूप दिए जाने हेतु लम्बित पड़ा है ; और

(ग) इसको कब अन्तिम रूप दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डारों जिसमें मद्रास स्थित भण्डार भी शामिल

है के कर्मचारियों को उत्पादन के आधार पर बोनस का भुगतान करने संबंधी मामला पिछले कुछ वर्षों से विचाराधीन है ;

(ग) इस समय यह बताना कठिन है कि इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने में कितना समय लग सकता है ।

सहायक स्टेशन मास्टरों और सेक्शन के लिये साप्ताहिक अवकाश

10350. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने 9 फरवरी 1979 और 26 फरवरी, 1969 में आयोजित सुरक्षा बैठकों में केवल सहायक स्टेशन मास्टरों की श्रेणी द्वारा पेनल बोर्ड में आदमी नियुक्त करने के बारे में फैसला किया है ;

(ख) यदि हां तो पूर्वी रेलवे विशेष रूप से आसनसोल डिवीजन में फैसले को लागू करने का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनटेनसिवल रोस्टर ड्यूटी करने वाले सहायकस्टेशन मास्टरों और सेक्शन नियंत्रकों को साप्ताहिक के प्रावधान के बारे में कोई भेदभाव बरता गया है; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 5/6-2-1979 को आयोजित मुख्य संरक्षा अधीक्षकों के साथ रेल मंत्रालय की बैठक और 14/15-9-1979 को आयोजित मुख्य संरक्षा अधीक्षकों की बैठक में हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप रेलों को अनुदेश जारी किये गये थे कि स्विचमैनों को पेनलों का संचालन करने की अनुमति न दी जाये ।

(ख) सम्पूर्ण पूर्व रेलवे पर 18 स्विचमैन पेनलों का संचालन कर रहे हैं और उनमें से 6 आसनसोल मण्डल में है । स्विचमैनों के स्थान पर सहायक स्टेशन मास्टरों को लगाने के लिए पूर्व रेलवे द्वारा कार्यवाई आरम्भ की जा चुकी है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों से दवाइयां जारी न किया जाना

10351. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेषज्ञों/अस्पतालों द्वारा लिखी गई ब्रांड विशेष की दवाइयां सामान्यतया जारी नहीं करते हैं बल्कि उनके बदले में अन्य दवाइयां देते हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय उतनी अवधि के लिए दवाइयां जारी नहीं करते हैं जितनी अवधि के लिए दवाइयां निर्धारित की जाती है, और लाभार्थियों को बार-बार औषधालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की औषधियां कैमिस्टों की दुकानों पर पहुंच जाती हैं ;

(घ) क्या चिकित्सा तथा कैमिस्ट बैंध बिलों के बिना औषधियां खरीदते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कार्यकरण को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) उन मामलों में जहां विशेषज्ञ ब्राण्ड नामों की दवाइयों, जो उपचार के लिए अनिवार्य होती है, दवाइयां खरीदी जाती हैं और लाभार्थियों को सप्लाई की जाती है। अन्य मामलों में जातीय नामों वाली दवाइयां जिनमें वैसे ही चिकित्सीय गुण होते हैं, रोगियों को सप्लाई की जाती हैं।

(ख) पहले पहल औषधालय में एक सप्ताह से अधिक के लिए दवाइयां दी जाती है जिससे कि दवाई की किसी प्रतिक्रिया अथवा उसकी ग्रहणशीलता को आंका जा सके। तथापि, जिन मामलों में तीन महीनों अथवा उससे अधिक समय के लिए इलाज निर्धारित किया जाता है और टिकाऊ पाया जाता है तो उन मामलों में एक बार में एक महीने तक की अवधि की दवाइयां दे दी जाती हैं। वैसे चिकित्सा अधिकारियों को हिदायतें दे दी गई है कि वे विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित की गई सारी अवधि के लिए दवाइयां इन्डेट करें।

(ग) हालांकि हाल ही में ऐसा कोई मामले ध्यान में नहीं आया है फिर भी छुट-पुट चोरी रोकने के लिए सुरक्षा और दवाइयों का हिसाब-किताब रखने संबंधी उपाय किए जा रहे हैं।

(घ) नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में पब्लिक स्कूल पद्धति

10352. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पब्लिक-स्कूल पद्धति के बारे में सरकार की क्या नीति है ; और

(ख) सरकार ने इन संस्थाओं पर किस प्रकार नियन्त्रण रखा हुआ है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) सामान्यतः पब्लिक स्कूलों का आशय उन स्कूलों से है जो सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत एक स्वैच्छिक संघ इण्डियन पब्लिक स्कूल्स कान्फ्रेंस के सदस्य हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में इस समय ऐसे स्कूल 55 हैं। इन स्कूलों पर न तो इस मंत्रालय का कोई नियंत्रण है, न ही यह उनमें से किसी को अनुदान दे रही है। इन संस्थाओं में शैक्षिक स्तरों, पाठ्यचर्या आदि माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा नियमित किए जाते हैं जिनसे ये सम्बद्ध हैं।

(ख) शिक्षा अधिनियम/नियमावालियां तथा अन्य शिक्षा संहिताएं हैं जिनके अन्तर्गत संबंधित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त स्कूलों/गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के कामकाज को नियमित किया जाता है।

निजी स्वामित्व के मकानों में विदेशी दूतावास और अधिकारी

10353. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री मनोहर लाल सैनी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई दूतावास और उनके अधिकारी दिल्ली तथा देश के किसी भाग में निजी स्वामित्व के मकानों में है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) जी, हां। जहां जहां विदेशी मिशनों की अपनी सम्पत्ति नहीं है, वहां सामान्य रूप से ऐसा ही किया जाता है। मौजूदा विनियमों के अन्तर्गत विदेशी मिशनों या उनके कर्मचारियों को पट्टे पर संपत्ति देने वाले मालिकों द्वारा सरकार को ऐसे मामलों की सूचना देना अपेक्षित नहीं है। यही बात भारत स्थित राजनयिक और कोंसली मिशनों पर भी लागू होती है।

गुट-निरपेक्ष ब्यूरो की बैठक

10354. **श्री तारिक अनवर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में मानागुआ में गुट-निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की बैठक हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सोवियत रूस ने बैठक के परिणामों पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ;

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां, जनवरी, 1983 में ।

(ख) और (ग) सोवियत संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका का सामान्यतः सकारात्मक मूल्यांकन किया है । सोवियत संघ माध्यमों में भी के समाचार-मानागुआ में आयोजित बैठक के परिणामों के बारे में प्रशंसात्मक टिप्पणियां प्रकाशित-प्रशारित की गयी है । भारत सरकार ने इन टिप्पणियों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया है ।

अंक सूचियों की बिक्री

10355. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :

श्री गुलेशर अहमद : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 मार्च, 1983 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अंक-सूचियों की बिक्री संबंधी धोखाधड़ी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सरकार को दिल्ली में ऐसे कितने मामलों का पता चला है ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की जा सकी है ; और

(घ) इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ;

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी हां ।

(ख) पिछले दो वर्षों में जाली दस्तावेजों के दो मामले बोर्ड के नोटिस में आए हैं ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उनके प्रमाण-पत्र तथा अंक-पत्र संगणक (कम्प्यूटर) पर चलाने के लिए सतत लेखन सामग्री पर होती है और उन पर यथापूर्वक क्रम संख्या दी होती हैं । सभी दस्तावेजो का समुचित हिसाब रखा जाता है 21 इस व्यवस्था से केन्द्रीय बोर्ड की लेखन-सामग्री पर जाली दस्तावेजों के जारी होने की संभावना नहीं है । तथापि, बोर्ड, गलत लोगों द्वारा इस प्रकार के जाली दस्तावेजों की धोखाधड़ी पर किसी प्रकार का नियन्त्रण करने की स्थिति में नहीं है । जालसाजी के जो मामले नोटिस में आते हैं, उनकी पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल की जाती है ।

बवासीर के इलाज के सम्बन्ध में अनुसंधान

10356. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बवासीर के उपचार के सम्बन्ध में कोई नया अनुसंधान किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) बवासीर के इलाज के उपलब्ध तरीके सन्तोषजनक और सुस्थापित हैं। इनमें सर्जिकल और मेडिकल, दोनों तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है और ये सारे देश में अपनाए जा रहे हैं।

ब्रह्मपुत्र पर सड़क पुल

10357. **श्री चित्त बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोमरागुरी में ब्रह्मपुत्र पर सड़क पुल निर्माण का कार्य निर्धारित समय से बहुत पीछे रह गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है ; और

(घ) विलम्ब के कारण परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हुई है ;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) उत्तर-पूर्वी परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार भोमरागुरी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पुल का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार ही हो रहा है और इस कार्य के दिसम्बर, 1985 तक पूरे हो जाने की आशा है। इस परियोजना की लागत में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि पुल की लम्बाई बढ़ायी गई और विशिष्टियों में कुछ परिवर्तन किया गया।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अनारक्षित किया जाना

10358. **श्री बालासाहिब पवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को रेल मंत्री के अनुमोदन के बिना अनारक्षित कर दिया जाता है ;

(ख) वर्ष 1981 और 1982 में कितने पद रेल मंत्री के अनुमोदन के बिना अनारक्षित कर दिए गए थे ; और

(ग) कितने मामलों में मंत्री का कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया था ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) अराजपत्रित तकनीकी और परिचालनिक कोटियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को गैर-आरक्षित करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से उत्पादन इकाइयों सहित सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को शक्तियां प्रदान की गई है। अन्य सभी मामलों में, आरक्षित रिक्तियों की गैर-आरक्षित करने के लिए रेल मंत्रालय का अनुमोदन लेना आवश्यक है।

(ख) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान किसी आरक्षित रिक्ति को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना गैर-आरक्षित नहीं किया।

(ग) इक्कीस।

भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा सहयोगात्मक परियोजनाएं

10359. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त अनुसंधान योजना जिसे स्थापित करने का प्रस्ताव जनवरी, 1983 में अमेरिकी तथा भारतीय प्रतिनिधियों की स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित बैठक के दौरान किया गया था के सम्बन्ध में भारतीय तथा अमेरिकी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा सहयोगात्मक परियोजनाओं में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है और योजना प्रारम्भ किए जाने तक कितनी राशि खर्च की जाएगी ;

(ग) अमेरिका और भारत द्वारा किस अनुपात में व्यय किया जाएगा ; और

(घ) इससे देश में ग्रामीण और शहरी जनता को कहां तक लाभ होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) वरिष्ठ वैज्ञानिकों के भारतीय अमेरिकी दल ने जनवरी, 1983 में एक बैठक की जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य-क्षेत्र में सहयोग के लिए अनुसंधान के निम्नलिखित कार्यक्रमों को चयन किया :—

1. क्षय रोग और कुष्ठ रोग जैसे संक्रामक रोगों का पता लगाने और उनके निवारण के लिए काम आने वाले रोग प्रतिक्षरण के नए उपाय।

2. दृष्टि हीनता पर नियंत्रण जिसमें मोतियां बिन्द के रोगियों पर अधिक ध्यान दिया जाए।

3. जनन क्षमता को विनियमित करने और अप्रजननशीलता में काम आने वाले रोग प्रतिरक्षण के नए उपाय।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बैठकों में आमंत्रित किए गए अपने वैज्ञानिकों के यात्रा और दैनिक भत्तों आदि पर अब तक कुल लगभग 24,300 रुपए खर्च किए।

(ग) दोनों पक्षों द्वारा दी जाने वाली धन राशि का हिसाब इन सहयोगात्मक कार्यक्रमों के लिए दोनों सरकारों का औपचारिक अनुमोदन मिल जाने के बाद लगाया जाएगा।

(घ) रोग प्रतिरक्षण की नई विधियों तथा जीन-क्लोनिंग और हाइब्रिडोम टेक्नालाजी की सहायता से मोनोक्लोनल एण्टीबाडीज पर आधारित बायो-टेकनालाजी का उपयोग करने से शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के इलाकों की फील्ड स्थितियों में खासकर व्यापक रूप से फैले हुए कुछेक संचारी रोगों, पोषणिक विकारों और प्रजनन की मूल शररी-क्रिया के सम्बन्ध में नैरानिक प्रविधियां बेहतर हो जायेंगी !

मस्कट में पुलिस हिरासत में भारतीयों की मृत्यु

10360. **श्रीमती संयोगिया राणे** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले महीन मस्कट में पुलिस की हिरासत में गोवा के जवान व्यक्ति की रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु हुई ;

(ख) क्या मृतक के पिता ने भारत सरकार द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था ;

ग) सरकार द्वारा मामले के बारे में वास्तविक तथ्यों को प्रकाश में लाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा है ; और

(घ) क्या गोवा के मृतक व्यक्ति के परिवार को मस्कत से मुआवजा मिलेगा और मृतक व्यक्ति के परिवार को राहत मिलेगी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) इवान एफ गोम्भ की 4 जून, 1982 को मस्कत में मृत्यु हो गयी। रायल ओमान पुलिस अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र में मृत्यु का कारण "सबआर्चनांयड हेमरिज" बताया है।

(ख) जी हां।

(ग) मस्कत स्थित हमारे राजदूतावास ने वहां के स्थानीय प्राधिकारियों से मृत्यु के बारे में विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराने की बार-बार मांगें की है । दिल्ली स्थिति ओमानी राजदूतावास से भी इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कई बार सम्पर्क किया गया है।

(घ) जैसे ही और ब्यौरे प्राप्त हो जाएंगे इय मामलों को सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ उठाया जाएगा।

पूर्वोत्तर जोन से चल रही रेल गाड़ियों के बारे में सुझाव

10361. **श्री राम लाल राही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने पूर्वोत्तर जोन से चल रही रेल गाड़ियों के बारे में सुझाए दिए हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों पर कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस जोन के यात्रियों को किन कारणों से उपेक्षित किया जा रहा है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत व्यावहारिक सीमा तक विभिन्न मांगों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही की गयी है। विश्वसनीय और बेहतर सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से लम्बी दूरी से आने जाने वाले दैनिक यात्री यातायता की जरूरत को अलग करके अभी हाल में पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न खंडों पर विभिन्न गाड़ियों के समय में परिवर्तन किया गया है ।

बम्बई उपनगरीय रेलवे किरायों में वृद्धि

10362. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उपनगरीय रेलवे किरायों और सीजन पास दरों में वृद्धि के प्रश्न पर बातचीत के लिए बम्बई के मेयर की रेलवे मन्त्री के साथ भेंट का समय निश्चित करने में असफलता के विरुद्ध, विरोध-स्वरूप हाल ही में बम्बई नगर निगम की बैठक स्थगित हो गयी थी, और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) मुख्य वाणिज्य अधीक्षक, पश्चिम रेलवे, बम्बई को नगर निगम, सचिव, बम्बई द्वारा लिखे गये पत्र से यह मालूम हुआ कि इस वजह से नगर निगम में 14-3-83 को अपनी बैठक स्थगित कर दी ।

(ख) रेल मन्त्री ने संसद में बजट अधिवेशन के कारण पहले से ही निरंतर व्यक्य होने की वजह से इस मामले में अपनी कठिनाई व्यक्त कर दी थी ।

डिक्शनरी आफ यू० के० में प्रकाशित मानचित्र में काश्मीर को अलग दर्शाया

10363. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** :
प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री रतन सिंह राजदा : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेलसन कटेम्पोरेरी इंगलिश डिक्शनरी के प्रकाशनों थौमस नेलसन एण्ड सन्स यू० के०, ने एक मानचित्र प्रकाशित किया है जिसमें काश्मीर को भारतीय क्षेत्र सीमा से बाहर दर्शाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) यूनाइटेड किंगडम के मैसर्स

थामस नेल्सन सन्स ने ऐसा कोई मानचित्र प्रकाशित नहीं किया है लेकिन वे पश्चिम जर्मनी की एक फर्म द्वारा प्रकाशित एक मानचित्र के यूनाइटेड किंगडम में वितरक है जिसमें जम्मू और काश्मीर को कुछ अस्पष्ट ढंग से दिखाया गया है ।

(ख) बोन स्थिति हमारे राजदूतावास को यह अनुदेश दिया गया है कि वह सम्बद्ध प्रकाशन के साथ इस मामले को उठाए और इन अस्पष्टताओं के विषय में स्पष्टीकरण मांगें तथा उन्हें यह बात अच्छी तरह समझाए कि यह जम्मू और काश्मीर का समूचा राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग हैं ।

श्री लंका के प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया

10364. **श्री ब्रज मोहन माहन्ती :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलियस जनवर्धने ने भारत के प्रधान मन्त्री को आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके नेतृत्व में गुट निरपेक्षप देश के नेताओं का एक मिशन औद्योगिक रूप से उन्नत देशों को भेजने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या इस संबंध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो उस पर श्री लंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां । मार्च, 1983 में नई दिल्ली में हुए सातवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में श्री लंका के राष्ट्रपति ने इस आशय का एक प्रस्ताव रखा कि भारत की प्रधान मंत्री गुट निरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्षा की हैसियत से कुछ देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के एक प्रतिनिधि दल को इस बात के लिए तैयार करें कि वे प्रमुख विकसित देशों के शासनाध्यक्षों से बात करके उनसे यह कहें कि गम्भीर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट की स्थिति को देखते हुए तत्परतापूर्वक कार्रवाई करें ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने ऐसी किसी भी पहलकदमी का हमेशा दृढ़ समर्थन किया है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मजबूत होता हो और विश्व में आर्थिक स्थिति को सुधार कर उसे विकसित करने में सहायता मिलती हो । भारत और अन्य गुट निरपेक्ष देशों ने श्री लंका के राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव की सराहना की ओर इस लक्ष्य-पूर्ति की दिशा में इसे एक योगदान बताया श्री लंका की सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि यह सुनश्चित करने का सबसे अच्छा क्या तरीका हो सकता है कि नई दिल्ली घोषणा और सन्देश पर के सार-तत्व की ओर विकसित देशों के नेताओं का ध्यान आकृष्ट हो । इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने श्री लंका सहित कुछ गुट-निरपेक्ष देशों की विदेश मन्त्री स्तर की एक बैठक नई दिल्ली में 29-30 अप्रैल को आयोजित की ।

बैठक की समाप्ति पर जारी की गई एक प्रैस विज्ञप्ति में, जिनकी विषय-वस्तु को, बैठक में भाग लेने वाले सभी नेताओं का जिनमें श्रीलंका के विदेश मंत्री भी शामिल हैं, अनुमोदन प्राप्त था । मंत्रियों ने इस पर सहमति प्रकट की गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष को तत्काल कार्रवाई के

रूप में अमरीका के राष्ट्रपति तथा विलियिम्सवर्ग शिखर—सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य नेताओं को, जर्मन लोक-तान्त्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति तथा "सी० एम० ई० ए०" शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य नेताओं को तथा "ओ० ई० सी० डी०" के सदस्यों को यथोचित रूप से पत्र लिखने चाहिए । इन मन्त्रियों ने नई दिल्ली शिखर-सम्मेलन की आर्थिक घोषणा के प्रावधानों की ओर भी ध्यान दिलाया जिसमें गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष से यह अनुरोध किया गया था कि वे नई दिल्ली घोषणा और सन्देश के सार-तत्वों पर विश्व के अन्य नेताओं के साथ विचार-विमर्श करने के लिए राज्याध्यक्षों अथवा शासनध्यक्षों के एक दल को आमंत्रित करें । उन्होंने गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष से यह आग्रह किया कि वे इन दिशा में आगे समुचित कार्रवाई करें ।

जी० आर० पी० कानपुर सेन्ट्रल द्वारा नकली मजिस्ट्रेट बने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना ।

10365. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी० आर० पी० कानपुर सेन्ट्रल स्टेशन ने अप्रैल, 1983 के दौरान ऐसे अनेक व्यक्तियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है जिसके विरुद्ध टी० टी० आई और टिकट कलेक्टरों की साट-गांठ से नकली मजिस्ट्रेशन बनकर रेल यात्रियों को ठगने का आरोप है ; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्ति का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यकाही की जा रही है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 4-4-83 राजकीय रेलवे पुलिस कानपुर द्वारा आर० एस० राजौरिया नामक व्यक्ति, जो नकली मजिस्ट्रेट बना था, तथा उसके सहयोगियों श्री वीरेन्द्र सिंह बैंज इंचार्ज/टिकट कलक्टर और श्री ओ० पी० सिंह, टिकट कलक्टर को गिरफ्तार किया गया था । राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन, कानपुर में इनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/170/161/506/468 के अधीन अपराध मामला संख्या 55 दर्ज किया गया । बाद में मुंसिफ मजिस्ट्रेट, फजलगंज, कानपुर के न्यायलय में सभी अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ दिया गया । अभी मामले की जांच पड़ताल जारी हैं ।

राज्यों के चिकित्सकों द्वारा निम्न वर्ग स्तर वेतनमानों आदि के विरुद्ध अभ्यावेदन

10366. **श्री अरविन्द नेताम** : क्यास्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में आयुर्वेदिक चिकित्सकों से एलोपैथिक चिकित्सकों की अपेक्षा उन्हें दिये जा रहे निम्न वर्ग/स्तर/वेतनमानों के विरुद्ध उनके विरोध के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समान ही वेतनमान/स्तर/वर्ग दिए जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के डाक्टरों के वेतनमानों में विषमता को कम करने/दूर करने के प्रश्न पर समय-समय पर हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के संयुक्त सम्मेलनों में विचार किया गया था। 6 से 8 अक्तूबर, 1978 को हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के पाचवें संयुक्त सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के निदेशकों और शिक्षण स्टाफ के वेतनमानों में अन्य पद्धतियों के वेतनमानों की तुलना में जो असंगति है उसे शीघ्र दूर किया जाना चाहिए। ये सिफारिशें सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को उचित कार्यवाही हेतु परिपत्रित की गई थीं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत विभिन्नों चिकित्सा पद्धतियों के डाक्टरों वेतनमान कार्य की अपेक्षाओं, दायित्व के स्तर तथा पदों के लिए निर्धारित अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए नियत किए गए हैं। इसलिए आयुर्वेदिक डाक्टरों का वेतनमान एलोपैथिक डाक्टरों के वेतनमान के बराबर नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालयों में आरक्षण नियमों का पालन

10367. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण नियमों का पालन करने का निर्णय किया था जो कि विश्वविद्यालय की गैर शैक्षिक पदों के लिए भारत सरकार द्वारा लागू है, जैसाकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो आन्तरिक पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदो/रिक्तियों के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय में किन कारणों से आरक्षणनीति का पालन नहीं किया जा रहा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई जा रही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और उम्मीदवारों के लिए आरक्षण से सम्बन्धित नीतियों का अनुश्रवण करते हैं, द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय ने गैर शिक्षण श्रेणियों के पदों की भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए 15./ और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए 7 1/2./ पद आरक्षित किए हैं। दिल्ली विश्व

विद्यालय श्रेणी III और IV, (ग्रुप ग और घ) के पदों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर का भी पालन करता है।

(ख) मौजूदा आरक्षण नीति पदोन्नति के मामले में उल्लिखित पदों पर लागू नहीं होती क्योंकि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने महसूस किया कि एक समय पर आन्तिरक पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उपलब्ध पद व बहुत सीमित होते हैं इसलिए पदोन्नतियों में आरक्षण के सम्बन्ध में सरकारी नियम अपनाना वांछनीय नहीं था। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय दोनों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को, गैर शिक्षण पदों पर पदोन्नतियों के मामले में भी अ० ज० और अ० जन जा० के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण सम्बन्ध प्रावधान अपनाने की सलाह दी है।

आण्विक सहयोग संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए प्रेपरेटरी कमेटी में ब्रिटेन के प्रतिनिधि द्वारा की गई टिप्पणी

10368. **श्री रतन सिंह राजदा :**

श्री बी० बी० देसाई : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आण्विक ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग में आण्विक सहयोग संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए प्रपरेटरी कमेटी में 30 मार्च को ब्रिटेन के प्रतिनिधि द्वारा की गई टिप्पणी (हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक 1 अप्रैल, 1983) की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस मामले के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) इस ब्रिटिश प्रतिनिधि ने कहा था कि इस संदर्भ में वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही यह सुझाव दिया था कि नाभिकीय ऊर्जा के शान्ति पूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन से सम्बद्ध प्रस्ताविक सयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में नाभिकीय प्रौद्योगिकी के केवल उन्हीं पहलुओं के बारे में कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्हें विकासशील देशों के हाथों में काफी सुरक्षित समझा जाए। इस वक्तव्य पर टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी में भारतीय प्रतिनिधि ने पैतृकवाद के इस मनोविज्ञान की निंदा की और इसे उपनिवेशवादी शासनकाल की अवशिष्ट मनोवृत्ति कहा था और साथ ही इस बात पर बल दिया था कि इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अपनी प्राथमिकताओं, हितों और आवश्यकताओं के अनुसार शांतिपूर्ण विकास के लिए नाभिकीय ऊर्जा अर्जित करने के हरेक राज्य के अविच्छेद अधिकार को हमेशा के लिए दबाया जा सकता है।

(ग) जी नहीं।

समस्तीपुर और दरभंगा स्टेशनों पर प्रदर्शन

10369. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान रेलवे द्वारा कुछ मांगें माने जाने हेतु पूर्वोत्तर रेलवे के दरभंगा तथा अन्य स्टेशनों पर प्रदर्शन गिरफ्तारियां और लाठी चार्ज आदि हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या ब्यौरा है और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या पूर्वोत्तर रेलवे का महा प्रबन्धक एक संसद सदस्य की उपस्थिति में दरभंगा स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों के एक शिष्ट मण्डल से मिला था और कुछ आश्वासन दिये थे यदि हां, तो उसके बारे में क्या ब्यौरा है ; और

(घ) क्या समस्तीपुर-दरभंगा जयनगर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने, साकरी-हासमपुर नई लाइन के निर्माण, एक रेल पुल के जरिये निर्मली-हीरभीठा रेल लाइन को पुनः चालू करना, सीधी दरभंगा-बेनीबाद-मुजफ्फरपुर रेल लाइन, सीधी समस्तीपुर-हावड़ा और जयनगर इलाहाबाद ट्रेनों का कार्यान्वयन करने हेतु विचार किया जा रहा है ?

रेलमन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन और गिरफ्तारियां हुई हैं किन्तु इस स्टेशन पर लाटी चार्ज की कोई घटना नहीं हुई ।

(ख) इंडियन पीपुल्स फ्रंट सहित दरभंगा की विभिन्न समितियों ने ललित नारायण मिश्र कालेज आदि के विद्यार्थियों के सहयोग से प्रदर्शन किया, गाड़ियों का घेराव किया, धरना दिया, दरभंगा और स्टेशन के कार्य में रुकावट डाली । उनकी मांग थी कि दरभंगा और समस्तीपुर के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाये और पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल के हसनपुर रोड और सकरी स्टेशनों के बीच मीटर लाइन बिछायी जाए । राजकीय रेलवे पुलिस, दरभंगा ने 388 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और वह गाड़ियों के सही परिचालन, रेल सम्पत्ति की सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपचारात्मक उपाय कर रही हैं । धन समिति ससाधनों की स्थिति में सुधार होने पर इन कार्यों में तेजी लाने के लिए पूरा ध्यान दिया जायेगा ।

(ग) 11-3-83 को दरभंगा में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक एक प्रतिनिधि मंडल से मिले जिसमें श्री भोगेन्द्र झा संसद सदस्य भी शामिल थे । उन्होंने यह सूचित किया कि आमान परिवर्तन और मीटर लाइन बिछाये जाने के कार्यों के लिए पर्याप्त धन की अनुपलब्धता के इस कार्य में तेजी नहीं लाई जा सकी । जैसे ही धन सहित, संसाधनों की स्थिति में सुधार होगा, इन कार्यों में तेजी लाने पर पूरा ध्यान दिया जायेगा ।

(घ) समस्तीपुर दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने और सकरी-हसनपुर के बीच एक नई लाइन का निर्माण स्वीकृत परियोजनाएं हैं । वित्त की बहुत कमी के कारण ये

परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ पाई हैं। दरभंगा-जयनगर मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदले जाने के लिए एक सर्वेक्षण चल रहा है। निर्मली-थारभीठा लाइन को पुनः चालू करने अथवा दरभंगा-मुजफ्फरपुर के बीच एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

साधन स्रोतों की कमी के कारण फिलहाल समस्तीपुर और हावड़ा के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाया जाना ब्यावहारिक नहीं है। जयनगर से इलाहाबाद के लिए एक सीधी गाड़ी का कोई प्रस्ताव नहीं है। पाया गया है कि जयनगर और वाराणसी के बीच चल रहे वर्तमान थ्रू सवारी डिब्बे में बहुत कम यात्री सफर करते हैं।

पुलों के संशोधित प्राक्कलन

1(.370. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय विभाग को नौवहन और परिवहन मन्त्रालय से कुछ पुलों के संशोधित प्राक्कलन "अन्तर राज्य" अथवा आर्थिक महत्व के अन्तर्गत प्राक्कलनों की मन्जूरी के लिए प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पुलों के नाम क्या हैं और छठी योजना की वार्षिक योजनाओं के दौरान अब तक कितने पुलों के संशोधित प्राक्कलनों के लिए मंजूरी मांगी गई थी और कितने को मन्जूरी दी गई है ;

(ग) क्या उड़ीसा में बंसधारा नदी पर "अन्तर-राज्य" अथवा आर्थिक महत्व की ऋण योजना के अन्तर्गत नौवहन और परिवहन मन्त्रालय ने 1977 में जो पुल मन्जूर किया था, के संशोधित प्राक्कलन को मन्जूरी हेतु वित्त मन्त्रालय में भेजा गया था और इस पुल के काम को शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और उसके किए ऋण मन्जूर करने का औचित्य क्या हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त पुल का संशोधित प्राक्कलन वित्त मन्त्रालय द्वारा मन्जूर कर लिया गया है ;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) राज्यों में अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता के अन्तर्गत जो ऋण सहायता प्रारम्भ में अनुमोदित की गई उसे किसी नीति के तहत संशोधित नहीं किया जाता है और यदि कुछ अधिक खर्च होता है। (1) उड़ीसा में गुनपुर के समीप बंसधरा पुल (2) पंजाब में आनन्दपुर साहिब के समीप सतलज पुल (3) हरियाणा में पलबल के समीप यमुना पुल और (4) उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा पर मांझीघाट के समीप घाघरा पुल से सम्बन्धित चार मामले वित्त मन्त्रालय को भेजे गए थे। इन पुलों के लिए ऋण सहायता में वृद्धि करने के लिए किसी भी प्रस्ताव को अब तक स्वीकार नहीं किया गया।

भारत-बंगला आर्थिक आयोग

10371. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के वरिष्ठ अधिकारियों की हाल ही में नई दिल्ली में ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठक हुई थी जिनका सीधा सम्बन्ध भारत-बंगलादेश आर्थिक आयोग की पहली बैठक के लिए दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्ध और सुदृढ़ करने से हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और बैठक के लिए क्या कार्य सूची तैयार की गई ; और

(ग) उक्त बैठक के कब तक होने की सम्भावना है और वह कहां पर होगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) भारत सरकार और बंगलादेश सरकार के बीच संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना सम्बन्धी एक करार पर जो शुरू में 5 वर्ष के लिए बैध है, 7 अक्तूबर, 982 को दोनों देशों के विदेश मन्त्रियों ने हस्ताक्षर किए थे। इस आयोग का उद्देश्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कृषि, परिवहन, ग्रामीण लघु उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों में, जिनमें संयुक्त औद्योगिक उद्यम की स्थापना भी शामिल है ; भारत और बंगलादेश के बीच सहयोग बढ़ाना है । इस करार का पाठ 11 अक्तूबर, 1982 को सदन की मेज पर रखा गया था ।

संयुक्त आर्थिक आयोग की पहली बैठक दोनों देशों के विदेश मन्त्रियों की सह-अध्यक्षता में नई दिल्ली में 16 और 17 नवम्बर, 1982 को हुई थी । इस बैठक ने दोनों देशों के बीच के आर्थिक सम्बन्धों को और अधिक गति प्रदान की है तथा सारधान बनाया है और इस सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

संयुक्त आयोग की स्थायी समिति की बैठक शीघ्र ही होने वाली है ।

कोढ़ के लिए बहु-औषधिक परियोजनाएं

10372. **श्री के० प्रधानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोढ़ के लिए विद्यमान परियोजनाओं के अतिरिक्त कुछ और बहु-औषधिक अन्वय (रेजिमैन) परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनाए कहां स्थापित की जाएंगी और उनकी क्षमता क्या होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) भारत सरकार के अनुरोध पर कुष्ठ की बहु-औषध विधान परियोजना वर्धा (महाराष्ट्र)

और पुरलिया (पश्चिम बंगाल) जिलों में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 1981 और 1982 से चलायी जा रही हैं। हाल ही में, इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तर अर्काट (तमिलनाडु) विजयनगरम (आन्ध्र प्रदेश), श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश) और गंजम (उड़ीसा) नामक चार और जिलों को चुना गया है।

लक्ष्मीपुर, नेपाल में सीमेंट कारखाने की स्थापना

10373. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मीपुर, नेपाल में सीमेंट कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) उसके निर्णय तथा वहां उत्पादन के बारे में निर्धारित शर्तों, कुल लागत, वार्षिक क्षमता तथा निर्धारित समय सीमा का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) नेपाल में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए भारतीय सीमेंट निगम द्वारा तैयार की गई एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट फरवरी में नेपाल सरकार को भेजी गई थी। हमें हाल ही में उनकी टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। नेपाल सरकार के सलाह मशविरे से, परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए, एक प्रतिनिधि-मण्डल जल्द ही काठमाण्डु जाएगा।

(ख) 99.08 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1200 टन प्रतिदिन क्षमता वाले सीमेंट संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव है। यह मानते हुए कि पहुंच मार्ग पहले ही तैयार कर लिए जाएंगे, मुख्य संयंत्र और मशीनरी के लिए आर्डर देने की तारीख से परियोजना क्रियान्वयन में लगभग 4 1/2 वर्ष का समय लग जाने का अनुमान है।

दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की बैठक

10374. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशियाई राष्ट्रों ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक कामन एसोसिएशन बनाने का निर्णय किया है।

(ख) यदि हां, तो इन देशों ने सहयोग समन्वित कार्यवाही कार्यक्रम और परस्पर लाभ की नतियों के स्वरूप लाभ की नीतियों के स्वरूप के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) दक्षिण-एशियाई क्षेत्र के सात देशों अर्थात बंगलादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्री लंका ने क्षेत्रीय सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है।

इन सात देशों के विदेश सचिवों ने क्षेत्रीय सहयोग की एक सुसम्बद्ध कार्य-योजना को अनुमोदन कर दिया है। अगस्त, 1983 के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में विदेश मन्त्रियों की बैठक से इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया जाएगा।

इस सुसम्बद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत आठ सहमत क्षेत्रों में अल्पावधि और दीर्घावधि सहयोग के कार्यक्रम किये जाएंगे ; सहयोग के सहमत क्षेत्र हैं :—

कृषि, ग्रामीण विकास, दूर-संचार, मौसम-विज्ञान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी क्रियाकलाप परिवहन, डाक-सेवाएं और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक सहयोग।

यह कार्यक्रम खंड-स्तर पर तकनीकी समितियों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और क्षेत्रीय स्तर पर विदेश सचिवों की स्थायी समिति इसमें ताल-मेल रखेंगी और इसकी निगरानी करेगी।

क्रीड़ा, कला और संस्कृति से सम्बद्ध एक अध्ययन दल का गठन किया गया है और शीघ्र ही भारत इसकी पहली बैठक बुलाएगा। इस पर भी सहमति हुई है कि चूंकि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एक विकासशील प्रक्रिया है, इसलिए सहयोग के अतिरिक्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिये यथा-समय अध्ययन शुरू किया जाएगा।

भारत सरकार इस क्षेत्र में बहुमुखी सहयोग की शुरूआत को संतोषजनक मानती है।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग

10375. **श्री राम लाल राही** : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं के लिए एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौर क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके ब्यौरेवार कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को महिलाओं की स्थिति और अधिकारों की समस्याओं के बारे में चिन्ता रहती है तथा उसने उनके कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक स्थायी उपाय भी किए गए हैं कि लिंग के आधार पर महिलाओं के

विरुद्ध कोई भेदभाव न किया जाए। महिलाओं की समस्याएं ऐसी हैं कि एक और सांविधिक आयोग गठित करने से ही उनका हल नहीं सकेगा। आवश्यक यह है कि समाज मनोवृत्ति में ही परिवर्तन लाया जाए जिसके कारण महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव किया जाता है। सामाजिक जागरण उत्पन्न करने तथा मनवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए जनमत भी तैयार करना होगा महिलाओं अ सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय समिति पहले से ही है। ऊपर जो कुछ बताया गया है उसे देखते हुए महिलाओं के लिए एक सांविधिक राष्ट्रीय अयोग गठित करने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

श्री सत्यसान चक्रवर्ती (कलकत्ता) : महोदय, संसद का अपमान करने के लिए एक पत्रकार के विरुद्ध मैंने विशेषाधिकार भंग करने का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, हमने इस पर विचार कर लिया है। हम उस पर कार्यवाही भी कर चुके हैं।

श्री नीरेन घोस (दमदम) : मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। केवल दिल्ली में ही एक हजार झुग्गियों को गिरा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल आप कह रहे थे कि इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और अब आप इस विषय को उठा रहे हैं। इसके लिए उनका निर्वाचित निकाय है। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : महोदय, विभिन्न राज्यों में किसानों को विद्युत पूर्ति के सम्बन्ध में मैंने एक ध्यान आकर्षण के प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन हम इस पर पहले ही तीन बार चर्चा कर चुके हैं। आधे घंटे की चर्चा के दौरान हम विद्युत स्थिति पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं और इसके पश्चात्...

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : दिल्ली में एक हजार मकानों को गिरा दिया गया है।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं है । यह हमारा विषय नहीं है । जी हां, श्री राय साहब ।

(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : लेफटीनेन्ट गवर्नर ने यह आश्वासन किया था कि 1980 से पहले के मकानों को नहीं गिराया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : आश्वस्त यह किया था कि अनधिकार चेष्टा नहीं करने देंगे ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं है । मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय कल आपने हमें यह आश्वासन दिया था कि कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : कौन सा इंजीनियरिंग वर्क्स ?

श्री ए० के० राय : कुमारधुबी इंजीनियरिंग वर्क्स जहां कि 147 लोग मारे गये हैं । कल आपने उस पर विचार करने का आश्वासन दिया था ।

अध्यक्ष महोदय ; मैं इसके तथ्यों को प्राप्त कर रहा हूं ।

डा० बसंत कुमार पंडित (रायगढ़) : महोदय, मैंने जिला न्यायालय, मालखाना, गांधीनगर, राजस्थान से चोरी के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है । उसका क्या हुआ ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । अब श्री हरिकेश ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैंने केन्द्रीय सरकार के कर्यचारियों की मांगों पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये, और बताइए कि यह किस बात से सम्बन्धित है । यहां पर किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने परसों प्रदर्शन किया था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या ?

श्री नारायण चौबे : महोदय, वे आपके कर्मचारी हैं ।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : हाय, मेरे भगवान ।

श्री नारायण चौबे : वे आपके कर्मचारी हैं, आपके बेटे, बेटियां हैं । कृपया इस पर अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार करेंगे ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : अध्यक्ष महोदय, आप केन्द्रीय सरकार को यह सलाह दें कि वह त्रिपुरा के लिए पर्याप्त धनराशि का नियतन करें । हाल की ही बाढ़ों में 9 व्यक्ति मारे गये हैं तथा 29,000 व्यक्ति बेघरबार हो गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने इसकी अनुमति दी थी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक की अनुमति दी थी ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : कृपया सरकार की पर्याप्त धनराशि नियतन करने का परामर्श दें ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, समाचार पत्रों में व्यथित करने वाला समाचार प्रकाशित हुए हैं । उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को धमकियां दी जा रही है । **(व्यवधान)** जी हां, मद्रास, तमिलनाडु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को धमकाया जा रहा है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस पर पहले ही टिप्पणी कर चुका हूं । वे अपनी देखभाल करने के लिए स्वयं सक्षम हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस पर सरकार को एक वक्तव्य जारी करना चाहिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है, अथवा वहां पर कौन सत्ता में है । लेकिन प्रश्न यह है कि हमारे देश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना निर्णय बेझिझक होकर दे रहे हैं । केन्द्रीय सरकार को एक वक्तव्य जारी करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी बात सुन ली है ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : क्या आप इस विषय पर तथ्यों का पता लगा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निवेदन करता हूं । न्यायपालिका स्वतंत्र है, वे अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं । वे किसी भी प्रकार का आदेश दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह शिकायत की है कि उनके गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देश के मुख्य न्यायाधीश मौजूद हैं और वे इसकी देखभाल कर सकते हैं। वे भलीभांति सक्षम हैं

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर पूर्व) : कृपया मेरी बात सुनिए। तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री को न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में न्यायाधीश कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः इस सम्बन्ध में एक संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तथ्यों का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर हम बैठकर चर्चा कर सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का निरादर हो रहा ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : न्यायालय क्या कर सकती हैं ? वे यह जारी नहीं कर सकती कि···

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं ? बात यह नहीं है कि आप इसकी ओर कितना ध्यान दे रहे हैं बल्कि आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सम्बन्ध में विचार करना पड़ेगा ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : संसद को इस पर विचार करना होगा ।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे न्यायालय की अवज्ञा का नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा क्या कहा गया है ? वह कहते हैं कि मुख्य मन्त्री का वहां पर जाना आवश्यक नहीं है। इसमें संवैधानिक अवरोध उत्पन्न हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : उच्च न्यायालय एक स्वतंत्र निकाय है···

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इससे संवैधानिक अवरोध उत्पन्न हुआ है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । मैं कोई बहस करना नहीं चाहता हूं । श्री शास्त्री जी ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) अध्यक्ष महोदय, बनारस, गाजीपुर, कलकत्ता में जो नाव दुर्घटनाएं हो रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है । यह एक राज्य का विषय है । वे इसका ध्यान रखेंगे ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इस तरह के बहुत से मामले कियम 377 के अन्तर्गत अपने लिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के अन्तर्गत देना चाहते हैं तो दे दीजिए ।

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : हमने तो नियम 377 के अन्तर्गत दे दिया है, लेकिन आप कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : अब स्टेट सब्जेक्ट हैं तो मैं उसको सेंट्रल सब्जेक्ट थोड़े ही बना सकता हूं । इस पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मुरादाबाद के कू ी ग्राम में तीन हरिजनों के घर जलाकर भस्म कर दिए गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट सब्जेक्ट है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : पूरे देश में चारों तरफ हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से करने से कोई फायदा नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी है । मैंने किसी के लिए भी अनुमति प्रदान नहीं की है ।

अध्यक्ष महोदय : वहां पर इलेक्टेड बाडीज है, असेम्बली है···

एक माननीय सदस्य : हरिजनों का मामला है, आप देख लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देखा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रक्रिया सम्बन्धी मामला है । मैंने किसी पर भी अपनी अनुमति नहीं दी है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किए गए भारतीय रेल (चालू लाइनें) सामान्य (संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जो 16 अप्रैल 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 320 में प्रताशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए एल० टी० संख्या 6565/83]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष जी, मैंने सूचना दी है···

अध्यक्ष महोदय : यह उचित स्थान नहीं है। आप मेरे पास आकर बातचीत कीजिए। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम नियमों के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाइए मत। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। वह जो कुछ भी कहें उसको रिकार्ड में सम्मिलित न किया जाये।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा विचार करने का तरीका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसको आपको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा निर्णय अन्तिम है। आप मेरे पास आकर इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं। मैं केवल इतना ही कर सकता हूं। शोर न करिए। प्रो० पाल।

प्रो० रूप चंद्रपाल (हुगली) : मैंने एक बहुत ही गम्भीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मुझे उन्हें उत्तर देना है। आप आवश्यक रूप से इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० रूप चन्द पाल : ट्रांस नेशनल कारपोरेशन्स सीधे रूप से सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सूचना एकत्रित कर रहा हूं। मुझे आपको इस बारे में कितनी बार बताना पड़ेगा ? मैं तथ्यों को प्राप्त कर रहा हूं। कल मैंने आपको बताया ही था मुझे क्या आपको दोबारा बताना पड़ेगा ?

(व्यवधान)*

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन सदन में इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं भविष्य निधि स्कीम 1960 के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम इत्यादि के अन्तर्गत कराट

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कांडला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1982 जो 1 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का आ० 226 में प्रकाशित हुई थी तथा तत्सम्बन्धी शुद्धि पत्र जो 2 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का आ० 1750 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मरमुगाव डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1982 जो 1 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का आ० 227 में प्रकाशित हुई थी तथा तत्सम्बन्धी शुद्धि पत्र जो 2 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का आ० 1748 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) केलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1983 जो 22 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का आ० 457 में प्रकाशित हुई थी तथा तत्सम्बन्धी शुद्धि पत्र जो 2 अप्रैल, 1983

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का अ० 1749 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6566/83]

(2) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 6567/83]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और उड़ीसा सरकार के बीच हुए करार की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 6568/83]

(4) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6569/83]

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष, 1981 के कार्यकरण के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा विश्वभारती, शांतिनिकेतन का वर्ष 1981-82 का वार्षिक लेखा आदि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक लेखा आदि

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1981 के सम्बन्धी प्रतिवेदन खंड 1-3 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1981 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6570/83]

(3) विश्व-भारती शांति निकेतन के वर्ष 1981-82 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6571/83]

(5) विश्वविद्याल अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापारीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6572/83]

(7) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1981-82 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 573/83]

(9) (एक) भारतीय दर्शन अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दर्शन अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपयुक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विवम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6574/83]

वर्ष 1981-82 के लिए इण्डियन मेडिसिंस फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत तथा वर्ष 1978-79 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय की उप-मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) इंडियन मेडिसंस फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसंस फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत, का वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 575/83]

(3) (क) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1978-79 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6576/83]

पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जो 12 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 325 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6577/83]

अध्यक्ष महोदय : मने आपको बताया है कि आप मुझसे आकर बात कर सकते हैं।

जगपाल सिंह : आप इस तरह से डांटकर कैसे बिठा सकते हैं। यह एक्सपंज कैसे हुआ ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है कि मैं देख लूंगा। मैंने आपको डांटा नहीं है। मैंने तो इतना ही कहा है कि आप मुझसे बात कर लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाइए मत। आप मेरे पास आ सकते हैं। इस तरीके से यह बात बहुत बुरी है। यह पूर्णतः बुरी बात है। मुझे इसके लिए श्री जगपाल सिंह का नाम लेना पड़ेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसी प्रकार जिद करते रहे तो मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी द्वारा जो कुछ किया गया है। मैं उसको देखूंगा और आप मेरे पास आकर स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं। आपका इस प्रकार का व्यवहार बहुत गलत है। मैं इसे पसंद नहीं करता हूं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। मैंने आपको यही बताया है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से चिल्ला रहे हैं।

इसकी आवश्यकता नहीं है। यह आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्यों चिल्ला रहे हैं। मैंने यही तो कहा है कि मेरे पास आकर मिलो। और क्या कहूं ? मैंने आपको केवल यही बताया है।

श्री जगपाल सिंह : जब रूलिंग नहीं दी तो कैसे एक्सपंज हो गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात मेरे ऊपर निर्भर करती है। मैं चिल्लाने से घबराने वाला नहीं हूं। अब यह मामला समाप्त होता है।

श्री मंगल राम प्रेमी : पचास हजार रुपए की सम्पत्ति जलाकर···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी है। मैं राज्य सरकार के कार्यकरण के बारे में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हरिजनों का मामला स्टेट सब्जेक्ट है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी व्यवस्था यह है कि मैं राज्य के कार्यों के बारे में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। मैं एक व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति में भेदभाव नहीं बरतता हूं। वे भी सब बराबर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

मैं नहीं जानता कि यहां पर शोर मचाकर क्यों मजाक किया जाता है। यह बहुत बुरी बात है। ऐसा व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं इस प्रकार के व्यवहार के पूरी तरह से विरुद्ध हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, अब आप बैठ जाइए। जी हां, यह एक राज्य का विषय है। अन्यथा संविधान के अन्तर्गत उन मंत्रियों को बरखास्त कीजिए और उसके पश्चात् मेरे पास आइए। आप अनावश्यक बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : उनके अपने प्रतिनिधि हैं । उनके अपने मंत्री है । वहां पर प्रतिनिधि मौजूद है, वे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और वहां पर चुने हुए निकाय भी मौजूद हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, आपने मुझे अनुमति नहीं दी । मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : कौन-सा प्रस्ताव ?

अध्यक्ष महोदय : क्या टी० वी० के लिए कर रहे हैं, और इडजार्नमेंट मोशन का मजाक उड़ा रहे हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर : दो स्थगन प्रस्ताव ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह भी नहीं कह सकता इस सदन के कुछ माननीय सदस्य इतने उत्तेजित हो जाते हैं और शोर करने लगते हैं, जिससे पीठासीन अधिकारी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है । मैं इन बातों को नहीं समझ सकता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सिद्धान्त को पूर्णतः समझने में असमर्थ हूं । जब मैंने उनको प्रत्येक छूट दे दी है उसके बावजूद भी वे चिल्लाते हैं । आप हरिजनों का अपमान क्यों कर रहे हो ? वे अन्य की भांति बहुत अच्छे लोग हैं । उनको समान अधिकार प्राप्त है । उनको हमेशा उनको इससे वंचित क्यों रखना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक विषय पर बहस की अनुमति नहीं दे सकता । यह आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है ।

श्री हरिकेश बहादुर : 4,000 कर्मचारियों को···नहीं दिया जा रहा है···

अध्यक्ष महोदय : दस दफे बता दिया कि मैं पता कर रहा हूं । फिर, आप उसको उठा रहे हैं ।

वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के लिए भारतीय परिचर्या परिषद्, नई दिल्ली तथा वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के लिए भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) भारतीय परिचर्या परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय परिचर्या परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) (एक) भारतीय परिचर्या परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय परिचर्या परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 6578/83]

(4) (एक) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) (एक) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (4) और (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 6579/83]

———

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने बारहवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के आगे दर्शायी गई अवधि के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये :—

1. श्री चन्द्र शेखर	—	13 अप्रैल से 10 मई, 1983 तक (ग्यारहवां सत्र)
2. डा० कर्ण सिंह	—	26 अप्रैल से 10 मई, 1983 तक (ग्यारहवां सत्र)

क्या सदन इस बात से सहमत है कि समिति द्वारा सिफारिश की गई छुट्टी की अनुमति दी जाएं।

माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

———

विशेषाधिकार समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री आर० आर० भोले (बम्बई-दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिंदी व अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रेल सेवा आयोग, बम्बई द्वारा भर्ती के मामलों में बड़े पैमाने पर किए गए कथित कदाचार

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय मैं रेल मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और कि उनसे अनुरोध करता हूं वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें—

"रेलवे सेवा आयोग, बम्बई में भर्ती के दौरान बड़े पैमाने पर हुए कदाचार की रिपोर्ट से उत्पन्न स्थिति।"

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : वर्ष 1982 के मध्य में रेल सेवा आयोग, बम्बई द्वारा उम्मीदवारों की परीक्षा लेने और चयन किए जाने में हुए कदाचारों की

शिकायतों के आधार पर गयी प्रारम्भिक जांच-पड़ताल से यह पता चला कि उस रेल सेवा आयोग के सदस्य सचिव शामिल थे, और इसी आधार पर उन्हें अगस्त, 1982 से निलम्बित कर दिया गया था।

2. रेलवे बोर्ड के सतर्कता संगठन द्वारा इसकी जांच-पड़ताल की गयी थी जिसके परिणाम-स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से कदाचार का पता चला। इसमें कई उम्मीदवार अन्तर्ग्रस्त थे, ये विशेष रूप से टेलीफोन आपरेटरों, लिपिकों, सहायक स्टेशन मास्टरों, गार्डों आदि और इलेक्ट्रिक सिगनल अनुरक्षकों से सम्बन्धित 23, 25 और 46 कोटियों की भर्ती में के मामले थे।

3. कोटि सं० 23 और 46 मामले में, जिसका पैनल प्रकाशित कर दिया गया था, जिन व्यक्तियों को कदाचारों में लिप्त पाया गया, उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है।

4. सबसे बड़ी कोटि स० 25 के मामले में लगभग जिन 13,500 मामलों की स्क्रीनिंग की गयी थी उनमें से 6,075 मामले कदाचार में लिप्त प्रतीत होते हैं। इसलिए अंतिम पैनल प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी गयी यद्यपि पहले एक अनन्तिम पैनल निकाला गया था। यहां भी, कोटि सं० 23 और 46 के सम्बन्ध में की गयी कार्रवाई की तरह ही कदाचार में लिप्त व्यक्तियों को सेवा से हटा दिया जायेगा। इससे यह मालूम पड़ता है कि इन मामलों में रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष अन्तर्ग्रस्त थे यद्यपि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अधिक विस्तार से इसे साबित करने की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि जांच-पड़ताल में केवल रेल सेवा आयोग, बम्बई के अधिकारी ही अन्तर्ग्रस्त नहीं होंगे बल्कि अनेक बाहरी व्यक्ति, जिनकी इनके साथ सांठ-गांठ मालूम पड़ती है, भी अन्तर्ग्रस्त होंगे; अतः यह विनिश्चय किया गया था कि विस्तृत जांच-पड़ताल केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जानी चाहिए जिनसे इस मामले की जांच-पड़ताल करने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त के संदर्भ में यह विनिश्चय किया गया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच-पड़ताल पूरी होने तक इस चयन का परिणाम रोक दिया जाये। अध्यक्ष, रेल सेवा आयोग, बम्बई की सेवाएं समाप्त करने और उनके विरुद्ध अन्य कार्रवाई, जो भी आवश्यक हो, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच-पड़ताल सम्बन्धी रिपोर्ट और निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय सरकार की छोटी-मोटी कृपाओं के लिए हमें आभारी होना पड़ता है जब मैं यह कहता हूं कि मन्त्री महोदय के उत्तर से मैं पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हुआ तो इसका यह अर्थ नहीं कि मैं बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हुआ। किन्तु मैं इस बात की उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बात को छिपाने का पूरा प्रयास नहीं किया। इस सम्बन्ध मे तथ्य को स्वीकार किया गया है कि कदाचार हुआ है।

अब इस सदन को इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख जिसे विद्वान सुब्रह्मण्यम

जो मेरी रिश्तेदार नहीं हैं ने लिखा था, के माध्यम से इसका पता चलता यह बिल्कुल निश्चित था वह 20 वर्षीय युवती अपने व्यवसाय में अच्छी प्रगति कर रही है हमें उसे बंधाई देनी चाहिये न कि अन्य उद्देश्य की मीन मेख निकालनी चाहिये । इस प्रकार की शोध पत्रकारिता का स्वागत किया जाना चाहिये मैं जानता हूं कि यह सरकार शोध पत्रकारिता से कुछ घबराई हुई है किन्तु यह आवश्यक है ।

रेल मन्त्री को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य अब यह करना होगा कि वे पुनः जनता का विश्वास इन परीक्षाओं में पैदा करें । यह विश्वास अब लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है जहां भी आप जाएं आपको लोग यह कहते मिलेंगे कि इस अथवा उस प्रभाव के कारण आप अपने अंको में फेर बदल करवा सकते हैं अथवा यदि आपकी परीक्षा अच्छी नहीं भी हुई फिर भी आपका चुनाव हो सकता है इस सम्बन्ध में प्रेरित उद्देश्य बिल्कुल साफ है इस बारे में समाचार पत्रों में भी समाचार प्रकाशित हुए हैं इस सम्बन्ध में बड़ी ही सुगम तकनीकें हैं यदि कोई प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देता तो उसे शून्य अंक मिलते हैं और यदि आप उसके साथ एक ओर शून्य लगा दें एक तो 8 अंक बन जाते हैं यह तो एक तरीका है एक अन्य तरीका यह है कि उत्तर पुस्तिका बिल्कुल खाली दे दी जाए और परीक्षक स्वयं ही उसमें सही उत्तर लिख दे और तब उसमें अंक लगा दे इस प्रकार की बाते प्रकाश में आई हैं इसलिए जनता के विश्वास को पुनः बनाने की आवश्यकता है हम अपेक्षाकृत युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते क्योंकि वे अत्यधिक आदर्शवादी होते हैं और यदि वे इतनी छोटी आयु में ही सनकी हो जाएंगे तो उनकी परीक्षाओं का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा उनकी निपुणता और परिश्रम का कोई मूल्य नहीं रहेगा तब इस देश में स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी ।

यह मामला विशेष दो युवा लड़कियों जिनका नाम इलफीना गोन् साल्वस और विमल डी सिल्वा था के कारण प्रकाश में आया गोन्साल्वस को 84 प्रतिशत अक प्राप्त हुए थे किन्तु उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया विमल डी सिल्वा को 67 प्रतिशत अंक मिले और उसे भी साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया और वे लोग जो प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके उनके स्थान पर उन्हें बुलाया गया । उनके स्थानों की पूर्ति कर दी गई । किन्तु उनकी सतर्कता के कारण यह मामला प्रकाश आ सका ।

रेलवे एक बहुत बड़ा उद्योग है । यह देश का जीवनकार है इसमें 150000 लोग कार्य करते हैं इसमें देश की 6000 करोड़ मूल्य की परिसम्पत्तियां लगी हैं हमें इसमें योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है यदि परीक्षाओं में अयोग्यसिद्ध होने वाले लोगों को इसमें भर्ती किया जाता है तो रेलवे का क्या होगा ।

रेलवे सुधार आयोग यह कह चुका है कि 95 प्रतिशत रेल दुर्घटनायें कर्मचारियों द्वारा अच्छा कार्य न करने के परिणाम स्वरूप हुई हैं । यदि परीक्षा पद्धति यही है और इस प्रकार का सेवा आयोग लोगों की भर्ती का कार्य करता रहा तो रेलवे तथा देश अवश्य ही खतरनाक स्थिति में पड़ जाएगा ।

अतः मंत्री महोदय का इस मामले को गम्भीरता लेना बहुत ही आवश्यक है। युद्ध स्तर पर निपटा जाए और यथाशीघ्र इसमें जनता का विश्वास पुनः बनाया जाए।

इस पृष्ठभूमि के परिपेक्ष्य में मैं माननीय मन्त्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला, मन्त्री महोदय ने रेलवे सेवा आयोग के सदस्य-सचिव के प्रारम्भिक जांच के दौरान लिप्त होने का संकेत दिया और अतः उसे निलम्बित कर दिया गया। यह निलम्बन कब किया गया ? अगस्त, 1982 में। मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें कौन-सा आरोप पत्र दिया गया। 1982 से अब जांच में कितनी प्रगति हुई है ? मन्त्री महोदय कहते हैं कि सी० बी० आई० जांच कर रही है। ठीक है सी० बी० आई० इस प्रकार के खतरे और सामान्य तौर पर लिप्ति की जांच कर रही है और किन्तु व्यक्ति विशेष रेलवे सेवा आयोग और सदस्य सचिव, को, कितना ऊंचा पद था उनका, निलम्बित किया गया है। क्या उन्हें आरोप दिया गया है ? जांच की प्रगति की स्थिति क्या है ? क्या आपने जांच अधिकारी की नियुक्ति की है क्योंकि कभी-कभी सी० बी० आई० जांच के द्वारा जांच को समाप्त कर दिया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं जो यह व्यवस्था करता हो कि आप साथ-साथ दोनों प्रकार की जांच नहीं करवा सकते।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक अन्य व्यक्ति श्री एन० के० आहूजा को उनके स्थान पर नियुक्त किया था। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार उन्हें इस रेलवे सेवा आयोग के गुंडों द्वारा आतन्कित किया गया और वहां का प्रभार सम्भालने के थोड़े समय के बाद ही उन्होने स्वयं कहा, "मैं यह पद छोड़ना चाहता हूं मैं अपने पैतृक विभाग वापस जाना चाहता हूं।" और वे वापस चले गये। अब इसकी कौन-सी परिस्थितियां हैं ? क्या उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है ? क्या श्री आहूजा ने इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय को अग्रिम तौर पर दिया था ? यह घटना कुछ समय पहले हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या रेल मन्त्रालय को इन सब बातों का अभी हाल में पता चला है अथवा यही सभी सूचना पहले से उपलब्ध थीं।

इसके पैरा 3 में कहा गया है कि कदाचार में लिप्त पाए गए व्यक्तियों को हटा दिया गया है। यह अच्छी बात है। किन्तु उन मेधावी लड़कियों डेलफीना गोनसाल्वज और विमल डीसिल्वा का क्या हुआ जिन्होंने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, किन्तु उनके स्थान पर दूसरे लोगों को रख लिया गया।

उनके बारे में क्या किया गया जिन्होंने इस सबका भंडा फोड़ कर देश के लिए एक बड़ा कार्य किया 2 अनेक लोग मर जाते हैं। क्या आपने उनके लिए कुछ किया है ? क्या आपने उन्हें कुछ दिया है ?

12.26 **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

क्या आपने देश के लिए इसे एक मिसाल बना दी है कि यहां इन दोनों लोगों को लोक भावना के प्रदर्शन के कारण पुरस्कृत किया गया है ताकि लोगों के लिए यह मिसाल बन जाए ? मैं मन्त्री महोदय से इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि उत्तर देते समय मन्त्री

महोदय सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय यह न कहें कि "मैं मामले की जांच कर रहा हूं।"

जब मैं यह सारे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मुझे संरक्षण अवश्य देंगे अन्यथा बड़ी मुश्किल हो जाती है। आखिर ध्यानकर्षण प्रस्ताव का मतलब ही क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : स्वामीजी को संरक्षण दिया जाए! और वह भी मेरे जैसा आदमी दे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं खुश हूं कि द्राविड़ मुनेत्रा कड़गम के भूतपूर्व सदस्य का ईश्वर पर विश्वास है।

परा चार : इससे पता चलता है कि प्रथम दृष्टया में रेल आयोग के अध्यक्ष इसमें लिप्त हैं। आपने अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्यवाही की है? इस अध्यक्ष को क्यों लाया गया?

जब प्रोफेसर मधु दण्डवते रेल मन्त्री थे, तो उन्होंने एक बहुत ईमानदार आदमी का पता लगाया जो मराठावाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति श्री खरात थे उन्हें नियुक्त किया गया। उन्हें नियुक्त किया गया और उनका रिकार्ड भी दोषमुक्त था। परन्तु जब वे सत्ता में आए, इन मन्त्री महोदय नहीं, बल्कि उनके पूर्वाधिकारी ने उन्हें हटा दिया। उन्हें केवल इसलिए हटाया गया क्योंकि जनता सरकार ने नियुक्त किया था। "जनता सरकार ने ईमारदार लोगों को नियुक्त किया था; आपको उन्हें अवश्य हटाना चाहिए" उन्होंने ऐसा अवश्य सोचा होगा और वे इस आदमी श्री रामय्या को लाए। अब मन्त्री महोदय की अपनी स्वीकृति से यह स्पष्ट हो गया है कि श्री रामाय्या सन्देहास्पद व्यक्ति हैं। आपने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है। श्री रामाय्या ने यहां तक कि दिनांक 4 मई, 1983 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में इस लेख का उत्तर देने का दुस्साहस किया है। वे इसका उत्तर देते हैं और बड़ा ही दुस्साहसिक उत्तर देते हैं। मूल लेख 29 अप्रैल, 1983 को छपा था "एक सज्जन" मैं आप को पढ़के सुनाता हूं। यह सार्वजनिक जानकारी से सम्बन्धित मामला है। आने वाली पीढ़ियों को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस संसदीय वाद-विवाद को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि इस देश में किस तरह के काम हो रहे थे—इस आशा से कि देश भविष्य में सुधरेगा। इसमें कहा गया है :

"वास्तव में फरवरी, 1983 में एक अज्ञात व्यक्ति..."

यह बात अपराधी व्यक्ति स्वयं श्री रामाय्या कह रहे हैं :

"...एक अज्ञात व्यक्ति, ने जो रेल सेवा आयोग में की जा रही जांच के ब्यौरे की जानकारी का दावा करता है, श्री रामटया को ब्लैकमैल करने का प्रयास किया और उनसे उनके खिलाफ विजिलेन्स रिपोर्ट को नम्र बनाने के बदले में एक लाख रुपये की रकम मांगी"

आगे श्री रामय्या कहते हैं "मैंने तुरन्त उस पेशकश को अस्वीकार कर दिया।" परंतु यह 'व्यक्ति' कौन है? इस बारे में रेल मंत्री महोदय को बताना होगा। एक आदमी है जिसने रेल

सेवा आयोग के अध्यक्ष के पास जाकर कहा है कि 'मुझे एक लाख रुपये दीजिए और मैं विजिलेन्स की रिपोर्ट को नग्न बना दूंगा। कौन है यह 'व्यक्ति' ? यदि आपने उनसे पहले ही नहीं पूछा हो तो अब आप इस बारे में श्री रामय्या से पूछिये।

मै कहूंगा कि यह अच्छा ही हुआ जो मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास चला गया। मुझे इस पर कोई विवाद नहीं करना है। यदि वह इस बारे में नहीं कहते, तो मैं इसकी मांग करता। मैं खुश हूं कि उन्होंने पहले ही मामले को सी० बी० आई० को सौंप दिया। परन्तु मुझे इस पर हैरानी हुई है। रेलवे का अपना खुफिया बल है। प्रत्येक रेल सेवा आयोग में व्यापक कदाचार हो रहे हैं, बम्बई तो उनमें से केवल एक है, अन्य आठ आयोग हैं। हर जगह प्रतिदिन इस बारे में समाचार पत्रों में आता रहता है। रेलवे का खुफिया बल इस बीच क्या कर रहा था। अब क्या वे रिपोर्ट नहीं भर रहे थे। अब वे कार्यवाही कर रहे हैं। अब वे कह रहे हैं कि सी० बी० आई० जांच करवा रहे हैं ? परन्तु आपका मन्त्रालय इससे पहले क्या कर रहा था ? रेलवे बोर्ड क्या कर रहा था ? विभिन्न महाप्रबन्धक क्या कर रहे थे ? क्या वे इसकी जानकारी नहीं दे रहे थे ? उनके पास एक रेलवे खुफिया एकक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कर रहे थे ? इस का मतलब यह है कि पूरे रेल विभाग का पुनर्गठन करना जरूरी है। उन्होंने रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है। क्या आप इतने से ही संतुष्ट हैं या थोड़ा आगे बढ़कर व्यापक पुनर्गठन करेंगे ? कदाचार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। अब इसे सभी जानते हैं।

मुझे फिर यह कहना पड़ेगा कि एक कार्यवाही करके लोगों का विश्वास पुनःस्थापित करना पड़ेगा। इस देश में इतनी बेरोजगारी है आप यह जानकर हैरान होंगे कि हाल ही में कलकत्ता में 30 श्रेणी तीन के पदों के लिए 40,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। श्रेणी तीन का पद क्या है। यह एक लिपिक का पद है। ऐसे 300 पदों के लिए 40,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इन सभी लोगों का शोषण किया जा रहा है। वस्तुतः कुछ महीने पहले सी० बी० आई० के एक कर्मचारी को गिरफ्तार करना पड़ा, जो जाली नियुक्ति पत्र देता था और लोगों को विभिन्न स्थानों को भेजता था। इस तरह की घटनायें घट रही हैं।

अतः मैं अपने इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि समूची व्यवस्था की उच्चस्तरीय जांच की जाये। इस मामले विशेष में सी० बी० आई० जांच कर सकता है। परन्तु उनको पूरे रेल सेवा आयोग की एक उच्चस्तरीय जांच अवश्य करानी चाहिए।

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के साथ समूचे मामले पर समान रूप से चिंता प्रकट करता हूं। यह वास्तव में बहुत ही दुखद बात है। माननीय सदस्य जानते हैं कि रेल सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और एक सदस्य सचिव होते हैं। केवल विरले मामलों में तदर्थ सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष का चयन रेल मन्त्रालय द्वारा भेजी गई नामावली से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। अतः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर समय हम

आप हमेशा इस बात पर जोर डालते रहे हैं कि हम राजनैतिक नियुक्तियां करते हैं किन्तु बात ऐसी नहीं है। परन्तु, दुर्भाग्यवश, ओछी हरकत करने वाले होते हैं, और हमें उसके लिए खेद है।

आपने जो विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं, उसका जवाब देते हुए मुझे कहना है कि इस सम्बन्ध में प्राथमिक जांच जून-1982 में शुरू हुई। वास्तव में जब रेल विभाग के विजिलेंस को विभिन्न स्रोतों से लोगों को शिकायतें प्राप्त हुई, तब उन्होंने इन शिकायतों के आधार पर स्वत: ही जांच शुरू की। यह सच नहीं है कि इसके लिए रेल प्रशासन ने आदेश दिया या मैंने आदेश दिया या किसी और ने आदेश दिया था।

अब रेल विजिलेंस द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच से जो आधारभूत शिकायतें प्रकाश में आई, वे अत्यन्त गंभीर हैं—आवेदन पत्र बदल देना, उपस्थिति शीट गुम कर देना, लिखित परीक्षा में एक की जगह दूसरे का बैठना, उत्तर पुस्तकों का मूल्यांकन किए बिना उन्हें 14 महीने तक स्थगित रखना, जालसाजी करना—महोदय, मैं किसी बुराई पर परदा नहीं डालना चाहता मैं इस सभा से कोई बात छिपाना नहीं चाहता हूं—उत्तर पुस्तिकाओं की जालसाजी करना, उसी रोल नम्बर की डुप्लीकेट उत्तर पुस्तिका होना, उत्तर पुस्तिका के साथ समरी शीट में दिखाये गये अंक का मेल न खाना, परीक्षक के मूल्यांकन करने के बाद वस्तुपरक लिखित परीक्षाओं में अंक बढ़ा देना, प्रत्याशी को साक्षात्कार हेतु अर्ह बनाने के लिए टेबुलेशन शीट में जानबूझ कर परिवर्तन करना···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : देश कहां पहुंच गया है?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : समरी शीट को अन्तिम रूप देने के बाद काट फीट कर अंकों में व्यापक हेराफेरी करना···

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : कमाल है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इन्हीं आधारभूत शिकायतों को लेकर विजिलेंस ने अपनी जांच शुरू की थी। यह सदस्य सचिव और अध्यक्ष के खिलाफ भी है। जब प्राथमिक जांच श्री डी० एस० नखेंडेकी, जिन्हें अगस्त, 1982 से निलंबित किया गया था, इन मामलों में लिप्ति का संकेत मिला था···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या उन्हें आरोप पत्र दिये गये हैं?

श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी : अब हमें रेल सेवा आयोग के विरुद्ध की अवधि आश्वस्त 1982 और फरवरी 1983 के बीच से संबंधित विशिष्ट आरोप प्राप्त हो गये हैं। रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष पर निम्नलिखित आरोप लगाये गए हैं पैसे के लिए किसी प्रत्याशी के मूल आवेदन पत्र के स्थान पर किसी अन्य प्रत्याशी का नया आवेदन पत्र रख देना, अनेक मामलों में किसी प्राधिकार के बिना अपनी इच्छा से अंकों में वृद्धि करना, विजिलेंस जांच के आधार पर अस्वीकृत नौ प्रत्याशियों को रेलवे बोर्ड के निर्णय का उल्लंघन करते अस्थाई पैनल में जोड़ना।

उन्होंने रेल सेवा आयोग के सचिव, श्री एन० के० आहूजा को 6 फरवरी 1983 को होने वाली सामूहिक परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा होने के एक हफ्ते पहले दिखाने को कहा, किसी अधिकार प्राधिकार के बिना रेलवे सेवा आयोग के तीन प्रत्याशियों को नियमित नियुक्ति पत्र जारी करना ।

यही विजिलेन्स रिपोर्ट हमें प्राप्त हुआ है । सभा और माननीय सदस्य गण मुझसे पूछ सकते हैं कि हमने अध्यक्ष के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की है ?

ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से बाहरी लोग भी इन सज्जन के साथ मिले हुए हैं वह अकेले नहीं हैं । हमने यह मामला सी० बी० आई० को सौंप दिया है । मेरे विचार में हम सी० बी० आई० से पूरी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे । पूरा प्रयत्न करेंगे और गलती करने वाले को दंडित करने के लिए जो कुछ करना चाहिए वह किया जाएगा । मैं सभा और सदस्यगण को आश्वासन दे सकता हूं कि हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे । इसमें कोई संदेह नहीं है । मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूं कि विश्वास पुनःस्थापित करना पड़ेगा । हम युवावर्ग के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में हम प्रतिभाशाली प्रत्याशियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं ।

ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : माननीय सदस्य ने पूछा है कि श्री एन० के० आहूजा ने क्यों छोड़ दिया है । उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा है । उन्होंने हमें नहीं बताया । उन्होंने स्थानांतरण मांगा था और हमने एक महीना हुए उनका स्थानांतरण कर दिया । स्वाभाविक ही इससे पता लगता है कि वे इस परिस्थिति से खुश नहीं थे और शायद वह बहुत सी बातें जानते भी थे । उन्हें बिल्कुल दिक्कतें थी और वह खुश नहीं थे । उन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने अपना स्थानांतरण मांगा (**व्यवधान**) । मै सभी उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देने में अत्यंत स्टष्पटवादी हैं । आप लोग धैर्यपूर्वक क्यों नहीं उन्हें सुनते ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : महोदय, माननीय सदस्य ने दो महिला प्रत्याशियों का हवाला दिया है । दिनांक 29 अप्रैल, 1983 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में लिखित परीक्षा के बाद दो महिला प्रत्याशियों के आवेदन पत्र बदले जाने का समाचार था । विजलेन्स जांच के दौरान दो-दो मामले भी पकड़े गए । लिखित परीक्षा के बाद आवेदन पत्रों में हेराफेरी करने की बात भी विजिलेन्स को पता चल गई है । माननीय सदस्य ने मुझसे स्पष्ट रूप से पूछा कि महिला प्रत्याशियों को क्यों पुरस्कृत नहीं किया गया आदि । मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है । मामला समाप्त हो जाने के बाद हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आशा करता हूं कि पुरस्कार इस महिलाओं सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त करने से पहले ही मिल जायेगा ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मेरे विचार में मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जनता सरकार द्वारा नियुक्त रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष को आपने क्यों निकाल दिया है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में नहीं जानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दायरे में नहीं आता।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

प्रो० मधु दंडवते : क्यों ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रमिला दंडवते। उपस्थित नहीं हैं। श्रीमती किशोरी सिन्हा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मन्त्री जी को आपको उनके काफी स्पष्टवादी होने के लिए बधाई देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम असंगत बातें क्यों लाई जाती हैं। इसीलिए मैं उसकी अनुमति नहीं देता हू बीच में राजनीति मत लाइए। आपको इन चर्चाओ में ऐसी राजनीति नहीं लानी चाहिए जैसा जनता सरकार ने उनको नियुक्त किया परन्तु कांग्रेस (इ०) ने उन्हें निकाल दिया। मेरी उसमें रुचि नहीं है। बल्कि मैं विषय विशेष में अधिक रुचि रखता हू। अब डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी आप हर बात में राजनीति ले आते हैं। मैं किसी राजनीतिक चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। मेरा किसी भी सदस्य की राजनीति में रुचि नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली) : महोदय, मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने इस मामले में कार्यवाही की है। मुझे प्रसन्नता है कि वे किसी का बचाव नहीं करना चाहते है। बहरहाल यह स्पष्ट है कि रेलवे सेवा आयोग द्वारा कदाचार किए जाते हैं। जबकि यह मामला रेलवे सेवा आयोग, बम्बई से संबद्ध है, फिर भी ऐसे कदाचार अन्य आयोगों में भी किए जाते हैं। ऐसे भी मामले हैं जिनमें इलाहाबाद और मुजफ्फरपुर आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित हुए बिना प्रत्यशियों को चुन किए गये है और यदि यह दिखाया जाता है कि उन्होने परीक्षा दी है तो वे परीक्षाएं नकली होती हैं। क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि जब मेट्रिकुलेट सफल हो जाते हैं उनका चयन कर लिया जाता है, स्नातक और स्नातकोत्तर प्रत्याशी असफल हो जाते हैं ?

महोदय, यह व्यापक रूप से फैली बीमारी है जिसके लिए कठोर उपचारात्मक कार्यवाही

करने की आवश्यकता है। लगता है सरकार को भी इस तथ्य की जानकारी है क्योंकि उन्होंने बम्बई के मामले को पहले ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो को प्रेषित कर दिया है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि रेल मंत्री ने रेलवे में फैले भ्रष्टाचार पर दुःख व्यक्त करते हुए सभी महा-प्रबन्धकों को एक गोपनीय पत्र भेजा है जैसा कि 16-12-1982 के 'पेट्रिओर' में समाचार है।

क्या मैं जान सकती हूं कि क्या रेल मंत्री को इलाहाबाद और मुजफ्फपुर रेलवे सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है। तीसरे, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या रेल मंत्री ने रेलवे सेवा आयोग के आठ और कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। यदि हां तो ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए कौन से सुरक्षात्मक उपाय किए जाने का विचार है। अन्त में, मैं यह जाननां चाहती हूं कि क्या वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1977-78 में ऐसे तीन मामले थे जिनमें रेलवे सेवा आयोग के अध्यक्षों को निष्ठा की कमी के कारण निकाल दिया था।

महदोदय, इस समय श्रेणी तीन के कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए रेलवे के पास कुल 16 रेलवे सेवा आयोग हैं। सात सेवा आयोग हाल ही में स्थापित किए गए हैं और उन्हें अभी भर्ती आरम्भ करनी है। रेलवे सेवा आयोग, बम्बई चार मण्डलों आदि की आवश्यकता पूरी करता है। चूंकि माननीय सदस्य यह जानते हैं इस पर मुझे समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, समूचे देश में प्रतिवर्ष 6 लाख से 10 लाख उम्मीदवार परीक्षा में बैठते हैं और लगभग 10,000 व्यक्तियों को रेलवे द्वारा रेलवे सेवा आयोगों के माध्यम से भर्ती किया जाता है।

महोदय, मुझसे पूछा गया है कि क्या रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मैं यह अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है और मैंने भी कारण बता दिए हैं कि इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को क्यों सौंपा गया है अर्थात इसमें बड़ी संख्या में बाहरी लोग शामिल हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कब सौंपा गया था।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मेरा विचार है कि एक महीना अथवा लगभग इतनी ही अवधि पहले इसे सौंपा गया। दस दिन इधर या उधर हो सकते हैं अथवा मैं गलत भी ले सकता हूं। मैं गलत हो सकता हूं। परन्तु अधिक समय नहीं हुआ है.

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : परन्तु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देने के बाद नहीं···

श्रीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली) : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि उन्हें मुजफ्फरपुर और इलाहाबाद रेल सेवा आयोगों द्वारा उम्मीदवारों की गई नियुक्ति के बारे

में विशिष्ट मामले की जांच करवानी चाहिए । मैं जानना चाहती हूं कि चुने गए व्यक्ति प्रामाणिक हैं अथवा झूठे हैं ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इस समय, मुझे कोई सूचना नहीं देनी है । जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो भी जानकारी मेरे पास है, मैंने विशिष्ट मामले के बारे में दे दी है ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे सेवा आयोग के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाना चाहता था, परन्तु मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से बहुत संतुष्ट हूं । उन्होंने स्वयं ही उन बातों का उल्लेख कर दिया है जो मैं कहना चाहता था ।

(व्यवधान)

महोदय, सभी रेलवे सेवा आयोगों की यह आम बात है कि वे कतिपय उम्मीदवारों का पक्ष लेते है और वे कुछ लोगों को रेलवे की सेवा करने के अवसरों से वंचित कर देते हैं । यहां तक देखा गया है कि साक्षात्कार के पत्र उम्मीदवारों के पास साक्षात्कार की तारीख और समय के बाद पहुंचते हैं और हमें इस प्रकार की शिकायतें मिलती रही हैं । सर्वप्रथम, मैंने यह अनुभव किया कि मुझे उन मामलों पर मंत्री जी के साथ बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

परन्तु अब मैं यह अनुभव करता हूं कि इन शिकायतों पर मंत्री जी से बात न करके मैं गलती पर था क्योंकि माननीय मन्त्री जी उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं । इन बातों का पता पत्रकारों ने लगाया है और उन्होंने इसे "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित किया है । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों से जांच करवाने के बजाए उन्हें न्यायिक जांच करवानी चाहिए ताकि प्रत्येक बात हमारे सामने आ सके ।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : मैं सभी रेलवे सेवा आयोगों की बात कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम गोपाल रेड्डी आपका ध्यान मामले से हटाने का प्रयास कर हैं । उन पर ध्यान मत दीजिए । आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर : उन्होंने ठीक बात कही है । ऐसी शिकायतें हैं कि अधिवेशन रेलवे सेवा आयोग उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं । दक्षिण-पूर्व रेलवे, हावड़ा के सीनियर डिविजनल ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट के विरुद्ध शिकायतें थी । केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने पता लगाया कि उन्होंने 1982 में रिश्वत ली थी । परन्तु उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केवल रेलवे सेवा आयोग, बम्बई के संबंध में है ।

आप ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका वे उत्तर नहीं दे सकेंगे। यह आम चर्चा नहीं है। यह सभी रेलवे सेवा आयोगों से संबंधित नहीं है। सम्भवतः वे इन बातों का उत्तर न दे सकें।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच की बात कर रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में चर्चाधीन मामले से परे किसी भी बात पर चर्चा नहीं होती है। अभी-अभी मन्त्री जी श्रीमती किशोरी सिन्हा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि यह विशिष्ट जानकारी तत्काल दी जा सकती है। अतः, आपको भी माननीय मन्त्री से यही उत्तर मिलेगा।

आप स्वयं को विषय तक ही सीमित रखिए, विषय है रेलवे सेवा आयोग, बम्बई द्वारा भर्ती में किए गए कदाचार।

श्री हरिकेश बहादुर : जब हम किसी विषय पर बात करते हैं, तो हम मन्त्री जी को कतिपय सूचनाएं देने का प्रयास करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भूमिका तैयार कर रहे हैं, परन्तु हो सकता है आपको अनेक बातों का उत्तर न मिले।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों के बारे में बात कर रहा था, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या यह कहना गलत है ?

इसी प्रकार, खड़गपुर में अन्य अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें की गयी थीं परन्तु सम्बद्ध रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि मैं उस घटना को उद्धृत करूं, तो आप कहेंगे कि मैं विषय से बाहर जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है, आपके पास विषय पर पर्याप्त सामग्री नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरे विचार से, सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों की रेलवे सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सामान्यतया, ऐसा देखा गया है कि ऐसे अधिकारियों ने उचित ढंग से कार्य नहीं किया है और उनके विरुद्ध काफी शिकायतें हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि रेलवे सेवा आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति न्यायपालिका से सम्बद्ध लोगों में से की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश अथवा इसी प्रकार के व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। क्या माननीय मंत्री मेरे सुझाव पर विचार करेंगे ?

साथ ही मन्त्री महोदय शैक्षिक संस्थानों से भी रेलवे सेवा आयोगों के अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। रेल मंत्री होने के नाते प्रो० मधु दण्डवते ने श्री खड़क को रेलवे सेवा आयोग, बम्बई का अध्यक्ष नियुक्त किया था। वह बहुत ही ईमानदार और क़ाबिल व्यक्ति थे मन्त्री महोदय को भी इस उद्देश्य के लिए विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों आदि से कुछ उच्च परिषद सदस्यों को नियुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : रेल सेवा आयोगों के ये अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : यह ठीक है।

(व्यवधान)

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं अपने मित्र को यह बताना चाहता हूं कि हम किसी सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियो या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : यहां तक कि संसद सदस्यों को भी नियुक्त किया जा सकता है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं न्यायपालिका से सम्बन्धित लोगों की नियुक्ति पर बल दे रहा हूं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे मेरे सुझाव पर विचार करें।

हमें इस बात का भी पता चला है कि रेल सेवा आयोग द्वारा परीक्षा लेने के एक वर्ष पश्चात तक भी परिणामों की घोषणा नहीं कीगई थी। और इसअवधि के दौरान कई अनाचार हुए। मैं मन्त्री महोदय से ऐसे रेल सेवा आयोगों के नाम जानना चाहता हूं, जिन्होंने परिक्षाएं तो ली थीं लेकिन एक वर्ष बाद भी उनके परिणामों की घोषणा नहीं की। क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगी कि परिणामों की घोषणा परीक्षा लिए जाने के तीन महीने के अन्दर ही कर दी जाए ? क्या मन्त्री महोदय इस दिशा में कुछ कार्य करने का प्रयत्न करेंगे ?

मुझे यह सूचना मिली है कि सैंट्रल रेलवे के झांसी मंडल के उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए भोपाल और जबलपुर बुलाया गया था। उसके बाद उन्हें साक्षात्कार के लिए आगरा और मथुरा बुलाया गया। पुनः उसके बाद मनोवैज्ञानिक परीक्षा ली गई और इसके लिए उन्हें बम्बई बुलाया गया। कुछ छात्रों ने इस सम्बन्ध में विभिन्न संसद सदस्यों को लिखा है। उन्होंने श्री वाजपेयी और अन्य सदस्यों को लिखा। उन्हें इसके लिए 500-600 रुपये से भी अधिक खर्च करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जबकि यह साक्षात्कार और मनोवैज्ञानिक परीक्षा एक साथ एक ही जगह पर ली जा सकती थी। लेकिन यह बहुत खराब पद्धति है कि निर्धन व्यक्तियों को जो बेरोगार हैं, और नौकरी की तलाश में हैं, विभिन्न स्थानों पर कई बार बुलाया जा रहा है और उस प्रक्रिया में उनका बहुत सा खर्च हो रहा है। क्या मन्त्री महोदय, इसकी जांच करेंगे और इस तरह की व्यवस्था को रोकेंगे ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे सेवा निवृत्त एयर मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल और अन्य सेवाओं के व्यक्तियों को रेलवे सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे में सामान्य भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में मैं नहीं जानता हूं तथा इसके लिए मैं उनकी सहायता लेना चाहूंगा

यदि वह मेरी सहायता करते हैं तो मैं निश्चय ही सामान्य भ्रष्टाचार को दूर करूंगा । हमें जिस बात का भी पता चलता है हम उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। हम दोषी व्यक्ति को दण्ड देते हैं । उस पर किसी तरह की दया नहीं की जाती है। उस पर राजनैतिक दृष्टि से विचार नहीं किया जाता और उस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं ।

माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव के सम्बन्ध में कि केवल सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को ही रेल सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए । मैंने कहा है अध्यक्ष कोई भी व्यक्ति बन सकता है । इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

महोदय, विज्ञान की तिथि से लेकर नामावली सूची प्रकाशित किए जाने तक इसमें कम से कम 8 माह लगते हैं। इसके विभिन्न चरण होते हैं और इसमें कम से कम 18 महीने लग जाते हैं । यह काम छः या आठ महीनों में, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, पूरा नहीं किया जा सकता ।

केन्द्रों के संबंध में, मैं यह बता दूं कि रेलवे सेवा आयोग द्वारा परीक्षा लिए जाने वाले केन्द्रों की संख्या 100 से 300 तक हो सकती है, यह आवेदकों की संख्या पर निर्भर करता है । अतः माननीय सदस्य के प्रश्नों का मैं इतना ही उत्तर दे सकता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) डकैती के उन्मूलन का स्थायी हल निकालने के लिए सामाजिक आर्थिक उपाय करने की आवश्यकता

श्री माधव राव सिंधिया (गुना) : डाकुओं के दल को पुलिस द्वारा करने या उनका समर्पण कराने मात्र से ही पिछड़े चंबल क्षेत्र, में डकैती की समस्या का दीर्घकालीन समाधान नही किया जा सकता जब तक कि नए गिरोहों को बढ़ावा देने वाले सामाजिक-आर्थिक तत्वों को समाप्त करने के उद्देश्य से विशिष्ट उपाय नहीं किए जाते ।

यह अत्यावश्यक है कि समस्या का स्थायी हल करने के लिए सामाजिक-आर्थिक विरोधी तत्वों को समाप्त करने के लिए शीघ्र एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं । छोटी और मध्यम सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने, लघु और मध्यम उद्योग स्थापित करने, बिजली, उपलब्ध कराने, सड़कों का निर्माण करने, व्यवसायिक स्कूल तथा भारतीय प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने से सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के सुधार करने में काफी सहायता मिलेगी ।

मैं ऐसे उपायों का सुझाव दे रहा हूं जिन्हें थोड़े ही समय में लागू किया जा सके और उनका कम अवधि में ही प्रभाव पड़ सके । मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार का एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करे जिसके अध्यक्ष मंत्रिमण्डल का सदस्य राजस्थान उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के अलावा कुछ संसद सदस्य और उच्चाधिकारी हों । इस समिति को सामा

जिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का गम्भीरता से अध्ययन करना चाहिए। इन्हें योजना आयोग द्वारा वित्त दिया जाना चाहिए जिसमें डकैती ग्रस्त जिलों के लिए विशेष आवंटन उपलब्ध कराया जाए जैसा कि आदिवासियों या पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में लिया गया है। मैं पुरजोर सिफारिश करता हूं कि संघ सरकार डकैती उन्मूलन किया जा सके तथा निकट भविष्य में इस सम्बन्ध में निर्णय ले ताकि चम्बल प्रदेश के लोगों को इस योग्य बनाए कि वे हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में प्रगति की राष्ट्रीय मुख्यधारा में भाग ले सकें।

(दो) इलाहाबाद के सम्यक् विकास के लिए इसे डी० पी० ए० पी० योजना में शामिल करने की आवश्यकता

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : भारत सरकार द्वारा डी० पी० ए० पी० (सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना) देश के विभिन्न जनपदों में चलाई जा रही है। इस योजना का लक्ष्य है कि ऐसे जनपद और क्षेत्र जिनमें सिंचाई आदि की समुचित सुविधा नहीं है और प्रायः हर वर्ष या दूसरे वर्ष सूखा पड़ने से प्रभावित होते रहते हैं उनका विकास किया जाए जिससे वहां के रहने वालों का स्तर ऊंचा उठ सके।

इसी योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जनपद में भी डी० पी० ए० पी० योजना अनेक वर्षों से चल रही थी। इलाहाबाद जनपद की दोबारा, बरछना तथा भेजा तहसीलें विध्य रैंज में पड़ती है जहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है तथा जमीन भी समतल बहुत कम है इन तहसीलों में डी पी० ए० पी० योजना में काफी कार्य हो रहा था किन्तु भारत सरकार से निर्देश हुआ है कि इलाहाबाद जनपद में 21-3-83 से डी० पी० ए० पी० योजना समाप्त कर दी जाए और कर दी गई है।

दुख इस बात का है कि डी० पी० ए० पी० योजना के तहत जो कार्य हो रहे थे वे भी अपूर्ण रह गए हैं। यदि उनको पूर्ण न किया गया तो जो धन व्यय हुआ है वह भी व्यर्थ हो जाएगा।

मेरा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्री से निवेदन है कि अविलम्ब इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करके डी० पी० ए० पी० योजना को पुनः इलाहाबाद जनपद में चलाने का आदेश दे दें।

(तीन) दिल्ली में 'किसान निवास' का शीघ्र निर्माण

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : हमारे देश में सबसे अधिक संख्या किसानों की है। किसान खाद्यान्न पैदा करता है। दूध पैदा करता है। कपास पैदा करता है अपने पुत्र और भाई देश कों रक्षा के लिए सेना में भेजता है। सर्वाधिक वोट दे कर सरकार बनाता है। सबसे अधिक परिश्रम करता है और सबसे कम उत्पादन का उपभोग करता है। संसार में हमारे देश की प्रतिस्ठा बढ़ाने में उसी का हाथ है क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ने का मुख्य कारण कृषि उत्पादन है।

यही नहीं, स्वतन्त्रता के आन्दोलन में जेल में भी किसान ही अधिक गए। किसान के पुत्र और भाई पुलिस में अधिक हैं वे ही देश की व्यवस्था बनाए हुए हैं। जब बेचारा किसान कभी दिल्ली आता है तो उसके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं। उसके ठहरने के लिए एक विशाल किसान निवास दिल्ली में बनना चाहिए ताकि वह बेचारा आकर ठहर सके।। मेरी केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना है कि किसानों के लिए अवलम्ब एक किसान निवास बनवाएं जैसा कि मथुरा नगर में बना हुआ है।

(चार) पेय जल संभरण योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए गुजरात को वित्तीय सहायता

श्री अहमद मोहम्मद पटेल (भडौच) : राज्य सरकार ने उच्च प्राथमिकता के आधार पर समस्यायुक्त गांवों में पीने के पानी के सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक कर्त्तव्य आरम्भ किया है। कुल 9038 समस्याग्रस्त गांवों में से 3720 गांवों को 31-3-1980 तक जल पूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं, और शेष 5318 गांवों की समस्या का समाधान छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के आरम्भ में करने के लिए छोड़ दिया गया था।

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात 1980-81 और 1981-82 के दौरान 1106 गांवों तक यह सुविधा पहुंचाई गई। इससे 3 वर्षों में (1982-84) शेष 4212 गांवों का समाधान किया जाना था। गुजरात में भू-जल विज्ञान संबंधी परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है। कच्छ जिला एक शुल्क प्रदेश है। बनास कथा तथा गुजरात का उत्तरी और पूर्वी भाग तथा सौर ाष्ट्र प्रदेश के सभी जिले सूखा-ग्रस्त क्षेत्र हैं। साथ ही राज्य में लम्बा तटवर्ती क्षेत्र है। इससे जल खारापन होने की समस्या पैदा हो गई है। भू-गर्भीय जल स्तर प्रतिवर्ष गहरा होता जा रहा है। भू-वैज्ञानिक परिस्थितियों ने जल पूर्ति की समस्या की ओर कठिन बना दिया है।

इन सभी पहलुओं और मूल्य-वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 4212 गांवों की समस्या का समाधान करने के लिए 102.95 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। भारत सरकार से 52.60 करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाने का निवेदन किया गया है ताकि छठी योजना (1980-85) के अन्त तक 5318 गांवों में जल पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। समस्यायुक्त गांवों में पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्यक्रम नये 20-सूत्री कार्यक्रम का ही भाग है और राज्य सरकार योजनानुसार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। अतः इस मामले पर केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र ही ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि समस्यायुक्त गांवों में पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

(पांच) बज्जिका भाषा के प्रचार और विकास की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली) : भगवान बुद्ध के समय से ही बिहार में एक जनपद था जिसका नाम था बज्जि। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा थी बज्जिका। आज भी यह भाषा है मुजफ्फपुर, वैशाली, सीतामढ़ों, समस्तीपुर एवं पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, सारण क्षेत्रों में लोक भाषा

इस भाषा के बोलने वाले लगभग एक करोड़ है । इस भाषा की एक लिपि भी थी जो ब्रिटिश काल में कचहरी, दस्तावेज एवं पाठ्यक्रमों में प्रयुक्त होती थी । आज भी इस भाषा में दर्जनों पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हैं । किन्तु इस भाषा के प्रसार, प्रचार के लिए प्रोत्साहन देने की दिशा में पर्याप्त प्रयासों का सर्वथा अभाव रहा है । यहां तक बिहार की अन्य भाषाओं के समान इस भाषा को स्थान तक नहीं दिया गया । आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि पर भी इस भाषा को स्थान उपलब्ध नहीं है । इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि सरकार इस भाषा के समुचित उत्थान, प्रसार एव प्रचार की दिशा में अग्रसर हो और प्रयास करें ।

(छः) **आसनसोल के उत्तरी और दक्षिण भागों के मिलाने वाली सुरंगों को चौड़ा और ऊंचा करने की आवश्यकता**

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) : मैं सरकार का ध्यान तुरन्त उन लोगों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहूंगा जिन्हें आसनसोल के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से जोड़ने वाली दो सुरंगों का इस्तेमाल करना पड़ता है । ये सुरंगे ही बहुत सी रेलवे कालोनियों के लोगों के लिए तथा काशी मोहल्ल पुराने कब्रस्तान तथा झोझरी मोहल्ला के निवासियों के लिए एकमात्र संपर्क सड़कें हैं । ये सुरंगें उतनी ही पुरानी हैं जितनी की भारतीय रेलें तथा इनका निर्माण अंग्रेजों द्वारा रानीगंज से आसनसोल तक रेलवे लाईन का विस्तार करने के लिए किया गया था । वे केवल जीर्जशीर्ण ही नहीं बल्कि इतनी संकीर्ण तथा पानी से भरी हुई हैं कि बरसात के मौसम में कमर तक कीचड़ से होकर इसको पार करना बहुत ही कठिन है ।

आसनसोल के बाहर तेजी से बढ़ती हुई गन्दी बस्तियों जो इन सुरंगों में पानी भरे रहने की वजह से बढ़ रही हैं तक आधुनिक सड़कों से सुज्जित आसनसोल करने के मध्य जो पृथ्कीकरण गया है वह न केवल कारण और व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहा है बल्कि सामाजिक दृष्टि से विघटन कारी स्थिति पैदा कर रहा हैं । इसलिए मैं सरकार से इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने का निवेदन करता हूं । यदि सुरंगों का विस्तार करना तथा ऊपर उठाना संभव नहीं है तो इस क्षेत्र के लोगों की कठिनाईयों को समाप्त करने के लिए एक ऊपरी पुत्र का निर्माण करना ही एक मात्र विकल प्रतीत होता है ।

(सात) **जम्मू और काश्मीर में 'गुर्जर बखरवालान' की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता**

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : उपाध्यक्ष जी, गुर्जर बखरवालान की स्थिति जम्मू और कश्मीर में बहुत दयनीय है आर्थिक स्थिति इन लोगों की शुरू से ही खराब है । सरकार ने इनकी मदद के लिये जो भी कदम उठाये हैं वह भी पूरी तरह से इन लोगों तक नही पहुंचे हैं । जो पैसा केन्द्र सरकार ने इन लोगों के होस्टलों आदि में खर्च करने के लिये दिया था उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया यहां तक कि जो बच्चे होस्टलों में रहते हैं उन बच्चों को मिलने वाली पूरी सुविधा नहीं दी गई ।

इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय भेड़ और बकरी चरा कर गुजारा करना है । अब तक न

तो केन्द्र सरकार ने इस ओर कदम उठाया है और न ही राज्य सरकार ने जो केन्द्र सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया है वह इस राज्य में लागू नही किया। इसके कारण यह लोग भूखे मर रहे हैं।

मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि इसमें केन्द्र सरकार दखल दे। इस विषय में केन्द्र सरकार से जल्दी कदम उठाये। यह वह बहादुर लोग हैं जिन्होंने देश के लिये 1965 व 1971 की लड़ाई में एक साधारण नागरिक होते हुए भी एक फौजी का रोल अदा किया कई लोगों को सरकार ने बहादुरी के पुरस्कार दिये इन सब चीजों के बावजूद भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह लोग देश के बार्डर पर है। वहां पर हमारे देश की नाजुक स्थिति रहती है। इनमें विश्वास कायम रखने के लिये यह जरूरी है कि इसमें ठोस कदम उठाये जायें। मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों आदि प्रशिक्षण वाले संस्थानों में भी इन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(आठ) शिक्षा के क्षेत्र में सभी के लिये समान अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी-गढ़वाल) : उपाध्यक्ष जी, भारत में दिशामूलक शिक्षा के अभाव में प्रतिभा पलायन की स्थिति निर्मित हो रही हैं। शासन में बैठे लोग भारतीयता के प्रति उपेक्षा की नजर रखते हैं, वे इस दुर्गति पर मान है। सबसे अधिक असर बाल शिक्षा पर हुआ है। इसी कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था पूर्णतया दिशाहीन हो गई है। 35 वर्ष में प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा ज्यादा हुई है। यह दुर्गति शहरी, कस्बाई और ग्रामीण स्तर पर मौजूद है। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विदेशी शिक्षा का एक प्रकार से आधिपत्य है। वहां न भारतीयता के मूल्य हैं न संस्कृति की शिक्षा जिसके परिणाम भी सरकार के सामने आये हैं।

देश का 35 प्रतिशत वह खेत मजदूर वर्ग जिसमें हरिजन, आदिवासी, छोटे किसान निहायत गरीब लोग आते हैं इन परिवारों के लोग बड़े किसानो एवं साहूकारों के यहां बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। इनके बच्चे विद्यालयों की सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाते। 40% मध्य किसान ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पांचवी कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ा पाता है, इसमें भी लड़कियों का प्रतिशत शून्य के बराबर ही होता है।

ग्रामीण भारत की 80 प्रतिशत गाढ़ी कमाई का शहरों की चका चौंध पर सुविधा सम्पन्न विद्यालय निर्मित करने पर खर्च किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। पब्लिक स्कूलों में गरीब लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं इसलिये गरीब का लड़का आई० ए० एस० बनने तक की शिक्षा प्राप्त कर सकता। प्राथमिक शिक्षा का मामला पूर्णतया उलझा दिया गया है, जो समग्र शिक्षा की आचार शिला थी, उसे चूर-चूर कर दिया गया है।

हमारी मांग है कि चाहे गरीब का लड़का ही चाहे अमीर का, स्कूल और शिक्षा दोनों की एक जैसी ही होनी चाहिये। शिक्षा के क्षेत्र से असमानता होगी, तो हर क्षेत्र में असमानता रहेगी। यह लोक महत्व का मामला है, इस पर सरकार को अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2-15 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है

उसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर बीस मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

14.20 **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

छावनी (संशोधन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम छावनी (संशोधन) विधेयक पर चर्चा तथा मतदान शुरू करेंगे श्री हरीश राव अनुपस्थित । आचार्य भगवान देव ।

इस विधेयक के लिए निर्धारित किया गया समय 3 घंटे है । हम 43 मिनट पहले ही खत्म कर चुके हैं और समय केवल दो घंटे और 17 मिनट रह गया है । यदि आप सब सहयोग दें तो आज हम इस विधेयक को आज पूरा कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सहयोग देंगे ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय छावनी संशोधन विधेयक जो भारत सरकार द्वारा सदन में पेश किया गया है मैं उसका सदन करने लिए खड़ा हुआ हूं यह छावनी कानून सन् 1924 में बना था तब से लेकर अब तक कई बार इस पर विचार होता रहा कुछ सुझाव आते रहे लेकिन संशोधन नहीं हो पाया । यह पहली बार संभव हो सका है कि विस्तृत रूप में यह संशोधन लाया गया इसलिए मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं । इसी बीच में सन् 1937 में भूमि कानून व्यवस्था संबंधी और उसी वर्ष 1937 में छावनी कर्मचारी राशि निगम भी बनाया गया । इन तमाम समस्याओं के ऊपर अच्छी तरह से चिन्तन मनन करे और बहुत ही सुन्दर तरीके से संशोधन पेश किए गए हैं ।

कल हमारे विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने यह कहा कि यह संशोधन बिना अच्छी तरह से विचार किए पेश किया गया है जिससे मैं सहमत नहीं हूं । उसी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने यह भी स्वीकार किया कि समय-समय पर विभिन्न ईकाई द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किया गया है । इससे यह स्पष्ट हो जाना है कि भारत सरकार के पास समय-समय पर जो भी सुझाव आते रहे हैं उनको ध्यान में रखकर ही जो कमेटी बनी उन्होंने संशोधन करके यह बिल पेश किया है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने जो विचार रखे उन्हीं के शब्दों में उनकी बात कट जाती है । वास्तव में इसमें अनेक प्रकार की खामियां रही हैं । देश में लगभग 60-65 छावनियां हैं । उस वक्त इन छावनियों के आसपास इतनी बस्ती नहीं थी । अब एक-दो दुकानें बढते-बढ़ते नगर बस गए हैं और इस कानून को बने हुए भी 60 साल हो गए हैं ।

वहां व्यवस्था नागरिकों के लिये करनी है। वहां मिलिट्री छावनी भी है और नागरिकों की बस्ती भी है जिसके कारण अनेक प्रकार कठिनाइयां पैदा होना स्वाभाविक है। मिलिट्री छावनी होने के नाते जो सैनिक लोग और उनके अधिकारी वहां रहते हैं, उनकी सुविधायें उसी के अनुसार की जाती हैं, लेकिन जो नागरिक वहां बस गये हैं उनकी स्थिति बिल्कुल विपरीत है, उनके पास उतनी सुविधायें नहीं हैं। अधिक असमानता न हो, किसी को कोई दिक्कत न हो, इस दृष्टि से इस संशोधन बिल को यहां पर पेश किया गया है। फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन के बारे में सोचना आवश्यक है—जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा की बात है, इनके लिये प्रान्तीय सरकारों को अधिकार दिये जाने की बात है।

मैं समझता हूं कि इस पर रक्षा मंत्रालय को सोचना चाहिये। केन्द्रीय सरकार और रक्षा मंत्रालय यदि इस पर ध्यान देंगे तो उससे वहां के नागरिकों को न्याय मिल पायेगा, अन्यथा आमदनी का ज़रिया न होने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयां खड़ी हो जाती हैं। सड़क, बिजली और पानी की अनेक समस्यायें खड़ी हो जाती हैं।

आप ने इस बिल में बोर्ड का समय बढ़ाया है, जो उपाध्यक्ष का पद है उस की अवधि ढाई साल की निश्चित की है। मैं समझता हूं—रक्षा मंत्रालय को इस पर भी सोचना चाहिये। जब बोर्ड का कार्यकाल पांच साल का है तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति ढाई साल के लिये कहां तक उचित है। विधान सभा और पार्लियामेंट की अवधि के आधार पर ही इस को भी सोचना चाहिए, अन्यथा अनेक प्रकार की अव्यवस्थायें खड़ी हो जायेगी।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि केन्टूनमेंट बोर्ड का चेअरमैन एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो सामाजिक व्यक्ति हो, क्योंकि उस को नागरिकों के साथ भी सम्बन्ध रखने होंगे। हम छावनियों में गये हैं, हमने देखा है कि चेअरमैन मिलिट्री का अधिकारी होता है और वह मिलिट्री के ढंग से चलता है, सामान्य नागरिकों के साथ उसका सम्पर्क नहीं होता है, मीटिंग के टाइम पर ही जो प्रतिनिधि होते हैं उनके साथ ही उससे वार्तालाप होती है—मैं चाहता हूं कि इस पर भी विचार किया जाय कि चेअरमैन ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों के साथ सम्पर्क रखने वाला, उनकी समस्याओं में रुचि रखने वाला व्यक्ति हो ताकि लोकल लोगों के साथ मिल कर वह व्यवस्था कर सके और उनकी समस्याओं का समाधान कर सके जिससे आने वाले समय में कोई दिक्कल उन के सामने खड़ी न हो।

इसी सम्बन्ध में एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं—जब छावनियां बनाई गई थीं वे शहर से बाहर थी, लेकिन अब जितनी छावनियां हैं वे शहर के बीच में हैं इस से बहुत सी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जो छावनियां शहर के बीच आ गई हैं—उन की जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। यदि उन जमीनों को बेच कर छावनी को शहर के बाहर ले आया जाय तो इससे जमीन का उपयोग भी होगा, साथ ही जिस परपज़ से बेचेंगे उससे आमदनी का ज़रिया भी बन सकता है। मिलिट्री को हमेश शहर से बाहर रखना चाहिये—

अगर इस तरह की व्यवस्था रक्षा मंत्रालय कर देता इस से एक बड़ा लाभ यह भी होगा

कि कभी-कभी नागरिकों के साथ सैनिकों के जो झगड़े खड़े हो जाते हैं, वे समाप्त हो जायेंगे, मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं—पुरानी दिल्ली में यूनीवर्सिटी केम्पस की जो जमीनें है उन में बहुत सी रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित हैं, यूनिवर्सिटी केम्पस से सम्बन्धित हैं और दिल्ली प्रशासन से भी सम्बन्धित हैं। मैं चाहता हू कि इस तरह की जो जमीनें पड़ी हुई हैं, जिनका इस समय कोई उपयोग नहीं हो रहा है उन जमीनों को भारत सरकार बेच दे, रक्षा मंत्रालय बेच दे ताकि उनका पैसा भी अच्छा आये और उस जमीन का उपयोग भी हो, चाहे दिल्ली यूनीवर्सिटी अपने प्रोफेसरों के लिये उसका उपयोग करे या छात्रों के लिये बोर्डिंग हाउस स्थापित करे, परन्तु शहर के बीच में जो इस तरह की ज़मीनें पड़ी हुई हैं उन का उपयोग हो सके ;

क्योंकि भारत की एक-एक इंच भूमि की अब कीमत बढ़ती जा रही हैं। तो इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने गत तीन वर्षों में जो छावनियों के विकास पर ध्यान दिया है मैं समझता हूं उनके लिए ये बधाई के पात्र हैं। मेरे क्षेत्र में नसीराबाद में मिलिट्री छावनी हैं और उसको मैंने देखा है। चाहे वह प्रान्तीय सरकार हो और चाहे वह भारत सरकार हो या उसका रक्षा मंत्रालय हों, वहां पर जो दिक्कतें आती रही हैं, उन पर सरकार ने ध्यान दिया है। वहां पर बीच में जो मैदान हैं उस में रक्षा मंत्रालय द्वारा बहुत कुछ काम किया जा सकता है वहां पर जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं और जो सैनिकों की विधवाएं हैं, उनके कल्याण के लिए कुछ किया जा सकता है या सैनिकों के बच्चों के लिए कुछ खड़ा करना है, तो वह वहां पर बनाया जा सकता है।

इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सरकार करने के लिए भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय अगर ध्यान देगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

चेयमैनशिप के बारे में मैंने कहा ही है कि चेयरमैन ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए, जो व्यवहारिक हो और नागरिकों से जिसका सम्बन्ध हो जैसे हमारी भारत सरकार ने एयर चीफ मार्शल श्री मेहरा को उनके रिटायर होने के बाद हमारे राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया है। उन को हम ने देखा है। वे एक सामाजिक व्यक्ति है। इसी तरह से मि० लतीफ को महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया है, ऐसे व्यक्तियों को जिन का नागरिकों के साथ सम्पर्क हो, चेयरमैन बनाया जाए और मैं आशा करता हूं कि रक्षा मंत्रालय मेरे सुझावों पर ध्यान देगा।

नसीराबात मेरे क्षेत्र में है और वहां पर एक छावनी आप ने बना रखी है जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया हैं लेकिन वहां पर मकान, सड़क, बिजली और पानी की बहुत सी समस्याएं है। वहां पर एक हैलीपेड भी है, जिसका निर्माण-कार्य सारा कराना चाहिए। कई साल से वह वहां पड़ा हुआ है आप जानते ही है कि इधर पाकिस्तान की कुचेष्टा चल रही है ओर उसके दिमाग में एक फितूर सवार हैं और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए हो सकता है कि वह भारत के साथ युद्ध छेड़ दे। नसीराबाद के पास ही अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है। वहां जो हैलीपेड है वह बहुत अच्छा है और उसको उपयोग में लाया जा सकता है और मैं समझता हूं कि उस हैलीपेड का अच्छी तरह से निर्माण करा कर और उसकी मरम्मत करा कर उसका ठीक कराया जाना बहुत आवश्यक है ताकि किसी भी समय उसका उपयोग हो सके।

हमारे विरोधी पक्षा के माननीय सदस्य ने कल यह कहा था कि यह विधेयक बहुत जल्दबाजी में लाया गया है और इसको स्वीकार करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए और हमको दोनों सदनों की समिति को वापस लौटाया जाए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। 60 साल हो गये हैं और अब बड़ी मुश्किल से यह संशोधन विधेयक आया है और यह कुछ विचार लेकर और कुछ सुझावों के साथ आया है। इसलिए इसको वापस भेजने की आवश्यकता नहीं है।

लोक सभा और राज्य सभा सर्वोपरि हैं और इसमें समिति के सारे सदस्य हैं। मुक्त भाव से यहां पर अपने विचार रखे और जो विधेयक लाया गया है, उस को सर्वसम्मति से पास किया जाए।

इन शब्दों के साथ, जो संशोधन विधेयक माननीय रक्षा मंत्री जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री जगपालसिंह (हरिद्वार) उपाध्यक्ष जी 60 साल हो गए हैं। और सन् 1924 में अंग्रेजों ने छावनी बोर्डों के बारे में जो कानून बनाया था करीब 60 साल से उसी कानून के सहारे पर छावनियां और उन के बोर्ड कार्य करते हैं।

हमारे देश में कुल 63 छावनियां हैं और एस्टीमेट्स कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बताया गया है सिर्फ 12 छावनियां ऐसी हैं जो अपने मामलों में आत्म निर्भर है।

पहली बात तो यह है कि सन् 1947 में आजादी के समय ही हमको इस कानून को बदल देना चाहिए था। जिस वक्त इस देश में प्रजातंत्र स्थापित किया गया उसी वक्त इन बोर्डों को भी प्रजातांत्रिक तरीके से गठित किया जाना चाहिए था अंग्रेजों के समय की स्थिति आज नहीं रही मैं मांग करता हूं कि इन बोर्डों की व्यवस्था जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में दी जानी चाहिए। जिस तरह से नगरपालिकाओं द्वारा महानगरों की व्यवस्था होती है उसी तरह से इन छावनियों में भी बोर्डों की व्यवस्था जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए।

इस कानून में परिवर्तन करके यहां की व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन करने आप नहीं जा रहे हैं। जब राज्यों को बिक्रीकर रोड टैक्स आदि वसूल करने का अधिकार है तो फिर यहां की व्यवस्था चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में क्यों नहीं होनी चाहिए।

कई बार यहां पर झगड़े भी खड़े हो जाते हैं। जैसे कोई राजमार्ग छावनी के बीच से गुजरता है तो सवाल पैदा हो जाता है कि इसको कौन बनाए। राज्य इसको बनाए या छावनी बोर्ड इसको बनाए? इसलिए मेरी मांग है कि 1924 के इस कानून में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इन बोर्डों के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाना चाहिए।

यहां की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। यहां पर लोगों के लिए न तो स्कूलों की उचित व्यवस्था है और न अस्पताल और सड़कों की उचित व्यवस्था है। कर राज्य वसूल करता है शिक्षा

जैसी प्राथमिक चीज की व्यवस्था को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 35 साल में इन छावनियों में 9 प्राइमरी स्कूल और 14 हाई स्कूल खोले गए हैं आज आबादी कितनी बढ़ गई है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर सफाई शिक्षा स्वास्थ्य और रहन-सहन में सुधार लाने के लिए व्यवस्था जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में दी जानी चाहिए। जिन बोर्डों का चेयरमैन सैनिक अधिकारी होगा वहां की व्यवस्था के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर असैनिक नागरिकों के घरों में सफाई की व्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जानकारी इनको कैसे हो सकती है।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिस तरीके से नगरपालिकाएं राज्यों की वित्तीय सहायता से सारी व्यवस्था करती हैं उसी तरह की व्यवस्था यहां पर भी होनी चाहिए व्यवस्था करने के बारे में ये बोर्ड अक्षम साबित हो चुके हैं। 35 साल में ये वहां पर कोई ठीक व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। जनता की सुविधाओं के लिए सड़क, सफाई, स्कूल, अस्पताल आदि की व्यवस्था जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में दीजिए। ताकि जनता के प्रतिनिधि बोर्ड के सामने जाकर यह बता सकें कि कैसी व्यवस्था उनमें है। आपके जो पदेन सदस्य हैं, उनसे भी ज्यादा इसमें एक सदस्य होता है। जो असैनिक कर्मचारी हैं, वे इटरविन नहीं कर सकते और न ही प्रेशर डाल सकते हैं जिससे कि वे अपनी इच्छानुसार इन बोर्डों की व्यवस्था कर सके। मिलिटरी के द्वारा हिंदुस्तान के असैनिक नागरिकों और असैनिक बस्तियों पर जो उनकी सेवा के लिए वहां रहते थे, उनको डोमीनेट करने के लिए जो कानून बनाया था, उसी को संशोधन करके हिंदुस्तान के असैनिक नागरिकों पर उनका डोमीनेशन बरकरार रखने के लिए संशोधन कर रहे हैं। जिस मंशा से अंग्रेजों ने कानून बनाया था जिनके हम गुलाम थे मैं समझता हूं कि उसको संशोधित करने की जरूरत नहीं है।

आप इस कानून को कंपलीटली खत्म कीजिए और इस हाऊस में नया कानून लाइए। इस तरह का कानून लाइए ताकि मिलिटरी के अफसरों पर, असैनिक कर्मचारियों पर और असैनिक बस्तियों पर उनका डोमीनेशन न हो। जिस छावनी का कमान्डर-इन-चीफ उस बोर्ड का चेयरमैन होगा उसकी मर्जी के खिलाफ वे लोग कैसे बोल सकते हैं? वित्तीय स्थिति भी इतनी खराब है कि इस संशोधन के बावजूद भी सुधार नहीं होगा। इन छावनी बोर्डों को वित्तीय व्यवस्था घाटे में चल रही है। राज्यों से भी सहायता नहीं मिलती। राज्यों की ओर इन बोर्डों की वित्तीय व्यवस्था घाटे में चल रही है। राज्यों से भी सहायता नहीं मिलती। राज्यों की और इन बोर्डों की अपने आपको असमर्थ समझते हैं। कमांडर-इन-चीफ या बोर्डों की सिफारिश पर मिनिस्ट्री आफ डिफेंस जो कार्यवाही करती है, उसमें बहुत डिले होता है। वित्त आयोग या दूसरे आयोग भी इन्हें सही समय पर वित्तीय सहायता दे सकें, उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। अंग्रेजों का जो प्रोसीजर था वह बहुत टफ था और उस रास्ते पर चलकर असैनिक बस्तियों को कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है।

बोर्ड या कमान्डर-नइन-बीफ जमीन का अर्जन कैसे करेंगे। इसके लिए मिलिट्री आफ

डिफेंस या भारत सरकार के कोई डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनके पास नहीं हैं। जो चाहे बोर्ड और कमान्डर-इन-चीफ तय कर लें। मैं आगरा के केन्टोनमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। हो सकता है वह मंत्री जी की नॉलिज में हो। वहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन थी जिसको बोर्ड के अधिकारियों ने वहां के बिजनेस मैन के साथ साजिश करके यह जमीन बेच दी।

कौन आदमी यह हिम्मत कर सकता है कि यह कमान्डर-इन-चीफ के खिलाफ आवाज उठाए ? मिनिस्ट्री को भी कोई कंपलेंट नहीं कर सकता कि इन्होंने जमीन बेच दी है। हर जगह आपको इल्लीगल पोजेशन मिल जायेगा उसमें इनके आफिसर्स भी होते हैं इसलिए, जमीन के सवाल पर मैं मांग करूंगा कि 35 सालों में भी आपका बोर्ड अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाया है।

जो इलीगल पौजैशज हैं उनको आज तक बोर्डों के कमान्डर इन चीफ या अधिकारीगण डिसपोजैस नहीं करवा पा रहे हैं। मेरी मांग है कि 1924 में जो कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और जिसका संशोधन आप आज करने जा रहे हैं, इसको आप वापिस लें और हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्ज के आधार पर एक ऐसा कानून बनाएं जिसके द्वारा जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में इन असैनिक बस्तियों का असैनिक नागरिकों के वास्ते व्यवस्था करने का अधिकार सौंपे और वे लोग सुविधाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी हों।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि जम्हूरियत के सिद्धांतों के आधार पर कानून लाया जाना चाहिये।

श्री आर० एस० स्पंरो (जालन्धर) : महोदय यह छावनी (संशोधन) विधेयक मेरे विचार बहुत ही सोच-विचार का लाया गया है। परिवर्तन निश्चित रूप एक सतत प्रकिया है और जहां तक किसी भी समस्या को हालातों के सम्बन्ध में ईमानदारी से लिया जाता है, तो इससे आपको किसी प्रकार अशांति महसूस नहीं होती है। और उसी के लिए मैं प्रारम्भ में व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि यह बिधेयक बहुत ही सोच विचार कर लाया गया है। सम्पूर्णता तो कभी भी नहीं होती है।

अपने छोटे से भाषण के दौरान मैं इस सम्बन्ध में एक या दो सिफारिशें भी करूंगा जोकि सम्भवत: सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में मान ली जाये।

वर्षों से प्रत्येक छावनी की स्थिति स्वरूप तथा हालातों में परिवर्तन होता रहता है।

हालातों में परिवर्तन होता रहता है और जैसा कि आपने मेरे कुछ साथियों को कहते हुए सुना है कि कुछ छावनियों के आकार में, उसके भीतर जो कुछ भी, उसके मुकाबले से अधिक वृद्धि हो गई है और इसीलिए उनके चारों ओर सिविलियन क्षेत्र में बड़ी भीड़भाड़ हो गई है जिसके बारे में पहले कभी विचार नहीं किया गया था। इस प्रकार से इसके स्वरूप तथा स्थिति तथा वह तरीके भी जिनमें इन छावनियों का उपयोग किया जाना चाहिए था बदल गए हैं, बस्तुत: यह नोट करना बड़ा रुचिकर हो गया है कि यदि आप पूरे भारत की सभी छावनियों का दौरा करें तो आपको पता चलेगा कि वे अपनी व्यवस्था, स्थिति तथा अन्य कुछ बातों में एक दूसरे से भिन्न हो

गई है। अत: जब आप कोई विधेयक या संशोधन लायें तो यह विशेष बात ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि व्यवस्था में एक रूपता बिल्कुल नहीं है। इसकी सीमा के बारे में चाहे यह उत्तरी सीमा हो चाहे उत्तर-पश्चिम इसका स्वरूप भारत के मध्य भागों से कुछ इस प्रकार है जहां पर अन्य प्रकार के संगठन तथा संस्थापनायें हैं।

मैं रक्षा मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री का ध्यान धारा 14 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और इस संदर्भ में मैं आग्रह करना चाहूंगा जैसा कि मेरे अन्य साथियों ने भी किया है कि छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष का कार्यकाल 2 1/2 वर्ष नहीं होना चाहिए बल्कि यह जैसा कि अन्य कार्यकारी समितियों के मामले में है पांच वर्ष होना चाहिए, यह बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होता है। आप किसी भी संगठन बनायें किसी भी चुने गये कार्मिक के कार्यकाल में उसके साथी के कार्यकाल के सम्बन्ध में अन्त क्यों होना चाहिए। इसके बहुत ही विशिष्ट कारण होने चाहिए।

अत: मैं पूरी निष्ठा के साथ सिफारिश करता हूं कि यहां छोटा सा परिवर्तन स्वीकार कर लिया जाये।

दूसरा मुद्दा जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा वह स्वयं छावनी बोर्डों के संरक्षण में चलाये जा रहे स्कूलों तथा अस्पतालों के सम्बन्ध में है यह अपने बच्चों तथा अपने कार्मिकों की देखभाल करने की शुरूआत है। इसीलिए मैं सिफारिश करता हूं कि यह प्रथा जारी रहनी चाहिए। यह छावनी जीवन का अभिन्न अंग है। यदि किसी वृद्धि की आवश्यकता है और यदि आप देखते हैं कि वह राज्य सरकारों की सहायता से किया जाना चाहिए तो इसके न किए जाने के कोई कारण नहीं हैं।

यदि ऐसी आवश्यकता है कि किसी अच्छे कालिज की स्थापना की जानी चाहिए और यदि आपको कालिज के लिए स्थान मिल सकता है तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से बड़े छावनी क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और यदि राज्यों के शिक्षा प्राधिकारी इस प्रकार के कदमों को स्वीकार कर लेते हैं और वे इस प्रकार की आवश्यकताओं की व्यवस्था करके पनी आप से वृद्धि करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका स्वागत किया जाना चाहिए। परन्तु प्रत्येक बात को राज्यों को संभालने देने तथा छावनी बोर्ड को ऐसे मामलों में अपने परिवार की आवश्यकताओं को न संभालने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए।

अस्पतालों तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था के सम्बन्ध में भी परपेश के अनुसार बड़े ध्यान -पूर्वक कार्य करना चाहिए हमेशा और हर जगह ऐसी परंपरा रही है कि सशस्त्र सेनाओं के छावनी बोर्ड हमेशा छावनियों को बड़ा स्वच्छ तथा स्वस्थ रखते हैं। यह एक अच्छा उदाहरण था यह एक तरीके से सेना के अनुशासन का अंग है और यदि जो साथ-साथ रहते हैं वे भी स्वास्थ्य की दृष्टि से उसी प्रकार अनुशासन तथा उसी प्रकार का जीवन यापन करें तो ऐसा क्यों न किया जाये? उस कारण से मैं यह सिफारिश करूंगा कि इसको स्वास्थ्य तथा अस्पताल व्यवस्था भी अपने छावनी

क्षेत्र में उन्हीं के द्वारा संभाली जानी चाहिएं इसमें एक छोटी सी सिफारिश को ध्यान में रखा जाना चाहिए और वह सिफारिश यही है छावनी बोर्ड के कुछ छोटे कर्मचारियों को ऐसी आदत होती है कि वे लोगों को यह कहकर कि फलां वस्तु साफ नहीं हैं।

अत: उनको इतना धन देना पड़ेगा और कुछ इसी तरह की बातें कहकर और लोगों को परेशान करते हैं। अत : नियम बनाते समय बहुत ही ध्यान रखा जाना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह देश हमारा अपना देश है और छावनी क्षेत्र के अन्दर रह रहे सभी लोग हमारे अपने लोग हैं। गलत आदेश देना तथा उनके दिमाग में भय बिठाने में प्रवृत्ति जारी नहीं रहने दी जानी चाहिए मैं केवल यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नहीं कर रहा हूं बल्कि अन्य दृष्टि से भी कोई किसी घर जाये और पूछे कि आपने यहां पर ये सब्जी क्यों उगायी है? अपने छोटे से क्षेत्र में सब्जी जन्म सिद्ध अधिकार है वह वहां पर कोई सब्जी न उगाये इसमें क्या गलत है कोई किसी लिखित सूत्र या किसी कानून को लेकर उसका सार्वजनिक वन के लिए दुरूपयोग करने लगे तो उसे समाप्त करना चाहिए जहां तक किसी नियम का कार्यविधि में कोई संशोधन जिसको आप लाना चाह रहे हैं का सम्बन्ध है।

मैं पुरजोर यह सिफारिश करता हूं कि कुछ उचित समय के बाद हमें इन सब बातों को संभवत: एक बार फिर बड़े ध्यान से देखना चाहिए ताकि हम जनता के साथ आदान प्रदान की प्रक्रिया को अपना सकें और सिविलियन तथा सशस्त्र सेनाओं के लोग जो कि साथ-साथ रह रहे हैं के बीच बन्धुतत्व तथा आदान प्रदान की भावना को उन्नति बनाये रखा जा सके। आप किसी भी देश में चलें जाइये आपको पता चलेगा कि वहां पर ये सब बातें होती हैं वे सब एक दूसरे के साथ काफी मिलजुल जाते हैं वे एक दूसरे की काफी इज्जत करते हैं वहां पर छावनियां है। गोलाबारी क्षेत्र हैं रेंज इस प्रकार की सभी चीजें है और फिर भी सब कुछ अच्छी तरह से और बड़े ही सुगम तरीके से होता हैं।

किसी को यह कहने का कोई प्रश्न नहीं है कि यह पुराना ब्रिटिश राज है या ऐसी ही कुछ बात है हमें इस प्रकार के किसी कथन की परवाह नहीं करनी चाहिए हमें जीवन के अपने तरीके रखने चाहिए परन्तु हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए सिविलयनों लोगों को कुछ समायोजन करना है यदि कोई भी बात जो शिक्षा देती है और उनको कुछ अनुशासन प्रदान करती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसके दूसरे पक्ष में भी अपने भाई का सम्मान करना चाहिए एक सिविलियन जो आखिर आपकी सहायता करता है वहां क्या कर रहा है वह आपके लिए चीज बेचता है और जवानों तथा अन्य कार्मिकों के लिए लालकुर्ती बाजार या तोशखाना बाजार जाना और वहां से आवश्यकता की वस्तुओं को आसानी से खरीदना आसान बनाते हैं और यदि हम इस प्रकार का कोई कानून ला सके या इस प्रकार का अधिनियम या विधेयक जो आपको ऐसी स्थिति में ला दे तो मैं समझता हूं कि उसे किसी भी समय लाया जाना चाहिए।

अत: महोदय मैं इस प्रश्न पर अधिक देश तक विचार नहीं करूंगा मैं एक बार फिर

माननीय रक्षा मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री को ऐसे स्टजनात्मक व्यवस्था में अपना मष्तिक इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि पहले से प्रयोग में आ रहे कानून में वास्तव मे सुधार ही है ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको मुझे यह समय देने के लिए धन्यवाद देता है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) . उपाध्यक्ष महोदय, में हिन्दी में ही बोलूंगा जिसे हमारे यहां के लोग ज्यादा समझेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दोनों भाषाएं समझता हूं, आप किसी भी भाषा में बोलिए ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं हिन्दी में बोलना पसन्द करूंगा ।

आचार्य भगवान देव : हिन्दी में ही बोलिये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : भगवान का हुक्म है, हिन्दी में ही बोलूंगा ।

एक बड़े आवश्यक संशोधन विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं । कन्टोनमेंट की आवश्यकता को कोई इन्कार नहीं कर सकता । अभी मुझसे पहले हमारे सदन के एक बड़े सम्मानित, अनुभवी सदस्य आनरेबल जनरल स्पैरों ने इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा भी की है । मेरा पूरा विश्वास है कि उनके सामने पूरी तस्वीर रही होगी जब वह सालट्रन होकर गये थे और फिर जनरल बने । उसके बीच केन्टोनमेंट की हालत में तबदीली आई और उनका उनके मन पर क्या-क्या प्रभाव छूटा है ।

मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि उन्होंने "शाबाश" कहने में, जो आर्मी जनरल का तरीका होता है कि जवान का मन मजबूत करने के लिये शाबाश कहता है उन्होने भी इस बिल में शाबाशी दे दी है मिनिस्टर को और स्टेट मिनिस्टर को । इस शाबाशी के लायक काम तब होगा जब इस सभी बोर्ड में पीने के पानी की व्यवस्था हो जाये ।

मैं कुछ शर्म के साथ, एक नम्रता के साथ याद दिलाना चाहता हूं और मुझे खुशी भी है कि श्री वैंकटरमण साहब ने गौर से मुझे सुना था और कहा था कि कुछ करूंगा, देहरादून के कैन्टोन्मेंट में आजभी बहती हुई नाली से लोग पानी पी रहे हैं, उसमें कपड़े भी धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं और शौच-क्रिया भी होती है और आज 36 साल के बाद भी पानी वहां पिया भी जा रहा है । मैंने बहुत लड़ाई झगड़ा किया, तो इस बार लगभग साढ़े 4 लाख रुपया एक मद में मिल गया । वह रुपया एम० ई० एस० को दे दिया गया । उन्होंने कुछ काम किया और बाद में कह दिया कि पहले फौज वालों को पानी पिला दें, । जितने गैलन पानी सिविलियन को देना था, नहीं दिया । यह सही है कि जवानों को प्रापर्टी होनी चाहिये, लेकिन जवान के साथ जो काम करने वाला है, अगर उसको क्षय रोग हो जायेगा तो क्या जवान की हेल्थ पर असर नहीं होगा ।

मेरे साथी ने 62 केन्टोन्मेंट बोर्ड कहा था, लेकिन 64 केन्टोन्मेंट बोर्ड हैं । मेरा कहना है कि सरकार चाहे जितनी ताकत ले ले, मंत्री जी वहां पीने के पानी की व्यवस्था ठीक कर दें,

सड़क ठीक कर दें, पर्यावरण विभाग आ पने खोला है, इससे सारे पड़े-पौधे, आबोहवा, रहन-सहन बदल दें।

ताकि हमारे जवान वहां ऐसे वायु मंडल में रह सकें जिसका कोई शहर मुकाबला न कर सके। तब हम कहेंगे "शाबाशा" अभी कैसे कहें ? आज केन्टूनमेंट्स में गिरते हुए मकान, टूटी हुई झौंपड़ियां, गन्दी बस्तियां है, दस-दस सफाई कर्मचारी या खाने पकाने वाले कर्मचारी छोटी-छोटी कोटरियों में रहते हैं। इन बातों से जवान की सेहत को खतरा है। फिर भी जेनरेल स्पैरों कहते हैं। "शावाश।"

सरकार इतनी ताकत किस लिए लेना चाहती है जो इस बिल के द्वारा प्रस्तावित है। "कस्मै देवायह विषा विधेम"—वह हवन किसलिए हो रहा ? यह एमेंडमेंट् किस लिए लाया गया है ? सरकार का इरादा क्या है ? लोगों ने कहा कि कन्टूनमेंट बोर्ड्ज को डेमोक्रेटाइज करो। मैं समझता हूं कि ठीक कहा। लेकिन क्या सरकार अपने कमांडिंग आफिसर की रीकमेंडेशन पर अमल करती है ? जब वह कहता है कि स्कूल खोलने के लिए या सड़क बनाने के लिए और पैसा चाहिए, तो सरकार उसकी नहीं सुनती है। सरकार का इरादा सिर्फ यह है कि वह हुक्म भेजेगी कि हाउस टैक्स कितना बढ़ाओं। सरकार यह पावर भी ले रही है।

उम्मीद यह थी कि सिविलियन लोगों की तादाद बढ़ाई जाएगी। आर्मी आफिसर्ज ज्यादा से ज्यादा तीन रखने चाहिए थे। गैरीजन कमांडर केन्टूनमेंट बोर्ड का चेयरमैन रहता और उसके अलावा एम०ई० एस० तथा आर्मी के हैल्थ डिपार्टमेंट का एक एक प्रतिनिधि रहता। मेरे पूर्वक्ता जेनरेल स्पैरों, ने कहा है कि कोई कानफिल्कट आफ इन्ट्रेस्ट्स नहीं है — सड़क, बिजली सफाई, शिक्षा का इन्तजाम करना है। शिक्षा का काम राज्य सरकार को दिया जा रहा है। अगर इस बात को मान लिया गया तो जो थोड़ा बहुत केन्येमेंट बोर्ड कर रही है, वह भी नहीं होगा मेरा कहना यह है कि सरकार वहां पर सिविलियन लोगों को कैप्टिव मेम्बर रख कर ज्यादा अच्छ नही कर रही है। जेनरेल स्पैरों ने दूसरे देशों में आर्मी और सिविलियन्ज में दोस्ती की बात कहा है, जो जरूरी भी है और अच्छा भी है। लेकिन इस विधेयक से वह बात पूरी नहीं होने वाली है।

हाउस के सब सदस्यों ने कहा है कि बाइप-प्रैजिडेंट का कार्यकाल पांच साल रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसे सारे हाउस की सेन्स समझ कर इस एमेंडमेंट को स्वीकार करेगी और वोट नहीं करायेगी। सारे हाउस ने यह भी कहा है कि सरकार कैन्टूनमेंट बोर्ड में सिविल एरिया कमेटी की पावर को कम क्यों कर रही है। सरकार सिविल एरिया कमेटी की और एथारिटी को रेड्यूस करके सारी पावर एक्सीक्यूटिव आफिसर को दे रही है। अगर गवर्नमेंट यही चाहती है, तो वह एमेंडमेंट लाए कि कैन्टूनमेंट बोर्ड में कोई जान-आफिशल नहीं होगा। भुट्टों से राज्य ले लिया उसके जेनरेल्ज ने। सरकार 64 कैन्टूनमेंट बोर्ड्ज वाले शहरों का राज्य ले ले और उन्हें आदर्श शहर बना कर दिखाए।

सरकार को सिविल एरिया कमेटी पर यकीन नहीं है और चुने हुए मेम्बरों पर यकीन है। उसे एक सरकारी कर्मचारी पर यकीन हैं और वह सारी पावर उसको देना चाहती है। जेनरेल

साहब समझ रहे हैं कि इन्होंने अपनी अकल रखी हुई है । इन्होंने अपनी अकल नीचे के अधिकारियों के पास गिरवी रखी है, जो अफसरशाही चाहते हैं । में इसका घोर विरोध करता हूं । यह नहीं होना चाहिए । सारे देश में सिविल एथारिटी के मातहत आर्मी फंक्शन करती है । जब दूससे जेनरेलों के सुपरसेशन और थापर को चीफ़ आफ़ दि आर्मी स्टाफ़ बनाने की बात उठी थी, तो इसी सदन में जवाहरलाल जी ने तकरीर में कहा था : —

"सेना को स्पष्ट कर देना चाहिए कि छावनी वे सिवाय देश में नागरिक प्राधिकरण ही प्रमुख है ।"

आखिरी शब्द में जोड़ रहा हूं पंडित जी के शब्द नहीं है । अगर भारत भर में आनरेबल वेंकटरामन साहब के नीचे कमांडर-इन-चीफ़ काम कर सकता है, डिफेंस सेक्रेटरी के नीचे जनरल काम कर सकते हैं और इनका करैक्टर रोल डिफेंस मिनिस्टर लिख सकता है, तो क्या कन्टोनमेंट बोर्ड के वाइज़ प्रैजीडेंट और बाकी मैम्बर किसी मतलब के नहीं हैं ? एक्जिक्यूटिव आफिसर उनको बिल्कुल अनोखा आदमी है । मैं इस दृष्टि और विचार का बिल्कुल विरोध करता हूं ।

इसी तरह से मान्यवर में किस-किस की हालत के बारे में बताऊं । बेचारे इलाहबाद शहर का नाम लेना तो गुनाह हो गया है । वहां के केन्टोन्मेंट के हाल खराब है । शहर हो या पीने का पानी कन्टोनमेंट बोर्ड की जमीन है, नीलाम कर दी रइसों को इस बिल में अमेंडमेंट लातें कि लैंडलैस लेबर्रस को साल की साल खाली खेती लायक जमीन देंगे । इलाहबाद में दो भाई लखपति हो गए हैं । इलाहबाद में हजारों बीघों में जमीन पर तम्बाकू लगाते हैं । हर साल पैसा देकर-लेकर ठेका लेते हैं । हम यह कहते हैं कि जितना रुपया पिछले साल लिया हो, उसमें कमी मत करिए, लेकिन हर शहर में कह दीजिए कि कन्टोनमेंट की ज मीन भूमिहीन हरिजनों को दी जाएगी या एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स को दी जाएगी । पर इस सरकार में ऐसे अमेंडमेंट की गुंजाइश ही नहीं हैं । इस हाउस का कायदा ऐसा हम पर रूल्स की इतनी बेड़ियां लगी हुई हैं कि सरकार कोई अमेंडमेंट लाए, तो उसी अमेंडमेंट पर बोल सकते हैं, अपना दूसरा कलाज से संबंधित अमेंडमेंट नहीं दे सकते हैं । सारा देश महसूस कर रहा है कि बुनियादी अमेंडमेंट होना चाहिए, तो मेरी समझ में बात नहीं आती है कि आपके इस अमेंडमेंट में जनहित को कहा ध्यान रहा है ।

लैंस डाउन में पानी नहीं है, लैंस डाउन में मकान गिर रहे हैं और लैंस डाउन का टैक्स रेट कन्टोनमेंट का, व्यापारी शहर कोट्द्वार से भी ज्यादा हैं । इस बारे में हमने मिनिस्टर साहब को लिख भी कर दिया है मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि बरेली में एकनकटिया नदी है । जिस पर एक पुल है, लेकिन उस पर रेलिंग नहीं है । पिछले दस सालों में यदि आप गिनती करें तो दस-पन्द्रह आदमी-बच्चे मर गए, जानवर मर गए, लेकिन रेलिन नहीं बन सकती हैं । क्योंकि वह कन्टोनमेंट के नीचे है । कन्टोनमेंट के नीचे है, तो कोई लड़ाई तो नहीं हो रही है । ब्रिज को सिर्फ थोड़ा मजबूत करना है । इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए ।

इलाहबाद में सड़क है, जो कि मेरे घर के ठीक सामने से जाती है, जहां पर कि मैं किराए

के मकान में रहता हूं। उस सड़क का झगड़ा है कि वह सड़क कन्टोनमेंट की है या म्यूनिसिपेलिटी की है। मेरा कहना है कि दोनों की है। 15.08 (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए) मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्टोनमेंट और म्यूनिसिपेलिटी के बीच में बहुत सारे उल्टे-सीधे रिश्ते हैं। मेरा कहना यह है कि केन्टोनमेंट कारपोरेशन एरियाज का इन्टरलिंक हो रहा है। इस में कुछ रुल्स बनाने चाहिए, ताकि दोनों पेरियोडिकली आपस में बैठकर फैसला कर सकें।

श्री सत्य नारायण राव (करीम नगर) वैंकटरमण साहब आ गए हैं, अब आप अंग्रेजी में बोलिए।

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरमण) : नहीं, नहीं—आप हिन्दी में बोलिए, मैं समझ रहा हूं।

मैं श्री वेंटकरमन मुबारकवाद देता हूं। वह कोई नये कांग्रेसी नहीं है बल्कि एक पारंपरिक कांग्रेसी है। उनमें और अन्यो में यही एक अन्तर है मै जानता हूं इससे उनकी अभीरुचि में किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचपी। श्रीमन, मैं जो यह सुझाव देने जा रहा हूं उस पर मैंने पहले ही श्री वेंकटरमन से मिलकर, लैंडसडाउन चकराता, बरेली, देहरादून, आदि की समस्याओं के बारे में चर्चा की है।

सवाल यह है कि इन तकलीफों को दूर करने के लिए आप कोई पावर बोर्ड को नहीं दे रहे हैं कि बोर्ड कुछ कर सके कैंटीमेंट बोर्ड एक्जीक्यूटिव आफिसर और चेयरमैन का कैंपटिव रहेगा, यह बात बहुत खराब है। वेंकटरमण जी से ज्यादा बुद्धिमान आदमी कानून का जानने वाला, लेबर-लोज को कॉम्पाइल करने में सहायता देने वाला जो लेबर लोज के जनरलएडीटर रहे एमीनेंट लीगल माइंड के आदमी हैं।

मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इनको वापिस करो। यदि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरी प्रार्थना मैं यह कराना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को एनलार्ज करने का स्कोप दो इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। क्या जरा-जरा बाते छेड़ी हैं प्रोस्टिचूशन में जुर्माना दो सौ रुपया कर दिया कुछ अन्य मामलो में पांच सौ रुपए से पांच हजार रुपए कर दिया। इन बातों से कुछ नहीं होगा। आइए प्रत्येक दृष्टि से इन 64 नगरों को भारत के मॉडल नगर बनायें इन 64 जगहों पर आप सुधार कर दिखाइये तब तो ताकत लें वर्ना क्यों अपना बोझ बढ़ाते हैं।

मुझे आशा है कि कैन्टूनमेन्ट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेन्ट के लिये वेंकटरमण साहब उस समय नहीं थे जो सुझाव दिया गया है कि उसका भी टर्म पांच साल होना चाहिये, यह सब की राय है इसे सरकार मान लेगी। एक्जीक्यूटिव आफिसर को पावर्स सिविल एरिया कमेंटी की पावर्स से बड़ी नहीं होनी चाहिए यह भी सबकी राय है, इसलिए इसे भी आप स्वीकार करें। जहां तक सिविल और आर्मी के रिलेशनशिप की बात है—आप यह तो बतलाइये कि कहां गड़बड़ है सिविलियन नम्बरों से कहां तकलीफ आई है ? एक्जीक्यूटिव आफिसर को इलैक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव के मुकाबले

आप ज्यादा ट्रस्ट करेंगे ? मेरी प्रार्थना है कि आप इन सब बातों को अवश्य देखें और इनके बारे में अपने उत्तर में बतलायें कि आपको जरूरत क्या थी और इस विधेयक से वह कैसे दूर हो रही है

बरेली के बारे में जो मैंने कहा था—नकटिया रिवर पर थिरिया निजाबत खां के रास्ते में जो पुल टूट गया है और जिसमें कई लोग गिरकर मर गये है उस के लिए तो आप जाते ही आर्डर दीजिए। जो अफसरान इसको सुन रहे हैं वे भी इसको नोट करलें मैं जब कभी उधर बैठता था तो ऐसे मामलों में उसी दिन कार्यवाही करता था। मेहरबानी करके इस पुल को फौरन बनवाइये और उस पर रेलिंग लगवाइए। अब अगर कोई आमेंमी मरेगा तो वेंकटरमण साहब उस पर उनका पाप नहीं रहेगा बल्कि उन पर रहेगा जिन्होंने इस बिल का बना कर जरबदस्ती वेंकटररमण साहब के हाथ में दे दिया है और वे बेचारे उसको हमारे पास ले आये हैं।

मैं कैन्टूनमेन्टस के हालत को सुधारने की मांग करता हूं। फौज के फौजी की जिन्दगी के सिविल और आर्मी के बीच सहयोग के लिए एक नई सूरत पैदा करने के लिए आप इस सारे बिल को सिलैक्ट कमेंटी को भेज दीजिए और इस सदन में जो बातें कही गई हैं उस के सम्मान को रखते हुए अपने बहुमत से उनको मत गिराइए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : चाहे मैं छावनी या सैनिक क्षेत्र से दूर रहती हूं लेकिन एक बात जो मेरी समझ में नही आई है वह है छावनी बोर्ड का गठन। छावनी बोर्ड की जो दशा है उसे ठीक ही न घर का न घाट का से तुलना कर सकते हैं यह न यहां न वहां न तो मछली न ही चिड़िया है और वर्तमान विधेयक भी इसी बात को दर्शाता है अगर इस विधेयक में कोई अच्छाई या बुराई है।

मैं इस संबंध में यह कहना चाहूंगी यह न तो अच्छा है न ही बुरा। लेकिन इस विधेयक की उद्देश्य यह नही होनी चाहिए पहले तो इस छावनी बोर्ड के गठन के बारे में ही आपत्ति नहीं उठाई गई है माननीय सदस्य श्री भक्तदर्शन और श्री सिंह ने इस विधेयक को गैर सरकारी विधेयक के रूप में पेश किया उस विधेयक में जो सिद्धान्त निहित थे वे बोर्ड के लोकतन्त्रीकरण करने के बारे में चले अब जहां तक इस विधेयक का संबंध है मैं इसमें कहीं भी यह नहीं पाती कि बोर्ड के कार्यकरण को इस लोकतन्त्रीय बनाने बारे में कोई प्रयत्न किया गया है

सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें प्रावधान है कि आधे सदस्य निर्वाचित किये जाएगे अगर सदस्यों की सख्या को आधे करें तो यह नामजद सदस्य की सख्या से एक कम बैठती है जो कि बहुत ही अलोकतन्त्रिय बात है यहां यह किया गया है कि इस पद को खाली रखा छोड़ा गया है सरकारी पद भरा नहीं गया है ताकि समानता रह सके किसी विधान में भी मैंने ऐसी बात नहीं देखी हैं अगर आप समानता चाहते है तो इसे अभी करें आप ऐसा क्यों करते हैं कि पद को खाली रखते है और फिर कहते है कि समानता है इसीलिए मैंने ऐसा कहा कि यह बिल्कुल अलोक तन्त्रीय है और मैं नहीं पाती कि बोर्ड के गठन और कार्यकरण को अधिक लोकतन्त्रीय बनाने के लिए कोई प्रयास किया गया है।

मैं श्री बहुगुणा के इस पर व्यक्त किए गए विचारों का पूरी तरह से समर्थन करती हूं। उन्होंने कहा कि कार्यवाही अधिकारी को अधिक शक्ति दी गई है।

अगर किसी समय इस बात पर विचार किया गया होता तो महसूस होता कि इन बोर्डों को लोकतन्त्रीय बनाने के दृष्टिकोण से किए गए इस प्रयास में यह विधेयक पूरी तरह से असफल रहा है।

मैं समझती हूं कि इस पर कभी विचार नहीं किया गया है, नहीं तो उपाध्यक्ष के लिए 2 1/2 वर्ष की अवधि जिसका की सबने जिक्र किया है, कभी न रखी जाती। इसके बारे में यह तर्क दिया गया है कि एक से अधिक गैर-सरकारी सदस्य को यह पद मिल सके। आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि प्रत्येक वर्ष ही नया सदस्य इस पद के लिए चुना जाए 2 1/2 वर्षों के लिए ही क्यों, ताकि जब तक वह इसके बारे में कुछ जान सके, उनकी अवधि ही समाप्त हो जाए और इस तरह असली शक्तियां नामजद अध्यक्ष और कार्यकारिणी के पास ही रहें। इस तरह यह विधेयक पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। वास्तव में बोर्डों को लोकतंत्रीय बनाने के लिए कभी बात ही नहीं सोची गई।

सबसे पहले तो यह, "न घर का, न घाट" वाली बात बन्द होनी चाहिए। अगर आपने पहले ही यह बात निश्चित कर ली है कि भविष्य में यह छावनी बोर्ड नहीं रहेंगे बल्कि इनके स्थान पर सैनिक स्टेशन होंगे तो इन 62 बोर्डों के बारे में कुछ भी मानास्पद बात नहीं है। इन 62 बोर्डों को रखने की आवश्यकता ही क्या है? यह नहीं, आप यह भी सोच रहे हैं कि कुछ और सदस्यों को रखा जाए, और जलसेना ऐसे संस्थापनाओं की कुछ और छावनियां भी बनेगी। मैं इस प्रकार की प्रक्रिया के औचित्य का कोई कारण नहीं समझती।

अब छावनी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर कब्जे की बात आती है। प्राक्कलन समिति ने सही ही कहा है कि काफी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, लेकिन बोर्डों के पास उन्हें रोकने के लिए काफी संख्या में लोग नहीं हैं। यह दो-तरफा मामला है। एक तो, काफी भूमिका सही उपयोग नहीं हो रहा है, दूसरा सही कार्यों के लिए भूमि नहीं दी जाती है, मिसाल के तौर पर, किरकी, पूना में काफी संख्या में कर्मचारी रहते हैं—करीब 40 हजार और उनमें से बंगालियों की संख्या काफी है। उनका अपना संगठन है—काली बाड़ी—यह एक सामाजिक संगठन है। उनके कब्जे में कुछ भूमि है, लेकिन बोर्ड कहता है कि उन्हें यह भूमि नहीं दी जा सकती। वहां पर काफी भूमि बेकार पड़ी हुई है। काफी खींचातानी के बाद, उन्हें थोड़ी सी भूमि ही दी गई, जिस पर भी झगड़ा चल रहा है। मैं नहीं जानती कि 'विवादग्रस्त वाली' क्या कुछ करेगी? एक तरफ तो यह हालत है, और दूसरी ओर काफी भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है।

मैं यह नहीं कहती कि सभी सैनिक अधिकारी बेईमान हैं, लेकिन कुछ बेईमान अधिकारी हैं, और सभी यह बात जानते हैं। इस भूमि का प्रयोग जानवरों के चरागाह, दुग्धशाला गैर-सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है, जिससे कि बोर्ड को कोई आमदनी नहीं होती है। कई एक सैनिक

अधिकारियों द्वारा, इन्हें अपने व्यक्तिगत हितों के लिए उपयोग किया जाता है। इन सब बातों के रहते हुए, मैं नहीं समझती कि स्थिति में कैसे सुधार होगा।

अन्त में मैं दो बातें और नहीं कहना चाहूंगी। पहली बात तो यह कि अगर आप छावनियों को बनाये रखना चाहते हैं, तो मेरी राय के मुताबिक इन्हें बनाए रखना चाहिए, और अगर इसके लिए आप जुर्माने की रकम को 50 रु० से बढ़ाकर 250 रु० करते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर, मैं नहीं समझती कि दार्जिलिंग का जालाफर छावनी क्षेत्र कभी भी इस हालत में होगा कि वह अपने पीने के पानी की सफाई के लिए धन दे सके। वे अपनी समस्या नहीं सुलझा सकते। मैं नहीं समझती कि यह संवैधानिक है या असंवैधानिक। लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि आप यही कहेंगे कि यह संवैधानिक हैं, और जहां तक पीने के पानी का संबंध है। अगर इसके लिए रक्षा विभाग 1/3 या 33% सहायता देता है, तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इससे कार्य पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए कुछ मामलों में रक्षा विभाग को सुविधाएं प्रदान करनी होगी।

आखिर में, मैं यह कहना चाहती हूं कि जो उपबन्ध किए गए हैं, ऐसा लगता है कि उनमें मिलिटरी की छाप है। मैं नहीं जानती कि मन्त्री महोदय ने इसे पढ़ा है या नहीं। मेरे विचार में न्यूसेंस (अपदूषण की परिभाषा को पुनः प्रारूप देने की आवश्यकता है। निश्चय ही अगर कोई उन्हें उपद्रवों जैसा है तो, उसे दण्ड मिलना ही चाहिए। श्रीमन् फिर न्यूसेंस (अपदूषण) शब्द का अर्थ क्या है? "न्यूसेंस अन्तर्गत ऐसा कोई कार्य, लोप, स्थान, जीव जन्तु या चीज है जिससे दृष्टि इन्द्रीय, घ्राणेन्द्रीय या श्रवणेन्द्रीय के क्षति, खतरा, क्षोभ या क्लेश अथवा विश्राम या निद्रा में विघ्न होता है या खतरनाक हो सकती है या स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए क्षतिकर है या क्षतिकर हो सकती है।" श्री वेंकटरामन यह कह सकते हैं कि आप इनमें से कोई भी कार्य कभी नहीं करेंगे। कौन जानता है, मात्र मेरे साथ चलने से ही वह मेरी घ्राणेन्द्रिय या श्रवणेन्द्रिय को क्षति पहुंचा दे। मैं नहीं जानती कि माननीय मंत्री ने ऐसा पढ़ा है या नहीं—क्योंकि यह एक सैन्यवादी परिभाषा है जोकि इन क्षेत्रों में रहने वाले सैनिक और असैनिक लोगों पर लागू होगी।

इन सभी बातों के साथ, मैं नहीं समझती कि इस विधेयक से कोई समस्या हल होनी वाली है। इसलिए इस विधेयक का समर्थन करने में मैं कोई औचित्य नहीं समझती।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक्ट 1924 में बना था। इसके तहत जिस तरह का प्रबन्ध सिविलयन के लिए अंग्रेजों द्वारा किया गया, वह बहुत बुरा था: उसके बारे में मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे क्षेत्र में कसौली, सपाटू, जतोग, डामाशाई कंटोनमेंट एरियाज हैं। यहां की स्थिति के बारे में मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहां के रहने वालों की आर्थिक दशा बरबाद हो गई है। कसौली में सेहतअफजा मुकामात हैं। ज्योग्रफी में भी यह बात आती है। लेकिन आज यहां के लोग बहुत बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी इन लोगों को मकान के खिड़की, दरवाजे तक बनाने में

दिक्कत आती है। अगर ये टूट जाते हैं तो कई दिनों तक मंजूरी नहीं आती है। इससे ये लोग परेशान होते हैं।

सपाटू छावनी में हरिजनों के लगभग 27 परिवार रहते हैं। अब ये बढ़कर 50 हो गए हैं, क्योंकि जैसे किसी का लड़का अलग हो गया तो उसने अपनी अलग झोंपड़ी बना ली। इन लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है और मुआवजे के तौर पर सिर्फ 1 लाख 75 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। जिन जमीनों पर वे कास्त करते थे वहां पर मिल्ट्री के मकान बन गए हैं।

मैंने इस मामले की तरफ राज्य सरकार और प्रधानमन्त्री जी का ध्यान भी आकर्षित किया है। नियम 377 के अधीन इस सदन का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित किया है। मेरे पास जवाब भी आया है। इसमें बताया है कि इसके बारे में हम चिंतित हैं और जल्दी कार्यवाही की जाएगी।

मिल्ट्री के लिए हिली एरियाज में बहुत अच्छी-अच्छी जगह हैं। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां पर सिविल पापूलेशन आ जाती है।

हमारे दोनों मन्त्री जी डिसीप्लीन को कायम रखने के लिए जितनी भी मिलिटरी की मदद कर सकें, वह एक अच्छी बात होगी। हमारे केन्टोनमेंट एरिया में कुछ चीड़ के दरख्त लगे हुए हैं। लेकिन टक गहरा करके उनको बरबाद किया जा रहा है। उनका आक्शन भी किया जाता है। वहां के नागरिकों के लिए किसी भी प्र ार की सुविधा नहीं है। यहां तक कि उनके बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटी भी नहीं मिली हुई है। सुबाथु में तो स्कूल खुला हुआ है लेकिन दिगशाई, कसौली और जतोग में कोई सेन्ट्रल स्कूल नहीं है। जहां तक कैन्टोनमेंट बोर्ड के इलैक्शन का सवाल है, उसमें जो लोगों के इलैक्टेड मैम्बर्स हैं उनको ज्यादा अख्तियारात होने चाहिए। वहां पर वाइस-प्रेजीडेंट का कार्यकाल ढाई साल का रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि वह पांच साल तक होना चाहिए। जो इलैक्टेड मैम्बर्स हैं, वे ही उसमें होने चाहिए। एक्जीक्युटिव आफिसर्स नहीं होने चाहिए। सिविल पापुलेशन को मिलिटरी एरिया से अलग कर दीजिए और जो हास्पिटल्स वगैरह हैं, वे भी राज्य सरकार को दें ताकि वे लोग इलाज करा सकें।

मैंने चन्डी मन्दिर, चन्डीगढ़ में देखा है कि वहां मिलिटरी छावनी का बड़ा भारी बिस्तार हो रहा है। वहां दोनों तरफ केन्टोनमेंट है और बीच में नेशनल हाइ-वे निकलती हैं। मिलिटरी के आफिसर्स और दूसरे लोग भी वहीं से जाते हैं, यह एक खतरनाक बा। है। आपको चाहिए कि चण्डीगढ़ से अलैदा लाईन निकालकर नेशनल हाइ-वे में मिला दें और वहां मिलिटरी का ही टाउन रहने दें।

मैं यह भी अर्ज करूंगा कि बहुत-सी जगह तो कब्रीस्तान ने घेर रखी हैं, जो कि खाली पड़ी हुई है। दिगशाई टाउन की बुरी हालत है। एक तरफ तो अनद्रज गांव और दूसरी तरफ धर्मपुर का एरिया है जिसमें मिलिटरी एक जगह बैठा दी जाए तब भी वह जगह उनके लिए काफी है, बाकी सारा एरिया खाली है। जो जमीन खाली है, वहां पर एनक्रोचमेंट चलता है। इसलिए,

एनक्रोचमेंट हटाकर गरीबों को जमीन दी जाए । आपने जो केन्टोनमेंट में अमेंडमेंट करके सुधार करने की बात की है, उससे मैं समझता हूं लोगों को फायदा तभी पहुंचेगा जब उसमें और अमेंडमेंट करें जिससे वे लोग सुख की जिंदगी बसर कर सकें । केन्टोनमेंट एक्ट अंग्रेजों ने बना रखा है, जो लोगों की परेड कराने के लिए है। हमारे यहां कसौली में हर साल दुकानों का ऑक्शन होता है ।

मैंने मंत्री जी को एक पत्र लिखा था जिसके जवाब में इन्होंने लिखा कि "कृपया" अपना 23 सितम्बर 1981 का पत्र देखें जिसके साथ आपने कसौली छावनी में कुछ दुकानों की हर साल नीलामी करने की प्रथा को बंद करने के बारे में मार्किट स्टाल होल्डर्स एसोसिएशन के मंत्री का पत्र भेजा है। इस संबंध मैं लोक सभा में 13 अगस्त 1982 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या—477 के उत्तर में, मैं स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं । उत्तर की प्रति सलग्न है ।

इस समय ये दुकानें जिन लोगों के पास हैं, उन्हें इन दुकाओं को स्थाई रूप से बचना या दीर्घकालीन पट्टे पर देना कई कारणों से संभव नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं, छावनी बोर्ड कसौली मौजूद दुकानदारों को ही वार्षिक आधार पर पट्टे का नवीकरण करता रहा है और फिलहाल इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मार्किट स्टाल होल्डर्स एसोसियशन ने अनुरोध किया हैं कि किराया प्रणाली में एक रूपता लाने की दृष्टि से स्टेट अरगन एंड रेंट कन्ट्रोल एक्ट 1971 को छावनी बोर्ड पर भी लागू किया जाये। लेकिन वस्तु स्थिति यह कि इस अधिनियम में छावनी बोर्ड की सभी परिसंपत्तियों को छूट देने के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है ।

यह पत्र मंत्री जी ने मुझे 8 अक्तूबर, 82 को भेजा है । मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस साल फिर नीलामी होगी और नीलामी देने वाले बाहर से आयेंगे । मंत्री जी का पत्र मेरे पास था कि नीलामी होगी, उन दुकानों की औक्शन हो गई और उसके बाद वह अपना कारोबार बन्द करने पर आ गयें। आप सोचिये एक साल में जो बिजनेसमैन औक्शन करके दुकान लेता है, वह क्या सैटल हो सकता है ? उसने उधार भी देना है, कारोबार भी करना है । मै चाहता हूं कि आप ऐसी दया करें कि गरीब लोगों की जो दुकानें हैं बाजार में जिनको सौदा नहीं मिलता, पहले मिलैट्री वाले वहां से परचेज़ करते थे, आज वह बिल्कुल नकारा हो रहे हैं ।

मेरी प्रार्थना है कि अगर आप सुधार चाहते हैं तो इस तरह का सुधार करें ।

यह एक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे विद्वान रक्षा मंत्री हैं और जब ये फाइनेन्स मिनिस्टर थे तो फाइनेन्स का काम अच्छा चलता था और अब भी चलता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बजट पेश किया, अपोजिशन को पता ही नहीं लगा कि कैसा बजट था । सारे तारीफ में पड़ गये ।

आज मैं उनसे प्रार्थन करूंगा कि जहां फौजों का ध्यान रखना है, वह हमारे श्रमिकों को अच्छी नजर से देखते हैं । उनका भला हो यह हम चाहते हैं, कि वह फूलें-फूलें लेकिन इसके

साथ ही यह भी चाहते हैं कि जो हमारे इलैक्टेड मेम्बर हैं उनकी पावर हो और वह सफल हों। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा रखता हूं कि आप मेरी बात पर ध्यान देंगे।

15.33 (श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

श्री जयराम वर्मा (फैजाबाद) सभापति महोदय मैं छावनी संशोधन विधेयक के समर्थन के साथ-साथ कुछ अपने सुझाव भी रखना चाहूंगा। यह बात अपनी जगह सही है कि छावनियां मुख्य रूप से सैनिकों के रहने के स्थान हैं। इनकी स्थापना सेना की आवश्यकता की दृष्टि से की गई थी और वही उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। इस बात को विचार करते वक्त आंख से ओझल नही किया जा सकता, लेकिन छावनियों के साथ जो सिविल पापूलेशन जुड़ गई है जो बराबर बढ़ती गई है उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का सामंजस्य भी सेनाओं की आवश्यकता के साथ करना होगा।

1924 में पहली बार यह छावनी अधिनियम बना उस समय पहली बार सिविल पापूलेशन को छावनी के प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिया गया था। तब से कई संशोधन और आखिरी संशोधन 1954 में हुआ। उससे कुछ उनके अधिकारो की वृद्धि हुई है लेकिन यह जो संशोधन लाया गया है यह बहुत दिनों के बाद आया है और कार्यकारी दल जिसकी स्थापना 72 में हुई थी। जिसमें 73 में अपनी रिपोर्ट दी उसके बाद भी 10 वर्ष के बाद यह लाया गया है।

कार्यकारी दल के अध्ययन के आधार पर यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, यह भी आज की परिस्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह सही है कि इस संशोधन विधेयक के द्वारा कुछ लोकतंत्रीकरण किया गया है जैसे नगरपालिका की तरह कैन्टूनमेंट बोर्ड में भी निर्वाचित और नामकित सदस्यें और बोर्ड का कार्यकाल पांच वर्ष कर दिया गया है। यह व्यवस्था भी की गई है कि जब स्टेशन कमांडिंग आफिसर तीस दिन तक के लिए स्टेशन से बाहर हो तो उस बीच में सिविल एरिया कमैटी में जो वाइस प्रैजिडेंट होता है, जो निर्वाचित आदमी होता है वह अध्यक्ष रहेगा

यद्यपि प्राइमरी शिक्षा और स्वास्थ्य का काम छावनी बोर्ड के अनिवार्य कर्तव्य से निकाल कर वैवेकिक में रख दिया गया है और सिविल एरिया कमैटी के वैवेकिक कर्त्तव्य बढ़ाए भी गए हैं जो कर्त्तव्य छावनी बोर्ड के हाथ में थे, वे उससे निकाल कर सिविल एरिया कमैटी को दिए गए हैं। यह अच्छी बात हुई है।

छावनी बोर्डो की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। सड़कों का इन्तजाम अच्छा नहीं रहता दूसरे कामों के लिए पैसा नहीं रहता। इसलिए उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई हैं। सरकार उन को आदेश दे सकती है कि मौजूदा करों मे वृद्धि की जाए या ऐसे नये कर लगाए जा सकते हैं जो उस स्टेट की नगरपालिकाओं में लगते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि

सरकार आदेश दे उसकी जरूरत नहीं थी। बोर्ड को अपने आप कर लगाने का अधिकार होना चाहिए।

इसमें कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं, जो लोकतंत्रीकरण के विरुद्ध जाती हैं। जैसा कि कई सदस्यों ने कहा है जब चुने हुए और नामांकित सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष कर दिया गया है तो उपाध्यक्ष का कार्यकाल ढाई वर्ष क्यों किया गया है। यह बात जनतंत्रीकरथ के अनुकूल नहीं है, बल्कि उसके विरुद्ध है। मुजे आशा है कि माननीय रक्षा मन्त्री इस पर पुनर्विचार करके इसमें अपनी तरफ से संशोधन करा देंगे कि उपाध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष होगा।

धारा 17 की उप धारा (1) के बाद उपधारा (1क) जोड़ी गई है, जिसमें व्यवस्था की गई है कि अगग कोई व्वक्ति एक से ज्यादा स्थानों से सदस्य चुना जाए, तो अन्तिम घोषणा के 14 दिनों के भीतर उसको एक स्थान छोड़ कर बाकी स्थानों के त्याग पत्र दे देना चाहिए। असेम्बली और लोक सभा में जो व्यवस्था है, यह उसके अनुरूप है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि अगर वह चुना हुआ सदस्य 14 दिन के अन्दर एक स्थान को छोड़ कर बाकी स्थानों से त्याग-नहीं दे देता है, तो उसके सब स्थान खाली माने जाएंगे। ऐसा तो कहीं नहीं होता है। अगर एक आदमी दो स्थानों से चुन लिए जाता है, तो उसका चायस होता है कि एक स्थान पसन्द कर ले और दूसरे से त्यागपत्र दे दे। लेकिन यह कहीं नहीं होता कि अगर वह भूल जाए और दोनों स्थानों में से किसी को न चुने और दूसरे स्थान से 14 दिन के अन्दर त्याग पत्र न दे, तो उसके दोनों स्थान खाली मान लिए जाएंगे। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसमे इस शक्ल में रखना बिल्कुल गलत होगा। एक तरफ जनतंत्रीकरण की बात कहीं जाती है और दूसरी तरफ उसके बिल्कुल विरुद्ध काम किया जाता है।

इसलिए इसको ठीक करने की जरूरत है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सुविधाओं में बहुत कमी है। वहां पर सड़कों को इन्तजाम और दूसरी व्यवस्था सफाई आदि की ठीक हो है। यह उचित नहीं होता है कि एक हिस्से में इन्तजाम हो और दूसरे हिस्से में बिल्कुल भी इन्तजाम न हो—यह बात अच्छी नहीं लगती है। इसको आपको ठीक करना होगा। उनकी सुविधाओं को बढ़ाना होगा, नहीं तो यह एक मजाक सा होगा।

दूसरी बात जो लोकतन्त्रीतकरण के बारे में की गई है, वह यह है। छावनी बोर्ड में सर-सरकारी पक्ष के सदस्य निर्वाचित पक्ष के सदस्यों से एक ज्यादा है। बहुमत सरकारी पक्ष का रहा यह बात ठीक नहीं है। इसको भी दूर किया जाना चाहिए।

प्रशासनिक आदेश द्वारा यह कर दिया है कि एक नामिनेटेड सदस्य नामिनेट नहीं किया जाएगा, जिससे दोनों पक्ष बराबर हो जायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब प्राशासनिक आदेश द्वारा ऐसा कर दिया गया था तो यह संशोधन विधेयक लाते वक्त इस संशोधन को इसमें क्यों अन्तर्निहित नहीं किया गया। यह व्यवस्था इसके अन्दर कर देनी चाहिए थी। जो प्रशासनिक

आदेश द्वारा किया गया था उसको यहां पर संशोधन लाने के बाद नहीं किया जा रहा है। इसके मायने यह है कि जो कुछ किया गया था उसे फिर से वापस लिया जाएगा। यह बात अच्छी नहीं है।

मेरे भी निर्वाचन क्षेत्र में एक फैजाबाद केन्टोनमेंट बोर्ड है अयोध्या भगवान रामचन्द्र जी की जन्म भूमि है। वहां पर फैजाबाद में एक गुपतार घाट है। यह स्थान है जहां पर भगवान राम अपने भाइयों के साथ इस संसार से अदृश्य हुए थे। वह स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस तरह से अयोध्या में लोग बड़ी संख्या में स्नान करते हैं उसी तरह से गुपतार घाट पर भी लोग बड़ी संख्या स्नान करते हैं विदेशिय ने भी इस स्थान को पवित्र माना है। वहां जाने के लिए जो सड़क और सम्पर्क मार्ग है, वह भी बहुत ही खराब हालत में हैं। छावनी बोर्ड के जरिए से होकर जाते हैं, वह सड़क भी ठीक नहीं है, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गुप्तार घाट में पुराने मंदिर है, जो कि ढहते जा रहे हैं जिन लोगों ने उनको बनाया था उनका अब इन्टरेस्ट नहीं रह गया है। यह केन्टोनमेंट के करीब है, इसलिए चाहे केन्द्रीय सरकार को या राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनका पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए।

केन्टोनमेंट बोर्ड से मिली हुई एक और सड़क है, जिस पर से होकर कार्तिक के महीने में अक्षय नवमी के दिन 14 कोसी परिक्रमा होती है। लोग उस पर से होकर जाते हैं। यह सड़क भी केन्टोनमेंट के पास है। केन्टोनमेंट बोर्ड कहता है कि यह सड़क हमारी नहीं है और राज्य सरकार कहती है कि सड़क हमारी नहीं है उसकी हालत बहुत खराब है। लाखों यात्री उस सड़क से नंगे पैर जाते हैं। इसलिए इसकी भी व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है। यह ठीक है कि आमदनी कम है, लेकिन सरकार कुछ अनुदान देती है और कभी-कभी विशेष अनुदान देती है और कभी-कभी विशेष अनुदान भी दिया जाता है। लेकिन उससे काम नहीं चलता है, इसमें और पैसा खर्च करने की जरूरत है ताकि वह सड़क ठीक हो सके और वहां के लोगों की सुविधाओं को बढ़ाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और बिल का समर्थन करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं इस विधेयक पर ज्यादा नहीं बोलूंगा और केवल वे तीन मुद्दे उठाऊंगा जिन पर मुझे आशा है कि मंत्री महोदय कुछ ध्यान देंगे।

प्रथम मुद्दा यह है कि छावनी अधिनियम की धारा 2 (10) छावनी बोर्ड को दुकानें रखने की देती हैं जैसे कि राशन की दुकान आदि-आदि और उसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है। इस ओर बैठे मेरे साथी डा० ए०यू० आजमी इस बारे में विस्तार से लिख चुके हैं और वास्तव में इस पूर्ति मंत्री को भेजा है जिन्होंने इस प्रश्न पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दिया है अतः

मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्री महोदय दिल्ली छावनी क्षेत्र में वाणिज्यिक उद्देश्यों थे दिए जाने वाले लाईसेंसों के दिए जाने के बारे में मिली बहुत-सी शिकायतों पर ध्यान दें। मंत्री महोदय को यह देखना चाहिये कि इन शक्तियों का सदुपयोग हो।

दूसरे, छावनियों लोक परिसर अधिनियम के अधीन आवास किराए पर देने में मानमानी कर रहे हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में, अपने दौरे के दौरान, मेरे समक्ष कई मामले आए हैं। वास्तव में, मैंने शिलांग की एक निहायत ही गरीब वक्ष का एक ज्वलत्त मामला रक्षा मंत्री महोदय को लिखा था जिसे एक दुकान चलाने की अनुमति दी गई थीं। वह नियमित रूप से किराये का भुगतान करती रही थी और उसके पास सभी रसीदें थी। एक दिन छावनी प्रशासन ने निर्णय किया कि यह दुकान यहां नहीं रहनी चाहिए और उसे किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति दिये बिना हटा दिया गया। इस प्रकार की स्वैच्छारिता, जिसे असैनिकों पर सैनिक मनोवृत्ति को करना कहा जाता है वह नहीं होनी चाहिए और उसके प्रति सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

मेरा तीसरा और अंतिम मुद्दा छावनी क्षेत्रों नागरिक सेवाओं की उपलब्धता के बारे में यहां पर मैं मंत्री महोदय का ध्यान प्राक्कलन समिति के 47वे प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें पैरा 3.11 में यह विचार व्यक्त किया गया है :

> "छावनी क्षेत्रों में प्रदान की गई नागरिक सेवाओं में कई तरह से कमी है। यह वास्तव में छावनी बोर्डों की कार्यकरण की एक दुःखद बात है जो कि समग्रतः रूप से केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण और मार्ग दर्शन में कार्य करते हैं।
>
> समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिस पर गम्भीरता से विचा करने की आवश्यकता है।

मुझे तमिलनाडु राज्य से, जहां के रक्षा मंत्री महोदय रहने वाले हैं बहुत-सी शिकायतें मिली हैं। मैं करदाता-संघ कहे जाने वाले उस ग्रुप के पत्रों का हवाला देता हूं, जिसने मुझे दो मास की अवधि में लिखें गए 9 पत्रों की सूची दी है। उन्होंने रक्षा मंत्री महोदय को लिखा है और उन्हें कतई भी कोई उत्तर नहीं मिला है। इस पर कर दाता संघ के सचिव, श्री सी० के० केशवा मुद्दालिया के हस्ताक्षर हैं। वे सुविधाओं के अभाव के बारे में शिकायतें करते हैं तथा उन्होंने छावनी रहने वाले असैनिक नागारिकों की बहुत-सी शिकायतों को उठाया है

मैं इन तीन मुद्दों को उठना चाहता था।

श्री नन्दी येल्लैया (सिद्दिपेट) : सभापति महोदय, रक्षा मंत्रालय की ओर से कैन्टूनमेंट ऐक्ट में संशोधन करने के लिए जो बिल सदन के सामने रखा गया है, उस पर कई माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किए हैं। कैन्टूनमेंट की जो डैफिनीशन है उसके बारे में बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि कैन्टूनमेंट का जो एरिया होता है उसमें 50 फीसदी प्राइवेट लैंड होती और 50 फीसदी डिफेन्स का इलाका होता है। जहां तक इसमें मेम्बर्स की टर्म का सवाल है उसे तीन साल

से बढ़ाकर पांच साल करने की बात है उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन जिस तरह से हमारे यहां नगरपालिका का सिस्टम होता है या म्यूनिस्पिल कारपोरेशन के काम करने का तरीका होता है—मैं चाहता हूं कि बहुत से सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट किए हैं कि ढाई साल बजाय पांच साल क्यों न किया जाय ;

मैं चाहता हूं कि जैसे मेयर के चुनाव का एक सिस्टम बना हुआ है, वैसे ही यहां पर भी होना चाहिए। जैसे मेयर का चुनाव होता है, यहां पर अगर हर साल न हो, तो कम से कम ढाई साल में इसको किया जाए। मेयर के 5 साल के टर्म में, एक दो जो वहां के इलेक्टेड मैम्बर होते हैं, उनको वाइस-प्रेसीडेंट का काम करने का मौका मिलता है। इसी तरह से यहां पर भी चाहिए। मैं रक्षा मन्त्रालय के मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि शायद आपको मालूम होगा कि कैन्टोनमेंट का जो आपका काम करने का तरीका है, वह कोई बहुत ठीक नहीं है। सिकन्दराबाद में 30 काआपरेटिव सोसाइटीज हैं। अब मकानात बनाने के लिए, एक्जीक्यूटिव आफिसर के पास कागजात दाखिल करने के बाद ले-आऊट की सैंक्शन के लिए उसे पूना भेजना पड़ता है। ले-आऊट की सैंकशनिंग आथेरिटी है, उसको पूना बजार एक्जीक्यूटिव आफिसर को क्यों न वह आथेरिटी दी जाए जिससे पूना में भेजने में जो देरी होती है, वह बच जाए।

मैं रक्षा मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि शायद उनको मालूम होगा कि उनके आफिस के अन्दर, श्री वैंकटरामन और श्री सिंहदेव जी के आफिस के अन्दर इस सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई गई थी। कैन्टोनमेंट बोर्ड में आल्रेडी सेक्शन होने के बाद पूना में जब कागजात को भेजा गया, तो वहां पर दो साल डिले हुई और यह सही काम नहीं हुआ। इसलिए मैं रक्षा मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि पूना को भेजने की बजाए, जो केन्टोनमेंट बोर्ड है, जो एक इलेक्टेड बोर्ड है और मिलिट्री का कमान्डर इसका सदर होता है, क्यों न वहीं पर सैंकशनिंग आथेरिटी कर दी जाए। अगर ऐसा किया गया, तो यह बहुत मुनासिब बात होगी।

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे लोक सभा या राज्य सभा या विधान सभा या सरपंचों की मीटिंग होती है, तो वहां पर जो सदस्य आते हैं, उनको सिटिंग फी दी जाती है, इसी तरह से यहां पर भी मीटिंग करने के लिए आनरेरी सीटिंग फी होनी चाहिए। जैसे कारपोरेशन का चुनाव होता है या विधान सभा का चुनाव होता है, उसी तरह से यहां भी होता है और मीटिंग एटेंड करने के लिए जो लोग आते हैं, उनको सिटिंग एलाउन्स देना चाहिए और उनकी दूसरे मेम्बरों की तरह से रेस्पैक्ट होनी चाहिए।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कैन्टोमेंट के सैनिकों के लिए काम करने वाले जो बराबर होते हैं, बड़े शर्म की बात है कि 35 साल भारत की आजादी के बाद भी, कुछ ऐसी फार्सेज हैं, कुछ ऐसे काम करने वाले हैं, जिनसे कान्ट्रेक्ट बेसिस पर काम लिया जा रहा है। जब श्री सी० पी० एन० सिंह रक्षा मन्त्रालय में थे, तब उनके जमाने में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस कान्टैक्ट सिस्टम को एबोलिस किया जाए। 5-5 और 10-10 साल से वे एक बोडेड लेबर की तरह से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम को एबोलिस किया जाए।

एक और बात यह कहना चाहता हूं कि कैन्टोन्मेंट के लिए जो ग्रान्ट दी जाती है, वह तीन टाइप्स आफ कैन्टोनमेंट मान कर सैक्शन होती है । श्री सिंह देव और श्री वेंकटरामन को मैं दावत देता हूं कि वे कभी कैन्टोमेंट्स को देखने आएं और वहां का टूर करें । वहां पर जो रोड्स है, उन की कंडिशन बहुत खराब है । आज हमने डिफेन्स के लिए काफी रकम रखी है । क्यों नहीं वहां पर जो सिविलियन लोग हैं, उनकी एमेनिटीज को आप बढ़ाते हैं । उनके लिए कम्यूनिटी हाल आप बनाइए । आप यह भी देखेंगे कि आज कन्टोनमेंट्स एलम्स से भरे पड़े हैं ।

आप जो स्पेशल ग्रान्ट देते हैं, वह काफी नहीं है और वहां पर जो एलम्स हैं, उनको ठीक करने के लिए आप उनको और सहायता दीजिए । वे लोग भी पार्लियामेंट और विधान सभाओं के चुनावों में भाग लेते हैं और अपना वोट डालते हैं । जिस समय हम चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं, तो लोग हमसे पूछते हैं कि एक सदस्य की हैसियत से आपका क्या कन्ट्रीब्यूशन रहा है ।

वे लोग पूछते हैं, कि आपने हमारी समस्याओं के बारे में क्या किया है ।

इस बिल का समर्थन करते हुए मैं रक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ग्रान्ट सिस्टम को बदल दीजिए । इसमें इजाफा करिए । हमारे यहां सिकन्दराबाद कैन्टोनमेंट एरिया कीबुरी हालत हैं । कई स्लम एरियाज हैं । शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस पापूलेशन की वहां पर मेजारिटी है मैं समझता हूं कि आप इस ओर विशेष ध्यान देंगे मुझे जो समय दिया गया है इसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं ।

1924 में एक्ट बनाया गया था और आज 1983 में यह एक्ट पेश कर रहे हैं । मैं अभी तक इस एक्ट की मंशा को नहीं समझ पाया हूं । आज हिन्दुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश कहा जाता है । ऐसे देश में इस तरह का बिल कहा तक उचित होगा, इस पर विचार करना चाहिए ।

मैंने इस बिल को देखा है । इसमें बेसिक चेंजेज क्या किए गए हैं । आज भी वहां के नागरिक शासन करने के लायक नहीं हैं? क्या हम लोग वहां पर अस्पताल, सड़क, स्कूल और रोशनी की व्यवस्था नहीं कर सकते? हिन्दुस्तान में लोगों ने लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास किया है और हमारी बुद्धि को आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी है । या तो आप सिविक एमिनिटीज के लिए फुल-फ्लेज्ड म्यूनिसपेलिटीज घोषित कीजिए । आप देखिए कि इसमें बाइस चेयरमैन इलेक्टेड होगा और चेयरमैन इलेक्टेड नहीं होगा । इल्क्टेड वाइस चेयरमैन एक सरकारी अधिकारी के नीचे काम करेगा । सारे बिल में नौकरशाही हावी है । आप जैसे व्यक्ति के सभापतित्व में इस बिल परविचार किया जा रहा है ।

मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को आप सलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए । इसको प्रतिष्ठा

का प्रश्न मत बनाइये। आप सुओमोटो मूव कर सकते हैं। मानसून सेशन में इसको ला सकते हैं।

इसमें चेंजेज क्या हैं। रक्षा मन्त्री जी से इसमें सिविक राइट्स दिए हैं। इलेक्टेड आदमी को अधिकारी के नीचे रख दिया और सारा काम दिल्ली से शासित होगा। यह कौन सा तरीका है। सिविक काम करने के लिए दिल्ली के साउथ एवेन्यू के चक्कर लगाने होंगे। अगर कोई मिनिस्टर को कहे कि आप सेक्रेटरी के नीचे काम करिए तो कैसा लगेगा। मैं अपने शहर की म्यूनिसपेलिटी का 20 साल तक चेयरमैन रहा हूं। मैं इस बात को कह सकता हूं...।

सभापति महोदय : मेरे विचार में नौकरशाही प्रजातन्त्र का ही अंग है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैंने इस बिल को पढ़ा है। कुत्ते के लिए इस बिल में एक पेज लिखा गया है और वाइस चेयरमैन के लिए चार लाइनें लिखी गई हैं।

सभापति महोदय : क्या आप कल भी अपना भाषण जारी करना चाहेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं जारी रखना चाहूंगा।

इसको आप सलेक्ट कमेटी को भेजें और प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए।

असम की स्थिति के बारे में गृह मन्त्री द्वारा मई, 1983 को सभा में दिए गए वक्तव्य पर चर्चा

सभापति महोदय : अब सभा में नियम 193 के अधीन असम की स्थिति पर चर्चा होगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं नियम 193 के अधीन गृह मन्त्री महोदय द्वारा असम की स्थिति यह कल दिए गए वक्तव्य से उत्पन्न होने वाले कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर) : प्रधान मन्त्री कहां हैं ?

सभापति महोदय : मेरे विचार में मन्त्री तो यहां पर उपस्थित हैं। गृह मन्त्री महोदय भी यहां उपस्थित हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : उनके यहां सभा में उपस्थित होने के लिए कितनी लाशें चाहिए ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नेली एक ऐसा नाम है जो सारे देश में जाना जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जो आसम में राज-मार्ग पर पड़ता है और जहां हजारों लोगों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया, जिनके चित्र हमने कई पत्रिकाओं में देखे हैं।

परन्तु नैली की घटना 18 फरवरी, को घटी थी और आज 5 मई को हम उस नवीन साक्ष्य के प्रकाश में इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं जो कि 'इण्डिया टुडे' में एक लेख के रूप में प्रकाशित हुआ है और जिसके लेखक अरुण शौरी हैं। इसे यहां सदन में मेरे माननीय मित्र श्री मधु दण्डवते जी लाये थे जो कि हमारे दल के नेता भी हैं और उन्होंने उस विषय पर चर्चा की मांग की है। परन्तु बैलट की वजह से मेरा नाम पहले आ गया है। इसलिए मैं चर्चा में पहले भाग ले रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : बुलेट (गोली) से बैलट कहीं अधिक अच्छा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री मधु दण्डवते द्वारा चर्चा की मांग किये जाने पर सेठी महोदय ने एक लम्बा वक्तव्य दिया था और मैंने बड़ी सावधानी के साथ उनके वक्तव्य को पढ़ा है और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि सेठी महोदय ने इस समस्या से निपटने में, उस सामग्री से निपटने में कैसा रुख अपनाया है, जिसे कि उन्हें वास्तव में सदन के समक्ष रखना चाहिये। वह अपने वक्तव्य में कहते हैं।

> "इस अवस्था में इस आशय का कोई भी उग्र वाद-विवाद कि क्या गड़बड़ हुई और कौन उत्तरदायी हैं न केवल पूर्णकालिक है, अपितु समझौता और स्थिति ठीक करने की इस प्रक्रिया को भी उलट-पुलट कर देने की भी सम्भावना है। किसी प्रकार की उन प्रशासनिक खामियों का बचाव करने का हमारा कोई इरादा नहीं है जो कि प्रबन्ध किए जाने के बावजूद आ गई हों। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि एक चुनी हुई सरकार सत्तारूढ़ है और उसे अवसर मिलना चाहिए और यह भी"...

सेठी महोदय उग्र चर्चा के विरुद्ध हैं। क्यों हम सभी उन वाद-विवाद के विरुद्ध हैं। किसी भी उग्र वाद-विवाद से कुछ भी उपलब्धि होने वाली नहीं है और कोई भी उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। परन्तु तथ्य यह हैकि हम यहजानना चाहते हैं कि क्या हुआ। यदि यहां होने वाली वाद-विवाद समाचार-पत्रों में छपता है और उससे समस्याएं उठ खड़ी होने की सम्भावना है तो सेठी महोदय नियमों के अधीन कभी भी सभा का गुप्त सत्र बुला सकते हैं। यदि वह पूर्ण सच्चाई और ईमानदारी से हमारे समक्ष साक्ष्य रखना चाहते और वह परिणामों से डरते तब वह सभा का गुप्त सत्र बुलाने की मांग कर सकते थे। और सदन के सामने सभी तथ्य रख सकते थे। परन्तु मेरे विचार में वह सभा को अंधेरे में रखने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं शुरू में ही बता देना चाहता हू कि मेरा यह आक्षेप नहीं है कि नेली का जन-संहार सरकार के दिमाग की उपज या सरकार ने इसे प्रारम्भ किया था। यहां तक कि अरुण शौरी के लेख में भी यह आरोप नहीं लगाया है। मेरे विचार से श्री सेठी जी को यह बात निश्चित रूप से मान लेनी चाहिए कि हममें से कोई भी यह आरोप लगाने वाला नहीं है कि सरकार ने निर्ममता इस देश के अनेक नागरिकों की हत्या कर दी अथवा उनकी हत्या कर दी जो इस देश में आकर रह रहे थे। परन्तु वास्तव में कुछ लोग यह आरोप लगा सकते हैं। यह देश के बाहर के उन लोगों का भी आरोप हो सकता है जो इस राष्ट्र के सम्मान को धक्का पहुंचाना चाहते हैं।

उदाहरण स्वरूप, 'हाऊस आफ कामन्स' के कुछ सदस्य भारत में 'सरकार द्वारा सुनियोजित हत्या के बारे में एक प्रस्ताव पर बहस करना चाहते थे। इस प्रस्तावित प्रस्ताव पर 'लेबर पार्टी' के वामपन्थी खेने के 100 सांसदों के हस्ताक्षर थे। मैंने यह देखने के लिए कि ये लोग कौन हैं कुछ नाम देखे। और मुझे पता चला कि ये सांसद वे ही लोग हैं जिन्होंने आयातस्थिति का समर्थन करते हुए भारत में आयात स्थिति के दौरान एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

मुझे याद है कि इसी सरकार न इन सांसदों को समर्थन दिया था चौर उनका खूब प्रचार भी किया था। निस्सन्देह, अब 'लेबर पार्टी' के वामपन्थी खेमे सांसदों ने सगठित हत्याओं के लिए इस सरकार की निन्दा करते हुए एक प्रस्ताव लाने का प्रयत्न किया है। मेरे विचार में दोनों ह मामलों में वे गलत थे। उन्होंने आयातस्थिति का समर्थन करके भी गलती की और इस प्रकार का प्रस्ताव लाने का प्रयास करने में भी वे गलत थे।

अत: मामला यह नहीं है कि हम उन्हें यह कहकर कि आपने हत्या करवायीं हैं और आप हत्यारे हैं, कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। मामला वह नहीं है। मामला तो यह है कि नेली की हत्याओं से राष्ट्र की प्रतिष्ठा विश्व की दृस्टि में कम हो गयी है। यह बात तो वे स्वयं ही स्वीकार करते हैं। नेली में जो कुछ हुआ उसके लिए भारत सरकार की निन्दा करते हुए कुवैत की नेशनल असम्बेली ने एक प्रस्ताव पारित किया, है कुवैत एक ऐसा देश है जिसकी इस सरकार को बड़ी चिंता रहती है। वास्तव में, अरबों का मत एक ऐसी बात है जिसके प्रति यह सरकार बहुत ही भावुक है। मित्रता के लम्बे इतिहास के बावजूद भी कुवैत नेशनल असम्बेली ने इस सरकार की निन्दा करते हुए एक प्रस्ताव पास कर दिया था।

मुझे बताया गया है कि गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के दौरान भी कई नेताओं ने निजी रूप से यह प्रश्न प्रधान मन्त्री से उठाया था। मुझे यही बताया गया है। अमरीका स्थित भारतीय राजदूत ने कैपिटल हिल पहुंचने के लिए असामान्य कदम उठाया जहां पर सीनेट भवन हैं और वहां उन्हें समिति के समक्ष औपचारिक रूप से नेली की घटना के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा। **(व्यवधान)** वे सभी समिति के सदस्य थे। आपको बहुत कम सूचना दी गई है। मैं इसे पहले ही सदन में उठा चुका हूं। यह समिति के सदस्यों के साथ एक औपचारिक बैठक थी। समिति के अध्यक्ष द्वारा, समिति के सदस्यों में परिचालित किए गए पत्र की प्रतिलिपि पहले ही 'इण्डिया एब्राड' नामक विदेशी भारतीय पत्रिका में प्रकाशित कर दी गई है। यह प्रश्न करना कि क्या वे कुछ सांसदों से मिले यहां संगत नहीं है। संगत बात यह है कि भारतीय राजदूत इतनी दूर चलकर कुछ सांसदों या कुछेक सेनेटरों अथवा समिति के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कैपिटल हिल गया।

इसी प्रकार सरकार ने यह स्थिति स्पष्ट करने के लिए कि नेली में क्या कुछ हुआ, कुछ अरब देशों को श्री नूरुला इस्लाम को भेजने का फैसला किया है। स्पष्ट रूप से इसका यह मतलब हुआ है कि सरकार अपनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में गिरावट के प्रति अत्यधिक चिन्तित हैं और इसी लिए वे यह सब कुछ कर रहे है।

जब यहां गुट-निरपेक्ष सम्मेलन हो रहा था तो मैं विदेश में था। अमरीका और ब्रिटेन के दूरदर्शन-कार्यक्रम नेली के चित्रों से भरे पड़े थे। इस घटना को लेकर एक बड़े भारी प्रचार का आयोजन किया गया था।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : कैसा प्रचार ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि उन्होंने इसकी तुलना लेबनान के शातीला और शाबरा की घटनाओं से की है। उन्होंने कहा कि लेबनान में तो केवल 380 व्यक्ति ही मरे थे परन्तु यहां पर तो हजारों—लोगों की हत्या की गई है। हमें तुलना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने ऐसा ही प्रचार किया है।

बात के मूल में गये बिना सेठी ने प्रेस पर प्रहार किया है। मुझे इस प्रहार से बड़ा आश्चर्य हुआ है। मैं, जो कुछ उन्होंने कहा है उसे पढ़कर सुनाता हूं। वह कहते हैं :

> "....वस्तुपरक सूचना देने के आदर्शों के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए सरकार की आलोचना करने का सतत प्रयास सभी प्रकार से महत्वपूर्ण बात बन जाती है और राष्ट्रीयहित पूर्णतया उपेक्षित कर दिए जाते हैं। निष्कर्ष पहले ही निकाल लिए जाते हैं और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर उनमें बिठा दिया जाता है।"

यह प्रेस के विरुद्ध एक बहुत ही गम्भीर आरोप है कि वे राष्ट्रहित की उपेक्षा करते हैं। किसी को भी यह पता नहीं है कि वे राष्ट्रीय हित क्या हैं। उनका कहना है कि प्रेस का एकमात्र प्रयास है सरकार की बुराई करना है। यह एक विरोधी सम्बन्ध है। सबसे बढ़कर वे कहते हैं कि निष्कर्ष पहले ही निकाल लिए जाते हैं और तथ्यों को उनमें तोड़-मरोड़ कर बिठा दिया जाता है। यदि इस आरोप को पैरा 9 के साथ पढ़ा जाए तो यह सर्वथा गम्भीर रूप धारण कर लेता है। वे कहते हैं :

> "तथापि, हमारे प्रति भ्रांति गृहमंत्री महोदय, को कभी भी भ्रांति में नहीं रहना चाहिए उन्हें तो सदैव पूर्ण सूचना मिलनी चाहिए।
>
> "....संयोग से। जब गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के सम्बन्ध में, यहां नई दिल्ली में विश्व-भर के देशों के राष्ट्राध्यक्ष एकत्र हुए तो कुछ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में असम में हुई हत्याओं के सुस्पष्ट चित्र छापने के काम को ही चुना। अब फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे लोक-मानस में गलतफहमी ही पैदा होगी और हमारे राष्ट्र की सही प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचेगा।"

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : यह सब सही है। मैंने भी इस बारे में प्रधान मन्त्री को लिखा है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : यह बिल्कुल सही है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह अंग्रेजी में है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं अंग्रेज समझता हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री सेठी संयोगवश इस षड्यंत्र में फंस गए है, यह संयोग क्या है, गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के समय फोटोग्राफ आ गए थे । गुट-निरपेक्ष सम्मेलन मार्च के पहले सप्ताह में हुआ था । नेल्ली हत्याकांड 18 तारीख को हुआ । इस सामान्य तस्वीर को यदि वे प्रकाशित करते हैं उसे प्रकाशित करने की अनुमति देने के पश्चात यह मार्च के पहिले सप्ताह में छपी थी, इस बारे न षड्यंत्र जैसा कुछ भी नहीं है ।

लेकिन श्री सेठी ने आरोप लगाया है कि देश को शेख विश्व की नजरों में गिराने के लिए यह प्रेस का सुनियोजित षड्यंत्र है । यह आरोप बहुत गम्भीर है । मुझे डर है कि श्री सेठी फिर से उन दिनों को लाना चाहते हैं क्योंकि मेरा विचार है आपने उन दिनों से सबक सीखा होगा, लेकिन तथ्य यह है कि श्री सेठी ने इस मामले में सदन को सूचित करने के स्थान पर प्रेस के विरुद्ध आरोप लगाने का रास्ता अख्तियार किया है, यदि प्रेस ने वास्तव में इस ढग से काम किया है तो उनके पास ऐसे संस्थान है जो उनकी सहायता कर सकते हैं, प्रेस परिषद है, आप इन प्रकाशनों की रिपोर्ट प्रेस परिषद से क्यों नहीं करते हैं । मैगजीन को खरीदने के लिए ये दूसरे तरीके को अपनाते हैं और उनकी बिक्री रोकते हैं जैसा कि सरकार कोशिश कर रही है । उन पर मुकद्दमा क्यों नहीं चलाते हैं, भारतीय दंड संहिता में सारी धाराएं भरी पड़ी हैं जिनका उपयोग प्रेस के विरुद्ध देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, श्री सेठी आरोप लगा रहे हैं कि समाचार पत्रों के लिए राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने कोई संस्थागण रूप रेखा नहीं चुनी है । इसके बजाय अभियोग का उत्तर देने के स्थान पर उन्होंने आरोप लगाया है और वह आरोप भी इस सदन में लगाया है वह प्रेस के उद्देश्य पर शंका प्रकट कर रहे हैं ।

मैं लोगों की सत्यनिष्ठा के प्रश्न पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं । श्री स्टीफन यहां पर हैं, उन्होंने श्री अरुण शौरी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिससे मेरी यह धारणा बन गई हैं कि वह यह कहना चाहते हैं कि श्री अरुण सोनी एक गद्दार हैं, मैंने उनकी बातें सुनी हैं, मेरा विश्वास है कि अध्यक्ष महोदय को श्री अरुण शौरी गालीवा एकदम मिला है जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि वह एक गैर सरकारी नागरिक है, उनके पास श्री स्टीफन के साथ बहस करने के लिए कोई सामान्य मंच नहीं है लेकिन श्री स्टीफन ने यह हमला करने का राउ आक्तिमय किया है । अब मुझे श्री शौरी का बचाव करने की जरूरत नहीं है, वह अपनी कलम से अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन मैं काफी समय से उनके बारे में मैं नहीं जानता हूं मै कहता हूं कि उसके साथ किसी के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनकी सत्यनिष्ठा, देश के प्रति समर्पण की

भावना के बारे में किसी प्रकार के संदेह की गुजाइश नहीं है, वह हममें से किसी भी कार्य की तरह एक देशभक्त है ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति महोदय, मेरा पायंट आफ आर्डर है । माननीय सदस्य आसाम की समस्या पर बात कर रहें हैं या शौरी को हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं ? यह क्या बात कर रहे हैं ? यह विषय आसाम का है, लेकिन यह कभी किसी के बारे में कह रहें हैं और कभी किसी को हीरो बना रहे हैं । इनकी गाड़ी पटरी से उतरती जा रही है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने उनकी बातें नहीं सुनी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री शौरी पर हमला किया जा सकता है और उनका बचाव भी हो सकता है मेंरे विचार से उनको यह अधिकार है ।

सभापति महोदय : जो भी हो आपका अच्छा विचार है ।

डा० सुब्रण्ह्मायम स्वामी : मैं श्री शौरी को एक गायक बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हू यहां केवल शौरी ही नहीं है पत्रकारों की नई पीढ़ी आ रही है यहां श्री एम० जे० अकलर भी है जो 'टेलीग्राफ' के सम्पादक हैं और वह भी एक जाकरुक व्यक्ति हैं ।

सभापति महोदय : हां है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेंकिन यह मामला यहां पर उठा गया है मैं भावी पीढ़ियों के लिए रिकार्ड करने के बारे में सोचता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : दूसरे दिन जब माननीय गृहमन्त्री ने इस मामले को स्पष्ट कर किया कि वह आसाम की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देने वालें हैं तो कुछ सदस्य उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा—"क्या इसमें श्री अरुण शौरी का इंडिया टुडे में लिखा लेख भी शामिल किया जाएगा" और हमें आश्वासन दिया गया था कि उसमें भी उनके वक्तव्य में स्थान मिलेंगा और श्री शौरी ने भी लिखा था यह उसकी उल्लेख करने के बिल्कुल समीचीन था ।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री सेठी के वक्तव्य पर यह 193 एक प्रस्ताव है । श्री सेठी का वक्तव्य पूरी तौर पर श्री शौरी के लेख पर आधारित है, जैसा उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, श्री दंडवतें ने ठीक कहा है, परन्तु 193 प्रस्ताव का पहला वक्तव्य यह दर्शाता है कि मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि :

(व्यवधान)

प्रेस पर राष्ट्रद्रोही होने का आरोप लगाते हुए उस पर हमला हो रहा है, मेरे लिए यह कहना जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि देश को इस बात से जाहिर होना चाहिए कि अनुसंधानात्मक पत्रकारिता एक तभी फसल तैयार हो रही है, केवल श्री शौरी ही नहीं, बल्कि श्री अकबर, हिन्दू के श्री राय और अनेकतम रूप है जो यह काम कर रहे हैं।

आचार्य भगवान देव : सभापति जी, मुझे इस पर आपत्ति है राम के साथ पत्रकार राम की तुलना करना राम की अवहेलना है। इसको निकाल दीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मै सोचता हूं कि मैं यह कहते हुए पूरी तौर से अपनी सीमा के भीतर हूं अचानक प्रेस के प्रति लोग इतने नाराज क्यों हो गए हैं, मुझे नहीं मालूम, यह एक खतरनाक संकेत है, मैं उनके लक्ष्य में प्रश्न पर चर्चा करना पसन्द नहीं करूंगा मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मैं सरकार के उद्देश्य पर ऊंगली नहीं उठाऊंगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने हत्याओं का आयोजन किया, उन्होंने हत्याओं का षड्यंत्र रचा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह हत्याकांड क्यों हुआ ताकि दुबारा ऐसा न हो। प्रश्न है कि क्या हुआ। यह बात महत्वपूर्ण हैं, हमें इस लेख में जिसका उल्लेख अपने वक्तव्य में श्री सेठी ने किया है, इस दृष्टि से देखना है। इस लेख में लगाया गया आरोप बहुत गम्भीर है और यदि यह सच नहीं है तो श्री सेठी द्वारा किए गए खंडन की अपेक्षा और अधिक तथ्यों से और प्रमाणों इसका खंडन करने की जरूरत है, 'इंडिया टुडे' के पृष्ठ 66 में आरोप लगाया है, जो आरोप लगाया गया है मैं उसे पढ़ूंगा। श्री शौर ने कहा है :

"नैल्ली में और उसके आस-पास हत्या काण्ड से दो दिन पहले 16 फरवरी को जामीर ऐड पुलिस स्टेशन को सहायता हेतु विशेष अनुरोध किया गया था। फरवरी 18 को भी जैसाकि मैंने पहिले भी कहा है, हत्या काण्ड 8 बजे सुबह शुरू हुआ। यदि हम उनकी बात को भी लें सो जागीर ऐड पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को हत्याकाण्ड की सूचना 10.35 प्रातः को मिल गयी थी जागीर ऐड पुलिस स्टेशन की सामान्य गयी में 18 फरवरी 83 की प्रविष्टि संख्या 4671 फिर डायरी सी० आर० पी० एफ के सिपाहियों के साथ पुलिस पार्टी उस क्षेत्र में 3 बजे दोपहर बाद तक नहीं पहुंची थी।"

हत्या काण्ड 8 बजे सुबह शुरू हुआ था। पुलिस रिकार्ड दर्शाता है कि 10.35 बजे सुबह के बाद उन्हें खबर मिली फिर भी 3 बजे दोपहर बार तक उन्होंने कोई बचाव दल नहीं भेजा।

"नैल्ली, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, राष्ट्रीय राजमार्ग में हैं और इसे गांव कच्चे लेकिन मोटर वाहन चलने योग्य सड़कों से जिनकी शाखाएं राष्ट्रीय राजमार्ग को जाती है, उठड़े हुए हैं।"

"और नैल्ली भी एक ऐसी जगह है जहां हत्या काण्ड हुआ।"

लेख में यह आरोप लगाया गया है और किसी लोक तांत्रिक देश में यह बात बिल्कुल उचित हैं कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को प्रकाशित सामग्री को प्राथमिक जांच के लिए एक प्रमाण के तौर पर आयोग किया जा सकता है, लेख में जो कहा गया है उससे स्पष्ट है काफी समय पूर्व सूचना उपलब्ध थी लेकिन वचाब दल जिसे भेजा जाना चाहिए था उसे नहीं भेजा गया, यद्यपि राष्ट्रीय मार्ग पर स्थिति था। यही वह बात है जिस का गृह मन्त्री को समुचित उत्तर देना है। और जो हमें सन्तुष्ट कर सके।

सभापति महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, मैं सोचता हूं दण्डवते भी बोलेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह नहीं बोल रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं भाषण समाप्त कर मैं एक बहुत अप्रिय वक्तव्य दे रहा हूं...

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : ऐसी बात तो नहीं है कि आप फेटबुल हो।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह रूप देखना मुझे बहुत अप्रिय है।

सभापति महोदय : सभापति को क्यों अप्रिय महसूस करना चाहिए ?

श्री सी० एम० स्टीफन (गुल वर्ग) : वह प्रत्यक्ष रूप से प्रति पथ के साथ हैं। लेकिन उनका दिल हमारे साथ है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : और उनका दिमाग प्रेस के साथ है।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने उनके उद्देश्य पर ऊंगली नहीं उठायी थी। मैं यह उत्तर दे रहे हैं।

गृह मन्त्री नें दूसरी किस बात का उत्तर देना है वह यह है, स्पेशल ब्रान्च के इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस ने इस साल 5 कार्य को आसाम सरकार को एक रिपोर्ट पेश की थी, यह रिपोर्ट वहां पर है, यह सरकार के पास उपलब्ध हैं, सरकार को इसे सदन के सभा पटल पर रखना चाहिए। यदि सरकार ऐसा महसूस करती है कि यह बहुत नाजुक मामला है जो यदि छप गया तो फिर दंगा हो सकता है, तो सरकार ऐसी प्रक्रिया अपना सकती है जैसाकि तुल मोहन राम के मामले में हुआ था वह यह है कि इसें अध्यक्ष के कमरे रख दिया जाए और जिस प्रकार हम केन्द्रीय जांच ब्यूरों की डायरियां देखते हैं वैसे ही हमें उसें देखने दिया जाय। हमें स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट देखने की अनुमति दी जानी चाहिए। श्री सेठी ने इस बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया है। यहां तक कि उन्होंने इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया है। कि क्या हम दस्तावेज करने संसद

सदस्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। यदि वह हमारा सहयोग चाहते हैं तो उन्हें हमें अपने विश्वास में लेना चाहिए इसके बिना प्रतिपक्ष के लिए सहयोग देना असभव होगा।

यदि यह सब सच है तो एक बहुत गम्भीर गलती ही हुई है और यह गलती इतनी गम्भीर है कि हमें उनसे त्याग पत्र देने के लिए कहना पड़ेगा इसलिए इस सरकार को इस बात को गम्भीरता से लेना है। 3000 निसीह लोग मारे गए हैं और इस खून से किसी न किसी के हाथ रगे हैं, वे हाथ किसके हैं? जैसा कि लेडीमैक ने कहा था यदि अरब के सारे इस से भी उन हाथों को धोया जाय तो भी उनकी बदलू नहीं जायेगी। 300 लोग मर गए। उनको फोटो छपी ही उनमें महिलाए है, बच्चे हैं, आप इसका क्या जवाब देंगे? एक जांच होनी चाहिए जो तथ्यों पर आधारित हो। इसीलिए प्रति यथा श्वेत पत्र की मांग कर रहा है। वे श्वेत पत्र पेश क्यों नहीं करते हैं श्वेत पत्र का आशय क्या है सरकार के पास जितनी उपलब्ध सामग्री है उसे प्रकाशित किया जाय और सदन में रखी जाय।

श्री सी० एम० स्टीफन : कागज काला नहीं है,

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस श्वेत पर और अत्याधिक जांच के माध्यम से काले कारनामों को लिपि बद्ध किया जाना है। न्यायिक जांच में क्या विशेष बात है। वह तो उनकी तरफ से स्वतः किया जाना चाहिए था।

विश्व में कई ऐसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र हैं, जो बिना किसी हिचकिचाहट के किसी न्यायिक जांच के लिए सहमत होते हैं। यह आप पश्चिम अथवा पूर्व के प्रजातांत्रिक राष्ट्रों को उदाहरण लें या जापानी अथवा जर्मन अथवा अमेरिकी मामलें को लें तो आपको पता चला चलेगा कि इस प्रकार की किसी घटना पर स्वयंमेव न्यायिक जांच होती है... (**व्यवधान**) आप क्या कहते हैं? यहां तक कि युद्ध के दौरान इजरायल में जब सब्रा और चतीला में जनसंहार हुआ तो उन्होंने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जांच करवाने के आदेश किए। आप इस पर सहमत क्यों नहीं हो सकते? उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को इसकी जांच करने हेतु नियुक्त किया जाए। आप जब तक कोई बात छिपाकर रखना चाहेंगे ने तब तक आप इससे मुकरते रहेंगे।...

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई-दक्षिण) : दूसरे शब्दों में सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह कहूंगा कि यदि ये सभी आरोप सच हैं तो सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। मैं अभी भी आपको संदेह का लाभ दे रहा हूं...(**व्यवधान**) निष्पक्ष जांच में आपको दूसरे पक्ष को भी सुनने का मौका देना चाहिए...

सभापति महोदय : आपको समय का भी ध्यान रखना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प पेश कर रहा हूं। नेली के लोगों के बारे में आपको विचार करना होगा।

माननीय मन्त्री के वक्तव्य के पैरा 10 में इस बात का उल्लेख है :—

"मैं उन निराधार आरोपों का दृढ़तापूर्वक विरोध करूंगा जो तथ्यों को छिपाने अथवा रिकार्ड गायब करने हेतु कि धारणा को लेकर सरकार पर लगाए गए हैं। जहां तक सरकार का संबंध है, कोई भी बात छिपाई नहीं नहीं गई है और हम सभा से कोई भी बात नहीं छिपायेंगे।"

तो फिर एक श्वेत पत्र क्यों रखा जाता है ? न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई जाती ? आप उन सामान्य मांगों को नहीं मान रहे हैं जो किसी प्रजातांत्रिक समाज में की जाती हैं और तब आप कहते हैं कि आपने कुछ भी छिप पर नहीं रखा है मैं समझता हूं कि उनके प्रतिरोधन के कारण उन्हें कोई बात छिपानी पड़ी है।

मैं जिस अंतिम प्रश्न को कहना चाहता हूं वह यह है कि नेली में हुए जनसंहार के अतिरिक्त और भी जनसंहार हुए हैं—यह मुझे इस लोप से विश्वास होता है।

असम में यह स्थिति कब तक चलती रहेंगी ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे सारा देश पूछ रहा है। इसका हल क्यों नहीं निकाला जा रहा है ? मैं नए दृष्टिकोण से देख सकता हूं। इस संबंध में मैं गृह मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का उल्लेख करता हूं। वह कहते हैं :—

"लम्बे समय से चला आ रहा आन्दोलन जिसे बाद व्यापक और युद्धकारी रूप दिया गया अब दुःख और विनाश के चिह्न छोड़ गयी है।

वह स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि यह अन्दोलन लम्बे समय से चला आ रहा है और यह शांतिपूर्ण था किन्तु अब इसे व्यापक और युद्धकारी रूप दिया गया है, जो अब दुःख और विनाश का कारण बनकर रह गया है। शांतिपूर्ण आन्दोलन में हिंसक कदम उठाने के लिए जिम्मेदार कौन है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या लोगों की निराशा इसके लिए जिम्मेदार है ? क्या इसे कुछ अन्य एजेन्सियों द्वारा प्रेरित किया गया है ? इसे सिद्ध करना है ? मैं यह कहूंगा कि जिसकी आप निंदा करते हैं और जिसकी भर्त्सना के लिए आप इस लेख को पढ़िये। इस लेख में आपको कुछ ऐसी एजेंसियां मिलेगी, यदि आप इसे सावधानी से पढ़ें, तो वे हिंसात्मक रूप देने में सक्रिय हैं, किन्तु मैं चाहूंगा कि सरकार को आगे आना चाहिए। हमें इसकी जांच क्यों करनी चाहिए ?

उसे आगे आकर हमें यह बताना चाहिये कि इसे यह गति प्रयास करने अथवा अशांतिपूर्ण बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है। महोदय, मैं कहता हूं कि हमारी जनता पार्टी की असम के प्रश्न पर एक स्पष्ट नीति है और हमने जितना हो सकता था, इसके हल के लिए योग दान दिया है।

हम सिद्धान्तों को बहुत विश्वासपूर्वक मानते हैं कि इस देश के नियमों का आदर किया जाना चाहिए। संविधान और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान किया जाना चाहिए। हमने

विदेशियों के जाति वाद के सिद्धान्तों पर विश्वास नहीं किया । निस्सन्देह असम की कोई उप-संस्कृति है जिसकी रक्षा की जानी है । प्रश्न यह है कि इसकी रक्षा कैसे की जाए । निस्सन्देह हम विश्वास करते हैं कि यदि हमारे पास मतदाता सूची हो तो वह अवैध रूप वैसे विदेशियों से रहित होनी चाहिए । उसके बाद इस मतदाता सूची के आधार पर जो सरकार चुनी जाएगी, वही असम की उप संस्कृति को सुनिश्चित करेगी । यह उस पर सुनिश्चित करेगी कि उप संस्कृति की रक्षा हो जाए । किन्तु दुर्भाग्यवश यह सरकार इस तरह से चलने की स्थिति में नहीं है और क्योंकि राज्य नितिकता की कमी के कारण तथा अवैध विदेशियों के मतदाता होने के कारण उन्होंने उनका नाम निर्वाचन सूची से हटाने से रोका है । यह मैं नहीं जानता । लेकिन आपको इस समस्या की ओर अवश्य ध्यान देना होगा और इस समस्या का हल करना होगा । आपको यथा शीघ्र बातचीत शुरू करनी चाहिए और इसका कोई हल ढूंढे निकाना चाहिए ताकि देश इस पृथकतावादी दृष्टिकोण को समाप्त कर सके। धन्यवाद ।

सभापति महोदय : श्री स्टीफन ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अपने साथी श्री देव को मौका देना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : वह अपने से छोटे को मौका देना चाहते हैं ।

सभापति महोदय : श्री सन्तोष मोहन देव ।

श्री सन्तोष मोहन देव : सभापति महोदय यह चर्चा श्री स्वामी द्वारा की गई थी वह गलत विकेट पर खेल रहे थे हमने पिछले पांच वर्ष के अनुभव में यह देखा है कि इस सभा में हमारा विपक्ष सभी प्रकार की बातें लाते है । और सभी प्रकार के आरोप लगाते हैं उदाहरण के लिए श्री अरुण शौरी द्वारा लिखित यह लेख इस सम्मानित सभा के समय लाया गया है जिसमें कुछ आरोप हैं और इसे सभा के समय बार-बार लाया गया है किन्तु इस बहुत बड़े जनसंहार के लिए कौन जिम्मेदार है जो आसाम में हो रहा है ।

16.28 **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

महोदय श्री अरूण शौरी ने अपने लेख में इस स्रोत से यह बताया है कि आसाम में आर० एस० एस० और भारतीय जनता पार्टी के तत्व बहुत सक्रिय हैं कुल मिलाकर आसाम में हुए इस जनसंहार के लिए वे ही जिम्मेंदार है जब सरकार कहती है कि 2000 या 3000 व्यक्ति मरे तो वे कहेंगे 5000 व्यक्ति मरे वे कहते हैं कि मरने वालों की यह सही संख्या है । यह बहुत दुर्भाग्यजनक बात है गुप्त चर्चा की रिपोर्ट जो कि गुप्त दस्तावेज हैं श्री अरुण शौरी द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है बल्कि यह सिद्ध करती ह कि चुनाव से पूर्व और बाद में समस्त असम में पुलिस निरन्तर सतर्क रही गृह मन्त्री ने अपने वक्तव्य पृष्ठ 3 के पैरा 5 में ठीक कहा है कि मुझे दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए कि :

"प्रशासन के हाथ में बहुत अधिक दबाव में काम कर था । इन परिस्थितियों मैं यह संभव हैं कि उसमें अवश्य ही कुछ कमियां रही होगी इसीलिए राज्य सरकार ने दंगों की

जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय किया है इस जाच में सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।"

किन्तु उस जांच के होने से पूर्व और उस पर चर्चा करने से पूर्व अरुण शौरी का लेख यह उल्लेख करता है कि हमारी सरकार को "आल असम व स्टूडेन्टस यूनियन" के साथ बातचीत करने के लिए विपक्षी दलों को भी शामिल करना चाहिए और राष्ट्रीय दलों द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार करना चाहिए वे यह समझने में विफल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है में जनता पार्टी का नाम नहीं लूंगा उसने चुनाव का बहिष्कार किया है उससे पूर्व इस पार्टी के लोगों में हिंसा का रस्ता अपनाकर चुनाव का बहिष्कार किया।

कैसे इस बात को सभा के समक्ष उन दो विवरणों से साबित किया जा सकता है जो असम के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। महोदय श्री वाजपेयी ने 9 मार्च को असम में किसी एक स्थान में अपने वक्तव्य में जो 9 मार्च के असम ट्रिब्यून के पृष्ठ 4 में छपा है यह मांग की थी कि सरकार को कोई सरकारी घोषणा करके इस बात की पुष्टि करनी चाहिए अथवा देश के लोगों पर आधुनिक और अत्याधुनिक हथियारों से सज्जित राजाकरों और हेलीकाप्टरों द्वारा आक्रमण करने की गतिविधियों की रिपोर्ट को इन्कार करना चाहिए।

यदि यह सच था तो वह जानना चाहते थे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है, इस बीच सरकार ने सम्पूर्ण मामले से इन्कार किया है। श्री वाजपेयी ने 9 मार्च को यह वक्तव्य दिया था। सरकार द्वारा इससे इन्कार किया गया जबकि श्री वाजपेयी ने अपने भाषण में इस स्थान की पुष्टि की थी जोकि नेली से केवल कुछ ही किलोमीटर दूर है, जबकि कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता कोई बयान देता है और असम के समाचार पत्रों में प्रकाशित वक्तव्यों पर विश्वास करता है तो आप यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वहां शांति है और असय में लोग शांति से रहेंगे।

महोदय, मैं आपका ध्यान एक ओर लगाता। तथा भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं। जब पिछले दिन मैंने भाषण दिया तो उन्होंने मुझे चुनौती दी किन्तु आज मेरे पास टेप है और टेपरिकार्ड भी बाहर हैं। (व्यवधान) उन्होंने मुझे कहा कि प्रेस ने जो कुछ समाचार प्रभारित किया है वह सही नहीं है लेकिन आज इस सभा में मेरे पास श्री वाजपेयी का दस पृष्ठ का शब्दशः भाषण है, जो उन्होंने जो हाल में दिया था, मेरे पास उनके भाषण का 'टेप' है, यदि अध्यक्ष मुझे अनुमति दें तो इसे सभा में चलने को तैयार हूं अथवा इस चर्चा के समाप्त होने पर आप आ सकते हैं आप इसे सुन सकते हैं।

महोदय, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि श्रीमती गाधी ने पहले एक सरकार बनायी थी जिनमें दो विदेशियों को मंत्री बनाया गया था। ये दो विदेशी कौन हैं? ये दो मुसलमान मंत्री हैं जिनकी विदेशी होने की पुष्टि हो गई है। वह असम हिन्दुओं और असमियों को मुसलमानों के विरुद्ध भड़काते हैं। इतना ही नहीं उन्होंने भाषण में, जो हिन्दी में दिया था, केवल इतना ही नहीं

कहा बल्कि यह भी कहा—मैं इसका हिन्दी में अनुवाद का रहा हूं : ''यदि पंजाब में कोई विदेशी आता है तो 12 घंटे के अन्दर या तो जेल में होगा अथवा लोग उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उनका शव फेंक देंगे।''

यह उनका भाषण है। मैं इसे सभा पटल पर रख सकता है। मैंने इसका अनुवाद हिन्दी स्टेनों ग्राहों की सहायता से करवा दिया है और मैं इसे अब सभा पटल पर रख सकता हूं। यही भाषण श्री वाजपेयी से असम में दिया था।

श्री रतन सिंह राजदो : क्या यह प्रमाणित संस्करण है ?

श्री संतोष मोहन देव : मैं आपको दे सकता हूं यह अत्यन्त रुचि पूर्ण बात है कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी और प्रोफेसर दण्डवते मौजूद—हैं, लेकिन श्री वाजपेयी उपस्थिति नहीं हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्योंकि सुब्रह्मण्यम स्वामी ने चर्चा आरम्भ की थी इसीलिए श्री वाजपेयी अनुपस्थिति—हैं।

श्री संतोष महोन देव : हमें एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए—कि ...आप 'टेप' देखना चाहते हैं 'टेप' यहां मेरे पास है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री संतोष मोहन देव : केवल इतना ही नहीं, मैं प्रोफेसर दण्डवते और डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी पूछना चाहता हूं, महोदय, सभा में वे अब गृह मंत्री पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सभा में प्रेस के विरुद्ध वक्तव्य दिया है। किन्तु मैं सभा में जाना चाहूंगा कि आसीत में असम सभा के विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों से शांति और साम्प्रडायिक एकता बनाए रखने हेतु अपील करने के लिए अपने एक संकल्प पा.ा किया था तो असम में अस्थिता पैदा करने हेतु आप फिर लोक और में राज्यसभा अरुण शौरी का लेख लेकर क्यों आए हैं। आप सरकार की बात स्वीकार भले न करें किन्तु रिकार्ड बताएगा कि असम में पिछले 20 दिनों से सामान्य स्थिति है, महोदय, आल असम स्टूडेन्ट्स यूनियन के एक वर्ग ने स्वयं अपने संगठन के विरुद्ध आवाज उठाई है। 'आसू' के अध्यक्ष के बयान दिया है कि 'आसू' आक्रमणकरियों को शहीदों के रूप में क्यों बता रही है। के इसको पढ़ेंगे। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि असम में स्कूल और कालेज खुल गए हैं। क्या मैं भी प्रो० मधु दण्डवते और डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी की तरह यह चाहूं कि असम शांति न हो ? वे असम में हाल ही में निर्वाचित सरकार के विरुद्ध वहां अस्थिरिता की स्थिति पैदा करके असम के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें असम में रहने वाले दो करोड़ लोगों और पश्चिम बंगाल सहित सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले अन्य दस करोड़ लोगों के बारे में सोचना चाहिए। वे वहां अस्थिरिता पैदा करने के लिए असम को एक आधार बनाना चाहते हैं। इस सभा में हमने कई चर्चाएं कीं। आज डा० सुब्रह्मण्यम ने कहा है कि वह मृतकों की संख्या के बारे में सरकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं इसके लिए उनका धन्वाद करता हूं। मैं भी उनकी तरह यह कहता हूं कि

हमें उन दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए, जिन्होंने असम में यह काम किया है। जब सभा में आना नहीं हो तो पहला काम यह है कि हम आग भुजाये और फिर सिचाई का पता लगाएं। क्या आप इस आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं यह कहने में खेद व्यक्त हूं कि सी० पी० आई० एम० और सी० पी० आई० ने चुनावों में भाग लिया था। चुनाव में उनकी हार हुई है और उनके पशु मारे गए है। फिर वे एक इंच भी आगे नहीं बढ़े। इस सभा में उन्हें ने बार-बार कहा है "हां, हमने चुनाव का समर्थन किया है।" इस लेख में अरुण शौरी ने हमारी सरकार और प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की निन्दा की है। उन्होंने कहा है कि असम में चुनाव व्यवस्था इस तरह से की गई जिसमें कांग्रेस (आई) पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुसलमानों का समर्थन प्राप्त कर सके। किन्तु इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इस देश के मुसलमान, हरिजन और आदिवासी लोग हमेशा श्रीमती इन्दिरा गांधी का समर्थन करते हैं।

केवल इसी आशा से वे इन्दिरा गांधी की सरकार को सत्ता में लाए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें असम की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। यह स्थिति वहां कुछ तत्वों ने पैदा की है और वे तत्व उग्रवादी तत्व है। लेकिन मैं 'आसू' के सभी लोगों का नाम नहीं लूंगा, असम में कुछ तत्व ऐसे हैं, जो गड़बड़ पैदा कर रहे है।

असम में एक समय था जब सरकारी कर्मचारियों पुलिस तथा अन्य लोगों का एक बड़ा वर्ग भावनात्मक रूप से ग्रस्त था, श्री वाजपेयी जसे लोग वहां भाषण देने जाते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। लोग अब समझ गए हैं, एक समय असम में भारी अव्यवस्था थी। लेकिन अब हमें यह देखकर खुशी है कि वहां 99 प्रतिशत लोग अब एकता की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अब यहां नाजुक विषयों पर चर्चा करेंगे, तो स्थिति बिगड़ जाएगी।

मैं नहीं जानता कि किस प्रकार खुफिया रिपोर्ट और गोपनिय मामले अखबारों में छप जाते हैं। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट से यह सिद्ध हो जाता है कि सरकार कार्यवाही कर सकती थी। हां वहां कुछ असफलताएं रही हैं और वहां मौतें हुई हैं कोई भी नहीं चाहता कि इस ढंग से यह चुनाव हो। लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए यह स्थिति किसने पैदा की? इसकी अवश्य जांच की जानी चाहिए मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस है कि अरुण शौरी द्वारा लिखित कुछ तथ्यों वाला लेख वैद्य हैं। एक जगह उन्होंने सूचना का स्रोत नौगांव पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी को बताया है जो मुसलमान है। इसके पीछे उनकी मन्शा क्या है? सभा इस बात का निष्कर्ष निकाल सकती है। वे किसी आदमी को बलि का बकरा बनाना चहते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस लेख में उन्होंने कुछ व्यक्तियों के नाम गिनाए हैं मैं नहीं जानना चाहता कि जिम्मेदार लोग कौन है। लेकिन मैं विपक्षी दलों से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि आसूचना रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की जानी चाहिए उस स्थिति में कुछ ऐसे गुप्त दस्तावेज भी हैं, जिन्हें भी सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए।

मैं इससे सहमत नहीं हैं। इस सबंध में, मैं सरकार से और विपक्षी दलों से कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं । मैं असम के लोगों की ओर से यह अपील करता हूं कि यह सच है कि आंसू और गणसंग्राम परिषद की मांग है यह भी सच है कि वहां एक सरकार है। आंसू और गणसंग्राम परिषद की हमें मांगें स्वीकार नहीं है। वे हमारी सरकार को स्वीकार नही करते फिर भी मेरा पक्का विश्वास है कि बैठक का कोई आधार हो सकता है और यह आधार शीघ्र ही तैयार हो सकता है ।

यदि राज्य सभा और लोक सभा दोनों सदन तथा राष्ट्रीय पार्टियों के लोग हमारी ओर सहायता का हाथ बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमें बलि का बकरा बनाने की कोशिश न करें और श्रीमती इन्दिरा गांधी भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य लोगों के बीच लड़ाई न कराएं हम नहीं चाहते कि किसी भी पार्टी को इसका राजनीनिक लाभ प्राप्त हो हम यह कहना चाहते है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम यह कहना चाहते हैं, कि हम पर यह विश्वास करते हैं कि असम की वर्तमान स्थिति में सुधार हो रहा है हम यह कहना चाहते हैं कि हम सभी रास्ट्रीय दलों के सिवाय भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी को छोडकर, आभारी हैं ..

श्री कृष्णकुमार गोयल : भारतीय जनता पार्टी आपके लिए भूत बन गई है ।

श्री सन्तोष मोहन देब : वह केवल भूत ही नहीं असम में हमारे लिए वे पिशाच बन गये हैं हमें यह कहते हुए कोई हिचक नहीं है कि हमारे लिए वे असम में खून चूसने वाले है और यह आंसू के लड़कों के नवीनतम लेख और वक्तव्य से सिद्ध हो गया है यह मेरा अन्दाजा नहीं है ऐसे लोगों को जो आंसू आन्दोलन से सम्बन्ध पहचाना जा चुका है मैं श्री बहुगुणा डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी या प्रो० मधुदण्डवते को दोष नहीं देना चाहता। यह डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ही है जिन्होंने गोहाटी विश्वविद्यालय जाने की हिम्मत दिखाई और वहां भाषण दिया तथा लड़कों को बताया कि वे गलत हैं आपके लोगों में साहस नहीं है वे वहां जाते हैं तथा दूसरे ढंग से बोलते हैं उन्हें भडकाते हैं।

मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी की प्रशंसा करता हूं मैं उन्हें कह चुका हूं लेकिन आज नही तब जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया या प्रो० मधुदण्डवते भी असम जा चुके है मैंने उनके विरुद्ध कभी कोई आरोप नहीं लगाया है उनका अपना दृष्टि कोण श्रीमती दण्डवते भी वहां गईं थी आप भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी क्यों करते हैं चाहे आप इससे सम्बन्ध क्यों न हो आपको कुछ तथ्यो पर विचार करनी चाहिए जब श्री सुन्दरसिंह भंडारी मेरे चुनाव क्षेत्र में जाते हैं वे यह कहते हैं कि कोई भी हिंदू असम से बाहर नहीं जाएगा और जब वे ऊपरी असम जाते हैं तो वे कहते है कि हिंदू मुसलमान या किसी भी व्यक्ति को जो पूर्व या पश्चिम पाकिस्तान से आया है उसे अवश्य जाना होगा क्या मैं जनता या भारतीय जनता पार्टियों से यह जान सकता

हूं कि जब इस देश का शासन आपके हाथों में था आपने राजस्थान में उन लोगों को नागरिकता प्रदान की थी जो 1977 में सिन्ध से आए थे...

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अध्यक्ष-पीठ को सम्बोधित करेंगे ?

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, मुझे खेद है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लुंगा मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि असम में 1977 में गड़बड़ी शुरू हुई थी हीरालाल पटवारी मरे थे और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमन्त्री नहीं थी। असम कांग्रेस की ओर से एक प्रस्ताव था हमने उनसे अनुरोध है किया था कि मंगलदोई जाएं और वहां लड़े। तत्कालीन शासक और अब विपक्ष के नेताओं ने लोगों की शिनाख्त करना शुरू कर दिया और उन्हें बाहर निकालना शुरू कर दिया और उन्होंने असम से चालीस हजार लोगो को बाहर निकाल दिया। तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त श्री शकधर ने भी ऊर्जा में वक्तव्य दिया था कि असम ऐसे लोगों से भरा पडा है मकसद यह था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को आगे बढ़ने से रोका जाए। हालांकि वे उन्हें रोक नहीं पाए वे चिकमगलूर से जीत कर आई थी और बाद में उन्हें इस सभा में दंडित किया गया मैं यह कहूंगा कि आपने मंगलदोई की मतदाता सूची में से 40,000 नामो को निकाल दिया था लेकिन साथ-साथ उसी समय उसी मतदाता सूची से आप संसद सदस्यों को लाए और इस देश पर शासन किया अब जब विपक्ष के नेता असम जाते हैं वे उन संसद सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित करते हैं जिन्हें उन व्यक्तियों ने वोट दिया था, जिन्होंने 1977 विधान सभा के सदस्यों को चुना था।

दूसरे सदन के सदस्य भी हैं उनके नाम नहीं लेना चाहता यह असंगति कैसी है जनता भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को राज्य सभा के उन सदस्यों से पहले त्याग पत्र देने को कहना चाहिए और फिर इस मतदाता सूची के खिलाफ विरोध प्रकट करें यह सबसे अधिक हास्यस्पद बात है।

विपक्ष के नेता असम जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले आपात स्थिति की आलोचना की और उन्हें आपात स्थिति संबंधी संविधान में संशोधन करना था वर्तमान कानून के अन्तर्गत दो कारणों से आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। पहला कारण देश में अन्दरूनी गड़बड़ी का होना है और दूसरे यदि कोई बाहरी खतरा हो लेकिन इस बार वे असम गए और वहां के लोगों को यह बताया कि इंदिरा गांधी को आपात स्थिति घोषित करनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : किसने कहा था ?

श्री सन्तोष मोहन देव : भारतीय जनता पार्टी वे गए थे और कहा था कि उन्होंने आपात स्थिति की घोषणा क्यों नहीं की।

श्री सी० एम० स्टीफन : राज्य सभा में यह बात कल भी कही गई थी।

श्री संतोष मोहन देव : साथ ही जब हम यह कहते हैं कि यह संविधान के उपबन्धों में नहीं है तो वे कहते हैं कि संविधान का संशोधन क्यों नहीं किया गया ? जब संविधान में संशोधन किया जा रहा था, विपक्ष विभाजित हो गया था। कुछ ने सशर्त समर्थन दिया था और कुछ ने कहा था कि हां, इसका असम के मामले में ही संशोधन हो सकता है और वह भी दूसरे कार्यकाल के लिए। क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, जिसका प्रत्येक राज्य की स्थिति के अनुसार अलग-अलग संशोधन किया जा सकता है ? नहीं, महोदय, मैं यह कह कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि असम और पंजाब की हालत या इस देश में कोई भी अन्य स्थिति, जो कुछ तत्वों द्वारा पैदा की जाती है, सरकार को उनका पता लगाना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : लेकिन उन्हें बातचीत भी करनी चाहिए।

श्री सन्तोष मोहन देव : हां, बातचीत अवश्य होनी चाहिए। हमें बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। लेकिन सरकार को उन तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने में झिझक नहीं होनी चाहिए, जो असामाजिक तत्व हैं और जो उग्रवादी हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आप न्यायिक जांच की मांग क्यों नहीं करते है ?

श्री संतोष मोहन देव : मैं अपनी सरकार का दृष्टिकोण नहीं जानता, लेकिन मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि असम में न्यायिक जांच की मांग करने से सरकार और वहां की पुलिस के लिए एक समस्या और हो जाएगी तथा इससे वहां अव्यवस्था फैलेगी। इस तथ्य से नहीं नकारा जा सकता और जैसा कि मैंने अपने भाषण के शुरू में कहा था कि एक ऐसा समय जरूर था, जब सरकारी कर्मचारियों ने पूरी तरह से इस आंदोलन का समर्थन किया था। लेकिन क्रूर हत्याओं के कारण यह समर्थन समाप्त हो गया है। और यदि आप इस न्यायिक जांच की बात का समर्थन करते हैं, तो असम में अव्यवस्था ही उत्पन्न होगी। मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो जाने दें और यदि इस जांच में यह सिद्ध हो जाता है कि पुलिस में कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे कर्मचारी मौजूद हैं, तो सरकार को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वह ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करे।

मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया है और मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अरुण शौरी ऐसे व्यक्ति हैं जो विपक्ष को जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि लोग तो विपक्ष को जिंदा नहीं रखेंगे। अतः अरुण शौरी को ही उन्हें जिंदा रखने दें।

16.49 **(श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, शुरू में ही मुझे यह अवश्य स्पष्ट कर देना चाहिए हम गृहमंत्री से इस बात में सहमत नहीं हैं, जो उन्होंने सामान्य रूप से समाचार पत्रों पर

और विशेष रूप से श्री अरुण शोरी के विचारों पर लांछन लगाते हुए अपने वक्तव्य में आलोचना की है। श्री शोरी एक बढ़िया पत्रकार हैं। यद्यपि उनके लेख में दी गई कुछ बातों से हमारा मतभेद हो सकता है, जिसके विषय में, मैं बाद में बताऊंगा, मैं इसे उचित टिप्पणी नहीं समझता, जो गृहमंत्री ने यह कहते हुए की है कि तथ्यों की व्याख्या में दुराग्रह झलकता है। तथ्य उन्होंने बता दिए हैं और लोगों का काम है उन पर विचार करना।

इस भूमिका के साथ, लेकिन असम में हो रही जघन्य घटनाओं पर गहरे दुःख को लेकर मैं सैद्धांतिक आधार पर इस विवाद में भाग ले रहा हूं।

महोदय, मेरा विश्वास है कि वह समय आ गया है जब न केवल राजनीतिक पहियों को, बल्कि खास तौर से सरकार को यह पक्की तरह से सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय-एकता और शांति को किसी भी हालत में समझौते का विषय न तो बनाया जा सकता है और नाहीं ऐसा होगा।

महोदय, मेरी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं और समर्थकों को असम में हिंसक घटनाओं का मुख्य रूप से शिकार होना पड़ा है और यह बात श्री सन्तोष मोहन देव ने स्वयं स्वीकार की है। यह बता बार-बार स्पष्ट की जा चुकी है कि आंदोलनकारियों द्वारा चलाया गया यह कथित आंदोलन, जो यदि व्यापक रूप से नहीं, विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों और ऐजेन्सियों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है और दुर्भाग्यवश कुछ हमारी राष्ट्रीय पार्टियां भी उन्हें समर्थन दे रही हैं। इस आंदोलन का स्वरूप अलगाववादी है। और यदि यह आंदोलन सफल हो जाता है, तो इससे राष्ट्रीय एकता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे।

श्रीमान जी, समस्या का मर्म क्या है। मुझे दुःख है कि उसका डटकर मुकाबला नहीं किया जा रहा है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कुछ कार्रवाइयों के परिणामों की चर्चा की है। लेकिन उन्होंने उन व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने यह कार्रवाईयां की हैं, एक शब्द भी नहीं कहा है। समस्या का मर्म विदेशियों की पहचान करके उन्हें पूर्णरूपेण निर्वासित करने के प्रश्न में नहीं है।

हमने यह भी कहा है कि हम अपने देश में इस प्रकार के विदेशी नहीं चाहते। लेकिन आप विदेशियों को कैसे पहचानते हैं और उन्हें कैसे ढूंढते हैं? यह निर्णय करने के लिए कि विदेशी कौन है, क्या आधार है? यह ऐसी बातें हैं जो बैठकर सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन विदेशियों को पहचानने तथा उन्हें निर्वासित करने के नाम पर आसाम में जो हो रहा है वह अल्पसंख्यकों, चाहे वे भाषाई हों, धार्मिक हों या मानवजातीय, के विरुद्ध एक पूर्व आयोजित कार्रवाई है। इसमें कोई संशय नहीं है कि तथाकथित विदेशियों को पहचानने के नाम पर सभी अल्पसंख्यकों को आसाम से भगाने की घातक चेष्टा हो रही है। यह एक गम्भीर मामला है कि उक्त चेष्टा शारीरिक रूप से विनाश करने तक की है। और विनाश किसका है, उनका जो भारतीय समुदाय का एक अंग हैं, जिन्हें स्वयं पंडित नेहरू ने कहा था कि वे हमारे मांस और

खून का हिस्सा हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन की सुरक्षा और सम्पत्ति के अधिकार से इन्कार किया जा रहा है, और ऐसा कई कुछ हो रहा है।

न आज यह आवश्यक है और न ही मेरे पास समय है कि मैं इस वैधानिक या संविधानिक प्रश्न में मैं जाऊं कि कौन नागरिक हैं और कौन नहीं या जिस परिस्थितियों में देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति की उनमें यह कहना कि जो पूर्वी पाकिस्तान, तथा कलांतर में बंगलादेश, से आया हो उसे नागरिक माना जा सकता है या नहीं। प्रश्न बहुत मौलिक है और यह ऐसा मामला है जो मानवीय नातों से सम्बन्धित है।

क्या हमने कभी सोचा है या आंदोलनकारियों ने कभी गौर किया है कि यदि यह आंदोलन सफल हो जाता है तो देश का क्या होगा, इसका त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में क्या प्रतिक्रिया होगी तथा इसकी पंजाब तथा हरियाणा में क्या प्रतिक्रिया होगी। गहरे आर्थिक संकट के दौर में, जब देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी है, आजकल प्रवासी विरोधी भावनाए तैयार करना कोई अधिक कठिन बात नहीं है, और ऐसा हो जाने पर सारे देश में पूर्णतया तोड़-फोड़ की कार्रवाइयां करने का माहौल पैदा करना तथा अन्त में देश की एकता तथा अखंडता को समाप्त करना भी कठिनतर कार्य है।

श्री देव का यह कहना और हमें याद दिलाना था कि जब 1971 में 60-000 से अधिक अभागे और बेसहारा शरणार्थी सिंध से भारत आए तो श्री वाजपेयी के दल ने तब ठीक समझ कर उनके पक्ष की वकालत की थी और कहा था कि उन्हें हमारे राष्ट्रीय जीवन में समाविष्ट करना चाहिए तथा उन्हें नागरिक माना जाना चाहिए। उस समय वे (श्री वाजपेयी) सफल हुए थे। उनकी पार्टी जो उस समय जन संघ के नाम से जानी जाती थी, अन्य पार्टियों की सहायता से सफल रही। परन्तु बंगला देश के शरणार्थियों के मामले में वही श्री वाजपेयी, मैं देख रहा हूं, सभी गैर-आसामियों को शरणार्थी मानते हैं और मांग कर रहे हैं कि उन लोगों का मताधिकार छीन लिया जाना चाहिए और जहां तक धार्मिक अल्पसख्यकों का सम्बन्ध है। उन्हें निर्वासित करने की घातक मांग है।

इसमें कोई शक नहीं कि आसाम कि पिछड़ा राज्य है। इस देश में बहुत से ऐसे राज्य ऐसे क्षेत्र है जो पिछड़े हुए हैं। सत्ताधारी पार्टी ने आसाम के आर्थिक विकास की ओर भरपूर ध्यान नहीं दिया है। परिणाम स्वरूप, बेरोजगारी बढ़ रही है। आर्थिक कठिनाईयां भी बढ़ रही हैं प्राकृतिक तौर पर निराशा आसाम में भी है तथा देश के अन्य भागों में भी। लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि कि सत्ताधारी पार्टी ने आसाम में भी इन विभाजनकारी प्रवृत्तियों का उपयोग किया है। उन्होंने आसाम की जनता को अतिराष्ट्रीयता के आधार पर विभाजित करने का प्रयत्न किया है।

हम देख रहे हैं कि भाषाई दंगे हो रहे हैं। हमने यह भी देखा है कि वहां वामपंथी तथा

लोकतांजिक शक्तियों के प्रसार को किस तरह से रोका जा रहा है। वामपंथी तथा लोकतांजिक शक्तियों के प्रासार से सत्ताधारी पार्टी चौकन्नी हो गई। दुर्भाग्यवश, आसाम में जनता पार्टी के राज के दौरान भी यही प्रवृत्तिया तथा झुकाव जारी रहे तथा आसामी भाषी लोगों को भड़काया गया। इस महत्व की बात को सभी जानते हैं कि मौजूदा आंदोलन सही अर्थों में तब शुरू हुआ गोहाटी नगर निगम के चुनावों के बाद सी० पी० आई० (एम०) गोहाटी नगर निगम में सत्ता में आई।

आंदोलनकारियों की चालें क्या रही हैं? उनकी चाल यह थी कि वे आसाम में आसामियों तथा गैर—आसामियों की एकता पर आधारित लोकतांत्रिक शक्तियों को पृथकतावादी तथा कांग्रेस (इ०) दोनों के विकल्प के रूप में उभरने दें। इस प्रकार सत्ताधारी पार्टी तथा आंदोलनकारियों में इसलिए कोई मतभेद नहीं है कि वे दोनों चाहते हैं कि वामपंथी प्रभाव आसाम तथा देश के अन्य भागों में न बढ़ने पाए। जब हम, अब से नहीं काफी समय पहले से देश के इस भाग में विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी एजेंसियों की आशंका अनुभव कर रहे हैं, हमने सत्ताधारी पार्टी की ओर में कोई निष्कपट तथा दृढ़ कार्रवाई नहीं देखी।

यदि हम ब्रह्मपुत्र परियोजना से आरम्भ करें, भाई देश तथा अमरीका के राजपूतों के आसाम आगमन को देखें, श्रीमती जीन किर्कपैट्रिक की भारत की बाल कनीकरण की रूप रेखा को लें, सभी में प्रतिक्रियावादी विदेशी साम्राज्यवादी एजेंसिओं का देश में अस्थिरता पैदा करने में हाथ बिल्कुल स्पष्ट है।

हमारे पास साक्ष्य है कि विभाजनकारी प्रवृत्तियां किस तरह आसाम के तथाकथित आंदोलन के दौरान उभरी। एक पृथक 'यूनाइटिड आसाम राज्य' की मांग के पर्चे काफी संख्या में बांटे गए हैं। 'हम शहीदों के रक्त से अपना देश बनाएंगे' जैसे अभिशंसी नारे, "आसाम कब आजाद होगा" "रक्तरंजित भारतीयों वापस जाओं", "भारत को आसाम पर राज्य करने को अधिकार नही है" ये कुछ ऐसे नारे हैं जो गोहाटी की दीवारों पर अंकित किए गए हैं। इसके अतिरक्त तथाकथित "सतर्क वाहिनी" के शीर्षक से मृत्यु रास्ते द्वारा चेतावनी के नोटिस भी दिए गए हैं। इसने सरकारी कर्मचारियों को सरकार के प्रति निष्ठा रखने के लिए घातक परिणामों की दी हैं। चेतावनियों में कर्मचारियों का, उनके पुत्र-पुत्रियों का विनाश, उनकी युवा पुत्रियों तथा पत्नियों से बलात्कार शामिल हैं कर्मचारियों को चेतावनी दी गई कि उनके आचरण पर नजर रखी जा रही है।

मैं कहूंगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की कुछ पार्टियों ने, जिनमें जनता तथा मा० ज० पा० शामिल है, आंदोलन के छत्र तले भारतीयों को निर्वासित करने में एक जैसी भूमिका निभाई है।

जैसा कि मैंने कहा है आसाम में उन लोगों के विरुद्ध, जो कोई वर्षों से वहां रह रहे हैं

तथा भारतीय नागरिक कहलाने के दावेदार हैं, आंदोलन किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये दोनों दल आसाम के उच्च जाति ने हिन्दुओं का समर्थन संगठित कर रहे हैं, जिनका कि आंदोलनकारियों में बहुमत है।

इन राष्ट्रीय दलों के नेता आंदोलन के कथित निष्कपटों की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, उन्हें देश-भक्त लोकतंत्रीय तथा और क्या कुछ नहीं कह रहे हैं। अब जबकि चुनाव हो गए हैं, चुनाव को एक दिखावा—मात्र सिद्ध करने के उद्देश्य से वे आंदोलनकारियों को आंदोलन को तेज करने के लिए खुले आम प्रोत्साहन दे रहे हैं और हमने उन्हें इन आंदोलनकारियों की निन्दा करते हुए नहीं सुना है, जो कि मानवता के विरुद्ध घृणित अपराध करने में लगे हुए हैं। हजारों निर्दोष बच्चे, अभागी औरतें तथा शांतिप्रिय नागरिक मारे गए हैं, उनका वध किया गया है, काट दिए गए हैं और पता नहीं क्या क्या किया गया है?

मैं विरोधी पक्ष के अपने मित्रों से अपील करता हूं कि यदि उनका आंदोलनकारियों पर कुछ प्रभाव है तो उन्हें बुद्धि से काम लेने के लिए कहें और देखें कि विभिन्न समुदाओं की परस्पर भावनाएं और न भड़कें।

एक और गम्भीर परिवर्धन जिसे हम बहुत गम्भीर परिवर्धन मानते हैं, जो देश के उस भाग में हो रहा है, वह है आर० एस० एस० द्वारा अपनी गतिविधियों को तेज करना। ये गतिविधियां धमकाने वाली सी लग रही हैं। अब एक अन्तर स्पष्ट हो रहा है और वह है शरणार्थी अर्थात हिन्दु व घुसुनपैठिये अर्थात मुस्लमान।

एक जगन्नाथ शर्मा है जो आन्दोलनकारियों के नेता हैं तथा एस० एस० वी० के भी नेता हैं जो कि अब शरारती संगठन बन चुका है। यदि वे आर० एस० एस० के समीप सदस्य नहीं हैं तो उनके आर० एस० एस० के साथ नजदीकी के सम्बन्ध अवश्य हैं। यदि वे स्वयं संलिप्त न हुए हों। तो भी उनका कई हत्याओं, लूठ-पाट तथा आगजनी की घटनाओं में प्रमुख हाथ रहा है।

आर० एस० एस० ने आन्दोलनकारियों के साथ नजदीकी सम्पर्क स्थापित कर लिया है। जो रण-कौशल आर० एस० एस० तैयार कर रहा है वह आन्दोलन के नेताओं के बहुमत को जंच रहा है। आर० एस० एस० की अब उत्तर-पूर्वी भाग में 200 शाखाएं हैं जिनमें से 130 अकेले आसाम में हैं। आर० एस० एस० मानवजातीय लोगों को उकसाकर आसाम के सामाजिक ताने-बाने को क्षतिग्रस्त करने में सहायक हो रहा है। हमारा मत है कि ये गतिविधियां रोकी जानी चाहिए तथा समाप्त होनी चाहिए।

जहां तक सत्ताधारी पार्टी की भूमिका की बात है, वह अपना पिंड नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार इसकी भूमिका संदिग्ध रही है, 1980 में सत्ता में आने के बाद, हम यह जानना चाहते हैं, इसने कौन-से वास्तविक कदम उठाए हैं, सिवाए इसके कि वह आगे डालने वाली बातों में उलझा रही है, जिससे कि आन्दोलनकारियों को केवल गौरव ही मिलता है।

हमने सरकार को बार-बार यह चेतावनी दी है कि अलगाववादी आन्दोलन की क्षमता खतरनाक है। हमने उन्हें कहा है कि इस स्थिति का राजनीतिक तौर पर मुकाबला करना चाहिए। परन्तु उन्हें तो कुछ जराक्षीण मन्त्रियों के आश्रय देने से मतलब था, जिससे कि निर्दोष व्यक्तियों के जीवन को कोई सुरक्षा नहीं मिली। अतएव सत्ताधारी पार्टी अपनी इस इन्कार न किए जाने वाली जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती कि आसाम में क्या कुछ हुआ है। आसाम की स्थिति का किस प्रकार लाभ उठाया जा रहा है? पिछले कल के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में लन्दन की 2 मई की एक खबर है जिसे पत्रकार श्री मलिक ने भेजा है जिसके पढ़ने से अशांति सी होती है। इसमें लिखा है कि :

नागालैंड, मिजोरम, आसाम तथा पंजाब से निर्वासित असंतुष्टों को यहां लाने की कोशिशें की जा रही हैं। ससंतुष्टों के आन्दोलन जिनमें कि उग्रवारियन का आसाम तथा पंजाब में ऊपरी हाथ था आई तेजी का लाभ उठाकर कुछ समय से लन्दन स्थित भारत विरोधी टुकड़ियों ने एकता के प्रयत्न फिर आरम्भ कर दिए हैं।

आसाम संघ नाम का एक संघ वहां है, जो सभी किस्म का प्रचार करता रहा है। यह बताता है :

"उन्होंने हाल ही में हुई चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद की हत्याओं के पीछे छिपे हुए साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को तूल नहीं दिया और इस बात पर जोर दिया कि आन्दोलन गैर-साम्प्रदायिक था।" उन्होंने खालिस्तान के एक अपने ही किस्म के "राष्ट्रपति" डा० चौहान के साथ बैठक की, और यह कहा :

"यह निश्चित हो गया था कि डा० चौहान स्थिति को बिगड़ने के लिए अपने साथ विभिन्न विरोधी गुटों को भी लाने की कोशिश कर रहे थे।"

श्री चित्त बसु (बारसाटे) : यह रिपोर्ट कहां से है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : टाइम्स आफ इंडिया, लन्दन से। इसमें यह भी कहा गया है :

"भारत सरकार द्वारा विरोध करने के बावजूद भी अमेरिका द्वारा डा० चौहान को प्रवेश के लिए बीजा देने की बात जानी-पहचानी है।"

उसमें यह भी बताया गया है कि विभिन्न देशों के विभिन्न प्रभावशाली गुटों द्वारा भी इस प्रकार की सहायता दी गई और अब उन देशों में एजेन्सियों की सहायता से प्रचार करने की कोशिश हो रही है।

निस्संदेह, हमने चुनावों का समर्थन किया और हम यह नहीं कहते कि आपका फैसला गलत था। हम उसी फैसले से चिपके रहे क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक सांविधानिक मजबूरी की स्थिति में पहुचा जा चुका था देश के सामने यह सवाल रहा कि क्या लोकतांत्रिक शक्तियां इस चुनौती को स्वीकार कर देश की एकता को बनाए रखने में सफल होंगी अथवा क्या पृथकतावादी, अलगाववादी ताकतें देश की एकता को भंग करने में कामयाब होंगी।

चुनाव के तुरन्त बाद हुई हत्यायें खौफनाक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक हमारे दल का प्रश्न है, हमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मेरे दोस्त, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि चुनाव अथवा नीली नर-संहार से पहले स्थिति शांत थी, आन्दोलन शांतिमय था। आन्दोलन के आरम्भ से ही आसाम में हत्यायें शुरू हो गयीं थीं, केन्द्रीय गृह मन्त्री के ससद में दिये गये वक्तव्य के मुताविक, 1979 के आरम्भ से दिसम्बर 1982 तक चुनाव कराने से पहले तक—272 हत्यायें 1,404 हमले, 425 आगजनी के मामले, 346 डराने धमकाने के मामले, 228 शरारत के मामले 330 विस्फोट के मामले, 147 अपहरण के मामले तथा बम जैसी विस्फोटक वस्तु मिलने के 146 मामले दर्ज किए गये और इन सबका श्रेय भारत सरकार के गृह मन्त्री द्वारा आन्दोलन को दिया गया था और फिर डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी कहते हैं कि ये शांति बमथ, अहिंसक हत्यायें थीं।

मैं नहीं जानता चुनाव घोषित करने के वक्त क्या स्थिति थी ? चुनावों की घोषणा के बाद हुई यह हत्यायें एक भीषण संहार बन गयीं हैं और इनसे हुई क्षति किसने सही ? मेरा दल इस अ क्रमण का खास निशाना बना। दल के बहुत से सदस्य मारे गए थे। कुछ उदाहरण देता हूं, कामरूप जिले में, एस० एफ० आई० के एक खास कार्यकर्त्ता निरंजन तालुकदार की हत्या 11 फरवरी को की गई थी, वे सब असमी बोलने वाले लोग थे। उसका शरीर भी नहीं मिला था। एस० एफ० आई० के एक अन्य कार्यकर्त्ता विरिंची पटवारी की हत्या 8 फरवरी को की गई थी। डी० वाई० एफ० आई० के नेता समीर पाल जब 20 फरवरी को चुनाव-कार्य से वापस आ रहे थे की हत्या हुई यह सब 18 से 22 वर्ष तक की आयु के थे।

अखिल भारतीय डाक-तार कर्मचारी संघ, श्रेणी 3 के भूतपूर्व मंडल सचिव तथा मजदूर संघ के जाने-माने नेता फटिक कालिता की हत्या, बहिष्कार के विरोधियों के घर तथा पुल जलाए जाने का विरोध करने पर, 1 फरवरी को की गयी थी।

डिब्रूगढ़ जिले में मतदान के बाद अपने कार्य-स्थल से लौट रहे एक रेल कर्मचारी चन्द्रकांत दास पर हमला किया गया जबकि एस०एफ० आई० के एक कार्यकर्ता कुशेखर बोरा का 25 फरवरी को मृत शरीर पाया गया। लखीमपुर में, 13 फरवरी को 26 वर्ष की आयु वाले बोलन बरुआ तथा 14 फरवरी को 25 वर्ष के राजन गोहाई की हत्या की गई। यह सब भी 18 से 25 वर्ष तक की आयु के थे। मैं इस प्रकार की अनगिनत घटनायें आपको बता सकता हूं कि देश की अखं-

डता और एकता के खिलाफ चलाए जा रहे पृथक्तावादी आन्दोलन का मजबूती के साथ मुकाबला करने वाले चुनाव की प्रक्रियाओं में सहायता पहुंचाने वाले युवा कार्यकर्त्ताओं को किस प्रकार मौत के घाट उतार दिया गया तथा हमने डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के मुंह से इसकी निंदा में एक शब्द भी नहीं सुना ।

मैं अब नीली संहार पर आता हूं । हम जानते हैं कि चुनावों से कोई समस्या हल नहीं हुई और इतनी आसानी से हल नही होगी । अब हम इस समस्या पर बात-चीत कर रहे हैं कि क्या आसाम का परिणाम आसाम की जनता की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का नतीजा है ।

आन्दोलनकारी और सत्तारूढ़ दल दोनों ही यह नहीं चाहते थे । कि वामपन्थी और लोकतांत्रिक शक्तियां विजयी रूप में उभर कर आएं । इसी कारण से सत्तारूढ़ दल ने वामपन्थी दलों की सुरक्षा के लिए समुचित प्रबन्ध नहीं किया । इन दलों के उम्मीदवारों की पर्याप्त सुरक्षा करने से इन्कार कर दिया गया था और स्वतन्त्र मतदान, जिसमें वालिग मताधिकार का ठीक प्रकार से प्रयोग हो सके, कराने के लिए भी कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किए गए थे ।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : आपकी यह बात न्यायसंगत नहीं है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी थी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : इस सबसे ऊपर, कांग्रेस (इ) के कुछ नेता वहां गए और साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले भाषण दिए तथा लोगों को हिंसक घटनाएं करने के लिए उकसाया । यह सब वहा हुआ । इसके परिणाम में हिंसा, हत्या तथा आतंक की बेमिसाल घटनाए हुयीं । उम्मीदवारों का अपहरण कर लिया गया था और उनके समर्थकों की हत्या कर दी गयी थी ।

विधान सभा गठित कर लेने के बाद, अब स्थिति यह है कि यह आसाम की जनता के बहुमत की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती । किन्तु हमें यह देखना है कि इसका विकल्प क्या है । हम जानते हैं कि विपक्ष में कुछ राष्ट्रीय दल यह दिखावे और सिद्ध करने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि चुनाव जाली थे । किन्तु वहां हुए हिंसा और नर संहार के कार्यों की निन्दा करना वे भूल चुके हैं ।

श्री अरुण शौरी कुछ निश्चित दस्तावेजों का हवाला दे चुके हैं तथा कुछ उद्घाटक जानकारी भी दे चुके हैं । जब मैंने कहा कि उसके लेख की कुछ मान्यताओ के बारे में कुछ अपवाद रखता हूं, मैंने उनकी इस मान्यता का हवाला दिया कि आन्दोलन अहिंसक था । मुझे खेद है कि यदि उन्होंने यह माना है तो मैं उनकी इस मान्यता से सहमत नहीं हो सकता । मैंने जो पढ़ा है वह क्या है कि चुनाव की घोषणा से पहले तक वहां हिंसा की छिटपुट वारदातें थी किन्तु जब चुनाव की प्रक्रियाएं

आरम्भ हुयीं तो आन्दोलन अहिंसक था । यदि मैं उनकी बात ठीक तरह से नहीं समझता हूं, तो ठीक से समझाया जाए ।

एक मान्यता यह भी है कि चुनाव नहीं किए जाने चाहिए थे । वह अपनी राय रखने के लिए अधिकृत है, इस बारे में कोई प्रश्न नहीं कर रहा । मैं उनकी ईमानदारी अथवा उद्देश्य के बारे में कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं ।

अपने लेख में उन्होंने जो लिखा है वह बहुत कुछ व्यथा करने वाला तथा एक प्रकार से दिल को चोट पहुंचाने वाला है कि जब वहां बहुत बड़े नर-संहार के होने की पहले से सूचना थी, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उस समय वहां क्या कर रही थी ? गृह मन्त्री जी इसे समझाएं । समस्या यह है कि आसाम में पुलिस, नौकरशाही और प्रशासन आन्दोलनकारियों के अनुलग्न के रूप में काम कर रहे हैं, आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते । हमारे पास यह रिपोर्टें भी थीं कि फौजदारी अदालतों के सामने जो लोग खास प्रकार के अभियोग लगाकर लाए गए उन्हें भी जमानत पर छोड़ दिया गया जैसे कि वह वहां साधारण अभियोग में लाए गए हों । हम मजिस्ट्रेटों का ऐसा व्यवहार देख चुके हैं और इस तरह की शिकायतें भी वहां हैं । जब इस तरह की शिकायत की गई थी और इस प्रकार की आशंका व्यक्त की गई थी कि ऐसा होने जा रहे हैं । तब तीन दिन के लिए उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन के अधीन केन्द्र सरकार शासन कर रहीं थीं, उस समय क्या कार्यवाही की गयी थी ?

सरकार को यह बताना चाहिए । जो दस्तावेज प्रकट हुए हैं उनसे पता चलता है कि यह मुमकिन था कि नीली नर-संहार को होने से रोका जा सकता था । इसलिए, मन्त्री जी की तरफ देश को स्पष्टीकरण देना शेष है कि इतना बड़ा नर-संहार कैसे हो सका जब कि वहां पूर्व-संकेत था और कम से कम 72 घंटे पहले चेतावनी दी जा चुकी थी ।

इसलिए, किसी भी योग्य सरकार में इसको स्पष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए । किंतु चुनावों के बाद जो स्थिति है, वह कैसी है ? श्रीमन्, राज्य में नौकरशाही का शत्रुतापूर्ण व्यवहार अब भी जारी है । और यहां तक कि अब नौकरशाही का बड़ा तबका, प्रशासन और पुलिस, खुले रूप में आन्दोलनकारियों का साथ दे रहा है ।

महोदय, यहां मैं एक और जाने-माने पत्रकार श्री कालवर्ग को उद्धृत कर रहा हूं :

> "आन्दोलनकारियों के ऐसे बहुत से युद्ध सम्बन्धी बयान आए हैं कि राज्य सरकार को उन विदेशियों को वापसी की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो पश्चिम बंगाल के शरणार्थी शिविरों में जा चुके हैं ।"

महोदय, आन्दोलन के नेता यह स्पष्ट रूप से कह चुके है कि लम्बे समय से चली आ रही लड़ाई की नीति अब बदलनी चाहिये आपके पास अपना मन्त्रिमण्डल है, अपनी सरकार है । हम

जानना चाहेंगे कि इन सब चीजों के सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं, प्रशासकीय रूप से आप उन लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करने जा रहे हैं। इसलिये, आपने जो प्रशासनिक जांच कराई है, उसमें हमारा जरा-सा भी विश्वास नहीं। कौन-सी प्रशासकीय एजेन्सी होगी, वही जिसके बहुमत ने आन्दोलनकारियों के साथ गुप्त समझौता किया है? प्रशासन के किस भाग से और प्रशासन के किस स्तर पर आप यह जांच करवाने जा रहे हैं?

जब लोगों के मन में सुरक्षा की कोई भावना नहीं है तो यह अपेक्षा आप कैसे रखते हैं कि वह आपकी तथाकथित प्रशासकीय जांच में विश्वास रखते होंगे? यह एक खोखला वायदा है, एक खोखली कोशिश है। इससे समस्या का कोई हल नहीं होने वाला है। जो कारण अभी मैंने आपको दिए हैं, उनकी वजह से हम कोई न्यायिक जाँच की मांग करने में उस समय असमर्थ हैं। वहां क्या वातावरण है? लोग वहां पूरी तरह यथाग्रस्त हैं। वे कुछ भी कहने से डरते हैं। उनको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है वहां उनके जीवन और शरीर की कोई सुरक्षा नहीं है, उनके बच्चे और औरतें वहां के लोगों की दया पर हैं। वे इकट्ठे होकर मात्र 72 घंटे की सूचना पर वहां जा सकते हैं और गांव के बाद गांव का सफाया कर सकते हैं और 3000 निखराव, निस्सहाय लोगों की, जिन्होंने जरा सा भी गुनाह नहीं किया, हत्या कर सकते हैं उन्होंने एक भी अपराध नहीं किया है। इस प्रकार का जन-संहार हुआ है। आप यह उम्मीद कैसे रखते हैं कि लोग आएंगे और आकर पंक्ति में खड़े हो जाएंगे तथा न्यायिक जांच के सामने गवाही देंगे, जो यों भी बहुत कम समय की होगी? प्रभावकारी कार्यवाही की जानी चाहिए। यह किए जाने से पहले वहां एक उचित वातावरण होना चाहिए।

मैं सरकार से यह अपील करूंगा कि वह समय आ चुका है जब उसे इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। हम चुनाव के बारे में कुछ नहीं कर सकते हालांकि अब हम जानते हैं कि यह एक हेरा-फेरी से करवाया हुआ चुनाव है, और एक समय के लिए हमने इसे बर्दाश्त किया किन्तु इस सरकार की तथा निर्वाचित विधायकों की विश्वसनीयता वास्तव में शून्य है। आप इससे इन्कार नहीं कर सकते। आसाम समस्या को सिर्फ तभी सुलझाया जा सकता है जब पृथक्तावादी आन्दोलन में लिप्त आन्दोलनकारियों की लोकतन्त्र विरोधी मांगों का मुकाबला करने के लिए सारे देश में तथा आसाम राज्य में लोकतांत्रिक विचार उजागर किए जाएं। इसको केवल तभी सुलझाया जा सकता है जब विघटन का मुकाबला करने के लिए आसाम में वामपंथी तथा लोकतांत्रिक ताकतें एक जुट होकर काम करें, आज आसाम की लोकतांत्रिक ताकतों को शक्तिशाली संरक्षण की आवश्यकता है।

मुझे आशा है कि सभी राजनीतिक दल इस उद्देश्य के लिए एक हो जायेंगे और महोदय, इन आन्दोलनकारियों या इस आन्दोलन को किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं देंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनमत जुटाने के लिए कारगर उपाय करने चाहिए ताकि वामपंथी और लोकतांत्रिक शक्तियां अपनी सम्मिलित प्रयासों से असम की समस्या सुलझाने का प्रयास कर सकें।

श्री सी० एम० स्टीम (गुलवर्गा) : मैं यह वाद विवाद की शुरूआत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देकर करूंगा। परसों, ऐसा हुआ कि मैंने एक-दो टिप्पणियां की थी। कल मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां स्वयं मौजूद थे। जब मैंने यह टिप्पणी की थी तो उनकी ओर से या किसी ओर की तरफ से कोई आपत्ति नहीं की गई थी। मुझे नहीं मालूम कि न जाने उन्हें कहां से प्रेरणा मिली कि वह अपने सभी शस्त्रों के साथ अगले दिन वापस आये और सदन पर झपटना शुरू कर दिया जैसे कि कोई बहुत ही भयानक घटना घट गई हो। वह एक अनुभवी सांसद हैं और यदि कोई आपत्तिजनक बात थी तो उनके पास इस पर आपत्ति प्रकट करने का काफी समय था। यह तभी आकर यह कह सकते थे कि यह आपत्तिजनक है लेकिन उन्हें कुछ चीजों के लिए किसी और के लिए या कुछ समय के लिए इन्तजार करना पड़ा।

प्रो० मधु दंडवते : वह उपस्थित नहीं थे।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह यहां थे। उन्होंने स्वयं ही यह स्वीकार किया है। वह इस बात से इन्कार नहीं कर सकते। मैंने इस बात को उसी समय छोड़ देता, इसका उल्लेख ही नहीं करता, लेकिन डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सम्भवतः इसलिए इस अवसर का उपयोग और हवाले देने के लिए चूंकि यह मामला श्री वाजपेयी से सम्बन्धित था, उन्होंने आखिरकार जो कुछ मैंने कहा था वह यह था :

"वे अभी-अभी आपके ध्यान में एक महत्वपूर्ण पत्रिका में छपा एक लेख लाये हैं जिसमें यह बताया गया है कि जो भी हत्याकांड हुआ है वह सरकार की साजिश से हुआ है और वह लेख ऐसे समय प्रकाशित हो रहा है जबकि हाऊस आफ लामन्स उसी बात की निंदा कर रहा है। मैं तो सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि क्या यह गम्भीर देशभक्ति विरोधी और आरोपों के बारे में है या यह कोई आम बात है जिसके बारे में आप कोई वक्तव्य देने जा रहे हो···"

इसमें भड़काने की प्रवृत्ति होती है। क्या मैं यह ठीक नहीं कह रहा हूं कि इसमें असम के लोगों के कुछ वर्गों को सरकार के विरुद्ध भड़काने की प्रवृत्ति है, सरकार कौन बनाता है ? और मैंने कहा है देशभक्ति विरोधी हार मानने में कि इसका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय राज्यों पर पड़ता है और इससे दुनिया के अन्य देशों में हमारे बारे में धारणा बनाई जाती है।

मेरा कहना है कि जहां तक विदेश नीति का सम्बन्ध है यह वक्तव्य राष्ट्र विरोधी है और जहां तक विदेश नीतियों का सम्बन्ध है यह वक्तव्य देशद्रोही है। यह संदर्भ व्यक्ति के लिए नहीं था। यह संदर्भ तो सबसे ज्यादा आपत्तिजनक, गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य के लिए था जो उन्होंने दिया था। और जो कुछ मैंने उस दिन कहा था वही मैं अब भी कह रहा हूं।

डा सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उन पर मुकद्दमा क्यों नहीं चलाते ?

श्री सी० एम० स्टीफन : ठीक है उन्होंने "मुकद्दमे" की बात कही है। यदि "मुझे

विशेषाधिकार प्राप्त हो।" उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जैसे ही मुझे समय देने का मौका मिलेगा, मैं खुले तौर पर यह वक्तव्य दूंगा और उन्हें छूट होगी कि वह मुझ पर मुकद्दमा चलाते।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उन पर मुकदमा क्यों, नहीं चलाते ?

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं ऐसा क्यों करूं ? मेरे पास हमसे अच्छे तरीके हैं अब मैं फिर अपने विषय पर आता हूं। मुझे वास्तव में दुःख है कि भारत की संसद ने एक पत्रिका में छपे एक लेख के बारे में विचार करने का विरोध किया है। यह तो सिर्फ एक ही लेख है, लेकिन रोजाना की पत्रिकाओं में सैकड़ों लेख छपते रहते हैं। और उसके बावजूद भारत की संसद के सत्र के दौरान इस लेख विशेष पर विचार विमर्श करने के लिए प्रोत्साहन लिया गया है। मुझे इस बात पर कोई अपार्ज नहीं है कि भारत की संसद असम की घटनाओं के बारे में विचार करें। इस पर अनेकों बार विचार-विमर्श किया जा सकता है और हल किया भी है क्योंकि यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)। फिर भी, हमें उस पर विचार करना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री स्टीफन, यदि आप बुरा न मानें, तो मैं यह कहूंगा कि यही बात गृह मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कही थी। उन्होंने कहा था, "मेरे वक्तव्य में असम की सम्पूर्ण स्थिति का ब्यौरा होगा और इसमें उस लेख के बारे में भी उल्लेख होगा जो प्रकाशित हुआ है...

श्री सी० एम० स्टीफन : ठीक है। उन्हें पता था आपने नोटिस जारी कर दिया है। नियम 193 के अधीन अपना नोटिस मन्त्री महोदय के यहां वक्तव्य देने से पूर्व किया गया था। इसलिए वह नोटिस इस मामले से भिन्न किसी और मामले में थे। इसके बाद ही विचार-विमर्श हुआ है। मैं तो सिर्फ यह संसद के सम्मान का प्रश्न है; यह प्रश्न संसद के समक्ष आने वाले किसी मामले की तुलनात्मक महत्व का प्रश्न है। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस लेख को इतना महत्व नहीं लिया जाना चाहिए कि संसद में इस पर चर्चा हो। और यही मैंने कहा है।

अगली बात कहने से पहले, मैं एक महत्वपूर्ण मामले का भी उल्लेख करना चाहता हूं। पूरे लेख में वायरलैस टेलीग्राम का उल्लेख किया गया था। दुर्भाग्यवश, इस वायरलैस टेलीग्राम में "साइफर" शब्द का प्रयोग हुआ था। मैं थोड़ा सा इस शब्द के महत्व पर विचार करना चाहता हूं। "साइफर" शब्द का अक्षय है कि यह समाचार किसी कोड (ग्रुप भाषा) में आया है। महोदय यह कोड (ग्रुप भाषा) किसी भी देश का एक सर्वाधिक सुरक्षित दस्तावेज है। आंतारिक सुरक्षा के लिए तथा संचार गोपनीयता के लिए, संदेश को गुप्त भाषा में भेजा जाता है और हर देश की अपनी अपनी गुप्त भाषा (कोड) है और वह देश इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सदा सावधान रहता है कि इसके कोड (गुप्त भाषा) को कोई समझ न लें तथा कोड को तोड़ा न जाये। यह क्या हुआ है। जब कोड वायरलैस संदेश से भेजा जाता है, एक व्यक्ति की हैसियत से जो किसी

समय संचार का प्रभारी था, मैं जानता हूं कि यह कोई एक ही व्यक्ति विशेष नहीं है जो इसे संदेश को एकत्र कर सकता है। कोई भी इसे ला और ले जा सकता है। कोई भी देश ऐसा कर सकता है, कोई भी एजेंट ऐसा कर सकता है; कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। और ये संदेश उन व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए जा रहे हैं जो हमारे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। उनके साथ परेशानी यह है कि वे लोग इस कोड को पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन यहां, खुले रूप में घोषणा की गई है कि यह कोड है और साथ ही उसका अनुवाद भी दे दिया गया है। यदि 'साइफर' शब्द का उल्लेखन लिया गया होता तो मुझे कतई अपत्ति नहीं। 'साइफर' शब्द का उल्लेख करने के क्या पेचीदगी है? हर एक को यह पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। संदेशों को कोड (गुप्त भाषा) में भेजा जाता है और यदि आपके पास कोड है तो आप इसका मिलन करके इसका अनुवाद कर सकते हैं। यदि इसका अनुवाद कर लिया जाय तो कोड समाप्त हो जाता है, और कोड टूट जाता है और इसलिए यह देश के लिए सबसे बड़ी हानि है।

हम लोग विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित हैं। हमारी अलग-अलग मान्यताएं हैं। दल आते हैं और चले जाते हैं। सरकार बदलती हैं लेकिन हमें आंतरिक सुरक्षा का कुछ न कुछ तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक बार यह सुरक्षा व्यवस्था भंग हुई तो देश में अव्यवस्था फैल जायेगी। मेरा यह कहना है कि 'साइफर' के रूप में इसकी घोषणा करके, मैं यह ध्यान दिला रहा हूं कि यह एक कोड-संदेश है और यह उस कोड संदेश का अनुवाद है। अब हमारे कोड को पढ़ लिये जाने का खतरा हो गया है। मंत्रालय के लिए यह आवश्यक हो गया है कि यदि वह पूर्ण सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है तो उसे नया कोड तैयार करना चाहिए यह एक चीज है।

प्रो० मधु दण्डवते : 'साइफर' शब्द असम सरकार के लिए प्रयोग लिया गया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : हमें इस बात को मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे इस पर आपत्ति है।

मैं नहीं समझता कि यह लेख अब क्यों और कैसे छपा है। बात यह नहीं है कि इस पत्रिका विशेष में असम के मामले पर विस्तार से कुछ नहीं है। इसकी भूमिका में पत्रिका ने लिखा है :—

> "इंडिया टुडे पहली पत्रिका है जिससे इस कहानी को छपा था और इसके लेखों (15 मार्च 1983) में पहली बार चित्रों एवं शब्दों में वास्तविक अंतक पर्दाधार किया गया है।"

यह बड़ा सनसनी खेज दस्तावेज था जिसे उन्होंने 15 मार्च से पहले छापा था और इसे उन राष्ट्राध्यक्षों में वितरित किया गया जो दिल्ली में मौजूद थे —में लगभग 4-5-6 पृष्ठ थे और उसके सारे मामले का उल्लेख किया गया था।

अब, जो कुछ हुआ था उसके तीन माह बीत जाने के बाद इसे अब प्रकाशित करने के बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूं। मैंने इस लेख को बार-बार पढ़ा है। मेरा यह कहना है कि इस लेख में ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं हो, जिसे दबाया गया हो या जिस पर विचार न किया गया हो कुछ वायरलैस संदेश दिये गये हैं। पत्रिका के अनुसार वही सही निष्कर्ष है जैसे कि यह निष्कर्ष उस पत्रिका का न होकर उच्चतम न्यायालय का निष्कर्ष हो। उन श्रीमान जी ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जिन्हें पत्रिका में उद्धृत किया गया है। उन्होंने इन निष्कर्षों को बढ़ा चढ़ा कर बताया है।

अंततः इस सम्पूर्ण मामले में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह संदेश है जो मुख पत्र पर छपा है और जो नेल्ली के बारे मैं है। 15 मार्च को एक संदेश भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि किसी क्षेत्र विशेष में एक हजार आदमियों के एकत्रित देने की रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं; सुरक्षा प्रदान की जाये तथा अपेक्षित उपाय किए जाएं। तीन दिन बीत गए; लेकिन सुरक्षा नहीं प्रदान की गई और ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षात्मक उपाय किए ही नहीं गए। यह तो गृह मंत्री ही बतायेंगे कि क्या उपाय किए गए थे।

प्रश्न यह है कि क्या संदेश गोपनी है जिससे एक नई जानाकरी प्राप्त होती है। पत्रकार महोदय क्या कहते हैं? उनका ये कहना है। वह स्वयं कहते हैं:—

"वह संदेश यहां उद्धृत किया जाता है और यह स्पेशल ब्रांच के पुलिस महानिरीक्षक थी उस रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण कीड़ी है जो सरकार के पास 5 मार्च से अर्थात् पूरे दो महीने से पड़ी हुई है। मुख्य मन्त्री द्वारा स्वयं उन्हीं की अध्यक्षता में हुई बैठकों में जिसमें अनेकों अधिकारी भी उपस्थिति थे इस रिपोर्ट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है।"

अतः यह मामला संदेश को दबाये रखने का नहीं है। यह मामला तो इस संदेश को उस रिपोर्ट मे रखे जाने का है, जो अधिकारियों को भेजी गई थी और जिस पर मुख्य मंत्री के अध्यक्षता में और उनके अधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठकों में विचार-विमर्श हुआ था।

इसमें बताया गया है :—

"इस साक्ष्य के कारण..."

इस लेख को साक्ष्य के कारण नहीं और के कारण नहीं पत्रकार महोदय द्वारा पता लगाये गये संदेश के कारण—

"...(ओ० एस० सी०) जागी रोड और अमसोई पैतरोल चौथी को निलम्बित कर दिया गया है और 5वीं बटालियन के कमांडेट को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।"

इसलिये, स्थिति क्या है? इसी लेख के अनुसार जैसे ही यह पता लगा कि यह संदेश भेज दिया गया और जब यह प्रतीत हुआ कि इस संदेश के बावजूद यह हत्या कांड हुआ तो तत्काल कार्य-

वाही की गई, रिपोर्ट भेजी गई और निरंतर विचार-विमर्श किया जाता रहा। और उन अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया जो प्रत्यक्षतः दोषी पाए गए थे। सरकार ने एक प्रशासनिक जांच करवाने के लिए कार्यवाही की है कि यह माफी कैसे हुई थी।

इसका यह स्पष्टीकरण है कि सज्जन इसी लेख में कहीं और लिखते हैं कि यह क्यों हुआ। वह स्वयं इसके कारण बताता है। वह कहता है;

> "और फिर, इस समय तकवे पूरी तरह आग लगा रहे थे, जो कि पहले से लगी हुई थी—सिपझार, चमारिया में हत्याएं, दुबारा सिपझार, गोहपुर, खरैबाड़ी, गोरेश्वर इत्यादि में एक के बाद दूसरी हत्यायें होती गईं। इससे भी बदतर, चुनाव करवाने के निर्णय से लोगों को पूरी तरह से उन हाथों से अलग कर दिया, आखिरकार, जिनके द्वारा अधिकारियों को कार्रवाई करनी थी। इस प्रकार, इस किसी भी चेतावनी पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया।"

ऐसी हालत थी। हालात ऐसे थे कि हर स्थान पर झगड़े हो रहे थे। यह हर जगह अधिकारियों के अटल बैठे रहने की बात नहीं थी, यह अधिकारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग दौड़ने का प्रश्न था। जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है होने वाली हर घटना और ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए आसाम पुलिस बल के निचले स्तर के अधिकारी सहयोग नहीं दे रहे थे। वह तो यही कहता है। इसका कारण यही है या नहीं यह जांच का विषय है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई बड़ी खोज नहीं है यह ऐसी बात है जो सरकार के हाथों में है इस संबंध में कार्यवाही की गई है और सदन में हुई चर्चा से यह सब स्पष्ट हो गया था। इसमें और ऐसी कौन-सी नई बात है जिसे शामिल नहीं किया गया है? सरकार ने अपना प्रकाश न पेश किया है। यह है वह प्रकाशन :—

"असम इवेन्ट्स इन पर्सपेक्टिव" इसमें उन्होंने कुछ तथ्य स्वीकार किये हैं। वे स्वीकार करते हैं कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय के विरुद्ध अलग-अलग कर दिया गया वे मानते हैं कि अधिकारियों पर घेरा डाल दिया था। उनके ऊपर अत्याधिक पर भार था और वे बहुत भावुक स्थिति में थे। वे यह मानते हैं कि उम्मीदवार और चुनाव अधिकारी जो वहां से भेजे गए थे उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी थी। उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही थी वे यह भी मानते हैं कि ये बातें हैं वे इन बातों में से हर बात को मानते हैं और यही केवल मात्र निष्कर्ष है, गम्भीर निष्कर्ष है; जो कि यहां प्रकाशित हुए हैं निष्कर्ष में है :—

> "लोग लड़ाई करने वाले समूहों में बट गए"

सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है।

> "अधिकारियों को घेर लिया गया"

बयान में यह बात स्वीकार कर ली गई है—

"उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा और अब भयानक युद्ध के दृश्य के कारण इस को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है।"

यह हवाला केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के बारे में है। सी० आर० पी० के 30,000 जवानों को लोगों को सुरक्षा के लिए और उन्हें असम में भेजा गया था सम्पूर्ण स्थिति को सम्भालने के लिए परन्तु चुनाव आयुक्त ने कहा था "सेनाओं को नहीं बुलाया गया है।" जो कुछ भी सम्भव था वह वहां भेजा गया। और उन्होंने भी ऐसा ही कहा है। मैं जो बात कह रहा हूं वह यह है कि इस जांच में कोई नई बात नहीं है। और वह इसे महत्वपूर्ण जांच कह रहे हैं। वह सब लगभग वही है जो सरकार तो अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया है। इसमें नयी बात कुछ भी नहीं। परन्तु यहां इसे महत्वपूर्ण खबर कहा जा रहा जैसे कोई डरावनी खोज की गई हो। कोई नई बात सामने नहीं आई हो। यह कहा गया है कि जहां हिंसा का वातावरण था जैसे कि यह कोई नई बात सामने आई हो। यह बात तो बार-बार कही गई है मेरे मित्र, श्री चटर्जी आपको इस अवधि के दौरान चुनाव से पहले नहीं हुई हत्याओं के बारे में बताया। वहां हिंसा का वातावरण था, हत्यायें हो रही थीं, तनाव था। रपांकर में ऐसा व्यक्ति कौन थी, यदि वह गूंगा या बहरा न हो जो यह उसे न जानता हो कि असम की स्थिति वैसी ही थी जैसे कि इस तस्वीर में है वे इसे एक नया निष्कर्ष कहते हैं। वह निष्कर्ष क्या था ? कि वहां हिंसा हुई थी। यह निष्कर्ष क्या है ? हर एक चेतावनी दे दी गई थी कि "वहा हिंसा हो सकती है।" यह है वह महत्वपूर्ण निष्कर्ष और यह सब कुछ जो इसमें से सामने आया है।

अन्वेषणात्मक पत्रकारिता में कोई व्यक्ति जाता है और कुछ सामाग्री में से कुछ चुरा लेता है और उसे प्रकाशित करता हैं, क्या यह अन्वेषणात्मक पत्रकारिता है ? अन्वेषणात्मक पत्रकारिता का अर्थ है स्थिति का विश्लेषण करना और ऐसी बातें सामने लाना जिनके बारे में किसी को न हो और अनूठी खबर देना। यह चोर पत्रकारिता से अलग है।

इसके बाद प्रश्न यह उठता है कि इसे क्यों प्रकाशित किया गया। यही वह प्रश्न है जिसमें हमें उत्तर देना होगा। इसके पीछे भी कोई उद्देश्य हो सकता है और इसके उद्देश्यों के बारे में बताने से पहले, मैं इस रिपोर्ट की प्रस्तावना पढ़ूंगा। सम्पादक ने बताता है।

"जब 'इंडिया टूडे' का पता चला कि मैगासे पुरस्कार विजेता पत्रकार और लेखक"

मैं उस सज्जन का नाम नहीं बताना चाहता—

"सामग्री एकत्र कर रहा है···"

(व्यवधान)

"एक पुस्तक के लिए..."

व्यवधान

असम जैसे आंदोलनों पर तो इंडिया टूडे ने उसके निष्कर्ष प्रकाशित करने का निश्चय किया।"

इस बारे में कतिपय प्रश्न उठते हैं। वह सामग्री एकत्र करने के लिए घूमता रहा। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समाचार पत्र को यह सूचना किसने दी कि ये सज्जन सामग्री एकत्र कर रहे हैं। क्या यह वही व्यक्ति था जिसने यह जानकारी दी थी या यह कोई और व्यक्ति था जिसको इस काम पर लगाया गया था जिसने उनको सूचना दी ? उन्होंने यह जानकारी कैसे प्राप्त की ? और किसके बारे में प्राप्त की ? न केवल असम के बारे में परन्तु असम जैसे सभी आंदोलनों के बारे में। इस प्रकार, अब तस्वीर स्पष्ट हो रही है।

श्री चटर्जी ने लन्दन रिपोर्ट पढ़ी वहां घटनाएं हो रही हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में गड़बड़ी हो रही है' नागालैंड में गड़बड़ी हो रही, त्रिपुरा की भी यही स्थिति है विभिन्न राज्यों में गड़बड़ी हो रही है पंजाब में गड़बड़ी हो रही है असम में भी, अमृतसर में गोलियां चल रही हैं और देश के अलग-अलग हिस्सों में गड़बड़ी हो रही है, और ये सज्जन ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं गडबड़ी वाले स्थलों पर जाने और उन स्थानों से सामग्री एकत्रित करने के कार्य को लिया जहां पर असम आन्दोलन जैसे आन्दोलन हो रहे हैं यह कार्य किसके लिए किया जा रहा है? इसका क्या उद्देश्य है ? इसके पीछे किन शक्तियों का हाथ है सारे देश को पता है कि इसके पीछे कौनसी ताकतें हैं। हमारी यह हालत आपचाहे मानें या नमानें कुछ दूसरे देश जो यह नहीं चाहते...

एक माननीय सदस्य : जैसे ...

श्री सी० एम० स्टीफन : कुछ दूसरे देश जिनको भारत का प्रयास कर और प्रगति करते हुए अच्छा नहीं लगता वे देश के टुकड़े करना चाहते है। दी(पैट्रीयोट) ने एक वाणिज्य दूतावास से कुछ महीने पहले एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें उसने अपने संचार संबंधी अनुसंधान का पूरा सार दिया था जिसमें लिखा था यह मत समझो कि भारत अजेय है इसके टुकडे किए जा सकते हैं और इसके विकास में बाधा डाली जा सकती है और यही कोशिश की जा रही। प्रधानमंत्री जी बार-बार यही कह रही हैं हम भी कहते रहे हैं कि इन आन्दोलनों के पीछे विदेशी हाथ है उनके दो उद्देश्य हैं एक तो इस देश के टुकडे करना और दूसरा इस देश की सम्मान जनक देश के रूप में छवि प्रस्तुत न करना।

आज विदेशों में छवि यह है कि हम निर्धन हैं हम पिछडे हुए हैं परन्तु फिर भी हमारी छवि हैं कि यह का शांति देश है यह अहिंसा का देश हैं यह बुद्ध अशोक और महात्मा गांधी का देश है हमारी यह छवि है और इसी का महत्व है हमें इस देश के लिए इसी छवि को बनाए

रखना है और देश के दुश्मन इस छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। वे ऐसा कर रहे हैं दलबदल कर रहे हैं देश में तनाव पैदा कर रहे हैं रिपोर्ट तैयार करते हैं और उन्हें विश्वसनीय ढंग से विदेशों में भेजते हैं मैगासे से पुरस्कार विजेता द्वारा दी गई रिपोर्ट की तुलना में कौन सी रिपोर्ट अधिक विश्वसनीय या अधिक स्वीकार्य कही जा सकती है ? यह स्वीकार्यता का पारपत्र है और इसीलिए मैगासे से पुरस्कार विजेता असम जैसे आन्दोलनों संबंधी रिपोर्ट एकत्रित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है उसकी गतिविधियां एक ओर तो नागालैंड से पजाब तक हैं दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर, जहां कहीं भी गड़बड़ी होती है यह मैगासे से पुरस्कार विजेता वहां इस बात का पता लगाने के लिए पहुंच जाता है कि वहां क्या हो रहा है और वह अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेता है बहुत समय पहले जब महात्मा गांधी जी जिन्दा थे तब कथरिन मायो द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी उसने इस देश के बारे में गलत प्रकाशित किया था महात्मा गांधी से यह पूछा गया था कि इस बारे में उनकी क्या राय है ? और गांधी जी ने कहा था कि यह नाली निरीक्षक की डायरी है मैं इसे नाली निरीक्षक की रिपोर्ट का नाम नही दूंगा क्योंकि इसका लेखक एक माननीय व्यक्ति है वह मैगासे से पुरस्कर विजेता है परन्तु यदि महात्मा गांधी जिन्दा होते तो वे इस सामग्री जो वह एकत्र कर है उसे यह सुन्दर शीर्षक देते मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अकेली घटना नहीं है ...

प्रो० मधु दण्डवते : महात्मा गांधी को बदनाम मत कीजिए।

श्री सो० एम स्टीफन : मेरा मतलब यह है कि यह बात केवल असम तक ही सीमित नहीं है यह केवल उसके द्वारा उन देशों से एकत्रित की जा रही सामग्री का थोडा सा हिस्सा है जिनका नियत्रण ऐसे लोगों द्वारा किया रहा है जो विदेशों से इन सब बातों का प्रबन्ध कर रहे हैं।

मैं इस बात की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं कि वह उनके हाथों में है। यह कार्य मेरा नहीं है। मैं देश तथा सदन पर इस बात का निर्णय करना छोड़ता हूं कि यह व्यक्ति इसमें कैसे रुचि ले रहा है, और इंडिया टुडे इसके प्रकाशन में क्यों रुचि ले रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को यह देखना है कि यह क्यों हो रहा है। इसके बारे में विभिन्न मत हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भारत आज तरक्की कर रहा है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि भारत का अतीत बहुत गौरवशाली था। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि भारत आज भाग्यशाली है। परन्तु कुछ व्यक्तियों के अनुसार भारत आज विफलता के कगार पर खड़ा है कुछ लोगों के अनुसार विभाजन और विसर्जन की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग सोचते है कि भारत आज किसी चीज का मैदान है और यहां प्रत्येक चीज खराब है और आज भारत इस इण्डिया टुडे के लिए ऐसा ही है। यह बात मैं निर्णय के लिए विश्व तथा लोगों पर छोड़ता हूं। इस सम्बन्ध में मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

अतः मैं कहता हूं कि आपको स्थिति की जांच करनी होगी। ऐसा क्यों है ? इसके प्रकाशन

न्यायोचित तथा उद्देश्यपूर्ण नहीं हैं। इस पत्रिका का एक उद्देश्य है। इसके दो चेहरे हैं। एक चेहरा आंतरिक है और एक बाह्य। बाह्य चेहरे का क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय है। इसलिए गृहमंत्री ने बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से कहा था कि जब यहां निर्गुट सम्मेलन हुआ तो यह प्रकाशित किया गया। वे देश को बदनाम करना चाहते हैं। वे देश की तस्वीर अशोक और महात्मा गांधी के देश की बजाय तनाव, हत्याएं और उपद्रव के देश के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे यह तस्वीर प्रस्तुत करना चाहते। उन्होंने ऐसा किया है और वह तस्वीर समाप्त हो गई। इसके बावजूद भी आज का भारत प्रमुख देश बन गया है। क्या हुआ है? निर्गुट आंदोलन के सभापति ने सभी देशों के अध्यक्षों को नई दिल्ली की घोषणा के आगे बढ़ाने के लिए न्यूयार्क में एकत्रित होने के लिए नियंत्रण भेजे हैं और विश्व की राजधानियों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए की नहीं। अधिकतर देश के स्तर तथा निर्गुट आंदोलन के सभापति के स्तर पर निर्भर करता है। अतः देश की तस्वीर को धूमिल करना इनके हित में है और देश की तस्वीर को इस ढंग से पेश करने में इनका हित है कि इस देश में हत्याएं होती हैं, सरकार यहां हत्याएं करवाती है, चुनाव जीतने के लिए हजारों लोगों की हत्याएं की जाती हैं, यह संयोगवश नहीं हुआ हैं कि ठीक इसी समय 'हाऊस ऑफ काम्पन्स' में इस बारे में एक प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह सभी आपातकाल के समर्थकों द्वारा दिया गया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह आपातकाल का समर्थन है या किसी और चीज का, प्रस्ताव इस प्रकार है :

"इस सदन को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि सेलवाडोर, गोटेभला, फिलीपीन, भारत में, चीन और इरान में एशिया, अफ्रीका तथा बर्लिन अमरीका के 17 अन्य देशों में राजनैतिक उद्देश्य से सरकार के आदेश या इसकी सहकारिता से पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की गैर कानूनी ढंग से हत्याएं की जा रही है तथा इसके लिए सहायता प्रदान कर रही है..."

यह नोटिस 24 अप्रैल को दिया गया था। यह समाचार भारत के समाचार पत्रों में पिछले महीने के अन्त में प्रकाशित हुआ और हमारे संसद सदस्यों ने इसका जोरदार विरोध किया। हमारे आयुक्त ने उनके साथ बातचीत की और इस आरोप का जोरदार शब्दों में विरोध किया और ठीक इसी समय अलग से पुरस्कार विजेयता ने यह घोषणा की कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह सही है और एक ऐसी सरकार है जो पुरुषों महिलाओं और बच्चों की हत्यायें करवाती हैं, उन लोगों के पास क्या बेहतर प्राधिकार और हथियार हो सकता है? जी हां, ऐसा प्रकाशन जो विदेशों में देश की छवि को धूमिल न करें, देश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाए और उन शत्रुओं को ऐसा मसाला दे जो अपने सदन में हमारे देश के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहे हैं क्या यह कार्य देशभक्ति के विरुद्ध है? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या यह वास्तव में देश-भक्ति के खिलाफ नहीं है? क्या जो कुछ किया गया है यह उनका उद्देश्य नहीं है? एक

समय, एक ही तारीख, यह सब बातें एक साथ हुई। स्पष्ट है कि सब कुछ वहां था। महोदय यह बात नोट करने की है कि यह केवल एक प्रकाशन ही नहीं है पत्रकार इसे प्रकाशन के ही रूप में नहीं प्रकाशित करना चाहता था। उसने इस पर सदन में बहस करवानी चाही। संसद सदस्यों ने इस पर सदन में बहस चाही। वे केवल यही चाहते थे कि ब्रिटेन की संसद में इस पर चर्चा हो ताकि इसका बड़े पैमाने पर प्रचार हो। स्पष्ट है कि सारा मामला सुनियोजित था। यह बड़े सुनियोजित ढंग से किया गया। उन्होंने इस देश, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी महिमा, परम्पराओं और अशोक तथा महात्मा गांधी से प्राप्त शांति को बेचने के लिए भरसक प्रयास किया। इसलिए मैंने पूछा है कि यह सब कुछ एक नयी बात नहीं है। इसके रखने के लिए बहाने बाजी की गई। इसके अलावा कुछ नहीं है। यह इसका बाह्य रूप है। इसका आंतरिक रूप क्या है। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है कि असम में स्थिति बेहतर है और असम सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। वहां सरकार ने कदम उठाए हैं। ये लोग वक्तव्य को प्रकाशित करना चाहते हैं और वहां असामान्य स्थिति बनाये रखना चाहते हैं। उन्हें निराशा हुई है क्योंकि असम में सामान्य स्थिति हो रही है। असम की अपनी समस्याएं हैं, इण्डिया टुडे के इसी संस्करण यह एक अन्य बात प्रकाशित हुई है। इसमें असम में जो कुछ हुआ है उसे "साम्प्रदायिक फूट" शीर्षक से छापा है। वे चाहते हैं :—

> "चुनाव के इन अशांति के दिनों में एक प्रमुख दल का नेतृत्व अखिल असम छात्र संघ (ए० ए० एस० यू०) श्री नरुल हसन कर रहे थे, शेख नेता जेल में थे।"

गोहाटी में एक स्थानीय कालेज में हुई बैठक में इस बात का दावा किया गया कि उसने एक ज्ञापन 24 दिन का अल्टीमेटम दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने यह उदाहरण कहां से लिया ?

श्री सी० एम० स्टीफन : वे क्या कहते हैं ?

> "15 सूत्री कार्यक्रम में ए० ए० एस० यू के० विवादास्पद प्रमुख को, स्वेच्छा सेवक वाहिनी, जिसका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्ध है, को हटाने और ए० ए० एस० यू० द्वारा विदेशियों की स्पष्ट परिभाषा देने की मांग की गई है।"

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : वे कितनी देर बोल सकते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अपनी पार्टी का समय ले रहा हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : 40 मिनट समाप्त हो गए हैं।

सभापति महोदय : मैंने श्री बहुगुणा को भी बराबर समय दिया है।

श्री सी० एफ० स्टीफन : मैं उससे चिंतित नहीं हूं, जो कुछ आपने मेरे साथ किया है। मैं सभापति से यह जानना चाहता हूं कि समय सीमा कितनी है अन्यथा से दूसरों को बोलने का समय नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय : वे जितना भी समय लेंगे वह उनकी पार्टी का समय होगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : इसका चिंता न करें। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री बहुगुणा इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। मै जो कुछ बोल रहा हूं। वह आपके लिए भी समर्थन है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जब श्री स्टीफन अधिक बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वे नहीं कोई और बोल रहा है।

श्री० सी० एम० स्टीफन : बहुत अच्छा। श्री बहुगुणा ने मुझे याद दिलाया है कि पुराने बहुगुणा मर चुके हैं। मैं जो कुछ देख रहा हूं वह केवल उनकी छाया है। उन्हें विश्वास होना चाहिए कि श्री स्टीफन वहीं हैं। वे अभी मरे नहीं।

सभापति महोदय : मुझे पता है कि दोनों जीवित हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, वे अशांति बनाए रखना चाहते हैं, उन्होंने यह कहानी बनाई है कि वहां मौतें हुई हैं, आगजनी की घटनाएं उपद्रव के कारण नहीं बल्कि सरकार ने करवाई हैं। इसका मामले को वे ए० ए० एस० यू० के आंतरिक तनाव के समाधान के रूप में रखना चाहते हैं और उन्हें दूसरे आंदोलन के लिए तैयार करना चाहते हैं। इसलिए बाहर इस तस्वीर के कारण इस लेख को मैंने दुखद बताया है। यह प्रक्षेपण जो मुझे नहीं मिला है, इस लेख की वास्तविकता कुछ भिन्न है। परन्तु इस लेख के लेखन ने इसे गुप्त रखा है।

महोदय, सरकार कह रही है कि इसमें राष्ट्रीय स्वयं संघ का हाथ है। परन्तु राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र यह कह रहे हैं खा रहे हैं कि मुर्गे और सांड की कहानी है। वायरलैस से यह सूचना दी गई कि उन्होंने निष्ठा से कार्य किया है—और यह टिप्पणी वहां है, ये रिपोर्ट क्या कहती हैं? मैं कुछ अंश पढ़कर और अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : आप उसे सभा पटल पर क्यों नहीं रख देते।

श्री सी० एफ० स्टीफन : मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय 'ले' शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है।

श्री राय **जेठमलानी** (बम्बई उत्तर पश्चिम) : मुझे नहीं पता मेरे मित्र 'ले' शब्द का क्या प्रयोग करते हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, यह मैंने नही कहा है। ये समय-समय पर प्राप्त रिपोर्ट हैं और मेगसे से पुरस्कार के विजेता ने इन्हें सच्ची रिपोर्ट कहा है। उन्होंने कहा है कि :

"राष्ट्रीय स्वयं संघ के शामिल होने और कई स्थानों पर उपद्रवों से पता लगता है कि चुनाव के पहले और बाद में साम्प्रदायिक दंगों की संभावना है ।" कि "उपलब्ध सूचना से पता लगता है कि आंदोलनकारी बड़े पैमाने पर विरोध नहीं कर सकते परन्तु चुनाव की तारीख नजदीक आने के कारण हिरस की घटनायें बढ़ सकती है ।"

महोदय, इसमें दो बातों का पता चलता है । विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर आंदोलन नहीं है । बड़े पैमाने पर लहर नहीं है और उपद्रव होंगे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने के कारण होंगे ।

इस रिपोर्ट में लिखा है :

"राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने उम्मीदवारों से कहा है कि वे उपद्रवियों के हिंसात्मक कार्यक्रमों में उनका साथ दें । कामरूप की घटना में राष्ट्रीय सेवक संघ के दो नेताओं को पुलिस पर हमला करने के लिए भीड़ को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है । असमी हिंदुओं को भड़काने में राष्ट्रीय स्वयं सेवक की दिलचस्पी और और मुस्लिम साम्प्रदायिक दलों के शामिल होने से नवगांव दारंग और कामरूप जिलों में साम्प्रदायिक दंगे होने की संभावना है । अत: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर नवगांव और कछार में कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है, जहां उनकी स्थिति मजबूत है ।"

महोदय, यह सब कुछ वहां हुआ है जहां उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सघ का दबदबा है । हमें इसे एक दूसरे से जोड़ना होगा ।

श्रीमान, मैं बार-बार नहीं पढ़ना चाहता । अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । उस बेतार के संदेश में कहा गया है कि इन सब बातों के पीछे आर० एस० एस० और भारतीय जनता पार्टी का हाथ है । यही मुख्य खबर थी और इस मुख्य खबर को गौण दिया गया है । और जो मुख्य खबर नहीं है उसे उछाला जा रहा है क्योकि उनके लिए मुख्य खबर मुश्किल पैदा कर सकती है और इसका दूसरा अंश इसके आदेशों के मुताबिक बनाया गया है ।

श्रीमान्, प्रश्न यह है कि वे कहते हैं कि वहां हिंसा थी । मगर हिंसा की आशंका थी तो आप चुनाव के लिए क्यों गये । उन्होंने सीधा-सादा तर्क दिया है। यह हिंसा चुनाव के बाद हुई । इसी हिंसा की वजह से चुनाव हुए कराये गये ताकि कांग्रेस को बहुमत मिल सके । यह बहुत ही आश्चर्यजनक तर्क है, जोकि वह कह रहे हैं, इदके तर्कों या बातों को परखने और उनका विवेचन करने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है । इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ता हूं ।

श्रीमान्, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चुनाव करवाने क्यों अनिवार्य हो गये थे।

इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। असम का उच्च वर्ग राजनैतिक सत्ता चाहता था। अगर उन्हें सत्ता प्राप्त करनी थी, तो इससे जरूरी था कि वे मतदाता सूचियों से काफी संख्या में लोगों को हटायें। चाहे कितनी दफा भी संशोधन किया जाता, वह कानून के अनुसार यह नहीं कर सकते थे। नागरिकता कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जोकि भारत में पैदा हुआ है, वह इस देश का नागरिक है। एक व्यक्ति चाहे वे प्रवासी मां-बाप से पैदा हुआ हो, चाहे वह हिंदू हैं या मुस्लिम इस देश का नागरिक है। जहां तक प्रवासियों का प्रश्न है, इसमें प्रावधान है कि जो भी भूतपूर्व पाकिस्तान क्षेत्र में गड़बड़ी के समय भारत आये हैं, उन्हें इस देश से निकाला नहीं जायेगा।

इस अधिनियम में यह बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। यह इस अधिनियम के घेरे के अन्तर्गत आता है, कि निकालने संबंधी प्रक्रिया का हल ढूंढा जायेगा। तथापि वहां से कुछ लोग हटाये जा सकते हैं, ये अनुपात के अनुसार नहीं हो सकते जैसा कि वे सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि वे सत्ता प्राप्त कर सकें। उनका रवैया यही रहा है कि किसी तरह समझौते में अड़चन पैदा की जाये। अगर वे समझौते में अड़चन पैदा करते हैं तो शांतिपूर्ण चुनाव करवाना सम्भव नहीं है और अगर वहां जबरदस्ती चुनाव करवाये भी जाते हैं तो पहले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र ही नहीं भरने दिये जायेंगे, दूसरे जो उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े होंगे उन्हें मार दिया जायेगा तीसरे मतदान अधिकारियों को कत्ल कर दिया जायेगा या उन्हें कार्य नहीं करने दिया जायेगा।

इस तरह एक-एक करके वे यह बातें करेंगे। वे अपने इन सभी प्रयासों में असफल रहे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की कार्यवाहियां करनी शुरू कर दीं। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि, विधान सभा भंग होने के एक वर्ष के भीतर चुनाव करवा दिये जायेंगे।

हमने इस बारे में कई कदम उठाये और इस दौरान 21 बार बैठकें आयोजित की गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जोकि समझौता नहीं होने देने चाहते थे, वे चाहते थे कि चुनाव न हो, और वे ऐसी स्थिति पैदा कर दें, जिसमें कि कोई भी सरकार वहां न बन सके ताकि राज्यशासन उन्हें सौंप दिया जाए। और वे जबरदस्ती वहां से अल्पसंख्यकों को बाहर कर सकें वे उनका नाम मतदाता सूची से नहीं निकाल सके। और अगर उन्हें वहां से जबरदस्ती बाहर निकालना है तो इसके लिए आवश्यक था कि ऐसे हालात पैदा की जाती जिसमें कि वहां पर कोई भी सरकार न होती और इसके लिए, इसी बीच, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने एक सेना वाहिनी, का गठन किया। इसका चीफ शर्मा है। इस सेना के पास बजाने के लिए ड्रम-बैंड आदि हैं। यह उस दिन का इन्तजार कर रही थी, जबकि वहां पर कोई सरकार न होती, और चुनाव फेल हो जाते, ताकि अल्पसंख्यकों को मारा जा सकता और जैसा कि नेल्ली और अन्य जगहों पर हुआ है उन्हें बिना

सामान्य कानूनी कार्यवाही के प्राण-दंड दे दिया जाता। शायद ऐसा हो जाता। हमें इन दो फैसलों में से एक को चुनना था लेकिन एक काफी मुश्किल कार्य था। पहला तो यह कि चुनाव करायें जो, और इससे बाद में होने वाले सभी परिणामों के बारे में तैयार रहा जाये। इससे एक ऐसी सरकार का गठन होगा जोकि स्थिति को सुलझा सके और जहां तक हो सके बिना वजह जो कत्लेआम हो रहा है उसे रोक सके। दूसरे संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट होने दिया जाए और राज्य का शासन वाहिनी लोगों को सौंप दिया जाए, ताकि वे मुसलमानों और बंगाली लोगों को मारना शुरू कर सकें।

इसलिए यह निर्णय लेना एक कठिन कार्य था। हमने प्रचलित इस परम्परा से चुनाव नहीं कराये थे कि हिंसा नहीं होगी। वहां कुछ हिंसा तो होनी थी। लेकिन हमें यह निर्णय ही लेना था और लिया। इसमें मात्र यही एक औचित्य है कि जब कुरुक्षेत्र के लड़ाई के मैदान में जब अर्जुन ने दूसरे पक्ष के लाखों लोगों को देखा तो उसे बताया गया कि "यह तुम्हारा धर्म है, इसमें तुम्हें अपने पिता को भी मारना पड़ सकता है, तुम्हें अपने चाचा को भी मारना पड़ सकता है, तुम्हें किसी भी व्यक्ति को मारना पड़ सकता है, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम्हें धर्म निभाना होगा।" हमें भी असम में कुछ धर्म कर्त्तव्य, निभाने हैं।

कर्मण्येनाधिकारस्ते मा कलेषु कदाचन ।
मा वर्मफलहेतु र्भू: मा ते संगोउस्त्वकर्मणि ।।

और इसी मिशन के साथ हम वहाँ गए। यह हमारा कर्तव्य था और हमने कहा कि यह हमारा कर्त्तव्य है। हमने इसे निभाया। अपना कर्त्तव्य पूरा करने के पश्चात्, हम सदन में उपस्थित हैं, इसलिए कि इस बात का फैसला किया जाये कि क्या हमने अपने कर्त्तव्यों का पालन किया है या नहीं। हमें इसके लिए मैगसासिस पुरस्कार आदि नहीं मिलने वाले। हमारे कार्यों के प्रति फैसला इस देश के लोग करेंगे।

18.05 **(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)**

श्री हेमवती बहुगुणा (गढ़वाल) : सभापति महोदय, मुझे पता नहीं कि आप मुझे कितना समय देंगे।

श्री सी० एम० स्टीफन : एक दिन।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वह सम्भावना नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : समय दिया नहीं जाता, लिया जाता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : सब से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लायक दोस्त, मान्यवर श्री स्टीफ़न, ने अपना इतना ज्यादा समय और शक्ति एक अखबार वाले के

खिलाफ लगाई है। उसके बजाए अगर वह इस समस्या के हल के सम्बन्ध में अपनी राय बताते, उसके बारे में देश की जो चिन्ता है, उसका कुछ निराकरण बताते, तो बहुत अच्छा होता। उनको बहुत गुस्सा है कि अखबार वाले ने कोड वाली बात छाप दी है, उनके मुताबिक यह गजब हो गया है, । कोड में देश की सारी सीक्रेसी हैं, उसी में देश की सारी जान है, सुरक्षा हैं, अगर वह निकल गया, तो काम बिगड़ गया। मुझे आश्चर्य है कि लोकतंत्र और लोकशाही में विश्वास का दावा रखने वाले देश के एक ऐसे नागरिक ने इस बात को कहा है, जो बहुत लम्बे अरसे से लोकशाही और खासकर मजदूर संगठनों से सम्बन्धित रहा है।

अमरीका की लोकशाही देखिये। दो बिल्कुल छोटे छोटे जर्नलिस्ट एक बात निकालते हैं और निक्सन साहब के इम्मीचमेंट तक का सिलसिला बन जाता है। सी० आई० ए० ने चिली में क्या किया, अखबार वाले इस बात को निकालते हैं और निकाल कर छापते हैं और सारा संसार उनको धन्यवाद देता है। खुद अमरीका के लोग यह नहीं चिल्लाते कि अखबार वालों ने हमारे देश के कुकर्मों की कहानी क्यों छापी। एक वह देश है—जिस देश की विदेश नीति और अर्थ-नीति से मेरे जैसे लोगों का बिल्कुल भी कोई साथ नहीं है—जहां चिली और निकरागुवा में किए गए उसके कुकर्मों को अखबार वाले निकालते है, तो उस देश के लोग हीन ही हम सब उनकी प्रशंसा करते हैं। जिस किसी काम से मानवीय मूल्यों का हनन और देश की मान्यताओं का अहित हो, उसको उजागर करने और छापने वाले आदमियों को शाबाश कहने के बजाए उसकी बावत इतना गुस्सा करना, और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, जिनका माननीय स्टीफन द्वारा किया गया है, मैं समझता हूं कि इससे लोकशाही के विपरीत मनोवृत्ति की एक छोटी सी पर खतरनाक झलक हमारे सामने आई है। यह आने वाले समय के बावत बहुत खतरनाक इशारा है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि यह कोड एक ऐसे वक्त पर निकल गया, जब वहां पर एक कांफरेंस हो रही थी। कूड़े को दरी के नीचे डालने से सफाई नहीं होती। अगर कूड़ा साफ करना है, तो उसे साफ करना चाहिए। अगर उसे दरी के नीचे डालेंगे, तो गंदगी और बढ़ेगी। इनकी मुश्किल यह है कि इन्होंने दिल्ली को तमाशे का अड्डा बना रखा है। यहां कुछ न कुछ होता ही रहेगा और कोई न कोई आते ही रहेंगे। और अगर कोई नहीं आएगा, तो ये यहां से किसी विदेशी सचिव को भेज देंगे। कहेंगे कि जाओ, बात करके किसी तरीके से आराफात को बुलाओ, कोई तिकड़म लगाओ। इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है। रोमन रम्परर्ज जब अपने देश की समस्याओं को हल न कर सके, तो उन्होंने देश भर में सर्कस खोल दिए। इन्होंने देश में एक राजनैतिक सर्कस खोल रखा है। लेकिन इससे देश की समस्याओं पर चर्चा बन्द नहीं होगी आखिर हमारी एक खुली सोसायटी है। बी० आर० एन० आपन सोसायटी।

ये लोग चाहे कितना छिपाएं, बम्बई की हड़ताल बोल रही है कि इनकी सरकार किस तरफ है। ये कितना ही छिपाएं, हमारे देश में भूमि की जो दुर्व्यवस्था है औनभूमि-चारों ओर इनके दल का जो साथ है, वह बोल रहा है कि ये लोग किस तरफ हैं। ये कितना ही छिपाते रहें, विदेशी

कर्जा लेने के लिए भिखमंगों की क्लब के चेयरमैन बनकर एशियन बैंक में जाना अपने आप बोल रहा है कि हमारी सरकार देश को कहां ले जा रही है। मैगसाईसाई एवार्ड लज को पकड़ लिया और उसी की रटन लगा रहे हैं। आईने में शक्ल देखिए तब पता चलेगा कि आप देश को कहां ले जा रहे हैं।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि इस आदमी ने बड़ी खराब बात छाप दी है। ईजराइल जैसे गंदे देश का नाम लेना तो मेरे लिए पाप है। यह इसलिए कि दूसरे की भूमि में दूसरे को बैठाना इससे बड़ा और कोई गुनाह नहीं हो सकता है। खासकर इसलिए भी कि इस्लाम के महान पवित्र स्थान पर एक अपवित्र कब्जा कर रखा है। उस गंदे मुल्क के अन्दर भी जब लेबनान में फलीस्तीनी लोगों पर कुकर्म किए गए तो वहां की सरकार ने चलती लड़ाई के बीच चीफ जस्टिस को बैठा दिया कि जांच करो। आप कह रहे हैं कि जांच कैसी? जांच के चलते उसके निर्णय के फलस्वरूप में, जो पत्रकारों द्वारा ही छपकर बाहर आई थी या वहां मंत्री को इस्तीफा देरा पड़ा। यहां इन सब कामों के लिए प्रमोशन होता है। हो सकता है कि अगली मर्तबा सेठी जी कुछ बड़े आदमी बन जायें। क्योंकि जो गृह मंत्री गड़बड़ी करता है, वह बड़ा बन जाता है। तो ठीक है, अच्छा है।

श्री सी० एम० स्टीफन: हमें ईजराइल द्वारा दिखाये गए रास्ते पर नहीं चलना चाहिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: हमारे स्टीफन साहब ने भी एक बड़ी कला दिखाई, कुछ हिन्दू धर्म की जानकारी पर भी अपना काबू दिखाया। यदि हिंदू धर्म की बात करते हो, तो आप समझ लीजिए कि रावण के मरने के बाद श्री राम ने श्री लक्ष्मण से कहा कि जाओ कुछ राजनीति सीख कर आओ। लक्ष्मण रावण के सिर की तरफ बैठे तो रावण नहीं बोला। राम ने सुना और कहा सीखना है तो पैरों की तरफ बैठो। रावण के पास भी कुछ सीखने को होता है, उसे सीखना चाहिए। हमारा जो हिंदू धर्म है और हिंदू कल्चर है, वह तांगे के घोड़े की आंखों को दोनों ओर पट्टे नहीं लगाता है। हमारी मान्यता वही है कि न बायां देखना है और न दायां देखना है। सब खुला हुआ है। हम सबको देखते हैं, गुण लेंगे—'सार सार को गहलियो थोथा दिया उड़ाया।' वह करेंगे। उतनी बात करेंगे। गन्दी हरकतों के कारण ईजराइल देश को भी मैं पापी समझता हूं। मेरा बस चले तो मैं उसके कन्सुलेट भी हटा दूं बम्बई से। मेरा प्रस्ताव है कि हटा दीजिये। यह हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन आप तो उसको रखेंगे। तराजू मान्यवर यह है कि जो ये करें वह वेद है और हदीस है।

श्री सी० एम० स्टीफन: मगर आपका वहां पर वाणिज्य दूतावास है तो आपको सूचना मिलती रहेगी कि वहां का क्या हाल है, क्या हो रहा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: यह कांसूलेट रख रहे हैं कि वह इनकी एजेंसी करेगा। अच्छा तो मालूम हुआ कि ईजराइल से अन्दर-अन्दर कितनी दोस्ती है। अच्छा यह है रिश्ता। यह नई

बात मालूम हुई। हमारे आनरेबिल मुस्लिम लीग के सदस्य भी समझ लें कि यह जो रिश्ता है। उसके चलते आपका भी नजदीक रिश्ता है उसका क्या होगा ?

एक बात मैं असम के सिलसिले में कहना चाहता हूं, मैं वक्त खराब नहीं करना चाहता हूं···(व्यवधान) ··मैं यह बात बिल्कुल मानने को तैयार हूं। असम की जनता गवर्नमेंट ने मंगलदोई पार्लियामेंट्री कांस्टीचूयेंसी, जैसा कि एक माननीय सदस्य कह रहे थे, वह सही नहीं है, 40 हजार से 50 हजार फारन नेशनल्स फारन नेशनल्स लिखवा कर पुलिस से, इस झगड़े को जो 1949 से 1977 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों ने इसको जिन्दा रखा था, असम कांग्रेस के अध्यक्ष श्री देवेश्वर शर्मा ने शुरू कराया था। उस वक्त भाजपा के वाजपेयी की राजनीति का जन्म भी नहीं हुआ था। उस वक्त से झगड़ा चला है। किस्सा बहुत लम्बा है। आज उसकी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। अपने को समझना और इस रास्ते से आप को निकालना है। इसमें फंस गये हैं कि राजनीति में एक रास्ता निकालना है और इसमें से निकलना है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिये चले गए हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : सुनने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए। बोलने से भी ज्यादा।

मैं एक सीधी-सी बात कहना चाहता हूं कि इस बात का पता लगाना ही होगा कि वायोलैंस के लिए जिम्मेदार कौन है। मैं मानता हूं, मेरी अपनी राय है, यदि मेरी राय सब मान लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी एक की राय सब तो मानेंगे नहीं। इसलिए कोई जुडिशियल इन्क्वायरी तो होनी चाहिए कि वायोलैंस के लिए जिम्मेदार कौन है।

लेकिन मेरा कहना यह है कि न कराइये, आपकी मर्जी है। इलेक्शन्ज होते हैं उनमें बहुत सी घटनायें होती हैं, मर्डर्ज होते हैं—सवाल यह है कि यहां गवर्नमेंट है या नहीं है ? भारत की गवर्नमेंट है या नहीं है ? स्टीफन साहब चिल्ला रहे थे-- सब तरफ आग लग गई है—आपका फायर-ब्रिगेड क्या कर रहा है, आपके पास पानी नहीं है ? यह तो बे-पानी की सरकार है। इनके पास पानी नहीं है। सरकार में दो लफ्ज हैं—एक 'सर' और दूसरा 'कार'। 'सर' क्या है —अंग्रेजी में 'सर' के मायने हैं सलाम और 'कार' के मायने हैं 'कार'। आज की सरकार कार और सलाम है और कुछ नहीं है। अगर हिंदुस्तानी में होता तो सिर पर होता काम भारत का, वह तो नहीं है, इसलिये अंग्रेजी में सरकार है। इनके मिनिस्टर कहां रहते हैं ? मैं वहां 6 दिन कर आया हूं, अखबारों में पढ़कर नहीं बोल रहा हूं और न किसी से सुन कर बोल रहा हूं। वहां गांव-गांव में घूम कर आया हूं और वहां के हालात को अपनी आंखों से देखा है। इतना रोते हुए लोगों को देखा, जितना मैंने अपनी लम्बी जिन्दगी में कभी नहीं देखा।

मैंने अपनी जिन्दगी में तकलीफों के बहुत मन्जर देखे हैं लेकिन इतना दुखभरा मन्जर कभी

देखा। कौन इसके लिये कुसूरवार है, किस को बोलें ? सरकार खुद अपने गरेंबा में झांककर देखें कसूरवार मिल जायेगा। ये कह रहे हैं कि उन्होंने खबर दी, तार भेजा, पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि कल हम मारे जायेंगे। कैण्डीडेट के पास लोग गए और कहा कि कल हम मारे जायेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस तो चुनाव में लगी हुई है, चुनाव खत्म हो जाय तो भेजेंगे। इन्होंने पुलिस को चुनाव में लगाया था, लोगों को बचाने के के लिए नहीं लगाया था। मेरा कहना यह है कि वहां की स्थिति को समझना चाहिए। आप यकायक चाहें कि असम को उत्तर प्रदेश बना दें, मध्य प्रदेश बना दें तो वह बनने वाला नहीं है। असम अपने देश में कैसे आया, कैसे जुड़ा, वहां क्या हो रहा है, सब बातों को देखना चाहिए। असम में किस तरह से चुनाव चले—मैंने कल भी निवेदन किया था कि पूर्वांचल को खासतौर से देखने की जरूरत है। मैं एक मोटी-सी बात कहता हूं—

असम में लोगों का मन बहुत नाराज है। 200 करोड़ रुपया भाखड़ा-नांगल के लिए मिल जाता है, 700 करोड़ रुपया कैनाल्ज के लिए मिल जाता है, न जाने कितने करोड़ रुपया किन चीजों के लिए मिल जाता है, लेकिन असम में हर साल फलड्स आते हैं, हर साल न जाने कितने करोड़ रुपयों का नुकसान होता है, लेकिन असम को फलड-कन्ट्रोल के लिए रुपया नहीं निकलता।

असम का मन बहुत दिनों से खराब है। 1977 तक जो रूलिंग पार्टी थी, वह अपने को कांग्रेस मानती है, मेरी नजर में भले ही न हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और इलैक्शन कमीशन ने लीगली माना है, उसने लीगली कांग्रेस माना है, लेकिन मोरली नहीं हैं। इस कांग्रेस से पूछो—1977 तक यह आग किसने जलाकर रखी थी—विदेशी नागरिकों की, सिवाय कांग्रेस के ? अब रह गया—1978 में जनता पार्टी का शासन--उनके चीफ मिनिस्टर ने वहां वह आग बड़े जोर से लगा दी—50 हजार ऐसे लोगों को निकाल दिया, इतना गलत काम किया जिसका कोई हिसाब नहीं। पुलिसवालों ने अपने आप वोटर लिस्ट में 'एफ० एन०, एफ० एन०' लिख दिया अर्थात फारइन नेशनल लिख दिया और गांव में गए, वहां गांव के मुखिया को 'गांव-बूढ़ा' कहा जाता है, उसको पकड़ लिया, विलेज डिफेन्स सोसायटी के सेक्रेटरी को पकड़ लिया और कोरे फार्म पर दस्तखत करवा लिए और उसमें उन लोगों के नाम लिख दिए, यहां तक कि उस बूढ़े का नाम भी लिख दिया कि वह 'फारन-नेशनल' है। इस तरह से वहां पर घपला हुआ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : इसलिए दोषी तो वे ही थे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आपको काषियों को दण्ड देने के लिए भारत की जनता ने चुनकर भेजा था—इसलिए कुसूर आपका है आप उनको दण्डित नहीं कर पाये, इसलिए आपको नर्क में जाना पड़ेगा, एक नहीं आप सबको नर्क जाना पड़ेगा। 1980 में आपकी सरकार को जनता ने काम ठीक करने के लिए भेजा था, 80 गया 1981 गया, 1982 गया 1983 जा रहा है, सरकार क्या करती रही ? स्टीफन साहब ने क्यों ताकत नहीं लगाई कि मामला तय हो जाय, मामला सुलझ

जाय, क्यों नहीं उन तत्वों को दण्डित किया जिनके बारे में आज आप चिन्ता कर रहे हैं, क्यों नहीं आर० एस० एस० पर रोक लगाई ?

क्यों नहीं आपने आर० एस० एस० वालों को रोका ? क्या नहीं आपने कह दिया कि सब सिटीजन है और क्यों आपने लड़कों के साथ 18 बार बहस की । पहले आपने गवर्नर को मौका दिया और श्री एल० पी० सिंह ने कहा कि 1967 तक मान जाओ, तब आपने कहा कि नहीं मानेंगे और उसके बाद दोरेन्द्र सिंह को भेजा, मनीपुर के चीफ मिनिस्टर को और वह बोलता है कि 1961 तक मान लो और लड़कों ने मान लिया। 1961 तक वाले वहीं रहें और 1961 और 1971 के बीच वाले शहरी बन जाएं लेकिन बाहर चले जायं ऐसा कहा गया ।

मैं पूछना चाहता हूं कि वे शहरी कहां भेजे जाएं । अगर वे हिन्दुस्तान के शहरी हैं, तो वे वहां क्यों नहीं रहेंगे ? फिर वीरेन्द्र सिंह को आपको एम्बेसेडर बनाना पड़ा । जब आपने उनको एम्बेसेडर बना दिया, तब आपने खुद बातचीत शुरू कर दी । मुझे एक बात का अफसोस है और मैंने बड़ी नम्रता से यह कहता हूं कि विरोधी दल के कुछ भाई बहुत नाराज हैं । मैं उनसे कुछ इस समय नहीं कहना चाहता लेकिन सीधा सवाल यह है कि हमारा ही दल था, जिसने सबसे पहले यह सवाल उठाया था और कहा था कि असम के बारे में एक व्हाइट पेपर निकाला जाए और हम ने कहा था नेहरू-लियाकत पैक्ट से लेकर इन्दिरा-मुजीब पैक्ट तक और एल० पी० सिंह गवर्नर से लेकर जिस तारीख तक श्री जेल सिंह ने, जब वे होम मिनिस्टर थे, लड़कों से अकेले-अकेले बातें कीं और किस-किस बात पर आपस में बातचीत टूटी है, उसके बारे में व्हाइट पेपर निकाला जाए। हमारे विरोधी दल के लोग अब इसके बारे में बोल रहे हैं ।

श्री ए० नीलालोहिथा दसन, जो कि हमारी पार्टी के लीडर थे, वाक-आऊट करके निकले वहां से और कहा कि ट्रिपराइट कमेटी नहीं, आप हमें वेवकूफ बना रहे हैं। पहले सारे वाकयात लाइए और गवर्नमेंट की पकड़ लाइये । इसलिए मैं कहता हूं कि असम का मामला आज तय हो जाएगा अगर सेठी जी साफ-साफ कहें और मैं प्रश्न करके जा रहा हूं । क्या आप मानते हैं कि असम में कोई भी विदेशी नागरिक नहीं हैं, नं० 1 क्या आप मानते हैं कि 1971 तक जो लोग वहां आ गए थे, उनमें से एक को भी हटाया नहीं जाएगा ? हां या ना में जबाव दीजिए । क्या आप मानते हैं कि आप कोई बात इस सम्बन्ध में ऐसी नहीं करेंगे और लड़कों और आपके बीच में जो बातचीत होगी, निगोशियेन्स में यह क्वेश्चन नहीं होगा ।

क्या आप सबको सिटीजन सर्टीफिकेट देने के लिए तैयार हैं ? क्या आप असम के हर आदमी का फोटो खिचवा कर कह देंगे कि सबके सब सिटीजन हैं और किस्सा खत्म ? क्या आप एक स्पेशल सिचुएशन में स्पेशल स्टेप उठाने के लिए तैयार है ? आपको तो पता ही नहीं है मुश्किल तो हमारी यह है कि आप कहेंगे क्या और करेंगे क्या, क्या यह पता नहीं । हमारी आज मुश्किल यह है कि एक ऐसी सरकार से हमारा पाला पड़ा है इनके दिमाग को कौन नहीं जानता है

इसकी इच्छाएं हैं किन्तु केवल इच्छाओं से काम नहीं होता। और स्टीफन साहब तो बहुत बहादुर आदमी हैं, जबर्दस्त आदमी हैं। मेरी उनकी बहुत पुरानी जान-पहचान है। उनको छोड़ दिया है बाहर और कहा कि तुम बाहर बोलते रहो और फैसला हम करते रहेंगे, फैसला हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। स्टीफन साहब तो बहुत होशियार वकील हैं और मेरे पुराने दोस्त हैं, इसलिए, मैं नाम लेकर कह रहा हूं और वे मुझे माफ करेंगे। वकील इतने बढ़िया हैं कि रद्दी से रद्दी केस उनको आप दे दीजिए और वे सही साबित कर देंगे और जब कभी रद्दी केस होगा, तो सबसे पहले उन्हीं की बैटरी कायर होगी।

मैं शुरू से लेकर आज तक उदाहरण दे सकता हूं मैं इसके लिए इनको कांग्रेचूलैट करता हूं लेकिन जितनी बात ये बोलते हैं गुस्से में बोलने से असम का मामला हल होने वाला नहीं है। यह एक राष्ट्रीय जिम्मेवारी है और हमें मामले को हल करना है। हमारे घर में आग लगेगी तो दुश्मन तेल डालेगा और दोस्त पानी डालेगा, यह मान कर चलना होगा। असम का मामला तय करना होगा। क्या तस्वीर बनेगी बाहर ? मैं आपसे कहता हूं कि सबसे बड़ा जो रिफ्यूजी कैम्प है, मैं वहां पर गया हूं। मालूम है, वह किसका है। मान्यवर, वह उन लोगों का है, जो बंगाली इमिग्रेंट हिन्दु भाई हैं और जो 1943 के बाद खासकर वहां आए थे। सबसे बड़ा 17 हजार आदमियों का वह कैम्प है। मंगलदोई डिस्ट्रिक्ट में वह कैम्प है और उसका नाम है वाकुलवारी। आज 17 हजार लोग वहां पर हैं और सेठी जी ने 11 हैंडपम्प वहां पर उस दिन लगवाए जब प्रधान मन्त्री जी वहां जाने वाली थीं।

उनमें से दो पंप खराब हो गए हैं। अब लोग 9 पंपों से पानी पी रहे हैं। सब हिन्दू हैं। इस तरह से रोते हुए लोगों को मैंने कभी नहीं देखा एक औरत के छोटे से बच्चे को उसके सामने दो टुकड़े करके फेंक दिया गया। क्या यह किसी मुसलमान ने किया है ? नेल्ली गांव में जिस तरह से लोग रो रहे थे, ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा।

आप कहते हैं कि कुवैत की असेम्बली ने हमारे खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1905 में इटली ने लीबिया पर हमला किया था। उस वक्त लोगों ने बन्द कमरों में प्रस्ताव पास किए थे। मद्रास, दिल्ली, बम्बई में लोगों ने कहा था कि हम इटली की निन्दा करते हैं। बादशाह सलामत को कहा था कि वह इटली से सम्बन्ध तोड़ लें। जब शाह ईरान का तख्ता डगमगाया तो 65 लाख टन तेल का सवाल आया। मैं अरब शासकों को 1905 की बात याद दिलाता हूं। उस वक्त इसी बात पर 20 लाख टन लीबिया से मोपेक रेट पर तेल मिल गया था जो कुछ असम में हुआ है वह राष्ट्र पर धब्बे लगे हुए हैं। मुरादाबाद से लेकर आसाम तक जहां-जहां हम जाएंगे, ये धब्बे हमारा पीछा करेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस बारे में मै कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि बिना असेंबली डिसाल्व किए काम नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

कहते हैं कि क्या करना चाहिए। मेरी डिसकवरी तो यह भी है कि एक सज्जन सर्किट हाऊस में बैठकर सारा काम चला आए हैं। उनकी बात छोड़िए, मैं नाम नहीं लेना चाहता। दूसरी बात यह है कि गवर्नर को वहां से वापस कीजिए। तीसरी बात यह है कि इस सरकार को चलने मत दीजिए। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो सारी बात साफ-साफ कर दीजिए। सबसे पहले स्कूल खोलिए। स्कूलों से पुलिस को हटाकर कैम्पों में रखिए। वहां पर खेती की तरफ विशेष ध्यान दीजिए। धान वहां पर छुटकइयां किस्म की आवश्यकता होती है और आपने बीज भेज दिया है दूसरा। ब्राडकास्टिंग सीड भेजना था। वहां पर खाद्यान्न का विशेष ध्यान रखिए। नहीं तो कोई फिर छाप देगा तो आप कहेंगे कि कामन बैल्थ हैड्स की मीटिंग हो रही है, यह क्या छाप दिया कि खाना नहीं है। सत्य यह है कि पूर्वांचल में इस वक्त खाना नहीं है आइन्दा का भगवान मलिक है। ज्युडिशियल इन्कवरी की मांग मैंने पहले ही की है।

जहां तक इमीग्रेंट और इन्फ्लीट्रेटर का सवाल है, यह बात साफ हो जानी चाहिए। जो लोग कालोनाइजेशन के लिए बसाए गए हैं, उनमें से कोई नहीं जा सकता। पाटीशन में जो आए हैं, वे भी नहीं जा सकते। इन्फ्लिट्रेटर कौन हैं? इन्फलिट्रेटर वह है जो बिना पास और वीसा के बंगला देश या पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आ गए हैं और जिनको यहां सिटीजनशिप नहीं दी गई है। परन्तु उनका लड़का पैदा हो गया है तो कानून मौजूद है। इमीग्रेंट और इन्फ्लिट्रेटर का संकट आसु के सामने भी है।

मैंने उनसे कहा है, उन लड़कों को अगर अपना नाम गन्दा नहीं होने देना है तो वायलेंस को कंडेम करना चाहिए। गलत बातों को स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय : अभी तक उनका नाम गन्दा नहीं हुआ है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आप तो सबका नाम गन्दा कर दीजिये, उसके बाद असम की बात कीजिए। मेरा कहना है कि उसके भीतर कुछ खराब तत्व हैं। उनका लक्ष्य गन्दा नहीं है। उसमें किन्हीं कारणों से गन्दगी पैदा हो गई है। उन कारणों हमारी में पिछली गल्तियां भी हैं।

कैम्पों की हालत ठीक कीजिए। खाना, कपड़ा दीजिये। आपने कहा था कि मरने वाले को 5000 रुपया दिया जाएगा। कहीं नहीं दिया गया है। आपने ऐलान किया था कि जिनके मकान जले है उन सबको 1000 रुपया दिया जाएगा। बांस दिया जाएगा। बांस जल गया है। कागज मिल बनने से बांस महंगा उपलब्ध है। पुलिस की उचित व्यवस्था कीजिए। ऐसी पुलिस फोर्स बनाइए जिसमें, सारे तत्व दिखाई दें। गांवों में पुलिस चौकियां खोलिये। असमियां और बंगाली

स्पीकिंग लोगों का जो झगड़ा है, उसको भी सारे प्रास्पेक्टिव में रखिए। असम के मुसलमान जो बंगला देश से आए थे, अपनी जुबान असमियां लिखवाई है। एक करोड़ 45 लाख लोगों में से 36 लाख मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मात्र-भाषा असमी लिखी है अगर ये लोग अपनी भाषा असमियां नहीं लिखाते तो स्टेट जुबान असमिया नहीं बनती। असमियां लोगों को अपनी कल्चर को भी देखना है और सभी जाति और धर्म को भी साथ लेकर चलना होगा। जो तत्व इसके खिलाफ काम करते हैं, उनके विरुद्ध सख्ती होनी चाहिए। स्टीफन साहब को कहना चाहता हूं कि जो-जो तत्व और देश गड़बड़ कर रहे हैं, उनके विरुद्ध अगर आप कार्यवाही करेंगे तो आपका साथ देंगे। आपकी मुश्किल यह है कि आपको आई० एम० एफ० से कर्ज चाहिए, इसलिए कुछ नहीं कर सकते अमरीका जो कर्म-कुकर्म सब कर रहा है, उससे आपको मदद चाहिये इसलिए उसके विरुद्ध कुछ करना आपके बस का है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यह सरकार जाए और भारत की ऐसी सरकार बने जो देश के इन सवालों का हल कर सके।

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट) · महोदय, असम की दुखद घटनाओं से सबको धक्का लगता है। यह निस्संदेह गम्भीर चिन्ता का विषय है सभा को इस मामले की जानकारी है और न केवल एक बार अपितु दो-तीन बार इस पर यहां चर्चा हो चुकी है।

प्रत्येक अवसर पर सभा ने बड़े पैमाने पर हुई हिंसा, हत्या और आगजनी की घटनाओं की बड़े जोरदार शब्दों में निन्दा की है और सभी वर्गों के लोगों से अपील की है कि वे सौहार्दपूर्वक और भाई-चारे का वातावरण बनाएं और सभी दलों के लोगों से यह भी अपील की है समस्या का हल ढूंढ़ने के लिए सभी सम्भव सहायता,प्रदान करें। यह बड़ी खुशी की बात है कि यहां-वहां छुट-पुट घटनाओं को छोड़कर कानून और व्यवस्था की स्थिति में निस्संदेह सुधार के लक्षण हैं क्योंकि हिंसक घटनाओं की संख्या में कमी आई है और शरणार्थी शिविरों में जहां पहले तीन लाख से अधिक लोग थे वहां अब 1 1/2 लाख लोग अपने-अपने स्थानों पर चले गए हैं।

यह समस्या इतनी गम्भीर और विराट है कि पुनर्वास हेतु हमें 1,20,000 सी० आई० शीटों की आवश्यकता है।

श्री बहुगुणा ने कहा है कि हम सी० आई० शीटें तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सके हैं परन्तु मैं जोरदार शब्दों में यह कह सकता हूं कि क्योंकि मैंने श्री देव और अन्य कई संसद सदस्यों के साथ लगभग सभी स्थानों का दौरा किया है और देखा है कि अधिकांश लोगों को सी० आई० शीटें मिली हैं। उसने तीन बंडल उपलब्ध कराने का वायदा किया था हम यद्यपि तीन बंडल उपलब्ध नहीं करा पाए परन्तु एक बंडल तो हमने उपलब्ध कराया है। हमने 5,000 रुपए देने का वायदा किया था, तथापि हम 5000 रुपए नही दे पाए हैं परन्तु हमने 2000 रुपए तो दिए ही है। हमने उन्हें भोजन, आश्रय और चिकित्सा सुविधाएं तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है परन्तु मैंने

अन्य विपक्षी सदस्यों को राहत और पुनर्वास कार्यों के बारे में चिन्ता व्यक्त करते नहीं देखा है। वे हमेशा चुनाव कराने और बड़े पैमाने पर हुई हत्याओं के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराते रहे हैं।

हमारा प्रथम कर्त्तव्य उन्हें राहत पहुंचाना है जो पीछे रह गए हैं जिनका सब कुछ नष्ट हो गया है और उन अधिकांश महिलाओं को राहत पहुंचाना है जिनके पति चल बसे हैं। उनके विषय में किसी ने चिन्ता व्यक्त नहीं की है, इन उपायों पर किसी ने चर्चा की मांग नहीं की है। वे एक ही बात पर चर्चा करते रहे हैं और एक ही बात को दोहराते रहे हैं।

अब समय आ गया है जब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सामान्य वातावरण पुनः कैसे बनाया जाए और सौहार्दपूर्ण, भाईचारे तथा परस्पर विश्वास का वातावरण कैसे पैदा किया जाए ताकि लोग शांति से रह सकें। हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि विद्यालय और महाविद्यालय खुल गए हैं।

अब प्रश्न यह है कि ऐसा क्या हुआ है और ऐसी नई बात क्या हुई है जिसके कारण आज चर्चा की आवश्यकता पड़ी है ? पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तब से अब तक मुझे नहीं लगता कोई नई बात हुई हो, कोई नई घटना घटी हो से कुछ सदस्यों ने श्री अरुण शोरी के लेख का उल्लेख किया है जिसमें असम स्थिति पर बिनाशक ढंग से कार्यवाही करने की बात कही गई है। किसी ने इसे असम स्थिति से निपटने का एक चौंका देने वाला साक्ष्य बताया है।

ये विनाश कारी तथ्य क्या हैं, चौंका देने वाले तथ्य क्या हैं ? उन्होंने मुख पृष्ठ पर केवल ओ० सी० जे० रोड का वायरलैस सन्देश प्रकाशित किया हो इस सन्देश से ही आप आश्वासन हो गए कि इसके लिए ओ० सी जिम्मेवार हैं। दूसरी ओर यदि आप ओ० सी० नौ गांव से वायर लैस सन्देश को छोड़कर अन्य सभी वायरलैस सन्देशों का अध्ययन करें जो आपको पता चलेगा कि सरकार ने तत्काल कार्यवाही की सरकार अत्यन्त सतर्क थी और सरकार ने साम्प्रदायिकता दंगों को रोकने के लिए स्थिति का कठोरता से सामना करने का निर्देश दिया था यहां आह देखेंगे कि तीन वायरलैस सन्देश भेजे गए थे—पहला नैल्ली के बारे में था क्योंकि यह मुख्य केन्द्र है। वास्तव में इस पत्रिका में वायर लैस सन्देश प्रकाशित होने के कारण हम यह चर्चा कर रहे हैं। अतः मैं इन वायर लैस सन्देशों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं। नैल्ली के बारे में वायरलैस सन्देश भेजे गए थे। पहला सन्देश 10-2-83 की पुलिस महानिक्षक द्वारा दिया गया था जिसमें वे उन्होंने खतरे की आशंका व्यक्त की थी। वह एक सामान्य बात भी कि उन्हें विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगों की आशंका थी और उन्हें रोकने हेतु उपाय किए जाने थे। इसके बाद 13-2-83 को नौगांव के उप महा निरीक्षक द्वारा वायर लैस सन्देश दिया इसमें उन्होंने भी चेतावनी दी कि साम्प्रदाकि दंगों के होने की संभवना है अतः सभी कार्य वाही की जानी चाहिए।

तत्पश्चात् नौ गांव के एस० पी० द्वारा बायर लैस सन्देश दिया गया क्योंकि यह नौ गांव के क्षेत्राधिकार में आता है। यह भी एक सामान्य प्रकार की चेतावनी थी जिसमें सभी लोगों को रोकने के लिए निरोधात्मक कदम उठाने के लिए कहा गया था। एक वायरलैस सन्देश नौ गांव के डिप्टी कलक्टर द्वारा जागीर रोड के सब डिप्टी कलेक्टर के नाम भेजा गया था। इन सभी सन्देशों से सिद्ध हो गया कि सरकार लोगों की जाने और सम्पत्ति की रक्षा करना चाहती थी। श्री अरुण शौरी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि हमें केवल चुनाव कराने की चिन्ता थी और हमें लोगों की सुरक्षा की कोई चिन्ता नहीं थी।

यदि हमें लोगों की सुरक्षा की चिन्ता न होती तो हमने एक के बाद एक वायरलैस सन्देश प्रेषित न किए होते। यदि आप सभी सन्देशों को देखें तो आप देखेंगे कि नेल्ली के बारे में हम अत्यधिक चिन्तित थे आप देखेंगे कि सरकार उन लोगों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के प्रति पूर्णतया जागरुक और चिंतित थी।

नौगांव के ओ० सी० के० वायर लैस सन्देश पर जागीर रोड के ओ० सी० द्वारा कार्यवाही की जानी थी अब प्रश्न यह है कि यह त्रुटि किससे हुई। मैं यह स्वीकार करता हूं कि त्रुटियां ओर कमियां थी परन्तु प्रश्न यह है कि त्रुटियां किसने की एक अधिकारी ने त्रुटियां की होगी परन्तु वह कोई बड़ा अधिकारी नहीं है वह तो केवल ओ० सी० के दर्जे का अधिकारी है। यदि यह त्रुटि पुलिस महानिरीक्षक अथवा मुख्य सचिव अथवा सलाहकार द्वारा की जाती तो मैं इसके लिए असम सरकार को दोषी ठहराता। अब जागीर रोड के ओ० सी० ने इस पर कार्यवाही नहीं की यहां तक कि नौ गांव के ओ० सी० ने भी यह मामला उच्च अधिकारियों के साथ नहीं उठाया।

यदि नौ गांव के ओ० सी ने यह मामला उच्चाधिकारियों के साथ उठाया होता और उन्हें सूचित किया होता कि उसे नेल्ली में इतने बड़े खतरे की आशंका है और उच्चाधिकारियों ने उस पर कार्यवाही न की होती तो भी उसके लिए सरकार को दोषी ठहराता। निस्संदेह, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा त्रुटियां हुई हैं इसलिए असम सरकार ने प्रशासनिक जांच कराने का निश्चय किया है अन्यथा असम सरकार प्रशासनिक जांच न कराती।

अरुण शौरी द्वारा इन तथ्यों को प्रकट करने से पूर्व सरकार जागीर रोड के ओ० सी० के विरुद्ध इन त्रुटियों के लिए कार्यवाही कर चुकी थी। प्रश्न यह है कि चेतावनी के बाद भी इतनी हिंसा क्यों हुई। इसका कारण यह था कि विभिन्न समुदायों, विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच उग्र-राष्ट्रवादियों, क्षेत्रीय और साम्प्रदायिक ताकतों और विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने घृणा, कड़वाहट और अविश्वास का जहर घोला था।

यदि आप सभी वायरलैस सन्देशों को देखें तो आप देखेंगे कि इन सब बातों के लिए स्वयं भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है।

मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को उद्धृत करना चाहता हूं जो 20 फरवरी, 1983 के टेलीग्राफ सन्डे में प्रकाशित हुआ था।

"श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने असम में अनेक सभाओं को संबोधित किया और कहा कि यदि चुनाव हुए तो ब्रह्मपुत्र नदी खून की नदी में परिवर्तित हो जाएगी।"

यह लोगों को भड़काना नहीं था तो और क्या था ?

मेरे मित्र ने श्री अटल विहारी वाजपेयी द्वारा जोरहाट में दिए गए भाषण का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि सन्डे में जो प्रकाशित हुआ है उसको उन्होंने टेप रिकार्ड किया था।

"श्री वाजपेयी ने आगे यह भी पूछा कि असम राज्य कैसा होगा जब 'विदेश' न केवल मतदाता होंगे, बल्कि मंत्री भी होंगे। उन्होंने बताया कि यदि पंजाब में कोई विदेशी घुसता है तो वह 12 घन्टे के अन्दर पकड़ लिया जाता है अथवा गांव वालों द्वारा टुकड़े-टुकड़े करके खेतों में फेंक दिया जाता है।"

यदि यह भड़काना नहीं हैं तो यह क्या हो सकता है ? मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि श्री अरुण शौरी निपक्ष नहीं थे। वह गोहाटी आए उन्होंने भाषण दिये। उन्होंने असम आन्दोलन को स्वतन्त्रता संग्राम से श्रेपट बताया। उन्होंने कहा अन्यथा यह इतना लम्बा न चलता। उन्होंने आन्दोलनकारियों को कर न देने की सलाह दी। उन्होंने ऐसी सरकार द्वारा पारित कानूनों का पालन न करने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार अन सम्पूर्ण देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती।

वह केन्द्र सरकार को प्रतिनिधि सरकार नहीं मानते यद्यपि लोगों ने हमें चुनकर सत्ता में भेजा है।

श्री बहुगुणा ने कहा है कि वर्तमान मंत्रिमंडल को भंग किया जाए। मुझे आश्चर्य है कि लोक तन्त्र के समर्थक लोग अब राष्ट्रपति शासन के हिमायती हो गए हैं। राष्ट्रपति शासन से समस्या का समाधान में तीन वर्ष से राष्ट्रपति शासन है। उससे इस समस्या को हल करने में कितनी सहायता मिली ? क्या राष्ट्रपति शासन लोगों के प्रति उत्तरदायी है अथवा लोगों की सरकार राज्य की समस्याओं को दूर कर सकती है ? राष्ट्रपति शासन से समस्या हल करने में कैसे सहायता मिलती है ? इससे लोगों की आर्थिक उन्नति में कैसे सहायता मिलेगी ? मुझे आश्चर्य है कि लोग क्यों एक दम इसके समर्थक हो गए है।

इन्हीं शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से सहयोग देने का अनुरोध करता हूं। चूंकि इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है अब कृपया संक्षेय में कहें। श्री जयपाल सिंह कश्यप।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : सभापति महोदय, गृह मन्त्री जी ने जो कल बयान दिया देश चाहता था कि सरकार एक व्हाइट पेपर जारी करे। लेकिन आपने काला बयान दिया है। असम में जितने लोगों की हत्यायें हुई हैं...

सभापति महोदय : माननीय जयपाल सिंह जी, वित्त उप-मन्त्री जी को एक पेपर सभा पटल पर ले करना है। आप उसके बाद बोलियेगा।

सभा-पलट पर रखे गए पत्र

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 140/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क [सा० का० नि०-376-(अ)] की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 3 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 944 के अंतर्गत जारी किए गए प्रसाधन और श्रृंगार सामग्रियों के छोटे निर्माताओं को छूट देने की योजना में रूप भेद करने सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है।

(एक) मुझे लोक सभा को सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरुवार, 28 अप्रैल 1983 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति संबंधी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

> "कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की लोक लेखा समिति के 30 अप्रैल 1984 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, उस समिति के साथ सहयोजित होने हेतु राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत होती है तथा ऐसी रीति से, जैसा कि सभापति निर्देश दें, कार्य करने के लिए इस सभा के सदस्यों में से सात सदस्य निर्वाचित करती है।

दो मुझे लोक सभा को यह भी सूचना देनी है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, उक्त समिति में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित किए गए।

(1) डा० संकटा प्रसाद

(2) श्री सैयद रहमत अली

(3) श्रीमती प्रतिमा सिंह

(4) डा० श्रीमती सत्यवाणी मुत्यु

(5) डा० हरेकृष्ण मल्लिक

(6) श्री निर्मल चटर्जी

(7) श्री कल्याण राय

(दो) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरुवार, 28 अप्रैल, 1983 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति संबंधी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक लेखा समिति के 30 अप्रैल, 1984 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति के साथ सयोजित होने हेतु राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत होती है तथा ऐसी रीति से, जैसाकि सभापरित निर्देश दें उक्त समिति में कार्य करने के लिए इस समय के सदस्यों में से सात सदस्य विर्नाचित करती है।"

(दो) मुझे लोक सभा को यह भी सूचना देनी है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में उक्त समिति में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों का विधिवत निर्वाचन किया गया :—

(1) श्री एम० एस० रामचन्दन

(2) श्री नरेन्द्र सिंह

(3) श्री महेन्द्र मोहन मिश्रा

(4) श्री सैयद सिब्ते रजी

(5) श्री अब्दुल रहमान शेख

(6) श्री हरि शंकर भाभड़ा

(7) श्री मनुभाई पटेल

(तीन) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा में गुरुवार 28, अप्रैल 1983 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा दोनों सभाओं की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 30 अप्रैल, 1984 को समाप्त

होने वाले कार्यकाल के लिए उस समिति में सम्मिलित होती है तथा एकल संक्रमणिय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से उक्त समिति में कार्य करने के लिए इस सभा के सदस्यों में से दस सदस्य निर्वाचित करती है।"

(दो) मुझे लोक सभा को यह भी सूचना देनी है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में उक्त समिति में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य विधिवत निर्वाचित किए गए :—

(1) श्री वी० सी० के शव राव

(2) श्री नियोनार्ड सोलोमन सारिंग

(3) श्री एच० हनुमन्यप्पा

(4) श्री विजय कृष्ण हांदिक

(5) श्री प्यारे लाल कुरीला उर्फ प्यारे लाल तालिब उन्नवी

(6) श्री स्कैटों स्वू –

(7) श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाल

(8) श्री दिनेश गोस्वामी

(9) श्री अलेग्जेंडर वर्जरी

(10) श्री वी० गोपालस्वामी।

(चार) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 4 मई, 1983 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 13 अक्तूबर, 1982 को हुई अपनी बैठक में पारित 'वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1982 को निम्नलिखित संशोधन सहित पारित किया :—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2, 1, संख्या "32" के स्थान पर "34" प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 पर संख्या "1982" के स्थान पर संख्या "19^3" प्रतिस्थापित किया जाए।

'अतः मैं तदनुसार राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य चालन सम्बन्धी नियमों 128 के उपबंधों के अनुसार उक्त विधेयक इसके साथ वापिस भेजता हूं और अनुरोध करता हूं कि उक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति इस सभा को सूचिक की जाये।'

2. महोदय, मैं वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1982 जो राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाया गया है, सभा पटल पर रखता हूं ।

असम की स्थिति के बारे में गृह मंत्री द्वारा 4 मई, 1983 को सभा में दिए गए वक्तव्य पर चर्चा—जारी

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मैं गृह मन्त्री से जानना चाहता हूं कि जालियाँवाला बाग में जो घटनायें हुई थीं और असम में जो हत्यायें हो रही हैं उनमें कोई अन्तर है ? जिस तरह से हजारो लोगों की हत्यायें हो रही हैं, उनके खून से हाथ रंगे जा रहे हैं क्या अपनी राष्ट्रपति का सबूत देने के लिए लोगों को अपने सीने पर गोलियां चाहिए ? आप समस्या का समाधान न कर पाए। असम के लोगों पर गोली चलाकर के उन समस्याओं का समाधान ढूंढ़ा तो वह नहीं मिल पायेगा। और मालूम होता है कि यह समाधान इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सारी समस्या की जड़ में आपके ही नेता रहे हैं जिन्होंने समस्या को बढ़ाया और उलझाया है ।

असम की समस्या साम्प्रदायिक नहीं है। लेकिन स्वयं आपकी सरकार की ओर से और आपके नेताओं ने इस बात का प्रयास किया कि उसको साम्प्रदायिक रंग दिया जाय, और जितने प्रयास पिछले दिनों में किये हैं लोगों में साम्प्रदायिक भावना पैदा की जाय उसमें आप बहुत हद तक कामयाब भी हो गये हैं। हल आपको करना है । देश को टूटने की कगार पर आपने रख दिया है, देश की एकता खतरे में पड़ गई है। किस सीमा तक आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे यह देश जानना चाहता है । आपने आज तक केवल बयान दिये हैं, समस्या का समाधान नहीं ढूंढा है। जिस तरह से आप असेम्बली की बात करते है, चुनाव और मतदाता सूचियों की आपको जानकारी है, किस तरह से फौज की बटालियन लगा करके जो कुछ किया है वह चुनाव नहीं है बल्कि प्रजातन्त्र का मखौल हैं।

डेमोक्रेसी का जो मजाक आपने बनाया है वह आपको छोड़ेगा नहीं । वक्त रहते सम्हल जाइये, पूरे देश की एकता का प्रश्न है। यह ऐसा मामला है कि अगर सुलझा नहीं तो आग बढ़ती चली जायेगी। आपको समस्याओं के पूरे इतिहास में जाना पड़ेगा ।

1961 में जो बांगला देश के लोग इधर आये तो पायेंगे कि एक वर्ग के लोग, एक कौम के लोगों की आबादी वहां घटी बांगला देश में, और आज स्थिति पैदा हो गई है हमारे सामने कि उनको हम वापस नहीं भेज पाये क्योंकि बांगला देश अपने को इस्लामिक कन्ट्री मानता है तो ऐसे लोग वहां नहीं रुक सकते । उनको कैसे वहां सुरक्षा मिलेगी ? आपको विदेशियों की पहचान करने का क्राइटीरिया सोचना चाहिए और इस देश को बचाने के लिये असम समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करना चाहिए ।

यह समस्या कभी भी पैदा हो सकती है। अभी पाकिस्तान और चीन अपने नागरिकों को यहां भेज दे और फिर कहे कि उनको यहां रहने के लिए जगह दी जाय, वह अपने यहां वापस न ले तो कितनी गम्भीर समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे मामलों में हमारी विशेष जिम्मेदारी है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसी घटनायें न होने पायें। हम बांगला देश से कहें कि जितने लोग तुम्हारे यहां से आये हैं उनको बसाने के लिए जमीन दो, जैसे गंगा के पानी के बटवारे के लिए मांग है, वैसे ही उनके नागरिकों को बसाने के लिए भी मांग की जानी चाहिए, इसलिए वहां के लोगों को बसाने के लिए हमें बांगला देश से स्थान मिलना चाहिए। लोगों को लाते रहिए और इस देश में लाकर विदेशी बसाते रहिए। इस तरह से लोगों को लाकर इस देश की समस्या का समाधान नहीं होगा। लोग कहीं न कहीं से आते रहेंगे और देश के ऊपर बोझा बढ़ता जायगा। इस समय जो लोग आए हैं, उनकी समस्या को दूर करने के लिए हमें सारे प्रयासों में लग जाना चाहिए। लोग आप से सहमत न हों, आप इस चीज को न समझते हों, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस तरह की घटनायें होती रहेंगी तो एक बड़ी समस्या बन जायगी और इसका समाधान करना हर देश के लिए बड़ा मुश्किल हो जायगा। आप इस चीज को मखौल समझ रहे हैं लेकिन इस समस्या का समाधान करना हर देश के लिए बड़ा मुश्किल हो जायगा। आप इस चीज को मखौल समझ रहे हैं लेकिन इस समस्या का दूसरा कोई समाधान नहीं हो सकता है। भविष्य के लिए भी हमें इस पर ध्यान रखना पड़ेगा।

जहां तक श्री अरूण शौरी के आर्टीकल का सम्बन्ध है इस पर आपने बहुत गुस्सा दिखाया है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का आर्टीकल छाप कर पूरे देश और दुनिया को बताया है कि वास्तविक तथ्य क्या हैं। असम की समस्या को न देश समझा पाया है और न ही यह सरकार समझ पाई है, न समझ पाई है। जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक उस मसले को आप सुलझा नहीं पायेंगे। देश के सामने सारी चीजें आनी चाहिये, हम तो आभारी हैं—श्री अरूण शौरी के, कि उन्होंने सारी तथ्यों को देश और संसार के सामने रखा है। आप इस बात से खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, आप का यह कहना कि चुनाव के पहले हिंसा नहीं थी, आप एक-एक दिन के अखबारों को और सरकारी बयानों को उठा कर देख लीजिए कि चुनाव से पहले आप चाहते थे कि कोई भी नेगोसियेशन्ज न हो पांय, किसी भी तरह मा समझौता वहाँ के आन्दोलनकारियों से न हो पाए, ताकि चुनाव वायलेंस की छत्र-छाया में, हिंसा के वातावरण में होता रहे, ताकि आप की पार्टी को मौका मिल जाय और आपने उस मौके का नाजायज फायदा उठा कर वहां पर नाजायज सरकार कायम की है। असम की ऐसी सरकार को निरस्त करना, उस सरकार को भंग करना आपकी मौरल-ड्यूटी हो जाती है। यदि आप उसे पूरा नहीं करेंगे तो देश के लोग इसके बारे में सोचेंगे। आप आज इस पर हंस सकते हैं, विरोधी दलों के लोग जो कह रहे हैं उस को गलत कह सकते हैं लेकिन आपको देश के लोगों के बीच में जल्दी ही जाना है और आप देखेंगे कि आपको इसका क्या जवाब मिलेगा। आपके पास बहुत-सी सूचनायें होने के बावजूद भी आपने समय पर कोई कदम नहीं उठाया, चाहे वह सूचना आपके पुलिस आफिसर ने भेजी थी या

इंटेलिजेंस विभाग ने भेजी थी कि वहां इस स्थिति में चुनाव नहीं हो सकते हैं। लेकिन जानबूझ कर सारी चीजों की उपेक्षा कर के वहां चुनाव कराया गया···

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मेरी पार्टी का समय कितना है ?

सभापति महोदय : आपका जितना समय निर्धारित था, आपने उससे ज्यादा समय ले लिया है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मैंने तो बहुगुणा जी से कम समय लिया है।

सभापति महोदय : आप बहुगुणा जी से ज्यादा लेना चाहते हैं ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप : बहुगुणा जी की पार्टी और मेरी पार्टी में बड़ा फर्क है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : कब से ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप : जब से वे आपसे अलग हुए हैं, तब से।

श्री राम प्यारे पनिका : आप कब से अलग हुए हैं ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मैं लोक दल से जीता था और लोक दल में हूं।

(व्यवधान)

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राइफल और संगीनों के बल पर असम की जनता को दबाया नहीं जा सकता है, समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। देश समाधान चाहता है और हम एक ठोस समाधान मन्त्री जी से जानना चाहते हैं। इस पर पूरे देश की निगाह लगी हुई है कि असम की समस्या का समाधान शीघ्र हो, यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : सभापति महोदय, आज इस सदन में बैठे हुए मैंने अपने गांव के एक बहुत वृद्ध पुरुष द्वारा कही गई बात के महत्त्व को समझा। जब मैं राजनीति में आया, तो उस व्यक्ति ने मुझसे जो पहला प्रश्न यह पूछा वह यह था कि, 'आप वकील नहीं है फिर आप राजनीति में सफल कैसे होंगे ?' आज सचमुच मैंने महसूस किया कि इस पर निर्भर करता है कि वे कौन-सा भाग ले रहे हैं और वास्तव में इसे सफल बना सकते हैं।

अभी श्री बहुगुणा ने बताया कि 'सरकार' की संधि कैसे होती है : 'सर' प्लस 'कारी' अगर देश के सामने कोई दुविधा और दुःख है, तो वह यह कि विपक्ष की संधि भी बहुत बुरी है। 'विपक्ष' बनता है 'वि' प्लस 'पक्ष' से। इसका अर्थ है कि जिस बात से राजनैतिक विजय हो, वही पक्ष लो, चाहे वह सही हो या गलत हो।

इस तरह से आज विपक्षी दल राष्ट्र को बरबाद कर रहे हैं। हमारा कोई विपक्ष नहीं है। हमारा विपक्ष में कोई नहीं है, और किस प्रकार सत्ताधारी दल भी कभी-कभी गल्ती करता है और देश संकट में पड़ जाता है।

श्री बहुगुणा ने यह भी कहा कि धब्बे छुड़ाने के लिए दिल चाहिए। जब श्री स्टीफन बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने यह भी कहा कि सुनने के लिए दिल चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि वह दिल वाले भी चले गए हैं। जहां तक धब्बों का संबंध है, धब्बे उसके लगते हैं, जो कपड़े धोता है। कोई भी व्यक्ति जो कपड़े धोता है, वही केवल अपने कपड़े या शरीर को गंदा कर सकता है, जिसको यह फिक्र नहीं है कि कपड़े धोने हैं या नहीं, या जिसके कपड़े हैं ही नही, उसको धब्बे कैसे लगेंगे ?

मैं पहले भी कई अवसरों पर कह चुका हूं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि असम में जो कुछ हुआ है, वह अच्छा हुआ है। हम कभी भी इस पक्ष में नहीं रहे कि असम में जो कुछ हुआ हम उसका समर्थन कर रहे हैं। हम हमेशा ही यह निवेदन करते हैं कि सरकार पर कुछ मुसीबत आई है, लेकिन आप परिस्थितियां देखिए, इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, यह कितनी कष्टकर है और चुनाव से पहले स्थिति क्या थी। यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो कोई भी माननीय सदस्य मेरी गलती बता सकता है। मैंने कहा है कि सरकार ने विपक्ष के साथ बातचीत करने तथा संविधान में संशोधन का समर्थन करने का भरसक प्रयत्न किया है। लेकिन विपक्षियों ने प्रकट वही खेल खेला उन्होंने राज्य के नेताओं तथा अन्य लोगों से बात की और इसमें कुछ समय लग गया। जो भी हो, समय बहुत कम था और इस संबंध में संसद के दोनों सदनों, लोक सभा तथा राज्य सभा से अपेक्षा की गई थी। समय निकल गया तथा विपक्ष के पास कोई उत्तर नहीं था। न तो उन्होंने आंदोलन में सहयोग दिया और न ही उसका समर्थन किया। किसी प्रकार यह भी समाप्त हुआ। तब उन्होंने प्रस्ताव किया कि असम में आपत्तकाल की घोषणा की जानी चाहिए। मैं गवाह हूं।

मैं उसी हवाई जहाज से तीन विपक्षी नेताओं के साथ असम गया था और एक विपक्षी नेता ने मुझसे निवेदन किया कि अब आप गोहाटी से ही वापिस चले जाइये और अपनी सरकार कहिये कि उन्हें आपत्तस्थिति की घोषणा करे। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के विपक्ष ने यह शर्त रखी थी। मैंने आपको बिना किसी झिझक के सब बता दिया है। मैंने असम में बड़े गर्व से और एक कांग्रेसी के रूप में कार्य किया।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि कोई सज्जन सर्कट हाउस में बैठ कर सारा काम कर रहे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सर्कट हाउस तो आसाम में ही है। नेली की घटना वाली रात को मैं वहां पहुंचा, बारिश हो रही थी।

मैं अपने जीवन में उस घटना को कभी नहीं भूल सकता। मुझे बहुत आघात पहुंचा। मैं उस समय वहीं था।

लेकिन अगले दिन अखबार में पढ़ा कि वह सज्जन कभी अहमदाबाद में और कभी कहीं और जाकर एकता की बात कर रहे थे। तब उन्हें नेली की फिक्र नहीं थी। हम लोगों को नेली की फिक्र थी। नेली में जो हुआ, हमें उससे बहुत दुख है।

हमने कभी उसका समर्थन नहीं किया। हमने सरकार की और वहां तैनात सेना की आलोचना की कि समय पर कार्यवाही नहीं की गई थी। वहां से, हम राज्यपाल के पास गए। अगले दिन हमने उन्हें बताया कि पुलिस द्वारा कुछ अनर्थ किया जा रहा है वे समय पर नहीं पहुंचे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि पुलिस समय पर पहुंच गई थी। लेकिन कारण क्या था? क्या बाधा थी? आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। चुनावों की घोषणा हो चुकी थी।

यह भी एक पत्रिका है। लोगों ने पहला नोटिस मतदान केन्द्रों, वाहनों तथा राजद्रोहियों के घरों में आग लगाने का दिया। राजद्रोही कौन है? जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने देश की रक्षा करने पर वीर चक्र और महावीर चक्र प्राप्त किए। वे राजद्रोही हो गए हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस-आई को मत दिया। वे असम तथा विपक्षी दलों के लोगों की नजरों में राजद्रोही हो गए हैं। उन्होंने पेड़ गिराकर संचार व्यवस्था भंग करने का नोटिस किया तथा सड़कों को जगह-जगह से काटने तथा किसी भी तरह से, यहां तक कि रेल की पटरी उखाड़ कर, रेल आंदोलन को रोकने तथा चुनाव कार्य में लगे लोगों को डरा कर उत्पीड़ित करने संबंधी निर्देश जारी किए। उनकी यह योजना थी। आप ही उसे बताइये कि कौन-सी सत्तारूढ़ सरकार, जिसकी देश के संविधान के प्रति जिम्मेदारी है, इन चेतावनियों की अनदेखी कर सकती है। वे वहीं तक चुप न रहे।

मैं असम में था। सड़क संपर्क बिलकुल नहीं रह गया था। किसी भी गांव को किसी-नजदीकी नगर के साथ जोड़ने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया था। पत्र कार वहां थे। मैं नहीं जानता अब वे मेरी बात से किस हद तक सहमत होंगे। यहां तक उनकी रिपोर्ट, जो दिल्ली या उनके हेडक्वार्टर भेजी जानी थी, को भी डाक-तार विभाग द्वारा सेंसर किया जाना था। वे आकर हमें बताते थे कि वे हमारी रिपोर्ट को सेंसर किए बिना नहीं भेजेंगे तथा वे इसे काफी बाद में भेज रहे थे। वहां मानसिक आतंक था।

मैंने कई लोगों से भी बात की। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आंदोलन को कोई समर्थन नहीं मिला। लेकिन समर्थन से अधिक वही आतंक था। कोई सज्जन वहां अपने परिवार के साथ रहता हो और मैं उससे कहूं कि "आप अपनी बत्तियां शाम के 6-30 बजे बंद कर दीजिए' अन्यथा मैं खिड़कियां तोड़ कर अन्दर आ जाऊंगा और तुम्हारे परिवार को गोली मार दूंगा।' यदि मुझे ऐसा करना हो तो मैं निश्चय ही 6-30 बजे बत्तियां बन्द कर दूंगा और आधे घंटे के लिए चुपचाप बैठ जाऊंगा।

यह स्थिति उन्होंने उत्पन्न की थी । बहुत से माननीय सदस्यों विपक्ष की भूमिका को स्पष्ट किया है । मैं इसका साक्षी हूं । उन्होंने एक मन्त्री के भाषण की आलोचना की है । लेकिन आप अपने भाषण देखिए । मैं नही जानता कि माननीय मन्त्री ने यह कहा या नहीं पर दरबार ये यही कहते हैं कि उन्होंने वहां पर लोगों की साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काया । किन्तु उन्होंने स्वयं क्या किया ? भारतीय जनता पार्टी के एक संसद सदस्य ने आसाम ट्रिब्यून में वक्तव्य दिया कि आसाम का राज्यपाल असमी होना चाहिए । दुर्भामस से वह सज्जन सेना में भी रहे हैं । मैं नहीं जानता कि उसमें इस प्रकार कीं भावना किस प्रकार आयी । हमें फौज में वर्षों तक प्रशिक्षण दिया गया है और इस प्रकार की बात उनके दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए थी । वह वक्तव्य देते हैं कि आसाम के राज्यपाल को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वह आसामी नहीं हैं ।

इन सब बातों के साथ हम चुनाव लड़ने गए । हम थोड़े से कपड़ों के साथ केवल एक सूट-केस लेकर गये । किन्तु वह लोग जो चुनाव के खिलाफ थे तीन सूटकेसों के साथ गए । मैंने उनसे पूछा आप तो चुनावों के विरुद्ध है, फिर आप इतना कुछ क्यों ले जा रहे हैं । मैं केवल एक सूटकेस लाया हूं । आप तीन सूटकेस क्यों ले जा रहे हैं । वास्तव में वह लोग स्थान-स्थान पर गए और भ्रान्ति फैलाने का पूरा प्रयत्न किया ;

चुनावों से पहले राजनैतिक स्थिति खराब थी । एक जनता नेता गोहाटी गए । मैं उनके साथ था । मैंने उनसे पूछा "आप यहां कैसे आए"? उन्होंने कहा "मैं अपनी पार्टी के लोगों से मिलने आया हूं" किन्तु उनके स्वागत के लिए केवल उनकी पार्टी यूनिट का अध्यक्ष वहां उपस्थित था । मैंने उनसे पूछा ।

"क्या आपके पास कोई सवारी है ? क्या मैं आपके साथ ही चल सकता हूं ? यह थी उनकी स्थिति । उनकी अगवानी करने और कोई भी नहीं आया । जब चुनावों की घोषणा की गई तो उन्होंने दावा किया कि उनकी स्थिति मजबूत है और उन्होंने वहां पर काफी समय दिया : प्रत्येक व्यक्ति द्वार-द्वार, शहर-शहर गांव-गांव गया और कहा" या तो चुनाव रुकवाइये अथवा समस्या खड़ी करें "मैं सरकार को पूरी तरह दोष नहीं देता क्योंकि उसे सारे मामले में उलझा दिया गया । आल आसाम स्टुडेंट यूनियन के लोगों को गुमराह किया गया ।

मैंने उनमें से एक से पूछा "आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते" सच बात तो यह है, यदि वह चुनाव लड़े होते तो उनकी स्थिति यहां के विरोधी दलों से कहीं बेहतर रही होती ; उन्होंने कड़ा मुकाबला किया होता ; किन्तु उन्हें इन लोगों द्वारा गुमराह किया गया । आज वे भी पछता रहे हैं । कुछ को चुनावों के दौरान पछतावा हुआ क्योंकि आन्दोलन उनके हाथों से बाहर हो गया था । गड़बड़ी के लिए आल आसाम स्टुडेंट यूनियन के नाम का दुरुपयोग किया गया । प्रत्येक बात राज-नैतिक दलों के हाथ में थी । मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस सदन में कुछ भी कह सकते हैं ; हम बहुत सी बातें कह सकते हैं उनका स्पष्टीकरण करते हैं । किन्तु वास्तविकता यह है कि हर

कोई सरकार के लिए समस्याएं खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, सरकार के मार्ग में रुकावटें खड़ी कर रहा है और कोई भी उनकी समस्या का समाधान ढूढ़ने का प्रयत्न नहीं करता।

वहां पर स्थिति अब भी खराब है, सामान्य नहीं है। वहां से लोगों के दिमाग में आतंक समाया हुआ है। लोग वहां जाकर और समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। चूंकि समय बहुत कम है इस लिए मैं सरकार को थोड़े से सुझाव दूंगा।

पहला यह है, कि आपने वहां पर जो पुलिस दल भेजा है, उसे उस समय तक वहां पर रखा जाए जब तक लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा न हो जाए। दूसरा यह कि राजनीतिक दलों को यह सोचना चाहिए कि देश राजनीतिक दलों से ऊपर है और मिलकर समाधान ढूंढना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं जिस दिन राजनीतिक भाषण करना बन्द कर देंगे और देश को दलगत राजनीति से ऊपर रख विचार करेंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न ढूढ़ा जा सके। असमिया लोग बहुत भले होते हैं ; जब मैं सेना में था, मैं उनके साथ 12 या 13 वर्ष तक क्या ! वह बहुत मिलनसार हैं। मान लो उनके परिवार में कोई मौत हो जाती है और कोई उनसे जाकर कहता है कि डाक्टर ने उनके बेटे को मार डाला है तो वह इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि डाक्टर ने उनके साथ कोई शरारत की है, क्योंकि उस समय वह मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। इसी प्रकार यह राजनीतिक दल, सहायता करने के अपेक्षा वहां पर भ्राति उत्पन्न कर रहे हैं...

मेरा अगला सुझाव यह है कि इस राज्य कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस संबंध में सरकार को कोई कार्यवाही करनी होगी। हम इस राज्य को कुछ अतिरिक्त धन देने की गुन्जारिश कर रहे हैं, विशेष का कृषि के लिए। उनकी भूमि बहुत ऊपर है किन्तु कृषि में मोर्चे पर कोई प्रगति नहीं हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी सुझाव दिया है, वहां पर कुछ सहकारी समितियों का गठन किया जाए, उन्हें ट्रेक्टर दीजिये, उन्हें उर्वरक दीजिये क्योंकि आसाम की भूमि देश की अत्यन्य उर्वरक जमीनों में से है।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है लोग वहां पर उद्योग नहीं लगा रहे। सरकार को चाहिए कि उसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए पहले फेरे तथा और भी जो कुछ किया जा सकता है किया जाये क्योंकि जब तक आप उनमें आत्म विश्वास नही जगाते उन्हें आर्थिक रूप से ऊपर नहीं उठाते, वह सभी में उन्नति नहीं कर पाएगे।

चौथा सुझाव रोजगार के सम्बन्ध में है। बेरोजगारी बहुत गम्भीर समस्याओं में से है। किन्तु इसका समाधान बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है यदि आप उद्योग और कृषि का विकास करें।

19.05 **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

अन्त में सदन से यही अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय पर कितनी ही बार चर्चा करते हैं आप तीसरे या चौथे दिन कोई प्रस्ताव लाकर सदन और देश का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं

किन्तु यह समस्या तब तक नहीं सुधरेगी जब तक हम अपने दिल में यह निश्चय नहीं कर लेते कि इस इस समस्या का समाधान ढूंढ़ना होगा । इसलिए मैं देश के तमाम राजतीतिक दलों से अनुरोध करूंगा कि देश एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है । हमें अत्यधिक गर्व नहीं करना चाहिए । हमें अत्यधिक आत्म विश्वासी नहीं होना चाहिए । लोग जानते हैं कौन क्या कर रहा है, आप जन साधारण के पास जाईए । वे जानते हैं कौनसा दल क्या कर रहा है । हमें ख्याली दुनिया में नहीं रहना चाहिए । हमें राष्ट्र को यह साबित करके दिखाना होगा कि हम राजनीति में राष्ट्र की सेवा के लिये हैं न कि अपने निजी अथवा अपने राजनीतिक दलों की सेवा के लिए ।

इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । एक आनुशासित व्यक्ति होने की वजह से मैंने समय पालन किया है ।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं एक ऐसे दल के लिए बोल रहा हूं, जिसको सत्ताधारी दल के मेरे एक मित्र ने एक ऐसे दल की संज्ञा दी जो आसाम में शैतानों से बना हुआ है...

(व्यवधान)

आपके प्रारम्भिक बल्लेबाज ने यह कहा । सामान्यतः मैंने इसका विरोध किया होता । मैंने कहा होता कि यह संसदीय मर्यादा के विरुद्ध है । किन्तु हम वाद-विवाद के इस स्तर तक गिर चुके हैं कि शायद अब विरोध प्रकट करने का भी कोई लाभ नहीं है किन्तु इस मामले का एक अन्य पहलू भी है । मेरा दल सत्ताधारी दल से किसी प्रशंसा की उम्मीद नहीं रखता और वास्तव में यदि सत्ताधारी दल मेरे दल की प्रशंसा करना आरम्भ कर देता है तो शायद मुझे अपने दल के अस्तित्व की आवश्यकता के सम्बन्ध में फिर से विचार करना पड़े ।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम उनकी रातों की नींद हराम कर सके हैं और हम आसाम में शक्तिशाली शैतान के रूप में सामने आए हैं । मैं संतुष्ट हुआ हूं और इसलिए उनकी प्रशंसोक्ति भी स्वीकार करता हूं ।

हमें, मैग्सोसे पुरस्कार के विजेता और श्री स्टीफन के बीच के इस विवाद का हल ढूढ़ने के लिये अधिक समय बेकार करने की आवश्यकता नहीं । किन्तु एक बात कहनी होगी कि श्री अरुण शौरी ने इण्डिया टूडे के पाठकों के समक्ष कुछ तथ्य रखने की कोशिश की है और अन्त में "इंण्डिया टूडे के पाठकों कोही निर्णय करना होगा क्या उन्होंने, उनको (पाठकों) आसाम की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्रदान की है । मेरे मित्र श्री स्टीफन को संचार में कोई सफलता नहीं मिली है, इसलिए उनके द्वारा श्री शौरी के प्रति प्रशंसात्मक रुख अपनाए जाने की सम्भावना नहीं है ।

आखिरकार अरुण शौरी ने कहा क्या है ? पहली बात उन्होंने यह कही है कि सत्ताधारी

दल ने शाय्द यह निर्णय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर चुनाव मतदाता सूचियां म का.र संशोधन किए बिना होने चाहिए। क्या यह झूठ है ? यह निःसन्देह रूप से सत्य है और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सत्ताधारी दल के प्रवक्ता ने भी कहा है कि उन्हें सांविधिक मजबूरी के कारण चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मामले में सांविधिक दायित्व वाली बात एक धोखा है। किन्तु सत्ताधारी दल ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्हें चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ा और यही बात श्री शोरी ने कही है। किसी ने भी सत्ताधारी दल को, आसाम में मतदाता सूचियों को अद्यतन बनाने से नहीं रोका था। मैं लोगों को मतदाता सूचियो से हटाने के विवादस्पद मामले के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं उन लाखों लोगों के सम्बन्ध में सोच रहा हूं जो 1979 के बाद से पात्र मतदाता बन गए हैं। उन मतदाता सूचियों के आधार पर चुनाव कराने की क्या आवश्यकता थी, जिनके बारे में यह स्वीकार किया जा चुका है कि लाखों लोग, जो मत देने के हकदार थे, उन्हें उनके मताधिकार से वंचित किया गया। इसलिए श्री शोरी का दूसरा अनुमान बिल्कुल ठीक है कि सरकार ने 1978 की मतदाता सूचियों को अद्यतन किए बिना चुनाव करवाने का निश्चय कर लिया था।

तीसरा निष्कर्ष, जिस पर श्री शौरी अपने लेख में पहुंचे हैं और याद सत्य है किन्तु जिसे हमारे देश की मदान सरकार नहीं जान सकी, और आसाम में पुलिस के एक मामूली उप-निरीक्षक ने जान लिया।

क्योंकि उसने जो पत्र भेजे थे उनमें से एक में उसने लिखी कि:

"बातचीत करके समझौता किये बिना कराए जाने वाले चुनावों का विरोध होगा तथा कानून और व्यवस्था बिगड़ेगी।

इस प्रकार एक पुलिस उप-निरीक्षक तक में भी इतनी बुद्धि को राजनीतिक कौशल है कि वह यह समझता है कि चुनाव कराने से पहले समस्या का समाधान करने के लिए समझौता किया जाना आवश्यक है। दुर्भाग्यवश सरकार ने इतनी भी सह जनबुद्धि और चतुर्थ का परिचय नहीं दिया जिसका कि एक छोटे से पुलिस उप-निरीक्षक ने आसाम में दिया।

महोदय, उसी पुलिस उप-निरीक्षक अपने पत्र-व्यवहार में आगे कहा है कि श्री अरुण शौरी ने इस बात को प्रकट करके बहुत अच्छा किया है। चुनाव में जनता द्वारा विशाल पैमाने पर चुनाव करना व्यर्थ है, मैं उस पुलिस निरीक्षक की प्रशंसा करता है जिसने इस प्रजातांत्रिक सच्चाई को प्रकट किया कि यदि आप चुनाव कराते हैं और उसमें जनता बड़े पैमाने पर भाग नहीं लेती तो ऐसा चुनाव निरर्थक होगा। एक पुलिस उप-निरीक्षक ने तो उस बात को महसूस किया परन्तु खेद है कि इस सरकार ने इस बात को महसूस नहीं किया और यह महत्वहीन चुनाव करवाए। परन्तु क्या श्री शोरे के इस कथन के लिए उन पर दोष लगाया जा सकता है कि सरकार चुनाव कराने के लिए व्यक्त संकल्प है...

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सभी किस्म की सच्चाई की बात की है क्या आप बता सकते हैं कि प्रजातांत्रिक सच्चाई क्या होती है ?

श्री राम जेठमलानी : एक प्रजातांत्रिक सच्चाई वह है जो प्रजातंत्र के लिए उपयुक्त हो, न कि तानाशाही के अगली सच्चाई जिसका कि पुलिस निरीक्षक ने पूर्वानुमान लगाया वह यह है कि यदि सरकार इन परिस्तियों में चुनाव कराना चाहती है तो साम्प्रदायिक उपद्रव होने की संभावना है उसके लिये आपको सेना तैनात करनी पड़ेगी उनके द्वारा सेना तैनात न करने का संभवतः एक ही कारण था कि यदि वे सेना तैनात करते तो चुनाव आयोग जो कि इच्छाओं के अनुरूप इस प्रकार का चुनाव का नाटक करने के लिये तैयार नहीं था चुनाव कराने की कार्यवाही को इतना आगे न बढ़ाता। क्या भारतीय सेना की उपस्थिति में ऐसा नहीं होता ? दूसरी बात श्री शोरे ने यह कही है कि नैली सहित लगभग 10 गांवों पर हमला किए जाने की संभावना है। सामूहिक हत्याकाण्ड से पहले वाले सप्ताह के दौरान इन गांवों में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एस०ओ० एस० समाचार पुलिस स्टेशनों को भेजे गए। वास्तव में सामूहिक हत्या के तीन दिन पहले पुलिस स्टेशनों को एक रिपोर्ट भेजी गई कि खतरनाक हत्यारों से लैस हजारों व्यक्तियों की भीड जमा हो गई है। महोदय श्री शोरे ने ठीक कहा है और श्री स्टीफन ने गलत कहा है। श्री शोरे का कहने का मतलब यह नहीं है कि सरकार का हत्याएं कराने का इरादा था, यद्यपि उसने कहा है कि इन हत्याओं में सरकार का हाथ होने का दोष सरकार पर लगाया है। भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने से, जिससे हत्या हो जाती है। हत्या नहीं करता, कानून के अन्तर्गत यह हत्या नहीं है। दूसरे किस्म की हत्याएं यह हैं कि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसे आप जानते हैं कि वह खतरनाक सिद्ध होगा कि उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु की तुरन्त पूरी और फिर यदि आपके बिना किसी औचित्य के वह कार्य करते हैं तो आप हत्या के दोषी माने जाएंगे। परन्तु जब आप पूरी जानकारी के बाद वह कार्य करते हैं इस पूरी चेतावनी के बाद भी वहां हिंसा होगी, हमले होंगे, कत्ल होंगे, सरूस्त्र सेना के बिना वहां कानून और व्यवस्था नहीं बनाए रखी जा सकेगी वहां आप चुनाव कराते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप हत्या की संभावना से केवल इसलिए टकराने को तैयार हैं कि आपको अपनी चुनाव प्रक्रिया में सहायता मिल सके।

महोदय, एक संवैधानिक अनिवार्यता तो एक संवैधानिक अनिवार्यता ही। है यदि संवैधानिक अनिवार्यता में कुछ सच्चाई हो तो वह संवैधानिक अनिवार्यता आपको कातिल होने के अरोप से बचाने में सहायता कर सकती है। परन्तु वास्तविकता यह है कि कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं थी, क्योंकि यहां प्रतिपक्ष में बैठे सभी विरोधी दलों ने यह प्रस्ताव किया था कि वे संशोधन में आपका साथ देकर इस संवैधानिक कठिनाई को दूर करने के लिए तैयार हैं कि जिससे कि आपको इन असामान्य परिस्थितियों में चुनाव न करवाने पडे।

अतः, महोदय श्री शोरे का कहना ठीक है और श्री स्टीफन ने यह कहना गलत है कि जिन्होंने चुनाव का अनुमोदन किया था उसके लिए आदेश दिए और जिन्होंने चुनाव के इस

तमाशे में भाग लिया है वे हत्या के दोषी हैं वे नैतिक और और राजनैतिक कातिल है क्योंकि उन्होंने कुछ राजनैतिक लाभ उठाने के लिए हत्यायों का जोखिम उठाया।

महोदय, अब मैं भड़काने के प्रश्न पर आता हूं। क्योंकि मेरे मित्र बडे उतावले हो रहे हैं अत: मैं अपने भाषण से विषपान्तर कर रहा हूं। यह पुरानी चाल है कि पहले किसी को बद नाम कर दो फिर उसे फांसी पर लटकाने के लिए कार्यवाही करो। गृह मंत्री महोदय द्वारा कल दिए वकतव्य के बारे में मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका भाषण बहुत ही हेकडी भरा और और राजनैतिक विरोधियों के प्रति बड़ा ही निन्दात्मक रवैया लिए हुए था। और उसमें सचाई को तोडने मरोडने के लिए उन्होंने बहुत ही छूट ली तथा राष्ट्रीय हित को ताक पर रख-मानव पीडा के प्रति बहुत ही निर्दयता बरती गई थी। सबसे पहले तो मंत्री महोनय ने इन व्यक्तियों को आंदोलनकारी और आतंकवादी कहा मैंने इस सदन में इसका कई बार विरोध किया है —चाहे उसका कुछ भी असर नहीं हुआ—और कहा है कि जो लोग एक विशाल दर्पण लेकर सर-कार के समय रख देते हैं और सरकार से कहते हैं कि वे अपना चेहरा आइने में देखे और पता लगायें कि वे कैसे लगते है उन लोगों को आतकवादी और आन्दोलनकारी नहीं कहा जा सकता।

मेरे मित्र श्री स्टीफन को निःसंदेह मूल पाप के सिद्धांत की जानकारी होगी। असम समस्या का मूल पाप यह है कि एक चौथाई शताब्दी तक इसकी घोर अनदेखी की गयी; सरकार द्वार दी प्राथमिक कर्त्तव्य पूरे नहीं किए गए जोकि स्वयं को कहने वाली किसी भी सरकार के लिए सर्वप्रथम पूरे करने आवश्यक हैं—अर्थात् देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं की गई और देश के कानून तथा संविधान को लागू नहीं किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि असम में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे कानून तथा संविधान के विरुद्ध हैं। यह स्वीकृत स्थिति है। समस्या यह है कि उनकी किस प्रकार पहचान की जायें तथा उनके साथ कैसे निबटा जाए। परन्तु सच्चाई यह है कि लाखों व्यक्ति इस देश के कानून तथा संविधान का उल्लंघन करके हमारे देश की सीमाओं में प्रवेश पाने में सफल हो गए और वे यहां मौजूद हैं। अत: किसी भी ऐसे व्यक्ति को आन्दोलनकारी नहीं कहा जा सकता जो आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाता है कि आपने 25 वर्ष तक एक सरकार के रूप में कार्य नहीं किया, सीमाओं की सुरक्षा के लिए कानून तथा संविधान को लागू नहीं किया और आपने केवल अपने चुनाव के बारे में सोचा—जब तक लोग आते हैं उन्हें बुलाते रहो और उन्हें अपने मतदाता बनाओ—यह असम की विडम्बना रही है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के अपने मित्रों की बात से सहमत नहीं हूं। यह पृथकवादी आंदोलन नहीं है। जो लोग आपसे यह कहते हैं कि आप कानून और संविधान को लागू करें. उस संविधान को जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि भारत छोटी-छोटी इकाइयों को मिलाकर बना एक अखंड एकक है, यदि ये देशभक्त कहते हैं कि चाहे देरी हो गयी है पर अब तो संविधान को लागू करो, तो इन्हें पृथकवादी नहीं कहा जा सकता। इस आंदोलन को पृथकवादी कहना इसके असली रूप को विकृत करना है और इसे बद-नाम करना है तथा इसके उद्देश्य को गलत बताना है। यह अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं है।

श्री स्टीफन ने नागरिकता अधिनियम के बारे में कहा है। लगभग एक वर्ष पहले मैंने इण्डिया एक्सप्रेस में एक लेख में बताया था कि असम समस्या का आसानी ने समाधान किया जा सकता है। श्री स्टीफन ने कुछ हद तक यह बात ठीक कही है कि यदि कोई अतिक्रमणकर्ता, अवैध अतिक्रमणकर्ता, इस देश में आ जाता है, तो उससे यहां पैदा होने वाले बच्चे नागरिकता अधिनियम के अनुसार यहां के नागरिक बन जाते हैं, केवल इस देश में जन्मे होने के आधार पर ही। अतः बड़ी संख्या में लोगों को अतिक्रमणकर्ता या विदेशी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने यहां जन्म लिया है। एक बार आप इनसे उत्पन्न बेटा या बेटी को यहां बसने की अनुमति देते हैं तो आप मानवीयता के आधार पर उनके माता-पिता को भी यहां रहने की अनुमति दे देते हैं। मैंने ए० ए० एस० यू० के नेताओं से बहुत पहले बात की थी और उनसे कहा था कि हम सभ्य देश के नागरिक हैं और हमारे ऊपर न केवल संवैधानिक बन्धन है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून का भी बंधन है ; अन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रत्येक सभ्य सरकार को मजबूर करता है कि उनके देश में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे आश्रय की जरूरत है, आश्रय दिया जाए। महोदय, चाहे कोई हिन्दू हो हो या मुसलमान, हम हिन्दू या मुसलमान की बात कभी नहीं करते—यह तो यह सरकार ही है जो सदैव हिंदू और मुसलमान की बात करती है, हम तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून और संविधान की बात करते हैं—किसी भी धर्म का व्यक्ति इस देश में आता है तो उसका स्वागत है और उसे राजनैतिक शरण लेने का अधिकार है और वह हमारे किसी देश के व्यक्ति की तरह स्वतंत्र है। परन्तु यह स्वागत वास्तविक शरणार्थियों के लिए ही है। जो शरणार्थी बनकर इस देश में आएगा उसको हम गोद में बिठाने के लिए तैयार हैं लेकिन जो शरारती बनकर आएगा देश में, उसको बाहर निकाला जाएगा।

असम समस्या का यह सीधा सा समाधान है। परन्तु यह समाधान इस देश की सरकार को स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि वे हमेशा समुदायों, साम्प्रदायिक मुद्दों और वोट को ही ध्यान में रखकर सोचते हैं, यदि संविधान या नागरिकता अधिनियम यह कहता है कि कोई व्यक्ति यहां का नागरिक नहीं है, तो चाहे वह हिंदू हो, या मुसलमान उसके साथ गैर-नागरिक जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। यदि कोई हिंदू गैर-नागरिक है या कोई मुसलमान गैर-नागरिक है तो उसके साथ गैर-हिंदू या गैर-मुसलमान जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। जनता पार्टी ने असम समस्या के बारे में तीन प्रस्ताव पारित किये थे। हमने कहा है कि कानून तोड़ने वालों पर संविधान में दिया गया कानून लागू किया जाए और सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, सुरक्षा प्रदान की जाए। परन्तु यहां तो यह समस्या हिंदू-मुसलमान समस्या या बंगाली-असमी समस्या में बदल दी गई है। इस प्रकार इस समस्या को विकृत रूप प्रदान किया गया है। मैंने उन युवकों और आन्दोलकारियों से बातचीत की है। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है। कृपया उसे पढें। हम अपना समर्थन उसी हालत में दे सकते हैं जबकि आप इन सिद्धांतों को स्वीकार कर लेंगे, सनकार हमें यह आश्वासन दें कि इस पूरे आंदोलन को संविधान और भारत की अखंडता के अन्तर्गत मानकर ही निपटाया जायेगा तभी सरकार हमारा समर्थन और हमारी हमदर्दी प्राप्त कर सकती है।

असम में जो चुनाव हुए हैं वे एक मजाक मात्र हैं। भूतपूर्व चुनाव आयुक्त श्री शकधर ने भी लिखा है कि वह प्रजातंत्र तथा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की हत्या थी। वह पूरी तरह एक मजाक था। अतः इस चुनाव में भाग न लेने को गैर-जिम्मेदाराना कार्यवाही नहीं कहा जा सकता, इसे एक भड़काने वाली कार्यवाही भी नहीं कहा जा सकता। मुझे खेद है कि ये शब्द गृहमन्त्री ने असम के उन लोगों के लिए कहे हैं जोकि देशभक्त हैं, जिन्होंने इस चुनाव के मजाक में भाग न लेने का निर्णय करके अपने अधिकार का उपयोग किया है। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त करने के शांतिपूर्वक विरोध को गृहमन्त्री ने विवेकहीन हिंसा कहा है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ असम में इतना प्रभावशाली है कि उसने यह सब कुछ कराया है, परन्तु यदि वह वहां है और उसने ही यह सब कराया है तो मैं कहूंगा कि मुझे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर नाज है और यदि उन्होंने असम के लोगों को इस प्रकार के चुनाव में भाग न लेने और शांतिपूर्वक से इसका विरोध करने के लिए कहा है तो ठीक ही किया है। महोदय, श्री अटल जी के, जो मेरे नेता हैं, भाषणों के बारे में कहा गया है और किसी व्यक्ति ने यहां टेप प्रस्तुत करने की भी धमकी दी। महोदय, जिन लोगों ने अपने सारे जीवन भर स्वयं अपने भाषणों को टेप कराया हो तो उन्हें ऐसे छोटे टेप की बात नहीं करनी चाहिए। उनका सारा जीवन एक टेप है। और महोदय श्री अटल जी ने असम जाकर जो कुछ कहा है वह कानून या संविधान के अनुसार है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, आपने दूसरे व्यक्तियों को 40 मिनट का समय दिया है और मुझे 10 मिनट भी नहीं दे सकते। हमने इसका विरोध किया था कि आपने 40 मिनट दिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कई बार हमें समय सीमित करना पड़ता है और मंत्री जी को उत्तर देना होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सदन में इस मुद्दे पर ओर कितने समय तक चर्चा होती रहेगी ? कृपया मुझे बताएं। श्री जेठमलानी जी बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं सुन रहा हूं। परन्तु आप कितनी देर यहां बैठेंगे ?

एक सदस्य : जब तक जरूरी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यही राय है ? जितनी देर अध्यक्ष जी चाहे या जब तक आप चाहें ? आखिर मंत्री जी को लगभग 8-30 बजे उत्तर देना है। वह भी तो कुछ समय लेंगे ही। कृपया अपने भाषणों को तब तक पूरा कर दें। लगता है कि असम के मुद्दे पर आमचर्चा हो रही है। नियर 193 के अधीन चर्चा 4 मई, 1983 को असम की स्थिति पर गृहमन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा करने के लिए है।

एक सदस्य : परन्तु यह उनके भाषण से सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मेरा कहना है कि यह बहस है और वक्ताओं से मेरा कहना है कि इतने तक ही सीमित रहें।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपको कितना समय दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जितने समय की अनुमति देंगे।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं कुछ मिनट और बोलूंगा और आपको यहां कब तक बैठना है यह सोचना आपका काम है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। सभी को बोलना जरूरी है।

श्री राम जेठ मलानी : परन्तु महोदय 40 मिनट की 10 मिनट से तुलना कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीमित बोलें। नियम 193 के अधीन चर्चा पर आपको इतना समय नहीं लेना चाहिए। मैं भी विरोधी दल में से हूं और मैं वहां बैठता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय जब सरकार की बात हो रही हो तो आपको अधिक समय देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर आप बेहतर जानकारी रखते हैं। जब मुझे किसी मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बारे में निपटना है तो क्या मुझे 20 मिनट से अधिक का समय चाहिए। मैं नहीं लूंगा। कृपया समाप्त करें।

श्री राम जेठ मलानी : आरोप लगाया गया है कि जब अटल जी ने ये भाषण दिए तो या तो उन्होंने साम्प्रदायिक घृणा को भड़काकर साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारा या हिंसा के लिए भड़काया। दोनों में से कोई बात हो, उन्होंने कानून के अन्तर्गत बहुत ही गम्भीर अपराध किया है। सरकार को मेरा निमन्त्रण है और मेरी चुनौती है कि वह इन भाषणों के लिए श्री अटल जी पर मुकद्दमा चलाएं। अटल जी ने जो भाषण दिए हैं वे ऐसे भाषण हैं जिनमें प्रजातंत्र की उच्चतम परम्पराओं को बनाये रखा गया है, यह उन लोगों का विचार है, जिन लोगों ने इस सदन के लिए हमें मत दिया है उनके स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति है। महोदय, चुनाव प्रक्रिया को इस प्रकार बिगाड़ने का और सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने दल के कुछ हित में कराये गए चुनावों का हम विरोध करते रहेंगे। यदि हम किसी तरह कानून तोड़ रहे हैं तो भगवान हमें दंड देगा या हम ऐसे भाषण देते रहेंगे और भविष्य में भी हम ऐसे भाषण देते रहेंगे। क्योंकि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हमाराकी मूल अधिकार है। अतः इन भाषणों का हवाला देकर हमें डराने की कोशिश न करें और हमसे टेपों की बात न करें। यदि आपके पास टेप हैं तो आप न्यायालय में जाएं और मुकद्दमा चलाएं और तब हमारी मुलाकात न्यायालय में होगी जहां मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकूंगा, क्योंकि यहां तो मुझे आपसे आमने-सामने प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है।

श्री राजेश पायलट : यह तो अदले का बदला है। आपसे भी हम यहां प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री राम जेठ मलानी : मैं तो हमेशा तैयार हूं, आपके लिए। महोदय, अब मैं श्री स्टीफन और राजद्रोह के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जेठमलानी जी यदि आप अपनी पार्टी के तरफ से बोलेंगे तो आपने कोई फीस नहीं मिलेगी।

श्री राम जेठमलानी : आजकल मैं सारे समय यही कर रहा हूं।

श्री स्टीफन ने देशद्रोह के बारे में कहा है। श्री स्टीफन बहुत ही होशियार एवं अकलमंद व्यक्ति हैं और बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं। परन्तु जब उन्होंने यह बताया कि वह 'देशद्रोह' से क्या समझते हैं तो मुझे करीब-करीब उन्हीं दिनों की बात याद आ गई जो गुलामी के समय कही जाती थी या उगांडा में इछी अमीन के शासनकाल या किसी तानाशाही देश में कही जाती हैं या लागू की जाती हैं। वह इतना भी नहीं जानते या वह जानते भी हैं लेकिन वह हमें बताना नहीं चाहते कि संविधान लागू होने के बाद 'देशद्रोह' की परिभाषा में काफी व्यापक संशोधन हो गया है। परन्तु शब्द वही है, इस धारा के शब्द वही हैं जिनके तहत उपनिवेशवादी शक्ति द्वारा महान नेता बालगंगाधर तिलक पर मुकद्दमा चलाया गया था और उन्हें सजा दी गई थी—क्योंकि उन दिनों में उनका कहना था।—"जहां तक, आप भड़काते हैं, मानहानि का अपराध करते हैं, और तत्कालीन सरकार के विरुद्ध नफरत फैलाते हैं वहां तक आप दोषी हैं। यह प्रमाण देना जरूरी नहीं है कि आप हिंसा भड़का रहे हैं।

युद्ध के दौरान, कलपाड़े तथा अन्यों के मामले हुए—और भारती के संघीय न्यायालय ने यह कहा, कि "हम देशद्रोह के इस पुराने उपनिवेशवादी विचार से अपने आपको किस तरह जोड़ सकते हैं ? आपको हिंसा भड़काने का आरोप सिद्ध करना चाहिए।" और संघीय न्यायालय ने एक साहसिक निर्णय दिया था जो एक संघीय न्यायालय ही दे सकता है लेकिन हम अभी तक भी उपन्विेशवादी ताकत हैं। प्रीति काउंसिल ने 316 निर्णय को सही ठहराया और कहा कि "नहीं बालगंगाधर तिलक का पुराना मामला एक अच्छा कानून था।" और पुनः भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस पर 1962 के बाद विचार किया, और अपने निर्णय में यह कहा कि सरकार के विरुद्ध असंतोष व्यक्त करना और इसकी आलोचना करना और इस पर व्यंग्य करना···लोक-तांत्रिक अधिकार हैं—जिसे श्री स्टीफन को अवश्य पढ़ना चाहिए। आप देशद्रोह का अपराध तभी करते हैं जब आप लोगों को हिंसा के लिए भड़काते हैं। मैं मि० स्टीफन से पूछना चाहता हूं कि क्या इस परिभाषा को देखते हुए, वह अभी भी गम्भीरतापूर्वक यह सुझाव···

उपाध्यक्ष महोदय :—आप उनसे सीधे ही मत पूछिये। मेरे माध्यम से पूछिये।

श्री राम जेठमलानी :—उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपके माध्यम से भी स्टीफन से पूछ सकता हूं कि क्या सभी बातों को जानते बूझते हुये भी, वह मि० शौरी के देशद्रोह को दोषी ठहराने

के लिये तैयार हैं ? यह देशद्रोह भी परिभाषा को तोड़ना मरोड़ना है, यह देशद्रोह का गलत अर्थ लगाना है। मि० अरुण शौरी ने विश्व भर में प्रचलित उच्चतम पत्रकारिता की परम्परा के अनुसार ही कार्य किया है। हमारा देश स्वतन्त्र और लोकतांत्रिक है गोपनीता हमारे सिद्धांत्तों एवं हमारे विश्वासों के प्रतिकूल है। गोपनीता का सहारा उन्हें अभी लोगों द्वारा लिया जाता है जो गलत काम करते हैं। हमारा समाज एक खुला समाज है, और इसका निरीक्षण एवं इसकी अलोचना की जा सकती है : और सच्चाई प्रकट करने से राष्ट्र की कभी बदनामी नहीं हो सकती। यह किसी सरकार विशेष को बदनाम कर सकता है, परन्तु सच्चाई प्रकट करने से सारे देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, क्योंकि यहां के लोग सच्चाई के प्रति समर्पित हैं ; और वे न केवल निडरता से इसका पालन करते हैं बल्कि उसकी खोज करके इसे प्रकाशित भी करते हैं।

इसलिये मेरा विश्वास है कि मि• स्टीफन को मि० शौरी से क्षमा याचना करनी चाहिये, लेकिन यह एक विवाद का विषय है, हमें इसे नहीं उलझाना चाहिये और अन्तत : यह मामला तो श्री स्टीफन को स्वयं ही सुलझाना है।

श्री सी० एम० स्टीफन : अब जब आपने ऐसा कहा ही है तो क्या आप मुझे भी आधा मिनट का समय देंगे ?

श्री राम जेठमलानी : आधा मिनट नहीं बल्कि दो मिनट।

श्री सी० एम० स्टीफन :—देशद्रोह का अर्थ फौजदारी कानून की नज़र में एक बात है और इस शब्द का शब्द कोष में अलग अर्थ है।

श्री राम जठे मलनी : जो कुछ आप कह रहे हैं मैं समझता हूं।

श्री जी० एम० स्टीफन :—जब आप संसद में बोल रहे हैं—तो उस तरह बोलिये जिस तरह से फौजदारी वकील बोलता आप सामान्य शब्दावली में बोलिये। देशद्रोह सरकार के विरुद्ध शत्रुता भड़काना है जिससे विद्रोह होने की भी सम्भावना है, लेकिन इतना नहीं कि बगावत हो जाये। मैंने बगावत नहीं कहा। यदि मैंने 'बगावत' कहा होता तो हिंसा का प्रश्न और यह सम्पूर्ण निन्दनीय चीजें पैदा हो गई होती। मैंने कहा है ; 'केवल वह वक्तव्य जिसमें किसी क्षेत्र में भड़काने की प्रवृति होती है, जो किसी प्रकार का विद्रोह पैदा कर सकता हैं'' यहीं मैंने कहा है और मि० शौरी के वक्तव्य का यही प्रभाव है।

श्री जेठ मलानी : यदि मि० स्टीफन अपने शब्दकोष को ध्यान से पढ़ें और उस शब्द पर गौरकरें जो उन्होंने अभी कहा है—और यदि वह अपने सत्तापक्ष के साथियों की—तालियों के प्रति ध्यान न दें तो उन्हें इस बात का अहसास हो जायेगा कि यह परिभाषा उनकी परिभाषा के प्रतिकूल है। परिभाषा में वह कहा गया है :—उस प्रकार की अपमानता अथवा घृणा जिससे विद्रोह भड़कने की आशंका हों' जो हिंसा को भड़काती हो।

श्री सी० एम० स्टीफन : असम में यही इसका परिणाम हुआ है।

श्री राम जेठमलानी : गृह मन्त्री ने कल के अपने भाषण में काम करने की प्रक्रिया की बात कही थी जिसका आधार धीरे ही सही परन्तु स्थाई लाभ प्राप्त करना है। इस पर मेरी टिप्पणी यह है कि यह घड़ियाली आंसू है। कोई भी घाव भरने की प्रक्रिया आरम्भ नहीं की गई है। इसके ठीक विपरीत यदि कहा जाए तो आप रोजाना हर मिनट उन गहरे घावों पर नमक छिड़क रहे हैं जो ग्राम के लोगों को आपने ऐसी सरकार जारी रखकर स्वयं पहुंचाए हैं जो इस तमाशे के परिणाम-स्वरूप चुनी गई है आप रोजाना उन्हें यह याद दिला देते हैं कि उनके लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित नहीं हैं और आप हैं कि बुराई के रास्ते पर चलने को आमादा हैं जिस पर आप पिछले 25 वर्षों से चलते आ रहे हैं। केवल एक ही रास्ता जिससे आप पुनः सौहार्द स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकते हैं, वह है कि आपको एक सार्वजनिक वक्तव्य देना चाहिये कि हम आपको देश भक्तों के रूप में माननीय नागरिकों के रूप में देश की अखण्डता में विश्वास रखने वालों के रूप में मानते हैं, आपकी सच्चाई स्वीकार करते हैं।

हमारे साथ बैठिये और संविधान को, कानून को, भारत के अन्तर्राष्ट्रीय वायदों एवं दायित्वों को ध्यान में रखते हुये इस व्यवस्था का दल ढूंढ़िये। धन्यवाद।

श्री नूरुल इस्लाम : (घुबरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने सबसे पहले भाषण में असम की गंभीर और उलझी हुई समस्याओं के बारे में बताना है जिसका मैं भी शिकार हुआ हूं। क्या आपको मालूम है कि विदेशी नागरिकों की समस्या सन् 1963 में पैदा हुई थी।

अतः असम 1963 से ही इस समस्या से पीड़ित होना शुरू हो गया था। 1963 में वहां बड़ा हो-हल्ला हुआ कि असम में लगभग 10 लाख विदेशी नागरिक हैं। अनेकों जांच-पड़ताल के बाद असम सरकार के इस बारे में 2 1/2 लाख आंकड़े निर्धारित किये थे और तब से 1969 तक उनको निकाला जाता रहा, और असम सरकार के 1969 तक के आंकड़ों के अनुसार 96 लाख लोग असम से निकाले जा चुके थे। जब कि विदेशी नागरिकों को असम से निकाले जाने की प्रक्रिया जारी थी, और जब असम इस समस्या से जल रहा था तो यह कैसे मान लिया जाए कि बंगला देशवासी इस आग में स्वयं जल कर मरने के लिए वहां आ जाते? यह तो सिर्फ एक राजनीतिक मसला है और अपने सबसे घटिया राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इसे राजनीतिक रंग दे दिया गया है। यह आन्दोलन 1977 में किस तरह शुरू हुआ था ? दशाब्दियों से इस राज्य के बहुमुखी आर्थिक विकास की उपेक्षा की जाती रही, हमारे बच्चों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और केन्द्र सरकार के उपक्रमों में रोजगार के अवसरों से वंचित रखा जाता रहा जो संविधान के अनुसार हमें मिलने ही चाहिए थे। यह आन्दोलन इस नारे के साथ शुरू हुआ कि , "तुम हिंदुस्तानी कुत्तो, निकल जाओ" यदि आप गोहाटी जायें तो अभी भी आपको यह नारा दीवालों पर लिखा हुआ मिल जायेगा। लेकिन उस समय जनता सरकार ने जो उस समय सत्ता में थी, इस आंदोलन

को आर्थिक आंदोलन से राजनीतिव आंदोलन में बदलने के लिये असम में अपना जाल फैलाया और इसे राजनीतिक आंदोलन का रूप दे दिया ताकि वे अपने सबसे घटिया राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें।

शायद आपको याद होगा कि जब हमारी माननीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को इस समानित सदन की सदस्यता से बड़े शर्मनाक ढंग से हटाया गया था, तो उस समय शायद इसी पाप के कारण, उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य स्व० श्री हीरा लाल पटवारी का निधन हो गया था और इसके परिणामस्वरूप असम के मंगल देव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की एक सीट जाली हो गई थी। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि शायद श्रीमती गांधी मंगल देव निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़े। इसलिए, तत्कालीन सरकार ने उस समय के अपने एक माननीय सदस्य श्री पत्रा सिंह से यह वक्तव्य दिवा दिया कि मंगल देव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में लगभग 40,000 बंगला देश के नागरिक हैं।

इस वक्तव्य का समर्थन तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री गोल्फ बारे-बीरा ने 1978 में किया। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक इस आन्दोलन को आर्थिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन बना दिया और हम विरोधी लोगों को उसका शिकार बनना पड़ा। हम नहीं जानते कि कौन बंगला देश वासी है या विदेशी नागरिक है ? लेकिन आप और हम वहां इस सुसभ्य समाज में कुत्तों और बिल्लियों की मौत मर रहे हैं और ये लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने इस आंदोलन को किस तरह से नया मोड़ दिया है। उन्होंने हमारे बच्चों को बहकाया और उन्हें बताया कि उनका आंदोलन बिल्कुल असंवैधानिक है और गैर-कानूनी है क्यों कि हर हिन्दुस्तानी को हिन्दुस्तान के किसी भी भाग में रहने और बसने का पूरा-पूरा अधिकार है। यह संविधान में गारंटी शुदा अधिकार है इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को विदेशी नागरिक की ओर मोड़ दिया। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने ऐसा किया है। यह आंदोलन असम में 125 आर० एस० एस० कैम्पों में शुरू किया गया।

मुझे यह नहीं मालूम था कि बाला साहिब देवराज, रणजीत सिंह और श्री वाजपेयी कौन है। शायद आपको मालूम हो। लेकिन 1978 से 1983 के बीच उन्होंने एक-दो बार नहीं बल्कि सौ से अधिक बार असम का दौरा किया और खुले रूप से सार्वजनिक बैठकें कीं तथा एक समुदाय विशेष के विरुद्ध भड़काने वाले भाषण दिये जैसा कि मेरे कई मित्र बता ही चुके हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे बच्चों को अग्रिम अस्त्र, राइफलें, बन्दूकें आदि चलाने का प्रशिक्षण दिया और हमारे बच्चों को खूनी संघर्ष के लिए तैयार कर दिया। शायद आपको याद होगा कि वे कौन-कौन से राजनीतिक दल जिन्होंने चुनावों का बहिष्कार किया था और हमारी सरकार को यह खुली चुनौती देते हुए यह कहा था कि वे सरकार को चुनाव नहीं कराने देंगे उन्होंने दूसरी चुनौती यह दी थी कि अगर वहां चुनी गई सरकार बन भी जाती है तो भी वह उस सरकार को कार्य नहीं करने देंगे। वे इतना साहस लाए कहां से क्योंकि उन्होंने तैयारी पूरी कर ली थी और वे सिर्फ किसी बहाने की इन्तजार में थे। उन्हें यह बहाना चुनावों के मौके पर मिल गया। जब चुनावों की घोषणा की

गई तो उन्होंने अपने कार्यों से सारे राज्य में ऐसी भयपूर्ण स्थिति पैदा कर दी कि दीसपुर में राज्य के हर भाग से संदेश और तार आने शुरू हो गये । नेहल्ली संदेश भी उनमें से एक संदेश था जिसका उल्लेख एक लेख में विशेष रूप से किया गया था ।

मैं इस लेख की चर्चा यहां नहीं करूंगा क्यं कि मेरे अनेकों मित्र इस लेख के बारे में बता भी चुके हैं कि यह लेख विशेष इस खास मौके पर भी क्यों छापा गया था क्योंकि उनके दिलों में

आग लग रही थी कि असम समस्या ठंडी पड़ती जा रही है और वर्तमान लोक प्रिय सरकार खौफ-नाक स्थिति पर नियंत्रण करती जा रही है और राज्य में सभी चीजें फिर से ठीक होती जा रही हैं। जब स्थिति नियंत्रित हो जाएगी तो वे अब क्या करेंगे ? वे अब एक और बहाना बना रहे हैं कि इस चुनाव के कारण ही असम मेंयह हत्याकांड हुआ है । वास्तव में यह बात सही नहीं है क्योंकि मैंने असम में अनेकों जगह जैसे नेल्ली, बारबोरी चावीखावा आदि का दौरा किया है । नेल्ली में कुल 7000 मतदाता थे । उनमें से कुल 263 लोगों ने ही वोट डाली । यदि यह हत्याकांड चुनावों की वजह से ही हुआ होता तो केवल यही 263 व्यक्ति मारे जाते लेकिन बच्चों सहित 916 व्यक्तियों की हत्या क्यों की गई ? इसलिए यह चुनाव की वजह से नहीं हुआ । उन्होने इसके लिए तैयारी हुई थीं और आखिरकार उन्हें चुनावों का बहाना मिल गया और उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया... (व्यवधान)...।

महोदय, मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए । यह मेरा पहला भाषण और मैं इस सदन में सबसे लम्बा आदमी हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मतलब यह हुआ कि क्योंकि यह आपका पहला भाषण है इस लिए मुझे घंटी नहीं बजानी चाहिये । मैं आपसे सहमत हूं लेकिन प्रश्न यह है कि मन्त्री जी ने भी उत्तर देना है ।

श्री नुरुल इस्लाम : अब क्योंकि उन्होंने राज्य में ऐसी स्थिति पैदाकर दी है तो कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुये हमारी सरकार ने हमारी अपनी पुलिस बलों के अलावा भी राज्य से बाहर पुलिस बलों की 275 कम्पनियों का वहां भेजकर सही कदम उठाया है । न केवल इतना ही, बल्कि वहां विदेशी नागरिकों के भारी मात्रा में प्रवेश के बारे में भी हो-हल्ला हो रहा है ।

मैं सीमान्त जिले का रहने वाला हूं । मेरा मकान हिंदुस्तान-बंगला देश सीमा से किलोमीटर के फासले पर है और मैंने देखा है कि सरकार ने क्या-क्या उपाय वहां किये हैं । हर तीन किलो-मीटर पर बी० एस० एफ० कैम्प लगे हुए हैं और दो कैम्पों के बीच वहां एक सिविल पुलिस चौकी बनाई गई है। इसे पार करके कोई भी नहीं आ सकता । यह ससम्भव है कि इसे पार करके कोई

सीमा में प्रवेश कर सके। यह उनकी बनाई हुई गढ़न्त कहानी है। अब क्या हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग एक सम्प्रदाय विशेष का कत्लेआम करने वालों के रूप में पुरी तरह से पहचान लिए गए तो उन्होंने यह कहानी गढ़कर चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस हत्याकांड के लिए सरकार जिम्मेदार है। ऐसी ही एक कहानी है कि बाजार में एक चोर चोरी करते हुए देखा गया लोगों ने उसे पकडने के लिए उनका पीछा किया। जब उसने देखा कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा तो उसने चोर-चोर कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि लोगों को यह भ्रम हो जाये कि वास्तविक चोर कौन-सा है।

इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पत्रिका में इस लोक को छपवा कर इस कत्लेआम के लिये सरकार को जिम्मेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं हालांकि मुझे और अधिक समय दिया जाना चाहिए था। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना पहला भाषण बहुत बढ़िया दिया है।

माननीय सदस्यों, असम के मसले पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं और अनेकों माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं और अब इस विषय पर और चर्चा करना उन्हीं बातों को दोहराना होगा जो वे पहले ही कह चुके हैं। इसलिए, मैं इस मसले पर विशेष रूप से एक महिला सदस्य को बोलने का अवसर देना चाहता हूं। इसलिए, श्रीमती गीता मुखर्जी को बोलने की अनुमति दे रहा हूं और उनके बाद मि० सुलेमान सेठ बोलेंगे। इसके साथ मैं अनुरोध कर रहा हू...

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं भी बोलूंगा। यह एक महत्वपूर्ण मामला है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ मैं इन्हीं दोनों को अनुमति दूंगा। क्योंकि मैं तो रात के बारह बजे तक बैठ सकता हूं लेकिन मंत्री जी कब उत्तर देंगे...

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : महोदय, आप ऐसा निर्णय नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्री चित्त बसु : आप उन्हें बोलने का मौका जरूर दे सकते हैं लेकिन मुझे आप भाषण देने से वंचित नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक है। यह हमारा दृष्टिकोण है। आप इसे अधिकार बनाकर इसका दावा नहीं कर सकते। हम इसे सीमित कर सकते हैं...

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसुकरा) : महोदया स्थिति को देखते हुए मैं बहुत संक्षेप में ही बोलने की कोशिश करूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं इसीलिए मैंने आपको अनुमति दी है।

श्री चित्त बसु : वह इसलिए संक्षेप में बोलेंगी क्योंकि मैंने भी बोलना है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सबसे पहले, क्योंकि शायद संसद के इस सत्र में असम समस्या पर अन्तिम बार चर्चा हो रही है इसलिए मैं दूसरे सिरे से इसे प्रारम्भ करूंगी। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज अब यह है कि उन लोगों की सुरक्षा पर विचार किया जाये जो शरणार्थी कपों से अपने निवास स्थानों पर लौटना चाहते हैं क्योंकि जो कुछ हमने सुना है वह यह है कि संचार साधनों के भयानक रूप से अस्त-व्यस्त होने के कारण, अनेकों लोग वापस लौटना चाह रहे हैं, वे बुरी तरह से डरे हुए हैं। इसलिए क्योंकि असम के मसले पर अपने विचार व्यक्त करने का शायद यह अन्तिम मौका है इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि उन्हें सुरक्षा की गारण्टी दी जाए चाहे इसमें कितनी भी लागत क्यों न लग जाए अर्थात अपेक्षित सुरक्षा बलों को इतने फासले पर रखा जाये जहां कि लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें। यह बहुत ही आवश्यक है...

(व्यवधान)

जी हां। विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि मानसून आ रहा है जबकि कुछ स्थानों में पहुंचना असम्भव हो जाएगा।

वाद-विवाद के दौरान उठाए गए प्रश्नों के सभी पहलुओं की चर्चा मैं यहां नहीं करूंगी। लेकिन जो कुछ मैं कहहा चाहती हूं वह यह है कि हालांकि इस समय असम समस्या इतनी खराब नहीं है जैसी कि यह चुनाव के तत्काल बाद की या चुनाव के तत्काल पहले थी, फिर भी मेरे ख्याल हैं कि स्थिति अभी भी बहुत गम्भीर बनी हुई है और इस गंभीर स्थिति में यह सुनिश्चित करने के सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए कि जो घटनाएं नेल्ली में हुयी हैं और न केवल नेल्ली में ही हैं जहां भारी साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, फिर न होने पाएं। इसलिए हमें उनसे सबक लेना चाहिए बात की और भी स्थानों पर हुयीं और उन्हें हर कीमत पर रोकने का प्रयास करना चाहिए।

असम ऐसे तत्व हैं जो किसी भी समय फिर से स्थिति को भड़का सकते हैं। इसलिए, मैं संक्षेप में एक-दो मसलों पर बताना चाहूंगी।

जहां तक हमारी पार्टी का सम्बन्ध है, चुनाव के बारे में इसकी स्थिति सभी को मालूम है। आन्दोलन के बारे में भी हमारी स्थिति सभी को पता है। हम इस सारे ही आंदोलन को अलगाववादी नहीं मानते, लेकिन हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझते हैं कि असम में भीषण अलगाववादी तत्व कार्य कर रहे हैं और उन्हें निमित्त साम्राज्यवादी ताकतों से समर्थन एवं सहायता मिल रही है। उन आंदोलनकारियों में से अनेकों ऐसे भी हैं जिनकी वास्तविक परेशानियां हैं। इसलिए हमें इन दोनों के बीच में अन्तर समझना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस स्थिति का राजनीतिक रंग देने की बजाये, इस अन्तर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और सरकार की ओर से उन लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जाने चाहिये जिसकी कठिनाइयां वास्तविक हैं और उन्हें नजरअन्दाज नहीं होने देना चाहिए।

अखिल असम छात्र संघ में हाल ही जो कठिनाइयां और गड़बड़ी स्वतः उत्पन्न हुई हैं उसको ब्यौरा देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। एक दल यह कहता है कि श्री शर्मा तथा और सभी व्यक्ति राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के साथ मिल गए हैं और इसीलिए भारी परेशानी है मुझे उनके स्वैये के बारे में जरा भी संदेह नहीं हैं वे नहीं चाहते कि कोई आदि आयोजित करे। वे लोग जिस प्रकार का नितांत गैर प्रजातांत्रिक और हिंसा रवैया अपना रहे हैं उसका मैं कतई समर्थन नहीं करती किन्तु मैं जो बात कहना चाहती हूं वह यह है कि चूंकि उनमें भी आपस में यह मतभेद हो गया है इसलिए केवल उनमें साथ ही नही बल्कि इसबार निश्चित रूप से असम के अन्य सभी दलों के साथ बातचीत करने की और अधिक संभावनाएं बन गई हैं इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखा जाये। मुझे नहीं पता कि सरकार इसके बारे में क्या करना चाहती है।मुझे स्पष्ट रूप से यह कहने की अनुमति दें कि सरकार जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। यह हमारी दृढ धारणा है यद्यपि हम लोगों ने चुनाव का समर्थन किया था क्योंकि चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं यह सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि स्थिति बड़ी विस्फोटक है। इतना ही नही है कल ही गेल और प्राकृतिक गैस आयोग से बहुत सारी विस्फोटक सामग्री चुरा ली गई है और इस प्रकार की घटनाएं किसी न किसी स्थान पर घटती रहती है।

श्री जेठमलानी चले गए हैं। मुझे नहीं पता कि वे चले गए है या नहीं।

प्रो० मधुदण्डवते (राजपुर): वह अपने चैम्बर से ही आपकी बात सुन रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी: जो भी हो, वह चुनौती दे रहे हैं क्या किसी और ने भी इसमें हिन्दू या मुस्लिम आदि मसला बनाया है? आंदोलन आरम्भ हुआ। इन लड़कों को उकसाया गया। मैंने समाचार पढ़ा था जो 'टेलीग्राफ' दैनिक में 6 अप्रैल 1983 को प्रकाशित हुआ था :

"हिन्दू असम आवश्यक"

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ

नई दिल्ली अप्रैल 5,

असम के बारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नीति नागपुर में हुई राष्ट्रीय परिषद संगठनों की सभा में बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी जिसमें यह संकल्प किया गया था कि असम के मुख्य रूप से हिन्दू रहने की दशा में ही राज्य के अन्य ग्रुपों का आस्तित्व बना रह सकता है।

परिषद ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि घुसपैठ तथा धर्मपरिवर्तन दोनों के कारण राज्य में हिन्दू घटकर असंख्यक होते जा रहे हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो घूसपैठियों की शक्ति बढ़ जाएगी और हमारे देश की अखंडता को भारी खतरा पैदा हो जाएगा।

यह आवश्यक है कि असम मुख्यतया तथा हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र बना रहें क्योंकि केवल तभी प्रत्येक ग्रुप का आस्तित्व बना रह सकता हैं और उन जीवन मूल्यों की 'रक्षा की जा सकती है जो असम और शेष देश के मध्य सामान्य संबंध बनाते हैं।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की यह नीति है। शायद भारतीय जनता पार्टी अधिकारिक रूप से यह बात नहीं कह सकती है। हर एक को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बीच जो संबंध है उसके बारे में पता है। यह कितनी गंभीर बात है आपकी सरकार साम्राज्वादी षडयन्त्रों के प्रति कितनी असावधान रही थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और समस्त साम्राज्य वादी एजेन्सियां उस क्षेत्र में सक्रिय हैं और आरम्भ से ही उनका भाग्य बर्बाद हो रहा है यह कोई आवश्यक नहीं कि वे यही लड़के हों किन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि उन्हें इस स्थिति में नहीं लाया जा सकता। इसके साथ, असम की स्थिति बहुत ही उत्तेजक हैं इसलिए मैं यह कहती हूं कि सुरक्षा का प्रश्न बहुत ही महत्त्पूर्ण हैं और इसकी हर कीमत पर गारंटी होनी चाहिए।

मैं ऐसा नहीं समझती हूं कि हमने ऐसी स्थिति तैयार नहीं की है कि यदि वे व्यक्ति अपने घर लौटे तो उन्हें खराब स्थिति का मुकाबला न करना पडे और यह झगडे न हों मेरे विचार से आपकी सरकार भी ऐसी स्थिति नहीं तैयार करा सकी हैं।

एक और दिक्कत है। पुलिस को बहुत अधिकार प्राप्त होते जा रहे हैं वे मनमाना हमला करते हैं मुझे बोगई गांव तेल शोधक कारखाने की ए० आई० टी० यू० सी० से यह सूचना मिली है कि ऐसी घटनाएं रोज ही घट रही हैं 26-4-1983 को यही हुआ। ए० आई० टी० यू० सी० के कर्मचारी तेल शोधक कारखाने से आ रहे थे। अत्यधिक वफादार व्यक्ति तेल शोधक कारखाने को चालू रखना चाहते थे पुलिस ने उन पर हमला किया। वे गंभीर रूप से घायल हो गये हैं और अस्पताल में हैं। पुलिस की इस प्रकार की ज्यादियां आये दिन ही रही हैं। यह भी एक दुखदायी प्रश्न है जिसके बारे में सरकार को भी विचार करना चाहिए।

अब मैं अरुण शोरी के लेख के विवादास्प मुद्दे पर आती हूं। गृह मन्त्री के वक्तव्य में दी गई भर्त्सना से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं किन्तु इसके साथ ही मैं शोरी द्वारा दिए गए अनेक निष्कर्षों से भी सहमत नहीं हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार एक बडे उद्देश्य के साथ निकल पड़ी है। जहां तक श्री शोरी के राजनैतिक निष्कर्षों का प्रश्न है, कुछ मामलों में, मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

किन्तु यदि सरकार उनके द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों का कम-से कम एक ठोस उत्तर देती तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती। उच्च स्थानों अर्थात असम पुलिस की 5वीं बटालियन के कमान्डेन्ट, उप-मंडल पुलिस अधिकारी, मारी गांव और पुलिस स्टेशन, जागी रोड़ के कार्य भारी अधिकारी को उपायुक्त, नौ गांव द्वारा विशेष चेतावनी दिये के बाद वास्तव में क्या हुआ ? क्या कार्यवाही की गई है ? उसके बारे में सरकारी रिपोर्ट में कु भी नहीं बताया गया है।

श्री सेठी जी अपनी भर्त्सना के जोश में यह भूल गये कि उनको इसके बारे में जनता को एक स्पष्ट स्पष्टीकारण देनी है। यह हो सकता है इसकी प्रशासनिक जांच हो रही है। किन्तु यह कारण नहीं है कि इसके बारे में न बताया जाय। यही आप विशेष रूप से यदि महसूस करते हैं कि यह बात सारे संसार में फैल रही है और एक अभिमान छेड़ा जा रहा है आदि...आदि.. तो निश्चित रूप से यह आपका दायित्व हो जाता है कि आप बताये कि जनता के मस्तिष्क में विश्वास पैदा करने के लिये आपने क्या कार्यवाही की। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, तो यह बात आपको स्पष्ट रूप से बतानी चाहिये। मैं कम से कम यही महसूस करती हूं।

यहां मैं एक बात अवश्य कहूंगी। यद्यपि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम आते ही श्री शोरी कुछ न कुछ कहते है, ऐसा कथन छापते हैं कि इन "टिप्पणियों"; पर ध्यान की देने आवश्यकता नहीं या यह संपादकीय लेख है, आदि आदि। इससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने चित्र के एक ही ओर देखा है। चित्र के दूसरे पहलू के बारे में अर्थात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा उत्तेजाना फैलाने आदि के बारे में उन्होंने या तो सम्पादकीय लेख का जिक्र किया है अथवा किसी सारांश अथवा निष्कर्ष का। मैं पूछती हूं ऐसा क्यों है ; यदि आप इन समाचारों को इतना गम्भीरता पूर्वक लेते हैं तब आप आधी बात को क्यों छोड़ देते है और आधी बात से ही ध्यान में रखते हैं। महोदय, इस मामले में हम कुछ नहीं खो रहे हैं केवल विश्वास खो रहे हैं। हमारी स्थिति बड़ी ही स्पष्ट है और इसलिये हम उसे स्पष्ट करना चाहते हैं ? हम सरकार के प्रत्यक्ष निष्कर्ष से भी सहमत नहीं है। यह मेरा आखिरी मुद्दा है। हम कुछ नहीं खोयेंगे, केवल विश्वास खोयेंगे। किन्तु निश्चित रूप से हम लोग इस बात से सहमत हैं तथा मेरा अभी तक यही विश्वास है असम के लिये जो राजनीतिक इच्छा और राजनैतिक समझौते की बात की गई है उस राजनीति को असम में रोकना सम्भव है।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि दुर्भाग्यवश कुछ विरोधी दल तथा सत्तारुढ़ दल तो निश्चित रूप से विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। यदि वे मुझ से सहमत नहीं है, तो कोई बात नहीं

हैं। किन्तु कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जो होनी नहीं चाहिये। जिस तरीके से चुनाव हुए वह तरीका ठीक नहीं था। जो कुछ बीत गया, उसे जाने दीजिये। अब यह नितांत आवश्यक है कि आप असम के भविष्य के बारे में विचार करें और हम सब इस बात का प्रयत्न करें कि बात-चीत का सिलसिला फिर से जारी हो सकें फिर से समझौता हो हो सके और असम के लोगों की सुरक्षा हो सके और असम को हिन्दू-असम या मुस्लिम असम या असमिया असम या बंगाली असम में परिवर्तित करने की न सोची जाये अपितु असम को एक सम्पूर्ण राज्य ही रहने दिया जाये जिसमें विभिन्न धार्मिक विचार वाले और जाति वाले व्यक्ति निवास करते हों। इसके साथ ही आप असमी जनता के दिल से यह भय निकाल दें कि उनकी संस्कृति और उनकी अन्य पहचान समाप्त हो जायेगी।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (मन्जेरी) :—उपाध्यक्ष महोदय, आज असम में जो स्थिति है, उसके बारे में गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में उस पर गहरी चिन्ता, दुख और खेद के साथ कुछ कहने को खड़ा किया हूं।

इस समय विदेशियों के मामले पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि इस विषय पर इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और इस मामले पर हम लोग आपने विचार प्रकट कर चुके हैं।

15 मई की इंडिया टूडे पत्रिका में असम की स्थिति के बारे में लिखें गये लेख में श्री शौरी का क्या मत्तव्य हैं उसके बारे में भी मैं कोई प्रश्न नही उठाना चाहता। उठाना चाहता।

आज मुझे इस बात की गहरी चिन्ता है कि आज देश में अल्पसख्या विरोधी ताकतें और साम्प्रायदिक सैनिक शक्तियां असर राज्य से मुसलमानों को निकालने, उन्हें मारने, उनको मिटाने और सम्भव हो सकें तो इस देश से निकाल बाहर करने और यदि यह सम्भव न हो तो कम से कम असम राज्य से उन्हें निकाल बाहर करने के लिये कितने गहरे षडयन्त्र में लगी हुई हैं। मुझें इसी बात की गहरी चिन्ता है।

यहां एक ऐसे दल का वकील भी है जो दल निश्चित रूप अल्पसंख्यक विरोधी दल है और एक साम्प्रादयिक उग्रवादी दल है और वह वकील अपने दल की वकालत कर रहा है। एक वकील एक मुजरिम की भी रक्षा कर सकता है। इस सदन में उसने यही किया है। हम लोग दलों के प्रति धारणा उनकी मधुर घोषणाओं से नहीं बल्कि उनके इरादों और कार्यों से बनाते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारतीय जनता पार्टी का आधार है। इस बात को मननीया महिला सस्दया श्रीमती गीता मुखर्जी ने स्पष्ट कर दिया है इसलियें, मैं इसके बारे विस्तार पूर्वक नहीं कहूंगा।

हाल ही में असम राज्य में जान बूझ कर हजारों निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की गई है जिसके कारण लाखों लोगों उखड़ गये और बेघर हो गये यह सब निश्चित रूप से उन गरीबों की

जमीनों और खेतों को छीनने के इरादे से किया गया । आम तौर से वे सब मुसलमान थे। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता ।

मुझे मालूम है कि वहां लोगों को उकसाया गया था। मुझे पता है कि प्रशासन आन्दोलनकारियों के साथ नहीं था । किन्तु इसके बावजूद, असम में जो कुछ हुआ, उसके लिये मैं इस सरको दोषी ठहराता हूं । वह अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन, सम्पत्ति और इज्जत की सुरक्षा करने में असफल रही । उनके मातहत केन्द्रीय सेना है और गुप्तचर हैं । इसके बावजूद वह असफल रही । अब वह कहतीहै कि साम्प्रदायिक उग्रवादी बल प्रतिक्रिया वादी ताकतें और अल्पसंख्यक विरोधी शक्तियों असम में हुई घटनाओं के लिये उत्तरदायी है। किन्तु मुझे यह बताया जाय कि इन ताकतों को कुचलने के लिये उसने क्या कदम उठाये ? आज ही नहीं, बल्कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही ये ताकतें देश के अनेक स्थानों में, यथा मुरादाबाद, मेरठ, बगैरा आदि में तबाही बचाती ही हैं। यदि यह सरकार इन साम्प्रादायिक उग्रवादी बल, इन प्रतिक्रियावादी ताकतों और अल्पसंख्यक है विरोधी शक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफल रही है तो यह इस सरकार की लापरवाही चूंकि वह लापरवाह रही है, इसलिये असम में जो कुछ हुआ है उसके लिये मैं उसे ही दोषी ठहराता हूं ।

यह मेरा आरोप है । मैं कहता हूं कि असम में जो कुछ हुआ है, उसके लिए यह सरकार उत्तरदायी है । वह इस नाजुक स्थिति को नहीं समझ सकी, वह स्थिति की गम्भीरता भी नहीं परख सकी और वह उन तत्वों को समाप्त करने के सुरक्षात्मक उपाय नहीं कर सकी जो चारों तरफ से घेर कर और चारों तरफ से हमला करके असम राज्य में अल्पसंख्यकों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम करने और जानबूझकर उनकी हत्या कराने के षडयन्त्र में लगे हैं ।

सूचना होने के बावजूद यह सब कुछ हुआ । श्री अरुण शौरी द्वारा लिखे गए लेख के बारे में वे चाहें जो कुछ कहे किन्तु मैं उसकी वास्तविकता को नहीं नकार सकता । श्री स्टीफन बता चुके हैं कि इरादा क्या हो सकता था। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। किन्तु इसकी वास्तविकता के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता । श्री अरुण शौरी ने जो कुछ कहा है, उसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा । उन्होंने जो कुछ कहा वह यह है ।

'इंडिया टुडे' में प्रकाशित श्री अरुण शौरी के लेख को मैं उद्धृत करता हूं—

15 फरवरी की दोपहर बाद—कत्लेआम से तीन दिन पहले – नौगांव पुलिस स्टेशन के कार्यभारी अधिकारी श्री जहीरुद्दीन अहमद ने असम पुलिस की 5वीं बटालियन (मारीगांव में तैनात जो नेल्ली क्षेत्र से 10 कि० मी० से अधिक दूर नहीं है) के कमाण्डेंट, मारीगांव के उपमंडल पुलिस अधिकारी तथा स्वयं जागीरोड़ के पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारी को एकदम स्पष्ट चेतावनी भेजी थी । जो संदेश भेजा गया था वह यह है और उसके उत्तर में उसने जो कहा था वह इस प्रकार है :—

"यद्यपि मुझे जहीरुद्दीन का संदेश प्राप्त होने से पूर्व ही इस बात का पता चल गया था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है, किंतु ऐसे संदेश दर्जनों बार मुझे पहले भी प्राप्त होते रहे हैं, तो भी इस संदेश को पाकर मैं स्तब्ध रह गया। सत्य यह है कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। 16 फरवरी को—नेल्ली में तथा नेल्ली के आस-पास कत्लेआम होने से दो दिन पूर्व—सहायता के लिए जागीरोड़ पुलिस स्टेशन को विशेष दलीलें प्राप्त हुई।

ठीक 18 फरवरी को, जैसा कि मैंने पहले कहा है कत्लेआम प्रातः लगभग 8 बजे आरम्भ हो गया था। यदि हम उसके अपने आंकड़ों को ही सही माने तो भी जागीरोड़ पुलिस स्टेशन की सामान्य डायरी के अनुसार जागीरोड़ पुलिस स्टेशन को हत्या की सूचना 18-2-83 को प्रातः 10.35 पर प्राप्त हुई और इसके बावजूद सी० आर० पी० एफ० के कार्मिकों से युक्त पुलिस दल उस क्षेत्र में सायं 3 बजे तक नहीं पहुंचा।"

वास्तविक स्थिति वहीं है जो मैंने और मेरे मित्र श्री बनात वाला ने सुनी है। हाल ही हम लोग असम गये थे और दो दिन पहले ही लौटे हैं। हम लोगों ने इन सभी कैम्पों का दौरा किया था। हम लोग मूलाधारी, अलीसिंगा, मती पर्वत, भगडूबा हषी, बसुन्धेरी और भगडूबा बेल नामक सभी कैंपों में गये थे। इन सभी स्थानों के लोगों ने हमें बताया कि कत्लेआम ठीक 8 बजे सुबह आरम्भ हो गया था। उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। चार बजे जब सभी हत्यायें हो चुकी थीं, सभी स्थानों पर आग लगाई जा चुकी थी, तब पुलिस आई यानि सी० आर० पी० सहायता के लिए आई।

एक माननीय सदस्य : वे दफनाने आये थे।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : मैं माननीय मन्त्री जी को यह बताना चाहता हूं कि असम में अभी तक तनाव बना हुआ है उस क्षेत्र में जहां अभी झोंपडियां हैं और जहां लोग रह रहे हैं, उनमें से अधिकांश मुसलमान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार उन्हें कुछ दे रही है। थोड़ा राशन भी सप्लाई किया गया है। थोड़ा-सा चावल दिया गया है। थोड़ा-सा तेल दिया गया है। थोड़ा-सा नमक दिया गया है। किंतु इस सब वस्तुओं के अतिरिक्त भी उनके जीवन की कुछ आवश्यकतायें हैं किंतु अपने प्राणों में भय से वे मुख्य सड़क तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि आज भी उनके मस्तिष्क में आंदोलनकारियों का भय समाया हुआ है।

वे यह सोचते हैं कि जो भी आयोग उन्हें धोखा देगा। इसलिए अपने प्राणों के डर से वे बाहर नहीं जा सकते हैं और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्थिति यह है। इसीलिए, अभी तक तनाव बना हुआ है। वहां सुरक्षा का अभाव है और इसके साथ साथ असम में एक बात और है कि असम पुलिस और असम के सैनिक टुकड़ी नितांत असफल रहे हैं। लोगों ने हम लोग को बताया था कि उनके हजारों व्यक्तियों के दल वहां हत्या करते और झोपड़ियों को आग लगाते हुए देखे जा सकते हैं। यह सब असम पुलिस असम सैनिक टुकियों द्वारा किया गया था। वहां के लोगों ने जो बताया वह यह है कि शोषित व्यक्तियों पर इस प्रकार की

गोली-बारी असम बलों और असम बटालिनों द्वारा की गई। उनका कहना है कि इसके बाद आन्दोलनकारियों ने झौपड़ियों में आग लगाई। पहले असम पुलिस द्वारा और असम बटालिनों द्वारा हत्यायें की गई। ऐसा अनुभव हमें इस बार ही हुआ है। हम लोग अनेक वर्षों के अनुभव करते आ रहे है। हमने देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में पी० ए० सी० क्या करती है, बिहारी में बी० एम० पी० क्या करती है। असम पुलिस और असम बटालियन वही कर रही है जो कुछ पी० ए० सी० ने उत्तर प्रदेश में और बी० एम० पी० ने बिहार में किया था।

इसलिए, यही कारण है कि हम यह आग्रह कर रहे हैं कि सभी राज्यों के सशस्त्र बलों में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनित्वि दिया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि हम इतना कुछ करने जा रहे है, परन्तु हमें इस बारे में आवश्यक जानकारी नहीं मिलती जिससे कि हम यह विश्वास कर सकें कि सरकार वास्तव में इस संबंध में बहुत कुछ करना चाहती है।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मानसून आ रहा है। वास्तव में, यह पहले ही शुरू हो चुका है। जब हम वापस आए, तो बारिशें शुरू हो गई थी। तब, संचार व्यवस्था बहुत बिगड़ जाती है।

मैं आपको यह बता दूं कि हम शिवरों तक आसानी से नहीं पहुंच सके। हमें कारों से उतरना पड़ा था क्योंकि कारें धंस गई थी और हमें पीड़ितों के शिवरों में सेना की जीपों द्वारा जाना पड़ा। ये सड़के कच्ची है, पक्की नहीं हैं

एक और बात यह कि मुसलमान अधिकतर नदीय क्षेत्रों में बसे हुए हैं। वहां पानी रोकने के लिए तटबंध हैं। वहां पर तोड़फोड़ होने वाली है। वे इस इस तोड़फोड़ करने की योजना बना रहे हैं। ये दंगा फसाद करने वाले साम्प्रदायिक तत्व, आन्दोलन कारी तोड़ फोड़ करने की योजना बना रहे हैं। ये वर्षा के बाद जब पानी पूरी तरह भर जायेगा इन तटबंधों को तोड़ना चाहते हैं, इसके बाद उस सारे क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी जहां ये अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं ताकि वे चारों तरह से घिर जाए और उनकी हत्या की जा सके उनकी तोड़फोड़ की यह योजना है। इस की ओर मैं यह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस तोड़फोड़ को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। मैंने मुख्य मंत्री, श्री संक्रिया को भी इसके बारे में बता दिया है। उनको इसकी जानकारी है। मैं यह बात अवश्य कहूंगा कि सैकिया सरकार ऐसी सरकार है भी, वास्तव में कुछ कर रही है। वह ईमानदार है। इसलिए, मैं यह कहता हूं कि चाहें वहां कोई भी सरकार हो, चाहे इसे लोगों की स्वीकृति न मिली हो, तो भी वह लोकप्रिय सरकार है और लोकप्रिय सरकार नौकरशाही से बेहतर है इसलिए, उस सरकार को चलने देना चाहिए। वहां की स्थिति में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यही मैं महसूस करता हूं क्योंकि सारी स्थिति में गड़बड़ करने से वहां और भी समस्याएं पैदा होंगी।

सबसे बड़ी समस्या जिस पर तुरन्त ध्याग देना है वह है पुनर्वास की है। इस का

को जारी रखा जाना चाहिए। आपको इन लोगों को फिर से बसाने की और पूरा ध्यान देना है, और इन लोगों को उस क्षेत्र में बसाया जाए जहां शांति स्थापित हो गई है और न कि ऐसे स्थान पर बसाया जाए जहां दुबारा हत्या हो।

उन्होंने प्रशासनिक जांच के बारे में कहा है। मैं ऐसा नहीं समझता कि इससे कोई लाभ होगा विशेष रूप से इसलिए कि सम्पूर्ण प्रशासन आन्दोलन कारियों के पक्ष में है। इन परिस्थितियों में, प्रशासनिक जांच से कोई संकुष्ट नहीं होगा हम चाहते हैं कि उच्चतन न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन एक न्यायिक जांच तत्काल कार्रवाई जाए जिससे कि सभी तथ्य सामने आए हम चाहते हैं कि लोग कारणों को समझें, हम चाहते हैं कि लोगों में विश्वास पैदा किया जाए और हम चाहते हैं कि अपराधियों को दण्ड दिया जाए। ऐसा तभी सम्भव हैं जब न्यायिक जांच की जाए। आपने उन दंगों के संबंध में बहुत सी जांचे करवाई हैं जिनका महत्व कम था और जिनसे कम अनर्थ हुआ था। यह जनसंहार का मामला है, मैं इसे एक जाति संहार का नाम दूंगा, ऐसे हत्याएं हमने स्वतंत्र भारत में इससे पहले नहीं देखीं, ऐसी परिस्थितियों में, यदि आप न्यायिक जांच की बात स्वीकार नहीं करते हैं जैसी कि हम मांग करते रहे हैं, तो इससे कोई संतुष्ट नहीं होगा।

एक तरह से राहत कार्य भी अपर्याप्त हैं। गृह मन्त्री जी यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि हत्याओं के मामले में, मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को 10,000/रु० दिया जाता है। परन्तु यहां केवल 5000/रु० की राशि दी गई है असम में यह भेदभाव क्यों किया जा रहा हैं? और यह राशि भी उनको नही मिली हैं। इसलिए हमने कहा है कि उनको और अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए। और राज्यों में आपने 10,000/रु० दिया है। मैं फिर कहूंगा कि यहां भेदभाव किया जा रहा है। असम में अपने 5000/रु० देने की घोषणा की है और वह राशि भी मृतकों के संबंधियों के पास अभी तक नहीं पहुंची है। मेरा अंतिम प्रश्न, विदेशियों का पता लगाने के बारे में है। यह कार्य तत्काल शुरू नहीं किया जाना चाहिए। अब सरकार की यह नीति कि 1971 के बाद आए, विदेशियों का पता लगाना है। आधार वर्ष 1971 है --

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा था कि आप अब विदेशियों के मामले की चर्चा नहीं करेंगे परन्तु आप उसी विषय पर आ गए हैं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : वहां से आने के बाद मैंने प्रधान मंत्री जी को भी एक ज्ञापन दिया था। असम की स्थिति ऐसी है कि विदेशियों का पता लगाने वाली किसी प्रक्रिया में इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि निर्दोष लोगों को परेशानी और कठिनाई का शिकार न बन पड़े।

यह बात स्पष्ट है कि विदेशियों का पता लगाने का कार्य केवल इस मामले पर सौहार्दपूर्ण ढंग से ठोस सिद्धान्तों पर और सही ढंग से समझौता होने के बाद ही शुरू किया जा सकता है। विधिवत जांच बिना व्यापक और भेदभाव पूर्ण कार्यवाही करने से बचना चाहिए। जिन लोगों के

घर जाने दिए गए हैं और फसले नष्ट कर दी गई हैं उनको तब तक भारतीय नागरिक माना जाना जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं। मैं कहता हूं कि घर जलाने का उद्देश्य हो मकता है कि यह सुनिश्चित हो जाए कि मालिकाना अभिलेख नष्ट हो जाएं और नागरिकता का सबूत भी नष्ट हो जाए। यही मुख्य उद्देश्य था। इसलिए, आज यदि आप उनसे अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे तो वे अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि उनके घर जला दिए गए हैं। अतः जब तक अन्यथा न सिद्ध हो जाऐ, उन्हें भारतीय नागरिकमाना जाये। जिन लोगों के घर नष्ट कर दिए गये हैं ओर फसलें तबाह हो गयीं हैं उनको तब तक भारतीय नागरिक समझा जाए जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाता। इन न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष वे लोग हों जो बिल्कुल तटस्थ हो और राज्य बाहर से लाये जायें, यदि वे दक्षिण भारत के हों बेहतर होगा इस बात पर जोर दिया जाता है कि तथाकथित पता लगाने की प्रक्रिया स्पष्ट व पारस्परिक समझौते से शुरू की जानी चाहिये। विदेशियों आगमन के बारे में डर और प्रचार को दूर कर देना चाहिए।

अतः ऐसी स्थिति में हमें पहले पीड़ितों को फिर से बसाना चाहिए और आम स्थिति बनाने में सहायता करनी चाहिए। फिर ईमानदारी से और लोकतांत्रिक, न्यायिक और साफ सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए इस मामले को हल किया जा सकता है। इसलिए, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए जिन्हें दुःख पहुंचा और जिन्होंने स्वयं को फिर से बसाने के लिये सब कुछ करने का प्रयास किया। हमें उनके लिये कठिनाई पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार को काफी चौकस रहना चाहिए ताकि ऐसी त्रासदी फिर न हों क्योंकि इससे लोगों को खतरा हो जाएगा और देश की सुरक्षा को भी खतरा हो जाएगा।

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : शासक दल के कुछ सदस्यों ने पहले ही अपने नाम वापस ले लिए है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि विपक्ष से भी जो एक दो सदस्य रह गए हैं। वे बोलने के लिए जोर न दें। मैंने इस ओर से 4 अथवा 5 सदस्यों को आग्रह न करने के लिए कहा है। अब मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब मैं मन्त्री को उत्तर देने के लिए कह रहा हूं।...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप इसे मुझे पर छोड़ दें।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे खेद है मैं किसी को अनुमति नहीं दे सकता। हमने अपना कर्त्तव्य निभा दिया है। हमने बहस के साथ न्याय किया है। मैंने इस ओर से तथा उस ओर से भी लोगों को रोका है।...(**व्यवधान**)कृपया इसे मुझ पर छोड़ दें। कार्यवाही मैं चला रहा हूं। मैंने एक ही ओर से लोगों को नहीं रोका है। मैंने 4 को इस ओर से तथा दो को

इस ओर से रोका है। अब, मन्त्री जवाब देंगे।...**(व्यवधान)** मैं आपको अनुमति नहीं देता। आप मेरे पर दबाव नहीं डाल सकते। मैं अनुमति नहीं दूंगा। यदि आप मन्त्री का उत्तर सुनना नहीं चाहते तो ठीक है। मैं मन्त्री को उत्तर देने के लिए कह रहा हूं ...**(व्यवधान)** अब मन्त्री उत्तर देंगे। मैं अनुमति नहीं देता। मुझ पर दबाव न डालें। मुजे बाध्य न करें...**(व्यवधान)** यह ठीक है। आप इसे मुझ पर छोड़ दें। मुझे वक्ताओं को रोकने का पूरा अधिकार है। **(व्यवधान)** नहीं, नहीं। मुझे वक्ताओं को रोकने के सारे अधिकार हैं। मैंने सभी पक्षों को रोका है।...**(व्यवधान)** अब मंत्री उत्तर देंगे।...मैं आपकी इच्छाओं के अनुसार सदन को नहीं चला सकता। आप कृपया बैठ जाइए। कृपया कोई टिप्पणी न करें। केवल मंत्री का उत्तर रिकार्ड किया जाएगा।...कोई टिप्पणी करने की हद होती है। श्री लारेंस...**(व्यवधान)** कृपया बैठ जाइए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं नहीं बैठता।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर, खडे रहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मंत्री उत्तर देंगे... **(व्यवधान)**। मंत्री को छोड़कर बाकी कुछ भी रिकार्ड न करें...**(व्यवधान)** मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। किसी चीज की हद होती है। सदन की कार्यवाही मैं चला रहा हूं। मैं सन्तुष्ट हूं कि पर्याप्त बहस हो चुकी है इसलिए मैं मंत्री को उत्तर देने के लिए कह रहा हूं। यह ठीक है, यह सही तरीका नहीं है। आपको सभापति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कृपया बैठ जाइए। **(व्यवधान)** मैं किसी की भी बोलने की अनुमति नही दूंगा। केवल मंत्री ही बोलेंगे और आप यदि चाहते हैं तो उनका उत्तर सुनें। यदि आप नहीं सुनना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मंत्री के उत्तर को छोड़कर कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

मंत्री महोदय।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने पूरी प्रैस की निंदा नहीं की है। मैंने केवल कुछ पत्रकारों के बारे में ही कहा था। जहां कहीं भी मैंने पत्रकारों के बारे में कुछ कहा है मैंने उन्हें कभी भी देशद्रोही नहीं कहा है। मैं समझता हूं कि इस बारे में श्री स्टीफन ने स्पष्ट बताया है।

जहां तक आसूचना ब्यूरो की विशेष ब्रांच की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखने का सम्बन्ध है, ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे स्वीकार न करें।

जहां तक रिपोर्टों का संबंध है, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि रिपोर्टें स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से भेजी गई थी और असम सरकार भी इन्हें समय-समय पर प्राप्त करती रही है, उन

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर चर्चा करती रही है तथा उसने आवश्यक कदम उठाए हैं। किंतु जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उन्हें रिपोर्टों की प्रतियां श्री दास द्वारा लिखे जाने के बाद दी गईं। 5 मार्च को उन्होंने 1 प्रति श्री नायर को दी और दूसरी प्रति गृह मन्त्रालय में उपलब्ध है। मैं एक और बात का खंडन करना चाहता हूं। मैं श्री चटर्जी का आभारी हूं कि उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी कि वहां पर चुनावों से पहले भी स्थिति शांतिपूर्ण नहीं थी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही बहुत-से व्यक्ति मारे गए थे। इस सम्बन्ध में मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने का सम्बन्ध है यह प्रक्रिया 1952 से ही चल रही है। 3, 21, 305 व्यक्तियों का पता लगाकर वापस भेजा गया है जो कि वहां पर घुसपैठिए थे। इसलिए यह कहना गलत है कि सरकार इनके बारे में गम्भीर नहीं है। मैं श्री सन्तोष मोहन देव का भी आभारी हू कि उन्होंने यहां काफी ओजस्वी भाषण दिया तथा उन्होंने वहां की स्थिति बताते हुए जो समर्थन दिया मैं उसके लिए भी आभारी हूं। वह असम से आए हैं और वह काफी वर्षों तक इस सदन के सदस्य रहे हैं। इसलिए वह वहां की समस्या के रहस्य को जानते हैं। उनके इस बहस में भाग लेने पर मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री चटर्जी ने कहा है कि समस्या का रहस्य असम में स्थिति को निपटाने में है। मैं इस बात पर उनसे सहमत हूं। उनके द्वारा विपक्ष को स्थिति शतमय बनाने के लिए अपील करने पर भी मैं उनका आभारी हूं। जहां तक श्री चटर्जी का सम्बन्ध है, उनका दल सी० पी० एम० चुनावों के पक्ष में था। यह कहना ठीक नहीं है कि सभी दल चुनाव प्रक्रिया का समर्थन नहीं करते। कुछ कहते थे कि वे समर्थन दे सकते हैं किंतु वह सशर्त समर्थन होगा।

वह प्रस्ताव सशर्त था इसलिए हमने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा है कि जहां तक चुनाव प्रक्रिया का सम्बन्ध है, कोई मतैक्य नहीं था, चूंकि कोई मतैक्य नहीं था और वहां सांविधानिक दायित्व का तथा सरकार को वह सांविधानिक दायित्व पूरा करना था। चुनाव आयोग ने भी इस स्थिति को स्वीकार किया और उन्होंने भी कहा कि समय की कमी के कारण उनके लिए नियमों में संशोधन करना सम्भव नहीं है अतः उन्होंने भी चुनाव करवाना स्वीकार कर लिया।

प्रो० मधु दण्डवते : जब पहला चरण पूरा होने पर उन्होंने क्या कहा था ? उन्होंने इसे पूरा करने में अपनी कठिनाइयां बतायीं थीं।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : उस स्थिति पर विचार किया गया। महोदय, प्रशासनिक जांच के बारे में संदेह प्रकट किए गए थे। मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रशासनिक जांच काफी उच्च स्तरीय होगी तथा जांच अधिकारी अन्य राज्य से भेजा जाएगा तथा वह स्थानीय अधिकारी नहीं होगा। अतः उसके द्वारा उन स्थानीय लोगों के साथ मिल जाने की कोई संभावना नहीं होगी जो आंदोलन कर रहे हैं।

महोदय, मैं श्री स्टीफन का भी आभारी हूं कि उन्होंने काफी प्रभावशाली भाषण यहां दिया और सरकार का जोरदार समर्थन किया तथा सब कुछ स्पष्ट कर दिया ।

प्रो० मधु दण्डवते : उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश से न्यायिक जांच करवाने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री प्रकाश चन्द सेठी : इससे स्थिति को सामान्य बनाने में कोई मदद मिलने की सम्भावना नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या प्रशासनिक जांच से मदद मिल जाएगी ?

श्री प्रकाश चन्द सेठी : इनसे अवश्य मदद मिलेगी । श्री बहुगुणा ने आरोप लगाया है चुनाव कराने के लिए बाहर से पुलिस भेजी गई । हम पर यह आरोप भी लगाया गया कि असम सरकार को जितनी पुलिस चाहिए की उतनी नहीं भेजी गई । यह ठीक नहीं है । हमने वास्तव में 312 कम्पनियां भेजी और अब भी बाहरी पुलिस की 275 कम्पनियां वहां है । पुलिस वहां केवल चुनावों के लिए ही नहीं गई थीं । बल्कि कानून व व्यवस्था के लिए भी भेजी गई । मैं यह नहीं कहूंगा कि असम में कोई विदेशी नहीं है । वहां कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो विदेशी नहीं हों किन्तु जैसा कि श्री जेठमलानी ने कहा है हमें काननी प्रक्रिया अपनानी होगी । कानूनी प्रक्रिया सांवैधानिक तथा देश के कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्धों पर आधारित होगी । इसलिए हम किसी व्यक्ति को बिना किसी उचित प्रक्रिया के नही भेज सकते ।

श्री सुलेमान सेठ ने भी खोज प्रक्रिया शुरू करने के बारे में अपना संदेह व्यक्त किया है । हमने क्या कहा है कि अब हम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग से न्यायाधिकरण स्थापित करते जा रहे हैं । मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि वहां के स्थानीय लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से इनकी अध्यक्षता राज्य से बाहरी व्यक्तियों द्वारा की जायेगी ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोलान) : भूमि संबंधी सारे रिकार्ड आग में जल गए हैं । आप इसका प्रबन्ध कैसे करेंगे ? भूमि रिकार्ड जल गए हैं ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : बाहर से आने वाले अधिकारियों के अतिरिक्त हम उन्हें उपयुक्त परिभाषा और संहिता देंगे । जो कुछ श्री गोगोई ने कहा है, उसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि राहत कार्य चला रहा है । निस्सन्देह मैं यह दावा नहीं करता कि यह पूर्णतः सन्तोषजनक है किंतु साथ ही समस्या काफी विशाल है और जहां तक राहत शिवरों का सम्बन्ध है उनकी जन-संख्या अब 3.10 लाख से घट कर 1.10 लाख हो गई है । अतः लगभग दो लाख व्यक्ति वापस चले गए हैं और 245 से अधिक नई चौकियां बनाई गई हैं । इस मुद्दे पर श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा विशेष जोर दिया गया था ।

श्री जयपाल सिंह ने कहा है कि सेना को तैनात किया गया था। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सेना को केवल सावधान किया गया था। सेना को वहां पर चुनावों के दौरान तैनात नहीं किया गया था, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बात को बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया था कि चुनावों के दौरान सेना को वहां पर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां तक विधान सभा को भंग करने तथा राष्ट्रपति के शासन को लागू करने का सम्बन्ध है, मैंने इसको कई बार स्पष्ट कर दिया है कि हम वहां पर राष्ट्रपति शासन को पुनः लागू करने के पक्ष में नहीं हैं।

विधान सभा निर्वाचित हो चुकी है, सरकार ने वहां पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। मैं श्री सुलेमान सेट की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मुख्य मन्त्री जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और अपने कर्त्तव्य को समझते हैं, और वह समस्या से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, अतः इसके लिए हमें समय देना चाहिए और हमें विधान सभा को भंग करने तथा सरकार को समाप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

श्री राजेश पाइलट ने दो अथवा तीन सुझाव दिए हैं। जहां तक पुलिस बल का सम्बन्ध है, मैंने अभी बताया है कि वहां पर अभी-भी 275 पुलिस कम्पनियां मौजुद है और हम इस बल को तब तक कम नहीं करेंगे और जब तक सामान्य स्थिति न हो जाए, अतः इसका कोई प्रश्न ही नहीं है।

जहां तक सेना को तैनात करने का सम्बन्ध हैं, मैं उनको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार ने वर्ष 1983-84 के योजना परिव्यय में असम की आवश्यकताओं पर निश्चित रूप से विचार किया है। इसी कारण से वर्ष 1982-83 की अपेक्षा असम को 22 प्रतिशत अधिक शेयर दिया गया है। कुछ रेलवे लाइनें तथा अन्य विकास कार्य किये जा रहे हैं। बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं को भी हाथ में लिया गया है तथा ताप बिजली परियोजनाओं को भी बहुत ही शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा। अतः हम सभी संभव सावधानी बरत रहे हैं।

श्री रामजेठमलानी ने हमारे ऊपर यह आरोप लगाया है कि हम यह जानते थे कि चुनाव कराने से लोग मारे जायेंगे अतः इन हत्याओं के लिए हम भी दोषी हैं। उन्होंने संवैधानिक दायित्व के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि वहां पर आपात-काल की स्थिति को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे संविधान के अन्तर्गत आपातकाल की स्थिति केवल तभी घोषित की जा सकती हैं जबकि सैनिक क्रांति न हो अथवा विदेशी हमला न हो।

जहां तक असम का सम्बन्ध है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव कराना अनिवार्य था और हम यह जानते थे कि कुछ हिंसा की घटनायें होंगी जिसकी वजह से हमने वहां पर 312

कम्पनियों को भेजकर पूर्ण सावधानी बरती। यह काफी होती है और इनको वहां पर तैनात किया गया था। लेकिन यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि घृणा के कारण कुछ भड़काने वाले भाषणों के कारण तथा आन्दोलन नेताओं द्वारा एक रवैया अपनाने के कारण, इसकी स्थिति विनाशपूर्ण हो गई जिसमें न केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही बल्कि सभी समुदायों तथा जातियों के लोग मार गये हैं। और श्री इब्राह्म सुलेमान सेठ द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है, उस पर निश्चय ही विचार किया जाना चाहिए। उनका मुद्दा यह था कि क्या केन्द्रीय सरकार मरने वाले लोगों के सगे सम्बन्धियों को अधिक राहत प्रदान कर सकती है। मैं श्री नुरुल इस्लाम का भी धन्यवाद करता हूं। जो असम से नये सदस्य चुनकर आये हैं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और इस विषय का समर्थन किया है और बात स्पष्ट की है।

महोदय, जहां तक असम में पुलिस बल का सम्बन्ध है, श्री इब्राहीम सुलेमान सेट ने इसके बारे में बताया है कि वह बल केवल पी० ए० सी० की तरह है। मैंने पी० ए० सी० तथा अन्य बलों के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है, पूरा बल उसकी भांति नहीं है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार की अर्द्ध सैन्य बलों का सम्बन्ध है वे विभिन्न जातियों, समुदायों आदि का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमने विशेष रूप से जिन तीन बटालियनों को शांति बल के रूप में स्थापित किया है, उनमें हमने सभी अल्पसंख्यकों तथा अन्य जातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया है, और वे पूर्णत: उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हम अन्य तीन बटालियनों को शांति बल के रूप में भर्ती करने जा रहे हैं और वहां पर वे भी वहीं कार्य करेंगी। इसके साथ ही हमने अनुदेश भी जारी किए हैं और सभी राज्य सरकारों से उनका कठोरता से अनुपालन करने को कहा है। सभी राज्य पुलिस बलों में विभिन्न विचारों, जातियों तथा समुदायों के लोगों को व्यापक प्रतिनिधित्व देना चाहिए ताकि यह बल व्यापक आधार युक्त बल बन सके।

अन्त में, मैं यह तो नहीं कर रहा हूं कि असम की स्थिति वास्तव में सामान्य हो गई है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले सात दिनों से कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई है अत: यदि समय ठीक रहा तो स्थिति सासान्य हो जायेगी और दल उस प्रक्रिया में भी सहायता करेंगे।

जहां तक उन दो अधिकारियों का सम्बन्ध हैं, जिनके बारे में सूचित किया गया था, मैं यह बताना चाहता हूं कि उन दोनों को निलम्बित कर दिया गया है। एक विभागीय जांच के पश्चात् दो उप-निरीक्षकों तथा उप-खंड अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है। 5 मार्च को इस रिपोर्ट को प्राप्त करते ही हमने राज्य सरकार को एक बिस्तारपूर्वक टिप्पण लिखा है

जिसमें रिपोर्ट में कही गई बात की ओर ध्यान देने तथा इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने को कहा गया है। वे बैठक बुला रहे हैं और उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

मैं वाद-विवाद में सदस्यों के भाग लेने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

8.43 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 6 मई, 1983/16 वैशाख, 1905 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : इण्डियन प्रेस सकूर बस्ती दिल्ली-34